महिला कैदी
एवं
जेल व्यवस्था

अदिति

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
गृह मंत्रालय, नई दिल्ली

(हिंदी में पुलिस संबंधी पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति ने 23 मई, 1979 की अपनी बैठक में यह निर्णय लिया था कि न्याय वैद्यक, अपराध शास्त्र, पुलिस अनुसंधान और पुलिस प्रशासन आदि विषयों पर लिखित हिंदी की मौलिक पुस्तकों पर पं. गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार योजना प्रतिस्थापित की जाए। तदनुसार 22 मार्च, 1980 को अपर सचिव की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय में हुई बैठक में निर्धारित मापदंडों के आधार पर इस संबंध में जो निर्णय लिए गए उसके अनुसार इस योजना को अंतिम रूप दिया गया। इस योजना के अंतर्गत ही भाग 1 में मौलिक प्रकाशित पुस्तकों को पुरस्कृत किया जाता है तथा वर्ष 1982 से भाग 2 के अंतर्गत दिए गए विषयों पर पुस्तक लेखन का कार्य कराया जाता है। इसी के तहत यह पुस्तक प्रकाशित की जा रही है।)

इस पुस्तक में दिए गए विचार लेखक के निजी हैं
इनसे पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो,
गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की
सहमति आवश्यक नहीं है।

प्रकाशक के सर्वाधिकार सुरक्षित

प्रकाशक – पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (गृह मंत्रालय),
3/4 मंजिल, ब्लाक–II, सी.जी.ओ. कंप्लेक्स,
लोदी रोड, नई दिल्ली–110003

एकमात्र वितरक – नियंत्रक प्रकाशन विभाग,
सिविल लाइंस, दिल्ली–110054

प्रथम संस्करण – 2014

मुद्रक – प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय

अनुक्रम

प्रस्तावना	7
जेल व्यवस्था का इतिहास	17
अपराध के कारण	85
महिला कैदियों की समस्याएं	101
कैदी और उनके मानवाधिकार	132
कारागार अधिनियम 1854	153
अध्ययन रिपोर्टें	196
विभिन्न राज्य सरकारों के प्रयास	244
विभिन्न एन.जी.ओ. के प्रयास	328
इतिहास के आइने में	345
आपबीती	358
साहित्य व फिल्में	382
उपसंहार	395

आमुख

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा पुलिस व न्यायालयिक विज्ञान से संबंधित हिन्दी में साहित्य उपलब्ध कराने के लिए पं. गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार योजना को वर्ष 1982 में प्रारंभ किया गया था। पुलिस व न्यायालयिक विज्ञान से संबंधित विभिन्न विषयों पर अनेक पुस्तकें पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं।

भारत में अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस को नित नए प्रयोग करने पड़ रहे हैं। अपराधियों में अब केवल पुरुष ही नहीं, अपितु महिलाओं की संख्या में भी काफी वृद्धि होने लगी है। महिला कैदी एवं आज की जेल व्यवस्था से संबंधित समस्या का निदान करते समय, किस पक्ष की क्या भूमिका होगी और कौन इस समस्या के निदान में कैसे सहायक हो सकता है, इस समस्या की गंभीरता एवं विभिन्न पहलुओं को देखते हुए ब्यूरो द्वारा संचालित पं. गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना की मूल्यांकन समिति ने पर्याप्त विचार-विमर्श के बाद देश के विभिन्न प्रांतों से इस विषय पर विचार आमंत्रित किए। विभिन्न राज्यों से प्राप्त रूपरेखाओं में से महिलाओं के लिए आरक्षित विषय 'महिला कैदी एवं जेल व्यवस्था' पर सुश्री अदिति द्वारा प्रस्तुत रूपरेखा को चुना गया। लेखिका ने इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के साथ-साथ ठोस सुझाव प्रस्तुत करने का सराहनीय प्रयास भी किया है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि लेखक द्वारा दी गई राय उनकी निजी राय है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो एवं भारत सरकार की इसमें कोई टिप्पणी नहीं है। ये लेखिका के सामान्य प्रकाशन के लिए नहीं है।

महानिदेशक

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

प्रस्तावना

भारत के महान कवि रवींद्रनाथ टैगोर ने बरसों पहले महिलाओं की स्थिति की वेदना और असमानता को इस प्रकार व्यक्त किया था—

"देवता तुमने स्त्री को अपना भाग्य विधाता बनाने का अधिकार क्यों नहीं दिया?/क्यों इस पगडंडी के किनारे नतमस्तक हो प्रतीक्षा करें/किसी चमत्कार की आशा में धैर्यहीन प्रतीक्षा।"

ऋग्वेद कालीन समाज में ग्राम सभा द्वारा अपराधी को सजा देने की प्रथा थी। उस समय जेलें नहीं होती थीं। अपराधी को उसके घर में ही बंदी बनाए रखा जाता था।

धर्म सूत्रों में नरक के भय से समाज को बुरे कामों से दूर रखा जाता था। राजा का यह कर्तव्य था कि वह गलत काम करने वाले व्यक्तियों को दंडित करे। धर्म सूत्रों में वर्ण व्यवस्था के आधार पर दंड व्यवस्था थी। ब्राह्मणों को दंड नहीं दिया जाता था। मृत्यु, अंग-भंग, वनवास और अर्थदंड मुख्य दंड थे। इसके अलावा बोलचाल बंद और काम से हटा देना भी दंड के रूप थे। ब्राह्मण की हत्या करने पर 1000 गाय, क्षत्रिय की हत्या करने पर 500 गाय, वैश्य की हत्या करने पर 100 गाय और शूद्र अथवा किसी भी जाति की स्त्री की हत्या करने पर दस गाय देने का दंड दिया जाता था। हाथ या अन्य अंग भंग की सजा चोरी करने पर दी जाती थी। हत्यारों, देशद्रोहियों, डाकुओं और यौन अपराधियों को मृत्यु दंड दिया जाता था।

महाभारत काल में स्त्रियों को कठोर सजा देने के उल्लेख मिलते हैं। यदि कोई स्त्री स्वेच्छा से पति का त्याग करके अन्य पुरुष के साथ व्यभिचार में लिप्त हो तो उसे कठोर सजा देने की व्यवस्था थी। पति तो उसे त्याग ही देगा; लेकिन इसके बाद राजा किसी प्रकट स्थान पर सबके सामने कुत्तों

से उसको नुचवाएगा। स्वेच्छा से व्याभिचारिणी स्त्री एवं पर पुरुष गामी व्याभिचारी पुरुष दोनों का एक साथ उतप्त लोहे की शय्या पर सुला कर वध कराना राजा का कर्तव्य था।

गुरु अपराध की सजा में अपराधी शिष्य के बाल बीच-बीच में से काट कर सिर पर पांच जगह बाल रख कर उसे छोड़ देते थे। वनवास काल में द्रोपदी का अपहरण करने के अपराध में भीम ने जयद्रथ को यही सजा दी थी। विजित मनुष्य सब लोगों के सामने विजेता से जब तक 'मैं तुम्हारा दास हूं' नहीं कह देता था उसे क्षमा नहीं मिलती थी।

महाभारत के शांति पर्व में दंडनीति का उल्लेख मिलता है। प्रजा ही राज्य का मूल है। अतः प्रजा की रक्षा करना राजा का प्रधान कर्तव्य है। मनुष्य मात्र काम-क्रोध आदि शत्रुओं की ताड़नावश समय-समय पर अन्याय या दुष्कर्म करता है। कई धार्मिक कहानियों में मनुष्य के बुरे कामों के लिए उसे दंडित किया जाता रहा है। पाप और पुण्य, स्वर्ग व नरक की अवधारणा बुरे कर्मो के लिए दंडित व अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहन की व्यवस्था के द्योतक हैं।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है, "हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता को प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।" भारतीय संविधान द्वारा कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है। इसमें बालकों और स्त्रियों का कल्याण बड़े महत्व का है।

लोकमान्य तिलक ने 'स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे' की घोषणा की थी। यह हमारा मानवाधिकार है जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान देश की आजादी का परम ध्येय बना। विश्व के सभी प्राणियों के लिए मानवाधिकार आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति,

देश व राष्ट्र को किसी दूसरे के मूल अधिकारों को छीनने का हक नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय जो सर्वप्रथम प्रावधान किया गया वह यह था कि संयुक्त राष्ट्र के लोग मूल मानव अधिकारों के प्रति मानव गरिमा एवं महत्व के प्रति, पुरुषों व स्त्रियों के प्रति बड़े एवं छोटे राष्ट्रों के मानव अधिकारों के प्रति निष्ठा को अभिपुष्ट करने का संकल्प करते हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद एक के परिच्छेद तीन में मूल वंश, लिंग, भाषा, धर्म एवं क्षेत्रीयता के आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद का प्रतिशोध किया गया है।

राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या ने 17 व 18 मई, 2001 को नई दिल्ली में आयोजित 'हिरासत में महिलाएं सेमीनार की रिपोर्ट' में विभिन्न सुधार गृहों में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाओं की जानकारी दी थी जिनका वर्णन ही काफी दिल दहला देने वाला था। जिनके साथ ये व्यवहार किए गए होंगे उनके दुःख व पीड़ा का अंदाज लगाया जा सकता है। उन्होंने सुधार गृहों में प्रवेश करने के बाद महिलाओं को एच.आई.वी. का शिकार होने, उनके शारीरिक शोषण, उनसे पाशविक व्यवहार की जानकारी दी। वहीं दूसरी ओर कुछ सुधार गृहों में महिलाओं की स्थितियों को सुधारने के प्रयासों की सफलता की कहानियां भी उजागर की गईं।

सुधार गृहों में जहां पाशविक व्यवहार व अस्वच्छ वातावरण होता है वहीं तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी है कि अब उनके मानवाधिकारों की रक्षा भी वहां की जा रही है। सुधार गृहों का शुक्ल पक्ष यह भी है कि वहां उन्हें प्रशिक्षित करने, शिक्षा प्राप्त करने व समाज में पुनर्वास करने के उपायों को भी गंभीरता से किया जा रहा है।

विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि महिलाएं प्रायः गरीबी, संस्थागत विवशता, उत्पीड़न और सामान्य अज्ञानता के कारण अपराध करती है। महिला कैदियों का अनुपात पुरुष कैदियों से बहुत कम है। फिर भी हम मानवाधिकार आयोग, विभिन्न समितियों, मुल्ला समिति और अय्यर समिति की आशाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर पाए हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी एक दिशा-निर्देश है कि' नारी जाति का उद्धार करो अथवा दंड न्याय प्रणाली को बदलो'। संवैधानिक अधिदेश और न्यायमूर्ति अय्यर की सिफारिशों के बावजूद हिरासत में रखी महिलाओं को उपलब्ध कराई जाने

वाली सेवाओं में काफी कमी है। बेशक अशिक्षा और जागरूकता की कमी है, पर यह भी उतना ही बड़ा सच है कि मौजूदा व्यवस्था की निगरानी नहीं हो पा रही है। जिला न्यायाधीशों और वरिष्ठ अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे जेलों का दौरा करें और खासतौर पर महिला कैदियों की स्थिति की जानकारी हासिल करें। अय्यर समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह टिप्पणी की थी कि भारतीय दंड प्रणाली द्वारा महिला अपराधियों के प्रति तात्कालिकता की कमी एक तरह से भारतीय समाज में आमतौर पर महिलाओं के प्रति दिखाई जाने वाली उदासीनता का ही परिचायक है।

भारतीय संविधान का एक उपबंध ही सब बातों को शामिल करने के लिए काफी है। अनुच्छेद 51 (क) में धारा (ड) में कहा गया कि यह एक मूल कर्तव्य जिसमें स्पष्ट अपेक्षा की गई है कि प्रत्येक नागरिक ऐसे कार्यों का त्याग करेगा जो महिलाओं की गरिमा का अनादर करते हैं।

समाज में महिलाओं की गरिमा का एक सूत्री कार्यक्रम यदि अपना लें तो कहीं भी कुछ और करने की जरूरत नहीं है, यह विचार न्यायमूर्ति श्री जे. एस. वर्मा ने एक राष्ट्रीय सेमिनार में दिए थे। उन्हें समाज में दिल से अपनाए जाने की जरूरत है। हमारा संविधान हमें किसी पद की हैसियत से क्या काम करने के प्राधिकार देता है, उससे ज्यादा जरूरी यह है कि एक आम नागरिक के रूप में महिलाओ की गरिमा को बनाए रखने में हम किस प्रकार योगदान देते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा कि यह कोर्ट की जिम्मेवारी है कि अपराधी को दंड देने से सामाजिक सुरक्षा हो। सुधार में पुनर्वास की व्यवस्था हों। जेल में उसके साथ क्रूर उपचार से उसे मानसिक आघात ही नहीं बल्कि कभी भी स्वयं में सुधार न लाने के लिए बाध्य करता है। यह व्यवहार उसे अपराध व्यसनी, कटु और समाज से बदला लेने के लिए प्रेरित करता है। किसी को उत्पीड़ित करने का प्रभाव समाज पर ही पड़ता है और यह समुचित होगा कि समाज का व्यवहार संवेदनशील, शिक्षाप्रद और उद्देश्य-परक हों ताकि वह उसे रूपांतरित कर समाज के लिए उपयोगी बना सके। कैदी भी व्यक्ति है और उस रूप में उसे मानवाधिकारों से वंचित करना उचित नहीं है। कैद का उद्देश्य उपचारात्मक होना चाहिए। एक बार जेल से रिहा होकर दुबारा जेल में लौटने के लिए उसे बाध्य नहीं करना

होगा।

भले ही जेलों का रख-रखाव राज्य का विषय है परंतु गृह मंत्रालय जेलों के भीतर की स्थितियों को सुधारने पर जोर देता आ रहा है। गृह मंत्रालय 1987 से जेल प्रशासनों आधुनिकीकरण योजना के तहत जेल और कैदियों की स्थिति सुधारने के लिए उनके प्रयासों में सहयोग करता आ रहा है। राज्य सरकारों को सुरक्षा सुदृढ़ीकरण, संचार और परिवहन, पुराने जेल भवनों की मरम्मत व पुनरूद्धार, महिला अपराधियों को सुविधाएं, व्यावसायिक प्रशिक्षण, जेल उद्योग के आधुनिकीकरण और जेल कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए निधियां प्रदान कर रहा है। योजना का अनुप्रवर्तन, राज्य सरकारों से निधियों के उपयोग का प्रमाण-पत्र मंगवा कर किया जा रहा है। गृह मंत्रालय के अनुसार महिलाओं की परिवार व समाज में स्थिति उनकी विशिष्ट जरूरतों/समस्याओं और जेल में उनकी कमजोर स्थिति के में नजर राज्यों के जेल मैनुअल में उनकी सुरक्षा, देखभाल, उपचार, प्रशिक्षण और पुनर्वास के प्रयास करने की व्यवस्था की गई है।

विभिन्न कमेटियों ने अपनी रिपोर्टों में जेलों में आवास, चिकित्सा, आहार, प्रशिक्षण, मनोरंजन, परामर्श जैसी सुविधाओं को कमोबेश संतोषजनक पाया है पर कैदियों की प्रमुख शिकायत मुकदमें और अपील की सुनवाई में विलंब है। आजीवन सजा प्राप्त कैदियों की प्रमुख शिकायत उन्हें समय पूर्व रिहाई न मिलने की होती है।

जेल सुधारों को समाज से अलग करके नहीं देखा जा सकता। जेल सुधार वास्तव में समाज सुधार है। यह हमारी नैतिक जिम्मेवारी है कि हम एक साधारण कैदी को आदतन अपराधी होने से रोकें, साथ ही किसी आदतन अपराधी को सुधार कर समाज को बचाना है ताकि कोई दूसरा उसका शिकार न बने। कैदियों को भले ही ऊंची-ऊंची दीवारों में कैद करके रखा जाता है, वहां उन्हें विभिन्न गतिविधियों में व्यस्त रख कर उनमें सकारात्मक विचारों को भर कर ही उन्हें एक ऐसे व्यक्तित्व में बदलने का कर्तव्य भी निभाना है जो समाज के लिए उपयोगी हों।

जुलाई 2011 में दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले में 1960 में बिलासपुर में शुरू की गई ओपन जेल में कैदियों को बाहरी दुनिया में जाकर काम करने

की दी जाने वाली स्वतंत्रता को दिल्ली की जेलों में भी अपनाए जाने का निर्देश दिया है। बिलासपुर की यह जेल अन्य जेलों से भिन्न इसलिए है कि यहां रहने वाले कैदी सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जेल से बाहर जाकर खुद की दुकानें चलाते हैं या कहीं नौकरियां करते हैं और शाम को लौट आते हैं और आज तक कोई भी जेल से भागा नहीं और न ही दुबारा अपराध की दुनिया में लौटा है। आज जब हम कैदियों के मानवाधिकारों का प्रश्न उठाते हैं या फिर जेलों में बेइंतहा भीड़ की समस्याओं का जिक्र करते हैं व जेल सुधारों की बात करते हैं ऐसे में क्या यह उचित न होगा कि ओपन जेल व्यवस्था और ओपन जेल में रहते हुए भी बाहरी काम पर जाने की सुविधा के इस विकल्प को बड़े पैमाने पर अपनाया जाए।

मानवाधिकार की सार्वभौम उद्घोषणा में कहा गया है कि सभी 'मानव गरिमा में समान है।' सभी को कानून के समक्ष व्यक्ति के रूप में पहचाने जाने का अधिकार है। इस प्रकार के संकल्पों को अपनाने के बाद कोई व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे होने के कारण उसका मनुष्य होना समाप्त नहीं हो जाता है और गरिमापूर्ण मानव के न्यूनतम अधिकारों से वंचित नहीं हो जाता। दूसरे शब्दों में, अंतर्राष्ट्रीय चार्टर के अनुसार सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं वे भले ही कहीं भी हों, मानवीय गरिमा के मानकों से कमतर स्थितियों में उन्हें नहीं रखा जा सकता।

जेल में रखने का अंतिम उद्देश्य कैदियों को अच्छा नागरिक बनाना है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जेल में सजा शुरू होने के समय ही उसकी रिहाई के बाद के जीवन की नई शुरुआत को अवश्य ध्यान में रखना होगा। इसके लिए जेल प्राधिकारियों को बाहरी एजेंसियों को कैदियों से संपर्क कर उनके जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण व उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर उन्हें प्रेरित करना होगा।

एक प्रेस रिपोर्ट बिहार में भागलपुर जेल में 154 विचाराधीन कैदियों के 20 वर्षों से जेलों में होने और उनकी उम्र 70 वर्ष की होने की खबर यह रेखांकित करती है कि हमारी न्याय प्रक्रिया कितनी धीमी है और 'न्याय में विलंब न्याय न मिलने' की कहावत को शब्दशः चरितार्थ करती है।

हम इन लोगों की चिंता क्यों करें? वे खतरनाक अपराधी, हत्यारे,

बलात्कारी हैं? यदि उनके साथ दुर्व्यवहार होता है तो शिकायत क्यों? उनके साथ ऐसा होना ही चाहिए। यह सोच है आम व्यक्ति की। कैदी खतरनाक अपराधी होते हैं उनके साथ दया कैसी?

पर जब जेलों में कैदियों को अंधा कर दिया जाता है या चिकित्सा अधिकारी को गोलियों से भून दिया जाता है? किन्हीं कैदियों को डाइनिंग टेबिल, कलर टी.वी. व खाने पीने की तमाम सुविधाएं मिल रही हैं। जेलों में डकैत, हत्यारे, ब्लेक मार्केटिंग करने वाले, तस्कर तो रहते हैं पर उनके साथ साथ जेलों में छोटे अपराधों के लिए बंद कैदियों की संख्या अधिक होती है। यह सच है कि यदि कोई व्यक्ति गरीब है और जिस किसी भी कारण से अथवा अकारण जेल पहुंच गया हो, वहां से लौट पाना कठिन होता है।

आजकल समाचार-पत्रों में जेलों में बंद कैदियों के जीवन को सुधारने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारियां प्रकाशित होती आ रहीं हैं। कहीं कैदी एम.ए., पी.एच.डी. कर रहे हैं तो कहीं आई.ए.एस. की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। बैंकों द्वारा कैदियों के स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाई जा रही कैंटीनों के लिए ऋण देकर कीर्तिमान बनाए जा रहे हैं।

कारागार का प्राथमिक उद्देश्य समाज को आपराधिक तत्वों से बचाना है। किसी असामाजिक तत्वों को सुधारे बिना उन्हें समाज में भेज देने से कारागार का उद्देश्य निष्फल हो जाता है। इसलिए कारागार आज सुधार गृहों में परिवर्तित हो रहे हैं। तिहाड़ जेल जिस प्रकार को तिहाड़ आश्रम में रूपांतरित करने के उपायों को सभी जेलों में ढालने की कोशिशें समय की मांग है।

यू.एन. जनरल असेंबली ने नवंबर 2007 से प्रतिवर्ष 20 फरवरी को 'विश्व सामाजिक न्याय दिवस' के रूप में मनाने की घोषणा की थी। विश्व भर में सभी प्रजातांत्रिक देशों में कैदियों को समाज के हाशिए पर रहने वाले प्राणी समझा जाता है। ऐसे ही 'सामाजिक न्याय दिवस' महिला कैदियों के संबंध में जागरूक समाज को सोचने व उनकी मदद के लिए कुछ करने को प्रेरित करता है। इस पुस्तक में आदिकाल से आज तक जेल व्यवस्था के इतिहास, समय समय पर जेल व्यवस्था में किए जा रहे सुधारों, जन समुदाय की सहभागिता, विभिन्न अध्ययन रिपोर्टों की सिफारिशों व

सुझावों को समेटने का प्रयास किया गया है।

लंबे अर्से से ही महिला कैदियों और अपराधियों की आवश्यकताओं को रेखांकित किया जाता रहा है। महिला अपराधियों के अपराध का पैटर्न, उनकी सामाजिक, आर्थिक स्थितियां और पारिवारिक रिश्ते पुरुषों से भिन्न होते हैं। जेल के विनियमों में उसकी स्थितियों की उपेक्षा ही की जाती है। दिसंबर 2010 में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेम्बली ने महिला कैदियों के उपचार और महिला अपराधियों के लिए गैर-हवालात उपायों पर नए नियम बनाए जो बैंकाक रूल्स के नाम से विख्यात हुए।

महिला कैदियों के शिशु और बच्चे जो जेल में उनके साथ हों (पिता को बच्चों को अपने साथ रखने की अनुमति कम ही मिलती है) और जो मां अथवा पिता (या दोनों) के जेल में होने के कारण पीछे घर में छूट जाते हैं, के अधिकारों के प्रति ध्यान दिया गया।

प्रिजन रिफार्म ट्रस्ट, लंदन की ओर से 'कैदी सूचना' पुस्तक प्रकाशित की गई है जिसमें जेल में पहुंच कर कैदी के साथ क्या-क्या व्यवहार होंगे, उनके क्या अधिकार हैं, उन्हें क्या-क्या सहायता मिल सकती है, का सविस्तार वर्णन किया गया है। अपनी सजा के विरुद्ध अपील करने की प्रक्रिया, उपलब्ध सुविधाएं, सुरक्षा वर्गीकरण, अनुशासन व जेल से रिहाई के समय क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी। कैदियों की सहायता के लिए 'विजिटिंग एंड कीपिंग इन टच' पुस्तक का प्रकाशन भी किया गया। इस पुस्तक में हर जेल के टेलीफोन नंबर और ऐसे संगठन जो कैदियों के पुनर्वास व अन्य सहायता देते है, के टेलीफोन नंबर व पते दिए जाते हैं। विदेशी कैदियों को प्रिजन सूचना पुस्तक शृंखला की तीनों पुस्तकों की प्रतियां अरबी, बंगला, चीनी, डच, फेंच, जर्मन, ग्रीक, गुजराती, हिंदी, इटालियन, पेशलिश, पुर्तगाली, पंजाबी, रूसी, स्पेनिश, तमिल, तुर्कादि्न, उर्दू, वियतनामी और वेल्ग में भी उपलब्ध हैं। यह अनुकरणीय प्रक्रिया सर्वत्र अपनाए जाने योग्य है।

पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यरो अग्रणी प्रहरी के रूप में महिला कैदियों के संबंध में सुधी पाठकों को सोचने का अवसर दे रहा है। ब्यरो के श्री दिवाकर शर्मा के समय-समय पर उपयोगी सुझावों के लिए उनका आभार व्यक्त करती हूं।

जिनकी जिंदगी ठहर गई है रोशनी के इंतजार में, ऐसे बेसहारे कदम, जिनको मंजिलें अपनाती नहीं, उनकी राहों पे रख के कुछ माटी के तारे अपने दिए का मान बढ़ाए हम भी, आओ एक दीप जलाएं हम भी,' करें रोशनी उन जिंदगियों में भी जो कभी जाने तो कभी अनजाने कोई अपराध कर बैठी हैं, उन्हें वापस लौटा लाएं परिवार में, समाज में एक नई शुरुआत के लिए। साज महिलाओं को समाज में, परिवार में परिवार की धुरी बना कर उसे संवारने का मौका दें ताकि कोई भी महिला अपराध की ओर रूख न कर पाएं और भूले-भटके यदि वह जेल की सलाखों की पीछे पहुंच भी जाएं तो वहां के सुधारात्मक उपायों से बेहतर व्यक्ति बना कर लौटें इसी उम्मीद के साथ यह पुस्तक सुधी पाठकों के हाथों सौंपते हुए मुझे विश्वास है कि स्थितियां अवश्य बदलेंगी।

शरद नवरात्र के प्रथम नवरात्र पर यह पुस्तक महिलाओं के हितों के प्रति चिंतित समाज के सुधी विचारकों के अनुशीलन के लिए प्रस्तुत कर रही हूं।

प्रथम शरद नवरात्र
28 सितंबर, 2011

अदिति

जेल व्यवस्था का इतिहास

इतिहास के पृष्ठों का अनुशीलन करने पर हम यह पाते हैं कि आदि काल से ही समाज व्यवस्था में राजा और प्रजा के रूप प्रचलित है। उस युग से ही राजा मंत्रियों की सहायता से राज्य का शासन करते थे। राज्य की शासन व्यवस्था में अनेक विभाग होते थे। स्थानीय शासन का भार एक विशेष मंत्री के ऊपर होता था, जिसका कार्य ग्राम और विषय के अधिकारियों पर प्रभाव रखना तथा वहां के पारस्परिक झगड़ों का निपटारा करना था। छांदोग्य उपनिषद में कैकय देश के राजा अश्वति के एक लोक का भाव इस प्रकार है कि 'मेंरे राज्य में कोई चोर, ठग, मद्यप, कर्महीन और मूर्ख नहीं है। न कोई व्यभिचारी पुरुष, फिर व्यभिचारिणी स्त्रियां कहां'। यह श्लोक इस बात का परिचायक है कि उस युग में भी अन्य राज्यों में चोरी, ठगी, मद्यप जैसे अपराधों की स्थितियां होती थी।

उत्तर वैदिक युग में ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद् लिखे गए और वेदों की शाखाओं का विस्तार हुआ। ब्राह्मण साहित्य में श्रोत सूत्र, गृहय सूत्र और धर्मसूत्रों का उल्लेख मिलता है। धर्मसूत्र में आचार, सामाजिक नियम राजनीतिक और कानूनी नियमों का वर्णन है। कानूनी नियमों की व्यवस्था यह स्पष्ट करती है कि समाज में अपराधों का अस्तित्व था।

रामायण के अयोध्याकांड में राजकाज के केंद्रीय प्रशासन के अठारह विभागों में एक विभाग के प्रमुख अधिकारियों में कारागाराधिकारी (बंदीगृह का मुख्य अधिकारी) व दंडपाल (अपराध-न्यायाध्यक्ष) व प्रदेष्टा यानी मुख्य न्यायाधीश का वर्णन मिलता है।

कंस ने देवकी और नंद को जेल में बंदी बना कर रखा हुआ था। श्री

कृष्ण का जन्म जेल में ही हुआ था। वही महाभारत के शांतिपर्व का पंचदश अध्याय दंड प्रशंसा में लिखा गया है।

भगवान बुद्ध के नैतिक उपदेशों में शील पर जोर दिया गया। नैतिक आचरण के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), अपरिग्रह (संग्रह का त्याग), ब्रह्मचर्य, नृत्य गान का त्याग, सुगंध मालादि का त्याग, असमय में भोजन का त्याग, कोमल शय्या का त्याग और कामिनी कांचन का त्याग करने के लिए कहा गया। किसी भी प्रकार का मोह व लोभ व्यक्ति को अपराध की दिशा में आगे बढ़ाता है। हर युग में व्यक्ति को सत्य आचरण से हटाने वाली वृत्तियां विद्यमान रहीं हैं।

बुद्धकालीन राज व्यवस्था में सेना, अर्थ और न्याय शासन के मुख्य विभाग थे। न्याय मंत्री को विनिश्यामात्या कहा जाता था। वह अभियोगों का निर्णय करने के साथ साथ राजा से धर्म तथा विधि से संबंधित कार्यों में परामर्श भी देता था। रात्रि के समय नगरों की सुरक्षा के लिए नगर रक्षक नियुक्त किए जाते थे। गांवों के शासक को 'ग्राम भक्रोधक' कहते थे। वह गांव संबंधी मामलों को सुलझाने, अभियोगों के निणर्य, मद्यपान, जुआ, पशुहिंसा जैसी दूषित प्रवृत्तियों को निषिद्ध कराने का दायित्व निभाता था। मादक वस्तुओं का क्रय-विक्रय भी उसकी अनुमति से ही हो सकता था।

बौद्धकालीन न्याय व्यवस्था के संबंध में जातक साहित्य में प्रचुर सामग्री मिलती है। उस काल में न्याय अपनी पराकाष्ठा पर था। शासन व्यवस्था इतनी अधिक न्यायपूर्ण थी कि न्यायालयों में अभियोग आते ही नहीं थे। न्याय व्यवस्था समता और स्वतंत्रता के सिद्धांत पर आधारित थी। राजा का कर्तव्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करना था। किसी अधिकारी को यह अधिकार नहीं था कि वह अकेला किसी को दोषी ठहरा कर दंड दे दे। दंड का अधिकार राजा, मंत्री व सेनापति तीनों के द्वारा मिल कर होता था। फौजदारी और दीवानी के अभियोगों के लिए एक न्यायालय, व्यावहारिक रुपयों के लेन देन और दीवानी के अभियोगों के लिए अलग न्यायालय व तीसरा न्यायालय अष्टकुलकों का था। निचले न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध ऊपरी न्यायालय में अपील हो सकती थी। आज की न्याय व्यवस्था जहां जिला न्यायालय, हाईकोर्ट व अंत में सुप्रीम कोर्ट में अपील की व्यवस्था के बीज इन्हीं में दिखते हैं। न्यायालयों का नियमित कार्यकाल

व प्रत्येक अभियोग के निर्णयों को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया थी।

बौद्धकाल के उपरांत मगधकाल में राजा बिंबिसार के राज्य प्रबंध के संचालित व सुसंगठित होने का पता चलता है। राजा स्वयं सभी कार्यों की निगरानी करता था। शासन संबंधी कार्यों की ओर उपेक्षा रखना या नियम का उल्लंघन करना भारी अपराध माना जाता था और उसके लिए राजदंड काफी कठोर था। उस युग में बंदीगृह की व्यवस्था थी, यह तथ्य मगध और कोसल नरेशों में युद्ध होने के बाद अजातशत्रु को बंदीगृह में रखने की घटना से पता चलता है कि उस युग में एक राज्य के दूसरे राज्य पर आक्रमण के बाद सेना व राजाओं को बंदीगृहों में डाला जाता था।

चंद्रगुप्त के शासन काल में चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था चलाने के लिए कौटिल्य अर्थशास्त्र की रचना की। उस समय न्याय सुव्यवस्थित था। प्रत्येक ग्राम संघ, संग्रहण, द्रोणमुख, जनपद संधि में न्यायालय स्थापित थे। सबसे ऊपर पाटलिपुत्र में मुख्य न्यायालय था। नीचे के न्यायालयों की अपील ऊपर के न्यायालयों में होती थी। एक कंटकशोधन, जिनमें फौजदारी के अभियोग और दूसरे धर्मस्थीय, जिनमें व्यावहारिक दीवानी अभियोगों का निर्णय होता था।

प्रत्येक अभियोग में नियमित आवेदन देना होता था जिसमें वादी-प्रतिवादी के विषय में ज्ञातव्य बातें लिखी होती थीं। प्रमाण, साक्षी व सरकारी जांच पड़ताल के बाद न्यायाधीश निर्णय करते थे। अपराधियों से अपराध स्वीकार कराने के लिए उन्हें तरह-तरह की यातनाएं दी जाती थीं। फौजदारी और राज्य के प्रति अपराध के अभियोगों पर कड़ा दंड मिलता था। अपराध के हल्केपन व गंभीरता के आधार पर धक्कार, अर्थदंड, जेल, अंग-भंग, निर्वासन और मृत्युदंड मिलते थे। शिल्पियों का अंग-भंग करना अथवा उनको हानि पहुंचाने तथा राजकर को जानबूझ कर न देने के लिए मृत्यु दंड दिया जाता था। व्याभिचार और विश्वासघात का दंड अंग-भंग था। राजस्व के गबन पर मृत्यु दंड दिया जाता था। विभिन्न प्रकार के अपराधों के लिए विभिन्न प्रकार की दंड व्यवस्थाएं यह दर्शाती हैं कि अपराधियों की संख्या काफी होती ही थी। शुक्रनीति सार में हमारी प्राचीन दंड व्यवस्था का जिक्र है। शुक्रनीति व मनुस्मृति में दंड व्यवस्था के उल्लेख की विस्तार से जानकारी आगे के अनुच्छेदों में प्रस्तुत है।

शुक्रनीति

शुक्राचार्य के अनुसार एक ही विधा है - दंड नीति। दंड नीति के बिना किसी भी विधा कि सुरक्षा नहीं हो सकती है। अतः सभी विधाओं में प्रधान यही है। यह विधा स्वतः पूर्ण है।

किसी प्रकार के अनुचित के अवरोध के लिए राजा को उपायों का आश्रय लेना पड़ता है। मनु, याज्ञवक्ल्प आदि के अनुसार ये चार उपाय-साम, दान, भेद तथा दंड है। मत्स्य पुराण के अनुसार इन चार उपायों के अतिरिक्त भी तीन उपाय हैं - ये उपेक्षा, माया और इंद्रजाल। यद्यपि उपाय प्रधानतः शत्रु राजाओं के वशीकरण के लिए उपयोगी बतलाए गए है।

उपर्युक्त उपायों में भी व्यवस्था बनी हुई है। सबके लिए सभी उपायों का प्रयोग उचित नहीं है। अपराध तथा अपराधी के अनुसार ही किसी उपाय का प्रयोग करना होता है। यदि कोई सज्जन अज्ञानवा कुमार्ग या मार्गान्तर पर आश्रित है तो उसे साम मात्र से उचित मार्ग पर लाया जा सकता है। इसी प्रकार दान तथा भेद के प्रयोग का भी यथावसर प्रयोग विहित है। परंतु आसक्ति पूर्वक अनुचित आचरण करने वाले दुष्ट को सन्मार्ग पर साम आदि उपायों से नहीं बल्कि उसके लिए एक मात्र समर्थ उपाय है दंड। शुक्राचार्य मानते थे कि दंड प्रयोग में अत्यंत विवेक होना चाहिए। अनुचित अर्थात तीक्ष्ण दंड से प्रजा में आतंक फैल जाता है और इससे राज्य का मूल शिथिल होने लगता है। परंतु यह समझना चाहिए कि कोई भी दंड स्वभावतः तीक्ष्ण या उचित नहीं होता। अपराध तथा देशकाल आदि के साथ सामंजस्य रहने वाला कोई भी दंड उचित कहला सकता है।

उदाहरणार्थ एक हत्यारे के लिए प्राण दंड को तीक्ष्ण नहीं कहा जा सकता पर यदि एक साधारण चोर को वही दंड दिया जाए तो वह अवश्य ही तीक्षण दंड कहलाएगा। अत्यंत राजा को दंड प्रयोग के प्रसंग में अत्यन्त विवेकपूर्ण होना चाहिए। चाहें मित्र हो या शत्रु, अपराध के अनुसार नियमक दंड भागी होता है।

महाभारत और मनुस्मृति आदि ग्रंथों में प्रजा मात्र के प्रति दंड का विधान किया गया है।

किरातार्जुनीय में महाकवि भारवि ने निम्नलिखित लोक में बहुत ही स्पष्ट रूप में दंड के क्षेत्र का निर्देश किया है।

वसूनि वाच्छझ वशी न मन्युना स्वधर्म इत्एव निवृत कारण
गुरूपदिष्टेन रिपो सुतेडपि वा निहंति दंडेन स धर्म विप्लवां्
(1-13)

यही नहीं विज्ञानेवूवर ने माता, पिता, स्नातक, पुरोहित, परिव्राजक तथा वानप्रस्थ को दंड के क्षेत्र से बहिर्भूत माना है।

यह तो स्पष्ट है कि जब लोग कुमार्ग पर चलने लगे होंगे तभी नीति की और उसके उपाय के रूप में प्रधानतया दंड और उस दंड के निर्वाहक के रूप में राजा की आवश्यकता हुई होगी। अतएव सर्वत्र दंड की आवश्यकता बतलाते समय मात्स्य न्याय का उल्लेख किया गया है। इसलिए यह भी कहा गया है कि राजा के अभाव में प्रजा की रक्षा नहीं हो सकती है। सारांश यही है कि जब अंशाचार या अधर्म का संचार हुआ तभी राजा की आवश्यकता हुई अतः विचारणीय यही है कि अनाचार का संचार कब हुआ।

महाभारत में एक प्रसंग आता है कि युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर देते हुए भीष्म ने कहा कि कृत युग में धर्म के ही प्रसार से अधर्म-निरोधक दंड या दंडधर राजा की स्थिति थी ही नहीं, पर जब लोगों में अनाचार का संचार हुआ तब देवताओं की प्रार्थना से ब्रह्मा तथा विष्णु ने क्रमशः दंड प्रकार आदि के उपदेश के लिए नीति शास्त्र तथा राजा का अविष्कार किया गए। मनुस्मृति में किए गए कृत युग के वर्णन तथा राजा की सृष्टि की एक वाक्यता से भी साधारणतः यही प्रतीत होता है कि कृत युग में राजा की कोई आवश्यकता न थी।

शुक्रनीति सार में भी राजा को ही युग प्रवर्त्तक माना गया है। मनु भी जब कहते हैं कि स्वभावतः सत्पथ प्रवृत्त मनुष्य दुर्लभ है तो इससे यही मत परिपुष्ट होता है कि राजा के दंड प्रयोग नैपुण्य से ही प्रजा में संपूर्ण रूप से सत्पथ प्रवृत्ति हुई है। मनु की व्याख्या में कुल्लुक भट्ट द्वारा उद्घृत एक श्रुति वाक्य से भी यह सिद्ध होता है कि मनुष्य मूलतः सर्वदोष विनिर्मुक्त नहीं था।

इसका एक बहुत ही स्पष्ट चित्रण हमें नहुष चरित के एक श्लोक में देखने को मिलता है उस श्लोक में कहा गया है कि यद्यपि कृत युग में भी अधर्म का एक पाद वर्तमान था परंतु राजा नल के राज्य विधान के द्वारा

धर्म की पूर्ण प्रतिष्ठा हो जाने से वह अधर्म व्याप्त नहीं हो पाता था।

महाभारत में यह कहा गया है कि जब धर्म विप्लव के कारण लोगों में अनाचार का अत्यधिक उत्कर्ष हो गया तब संत्रस्त देवता गण ब्रह्मा के यहां पहुंचे और उनसे धर्म के उद्धार के लिए प्रार्थना की। तदंतर ब्रह्मा ने एक लाख अध्यायों में एक शास्त्र की रचना की और उसमें सभी पुरुषार्थ और दंडनीति आदि प्रायः सभी उपयोगी विषयों का समावेश किया गया था। इस शास्त्र का नाम था नीति शास्त्र किंवा दंड नीति। शुक्रनीति सार के अनुसार इस ब्रह्मा प्रणीत नीति शास्त्र में एक करोड़ श्लोक थे। परंतु प्रजा की आयु में ह्रास को देखकर भगवान शंकर ने उस नीति शास्त्र को दस हजार अध्यायों में संक्षिप्त किया।

इस संक्षिप्त शास्त्र का नाम भगवान शंकर के पर्याय विशालाक्ष के आधार पर वैशालाक्ष नीति शास्त्र पड़ा। पुनः इन्द्र ने उस वैशालाक्ष शास्त्र को पांच हजार अध्यायों में संक्षिप्त किया और उसका नाम पड़ा बाहुदंतक शास्त्र तत्पश्चात् बृहस्पति ने तीन हजार अध्यायों में उस बाहुदंतक शास्त्र का सार निकाला जिसका नाम बार्हस्पत्य शास्त्र पड़ा। अंत में महान शुक्राचार्य ने एक हजार अध्यायों में उसका संक्षिप्त रूप प्रस्तुत किया।

राज व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा गया कि जितने गृह हों उनके सभी मुख (प्रधान द्वार) राजमार्ग की तरफ हों। गृह के पिछवाड़े नौकरों के आने-जाने के लिए गली एवं पाखाना हों। गृह की दो पंक्तियों के बीच में जो रास्ते हों उन्हें प्रतिवर्ष चूना आदि डाल कर मरम्मत कराते रहना चाहिए। राजा इसे ग्राम वालों से या कैदियों से ठीक करवाए।

राजा को प्रजा को यह आदेश देना चाहिए कि मेरे राज्य में रहने वालों के लिए यह उचित है कि वे गुलाम, नौकर, स्त्री, पुत्र, शिष्य में इनमें से किसी को भी कठोर वचनों से दंड। राजा के कर्तव्य का निर्देश करते हुए कहा कि राजा इस राजाज्ञा को लिख कर चौराहे पर टंगा एवं दुष्ट तथा शत्रुजनों के लिए सदा दंड देने को उद्यत रहे। यह पंक्तियां इस बात की परिचायक हैं कि अपराध होते थे और दंड व कैद की व्यवस्था थी।

दंड की परिभाषा देते हुए कहा गया कि दंड के द्वारा असत् (बुरे) आचरण से निवृत्ति और दमन होता है। अतः जिस उपाय से मनुष्य का अच्छी तरह से दमन होता है उसे दंड कहते हैं। वह दंड नामक उपाय राजा

के अधीन रहता है, क्योंकि वही सभी का स्वामी है (अतः वही दंड दे सकता है)।

झिड़कना, अपमान (सम्मान पद से अलग कर देना), उपवास कराना, बांधना, मारना, धन हर लेना, शहर या राज्य से निकाल देना, दाग देना, बुरे ढंग से सिर मुड़वा देना, गदहे आदि पर चढ़ा देना, किसी अंग (नाक, कान) आदि को कटवा देना, प्राण दंड देना, शुद्ध करना ये सभी उपाय दंड के ही भेद माने जाते हैं।

दंड के प्रभाव एवं राजा को धर्म रक्षार्थ दंडधर होने का निर्देश, दंड के भय से प्रजा अपने-अपने धर्मों में रत रहती है और किसी दुर्बल पर आक्रमण तथा असत्य भाषण नहीं करती है। क्रूर लोग कोमलता को धारण कर लेते हैं, दुष्ट लोग दुष्टता को छोड़ देते हैं, पशु भी वश में हो जाते हैं, डाकू लोग भाग जाते हैं, चुगलखोर जबान बंद कर लेते हैं, आततताई लोग डर जाते हैं—जो कोई कर नहीं देते हैं वे कर देने लग जाते हैं और जो कोई नहीं डरने वाले होते हैं वे विशेषतः डरने लगते हैं। अतः राजा को नित्य धर्म रक्षार्थ दंडधर होना चाहिए। घमंडी, कर्तव्य और अकर्तव्य कर्म को नहीं जानने वाले और कुमार्ग पर चलने वाले गुरुजन को भी दंड देना राजा का कर्तव्य होता है। दंड सहित नीति का व्यवहार करने से राजा के सभी कार्य सिद्ध हुए, क्योंकि धर्मों का परम रक्षक दंड ही माना गया है।

सतयुग में धर्म चारों पादों से परिपूर्ण था। अतः उस समय किसी के लिए भी दंड नहीं दिया जाता था, त्रेता युग में प्रजा में तीन पाद (12 आने) धर्म के साथ-साथ एक पाद (चार आने) अधर्म भी रहता था, अतः उस समय पूर्ण दंड दिया जाता था, द्वापर युग में आधा अंश धर्म और आधा अंश अधर्म अर्थात दोनों समान भाव से थे। अतः तीन पादों के साथ (12 आने) दंड का विधान था तथा कलियुग में राजाओं की दुष्टता से प्रजाएं कर अधिक बढ़ जाने से एवं राजा द्वारा धन हरण करने से अत्यंत निर्धन होती है अतः आधा अंश दंड देने का विधान है।

प्रजा को धर्म तथा अधर्म की शिक्षा देने वाले राजा के होने से वही सतयुग आदि चार युगों का प्रवर्त्तक होता है। अतः युग या प्रजाओं के ऊपर अधर्म भावना नहीं अवलंबित है प्रत्युत राजा के ऊपर अवलंबित है।

आदि काल से ही अपराध के भेद एवं सभी अपराधों के पुनः चार भेद

किए गए हैं। एक कारित (कराया हुआ) दूसरा अनुमांदित (अनुमांदन किया हुआ) और वह अपराध सत्कृत (एक बार किया हुआ), असकृतकत (बार बार किया हुआ) अभ्यस्तकृत (निरंतर किया हुआ), स्वभावकृत (स्वभाव से किया हुआ) प्रकार का होता है।

नेत्र तथा मुख की भंगिमा आदि भावों से मानसिक अपराध को एवं किया के द्वारा कायिक, कर्कश वचनों से वाचिक और सहवास से सांसर्गिक अपराध के गौरव और लाघव को समझकर उत्पन्न हुए तथा आगे होने वाले अपराधों के संबंध में दंड विचार करना चाहिए।

उत्तम पुरुष यदि प्रथम बार साधारण साहस (चोरी आदि पाप) करें तो क्या यह तुम्हारा कार्य न्याययुक्त हुआ है? और क्या तुम्हारा ही किया हुआ यह अपराध है? इसको उससे पूछकर छोड़ देना चाहिए। उसके बाद पुनः करने पर प्रथम साहस दंड नामक (250 पैसों का) दंड करना चाहिए। यदि उत्तम जन दुबारा वही अपराध करें तो उससे दूना अर्थात 500 पैसों का, तिबारा करें तो 750 पैसों का दंड करना चाहिए।

उत्तम पुरुष पूर्व की अपेक्षा अधिक मध्यम अपराध करें तो उसे दंड इस प्रकार देना चाहिए अर्थात उत्तम पुरुष यदि प्रथम उक्त अपराध साधारण रीति से करें तो उसे धिक्कार वचन सुनाकर दंड देना चाहिए। उसके बाद यदि करे तो प्रथम साहस दंड (250 पैसों का जुर्माना) करना चाहिए। उसके बाद अपराधों की वृद्धि के अनुसार उक्त रूप से द्विगुण, त्रिगुण दंड अच्छी तरह से करें।

उत्तम पुरुष के विषय में प्रथमादि अपराधों के दंडों का एवं अंत में जेल देने का निर्देश और उत्तम पुरुष यदि उत्तम साहस (अत्यधिक अपराध) करे तो इस भांति दंड देना चाहिए कि प्रथम अपराध होने पर प्रथम साहस दंड (250 पैसे का जुर्माना) उसके बाद पुनः अपराध करने पर मध्यम साहस दंड (500 पैसे का जुर्माना) उसके बाद भी अपराध करने पर उससे दूना (1000 पैसों का जुर्माना) करना चाहिए। उसके बाद जेल भेज देना चाहिए।

यह दंड व्यवस्था बुद्धिपूर्वक नर हत्या नहीं करने वालों के लिए ही है, अन्य के लिए नहीं। उस युग में उत्तम, मध्यम तथा अधम की व्याख्या मुख्य रूप से अपराधी के गुण, कुल तथा धन के अनुसार ही समझी जाती थी। मध्यम पुरुष यदि प्रथम साहस (अपराध) करें तो उसे धिग्दंड (तुम्हे

धिक्कार है ऐसा वचन दंड) उसके बाद प्रथम साहस दंड (250 पैसे का जुर्माना) का आधा दंड (125 पैसों का), उसके बाद पूर्ण दंड (250 पैसों का) अनुक्रम से अर्थात् अपराध के बार-बार करने या गौरव लाघव के कम में करना चाहिए।

संरोध और नीच कर्म के योग्य पुरुष के लक्षण उसके बाद प्रथम साहस दंड (250 पैसों का) दुगुना (500 पैसों का) तिगुना (750 पैसों का) इसके बाद कैद और नीच कर्म (मल-मूत्रादि साफ करना आदि) के अपराध के न्यूनाधिक्य के अनुसार दंड देना चाहिए।

मध्यम पुरुष यदि मध्यम साहस (अपराध) करे तो उसे प्रथम साहस दंड (250 पैसों का) पुनः करने पर दूना (500 पैसों का) उसके बाद मारना, पीटना, उसके बाद बांधकर रखना, पीछे से शहर से या राज्य से निकाल देना, दाग देना इस प्रकार से योग्यतानुसार दंड देना चाहिए।

मध्यम पुरुष यदि उत्तम साहस करे तो उसे इस भांति दंड देना चाहिए कि प्रथम, मध्यम साहस दंड (500 पैसों का) तदनंतर (1000 पैसों का) तिगुना (1500 पैसों का) पश्चात् आजीवन बांध कर रखने का दंड दिया जाए।

अधम पुरुष यदि प्रथम साहस (अपराध) करे तो आधा प्रथम साहस दंड (125 पैसों का जुर्माना) उसके बाद पूर्ण दंड (250 पैसों का) पुनः द्विगुण (500 पैसों का) पुनः त्रिगुण (750 पैसों का) दंड उसके बाद जेल का दंड देना चाहिए। इसके साथ ही उसे नित्य सड़क पर झाड़ू लगाने का दंड देना चाहिए।

अधम पुरुष यदि उत्तम साहस (अपराध) करे तो उसे प्रथम मध्यम साहस दंड (500 पैसों का) देना चाहिए।

उसके बाद द्विगुण दंड और उसके बाद कैद और नीच कर्म (मल-मूत्रादि साफ करना आदि) का अपराध के न्यूनाधिक्य के अनुसार दंड देना चाहिए।

जो धन के गर्व से अपराध करे उसे प्रथम बार उसके पास से धन से चौथाई धन दंड रूप में ले लें उसके बाद यदि अपराध करे तो आधा उसके बाद संपूर्ण धन छीन लें। उसके बाद आजीवन जेल का दंड दें।

जो सहायकों की श्रेष्ठता से एवं विद्या या बल के अंहकार से अपराध

करता है उसे सदा कैद में बंद रखे तथा मारे पीटे। अपनी स्त्री, पुत्र, बहन (छोटी), शिष्य, दास, पुत्रवधु, छोटा भाई यदि अपराध करें तो उन्हें पतली रस्सी या छड़ी से या पतली रस्सी वाले चाबुक से शरीर पर पीठ पर मारना चाहिए किंतु कभी भी सिर में नहीं मारना चाहिए। इससे अन्यथा यदि कोई मारता है तो उसे चोर की भांति दंड देना चाहिए।

किसी भी अपराधी (हत्या करनेवाले को छोड़ कर) को एक, तीन, छः मास, एक वर्ष या आजीवन कैद रख कर नीच कर्म (मल-मूत्रादि फिकवाना आदि) का दंड देना चाहिए किंतु किसी को वध का दंड नहीं देना चाहिए। प्राणियों का वध नहीं करना चाहिए ऐसी श्रुति का वचन है। अतः राजा को अत्यंत प्रयत्नपूर्वक वध का दंड देना त्याग देना चाहिए।

बल्कि वध दंड के बदले, हथकड़ी-बेड़ी के साथ कैद रखना, मारना पीटना, पीड़ा पहुंचाना उचित है। राजा को लोभवश धन दंड से प्रजा को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए।

दो निष्कासन योग्य अपराधियों के लक्षण-शराबी, धूर्त, चोर, जार (परस्त्रीगामी) अत्यंत क्रोधी, हिंसा करने वाला (खूनी) वर्ण (ब्राह्मणादि चार वर्ण) तथा आश्रय (ब्रहमचर्य, ग्राहस्थ्य, वाणप्रस्थ व संन्यास) के अनुकूल आचारों का त्याग करने वाला, नास्तिक, खल, झूठा दोषारोप करने वाला, एक को दूसरे से आपस में कह सुनकर विरोध कराने वाला, अच्छे साधु पुरुषों को दोष लगाने वाला एवं देवताओं को अपवित्र करने वाला अथवा मूर्ति को तोड़ने वाला, झूठ बोलने वाला, धरोहर को हजम करने वाला, किसी की जीविका को नष्ट करने वाला, दूसरे की उन्नति को सहन नहीं करने वाला, घूस लेने में तत्पर, नहीं करने योग्य बुरे कार्यों को करने वाला, किसी के गुप्त विचार को प्रकट करने वाला, किसी के कार्यों को नष्ट करने वाला, अप्रिय (अनुचित) वचन बोलने वाला, कठोर भाषी, जलाशय या बगीचे को हानि पहुंचाने वाला, झूठ-मूठ का बना हुआ ज्योतिषी, राजद्रोही, बुरी सलाह देने वाला (दुष्ट मंत्री), कूट कार्य (जाल साजी) जानने वाला कुवैध (अनाड़ी वैध), अभद्र, अपवित्र आचार तथा वेशभूषा रखने वाला, रास्ता रूधनेवाला, ठीक-ठीक गवाही नहीं देने वाला, उद्धत वेश रखने वाला, अपने स्वामी के साथ द्रोह रखने वाला, अनापशनाप व्यय करने वाला, आग लगाने वाला, विष देने वाला वेश्या में आसक्त, अत्यंत उग्र

दंड देने वाला, अफसर, न्यायालय में सदस्य होकर पक्षपात करने वाला, बलपूर्वक लिखित पत्र को अन्याय से ग्रहण करने वाला, अन्याय करने वाला, झगड़ालू, युद्ध से भाग आने वाला, गवाही को नहीं मानने वाला या उचित गवाही नहीं देने वाला, पिता, माता, सती, स्त्री, मित्र इनके साथ द्रोह करने वाला, दूसरे के गुणों में भी दोषारोपण करने वाला, राजा के शत्रुओं की सेवा करने वाला, मर्मांतक पीड़ा पहुंचाने वाले वचनों को बोलने वाला या कार्यों को करने वाला, ठगने वाला, आत्मीयों के साथ द्वेष करने वाला, गुप्त व्यापार (चोर बाजारी) करने वाला, वृषल (किसी भी धर्म पर आघात पहुंचाने वाला) ग्रामवासियों को पीड़ा पहुंचाने वाला अर्थात उनके कार्यों में बाधा पहुंचाने वाला, गृहस्थ होकर भी कुटुंब का भरण सामर्थ पोषण न करके सदा तपस्या या विद्या पढ़ने वाला, तृण (घास) काष्ठ आदि लाकर आजीविका चलाने की सामर्थ्य रहने पर भी भिक्षावृत्ति से पेट पालने वाला, कन्या को भी बेचने वाला, कुटुंब की आजीविका को घटाने वाला, अधार्मिक चुगली करने वाला अथवा अधर्म की सूचना देने वाला (पापवार्ता करने वाला) राजा के अनिष्ट की परवाह नहीं करने वाला, ऐसे पुरुषों एवं कुलटा, पति, पुत्र की हत्या करने वाली, स्वतंत्र होकर घूमने वाली, वृद्ध जनों से निंदित, गृह के कार्यों को छोड़ देने वाली (न करने वाली) नित्य दुष्ट आचरण करने वाली, गुरुजनों के साथ अप्रिय व्यवहार करने वाली, पतोहू या पतोहूओं के साथ अप्रिय व्यवहार करने वाली ऐसी स्त्रियों को स्वभावतः दुष्ट जानकर राजा अपने राज्य से निकाल दें।

उक्त मद्यप आदि लोगों को किसी टापू में ले जाकर रखना चाहिए किंवा किसी किले के भीतर कैद करके रखना चाहिए और वहां पर उन सबसे रास्ता साफ कराना चाहिए एवं खराब अन्न तथा थोड़ी मात्रा में उन्हें भोजन देना चाहिए। उन सबसे उनके जाति के अनुकूल कर्म राजा को कराना चाहिए। राजा को चाहिए कि उक्त दुष्टों को एवं उनके साथ संसर्ग करने से दुष्ट हुए पुरुषों को दंड देकर सन्मार्ग पर चलने की शिक्षा दे।

जो कर्मचारी माता-पिता और स्त्री इनका भरण-पोषण करना छोड़कर मनमाना अपना व्यवहार रखता है, उसे हथकड़ी-बेड़ी डालकर कैद रखना चाहिए एवं उससे रास्ता साफ करने या बनाने का कार्य कराना चाहिए और उसके तनख्वाह का आधा द्रव्य उन सबको का प्रयत्नपूर्वक राजा को देना

चाहिए।

राजा के द्वारा स्वीकृत चिह्न से अंकित दस मासे भर तामे के सिक्के को पण (पैसा) कहते हैं और 150 कौड़ियों के मूल्य के उसी (पण) को कार्षापण भी कहते हैं।

1000 पणों का जुर्माना उत्तम साहस दंड कहलाता है। 500 पणों के जुर्माने को मध्यम तथा उसके आधे 250 के पणों के जुर्माने का प्रथम साहस दंड कहते हैं।

आज्ञा का उल्लंघन करना, स्त्री की हत्या करना, विवाह द्वारा वर्ण संकरता करना, पर स्त्रीगमन करना, चोरी करना, पति के अलावा अन्य पुरुष से गर्भ होना, कठोर वचन बोलना, नहीं कहने योग्य बातें कहना, कठोर दंड देना, गर्भ का गिराना इस प्रकार से दस अपराध है।

उस युग में स्त्रियों को कचहरी में न बुलाने के निर्देश थे परंतु जो स्त्रियां स्वयं कमाकर कुटुंब की जीविका चला रही है या व्यभिचारिणी किंवा वेश्यावृत्ति करने वाली है या हीन कुलवाली या पतिता हों उन्हें राजा कचहरी में बुला सकता था।

मुनष्य की हत्या करने पर या चोरी, किसी पराई स्त्री के साथ व्यभिचार, अभक्ष्य भक्षण किंवा किसी की कन्या हरण या किसी को कठोर वचन का प्रयोग, जालसाजी, राजद्रोह, साहस (डाका) इत्यादि करने पर प्रतिनिधि नहीं देना चाहिए प्रत्युत स्वयं कर्ता उपस्थित होकर मुकदमा लड़े।

उस युग में दिव्य शपथ का भी विधान था जिनके ऊपर चोरी के अभियोग की आशंका हो उनके लिए तप्तमाष (खोलते हुए तेल में पड़े तप्त लोहे के उड़दों का हाथ से निकालना) निकालना पड़ता था।

शुक्रनीति सार में वर्णित उक्त अपराध यह दर्शाते हैं कि भारतीय दंड संहिता में वर्णित अपराध अनादि काल से चले आ रहे हैं। आधुनिक युग में भले ही मानवाधिकारों के कारण घोर दंड नहीं दिए जाते हैं परंतु उस युग में कठोर दंड व्यवस्था थी। यही नहीं सिर्फ अर्थ दंड या कैद ही नहीं उन्हें समुदाय सेवा द्वारा भी सजा दी जाती थी। महिला अपराधी उस समय भी थीं। यहां यह भी विचारणीय है कि पिता पुत्र की हत्या करने वाली, गुरुजनों से अप्रिय व्यवहार करने वाली, पतोहुओं के साथ दुर्व्यवहार करने वाली स्त्रियों को देश निकाले की सजा होती थी।

मनस्मृति में दंड व्यवस्था

मनुस्मृति में कहा गया है कि राजा का धर्म है कि वह इष्ट और अनिष्टकारियों के लिए जो तप करें तत्क्षण उसका कार्यान्वयन करने में विचलित न हो। ईश्वर ने ब्रह्मत्क्रोधोमय राजा को प्रजा की धर्मानुसार रक्षा के अतिरिक्त उसे दंड देने का अधिकार भी सौंपा है। राजदंड का आतंक ऐसा होता है कि संसार के चर-अचर सभी प्राणी स्वधर्मों व कर्तव्यों का पालन करने में कोताही नहीं करते। राजा को चाहिए कि देशकाल के अनुसार अपराधियों की शक्ति तथा विधा का तत्वतः मूल्यांकन करने के बाद उन्हें अनुकूल दंड दे।

दंड ही राजा, पुरुष और नेता है, जो सर्वत्र अनुशासन कायम करता है। वही चारों आश्रमवासियों को धर्माचरण करने के लिए प्रेरित करता है। दंड ही समस्त प्रजा को शासित और रक्षित करता है। सबके सोने के बाद दंड ही जागता है। ज्ञानी लोग दंड को ही धर्म का स्वरूप मानते हैं।

समीक्षापूर्वक जो दंड दिए जाते हैं, उनसे प्रजा को प्रसन्नता मिलती हैं लेकिन बिना सोचे-समझे और समीक्षा किए बिना दिए जाने वाले दंड से प्रजा रूष्ट हो जाती है।

यदि राजा दंड देने में असावधानी बरतेगा तो इसका प्रभाव यह होगा कि बड़ी मछली जिस प्रकार छोटी मछली का भक्षण करती है उसी प्रकार दुर्बल को बलशाली समाप्त कर देने में सक्षम हो जाएंगे।

राजा के दंड के अभाव में कौवा पुरोडाश को खाएगा और कुत्ते हवि को। कोई किसी के वश में नहीं रहेगा। चहुं-ओर परिस्थितियां बेकाबू हो जाएगी। दंड के अभाव में पवित्र नर का मिलना सर्वथा दुर्लभ है। दंड के भय से ही जगत् के समस्त लोग कर्म और भोग करते हैं।

सच तो यह है कि देव, दानव, गंधर्व, राक्षस पक्षी और सर्प भी दंड के भय से अपनी प्रवृत्ति अनुसार आचरण करते हैं।

दंड का भय न हो तो सभी वर्णों के लोग अधर्माचरण में संलिप्त हो जाएंगे। सब लोग दंड के प्रकोप से नियमों का पालन करते हैं। जहां श्याम वर्ण व लोहित आंखवाला पापनाशक दंड विचरण करता है, वहां प्रजा आलस्य नहीं करती और कर्तव्यों के प्रति सावधान रहती है।

जो राजा सत्य बोलता है, सोच-विचार (समीक्षा) कर काम करता है, बुद्धिमान होता है और धर्म व कर्म का जानकार है, उसे ही सर्वगुण संपन्न दंडाधिकारी माना जाता है। जो राजा दंड का सम्यक् उपयोग करता है उसके तीन गुणों (धर्म, अर्थ व कर्म) में वृद्धि होती है। जो राजा कामातुर, विषम व क्षुद्र होता है, उसका विनाश अपने दंड से ही होता है।

दंड में महात्क्रोध समाहित है जिसे धुरंधर नृप ही धारण कर सकते हैं। जो नृप दंड से व्यवस्था कायम कर न सकें ऐसा नृप संबंधियों सहित नष्ट हो जाता है। शुद्ध आचरणी, सत्यवादी, शास्त्रों पर चलने वाला, सुसहायकों से युक्त तथा प्रखर राजा ही दंड का अधिकारी हो सकता है। राजा को अपनी प्रजा के प्रति न्याय वृत्ति रखनी चाहिए और शत्रुओं के प्रति क्रूरता से दंड देने वाला होना चाहिए।

मनु स्मृति में विभिन्न अपराधों के लिए अलग-अलग दंड की व्यवस्था है :—

1. स्वस्थ होते हुए भी यदि कोई ऋणी तीन पक्षों (45 दिनों) तक सभा में उपस्थित नहीं होता तो उसे ऋणदाता का सारा धन वापस देने का आदेश देना चाहिए तथा दंड के रूप में धन का दशांश राजा को लेना चाहिए।
2. असत्य साक्ष्य देने पर भी दंड का विधान था।
    - i लोभ, मोह, भय और मैत्री के कारण दिए गए असत्य साक्ष्यों में क्रमानुसार एक हजार, ढाई सौ, पांच सौ तथा दो हजार पणों का दंड देना उचित है।
    - ii काम, क्रोध, अज्ञान और आलस्य से दिए गए असत्य साक्ष्यों में क्रमानुसार दस, तीस, दो सौ और एक सौ पणों का दंड देना अभीष्ट है।

असत्य साक्ष्य देने वाले तीन वर्णों—क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को राजा दंडित कर देश से निर्वासित कर दे। इस अपराध में ब्राह्मण को देश से निर्वासित तो किया जा सकता है किंतु दंडित नहीं। स्वयंभू मनु ने जिन दस दंडों का विधान बताया है वह तीन वर्णों पर ही लागू होता है। ब्राह्मण को शारीरिक अथवा आर्थिक दंड देना वर्जित है, उसे केवल देश निकाला दिया जा सकता है।

जिन दस दंडों का विधान बताया गए है उनके स्थान हैं—लिंग, उदर, जिह्वा, हाथ, पैर, कान, नाक, शरीर और धन।

राजा को चाहिए कि वह देशकाल का भलीभांति ध्यान करते हुए तथा अपराधी की गुरूता और अपराधी की सामर्थ्य देख कर दंड का निर्णय करे। दंड देने में यदि न्याय की हानि हुई है तो इहलोक में या और कीर्ति का नाश होता है और परलोक में स्वर्ग-लाभ नहीं होता, अतः दंड देने में अन्याय नहीं किया जाना चाहिए।

अपराधी को दंड देने से पूर्व अच्छे-बुरे का ज्ञान देना चाहिए, फिर धिक्कारना चाहिए, तीसरी बार अर्थ दंड देना चाहिए और अंत में शारीरिक प्रताड़ना का दंड देना चाहिए। शारीरिक प्रताड़ना का भी उस पर सुनिश्चित प्रभाव न पड़े तो एक साथ चारों दंडों का उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं है।

मनुस्मृति में गलत साक्ष्य देने, ऋण व धरोहर न लौटाने, कन्या दान के समय गलत दान आदि के लिए दंड का विधान किया गया। किसी प्रकार का अनुबंध भंग करने वाले व्यक्ति को राजा के द्वारा देश निकाला का दंड दिया जा सकता है। जो समय पर काम पूरा करने का अनुबंध भंग करने का दोषी हो, ऐसे व्याभिचारी को राजा हिरासत में रखने का आदेश दें और उसे चार स्वर्ण या छह निक अथवा रजत का अर्थ दंड दें।

यही नहीं दोष से आवृत कन्या के दोष छिपाकर कन्या दान करने वाले दाता को स्वयं राजा द्वारा साठ पणों का दंड दिया जाना चाहिए व किसी कन्या को द्वेषवश चरित्रहीन बताने वाला व्यक्ति यदि आरोप सिद्ध नहीं कर पाता तो राजा उसे सौ पणों का दंड दे।

पूर्णरूप से निष्कर्ष पर पहुंच जाने के बाद अपराधी के दंड का विधान था। कठोर वचन, धन ग्रहण, कारागार में बंद करना, अंग-भंग, प्रहार व हनन आदि का प्रयोग दंड रूप में किया जाता था। इनमें धनी व्यक्तियों को अर्थ दंड व दरिद्र व्यक्तियों को कारादंड ही आमतौर पर दिया जाता था। बहुत ही गुरूतर अपराध न होने से प्राणदंड किसी को नहीं दिया जाता था।

अपराध करने पर पुत्र को भी दंड देने में धर्म परायण राजा हिचकिचाते नहीं थे। नगरवासी दुर्बल शिशुओं को नदी में फेंक देने के अपराध में राजा सगर ने अपने पुत्र असमंज को देश निकाला दिया था।-

—शांतिपर्व

गुरु को भी अपराध करने पर दंड देना चाहिए। परंतु अपराध गुरूतर होते हुए भी ब्राह्मण को देश निकाला दिया जा सकता था। शारीरिक दंड ब्राह्मण के लिए प्रयोज्य नहीं माना जाता था।

नैतिक पाप व सामाजिक अपराध दोनों के मुकदमें राज सभा में ही देखे जाते थे। नैतिक पाप के मुकदमें में न्यायाधीश का आसन शास्त्रवेत्ता पंडित ग्रहण करते थे। पाप के गुरूत्तर होने पर प्रायश्चित व दंड दोनों ही दिए जाते थे। प्रायश्चित के रूप में चान्द्रायण आदि व्रत करने की आज्ञा दी जाती थी तथा साथ ही साथ अर्थ दंड भी दिया जाता था।

निष्कलंक व्यक्ति यदि कोई पाप या अपराध करता था तो प्रायश्चित एवं दंड लेने के लिए स्वयं ही व्याकुल हो उठता था।

उस काल की न्याय प्रणाली तथा दंड विधान की कुछ विशेषताएं बड़ी सहजता से पकड़ में आ जाती है जैसे वादी व प्रतिवादी को किसी भी प्रकार का खर्च नहीं उठाना पड़ता था। राजसभा में व्यवहार जीवियों अर्थात वकीलों की मध्यस्थता की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। वादी व प्रतिवादी को स्वयं उपस्थित होकर अपनी बात कहने का अधिकार था। मुकदमें पर विचार जल्दी से जल्दी खत्म कर दिया जाता था, उसके लिए अशांति व उत्कंठा में अधिक समय नहीं काटना पड़ता था। कानून का दायित्व जिन लोगों पर था, उनका किसी भी प्रकार के स्वार्थ से संपर्क न था। एक मात्र समाज की हितकामना के लिए धर्मशास्त्रों की रचना की गई। मुकदमें राजधर्म के अंग माने जाने के कारण कानून समाज गठन के लिए विशेष रूप से सहायक था।

दंडनीति की बहुत जगह प्रशंसा की गई है। दंडनीति के प्रवर्त्तन से समाज का कल्याण होता है। दंड नीति चारों वर्णों को अपने-अपने धर्म में रत रखती है। राजा ही काल का कारण होता है। वह जब दंड नीति की मर्यादा का अच्छी तरह पालन करता है, तभी समाज में धर्म प्रधान सतयुग की स्थापना होती है। इसी प्रकार राजसेवित दंड नीति के दुरूपयोग से त्रेतादि युग की उत्पत्ति होती है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि दंड नीति का सदुपयोग सर्वविध कल्याण का मूल है।

मनु, याज्ञवल्क्य, नारद आदि मुनि ऋषि कानून बनाते थे। उनके

द्वारा प्रदर्शित मार्ग का अवलंबन लेकर न्याय करना पड़ता था। आवश्यकता पड़ने पर विधान में परिवर्तन या परिवर्द्धन करने की क्षमता तक राजा के हाथ में नहीं होती थी, प्रणेताओं पर ही सब बातों का दायित्व होता।

जटिल मुकदमों में जूरियों से सहायता लेने का नियम था। महाभारत में इस संबंध में अधिक नहीं कहा गया है। मनुस्मृति के आठवें अध्याय में इसका विशद वर्णन मिलता है।

उस काल में जब साध्य एवं दलीलों आदि के द्वारा भी किसी निष्कर्ष पर न पहुंच पाने पर प्रतिवादी को दिव्य विधान से परीक्षा देनी पड़ती थी। अग्नि प्रवेश, विष भक्षण, तुलादंड पर आरोहण आदि दिव्य परीक्षाएं कहलाती थी। परीक्षा के उपरांत हार-जीत का फैसला होता था।

साक्ष्य देने का भी सबको अधिकार नहीं था। हस्तरेखाओं द्वारा जो भाग्य के बारे में बताते हैं, चोर वणिक् (जिस व्यापारी का तराजू ठीक न हो) श्लाका धूर्त्त (श्लाका या रस्सी द्वारा गणना का भान कराकर जो प्रवंचनापूर्वक अर्थोपार्जन करता हो) शत्रु, मित्र व नर्तकी का दास, लंपट आदि दुचरित व्यक्ति एवं चिकित्सक का साक्ष्य प्रमाणित नहीं माना जाता था। जो गवाह न्यायालय में जाकर झूठी गवाही देता है वह अपनी ऊर्ध्वतन सात व अधस्तन पांच पीढ़ियों को नरकगामी बनाता है। यथार्थ घटना जानते हुए भी जो व्यक्ति पूछे जाने पर कोई जवाब न दे वह भी पाप का भागी होता है।

प्राण नाश प्रजा एवं सामंत राजाओं से कर लेना, न्यायप्रार्थी वादी के झूठा साबित होने पर दुगुना जुर्माना लेना, प्रतिवादी के झूठा साबित होने पर उससे धन लेना, धनवान कृपण ब्राह्मण की संपूर्ण संपत्ति का हरण करना, इन चार कर्मों के लिए दंड की चतुर्भुज के रूप में कल्पना की गई है। व्यवहार या न्याय प्रणाली पर प्रकाश डालने से अष्टपाद आदि विशेषण प्रयुक्त हुए हैं। आवेदन, भाषा, मिथ्यांत्तर कारणोत्तर, प्राङन्याय, प्रतिभू, किया एवं फल सिद्धि में आठ व्यवहार के पाद हैं। इन पादों का अवलंबन लेकर दंड चल सकता है अर्थात न्याय करते समय इन आठों अवस्थाओं पर अच्छी तरह विचार करके दंड का प्रयोग किया जाता है। इसी कारण आवेदन आदि को पाद कहा गए है। न्यायालय में उपस्थित होकर न्याय प्रार्थना का नाम आवेदन है। प्रतिवादी के न्यायालय में उपस्थित होने पर

उसके समक्ष फिर से आवेदन लिखने का नाम भाषा है। प्रतिवादी यदि वादी के आवेदन की सब बातें स्वीकार कर लें तो कोई भी दंडित नहीं किया जाता। प्रतिवादी की इस स्वीकृति को संप्रतिपत्ति कहते हैं।

अगर प्रतिवादी वादी द्वारा लगाए गए आरोप सर्वथा अस्वीकार करें तो उसे मिथ्यांत्तर कहेंगे। आवेदन का कुछ अंश स्वीकार करके बाकी को अस्वीकार कर देना कारणोत्तर है। वादी पहले एक बार मुकदमा चलाकर उसमें हार गए हो और दूसरी बार फिर से दावा करने पर प्रतिवादी यदि उसकी पूर्व पराजय वाली बात न्यायालय में कह दे तो उसे प्राडन्यायोत्तर कहा जाएगा। यदि वादी व प्रतिवादी दोनों को किसी से जमानत दिलवानी पड़े तो उस जमानत देने वाले को प्रतिभू कहा जाता है।

मैं इस मुकदमें में हार गए तो अमुक वस्तु दूंगा, इस प्रकार की प्रतिज्ञा करना' क्रिया' है। अपने पक्ष में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य, दलील पत्र आदि की सत्यता यदि न्यायाधीश स्वीकार कर लें तो आदमी जीत जाता है। उपर्युक्त आठों प्रकार से विवेचन करने के बाद ही अपराधी को दंड देने का नियम है। राजा, अमात्य, पुरोहित व सभासर आदि व्यक्ति दंड की आंखें हैं, मुकदमा इनके देख लेने के बाद दंड दिया जाता है। दंडाधिकारी को शंकुकर्ण कहते हैं इसका अर्थ तीक्ष्णकर्ण है, सब बातों को अच्छी तरह सुनकर ही फैसला किया जाता है और दंडित व्यक्ति को उसे दिए गए दंड के बारे में भलीभांति बताया जाता है। ऊर्ध्व शेमवान शब्द प्रफुल्लता का द्योतक है। दंड के उचित प्रयोग से उसका धर्म प्रसन्न होता है, किसी प्रकार की ग्लानि उसे स्पर्श तक नहीं कर पाती। दंड में तरह-तरह की जटिलताएं विद्यमान होती है। अतः अच्छी तरह सोचे समझे-बिना दंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वादी तथा प्रतिवादी की बातों में प्रायः समानता नहीं पाई जाती, अधिकांश मुकदमों में मतैक्य नहीं हो पाता, सुतराम दंड द्विजिह्व है। आहवनीय आदि अग्नि दंड का मुख है अर्थात ईवर का स्मरण करके दंड दिया जाता है इसलिए उसे ताम्रास्य कहा गया है।

दंड का शरीर कृप्यामृगचर्म से आच्छादित होता है अर्थात दंड भी दीक्षा प्रधान यज्ञ रूप में परिगणित है। क्षत्रिय का दान, उपवास, होम आदि सब कुछ दंड की विशुद्धि के लिए होता है। दंड को भगवान की शक्ति के मूर्त-प्रकाश स्वरूप बताया गया है। कहा है कि दंड भगवान नारायण का

स्वरूप है। महाभारत के शांति पर्व में दंडनीति ब्रहमा की दुहिता है वही वृत्ति, लक्ष्मी, सरस्वती एवं जगदात्री है। समाज में विद्या, ऐश्वर्य, शौर्य, वीर्य आदि सब कुछ दंड नीति के उचित प्रयोग पर आधारित है। उच्छृंखल मात्स्य न्याय की तांडव लीला से लक्ष्मी, सरस्वती आदि देवियां डरती है। इसलिए दंड नीति द्वारा ही समाज का हर प्रकार का कल्याण व उन्नति की जा सकती है।

महाभारत में दंड की उत्पत्ति पर एक उपाख्यान आता है। नृपति माधाता अंगराज वसुहोम के समक्ष उपस्थित होकर बोले कि भगवन-आपने बहिस्पत्य व औशनस राजधर्म में निपुणता प्राप्त की है। कृपया मुझे दंड की उत्पत्ति के बारे में बताइए। वसुहोम कहने लगे कि प्रजा में अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से ही दंड की सृष्टि हुई ब्रह्मा एक यज्ञ करना चाहते थे, कोई उपयुक्त त्रुत्विक न मिले पर वह कई सालों तक सिर पर एक गर्भ धारण किए रहें। हजार साल बाद वह गर्भ-भूनिष्ठ हुआ। वह संतान प्रजापति क्षुप के नाम से परिचित हुई उन्होंने ही ब्रह्मा के यज्ञ में दीक्षित हो जाने से प्रजा को नियंत्रण में रखने के लिए दंड सहसा अंतर्हित हो गए। समाज में घोर दुर्नीति फैल गई इस नई विपत्ति के आ पड़ने पर ब्रहमा शूलपाणि की शरण में गए। शिव ने दंड की उत्पति की व्यवस्था की तथा देवी सरस्वती ने दंड नीति की सृष्टि की। इसके बाद भगवान शिव ने सर्वत्र शक्तिशाली पुरुषों को शासक और पालक के रूप में नियुक्त किया। इंद्र को देवलोक, यम को पितृलोक, कुबेर को राक्षस लोक का आधिपत्य दिया। इस प्रकार प्रत्येक विभाग में एक-एक अधिपति नियुक्त हुआ। ब्रहमा का यज्ञ समाप्त होने पर शिव ने दंड विष्णु को दे दिया। विष्णु ने अंगिरा को, अंगिरा ने इन्द्र व मरीचि को, मरिची ने भृगु को दिया। इस प्रकार क्रमशः मनु पुत्रों के हाथ दंड पहुंचा। मनु के उपदेश से दंड का यथारीति पालन होने लगा और समाज में पुनः शांति स्थापित हुई (शांति पर्व 122 वां अध्याय)

हमारी इसी प्राचीन परंपरा पर आधारित दंड संहिता में विभिन्न अपराधों के लिए दंड व्यवस्था है।

सम्राट अशोक का नाम इतिहास में देवानांप्रिय के रूप में लिया जाता है। अशोक ने अपने धार्मिक और नैतिक विश्वासों के कारण अपना सारा जीवन प्रजा की सेवा में अर्पित किया था। उसके शासन तंत्र में विभिन्न

विभागों में न्याय विभाग भी शामिल था। शुभ अवसरों पर जेलखानों से बंदी छोड़े जाने, सीम्शांत की अर्द्धसभ्य और लड़ाकू जातियों के साथ कठोरता और दंड की नीति का परित्याग यह दर्शाता है कि उसके शासन काल में भी कठोर दंड नीति विद्यमान थी।

गुप्तकालीन समाज : गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य के समान केंद्रित व गठित नहीं था, परंतु इस युग में भी चार प्रकार के न्यायालय थे। कुल, श्रेणी, गण और राजकीय न्यायालय। पहले तीनों न्यायालय जनता और चौथा सरकारी था। नीचे के न्यायालयों की अपील ऊपर के न्यायालयों में हो सकती थी। फाहियान के विवरण के अनुसार उस जमाने में अपराध कम थे और दंड भी कठोर नहीं दिए जाते थे। प्राणदंड और शारीरिक दंड नहीं दिए जाते थे। अपराध के अनुसार अर्थ दंड कम या अधिक लगाया जाता था। राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र करने पर दायां हाथ काटा जाता था। उस युग में लोग नियमों का पालन करते थे।

हर्षवर्धन के साम्राज्य काल को भी एक आदर्श साम्राज्य माना जाता था। चीनी यात्रियों ने उनके साम्राज्य की बेहद प्रशंसा की थी। हर्ष को अशोक की तरह एक धार्मिक व न्यायप्रिय राजा माना गया है। उसके शासन काल में न्यायालयों के शुल्क और अभियुक्तों से दंड रूप में रकम वसूल होती थी। शासन व्यवस्था ठीक होने के कारण प्रजा सरकारी नियमों को कम ही भंग करती थी। चीनी यात्री हुएन.संग ने लिखा है कि सरकारी शासन की ईमानदारी की वजह से प्रजा के पारस्परिक संबंध अच्छे थे और अपराधी वर्ग बहुत छोटा था। पर अपराधों का अस्तित्व था और उनके लिए दंड भी निश्चित थे। राजद्रोह के लिए आजीवन कारावास था पर शारीरिक दंड नहीं दिया जाता था। सामाजिक नीति के विरुद्ध अपराधों के लिए अपराधी को अंग भंग, देश निकाला था। वनवास का दंड मिलता था। साधारण अपराधों के लिए अर्थदंड दिया जाता था। फौजदारी अपराधों के लिए कठोर दंड दिया जाता था और कारावास में बंदियों के साथ कड़ा व्यवहार किया जाता था। दंडनीति के स्वरूप में कठोरता की कमी नहीं थी। विशेष अवसरों पर बंदियों को रिहा भी किया जाता था। न्याय मीमांसा शासन के अनुसार अभियोगों में सत्यासत्य का निर्णय करने के लिए प्रमाणों के साथ-साथ चार प्रकार के दिव्य प्रमाण जल, अग्नि, तुला और विष का

प्रयोग किया जाता था।

हुएन.संग ने अपने यात्रा विवरणों में लिखा है कि अपराधी की सबसे पहले जल परीक्षा होती थी। अपराधी को एक पत्थर बांध कर जल में छोड़ दिया जाता था। यदि पत्थर तैरता था और आदमी डूबता था तो व्यक्ति को दोषी मानते। अग्नि परीक्षा में अपराधी को गरम लोहे पर खड़ा होना पड़ता। फिर उसे अपने हाथ में लेकर चाटना पड़ता। यदि गरम लोहे से वह अप्रभावित रहे तो निर्दोष, नहीं तो दोषी। तीसरी परीक्षा में दोषी को एक पत्थर के साथ तोलते। यदि पत्थर का वजन कम हो तो व्यक्ति के अपराध को निराधार करार दे दिया जाता। विष परीक्षा में व्यक्ति को विष खिलाया जाता था। यदि निर्दोष होता तो बच जाता था अन्यथा मर जाता था।

अपराधियों को समाज से अलग रखा जाता था और इसके लिए कारागार की व्यवस्था थी। कभी-कभी बंदियों को कारागार तक लाने के लिए हथकड़ी का भी प्रयोग किया जाता था। उन्हें कभी-कभी सजा की छूट भी मिलती थी। संस्कृत कवि बाण ने 'हर्ष चरित' में उल्लेख किया है कि खुशी और विजय के अवसरों पर बंदियों को रिहा किया जाता था। राजकुमार हर्ष के जन्म, उनके राज्यभिषेक और दिग्विजय अभियान के समय अनेक बंदी कारागार से मुक्त किए गए थे। शासन व्यवस्था में चोरों का पता लगाने वाले और छिप कर अपराधों का पता लगाने वाले गुप्तचरों की जानकारी भी मिलती है।

चोल राजाओं के शासन काल में गांवों की सभा के चुनावों में किसी अपराध में दंडित, बेईमान और दुराचारी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था। प्रत्येक सभा की शासन व्यवस्था में न्याय व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। गबन, चोरी और असावधानी के लिए कठोर दंड की व्यवस्था थी।

हुएन संग ने यह भी लिखा कि कैदियों को शेव नहीं करने दी जाती थी, उनके चेहरे पर बढ़ी हुई दाढ़ी होती थी।

मध्यकालीन भारत में भी न्याय व्यवस्था प्राचीन भारत के समान ही थी। मुस्लिम शासकों ने अपराधों को तीन वर्गों में विभक्त किया। ईश्वर के विरुद्ध अपराध, शासक के विरुद्ध और निजी संपत्ति के विरुद्ध अपराध

माने जाते थे और हद, ताजिर, किसास और ताशी की सजा दी जाती है। दंड में अर्थ दंड और जब्तीकरण, रेंक छीनना, अंग भंग, मृत्युदंड व जेल में डालने की सजा दी जाती थी।

मुगलकालीन भारत में दंड की कोई अवधि निश्चित नहीं थी। काजी और न्यायाधीश को यह अधिकार था कि वह किसी भी अपराधी को तब तक जेल में ही रखे जब तक उसके व्यवहार में सुधार नहीं हो जाता। कैदियों के पैरों व गले में लोहे की बेड़ियां डाल कर रखी जातीं। चबूतरे कोतवाली शहरों में पुलिस की चौकियां होती थी जहां अस्थाई तौर पर बंदी रखे जाते थे।

मध्यकालीन भारत

मध्यकाल में न्याय और व्यवस्था का आधार कुरान था। मुहम्मद तुगलक की न्याय और दंड नीति कठोर थी। न्याय और दंड, धर्म पर आधारित और पक्षपात पूर्ण थे।

शेरशाह सूरी का शासन निष्पक्ष और कठोर था। कुल या पद के आधार पर न्याय और दंड में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता था। दंड विधान में निष्ठुरता थी। चोरी और डकैती के लिए प्राणदंड दिया जाता था। दंड का उद्देश्य अपराधी को सुधारने के बजाय जनता के सामने अपराध और दंड की भयानकता दर्शाकर अपराधों को रोकना था।

जहांगीर की न्याय व्यवस्था की सराहना होती थी। जहांगीर के दरबार में छोटे-बड़े, अमीर-गरीब का कोई भेदभाव न था। सभी को इंसाफ मिलता था। अकबर के शासन काल में सम्राट ही सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। वह सभी फरियादें सुनता और अभियोगों का निर्णय करता था। सम्राट के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी काजी होता था। अभियोगों के निर्णय का आधार कुरान था, परंतु हिंदुओं के दीवानी मामलों में उनके रीति-रिवाजों का भी ध्यान में रखा जाता था। प्राण दंड, अंग-भंग और कोड़े मारने की सजा दी जाती थी।

शाहजहां के शासन काल में दीवान-ए-खास में मुकदमों की सुनवाई होती थी। औरंगजेब के समय, जज औरंगजेब के निजी चैंबर में मुकदमों की सुनवाई करते थे।

मुगलों के बाद मराठा युग की न्याय व्यवस्था सरल और युग की मांग के अनुकूल थी। कानूनों की व्याख्या प्रथाओं, परंपराओं और धर्म के आधार पर की जाती थीं। अपराधियों की अनेक प्रकार की परीक्षाएं ली जाती थी। पेशवा स्वयं ही अपराधी की सुनवाई व दंड देते थे। जुर्माना संपत्ति को जब्त करना और कारावास की सजा के अलावा अंग-भंग की सजा, जबरदस्ती विवाह करने वाले को धर्मच्युत करना, संपत्ति जब्त और जुर्माने की सजा दी जाती थी। बलात्कार करने वाले को दास, जादू करने वाले को देश निकाला दिया जाता था।

उन्नीसवीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन काल में अंग्रेजी कानून व व्यवस्था का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। दीवानी और फौजदारी झगड़ों के लिए अलग-अलग अदालतों की स्थापना की गई लार्ड विलियम बेंटिक ने कोड़े मारने पर प्रतिबंध लगा दिया था। राजपूतों के यहां प्रचलित बालहत्या को बेंटिक ने अवैध घोषित कर दिया, इसके लिए कठोर दंड व्यवस्था की गई

लार्ड मेंकाले के प्रयासों से दंड प्रक्रिया संहिता बनाई गई 1857 में जेलों का निर्माण कार्य शुरू किया गया।

मुगलकाल में ग्वालियर, रणथंभौर और रोहतास में तीन जेल थी। मृत्युदंड के लिए रणथंभौर भेजा जाता था। कैदियों को विशेष अवसरों पर जेलों से रिहा किया जाता था। ये विशेष अवसर राजकुमार का जन्म, लंबी बीमारी से राजा के स्वस्थ होने या राजसी दौरे होते थे।

पुरातत्व विभाग को उस जेल के अवशेष मिले थे जहां अजातशत्रु ने अपने पिता बिबिंसार को राजगृह में बंदी बना कर रखा था। बुद्धपूर्व समाज में जेलों में बंद व्यक्तियों के साथ काफी अत्याचार किए जाते थे।

अकबर के शासन काल में दो प्रकार की जेल थीं। एक जेल में घोर अपराध करने वाले अपराधियों व दूसरे में साधारण अपराधियों को रखा जाता था। नवाबों व देशद्रोही राजकुमारों व विद्रोहियों को विभिन्न किलों में बंदी बनाया जाता था।

18 वीं सदी तक जेलों में ऋण न चुकाने वाले व्यक्तियों को ही बंदी बनाया जाता था। धीर-धीरे यह अपराधियों को सजा देने का स्थान बनाता चला गए। आधुनिक अर्थों में जेल ब्रिटिश साम्राज्य की देन है।

ब्रिटिश शासन से पहले यह कहा जा सकता है कि आधुनिक अर्थों में कोई जेल नहीं थी और न ही जेल के भीतर कोई प्रशासन व्यवस्था थी। साधारण तौर पर जेलों की बजाय अर्थ दंड से अपराधियों को सजा दी जाती थी। कुछ किलों को जेल बना दिया जाता था।

1836 तक जेलों की ओर समाज का ध्यान नहीं जाता था। थामस रिचर्डसन जो 24 परगना का मजिस्ट्रेट और प्रेसीडेंसी ऑफ कलकत्ता में जेल का सुपरिंटेंडेंट था, उसकी हत्या के बाद जेल की समस्या की ओर ध्यान गए। इस हत्या की जांच के आदेश दिए गए जिससे यह स्पष्ट हुआ कि कैदियों की शारीरिक दास पर तो ध्यान दिया जाता था पर उनकी नैतिक संबंधों की उपेक्षा की जाती थी। यह रिपोर्ट लार्ड मैकाले जो उस समय भारत की सुप्रीम कोर्ट के सदस्य थे, ने तैयार की थी। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि जब तक सजा की पीड़ा के लिए मीनरी प्रभावशाली न हो तब तक उससे समाज का कोई हित न होगा। बाहरी श्रम को हटा कर, जेल के भीतर काम करवाना, अलग प्रणाली की शुरुआत, अपराधियों का वर्गीकरण, विचाराधीन कैदियों को अलग रखना, केंद्रीय अथवा सजा प्राप्त कैदियों को अलग करना और जेल निरीक्षकों की नियुक्ति के द्वारा जेल प्रणाली को नियमित करना जैसी प्रमुख सिफारिशें की गईं।

1836 जेल अनुशासन समिति

एस.शेक्सपीयर, सदस्य गवर्नर जनरल कांउसिल की अध्यक्षता में 2 जनवरी, 1836 को लार्ड विलियम बेंटिक ने दूसरी कमेटी नियुक्त की। यह कमेटी जेल अनुशासन कमेटी के नाम से प्रसिद्ध है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट लार्ड आकलैंड को प्रस्तुत की। इसकी प्रमुख सिफारिशों में जेलों में निरंतर भ्रष्टाचार, अनुशासन की कमी और कैदियों को अतिरिक्त श्रम में लगाने की प्रणाली। कमेटी ने उन्हें कठोर दंड की सिफारिश की और अपराधियों को नैतिक और धार्मिक शिक्षाओं, शिक्षा या अच्छे आचरण के लिए पारितोष प्रणाली के द्वारा उन्हें सुधारने की सारी दलीलें रद्द कर दीं। इसके साथ-साथ कमेटी ने सजा याफ्ता कैदियों से विचाराधीन कैदियों को अलग रखने की सिफारिश की गई इस कमेटी रिपोर्ट की एक महत्वपूर्ण सिफारिश महानिरीक्षक जेल कार्यालयों की स्थापना करने के संबंध में

थी। भारत में पहले महानिरीक्षक जेल की नियुक्ति 1844 में की गई इस पद को 1850 में स्थाई किया गया। उन दिनों महानिरीक्षक (जेल) मेडिकल डाक्टर होते थे। 1860 में भारतीय दंड संहिता के लागू होने से दंड प्रक्रिया में जेलों का महत्व बढ़ गया।

सुनिश्चित जेलों का निर्माण ब्रिटिश शासन काल के दौरान शुरू हुआ। भारतीय विधि आयोग के सदस्य लार्ड मैकाले ने पहली बार भारत में 1835 में जेल सुधार के प्रयास किए। देश में 1894 में भारतीय कारागार अधिनियम बनाया गया। उस समय भारत में 43 सिविल, 75 आपराधिक और 68 मिश्रित जेल थीं। जिला मजिस्ट्रेट, जेलों के प्राधिकारी होते थे।

1830 में तमिलनाडु में महिलाओं के लिए पहली प्रेसिडेंसी जेल वेल्लोर में बनाई गई और इसके बाद 1872 में मद्रास में दूसरी जेल बनाई गई।

जेल प्रबंध और अनुशासन आयोग, 1864

पहली कमेटी द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर पुनर्विचार करने के लिए 1864 में दूसरी कमेटी नियुक्त की गई जेल की स्थितियों पर सर जान लारेंस की रिपोर्ट पर लार्ड डलहौजी ने जेल प्रबंध और अनुशासन पर आयोग नियुक्त किया। ब्रिटिश शासन जेल प्रशासन व अनुशासन में रुचि रखता था। आयोग ने जेल में आवास, भोजन, कपड़े, बिस्तर, चिकित्सा सुविधा में सुधार और जेलों में चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की सिफारिश की। आयोग ने एक कैदी के लिए न्यूनतम 54 वर्गफीट और 640 क्यूबिक फिट स्थान निर्धारित किया। कमीशन ने महिला व पुरुष कैदियों और वयस्कों व बच्चों का अलग-अलग रखने की भी सिफारिश की।

1877 की कलकत्ता कांफ्रेंस

जेल प्रशासन की जांच करने के लिए कलकत्ता में 1877 में विशेषज्ञों की कांफ्रेंस आयोजित की गई जिसमें जेल अनुशासन और प्रशासन के संबंध में अध्ययन किया गया। इसकी प्रमुख सिफारिशों में यह उल्लेख किया गया कि कैदियों के संबंध में बनाए गए विभिन्न कानून अधूरे, सदोष और उनमें अनुशासन की भावना का प्रतिपादन नहीं कर पाते। इस कांफ्रेंस में नए जेल कानून की सिफारिश की।

चौथा जेल आयोग, 1888

1888 में लार्ड डफर ने चौथा जेल आयोग नियुक्त किया। इस आयोग ने पहली रिपोर्ट की समीक्षा की और जेल प्रशासन से संबंधित सभी मामलों की विस्तृत जांच की। इसकी राय में एक जेल अधिनियम लागू किए बिना एकरूपता नहीं लाई जा सकती। इसने जेल हस्पताल बनाने की भी सिफारिश की।

जेल अधिनियम 1894

1888 की जेल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जेल बिल तैयार किया गया। बिल पास होने पर कारागार अधिनियम 1894 बनाया गया। यही भारत में जेल प्रशासन व प्रबंधन के लिए लागू है।

भारतीय जेल कमेटी, 1919-20

जेल प्रबंधन और प्रशासन में समस्याएं बने रहने से 1919-20 में भारतीय जेल कमेटी ने इन समस्याओं पर विस्तृत अध्ययन किया। इस कमेटी की रिपोर्ट देश में जेल सुधार की दिशा में निर्णायक बिंदु है। कमेटी ने जेलों के इतिहास में पहली बार 'सुधार' और 'पुनर्वास' का मुद्दा उठाया। कमेटी ने यह सिफारिश की कि अपराधियों का ध्यान रखने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित स्टाफ की जरूरत है और सजा याफ्ता को अत्यधिक काम पर लगाए जाने के विचार को रद्द कर दिया। कमेटी ने जेलों में बच्चों की उपस्थिति की निंदा की और बाल न्यायालयों और किशोर गृहों की स्थापना की सिफारिश की। हालांकि इस कमेटी की सिफारिशें कार्यान्वित नहीं की गई पर यह अभी भी भारत में जेल सुधार के लिए मार्गदर्शी रिपोर्ट है।

भारत सरकार ने अधिनियम 1919 में जेलों को केंद्र के नियंत्रण व पर्यवेक्षण के स्थान पर राज्य सरकार के नियंत्रण में कर दिया जिस कारण जेल सुधार की प्राथमिकता कम हो गई तथापि 1937 से 1947 की अवधि का जेल के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि कुछ प्रमुख राज्यों मैसूर, उत्तर प्रदेश और बंबई में जेल सुधारों के लिए आम जनता में जागृति आई स्वतंत्रता आंदोलन के कारण भी इस ओर जागृति बढ़ी। भारत का संविधान बनाने के बाद भी जेलों को राज्य की सूची में ही रखा गया। इस दौरान

विभिन्न राज्य सरकारों ने जेल सुधारों पर कई कमेंटियां नियुक्त भी की जो जेलों में कैदियों के उपचार को मानवीय दृष्टि से देखने लगी।

रेक्लेस कमीशन रिपोर्ट, 1952

भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ को तकनीकी सहायता के लिए आमंत्रित किया। 1951-52 के दौरान डा. डब्ल्यू. सी.। रेक्लेस, संयुक्त राष्ट्र के सुधारात्मक कार्यों के विशेषज्ञ ने भारत आकर देश के जेल प्रशासन का अध्ययन कर इसको सुधारने के उपाय व माध्यमों का सुझाव दिया। जेल सुधार के क्षेत्र में भारत में जेल प्रशासन की रिपोर्ट इस क्षेत्र में मील का पत्थर है। उन्होंने जेलों को सुधार गृहों में बदलने और नई जेल बनाने की वकालत की। उन्होंने किशोर अपराधियों के साथ किए जाने वाले फैसलों का विरोध किया। उन्होंने जेल अभिरक्षा में रखे गए व्यक्तियों के सुधार व पुनर्वास की भी वकालत की। पुराने पड़ चुके जेल मैनुअलों के संशोधन और कम सजा के लिए विधि विकल्प की भी सिफारिश की।

आल इंडिया जेल मैनुअल कमेटी, 1957-59

भारत सरकार ने माडल जेल मैनुअल बनाने के लिए आल इंडिया जेल मैनुअल कमेटी नियुक्त की। कमेटी को जेल प्रशासन की समस्याएं और देश भर में एक समान व्यवस्था अपनाने के लिए सुधार के सुझाव देने के लिए भी कहा गए। आल इंडिया जेल मैनुअल कमेटी रिपोर्ट और माडल जेल मैनुअल तैयार करके कमेटी ने 1960 में भारत सरकार को सौंपा। कमेटी ने न केवल जेल के सक्षम प्रबंध के सिद्धांत प्रतिपादित किए, अपितु साथ ही कैदियों के सुधारात्मक उपचारों के लिए वैज्ञानिक मार्गनिर्देश भी तैयार किए। कमेटी ने यह लिखा कि जेल संस्था को सुधारात्मक उपचार का केंद्र होना चाहिए जहां अपराधी को सुधारने व अपराधों को कम करने पर बल दिया जाए। अपराधी में रचनात्मक परिवर्तन लाना इसका उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि इसी से उसकी आदतों, दृष्टिकोण और जीवन मूल्यों पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगे। जेल मैनुअल कमेटी की प्रमुख सिफारिशों में निम्नलिखित पहलुओं को शामिल किया गया :

मुख्यालय संगठन

• सेक्स, उम्र, आपराधिक रिकार्ड, सुरक्षा स्थितियां और उपचार के आधार पर वर्गीकरण

- आर्कीटेक्चर व भवन।
- आवास।
- सलाहकार बोर्डो का गठन।
- जेलकार्मिकों की भर्ती, चयन और प्रशिक्षण।
- अनुशासन।
- आधारभूत सुविधाएं।
- दैनिक रूटीन और कैदियों की शिक्षा।
- वोकेशनल प्रशिक्षण।
- अनुरक्षण व पुनर्वास।

• कैदियों का वर्गीकरण (विचाराधीन, महिला, आजीवन कैदी, आदतन अपराधी, पागल, किशोर आदि)।

जेल सुधारों पर अखिल भारतीय कमेटी, 1980-83

जस्टिस आनंद नारायण मुल्ला की अध्यक्षता में 1980 में भारत सरकार ने जेल सुधारों पर अखिल भारतीय कमेटी का गठन किया। मुल्ला कमीशन की रिपोर्ट जेल सुधारों की दिशा में मील का पत्थर है। इस रिपोर्ट की विस्तृत जानकारी 'विभिन्न अध्ययन रिपोर्ट' अध्याय में दी गई है।

जेल व्यवस्था

कैदियों का वर्गीकरण :

सुधार गृहों में कैदियों को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया गया है।

1. सिविल कैदी।
2. आपराधिक कैदी।
3. विचाराधीन कैदी।
4. सिद्ध दोष कैदी।
5. आदतन अपराधी।
5. गैर आदतन अपराधी।

7. राजनीतिक कैदी।

8. बंदी।

9. पागल-अपराधी और गैर अपराधी।

उक्त सभी वर्गों को महिला और पुरुष कैदियों के रूप में वगीकृत किया जाता है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार श्रेणी I और श्रेणी II में विभक्त किया जाता है।

सिविल बंदी से कोई ऐसा कैदी अभिप्रेत है जो आपराधिक नहीं है।

आपराधिक बंदी से कोई ऐसा बंदी अभिप्रेत है जिसे दांडिक अधिकारिता का उपयोग करने वाले किसी न्यायालय या प्राधिकारी के रिट, वारंट या आदेश से या सेना न्यायालय के आदेश से सम्यक रूप से अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया है।

सिद्ध दोष अपराधिक बंदी से कोई ऐसा बंदी अभिप्रेत है जिसे किसी न्यायालय या सेना न्यायालय ने दंडादेश दिया है और इसके अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 4 के उपबंधों के अधीन या बंदी अधिनियम 1900 के अधीन किसी कारागार में निरूद्ध किया गए व्यक्ति भी है।

विचाराधीन कैदी से अभिप्रेत है किसी ऐसे व्यक्ति को सुधार गृह में किसी अपराध का निर्णय होने तक जब तक वह अपराध के लिए सिद्ध दोष न हो जाए, किसी कोर्ट द्वारा रखा जाए, विचाराधीन कैदी है।

आदतन अपराधी वे हैं जो पहले भी किसी अपराध के कारण दोषी सिद्ध हो चुके हों, वे आदतन अपराधी अन्यथा गैर आदतन अपराधी होते हैं।

राजनीतिक कैदी वे होते हैं जो किसी राजनीतिक अपराध के कारण गिरफ्तार होते हैं। ऐसे व्यक्ति या सिद्धदोष व्यक्ति राजनीतिक अपराधी कहलाते हैं। किसी राजनीतिक या प्रजातांत्रिक आंदोलन के कारण अथवा व्यक्तिगत लालच से नहीं वरन् राजनीतिक उद्‌देश्य से कोई अपराध करें तो वह राजनीतिक अपराधी कहलाता है। अथवा भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 302 अथवा 379 अथवा 395 अथवा 411 के तहत गिरफ्तार व्यक्ति यदि राजनीतिक उद्देश्य से गिरफ्तार होता है।

बंदी : कोई व्यक्ति किसी सुधार गृह में किसी वारंट, रिट या

न्यायालय के आदेश से किसी अपराध जो किसी विधि के तहत दंडनीय अपराध के बंदी बनाया जाता है और जिसकी दंड प्रकिया अभी शुरू नहीं हुई बंदी कहलाता है।

पागल अपराधी : किसी रिट, याचिका या वारंट के तहत गिरफ्तार व्यक्ति की मानसिक स्थिति यदि गिरफ्तारी के समय ठीक न रहे अथवा गिरफ्तारी के बाद परंतु सिद्ध दोष होने से पूर्व मानसिक असंतुलन विकसित हो जाता है अथवा सिद्ध दोष होने के बाद मानसिक असंतुलन खो जाता है, पागल अपराधी कहलाता है।

श्रेणी I कैदी : कोई सिद्ध दोष अपराधी अथवा विचाराधीन कैदी जेल में आने से पूर्व जिस सामाजिक स्टेटस, शिक्षा व आदतों के कारण सुपीरियर जीवन स्तर का आदी होता है उसे श्रेणी । कैदी वर्गीकृत किया जाता है बशर्ते कि

वह आदतन अपराधी न हो। वह निम्न का सिद्धदोष न हो—ऐसा अपराध जिसमें घोर क्रूरता अथवा घोर नैतिक चरित्र हीनता हो अथवा अवैध होर्डिंग, भंडारण, किसी आवश्यक पदार्थों की मूवमेंट या निपटान का अपराध हो अथवा घोर सामाजिक परिणामों का आर्थिक अपराध अथवा धोखाधड़ी, किसी महिला का शील भंग या बलात्कार सभी राजनीतिक कैदी अथवा राजनीतिक बंदी।

श्रेणी II कैदी : शेष सभी कैदी श्रेणी II में वर्गीकृत होंगे।

किसी कैदी का श्रेणी I अथवा II में वर्गीकरण उस कोर्ट के द्वारा किया जाएगा जिसमें उसके कैद के आदेश दिए है। यदि कोर्ट अथवा अथारिटी ने आदेश न किए हो तो कैदी इसके लिए अपील कर सकता है। कोर्ट के आदेश आने तक सुधार गृह के महानिरीक्षक उसे अस्थाई रूप से श्रेणी I का कैदी वर्गीकृत कर सकते हैं।

सलाहकार बोर्ड

राज्य सरकार किसी सुधार गृह के लिए राज्य सलाहकार बोर्ड के गठन को अधिसूचित कर सकती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे।

पदेन सदस्य

1. सचिव, गृह (जेल) विभाग
2. सुधारात्मक सेवाओं के महानिरीक्षक
3. सचिव, ज्यूडिशियल विभाग
4. उपमहानिरीक्षक पुलिस, विशेष कक्ष, अपराध जांच विभाग
5. विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग, यूनिवर्सिटी
5. प्रधानाचार्य, बोरस्टल स्कूल
7. महिला सुधार गृह की पर्यवेक्षक, यदि हो तो

गैर पदेन सदस्य

- राज्य सरकार द्वारा विधान सभा के पांच सदस्य नामित, जिनमें से एक सदस्य महिला और एक सदस्य विपक्ष दल का हो।

राज्य के दो संसद सदस्य

- समाज सुधार में रुचि रखनेवाले चार महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनमें से एक महिला हो।

राज्य का सलाहकार बोर्ड राज्य को निम्नलिखित पर परामर्श देगा

- अपराध की रोकथाम, नियंत्रण व उपचार से संबंधित विषयों पर
- गृह (जेल शाखा के अतिरिक्त), गृह जेल, ज्यूडिशियल, समाज कल्याण, शिक्षा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभागों के बीच समन्वय के उपाय
- कैदियों के साथ दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार, तस्करी व यौन शोषण के उन्मूलन के उपायों पर सुझाव
- सुधार गृहों में दंगे, सुधार गृहों से भागने वाले कैदी, कैदियों अथवा स्टाफ द्वारा हड़ताल व भूख हड़ताल जैसी स्थितियों से निपटने के उपाय

जनहित के अन्य विषय

राज्य सलाहकार बोर्ड वर्ष में कम से कम चार बैठकें करेगा। अपात् गंभीर स्थितियों में विशेष बैठकें भी बुलवा सकता है। इन बैठकों की

कार्रवाई मिनट बुक में रिकार्ड की जाएगी।

- राज्य सलाहकार बोर्ड के सदस्यों को किसी भी सुधार गृह में जाने और किसी भी कैदी से बात करने अथवा पूछने का अधिकार होगा। राज्य सलाहकार बोर्ड के किसी सदस्य द्वारा मांगी गई किसी भी सूचना को जेल अधिकारी उपलब्ध करवाएगा। यदि कोई कैदी सलाहकार बोर्ड के सदस्य से एकांत में कोई बातचीत करना चाहता है तो उसे ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी और भले ही कैदी द्वारा दी गई सूचना गलत हो पर इसके लिए उसे प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
- राज्य सलाहकार बोर्ड के 6 सदस्य कोरम पूरा करेंगे।
- गैर आधिकारिक सदस्यों की अवधि तीन वर्ष की होगी। उन्हें पुर्ननियुक्त भी किया जा सकता है।
- गैर आधिकारिक सदस्यों को निर्धारित भत्तों का भुगतान होगा।
- किसी सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या अन्यथा रिक्त हुई स्थिति में नए सदस्य की नियुक्ति राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी।
- राज्य सरकार जिला सलाहकार बोर्डों का भी गठन करेगी।
- जिला सलाहकार बोर्डों में निम्नलिखित सदस्य होंगे।

पदेन सदस्य

- जिला और सेशन जज
- जिला सुधार गृह का पर्यवेक्षक
- जिला मेडिकल अधिकारी
- जिला प्रोबेशन अधिकारी
- चीफ मेडिकल आफिसर
- जिला चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट

गैर प्राधिकारिक सदस्य

- सेवारत अथवा सेवानिवृत्त हेडमास्टर, पांच विधान सभा के सदस्य, जिसमें से एक महिला व एक विपक्ष का सदस्य, दो समाज सेवक जिनमें से एक महिला हो।

- जिला सेशन जज इसके पदेन अध्यक्ष होंगे
- जिला स्तर पर अपराध की रोकथाम व नियंत्रण के उपायों पर यह सलाहकार बोर्ड विचार करेगा। साल में इसकी कम से कम 6 बैठकें होंगी और आवश्यकता होने पर अधिक बैठकें बुलाई जा सकती हैं। बैठकों के कार्यवृत बुक में रिकार्ड किए जाएंगे।

✓ जिला सलाहकार बोर्ड के सदस्यों को किसी भी सुधार गृह में जाने व कैदियों से पूछताछ करने का अधिकार होगा। सुधार गृह के अधिकारियों को सदस्यों द्वारा मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध करवानी होंगी। कोई कैदी यदि उन्हें एकांत में कोई जानकारी देना चाहें तो उस कैदी को बाद में प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।

✓ जिला सलाहकार बोर्ड के पांच सदस्यों से कोरम पूरा होगा।

✓ गैर अधिकारी सदस्यों की नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी और उन्हें पुनः नियुक्त किया जा सकता है।

✓अकस्मात् रिक्तियां जो किसी सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या किसी अन्य कारण से होगी, के स्थान पर नए सदस्यों की नियुक्ति राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी।

नान आफिशियल विजिटर बोर्ड के कार्य

- यह बोर्ड तिमाही आधार पर बैठकें करते हैं।
- बोर्ड के सदस्य तिमाही में एक बार जेल का निरीक्षण करते हैं।
- बोर्ड की पहली बैठक में अगले बारह माह के विजिट का रोस्टर तैयार किया जाता है।
- जेल की स्थितियों के अलावा कैदियों की शिकायतों व परिवेदनाओं को दूर करने की सिफारिशें करते हैं।
- जेल प्रशासन को सुधारात्मक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में मदद करते हैं।

विजिटर

राज्य सरकार आधिकारिक विजिटरों का एक पैनल प्रत्येक सुधार गृह के लिए अधिसूचित करेगी। इस पैनल में कम से कम एक गैर अधिकारिक

विजिटर के रूप में एक महिला होगी।

- विजिटर सुधार गृह में अपने दौरे के दौरान सुधार गृह की कोई भी पुस्तक, कागजात अथवा रिकार्ड मांग सकता है।
- किसी भी वार्ड, वर्कशाप या कोठरी का दौरा और शिकायत के प्रत्येक मामले में लागू नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करवा सकते हैं।
- क्या कैदियों को दंड भली-भांति दिया जा रहा है।
- वे विजिटर बुक में अपनी उपस्थिति को निर्धारित फार्मेट में दर्ज करेंगे।
- निर्धारित अन्य कार्यों को निष्पादित करेंगे।
- यदि उन्हें अपने दौरे के दौरान कोई अनियमितताएं दिखाई देती हैं तो अपनी टिप्पणियों की जानकारी महानिरीक्षक को सूचित करेंगे। गैर आधिकारिक विजिटर की योग्यताएं व कार्य अवधि व बैठकों में उसकी उपस्थिति के भत्ते निर्धारित किए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त

- किसी भी संसद सदस्य को जेल के पर्यवेक्षक को 24 घंटे का नोटिस देकर किसी भी सुधार गृह में दौरे का अधिकार होगा।
- विधान सभा के सदस्य को अपने जिले के पर्यवेक्षक को 12 घंटे का नोटिस देकर किसी सुधार गृह के दौरे का अधिकार है।

कैदियों की देखभाल व उपचार

- कैदियों को सामान्यतया कोठरी व वार्डों में रखा जाता है। हर वार्ड में यथा निर्धारित स्थान प्रत्येक कैदी को आवंटित किया जाता है।
- महिला कैदियों को महिला कैदी वार्डों में अथवा महिला जेलों में रखा जाता है।
- राजनीतिक बंदियों और बंदियों को अन्य कैदियों से अलग रखा जाता है।
- यदि कोई राजनीतिक कैदी या बंदी कोई अध्ययन और शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना चाहता है तो उसे सुपीरियर कोठरी में रखा जाता है, बशर्ते कि उस शिक्षा को प्राप्त करने की उसके पास बेसिक

योग्यता हो।

- कोठरी व वार्ड हवादार हो और दरवाजे व खिड़कियों पर लोहे की सलाखें लगी हों और मच्छरों से बचाव के उपाय हों।
- प्रत्येक कोठरी में रहने व शौचालय के स्थान अलग-अलग हों।
- प्रत्येक वार्ड में मई से अगस्त माह के दौरान उपयुक्त संख्या में पंखे लगे हों।
- प्रत्येक कैदी को नाश्ता, दोपहर व रात्रि का भोजन दिया जाएगा, निर्धारित ढंग से भोजन की मात्रा दी जाएगी।
- सुधार गृह का पर्यवेक्षक कुकिंग से पहले सभी भोज्य पदार्थों के वजन का पर्यवेक्षण करेगा और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करवाएगा।
- सभी सुधार गृहों में भोजन के पदार्थों की गुणवत्ता की जांच चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाएगी। यदि चिकित्सा अधिकारी को यह लगता है कि कोई पदार्थ खराब या कैदियों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है तो वह उन वस्तुओं को बदलने के लिए मुख्य नियंत्रक, सुधार गृह को नोट भेजेगा।
- प्रत्येक सुधार गृह में कैदियों के लिए डाइनिंग शेड होगा।
- सुधार गृह का पर्यवेक्षक किसी कैदी को उसके परिवार या मित्रों द्वारा भेजे गए खाने अथवा अपनी कीमत पर खाना खाने की अनुमति देगा, बशर्ते कि वह उसकी जांच करेगा। यदि उसे लगता है कि लाया गया कोई भोजन कैदी को नहीं दिया जा सकता तो स्वास्थ्य के आधार पर कैदी को वह भोजन नहीं दिया जाएगा।
- यथा निर्धारित सुविधाए कैदियों को दी जाएगीं।
- सभी कैदियों को निर्धारित तरीके के कपड़े उपलब्ध कराए जाएंगे। पर्यवेक्षण कैदियों को अपने खर्च या उसके मित्रों अथवा रिश्तेदारों द्वारा कपड़े लाने की अनुमति दे सकता है।
- प्रत्येक कैदी को बिस्तर की आपूर्ति की जाएगी परंतु किसी दूसरे कैदी द्वारा प्रयोग किए गए अथवा अन्य बिस्तर को तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक उसे भलीभांति संक्रमण रहित नहीं कर दिया जाता। पर्यवेक्षक कैदियों को उनके परिवार द्वारा भेजे गए बिस्तर का प्रयोग

करने की अनुमति दे सकता है।

- यदि किसी विचाराधीन कैदी के पास आवश्यक कपड़े व बिस्तर नहीं हैं, तो उसे स्टाक में से दिए जा सकते हैं।

शैक्षणिक सुविधाएं

- सभी सुधार गृहों में कैदियों को शैक्षणिक योग्यताएं प्राप्त करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं और मनोरंजन के साधन, समाचार-पत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे। कल्याण अधिकारी उन्हें शैक्षणिक योग्यताएं बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।
- यदि कोई कैदी जेल में आने से पूर्व कोई शिक्षा प्राप्त कर रहा था और उसे जारी रखना चाहता है तो उसे शिक्षा प्राप्ति के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। उसके परिवार के सदस्य उसे पुस्तकें ला कर दे सकते हैं अथवा वह स्वयं भी खरीद सकता है।
- यदि किसी बंदी के आश्रित बच्चे, भाई या बहन स्कूल या कालेज में शिक्षा ले रहे हो तो राज्य सरकार उनकी शिक्षा के लिए निर्धारित शिक्षा भत्ता प्रदान करेगी।
- प्रत्येक सुधार गृह में लाइब्रेरी की व्यवस्था होगी और कैदियों को पढ़ने के लिए पुस्तकें जारी की जाएगीं।
- पर्यवेक्षक कैदियों को पुस्तकें व पत्र-पत्रिकाएं अपने पास उपलब्ध रुपयों में से खरीदने की अनुमति देगा और उसके परिवार के सदस्य उसे बाहर से पत्र- पत्रिकाएं लाकर भी दे सकते हैं बशर्ते कि उनमें कोई असामाजिक गतिविधि या नैतिक आचरण के विरुद्ध सामग्री न हो।
- महानिरीक्षक, संयुक्त सचिव गृह (जेल) व जिला लाइब्रेरी के मुख्य अधिकारी व दो अन्य सदस्यों की टीम पुस्तकों व पत्र-पत्रिकाओं की खरीद के लिए चयन करेगी।

स्वास्थ्य व स्वच्छता व्यवस्थाएं

- प्रतिदिन चिकित्सा अधिकारी सभी वार्डों, बैरकों, शेड, कोठरियों व कमरों, अस्पतालों, कुकिंग स्थान, लेबोरेटरी और आस -पास के क्षेत्र

का निरीक्षण करेगा ताकि स्वच्छता सुनिश्चित की जा सके। कहीं भी कचरे के ढेर न हो। यदि वर्षा, तूफान या अन्य कारणों से कचरा एकत्र हो जाए तो उसे जल्दी उठवाने का प्रयास करे।

- जिस स्थान पर कैदी काम करें, वे भी साफ-सुथरे रखे जाएं।
- मच्छरों को दूर भगाने के लिए आवश्यक प्रयास हो। श्रेणी 1 के कैदियों और अस्पताल में मच्छरदानियां हो।
- प्रत्येक सुधार गृह में शौचालयों सुनिश्चित की व्यवस्था हो।
- पर्यवेक्षक, चिकित्सा अधिकारी, मुख्य नियंत्रक और अन्य अधिकारी सुधार गृह की स्वच्छता सुनिश्चित करवाएंगे।
- सुधार गृह में निरंतर पानी की आपूर्ति की व्यवस्था होगी।

चिकित्सा सुविधा

- प्रत्येक कैदी को चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने का अधिकार है।
- प्रत्येक सुधार गृह में एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुधार गृह के चिकित्सा अधिकारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण और निरीक्षण करेगा। आवश्यकता पड़ने पर कैदियों को विशेष डाइट का नुस्खा दे सकते हैं।
- महिला कैदियों के लिए महिला चिकित्सा अधिकारी नियुक्त होंगे।
- सुधार गृह के अस्पताल में मनोरगियों के लिए अलग से विंग होगा। प्रत्येक में मनोचिकित्सकों की नियुक्त की जाएगी।
- बीमार कैदिर्यो को दूसरे कैदियों से अलग रखा जाएगा।
- यदि कोई कैदी किसी संक्रमित रोग से पीड़ित हो तो उसे दूसरे कैदियों से अलग रखा जाएगा।
- यदि कोई कैदी गंभीर रोगी है तो उसे चिकित्सा अधिकारी, किसी सरकारी अस्पताल में भेज सकता है।
- यदि किसी कैदी की किसी सरकारी अस्पताल में मृत्यु हो जाती है तो उसकी जानकारी जेल पर्यवेक्षक और उसके परिवार को दी जाएगी।
- सुधार गृह के लिए विशेषज्ञ डाक्टरों की एक टीम होगी जो नियमित

अंतराल पर उपचार के लिए उपलब्ध होगी।

मनोरंजन

- प्रत्येक कैदी को आराम व मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।
- शैक्षणिक, मनोरंजन, पुस्तक, समाचार-पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, सांस्कृतिक कार्यक्रमों व पेंटिंग आदि की सुविधाएं।
- इंडोर व आउट डोर खेलों की सुविधाएं।
- नृत्य व लोक संगीत, त्योहारों व छुट्टी के दिन दूसरे कैदियों को तकलीफ पंहुचाए बिना संगीत वाद्य यंत्रों का प्रयोग, ड्रामा, शिक्षाप्रद फिल्मों का मंचन करने की सुविधा।
- इंडोर व आऊट डोर खेलों के लिए फिजिकल इंस्ट्रक्टर की नियुक्ति की जाएगी।

पत्र, साक्षात्कार और जांच

प्रत्येक श्रेणी कैदी को सप्ताह में एक पत्र अपने संबंधियों व मित्रों को लिखने की अनुमति दी जाएगी। श्रेणी द्वितीय के कैदियों को एक माह में एक पत्र लिखने की अनुमति होती है। प्रथम श्रेणी कैदियों, राजनीतिक कैदियों व बंदियों को अंतर्देशीय-पत्र उपलब्ध करवाए जाते हैं और श्रेणी द्वितीय के कैदियों को सरकारी लागत पर सफेद कागज उपलब्ध करवाए जाते हैं।

- प्रत्येक राजनीतिक कैदी और बंदी को निर्धारित संख्या से अतिरिक्त पत्र अपनी लागत पर लिखने की अनुमति दी जा सकती है।
- प्रत्येक पत्र हिंदी, अंग्रेजी अथवा अपनी मातृभाषा में लिखे जा सकते हैं।
- पर्यवेक्षक प्रत्येक पत्र की जांच करेगा और यदि उसे लगता है कि पत्र सुधार गृह की सुरक्षा या सुधार गृह के संबंध में गलत तस्वीर प्रस्तुत कर रहा है तो उसे हटा सकता है।
- पर्यवेक्षक किसी कैदी को प्राप्त किसी पत्र का कोई अंश काट सकता है यदि उसे लगता है कि वह सुधार गृह की सुरक्षा या सुधार गृह

के बारे में गलत तस्वीर प्रस्तुत करता है।

- पर्यवेक्षक महा निरीक्षक, सुधारात्मक गृह सेवाएं या किसी संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य या स्पीकर लोकसभा या राज्य सभा या विधान सभा को लिखे किसी पत्र को सेंसर नहीं किया जाएगा और ऐसे पत्रों को उसके द्वारा लिखे पत्रों की गणना में नहीं लिया जाएगा।
- किसी कैदी को प्रति माह एक बार अपने मित्रों और रिश्तेदारों से मिलने का अधिकार होगा। निर्धारित नियमों के तहत उसे यह अधिकार है।
- वह अपनी प्रतिरक्षा के लिए पर्यवेक्षक की उपस्थिति या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के सामने कोई इंटरव्यू दे सकता है और ऐसे इंटरव्यू की गणना उसके इंटरव्यू में नहीं की जाएगी।
- जेल परिसर में निर्धारित इंटरव्यू शेड में ही इंटरव्यू की व्यवस्था होगी।

श्रम व मजदूरी

जेल में श्रम को कठोर, मध्यम और हल्के के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और ऐसे श्रम को कुशल, अर्धकुशल और अकुशल के रूप में विभाजित किया जाता है।

- कठोर श्रम से अभिप्राय ऐसे श्रम से है जिसमें अत्यधिक शारीरिक श्रम लगता है जिसमें भूमि पर हल जोतना, लकड़ियों के गट्ठों का काटना, कंधे व सिर पर पानी ढोना और खाना बनाने जैसे काम शामिल है।
- हल्के श्रम में सामान या दाल-चावल आदि से कंकर बीनना, जमीन या दीवारें साफ करना शामिल है।
- मध्यम श्रम में ऐसे श्रम जो न कठोर न, हल्के हों, शामिल हैं।
- कुशल श्रम में ऐसा श्रम जो कार्य पूरा करने के लिए विशेष तकनीकी ज्ञान या प्रशिक्षण से हासिल हुआ हो।
- अर्धकुशल श्रम में एक माह के प्रशिक्षण से सीखे गए कौशल शामिल हैं।

- अकुशल श्रम न तो कुशल और न ही अर्धकुशल है और जिसके लिए कोई विशेष प्रशिक्षण या ज्ञान आवश्यक नहीं है।
- चिकित्सा अधिकारी किसी कैदी के हिस्टरी टिकट में उसके कठोर, मध्यम या हल्के श्रम लिए जाने की हिदायत लिखता है। उसकी सिफारिश के आधार पर उसे किसी काम पर नियोजित किया जाता है। किसी महिला कैदी के मामले में उसके कार्य में कठोर श्रम की मात्रा पुरुष कैदी से कम होगी।
- किसी भी कैदी को लगातार चार माह से अधिक समय तक निरंतर कठोर श्रम नहीं कराया जाएगा।
- यदि किसी कैदी के लिए पहले कठोर श्रम के लिए सिफारिश की गई हो, पर बाद में चिकित्सा अधिकारी को लगता है कि वह ऐसा कठोर श्रम नहीं कर सकता है तो उसके श्रम की मात्रा कम कर दी जाएगी।
- यदि किसी भी समय चिकित्सा अधिकारी को यह लगता है कि किसी कैदी को संक्रामक रोग है तो उसे तुरंत अलग कोठरी में शिफ्ट कर दिया जाएगा और उसके उपचार की व्यवस्था की जाएगी।
- कुशल, अर्धकुशल व अकुशल श्रम की मजदूरी निर्धारित नियमानुसार की जाएगी।
- प्रत्येक कैदी को अपनी अर्जित कमाई में से प्रति माह 50 रुपये तक ही व्यय करने की अनुमति होगी और शेष राशि उसे रिहाई के समय दे दी जाएगी। पर्यवेक्षक उसकी कमाई किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में उसके खाते में जमा करवाएगा।
- कोई विचाराधीन या सिविल कैदी किसी प्रकार का श्रम करने का विकल्प देता है तो उसे भी निर्धारित नियमानुसार मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।
- पर्यवेक्षक द्वारा श्रम रजिस्टर बनाया जाएगा और उसमें प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अर्जित कमाई और उसमें से कैदी के द्वारा खर्च व शेष राशि का रिकार्ड रखा जाएगा।
- प्रतिदिन केवल सात घंटे का श्रम ही लिया जा सकता है।
- राज्य सरकार प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में छुट्टी की सूचना सुधार गृहों में भेजेगी और उन छुट्टियों व रविवार के दिन किसी कैदी को काम पर

नहीं लगाया जाएगा।

- राज्य सरकार सुधार गृहों में चलाए जा रहे औद्योगिक यूनिटों में कैदियों और विशेष रूप से महिला कैदियों को जीवीकोपार्जन का प्रशिक्षण प्रदान करेगा ताकि रिहाई के बाद वे उन्हें मदद कर सकें। वह उन्हें प्रशिक्षक या इंस्ट्रक्टर के रूप में नियुक्त भी कर सकता है।

छूट, रिहाई व पेरोल

- तीन माह से अधिक समय के लिए कठोर सजा प्राप्त कर रहे सभी आपराधिक कैदियों को प्रति माह चार दिन की दर से छूट की पात्रता होती है।
- इस छूट के अलावा पर्यवेक्षक उसकी गुणवत्तायुक्त सेवा, श्रम व अनुशासन पालन, शिक्षा में प्रवीणता आदि के आधार पर विशेष छूट भी दे सकता है
- राज्य सरकार किसी त्योहार अथवा किसी विशेष अवसर पर सभी कैदियों को विशेष छूट के आदेश दे सकती है।
- 75 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष और 45 वर्ष से अधिक उम्र की महिला कैदी जिसने सजा के सात वर्ष पूरे कर लिए हों उन्हें उस तारीख से प्रति माह 6 दिन की छूट प्राप्त होने की पात्रता होगी।
- 75 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष और 45 वर्ष से अधिक उम्र की महिला कैदी जिसने सजा के सात वर्ष पूरे कर लिए हैं और उनका आचरण अच्छा है तो उनकी सजा अवधि के दौरान तीन माह तक की विशेष छूट प्रदान की जा सकती है।
- पेरोल पर छूटे कैदी को सजा की अवधि से किसी छूट की पात्रता नहीं होगी।
- कोई कैदी यदि किसी यूनिवर्सिटी या मान्यता प्राप्त संस्था की किसी परीक्षा में बैठना चाहता है तो माध्यमिक परीक्षा के लिए दस दिन, उच्चतर माध्यमिक के लिए बारह दिन व डिग्री के लिए तीस दिन की विशेष छूट की पात्रता होगी।
- यदि किसी कैदी, विशेषरूप से कोई महिला या मानसिक या बीमार

कैदी जिसके परिवार या मित्र उसे छुड़ाने नहीं आते तो उसे छोड़ दिया जाएगा और विभिन्न श्रेणियों के कैदियों को भुगतान किए जाने वाले वाहन भत्ते उसे अदा किए जाएंगे।

- किसी भी कैदी को, जिसने एक वर्ष की सजा पूरी कर ली हो और उसकी सजा दो से पांच वर्ष के बीच है अथवा यदि उसकी सजा पांच वर्ष से अधिक हो और दो वर्ष की सजा पूरी कर ली हो तो उसे पेरोल मिल सकता है।
- पेरोल, किसी आपात स्थिति जैसे किसी नजदीकी मित्र या सदस्य की बीमारी, पुत्र या पुत्री, भाई या बहन का विवाह या किसी नजदीकी की मृत्यु जिसमें रीति-रिवाजों के अनुसार उसकी उपस्थिति जरूरी हो, दिया जा सकता है।
- परंतु आदतन अपराधी या यदि आगामी 6 माह में रिहाई हो या सजा विश्वास भंग जैसे अपराधों के लिए दी गई हो तो पेरोल नहीं दिया जाएगा।
- यदि जेल में रहते हुए कोई कैदी राज्य विधान सभा या संसद का चुनाव जीत जाता है तो शपथ ग्रहण करने के लिए पेरोल दिया जाएगा।
- पेरोल पर गए कैदी को अपने नजदीक के पुलिस स्टेशन पर जाकर रिपोर्ट करनी होगी ताकि वे उसकी गतिविधियों पर निगरानी रख सकें।
- पेरोल पर जाने से पहले बांड भर कर देना अपेक्षित होता है। लौटने पर बांड की राशि लौटा दी जाती है। यदि कैदी निर्धारित तारीख पर नहीं लौटता है तो बांड की राशि जब्त कर ली जाएगी।

कैदियों को अंतरित करना

एक जेल के कैदी को एक राज्य से दूसरे राज्य या दूसरे जिले के जेल में स्थानांतरित किया जा सकता है यदि जेल में इंतहा भीड़ हो, कठोर सजा के लिए दूसरे जेल में शिफ्ट करना अपेक्षित हो।

- किसी महिला कैदी को उसी जेल में अंतरित किया जाएगा जहां अन्य महिला कैदी हों।

- यदि किसी मानसिक अपराधी को किसी अस्पताल में रखना अपेक्षित हो।
- कैदी को उसके घर के नजदीक जिले के सुधार गृह में उसके अनुरोध पर अंतरित किया जाएगा।
- यदि किसी प्राकृतिक आपदा के कारण किसी जेल में रहने लायक स्थितियां न हों तो कैदियों को दूसरे जेल में अंतरित किया जाएगा।
- यदि कोई कैदी कोई परीक्षा दे रहा है और जेल के स्थान पर उस यूनिवर्सिटी या संस्था का केंद्र नहीं है अथवा लाइब्रेरी नहीं है तो कैदी दूसरी जेल में स्थानांतरण के लिए अनुरोध कर सकता है।
- यदि किसी महिला कैदी को अंतरित किया जाता है तो दूसरे जेल में अंतरण के दौरान महिला अटेंडेंट उसके साथ यात्रा करेगी। किसी पुरुष कैदी के साथ एक ही वाहन में यात्रा नहीं की जाएगी।
- चिकित्सा अधिकारी के फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना किसी कैदी को दूसरे जेल में अंतरित नहीं किया जाएगा।

महिला कैदी

- राज्य सरकार महिला कैदियों के लिए अलग कारागार की व्यवस्था करेगी। यदि अलग से जेल की व्यवस्था न हो तो महिला कैदी वार्ड अलग से स्थापित किए जाएं।
- उस जेल में मेडिकल अधिकारी, फार्मेसिस्ट, प्रशिक्षक, मेंटर्न व अन्य स्टाफ में सभी महिलाएं होंगी। पुरुष सुरक्षा स्टाफ जेल के बाहरी भाग में सुरक्षा प्रदान करेगा।
- महिला कैदियों को निम्नलिखित ढंग से जेल में रखा जाएगा।
- आदतन अपराधियों को अन्य गैर आदतन अपराधियों से अलग रखा जाएगा।
- विचाराधीन कैदियों को सिद्ध कैदियों से अलग रखा जाएगा।
- सिद्ध दोष कैदी अथवा अनैतिक दुर्व्यवहार अधिनियम के तहत गिरफ्तार महिलाओं या अन्य यौन अथवा घोर अनैतिक आचरण से जुड़े अपराधों में गिरफ्तार महिलाओं को अन्य सभी प्रकार की महिला कैदियों से अलग रखा जाएगा। उदाहरण के तौर पर

जेबकतरी या दुकानों से सामान चुराना घोर अनैतिक आचरण माना जाएगा।

- किसी पुरुष अधिकारी या वार्डन को महिला वार्ड में आने की अनुमति नहीं होगी बशर्ते कि अपने वरिष्ठ के किसी आदेश अथवा अपनी ड्यूटी निष्पादन के सिवाय वहां नहीं जाएगा। ऐसे मामले में अधिकारी या वार्डन के साथ मैटर्न या महिला वार्डन साथ रहेगी जब तक वार्ड में ड्यूटी पर रहेगा। किसी आपात स्थिति में यदि रात के समय किसी पुरुष अधिकारी या वार्डन को महिला वार्ड में जाना ही पड़े तो गेट रजिस्टर में वह अपने आने का कारण, समय व बाहर जाने का समय प्रविष्ट करेगा और उसके साथ मैटर्न या महिला वार्डन होगी।
- किसी महिला कैदी को महिला वार्ड में अकेला नहीं रखा जाएगा। यदि कोई अन्य महिला कैदी न हो तो पर्यवेक्षक किसी महिला वार्डन को उसके साथ रहने और रात को वहीं सोने के लिए प्रतिनियुक्त करेगा। यदि किसी उप सुधार गृह में कोई महिला वार्डन न हो तो पैनल में से महिला वार्डन को बुलाया जाएगा।
- किसी विजिटर के साथ आए पुरुष वार्डन को महिला वार्ड से बाहर ही रुकना होगा।
- महिला कैदी के फुट प्रिंट, उंगली इम्प्रेशन, फोटोग्राफ या अन्य माप किसी दूसरे अधिकारी या मैटर्न अथवा महिला वार्डन के सामने ही लिए जाएंगे।
- जब कोई महिला कैदी किसी कोठरी में होगी तो उस कोठरी की चाबी महिला वार्डन के पास रहेगी जो इतनी दूरी पर हो जहां से वह महिला कैदी की आवाज को सुन सके। दिन व रात के लिए दो अलग-अलग महिला वार्डन ड्यूटी पर होंगी।
- महिला कैदियों को उसी प्रकार के श्रम पर लगाया जाएगा जिसकी वे अभ्यस्त हों। 6 माह से अधिक अवधि के लिए कैद महिलाओं को जीविकोपार्जन की गतिविधियों में प्रशिक्षित किया जाएगा जैसे— सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, बाल देखभाल आदि। उनके लिए महिला प्रशिक्षक प्रतिनियुक्त की जाएगी।

- यदि किसी विचाराधीन अथवा सिद्ध दोष कैदी के साथ पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चे हों तो उन्हें उसके साथ रहने की अनुमति होती है यदि उसको कोई नातेदार नहीं रखता हो।
- पर्यवेक्षक की यह जिम्मेवारी होगी कि वे बच्चे की सुनिश्चित देखभाल व पोषण की व्यवस्था करे। बच्चे के पांच वर्ष का होने के बाद यदि उसके पति या परिवार के पास नहीं भेजा जा सकता तो उसे किसी बालगृह में रखने की व्यवस्था की जाएगी।
- यदि कोई बच्चा जेल में पैदा होता है तो जच्चा व बच्चा की देखभाल सुनिश्चित की जाएगी और रीति-रिवाजों के अनुरूप उसका नामकरण संस्कार आदि किया जाएगा।

प्रथम श्रेणी कैदी

- प्रथम श्रेणी कैदियों को कोठरी में रखा जाएगा। जहां एक कुर्सी, मेज, रोशनी, एक बेड व गद्दा, तकिया, कंबल, मच्छरदानी, शीशा, कंघा और अन्य निर्धारित मदें उपलब्ध कराई जाएंगी।
- प्रथम श्रेणी कैदी यदि छात्र या कोई अन्य परीक्षा या पढ़ने की आदत रखता है तो उसको टेबल लैंप भी दिया जाएगा।
- प्रत्येक वार्ड में बिजली के पंखे निर्धारित अवधि व समय के लिए उपलब्ध होंगे।
- उसे टूथ ब्रश, टूथ पेस्ट, टायलट सोप, नारियल तेल, कुकिंग के लिए बर्तन उपलब्ध करवाए जाएंगे।
- एकांतर दिवसों शेविंग के लिए व महीने में बाल काटने के लिए एक बार नाई की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।
- लेखन सामग्री, समाचार-पत्र व पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएंगी।
- प्रथम श्रेणी कैदियों को घर से लाया खाना खाने की अनुमति होगी। यदि एक साथ 9 प्रथम श्रेणी कैदी हों तो उनके लिए अलग किचन की व्यवस्था होगी।

कैदियों के अधिकार

- प्रत्येक कैदी को विधिक सहायता का अधिकार होगा।

- प्रत्येक कैदी को विधि द्वारा अप्राधिकृत किसी तरीके से उसको प्रताड़ित करने के विरोध में अपना बचाव करने, अस्वस्थकर स्थितियों में रखने से बचाव, सुनिश्चित चिकित्सा सहायता और उपचार, अनुचित भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा, किसी सजा के विरुद्ध आवाज उठाने, कैदियों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी, अपने धार्मिक विश्वासों को इस प्रकार निभाने जिससे दूसरे लोगों को उससे असुविधा न हो, विधि द्वारा अप्राधिकृत श्रम के विरुद्ध बचाव, नियमानुसार अपने नातेदारों और मित्रों से संपर्क करने की अनुमति, संविधान में दिए गए मूलाधिकारों का प्रयोग।

प्रोबेशन और पुनर्वास सेवाएं

कैदियों को रिहाई के बाद समाज में अच्छे नागरिक के रूप में जीवन यापन करने के लिए राज्य सरकार की ओर से उन्हें वित्तीय व अन्य पुनर्वास सहायता दी जाती है।

ओपन जेल

- कैदियों को अधिक स्वतंत्रता देने के उद्देश्य से और रिहाई के बाद समाज में समुदाय जीवन को अपना सकें, इसके लिए सदाचार वाले कैदियों को ओपन जेलों में रखा जाता है।
- ओपन जेल को सामान्यतया ए. बी. और सी. प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है।
- ए. और बी. प्रकार के ओपन जेल में रात्रि 8 बजे लाक-अप हो जाता है।
- ओपन जेल में बंद कैदियों को जेल अवधि से निर्धारित छूट भी प्राप्त होती है।
- ओपन जेल में रहने वाले कैदियों को स्थानीय मेलों या अन्य स्थानों पर जाने, उनके द्वारा बनाए गए सामान को बेचने की अनुमति होती है।
- ओपन जेल में भी लाइब्रेरी व पुस्तकों को अपने नाम जारी करवाने, वहां बैठकर पढ़ने की सुविधा होती है।

- ओपल जेल में रेडियो की व्यवस्था होती है।

कैदी पंचायत

- प्रत्येक जेल में कैदियों की पंचायत बनाई जाती है।
- पंचायत का उद्देश्य कैदियों व प्राशसनिक प्राधिकारियों को परस्पर सहयोग करने व अनुशासन बनाए रखने, कैदियों के भोजन की देखभाल, नाश्ता, दोपहर के भोजन के लिए सुझाव देने, सांस्कृतिक व मनोरंजक गतिविधियों में परस्पर सहयोग देना, जेल में सेनेटरी व स्वच्छता बनाए रखने के प्रयास करना और ऐसे ही अच्छे कार्य करना जो पंचायत निर्धारित करेगी।
- महिला कैदियों की पंचायत अलग होगी।
- पर्यवेक्षक किसी एक कैदी को प्रतिनिधि नामित कर सकता है जो पंचायत व प्रशासन के बीच संपर्क बनाए रखेगा। पंचायत के कर्तव्य व कार्य, उसकी अवधि आदि निर्धारित की जाएगी।

प्रोबेशन अधिकारी के काम

- प्रोबेशनर के घर जाकर समय-समय पर उससे मिलना और कभी-कभी उसे अपने घर आमंत्रित करना।
- प्रोबेशनर को सलाह मशविरा देना और उसके व्यवहार को उचित दिशा प्रदान करना।
- प्रोबेशन से मित्रवत् व सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना।
- अदालत को समय-समय पर उसके व्यवहार की सूचना देते रहना।
- प्रोबेशनर को काम धंधा दिलाने में मदद करना।
- प्रोबेशन व्यवस्था अपराधी को सुधारने का मौका देती है।

सुप्रीम कोर्ट समय समय पर कैदियों के जीवन में सुधार लाने के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय देता है परंतु यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि कोई भी स्वतंत्र मशीनरी नहीं है जो यह जांच करे कि ये मार्गदर्शन जेलों में कार्यान्वियन हो रहे हैं या नहीं। महिला व बाल कल्याण के लिए कई कानूनों के बावजूद कहीं भी पता चल ही नहीं पाता कि इन कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन से उनके जीवन स्तर में कोई सुधार हो रहा है अथवा नहीं।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे प्रयास

पूरे विश्व में महिलाओं द्वारा किए गए अपराधों का प्रतिशत कुल 20% से अधिक नहीं है। 90 देशों में यह प्रतिशत 5% से कम है और 10% से अधिक प्रतिशत केवल 6 ही देशों का है। यदि इस प्रतिशत का पुनः विश्लेषण किया जाए तो अधिकांश पुरुष के आक्रोश से बचने के लिए अपराध की ओर प्रवृत्त हुई होंगी या फिर मजबूरी से किसी अपराधी पुरुष की संगिनी होंगी। हिंसक अपराध करने वाली महिलाओं की संख्या नगण्य ही होगी। वस्तुतः अपराध की दुनिया में पुरुषों का ही वर्चस्व है।

थायलैंड (20.3%), बोलविया (15.7%), सिंगापुर (10.4%), अर्जेंटिना (9.5%), मलेशिया (8.5), यूनाइटिड स्टेट (8.5%), नेपाल (7.1%), हंगरी (6%), रूस (5.8%), जापान (5.7%), न्यूजीलैंड (4.6%), चीन (4.4%), श्रीलंका (3.5%), भारत (3%), लिबिया (2.9%)।

रोम के कानून में महिलाओं को स्वतंत्रता न थी। यदि वे अपराध करती थीं तो मजिस्ट्रेट से सजा मिलती थी। दंड परिवार के पुरुष सदस्यों को भुगतना पड़ता था। उन्हें कोर्ट में शपथ लेने की भी अनुमति न थी। उसके स्थान पर ईश्वरीय न्याय का सहारा लिया जाता था। कई बार बेगुनाह होने पर भी दारूण दंड भुगतना पड़ता था।

दुनिया के कई भागों में उसे डायन कह कर पानी में डूबोने या जिंदा दफनाने जैसी सजाएं मिलती रही हैं।

यूरोप के आंकड़े दर्शाते हैं कि केवल 5 से 10% महिलाएं ही बंदी बनाई गईं।

महिलाओं के द्वारा किए गए अपराध की दर के कम होने के साथ-साथ उसकी गंभीरता पुरुषों की तुलना में कम होती है।

महिलाओं द्वारा सामान्यतया चोरी, सेंधमारी जैसे अपराध ही किए जाते हैं। हत्या के अपराध में कम ही महिलाओं को सजा होती है। ड्रग्स की तस्करी के अपराध में पकड़ी जाने वाली महिलाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है

अपराध की दुनिया में महिलाओं का इतिवृत यह बताता है कि वे शारीरिक, भावनात्मक अथवा यौन शोषण का शिकार हुई होती हैं।

विभिन्न देशों के आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि गत कुछ दशकों में भ्रूण

हत्या और चोरी के लिए महिला अपराधियों के प्रतिशत में वृद्धि हो रही हैं।

यू.के. में जेलों में कैद 80% महिलाओं को मानसिक समस्याएं थीं। उनमें 66% को न्यक्रूरेटिक डिस्आर्डर था। आस्ट्रिया में घरेलू हिंसा के मामलों में 7.7% अपराधी महिलाएं थीं।

इग्लैंड में महिलाओं की 14 जेल हैं। महिला कैदियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। महिलाएं भी उन सभी अपराधों में शामिल हैं जो पुरुषों द्वारा किए जाते हैं। महिला अपराधियों की विशेषताओं में उनका गरीब घरों से होना, एकल परिवार में परिवार की मुखिया, परिवार से दूर, मानसिक बीमारी व शोषण का शिकार होना शामिल हैं।

जेल में रहते हुए वे अपने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं। जेल से रिहा होने के बाद पुरुषों को जहां रोजगार मिलने की प्राथमिकता होती है तो महिलाओं को सिर छुपाने के लिए छत की दरकार होती है। विदेशों में भी जेलों में महिलाओं के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखने की व्यवस्था है। गर्भवती कैदियों के स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखा जाता है। मां व शिशुओं को रखने के लिए अलग-अलग यूनिट की भी व्यवस्था है, जहां 9 महीने तक के शिशुओं को साथ रखा जा सकता है। 'एस.खम ग्रेज ओपन प्रिजन' में मां व शिशु यूनिट भी है। बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए केस के मेंरिट के आधार पर वहां प्रवेश दिया जाता है। बच्चों को मां से मिलने की अनुमति अन्य विजिटरों की तरह दी जाती है। बच्चों को मिलवाने लाने वाले व्यक्ति को खर्च की प्रतिपूर्ति की जाती है।

संयुक्त राष्ट्र के प्रयास

यू.एन. की ह्यूमन राइट्स एंड रिफ्यूजीस पब्लिकेशन रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि विश्व भर में जेलों में बंद महिलाओं को बलात्कार, यौन उत्पीड़न और प्रताड़ना की जोखिम बनी रहता है।

यूनाइटिड नेशंस, ह्यूमन राइट्स सिस्टम के द्वारा जेलों में महिला कैदियों और उनके बच्चों के लिए किए गए प्रयासों में उनके द्वारा किए गए। अध्ययनों में इनकी समस्याओं पर विस्तार से विचार किया गया।

भले ही पुरुषों की तुलना में महिला कैदियों की संख्या कम होती है,

पर उनकी संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। उनकी जरूरतें, उनके अधिकारों को नजरअंदाज किया जाता रहा है। महिला कैदियों पर कैद का प्रभाव पुरुषों की अपेक्षा भिन्न होता है। कैद में उनको मिलने वाला स्थान, कैद में जेल स्टाफ का रवैया, परिवार से संपर्क न हो पाना, शिक्षा व काम का अभाव, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, मानसिक, शारीरिक अथवा यौन हिंसा का शिकार, महिलाओं की अधिक संख्या, मां के जेल में होने के कारण बच्चों पर कुप्रभाव जैसी कुछ ऐसी समस्याएं हैं, जिनको जेल प्राधिकारी नजरअंदाज करते हैं।

महिला कैदियों के बच्चों पर किए गए अध्ययनों में यह रेखांकित करने के प्रयास किए गए कि मां की सजा से बच्चों के अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, बच्चे के विकास पर पड़ने वाला प्रभाव और उसे क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, मां और बच्चे के अलगाव से किस प्रकार निपटा जा सकता है। मां और बच्चे के विकास को ध्यान में रखकर महिला की सजा के क्या विकल्प हो सकते हैं।

महिला कैदियों के मानवाधिकारों में स्वास्थ्य का अधिकार के तहत स्वच्छता और ऐसी कोई प्रताड़ना जिससे उसका गर्भपात हो जाए को उसके अधिकार का हनन माना गया है।

उनके मूलाधिकारों में परिवार से मिलने को भी शामिल किया गए है, क्योंकि परिवार से संपर्क न होने देना एक कैदी के अधिकारों के साथ-साथ उसके बच्चों के अधिकार का भी हनन है।

'स्पेशल रिपोर्टर आन वायलेंस अगेंस्ट वीमेन' ने महिलाओं के आवास के अधिकार को जेल से रिहा होने के बाद उनकी सुरक्षा की दृष्टि से जोड़ते हुए यह सिफारिश की कि जेल से रिहा होने के बाद सरकार को उनके लिए व उनके बच्चों के लिए ट्रांसिट होम बनाने पर विचार करना चाहिए।

'वर्किंग ग्रुप आन आर्बीट्रेरी डिटेंशन' ने अपनी रिपोर्ट में पूरे विश्व में विचाराधीन कैदियों की वजह से जेलों में बेइंतहा भीड़ के प्रति चिंता व्यक्त की।

वर्ष 2005 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सात मानवाधिकार समझौता निकायों में से छः ने महिला कैदियों और उनके बच्चों के अधिकारों के विषय पर अपनी चिंता व्यक्त की व विचार किया।

संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख सात समझौता निकाय निम्नलिखित हैः

- इंटरनेशनल कन्वेंशन आन द एलिमिनेशन आफ आल फार्म्स आफ रेशियल डिस्क्रिमीनेशन।
- इंटरनेशनल कोवोनेंट आन सिविल एंड पोलीटिकल राइट्स।
- इंटरनेशनल कोवोनेंट आन इकोनामिक, सोशल एंड कल्चर राइट्स।
- कोन्वेंशन आन द एलीमिनेशन आफ आल फार्म्स आफ डिसिमिनेशंस अगेंस्ट वीमेन।
- कोनवेंशन अगेंस्ट टार्चर एंड द क्रूअल, इनह्यूमन आर डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट आफ पनिशमेंट।
- कोनवेंशन आन द प्रोटेक्शन आफ आल द राइट्स आफ आल माइग्रेंट वर्कर्स एंड मेंम्बर्स आफ देयर फैमिलीज।

ये सातों कमेंटियां मानव अधिकार समझौता निकाय कहलाते हैं।

इन कमेंटियों ने अपनी रिपार्ट में महिला कैदियों की स्थिति के प्रति चिंता व्यक्त की है।

'इंटरनेशनल कोवानेंट आन सिविल एंड पोलीटिकल राइट्स' की रिपोर्ट में मानवाधिकार कमेटी ने यू.एन. मानक न्यूनतम नियमों के नियम 53(3) की पुनः पुष्टि करने की सिफारिश की। यह नियम कैदियों के उपचार से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि महिलाओं का पर्यवेक्षण महिलाओं द्वारा किया जाए।

कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की कि कंवेंशन के अनुच्छेद 27 के अनुसार सरकार द्वारा जेलों में रह रहे बच्चों के विकास की दृष्टि से वहां रहने की स्थितियों को बेहतर बनाया जाए।

कमेटी ने यह भी सिफारिश की कि जो बच्चे मां के जेल में रहने के कारण मां से अलग रह रहे हैं, उनकी शारीरिक व मानसिक आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के लिए नियमित समीक्षा की जानी चाहिए। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे का मां के साथ नियमित व सीधा संपर्क भी होता रहे।

क्यूवेर निकायों की रिपोर्ट के आधार पर संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार निकाय ने निम्नलिखित सिफारिशें कीं :

सामान्य

सरकार यह सुनिश्चित करे कि महिला कैदियों की हिंसा और यौन उत्पीड़न से पर्याप्त सुरक्षा हो, इसके लिए उन्हें विशेष रूप से पुरुष अधिकारी स्टाफ का निषेध और जेल सुविधाओं की अलग व्यवस्था की करनी चाहिए।

सरकार इन कमेटियों की सिफारिशों को अपनाए इसके लिए—

- विचाराधीन कैदियों को बंदी रखने की स्थिति की समीक्षा करें।
- जेल की नीतियां व व्यवहार में जेल का स्टाफ इस प्रकार हो कि महिला कैदियों का पर्यवेक्षण महिला गार्डों के द्वारा ही हो।
- महिला और पुरुष कैदी अलग-अलग बंद हों।
- महिला कैदियों की शारीरिक व यौन हिंसा की घटनाओं की शिकायतों को दूर करने की व्यवस्था हो।
- महिलाओं को बंदी बनाने या जेल भेजने का निर्णय करते समय बच्चे के हित को ध्यान में रखा जाए। साथ ही महिलाओं द्वारा किए गए गैर हिंसक अपराधों के लिए सजा के रूप में जेल में रखने पर होने वाले व्यय को ध्यान में रखते हुए उनके लिए वैकल्पिक सजा की व्यवस्था पर विचार किया जाए। गैर हिंसक महिला अपराधियों के लिए गैर हवालात सजा दी जा सकती है।
- यह सुनिश्चित किया जाए कि जेल में रह रहे बच्चों के प्रति कोई हिंसा न हो और उन्हें अपने अधिकार प्राप्त हों।
- यह भी सुनिश्चित हो कि अभिभावकों के जेल में होने के कारण अभिभावकों की देखभाल से वंचित बच्चों को उनके अधिकार प्राप्त हों और वे जेल में अपने अभिभावकों से मिलते रह सकें।
- महिलाओं को सजा देने के मामलों में कमी लाने के लिए किए गए उपायों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएं।

जेल और विचाराधीन कैद के स्थान पर गैर हवालात विकल्प

सरकार शिशुओं और आश्रित बच्चों की माताओं के लिए विचाराधीन कैद के विकल्पों पर विचार करे जिसमें यह स्पष्ट किया जाए

कि किस प्रकार, कब और किसके द्वारा ऐसे बच्चों की परवरिश होगी, इसका पता लगाया जाए और तभी यह तय किया जाए कि विचाराधीन बंदी बनाना जरूरी है अथवा नहीं।

सरकार शिशुओं व आश्रित बच्चों (पिता के लिए भी ऐसे मामलों में जहां पिता ही बच्चों का अकेला या मुख्य पालक हो) की माताओं के लिए वैकल्पिक सजा की व्यवस्था पर विचार करे।

सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे कि महिलाओं द्वारा किए गए गैर हिंसक अपराधों के लिए सजा के बतौर हवालात में बंद करने से बढ़ने वाली सामाजिक लागतों को ध्यान में रखा जाए क्योंकि महिलाओं के कैद में होने से उनके परिवार पर पड़ने वाले प्रभाव के गंभीर परिणाम हो सकते हैं और अपराधों को रोकने में अच्छे पारिवारिक संबंधों का बड़ा महत्त्व होता है। इसलिए गैर हिंसक महिला अपराधियों के लिए गैर हवालात विकल्पों पर विचार किया जाए।

सरकार को जेलों में सजा प्राप्त व विचाराधीन महिला कैदियों में कितनी महिलाएं व लड़कियां हैं, के संबंध में अलग-अलग विवरण तैयार करने होंगे और इस संबंध में जानकारी संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार समझौता निकायों को भेजने होंगे। सरकार जेलों में विचाराधीन अथवा सजा प्राप्त सभी कैदियों के शिशुओं व आश्रित बच्चों की उम्रवार व लिंगवार जानकारी व्यवस्थित ढंग से तैयार करेंगे और इस जानकारी में जेलों में बंद विदेशी नागरिकों अथवा जो अपने सामान्यतः देश से बाहर हवालात में हैं, भी शामिल हों।

सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महिला कैदियों को हिंसा व यौन उत्पीड़न से सुरक्षित रखा जाए, विशेष रूप से पुरुष स्टाफ से। सरकार महिलाओं व लड़कियों को हिंसा से बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय करे :

- अन्य कैदियों अथवा जेल स्टाफ के द्वारा महिलाओं के प्रति किए गए किसी प्रकार के शारीरिक, यौन अथवा मनोवैज्ञानिक हिंसा की जांच करें व इसे रोकने के लिए नीतियां व प्रक्रियाएं तैयार कर उन्हें लागू करे व दोषियों को सजा दें।
- अन्य कैदियों अथवा जेल स्टाफ द्वारा की गई हिंसा की जानकारी देने

के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का प्रसार करे।

- जेल स्टाफ को प्रशिक्षित करे ताकि उन्हें महिला कैदियों के प्रति हिंसा करने वाले अन्य कैदियों अथवा जेल स्टाफ को दंडित करने की नीतियों व प्रक्रियाओं की जानकारी हो और इस प्रकार की हिंसा को रोका जा सके।
- कैदियों के उपचार के लिए संयुक्त राष्ट्र के मानव न्यूनतम नियमों के नियम 8(ए) के अनुसार महिला व पुरुष कैदियों को अलग-अलग रखा जाए।
- कैदियों के उपचार के लिए संयुक्त राष्ट्र के मानक न्यूनतम नियमों के नियम 53 के अनुसार महिला व लड़की कैदियों का पर्यवेक्षण केवल महिला गार्डों के द्वारा किया जाए।
- कैदियों के उपचार के लिए संयुक्त राष्ट्र के मानक न्यूनतम नियमों के नियम 8(डी) के अनुसार किशोर कैदियों को वयस्क कैदियों से अलग रखा जाए।
- सरकार अपने नियमों की समीक्षा करे ताकि बंदी अथवा सजा प्राप्त माताओं के शिशुओं व बच्चों के अधिकारों की रक्षा हो सके।
- सरकार यू. एन. ह्यूमन राइट्स ट्रीटी बाडीज को महिला कैदियों के बच्चों के संबंध में अपनी नीति व व्यवहारों की जानकारी देती रहे जिसमें यह जानकारी शामिल हो कि गिरफ्तारी के समय बच्चों की पहचान किस प्रकार की गई थी अथवा उनको प्रभावित करने वाले नियमों की जानकारी उन्हें देने के क्या प्रावधान हैं और ऐसी परिस्थितियों में उनके सभी अधिकार किस प्रकार सुरक्षित रखे गए।
- सरकार यह सुनिश्चित करे कि बंदी महिला के बच्चे, जो मां के साथ जेल में आएं और जो जेल के बाहर रहेंगें, उनकी पर्याप्त देखभाल के प्रयास किए गए हैं। जहां बच्चे जेल में (अथवा विचाराधीन बंदी) मां के साथ हों, उन्हें विशेष सुविधाएं देने के पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं जिससे उनके जीवित रहने, संरक्षण, विकास व सहभागिता के अधिकार प्राप्त हो सकें। जहां बच्चों को मां के साथ रहने की अनुमति न हो, वहां बच्चों को मां से संपर्क रखने की व्यवस्था व अलगाव के सदमें से उभरने में सहयोग किया

जाता है। जिन देशों में अपराधियों को सजा के बाद सीधे जेल में ले जाया जाता हो, वहां वे अपने बच्चों की सुरक्षा का कोई बंदोबस्त नहीं कर पाती हैं, वहां उन्हें अपने बच्चों के लिए सुनिश्चित व्यवस्था करने का समय दिया जाए।

- सरकार को जेलों में माताओं के साथ रह रहे बच्चों के लिए विशेष नीतियां व कार्यक्रम बनाने चाहिए ताकि वे कन्वेंशन आन द राइट्स आफ द चाइल्ड में वर्णित अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का कार्यान्वयन कर सकें।
- सरकार अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुरूप जेलों में बंद लड़कियों के लिए विशेष नीति व कार्यक्रम बना कर कार्यान्वयन करें।
- सरकार को महिला व लड़की कैदियों, जो पहले हिंसा का शिकार हो चुकी हैं, के लिए यह सुनिश्चित करना चाहिए -
- कि उन्हें उपयुक्त योग्य कार्मिकों से सहयोग मिलें
- जेल स्टाफ को इस संबंध में जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण दिए जाएं ताकि वे ऐसे कैदियों की मदद कर सकें।
- उनसे मिलने के लिए आए व्यक्तियों को इस संबंध में पूरी तरह अवगत कराया जाए।
- सरकार यह सुनिश्चित करे कि हिंसा का शिकार महिलाओं व लड़कियों को व जिन्हें हिंसा का खतरा है, उनकी स्वतंत्रता न छीनी जाए परंतु उन्हें सुरक्षा दी जाए ताकि वे पुनः हिंसा का शिकार न हो सके।

वर्ष 2004 से ही महिला कैदियों और अपराधियों की आवश्यकताओं को रेखांकित किया जाता रहा है। महिला अपराधियों के अपराध का पैटर्न, उनकी सामाजिक, आर्थिक स्थितियां और पारिवारिक रिश्ते पुरुषों से भिन्न होते हैं। जेल के विनियमों में उसकी स्थितियों की उपेक्षा ही की जाती है। दिसंबर 2010 में संयुक्त राष्ट्र जनरल असंबली ने महिला कैदियों के उपचार और महिला अपराधियों के लिए गैर हवालात उपायों पर नए नियम बनाए जो 'बैंकाक रूल्स' के नाम से विख्यात हुए क्योंकि थाई सरकार ने ये नियम बनाने में अग्रणी भूमिका अपनाई

महिला कैदियों के शिशु और बच्चे जो जेल में उनके साथ हों (पिता को बच्चों को अपने साथ रखने की अनुमति कम ही मिलती है) और जो मां अथवा पिता (या दोनों) के जेल में होने के कारण पीछे घर में छूट जाते हैं, के अधिकारों के प्रति ध्यान दिया गया।

कैदियों के बच्चों पर कोई व्यवस्थित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं पर यह माना जाता है कि विश्व भर में एक करोड़ बच्चे हो सकते हैं। अक्टूबर 2010 में यू.एन. कमेटी आन राइट्स आफ चाइल्ड ने वर्ष 2011 को 'डे आफ जनरल डिस्कान' (डीजीडी) से कैदियों के बच्चे को समर्पित करने का निर्णय लिया। यह कदम इन बच्चों की समस्याओं और उनके निदान की दिशा में सार्थक कदम है।

वर्ष 2010 में क्यू.यू.एन.ओ. ने 'कैदियों के बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के उपाय और प्रशमन' अनुसंधान प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। इस अनुसंधान में जर्मनी, रोमानिया, स्वीडन, फ्रांस और यू.के. शामिल होंगे। इस अध्ययन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर अभिभावकों के जेल में होने के प्रभावों का आकलन किया जाएगा।

बैंकाक रूल्स में महिला अपराधियों/कैदियों की कुछ विशिष्ट समस्याओं को रेखांकित किया गया।

- महिलाओं की जेलों में अधिक भीड़ विशेषकर छोटे अपराधों के लिए भी अनिवार्य जेल सजा।
- महिला कैदियों का उनके बच्चों पर, यदि वे साथ रहें और अलग रहें, दोनों ही स्थितियों में कुप्रभाव।
- अपर्याप्त आवास और स्वच्छता सुविधाएं।
- सुनिश्चित स्टाफ का अभाव।
- महिला स्टाफ की कमी और महिला कैदियों के साथ काम करने का अपर्याप्त ज्ञान।
- शिक्षा व कार्यक्रमों का अभाव।
- अधिकांश महिला कैदियों का मानसिक, शारीरिक व यौन शोषण का रिकार्ड क्यू.यू.एन.ओ. के द्वारा।
- पूरे विश्व भर में महिला कैदियों को समझने के लिए यू.एन. के

सदस्य राष्ट्रों को प्रश्नावली भेजकर प्राथमिक अनुसंधान किए गए।

- मानवाधिकारों पर कई रिपोर्ट प्रकाशित की गई
- महिला कैदियों के साथ काम करने वाले संगठनों, संस्थाओं से संपर्क किए गए।

अंतराष्ट्रीय स्तर पर भी महिला कैदियों की समस्याएं देश, काल व स्थान का भले ही अंतर हों पर समस्याएं एक जैसी हैं, क्योंकि महिला भले ही किसी देश की हो, वह परिवार की धुरी है और बच्चों का विकास उसकी उपस्थिति से जुड़ा रहता है।

साउथ आस्ट्रेलिया सरकार

सुधारात्मक सेवा विभाग की वेबसाइट पर उल्लिखित यह पंक्तियां कि *अपराधी को अपराध करने से रोकने के अवसर उपलब्ध करवा कर ही समाज की सुरक्षा में योगदान दिया जा सकता है।* वस्तुतः अपराधों को रोक कर समाज सुरक्षित रखा जा सकता है।

सुधारात्मक सेवा विभाग का मिशन, अपराधी के पुनर्वास से ही पीड़ित के अधिकार को सुरक्षित रखा जा सकता है। उन्हें कानून का पालन करने वाला व्यक्ति बनाने के लिए समुदाय आधारित सजा या कैद में रखा जाता है। कैद में रखे प्रत्येक व्यक्ति को समाज में वापिस भेजा जाएगा और उन्हें पर्यवेक्षण में रखा जाए ताकि वे दुबारा जेल में कभी न आए। अपराध चक्रे को तोड़ने के लिए उन्हें अर्थपूर्ण व लक्षित अवसर उपलब्ध करवाए जाते हैं। किसी अपराधी के पुनर्वास के लिए तीन प्रमुख कारक होते हैं जिनका समाधान जरूरी है— रोजगार, परिवार का समर्थन व आवास।

साउथ आस्ट्रेलिया सरकार का यह दृष्टिकोण वस्तुतः पूरे विश्व के लिए अनुकरणीय है, क्योंकि रोजी-रोटी व मकान की समस्याएं ही अधिकांश अपराधों के मूल में होती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर जेल व्यवस्था

इंग्लैंड और वेल्स में कैदियों को सजा सुनाते समय ही उनकी श्रेणी निर्धारित कर दी जाती है जो निम्नानुसार हैः

श्रेणी ए. जिन कैदियों के भाग जाने से जनता व राष्ट्र की सुरक्षा

का खतरा हो।

श्रेणी बी. जिन्हें अधिकतम सुरक्षा की भले आवश्यकता न हो, पर उन्हें भागने का अवसर नहीं दिया जा सकता।

श्रेणी सी. जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता पर वे भागने की कोशिश नहीं करते।

श्रेणी डी. जिन पर विश्वास किया जा सकता है और उन्हें ओपन जेल में रखा जा सकता है। डी श्रेणी में रखे जा सकने वाले कैदियों को समुदाय में जाकर काम करने के लिए रिलीज आन टेंपरेरी लाइसेंस (आर.ओ.एल.टी.) दिया जाता है अथवा घर जाने की छुट्टी मिलती है व सजा के एक तिहाई पूरा होने पर उन्हें फुल लाइसेंस अर्लेजीबिल्टी डेट्स (एफ.एल.ई.डी.) पूरी करने की शर्त पर मिलती है।

ब्रिटिश जेल तंत्र को 'ओपन' व 'बंद' वर्गों में भी विभाजित किया गया है। उपर्युक्त 'ए' से 'सी' वर्ग के कैदी 'बंद' वर्ग के तहत और 'डी' वर्ग के 'ओपन' वर्ग में रखे जाते हैं। इंग्लैंड और वेल्स में 19 जेलें हैं जहां महिला कैदियों को रखा जाता है। लो-न्यूटन, ईस्टवुड पार्क, बुलवुड पार्क, आस्कहम ग्रेंज (ओपन जेल), मार्टन हाल और ड्रेक हाल अर्ध ओपन जेल है। युवा अपराधियों के लिए अलग जेलों की व्यवस्था है। इग्लैंड में जेलों में कैदी अपनी कोठरी में बैटरी संचालित रेडियो, कैसेट या सीडी प्लेअर, 6 समाचार-पत्र और तीन पुस्तकें, डायरी, कैलेंडर, फोटाग्राफ व पिक्चर (शीशे के फ्रेम में नहीं), अपनी रुचि को पूरा करने वाला सामान, लिखने के लिए स्टेशनरी आदि रख सकते हैं।

यूनाइटेड स्टेट्स

सुपर मेक्स : इस श्रेणी में अत्यधिक सुरक्षा के तहत रखे जाने वाले खूंखार कैदियों व आतंकवादियों को रखा जाता है जिनसे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होता है। इन्हें 23 घंटे के लिए 'लाक डाउन' में रखा जाता है। इनको खाना भी 'चक होल्स' के माध्यम से कोठरी में भेजा जाता है। सिर्फ एक घंटे के लिए व्यायाम के लिए बाहर निकाला जाता है। उन्हें दूसरे कैदियों से संपर्क करने का अवसर नहीं दिया जाता। 'क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन' कैमरों से निरंतर निगरानी रखी जाती है।

एडमिनिस्ट्रेटिव : एडमिनिस्ट्रेटिव सुरक्षा उन कैदियों का वर्गीकरण है जहां कुछ खास वजहों से मानसिक रोग से ग्रस्त अपराधियों को रखा जाता है।

मेक्सिमम : जो कैदी दूसरे कैदियों या जेल स्टाफ की सुरक्षा के लिए खतरा हों या जिनके भाग जाने का अंदेशा हो, उन्हें अत्यधिक सुरक्षा में रखा जाता है।

'हाई' : हिंसक अपराधों के लिए उच्च सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है।

इसके बाद 'मीडियम' स्तर होता है, जिनके भागने की कमोबेश संभावनाएं हों या दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हों। 'क्लोज सेक्युरिटी' में अत्यधिक खूंखार कैदियों को रखा जाता है। अधिकांशतः कैदी 'लो न्यून' अभिरक्षा श्रेणी के तहत ही आते हैं जो अपने व्यवहार से सुरक्षा को कोई खतरा प्रस्तुत नहीं करते।

व्हाइट कालर अपराधियों, जिन्हें कम से कम सुरक्षा स्तर की जरूरत होती है, उन्हें 'मिनिमम' श्रेणी के तहत रखा जाता है। एक अन्य वर्ग 'प्रि रिलीज' भी है जिसमें कैदी को अपने समझदार व्यवहार के कारण पर्यवेक्षण की कम ही जरूरत होती है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि विश्व स्तर पर जो श्रेणियां निर्धारित हैं, वही अपने देश में भी लागू हैं।

एक अनुमान के मुताबिक विश्व भर में 9-25 मिलियन लोग जेलों में बंद हैं। यह आंकड़ा अधिक भी हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक देश के आंकड़े उपलब्ध नहीं होते हैं और न ही यथार्थ आंकड़े मिल पाते हैं। एक अनुमान के अनुसार यूनाइटेड स्टेट्स में सर्वाधिक कैदी आबादी है। *पुलिट्जर पुरस्कार से संमानित लेखक, जोसफ ट हलीनन ने अपने भी पुस्तक 'गोइंग अप द रिवर : ट्रैवल इन ए प्रिज्न नेशन' में लिखा भी है कि जेल अनुभव वहां इस कद्र सामान्य हैं कि प्रत्येक ग्यारह में से एक व्यक्ति अपने जीवन में एक बार जेल अवश्य जाता है।* मार्च 2007 के आंकड़ों के अनुसार यूनाइटेड किंग्डम में 80,000 लोग जेलों में बंद थे। प्रति 1,00,000 की आबादी में यूनाइटेड स्टेट्स में 756, रूस में 611, न्यूजीलैंड में 186, यूनाइटेड किंग्डम में 148, नीदरलैंड में128, आस्ट्रेलिया में 124.5, कनाडा

में 107, इटली में 104, साउथ कोरिया में 104, स्वीडन में 82, जापान में 62 और भारत में 22 व्यक्ति जेलों में बंद हैं। न्यूजीलैंड में 19 जेलें हैं। सुधार विभाग का वार्षिक बजट $748 मिलियन है तो फ्रेंच मिनिस्ट्री आफ जस्टिस सिस्टम में 194 जेलें हैं। 1 जनवरी, 2009 के आकड़ों के अनुसार फ्रांस की जेलों में 58,000 व्यक्ति बंदी थे। यूरोप की जेलों में सबसे अधिक सुविधाएं उपलब्ध हैं।

जर्मनी की 194 जेलों में 19 ओपन जेल भी हैं। आयरलैंड के 14 जेलों में भी उनकी क्षमता से अधिक कैदी बंद हैं। पोलैंड की जेलों में भी 119% कैदी बंद हैं। देश कोई भी हो, सभी जगह क्षमता से अधिक कैदी बंद हैं।

यूनाइटेड स्टेट्स के जेलों में भी बंद कैदियों में विचाराधीन कैदियों की संख्या अधिक है। विश्व जनसंख्या की 5% से कम आबादी यूनाइटेड स्टेट्स की है पर विश्व कैदी आबादी का 23.4% यहां है। 2008 के अनुसार यू.एस. की जेलों में 2,304,115 व्यक्ति कैद थे। यहां की जेलों में तीन प्रकार की प्रबंध प्रक्रिया है। पहले प्रकार में निरंतर निगरानी तो दूसरे प्रकार में रिमांड निगरानी रखी जाती है। यहां 'कोठरी द्न' और 'पांड' में कैदियों को रखा जाता है। तीसरे प्रकार में प्रत्यक्ष निगरानी रखी जाती है। इस तीसरी व्यवस्था में स्टाफ उनके साथ रहकर उनके व्यवहार पर नियंत्रण रखता है।

विश्व स्तर में कैदी के प्रमुख प्रकारों में बूट कैंप, बोस्टल, डेथ रो, फेडरल प्रिज्न, इमीग्रक्रेशन डिटेंान, मेंटल अस्पताल, मिल्शीटरी कैद, राजनीतिक कैदी, प्राइवेट कैदी, राउंड हाउस, सुपर मेंक्स, विल्क्रोध लाकअप और यूथ डिटेंान सेंटर है।

यूनाइटेड स्टेट में महिला कैदियों को 1870 से ही अलग रखने की व्यवस्था की जाती है। महिला कैदियों का प्रतिशत भले ही 5.8 है पर पिछले दो दशकों में इसमें पांच गुना वृद्धि हो चुकी है।

विश्व में सबसे पुराना जेल सुधार संगठन लंदन में हावर्ड लीग फार पीनल रिफार्म है, जिसकी स्थापना 1866 में की गई अपने 140 वर्ष के इतिहास में आपराधिक न्याय प्रक्रिया के विकास में उसने कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। मजिस्ट्रेटों की एसोसिएन, पीड़ित सहायता और कैदी परामर्श सेवाएं व अन्य एजेंसियों को जेल सुधार के प्रयासों से जोड़ा है। हावर्ड लीग की विधिक टीम जहां 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को

विधिक सहायता देती है बल्कि उनकी रिहाई के बाद भी उनको आवश्यक सहयोग देती है। जेलों के भीतर 'ग्राफिक डिजाइन' स्टूडियो बना कर कैदियों को रोजगार पर भी लगाती है।

सभी जेलों में अनिवार्य ड्रग परीक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। जेल में मादक पदार्थों की मांग व आपूर्ति को समाप्त करने के लिए यह कार्य नीति बनाई गई है। ऐसे लोगों की पहचान करके उनका उपचार किया जाता है। अकस्मात जांच, संदेह के आधार पर मादक पदार्थों को बेचने के अपराध में पकड़े गए कैदियों का नियमित परीक्षण, जेल में दाखिले के समय और जोखिम आकलन जांच पर पांच प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं।

अच्छी प्रक्रियाएं

1. कुछ देशों में मां को बच्चों से फोन पर बात करने की अनुमति है। आपस में वार्तालाप का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बच्चे मां से दूर रहकर भी उस अलगाव को सह पाते हैं।
2. फोन की अपेक्षा पत्रों के माध्यम से बातचीन अधिक सार्थक हो सकती है। इटली के जेलों में कैदियों द्वारा वर्कशाप में बनाई गई वस्तुओं जैसे-फोटो फ्रेम, साफ्ट टायस आदि को अपने बच्चों को भेजने की अनुमति है। यह तोहफे मां-बच्चे को करीब लाने में मदद करते हैं।
3. हो सकता है कि मां अनपढ़ हो या बच्चे छोटी उम्र के हों, जिन्हें पत्र लिखना संभव न हो, ऐसे में मां-बच्चों के बीच संपर्क करने के लिए अन्य विकल्प तलाशने होंगे।
4. यूनाइटेड किंगडम में अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए किसी पुस्तक की आडियो रिकार्डिंग बनाने की अनुमति है, जिसे उनके बच्चे सुन सकते हैं और जिससे दोनों के रिश्ते में प्रगाढ़ता बनी रहती है। कैदियों के आत्म विश्वास में वृद्धि होती है। वे अपनी और अपने बच्चों की साक्षरता को बढ़ा पाते हैं। इस योजना में शामिल कैदियों ने कहा कि इससे उनकी अपनी साक्षरता में वृद्धि हुई है क्योंकि वे पुस्तकें पढ़ पाते हैं। जेल में बच्चों से मुलाकात के दौरान वे उन्हें किस्से-कहानियां सुना पाते हैं। जब वे अपने अभिभावकों को पढ़ने की बात सुनते हैं तो उनका

डर कुछ कम होता है अन्यथा उन्हें यह चिंता सताती है कि मेरे पिता जेल में सिर्फ दुखी हैं। सी.डी. में उनकी आवाज में उनकी खुशी को महसूस कर पाते हैं।

www.storybookdads.co.uk

न्यू जर्सी, यू.एस.ए. में एक संगठन कैदियों से उनके बच्चों को मिलने के लिए वाहन की व्यवस्था करता है और बस में उन्हें हेल्थ केयर, एड्स और एच.आई.वी. परीक्षण जैसे हेल्थ टिप्स देता है। बच्चों को शिक्षित करने का यह प्रयास सराहनीय है।

5. रेलांइस इनफेट पैरेंट्स, फ्रांस का एक एन.जी.ओ. बच्चों को जेलों में मां-बाप से संपर्क कराने में मदद करता है, जब कोई अभिभावक उनके साथ जेल जाने में असमर्थ होता है।
6. कुछ जेल प्राधिकारी मुलाकातियों के लाभ के लिए पंफलेट्स व ब्रोशर वितरित करते हैं जिनमें मुलाकात के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं व नियम आदि दिए जाते हैं। उनके लिए चैरिटी हेल्पलाइन की भी व्यवस्था है जिनसे वे मुलाकात के संबंध में जानकारी ले सकते हैं।
7. कुछ प्रशिक्षित वालंटियर पहली मुलाकात के समय उनके साथ रहते हैं जो उन्हें जेल के नियमों के बारे में जानकारी देते हैं।
8. कुछ जेलों में मुलाकात के स्थान मुख्य जेल से अलग बनाए गए हैं, जहां बच्चों के लिए खेल-खिलौनों आदि की व्यवस्था भी रहती है। वेरमुडा में वेस्टगेट जेल में क्रिसमिस के दौरान वर्ष 2006 में विजिटिंग एरिया में क्रिसमिस-ट्री लगाया गया और जेल अधिकारी यूनीफार्म की बजाय सादा कपड़ों में मौजूद थे।
9. विक्टोरिया स्टेट, आस्ट्रेलिया जेल में पुरुषों को अपने अभिभावक-कौशलों को विकसित करने के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं। बच्चों की उम्र के हिसाब से मुलाकात के दौरान वहां खिलौने उपलब्ध होते हैं। बिना किसी अभिभावक की मदद से वे जेल में अपने पिता से कैसे मिल सके, यह व्यवस्था की जाती है।
10. थिका बीमेन प्रिज्न, कीनिया में वर्ष 2007 से रिमोट पेरेटिंग डे (चीन में भी इसी प्रकार की योजना है) मनाया जाता है ताकि पुनर्वास के

लिए सकारात्मक माहौल बन सके।

11. डेनमार्क की कुछ जेलों में बच्चों को मुलाकात के समय अपने अभिभावकों के कमरे में जाने की अनुमति है। ऐसी योजनाओं से बच्चों और अभिभावकों के बीच सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और रिहाई के बाद दोनों के बीच की दूरियां कम होती हैं।
12. मुलाकात के समय का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। कुछ जेलों में पूरे दिन, सप्ताहांत और रात भर ठहरने की अनुमति होती है। फ्रांस में यूनाइट्स डे विजिट फैमिलील एन. कार्यक्रम से परिवार को बिना जेल स्टाफ की उपस्थिति के एकांत में मिलने का अवसर दिया जाता है। जेल में अलग क्षेत्र में अपना भोजन व गतिविधियों की व्यवस्था करने दी जाती है।
13. ऐसी ही व्यवस्था सोवियत रूस में भी की जाती है। परिवार से मिलने के समय के दौरान उन्हें स्वयं खाना बनाने और एक साथ खाने की अनुमति दी जाती है।
14. मांट्रियल, कनाडा में मैयसन टंगाय फेसिलिटी में जेल में माताओं को सप्ताह में दो दिन अपने बच्चों के साथ रहने की सुविधा दी जाती है। इस दौरान मां अपने बच्चों की देखभाल कर सकती है। सी.एफ.ए.डी. माताओं के लिए पैरेंटिंग वर्कशाप भी आयोजित करती है। उनके लिए पारिवारिक गतिविधियां जैसे रविवार के दिन जिमनेजियम लेकर जाना और इसी प्रकार की स्थितियों में रहने वाले बच्चों से मुलाकात करने का अवसर दिया जाता है। जेल से रिहा हो जाने के बाद भी महिलाएं सी.एफ.ए.डी. के संसाधनों जैसे सूचनाएं, भोजन, पुराने वस्त्र और पैरेंटिंग आदि का कोर्स कर सकती हैं।
15. अर्जेंटिना में गर्भवती महिलाओं के लिए 'सांइस फ्राम इनसाइड' प्रोजेक्ट चलाया जाता है जिसमें संगीत का प्रयोग मां व शिशु के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है।
16. कर्नाटक में जेलों में अभिभावकों के साथ रहने वाले बच्चों के लिए क्रेच व नर्सरी स्कूल चलाया जा रहा है जिसमें कैदियों, जेल स्टाफ और जेल के पास रहने वाले बच्चों को प्रवेश मिलता है। इससे बच्चे

मुख्य धारा के बच्चों के संपर्क में रहते हैं। क्रेच में यह सुनिश्चित किया जाता है कि बच्चे एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्वक रहें।

17. अरनजुएज जेल, स्पेन में यदि दोनों अभिभावक जेल में हैं तो उन्हें तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ 'फैमिली सेल' में रहने की अनुमति होती है, जिस की कोठरी की दीवारों पर डिज्नीलैंड के चित्र उकेरे होते हैं और बच्चे को जेल के प्ले ग्राउंड में खेलने की अनुमति होती है। अभिभावकों को पैरेंटिंग कौशल सिखाए जाते हैं।
18. श्रीलंका प्रिजन वेलफेयर एसोसिएशन में कैदियों के बच्चों की शिक्षा के लिए स्कालरशिप योजना शुरू की गई है ताकि वे शिक्षित होकर बेहतर जीवन यापन कर सकें।
19. न्यूयार्क में काम कर रही एन.जी.ओ. 'ला बोडगा डे ला फेमिलया' मादक पदार्थों अथवा मानसिक रोगों से ग्रस्त भूतपूर्व कैदियों को उनके परिवारों से जोड़ने में मदद करती है। उनकी 24 घंटे की हाटलाइन सेवा है। वे उन्हें प्रशिक्षण, ड्रग उपचार और आवास में मदद करते हैं।
20. न्यूयार्क और कैलिफोर्निया में महिला कैदियों और बच्चों की परस्पर मुलाकात करवाने के लिए चाइल्ड वेलफेयर एजेंसियों की मदद से विशेष विजिटिंग क्षेत्र, पैरेंटिंग कक्षाएं और सामुदायिक सुधार कार्यक्रम बनाए गए हैं।
21. इग्लैंड में नवजात शिशुओं को मां के साथ रखने के लिए विशेष 'मदर बेबी यूनिट' बनाए गए हैं, जहां 9 माह तक के शिशुओं को साथ रखा जा सकता है। असखम ग्रेज ओपन जेल में मां व बेबी यूनिट है। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए उन्हें प्राथमिकता के आधार पर ओपन जेल में रखा जाता है। जो बच्चे जेल में आकर मां से मिलना चाहते हैं, उन्हें अन्य विजिटर की भांति अनुमति होती है। कुछ मामलों में जब बच्चे जेलों से दूर रहते हैं तो कैदी को वहां जाकर मिलने की अनुमति दी जाती है। ऐसा मित्र जो बच्चों को लाने की व्यवस्था करता है उसके खर्चो की प्रतिपूर्ति की जाती है।
22. प्रिजन रिफार्म ट्रस्ट, लंदन की ओर से कैदी सूचना पुस्तक प्रकाशित की गई है जिसमें जेल में पहुंच कर कैदी के साथ क्या-क्या व्यवहार

होंगे, उनके क्या अधिकार हैं, उन्हें क्या-क्या सहायता मिल सकती है, का सविस्तार वर्णन किया गया है। अपनी सजा के विरुद्ध अपील करने की प्रक्रिया, उपलब्ध सुविधाएं, सुरक्षा वर्गीकरण, अनुशासन व जेल से रिहाई के समय क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी। कैदियों की सहायता के लिए 'विजिटिंग एंड कीपिंग इन टच' पुस्तक का प्रकाशन भी किया गया। इस पुस्तक में हर जेल के टेलीफोन नंबर और ऐसे संगठन जो कैदियों के पुनर्वास व अन्य सहायता देते हैं, के टेलीफोन नंबर व पते दिए जाते हैं।

23. कैदी व उनके परिवार—'ए.गाइड टु बेनेफिट' जैसे लीफलेट भी प्रकाशित किए जाते हैं।
24. कुछ सिटीजन एडवाइस ब्यूरो नियमित सलाह सत्रों का आयोजन करते हैं।
25. जेल सेवा विभाग की ओर से वालंटियरी ड्रग परीक्षण कार्यक्रमों के तहत कैदियों का ड्रग परीक्षण किया जाता है। अलग से वालंटियरी ड्रग टेस्टिंग यूनिट भी है, जहां उन कैदियों को रखा जाता है जो नशा मुक्त रहना चाहते हैं।
26. प्रत्येक जेल में काउंसलिंग, एडवाइस, रेफरल असेसमेंट एंड थोरोकेयर यानी 'कारठ' सेवा उपलब्ध है। जेल में जिन कैदियों की मादक पदार्थ लेने की लत की पहचान हो जाती है उन्हें इस यूनिट के द्वारा सहायता दी जाती है।
27. जेल में अपनी शिकायत करने का अधिकार है। यदि शिकायत पर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो जेल लोकपाल को शिकायत की जा सकती है। यही नहीं अपने संसद सदस्य, सोलीसिटर, पुलिस चीफ आफिसर, रानी या संसद को अपील, मेंबर आफ द यूरोपियन पार्लियामेंट, क्रिमिनल इंजरीज कंपनसेशन अथारिटी तक अपनी शिकायत पहुंचाने का अधिकार है।
28. रंग-भेद के खिलाफ भी शिकायत करने का अधिकार है। रेस रिलेशन लायजन आफिसर (आर.आर.एल.ओ.) भी जेलों में होते हैं। कुछ जेलों में रेस रिलेशन मैनेजमेंट टीम भी होती है जिसकी वर्ष में चार बैठकें होती हैं जिनमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई कैदी रंग

भेद का शिकार न हो।

29. विदेशी कैदियों को प्रिजन सूचना पुस्तक श्रृंखला की तीनों पुस्तकों की प्रतियां अरबी, बंगला, चीनी, डच, फेंच, जर्मन, ग्रीक, गुजराती, हिंदी, इटालियन, पालिश, पुर्तगाली, पंजाबी, रूसी, स्पेन, तमिल, तुर्की, उर्दू, वियतनामी और वेल्ग में भी उपलब्ध हैं।

30. **बास्टाए, नार्वे जेल द्वीप** जेल का अर्थ व्यक्ति को दंडित करने से लिया जाता है पर नार्वे में दुनिया का सबसे अनोखा एक ऐसा द्वीप है जहां कैदी पहुंच कर अपना खोया हुआ आत्मविश्वास प्राप्त करता है और अपने प्रति आदर की दृष्टि उसमें विकसित की जाती है जिसके बहाने वह दूसरों को आदर देना सीखता है।

31. 'डेली मेल' में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार यह द्वीप पांच मील में फैला हुआ है जहां कैदी समुद्र के किनारे धूप सेंकते हैं, टेबिल टेनिस और फुटबाल खेल सकते हैं। वहां सनबेड और सिनेमा हाल, बैंड रिहर्सल रूम और एक विश्व स्तरीय लाइब्रेरी है।

    उन्हें केबिल टी.वी. देखने को मिलता है। एक बड़े से डाइनिंग हाल में वे एकसाथ बैठ कर खाना खा सकते हैं।

    जेल की इस चारदीवारी के भीतर चल रहे उद्योगों में वे काम करते हैं। इसे विश्व की पहली 'इकोलाजिकल (पर्यावरणीय जेल) प्रिजन' का नाम दिया गया है।

    प्रिजन गवर्नर का मानना है कि अपराध और दंड की अवधारणा में यदि हम मूलभूत परिवर्तन कर सकने में समर्थ हों तो कैदियों के पुनर्वास में नाटकीय परिवर्तन आ सकते हैं और अपराधों की पुनरावृत्ति रुक सकती है। उनका यह भी मानना है कि नार्वे का यह प्रयोग यदि सफल होता है तो उससे नार्वे ही नहीं बल्कि यूरोप और विश्व के अन्य देशों को भी लाभ हो सकता है। 'डेली मेल' में छपी तस्वीरें यह दर्शाती थीं कि वे किसी जेल की नहीं बल्कि किसी रिसोर्ट की तस्वीरें हैं।

32. **न्यूजीलैंड** : न्यूजीलैंड में कैदियों की सिगरेट की लत छुड़वाने के लिए उनके हाथों में गाजरें पकड़ाई जा रही हैं। 1 जुलाई, 2011 को देश भर की जेलों में धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और सिगरेट

के स्थान पर उन्हें गाजर खाने के लिए दी जा रही हैं। आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि सिगरेट के स्थान पर गाजर खाकर वे अपनी धूम्रपान की आदत छोड़ देते हैं।

33. **दुबई जेल** (21 मई 2011 को प्रकाशित समाचार) : दुबई सेंट्रल जेल में कैदियों को बाहरी दुनिया से संपर्क करने के लिए टेलीफोन करने की सुविधा दी जा रही है। सप्ताह में कुल तीस मिनट वे अपने सगे-संबंधियों, परिवार और उनके मुकदमें में मदद कर रहे वालंटियरों से संपर्क कर सकते हैं। इस बहाने से जेल में रहते हुए अपने अपनों के हाल चाल जान पाते हैं। जेल के स्टोर से वे अपना फोन कार्ड खरीद सकते हैं। उन्हें फोन का प्रयोग करने के लिए एक कोड नंबर दिया जाता है जिसे डायल दर्ज करने के बाद वे फोन डायल कर सकते हैं। जेल की स्थितियां काफी बदल चुकी हैं। खाने में सब्जी, चिकन, मीट या फिश भी उन्हें मिलता है। प्रत्येक वार्ड में टी.वी. भी उपलब्ध है। रात 11 से सुबह 6 बजे तक हिंदी प्रोग्राम भी देख सकते हैं। अंग्रेजी व अरबी भाषा के कार्यक्रम शाम को देख सकते हैं। न्यूज चैनल, स्पोर्ट्स व अरबी कार्यक्रम काफी लोकप्रिय हैं। टी.वी. बंद करने का समय रात दस बजे होता है, पर आवाज धीमी कर कैदी 11 बजे तक कार्यक्रम देख लेते हैं। कैदियों को सुबह-शाम दो-दो घंटे का समय व्यायाम करने के लिए भी मिलता है। वालीबाल और फुटबाल खेलने के लिए मैदान भी है। कुछ कैदी इस समय को पूजा-पाठ करके बिताते हैं।

जेल के भीतर स्टोर से वे नूडल्स, काफी, सिगरेट, पानी और साबुन वगैरह खरीद सकते हैं। कैदियों को अपनी व्यथा कहने व प्राधिकारियों तक पहुंचाने के लिए (मई 2011 में) भूख हड़ताल का सहारा लेना पड़ा ताकि जेल से रिहाई के लिए आने वाले उनके कागजात समय पर उपलब्ध कराए जाए।

अपने विजिटर्स से मिलने के समय इंटरकाम पर बातचीत की जाती है। कैदी व विजिटर के बीच शीशे का पैनल लगा रहता है। सोमवार का दिन अपने परिवार के सदस्यों से मिलने का

और शनिवार का दिन अपने वकील या मित्रों से मिलने के लिए निर्धारित है। महिला व पुरुष कैदियों से मिलने का समय भी अलग-अलग होता है। मुलाकात का समय आधा घंटा होता है। मुलाकातियों द्वारा लाए जाने वाले पत्रों की जांच के बाद ही कैदी को दिया जाता है।

34. यू.के. की एक वेब साइट कैदियों के लिए दान एकत्र कर उनकी मदद करती है। कैदियों को समाचार-पत्र, पत्रिकाएं व घर से संपर्क करने के लिए लिफाफे उपलब्ध करवाने, जेल में अच्छा भोजन खरीद पाने, इन्हें मुफ्त चिकित्सा सहायता के लिए आर्थिक सहायता देने के साथ-साथ जेल से रिहा होने पर उन्हें स्वावलंबी बनाने या फिर उनके परिवारों की मदद करने के लिए आर्थिक सहायता एकत्र करती है।

अपराध के कारण

अपराध किसी कार्य को राष्ट्रीय विधि के प्रतिकूल किए जाने या उसके लोप को कहते हैं जो समाज के प्रतिकूल प्रभाव रखने की प्रवृत्ति रखता है और जिनके लिए राज्य के नाम पर की जाने वाली न्यायिक कार्रवाई के परिणाम स्वरूप दंड अधिरोपित किया जा सकता है। यह प्रत्यक्ष रूप से समाज के प्रतिकूल प्रभाव रखने की प्रवृत्ति रखता है जबकि सिविल क्षति अधिक प्रत्यक्ष रूप से और आसन्न रूप से प्राइवेट अधिकार के प्रतिकूल प्रभाव रखने की प्रवृत्ति रखता है।

अपराधी के बारे में जनसाधारण समझते हैं कि वह ऐसा व्यक्ति होता है जो दंडनीय होता है, क्योंकि उसने समाज के सामान्य हित के विरुद्ध ऊंचे स्तर पर कोई ऐसी बात की होती है जो बिल्कुल ही दुष्टतापूर्ण और स्पष्ट रूप से हानिकारक होती है। किंतु दंड विधि बहुत ही संकरी सीमाओं के अंदर होती है और केवल उन्हीं निश्चित खुले कार्यों या लोपों पर ही लागू की जा सकती है जिन्हें सुभिन्न रूप से साबित किया जा सकता है और जो कार्य या लोप निश्चित दोष कारित करते हैं, चाहें विशिष्ट व्यक्तियों पर चाहें सारे समाज पर।

दंड विधि में सामान्यतः सिद्धांत यह होता है कि हर अपराध में कुछ दोषी मनःस्थिति का होना आवश्यक होता है। इसको आपराधिक मनः स्थिति की अभिव्यक्ति के नाम से जाना जाता है।

अपराध के विभिन्न रूप किए गए हैं, जिन्हें मुख्य तौर पर निम्न में विभाजित किया गया है—

1. राज्य पर प्रभाव डालने वाले—सेना, नौसेना और वायुसेना, लोक प्रशांति, लोक सेवक आचरण, प्राधिकार का अवमान, लोक

स्वास्थ्य, क्षेम सुविधा, शिष्टता और सदाचार।

2. सामान्य हित पर प्रभाव डालने वाले— निर्वाचन, सिक्के और सरकारी स्टांप, बाट और माप, धर्म, सेवा संविदा, विवाह
3. मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले—मानव वध, हत्या, आत्महत्या की दुष्प्रेरणा, गर्भपात कारित करना, अजात शिशुओं को क्षतिकारित करना, शिशु को अरक्षित डाल दिया जाना, सदोष अवरोध और परिरोध, आपराधिक बल, हमला, व्यपहरण, अपहरण, दासत्व, अप्राप्त वय को वेश्यावृत्ति के लिए बेचना और खरीदना, विधि विरुद्ध श्रम, बलात्संग, प्रकृति विरुद्ध अपराध।
4. मूर्त या अमूर्त संपति पर प्रभाव डालने वाले—चोरी, उद्दीपन, लूट, डकैती, आपराधिक दुर्विनियोग, आपराधिक न्यास भंग, चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करना, छल-कपटपूर्ण विलेख और संपत्ति व्ययन, रिष्टि, आपराधिक अतिचार, दस्तावेज (कूट रचना), संपत्ति चिह्न, करेंसी और बैंक नोट।
5. ख्याति पर प्रभाव डालने वाले—मानहानि, अभित्रास, अपमान और क्षोभ।
5. जिन दंडों से अपराधी दंडनीय हो सकता है, वे हैं—

1. मृत्यु, 2. आजीवन कारावास, 3. कारावास कठोर, सादा व एकांत, 4. संपत्ति का समपहरण, 5. जुर्माना।

यह आवश्यक है कि बंदियों से लिया गया श्रम घृणाजनक न हो तथा किया गया संदाय लागू होने वाली न्यूनतम मजदूरी से कम न हो।

इनके अतिरिक्त किशोर अपराधियों के मामले में सुधारालयों में निरोध या बोर्सटल स्कूलों का दंड भी है।

किसी अपराध को करने के तीन प्रक्रम होते हैं

— उसे करने का आशय

— उसे करने की तैयारी और

— सफल प्रयत्न

किसी अपराध को करने का मात्र आशय जिसके अनुसरण में कोई कार्य न किया गया हो, तो कोई अपराध गठित नहीं करता। इच्छा को कार्य

के स्थान पर नहीं समझा जा सकता जब तक कि कोई ऐसा बाह्य कार्य न हो जो यह दर्शित करे कि इसकी दिशा में या उसके पूरा करने या प्रभावी बनाने की ओर अग्रसर हुआ है। तैयारी किसी अपराध को करने के लिए उपाय खोजने को कहते हैं। यह धारा ऐसे कार्यों को दंडित नहीं करती जो मात्र तैयारी के प्रक्रम पर किए गए हों। मात्र तैयारी तभी दंडनीय है जब तैयारी भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए हो। किसी ऐसी शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करने के लिए हो जिसके भारत सरकार से शांतिपूर्ण संबंध हों या डकैती करने के लिए हों। प्रयत्न तैयारी करने के बाद अपराध करने की ओर प्रत्यक्ष संचालन को कहते हैं। प्रयत्न के अपराध को गठित करने के लिए कोई ऐसा कार्य अवश्य होना चाहिए जो किसी अपराध को करने के आशय से और अपराध को करने के प्रयोजन से किया गया हो और उस अपराध को करने के प्रयत्न में ही किया गया हो। अपराध करने का प्रयत्न यदि सफल हो जाए तो अपराध ही कारित जाता है।

अपराध मानव व्यवहार का ही एक रूप है। सामाजिक मूल्यों के प्रतिकूल कार्य जिनमें समाज को हानि होती है, 'अपराध' कहलाता है।

विभिन्न विद्वानों ने अपराध की परिभाषाएं दी हैं। किसी के अनुसार यह कानून संहिता के उल्लंघन में एक जानबूझ कर किया गया व्यवहार है तो एक अन्य विद्वान ने अपराध को वह क्रिया माना है जिसे राज्य में सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया है और जिसके लिए राज्य दंड देने की शक्ति रखता है। अपराध को कानून का उल्लंघन माना जाता है। एक अन्य विद्वान ने अपराध को कानून द्वारा वर्जित क्रिया माना है जिसके लिए मृत्यु, जुर्माना, जेल में कैद, कार्यगृह, सुधार गृह या जेल में रख कर दंडित किया जा सकता है।

महिला कैदियों की पृष्ठभूमि से यह पता चलता है कि उनमें से अधिकांश समाज के गरीब वंचित वर्गों की होती हैं। वे प्रायः गरीबी के कारण अनभिज्ञता में अपराध करती हैं। छोटी छोटी चोरियां करते हुए पकड़ी जाती हैं। जेलों में बंद महिलाएं विचाराधीन कैदी होती हैं जो गरीबी की वजह से अपना बचाव न कर पाने के कारण अपना कानूनी बचाव करने के लिए खर्चा वहन नहीं कर सकतीं। वे पुरुषों की तरह हिंसक और गंभीर अपराध नहीं करतीं और न ही बार-बार अपराध करती हैं।

गरीबी और आर्थिक प्रगति तथा महिलाओं का दोहरा संबंध है। गरीबी से लड़की और लड़कों के बीच भेद गहराता है। उन्हें स्कूल भेजने, पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं देने में भेदभाव देखने को मिलता है। गरीब व्यक्ति के पास न जमीन होती है और न ही ऋण लेने की हिम्मत और गरीब महिला परिवार के गरीबी के दुष्चक्र में अधिक पिसती है। बालिकाएं भारतीय समाज की सबसे कमजोर सदस्य हैं। उसके साथ जीवन के हर कदम पर घोर भेदभाव होता है। पहला भेदभाव उसे जीवित नहीं रहने दिया जाता। यदि वह जीवित बच भी जाती है तो उसे अन्य प्रकार के भेदभावों का सामना करना पड़ता है।

जहां एक ओर उसे शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य तथा अन्य आवश्यक जरूरतों की पूर्ति के बहुत कम अवसर प्राप्त होते हैं या फिर होते ही नहीं। इस स्थिति का मुख्य कारण परिवारों में पुत्रों को दी जाने वाली वरीयता है। गरीबी के कारण बेरोधगारी, सामाजिक, आर्थिक असमानता बढ़ती है और व्यक्ति को असामाजिक व्यवहार के लिए प्रेरित करती है। गरीबी के कारण ही पापी पेट की खातिर व्यक्ति कभी चोरी, वेश्यावृत्ति जैसे गैर असामाजिक कार्य करने को मजबूर होता है।

औद्योगीकरण, शहरीकरण, गंदी बस्तियां, झुग्गी झोंपड़ी की समस्याएं, आवास की तंगी—ये सभी समस्याएं गरीबी के ही विभिन्न रूप है। गरीबी से ही बेरोजगारी जुड़ी है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। धन कमाने की उम्र में, अपने पैरों पर खड़े होने की उम्र में यदि बेकार बैठना पड़े तो अपराध की ओर प्रवृत्त होने की संभावनाएं बढ़ती हैं।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही थी तो मोटी पगार वाली नौकरियां छंटने के बाद कहीं आत्महत्या तो कहीं अपराध की घटनाओं में वृद्धि हुई बेरोजगारी व गरीबी का चोली दामन का साथ है, दोनों मिल कर घर परिवार व समाज का सुख चैन छीन लेते हैं।

निर्धनता और अपराध का रिश्ता अटूट बना चुका है। वस्तुतः अपराध का कारण निर्धनता नहीं है बल्कि उससे उत्पन्न वे मनोवैज्ञानिक कारण है जो अपराध की ओर ले जाते हैं। गरीबी के कारण घरेलू लड़ाई-झगड़े, अपर्याप्त शिक्षा, मनोरंजन की कमी, लालच व सब कुछ जल्दी पाने

की चाहत व किसी भी कीमत पर इन अभावग्रस्त स्थितियों से बाहर निकलने की कोशिशें होती हैं।

गरीबी के प्रमुख कारणों में अल्प विकास, जनसंख्या में निरंतर वृद्धि, बेरोजगारी, वितरण की असमानता, मुद्रा स्फीति, प्राकृतिक प्रकोप तथा अकाल व सूखा जैसी स्थितियों के साथ-साथ सामाजिक कारणों में अशिक्षा, अज्ञानता, रूढ़िवादिता व अंधविश्वास भी प्रमुख हैं। शिक्षा के अभाव के कारण ही जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न रीति-रिवाजों को निभाने के लिए व्यक्ति जिंदगी भर कर्ज की कुचक्र में फंसा रहता है।

भ्रष्टाचार आज के भारतीय जीवन पद्धति का अनिवार्य अंग बन चुका है और भ्रष्टाचार पूरे समाज में अपनी जड़ें इतने गहरे जमा चुका है कि जन लोकपाल बिल पारित होने के बावजूद भी भ्रष्टाचार को कम करना क्या संभव होगा, यह विचारणीय विषय है। कोई भी अधिनियम जादू की छड़ी नहीं होता। दहेज विरोधी कानून और घरेलू हिंसा अधिनियमों आदि के बावजूद महिलाओं की स्थितियों में कोई सुधार नहीं देख जा रहा। वैसे ही भ्रष्टाचार तभी कम होगा जब हम सामाजिक बुराइयों को दूर कर पाएं। कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार की राह पर क्यों बढ़ता है, यदि उसके कारणों की तह में जाएं तो यह देखा जा सकता है कि बेटी के विवाह के लिए दहेज देने के लिए उसे किस तरीके से विवाह के खर्चो के लिए धन दौलत चाहिए, बेटे को विदेश में पढ़ने के लिए भेजने के लिए, अच्छे कोचिंग कालेज में पढ़ाने के लिए मोटी रकम चाहिए, चारों तरफ महंगाई का सुरसा-मुख है जो निरंतर फैलता जा रहा है।

रेडलाइट पर रुके बिना आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि दफ्तर पहुंचने में देर न हो जाए, इसलिए ट्रैफिक पुलिस की मुट्ठी गर्म करते हैं। बिना पूरे कागजात प्रस्तुत किए कोई सर्टिफिकेट चाहते हैं, इसलिए क्लर्क को उसकी कीमत अदा कर देते हैं। ये छोटे-छोटे काम जल्दी-जल्दी करवाने के लिए शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह नित बढ़ने वाली ऊपर की कमाई की लत ने हर ओर भ्रष्टाचार की चादर बिछा दी है।

हमारे देश में विकास की योजनाएं, कन्या जन्म से लेकर जीवन के हर मोड़ पर आर्थिक अनुदान उपलब्ध करवाने की हैं, पर योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंच ही नहीं पाता है। वह धन मध्यस्थों की जेब में चला

जाता है। जिन्हें सिवाय अपनी जेब भरने के कुछ नहीं सूझता है। स्व. राजीव गांधी ने बहुत वर्ष पहले कहा था कि विकास के सौ रुपए में से मात्र पंद्रह रुपए ही गरीब तक पहुंचते हैं जो अब घट कर दस भी नहीं रहे हैं। यही गरीबों की त्रासदी है। इस समाज में गरीब और अमीर के बीच का फासला निरंतर बढ़ता ही जा रहा है।

मानव समाज का इतिहास जितना पुराना है उतना ही अपराध और दंड का नाता है। सभी देशों में अपराधियों को दंड देने का विधान है। इतिहास इस बात का गवाह है कि दंड कभी भी समाज में अपराधों की मात्रा में कमी लाने में सफल नहीं हुए हैं। प्राचीन दंत कथाओं में सरेआम फांसी की सजा देने, शेर के पिंजरे में अपराधियों को डालने व आम जनता का वहां खड़े होकर देखना, पर खौफनाक नजारा देखने के बावजूद समाज से अपराधों की संख्या में कभी कमी नहीं आई बल्कि अपराध अपने नए-नए रूपों में सामने आते रहे हैं।

पुरुषों का साथ देने के लिए : अपराध की वारदातों में महिलाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। पहले चोरी-चकारी, जेबकतरी जैसे अपराधों में महिलाएं शामिल होती थीं। ज्यों-ज्यों समाज के हर क्षेत्र में उन्होंने कदम रखा है वैसे ही अपराधों में भी उनकी दखलअंदाजी बढ़ी है। यदि यह कहा जाए कि पुरुषों का साथ देने के लिए भी वे अपराध कर रही हैं तो अतिशयोक्ति न होगी। सांप्रदायिक दंगों व महा आरतियों के बाद चुन-चुनकर अल्प संख्यकों के घरों में हमला करना, दंगों के दौरान महिलाओं द्वारा लूटपाट की वारदातों में शामिल होना इस बात का परिचायक है कि वे इस प्रकार की लूटपाट अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि पुरुषों का साथ देने के लिए कर रही हैं। वेश्यावृत्ति व मादक पदार्थों की तस्करी में वे ही एजेंट बनी हुई होती हैं।

विभिन्न अध्ययन रिपोर्टों से यह स्पष्ट हो चुका है कि पारिवारिक तथा यौन हिंसा के मामलों में अपने पुरुष साथियों के साथ मिल कर वे अपराध कर रही हैं। छोटी उम्र की बच्चियों को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करने वाली कोठों की मालकिनों अपने पति या प्रेमी, जो दलाल होते हैं, के साथ मिल कर इस व्यवसाय को बढ़ाती हैं।

प्रेमी के साथ मिल कर कभी पति को तो कभी बच्चों को रास्ते से

हटाने के लिए वे हत्या की साजिशों रचती हैं। बहुओं को भी मारने की साजिश वे केवल इसलिए रचती हैं कि परिवार के मुखिए का साथ दे सके।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2003 में जहां विभिन अपराधों के लिए 1,51,675 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था, वहीं 2007 में इसकी संख्या बढ़कर 1,54,635 हो गई और अपराधों की प्रकृति में भी इन वर्षों में भारी अंतर आया है। पहले मादक पदार्थों की तस्करी या वेश्यावृत्ति जैसे मामलों में ही वे अधिक गिरफ्तार होती थीं पर अब हत्या जैसे मामलों में उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। ब्यूरो के रिकार्ड के अनुसार इन मामलों का प्रतिशत 5.4% से बढ़कर 6% हो चुका है। महाराष्ट्र इस श्रेणी में सबसे आगे है।

हत्या के मामलों में वृद्धि के कारणों की तह तक यदि जाया जाए तो कभी यह प्रेमी को पाने की चाहत के कारण पति या बच्चों की हत्या करती है, तो कभी पति, पिता या प्रेमी के शोषण के खिलाफ उठी आवाज होती है। कभी पति के अवैध संबंधों से परेशान होकर अथवा कभी अवैध संबंधों के लिए मजबूर किए जाने पर वह विद्रोह कर उठती है। पुलिस के अनुसार 99% मामलों में वह पहली बार अपराधी होती है। अपराध करने के बाद वह वहां से भागती भी नहीं, बल्कि खुद जाकर पुलिस को सूचित करती है। 'आपबीती' अध्याय में ऐसी महिलाओं की सच्ची घटनाएं बताई गई हैं। अपने किए का उन्हें कोई पछतावा नहीं होता, क्योंकि शराबी, जुआरी पिता से यौन शोषण का शिकार होते हुए जब वे तंग आ जाती हैं तो उन्हें मारने के अलावा उन्हें कोई दूसरा उपाय नहीं सूझता है। हत्या के मामलों में यह वृद्धि वस्तुतः बरसों के शोषण व अत्याचार को और अधिक न सह पाना है।

रीति-रिवाज : हमारे सामाजिक और धार्मिक रीति-रिवाज भी अपराध के कारण बन चुके हैं। दहेज की प्रथा, अंतर्जातीय विवाहों का निषेध, बाल विवाह, छूआछूत, रंग व जाति भेद के कारण भी अपराध बढ़ रहे हैं। कम दहेज लाने पर बहुओं को जला कर मार डालने वाली सास, ननद व भाभी अक्सर एक ही परिवार की कई कई महिलाएं एक साथ जेलों में बंद होती हैं। बहू पर मिट्टी का तेल डालना या उसे आत्महत्या करने को मजबूर करने के कारणों में दहेज कम लाना एक प्रमुख कारण होता है। जहां एक ओर

दहेज कम लाने पर बहुएं मार दी जाती हैं तो वहीं दूसरी ओर दहेज जुटाने के लिए परिवारों को भ्रष्ट तरीके से धन-दौलत जुटाने के लिए अपराध के रास्तों पर बढ़ता देखा गया है।

देश के कुछ राज्यों में 'आनर किलिंग' के नाम पर बेटे-बेटियों को सिर्फ इस कारण अपने जीवन से हाथ धोना पड़ रहा है कि मां-बाप अपनी झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण अपने बच्चों को अपनी इच्छा का वर नहीं चुनने देते।

आज भी देश के कुछ राज्यों में बाल विवाह व देवदासी प्रथा जारी है। बड़े पैमाने पर यह देवदासियां मंदिरों से निकल कर वेश्यावृत्ति करने को मजबूर होती हैं और एक बार धंधे में पड़ने के बाद अपने गांवों की दूसरी नाबालिग लड़कियों को इस धंधे पर लाकर बिठाती हैं। देवदासी परंपरा भी गरीबी से जुड़ी है। गरीब परिवारों की ही लड़कियां देवदासी बनाई जाती है। गरीबी के कारण ही परिवार अपनी किसी कन्या को देवदासी बनाते हैं ताकि उसके माध्यम से उनकी आजीविका चल सके। अमीर परिवार तो किसी गरीब की लड़की को खरीद कर देवता को भेंट करते हैं।

समाचार-पत्र व मनोरंजन के साधन : आज मीडिया बेहद सशक्त है। अधिकांश समाचार-पत्रों व टी.वी. चैनलों का उद्देश्य अधिक से अधिक धन कमाना है। मीडिया में बड़े सनसनी खेज तरीकों से अपराध की खबरें दिखाई जाती हैं। अपराध की विधि के एक-एक कदम को दिखाया जाता है उससे नौसिखिए अपराधी भी बड़े सहज ढंग से अपराध करने का तरीका सीख जाते हैं। चोरों के जीवन पर बनी फिल्में हिट होती हैं। बिग बास जैसे कार्यक्रमों में पूर्व में अंडर वर्ल्ड के साथियों व डकैतों व चोरों को भी शामिल कर अपनी टी.आर.पी. बढ़ाई जाती है पर इससे जन मानस पर बुरा असर पड़ सकता है इस ओर सोचा ही नहीं जाता। किसी हत्या के केस में सजायाफ्ता महिला पर फिल्म बनाने के लिए नामी निदेशक घोषणाएं करते हैं, यह सब तथ्य यह दर्शाते हैं कि मीडिया ने अपराध को एक सामान्य विषय बना दिया है साथ ही उसको ग्लेमरस भी बना डाला है। किसी मन चाही वस्तु को पाने के लिए छोटी उम्र के बच्चे अपने साथी के अपहरण का स्वांग करते हैं, कहीं सच सामने न आ जाए, बड़े फिल्मी अंदाज से उसकी

लाश को बोरे में भर कर फेंक देते हैं, यह सब घटनाएं अपराधों को लाभदायक दिखा कर कमजोर मनः स्थिति वालों को गलत राहों पर चलने के लिए उकसाती हैं।

अपराधियों को प्रतिष्ठा देकर, उनके प्रति सहानुभूति दिखाकर, टी.वी. चैनलों पर अपनी-अपनी अदालतें लगा कर न्यायपालिका को प्रभावित करने व अपराधी का पक्ष लेकर जनमत तैयार किया जाता है। अपराध समाज विरोधी कृत्य है कि बजाय अपराधी को महिमा मंडित किया जाता है। इसी प्रकार फिल्मों में भी अपराधों को महिमा मंडित कर ऐशो आराम व धन प्राप्ति की तीव्र इच्छा को भड़काया जाता है। फिल्मों की चकाचौंध से प्रेरित होकर हर दूसरा व्यक्ति छोटे शहरों से मायानगरी में अपना भाग्य आजमाने पहुंच जाते हैं पर बिना किसी हुनर, बिना किसी परिचय के वे गलत हाथों में पड़कर अपराध की दुनिया में दाखिल हो जाते हैं। पापी पेट को भरने की खातिर कुछ भी करने की मजबूरी उन्हें अपराध की राह पर इस कद्र आगे बढ़ा देती है कि वापस लौटना संभव नही होता है।

आर्थिक प्रतियोगिता : जल्द से जल्द धन कमाने की मनुष्य की प्रवृत्ति ने धन कमाने में उचित-अनुचित का विचार करना छोड़ दिया है। बेईमानी, मिलावट, भ्रष्टाचार तथा मुनाफाखोरी का बाजार गर्म है। आर्थिक महत्वाकांक्षाएं इस सीमा तक बढ़ चुकी हैं कि धन प्राप्ति के नए-नए उपाय निकाल रहे हैं। ऐसे में हत्या जैसे अपराध करने में भी उन्हें तनिक संकोच नहीं होता है।

आर्थिक प्रतियोगिता के इस माहौल में लालच की अपनी अहम भूमिका है। लालच व्यक्ति को रातोंरात अमीर होने के लिए कुछ भी करने को मजबूर करता है। कहीं सुपर माडल बनाने, फिल्मों में काम करने, बड़े शहर में नौकरी दिलाने के सब्ज बाग दिखा कर अपराध की दुनिया में धकेलने की कोशिशें चारों ओर जारी हैं तो कहीं बहुत जल्द अमीर बनाने लिए घूस, भ्रष्टाचार, गबन, चोर बाजारी, जाल साजी जैसे अपराधों के बढ़ने का कारण धन का लालच ही है।

धन का यह लालच बिना अधिक मेंहतन किए सब कुछ जल्दी पाने के लिए नए-नए कारण ढूंढ़ता है। बोगस फर्मे बना कर, कुछ ही महीनों में

धन को दुगुना करने की योजनाएं, बड़ी लाटरी का इनाम दिलाने का झांसा, जैसी घटनाएं आए दिन सुनने को मिलती हैं।

समाज शास्त्रियों ने धन के इस बढ़ते लालच के लिए व्यक्ति की भोगवादी प्रवृत्ति को कारण माना है। आज चारों ओर निज सुख की प्रधानता है। अपनी स्वार्थ साधना के लिए व्यक्ति किसी भी हद तक जा रहा है। परिवार की अहमियत कम हो रही है। स्त्री-पुरुष संबंधों में भी इसका असर दिख रहा है। दोनों ही एक दूसरे को रुपया कमाने की मशीन समझ रहे हैं। वैवाहिक जीवन की असंतुष्टि व्यभिचार का कारण बना रही है। कभी प्रेमिका के साथ मिलकर पत्नी को रास्ते से हटाया जा रहा है तो कहीं प्रेमी के साथ मिल कर पति को। कहीं महिलाएं पति के साथ मिलकर कम उम्र की भोली-भाली लड़कियों को बहला-फुसलाकर अवैध धंधों में, मानव तस्करी में, मादक पदार्थों की तस्करी में तो कभी मानव अंगों की चोरी में, कन्या भ्रूण की हत्या करने जैसे मामलों में पुरुष साथियों का साथ दे रही हैं। सब प्रकार के अपराधों में जल्द से जल्द धन पाने का लालच है। नई कार, नया बंगला, नया यौन साथी, विदेश यात्राएं सब के लिए पैसा जुटाने के लिए कितने ही संपन्न लोग भयंकर और जघन्य अपराध कर रहे हैं।

माता-पिता अपनी संपत्ति यदि अपनी संतानों के नाम नहीं कर रहे तो उन्हें मौत की नींद सुलाकर उस पर जल्द से जल्द कब्जा करने में वे जरा भी नहीं हिचक रहे हैं।

समाज शास्त्रियों ने पिछले कुछ दशकों में अपराधों के वृद्धि के कारणों में सामाजिक परिवर्तनों को भी जिम्मेंवार ठहराया है। इसमें प्रमुख है नौकरी छूटना, गरीबी और सामाजिक असमानता, सांस्कृतिक परिवर्तन, विकास की धारा में शामिल न हो पाना, लिंग भेद, परिवार में विघटन, बेरोजगारी, असमानता और गरीबी के कारण समाज में असुरक्षा, वंचना और उदासीनता बढ़ती है। बेरोजगारी से वित्तीय ही नहीं सामाजिक समस्याएं भी बढ़ती हैं। विभिन्न अध्ययन रिपोर्ट यह दर्शाती हैं कि बेरोजगारी से परिवारों में तनाव तो बढ़ता ही है, व्यक्ति का व्यवहार भी हिंसक होने लगता है। क्रोध व तनाव के आवेश में अपराधों की ओर मुड़ना कोई आश्चर्य की घटना नहीं होती है।

वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अपराधों का स्वरूप भी वैश्विक होता जा रहा है। आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, मनीलांड्रिंग और संगठित अपराध ने देश-विदेश की हदें पार करते हुए अपने आगोश में स्त्री, पुरुष और बच्चों को भी लपेट लिया है। जिस समाज में पहले औरतें घर की चार दीवारी से बाहर नहीं निकलती थीं वहीं वे घरों से बाहर निकल कर काम तो करने लगी हैं पर साथ ही अपराध के क्षेत्र में भी कंधे से कंधा मिला कर अंधेरे रास्तों पर आगे बढ़ रही हैं, जो उसे सलाखों के पीछे ले जाकर छोड़ने लगा है।

आर्थिक विकास ने अमीरों और गरीबों की खाई को पहले से अधिक गहरा किया है। समाज में एक प्रकार का आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाति आधारित अपराध और हिंसा की वारदातें बढ़ने का एक प्रमुख कारण समर्थ व्यक्तियों के द्वारा शक्ति प्रर्दान है। इस समय समाज में जहां आर्थिक असुरक्षा है वहां सामाजिक जिम्मेवारियों का अभाव, सामाजिक मूल्यों व संयम का अभाव और जल्द से जल्द अमीर बनाने, सुख-सुविधाओं को किसी भी कीमत पर पाने की चाहत बढ़ रही है। अर्थव्यवस्था का अधिकांश धन काले धन में तबदील होने से सामाजिक सुधार व सुविधाओं का विकास नहीं हो रहा है। शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन गांवों से शहरों की ओर भागते लोगों से बढ़ती आबादी, रेल पटरियों के नजदीक, घनी आबादियों के बाहर झुग्गी-झोंपड़ियों की बढ़ती तादाद, अनियोजित विकास, सामाजिक सुख सुविधाओं के अभाव व बढ़ती बेरोजगारी से हिंसा व अपराध की वारदातों में वृद्धि होना स्वाभाविक है।

प्रतिदिन सवेरे उठकर समाचार-पत्रों के मुख पृष्ठ से लेकर भीतरी सभी पृष्ठों पर चेन स्नैचिंग, कहीं चोरी, कहीं ठगी व कहीं डाके की खबरें ही पढ़ने को मिलती हैं। चोरी करने के बाद साक्ष्य मिटाने के निमित्त या राह में अपनी कार की दुर्घटना के आवेश में गाड़ी से निकल छोटी सी बात पर 'तू-तू' 'मैं-मैं' करते रुकावट डालते व्यक्तियों को उसी समय गोली या चाकू से मार डालने में भी कुछ लोग संकोच नहीं करते हैं। निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण ने आर्थिक अपराधों को बढ़ाया है। यही नहीं राजनीति में अपराधियों की घुसपैठ ने समाज में अपराध व भ्रष्टाचार की जड़ों को और अधिक गहरा कर दिया है।

समाज में निरंतर हो रहे बदलावों का प्रभाव परिवारों पर भी पड़ा है। महंगाई की मार, शिक्षा का प्रभाव और आधुनिकता व फैशन के प्रभाव ने जहां एक ओर महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में अपना सकारात्मक प्रभाव डाला है, वहीं अपराध की दुनिया में भी उसके कदमों को बढ़ाया है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि वर्ष दर वर्ष महिला अपराधियों की संख्या में वृद्धि हो रही है।

समाज शास्त्रियों ने महिला अपराधियों के मनोवैज्ञानिक कारणों की व्याख्या करते हुए यह माना कि वे प्रतिशोध के रूप में अपराध करती हैं। वे शारीरिक रूप से कमजोर नहीं हैं और पुरुषों के बराबर कुछ भी कर सकने में समर्थ हैं, इसे साबित करने के लिए तथाकथित पुरुषों के द्वारा किए जा रहे, भले ही आपराधिक कार्य क्यों न हों करने में नहीं हिचकिचातीं। कभी-कभी अपनी नैसर्गिक भूमिका से प्रतिशोध लेने के लिए भी वह अपराध करती हैं।

औद्योगिकीकरण : औद्योगिकीकरण के कारण परिवारों में विघटन होने लगता है। नौकरी की तलाश में कभी पुरुष गांवों से शहर की ओर जाते हैं तो कभी छोटे शहरों से बड़े शहरों की ओर। बड़े शहरों में हर रोज हजारों लाखों की तादाद में छोटे शहरों से लोग आते हैं। रहने को ढंग से कोई ठिकाना नहीं मिलता। मिलों के आस-पास के क्षेत्रों में कुकुर-मुत्ता सी बस्तियां उभरी होती हैं। इन झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने के स्थान की कमी होती है। छोटे से कमरों में रहने वाले बड़े परिवारों में बच्चे अधिकांश समय तक घरों से बाहर रहकर बुरी संगति में पड़कर अपराध करते हैं। छोटे-छोटे प्रलोभनों को पूरा करने के लिए वे मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल हो जाते हैं।

परिवार में मां-बाप का अनुशासन न होने, उनकी नैतिक कमजोरी व अनुशासन हीनता के चलते घरों से भाग कर दूसरे शहरों में पनाह लेते हैं, जहां गुजारा करने के लिए किसी भी अवैध धंधे में शामिल हो जाते हैं। जुआ, शराब सेवन यही मनोरंजन का साधन बन जाते हैं। ऐसे में वेश्यागमन मनोरंजन का साधन बन कर उभरता है। महिलाओं को भी जब पति छोड़कर दूसरे शहरों में चले जाते हैं तो बच्चों के पालने-पोसने की जिम्मेवारी उन पर आन पड़ती है। ऐसे में किसी घर में नौकरानी बन कर

काम करती हैं, वहां की चकाचौंध उन्हें कभी चोरी-चकारी को प्रेरित करती है, तो कभी दो जून के लिए खाने की व्यवस्था करने के लिए अपराध करने को मजबूर हो जाती हैं। विकास की राह का यह कृष्ण पक्ष है कि आगे बढ़ने की चाह में रास्तों के उचित-अनुचित होने का विवेक व्यक्ति खो बैठता है।

शहरीकरण : औद्योगिकीकरण से ही शहरीकरण जुड़ा है। गरीबी व बेरोजगारी से निजात पाने के लिए छोटे शहरों से बड़े शहरों का रुख करना और गांवों से शहरों की ओर आना, यह बड़े शहरों में आए दिन हो रहा है। हर दिन दिल्ली, मुंबई, चेन्नै, कोलकाता जैसे शहरों में रोजी रोटी की तलाश में हजारों नौजवान आकर कभी तंग बस्तियों में तो कभी रेलवे प्लेटफार्मो में सोकर अपना भाग्य आजमाते हैं। ऐसे में शहरों में आवास की समस्या बढ़ती है। एक या दो कमरे के परिवारों में गुजारा करना, किराए के मकानों के लिए निरंतर बढ़ते किराए, झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों के बढ़ने के साथ अपराध बढ़ते हैं। रेलवे स्टेशनों व अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डों पर अपना शिकार तलाशते अपराधी प्रवृत्ति के गुंडे-मवाली कभी जेबकतरों के रूप में तो कभी भोली-भाली लड़कियों को बहकाने के लिए उनके समूह की महिलाएं अपना जाल बिछाती हैं।

परिवार के स्तर पर इसका दुष्प्रभाव देखें तो एक छोटे से कमरे में वयस्क, अवयस्क दोनों को एकांत नहीं मिल पाता। यौन वासनाएं भड़कने से यौन अपराध बढ़ते हैं। किराए का मकान इतना महंगा होता है कि एक ही कमरे में कई बार अंजान व्यक्तियों, तो कभी दफ्तर के सहयोगियों के साथ रहने को मजबूर होना पड़ता है। 'लिव इन रिलेशनशिप' इस मजबूरी की वजह से भी शहरों में बढ़ रहे हैं। यह संबंध एक दूसरे को ब्लैकमेल करने और अपना मतलब साधने के बाद बीच मझधार में छोड़ कर अवसाद, मानसिक रोग, डिप्रेशन जैसे रोगों के आवेश में अपराधों को जन्म देने का कारण भी बनते हैं।

शहरों में हर व्यक्ति अपनी ही दुनिया में व्यस्त है। पड़ोस में रहने वाला किराएदार किसी अपराधी गिरोह का सदस्य है या किसी आतंकवादी गतिविधि में लगा हुआ है, यह तभी पता चलता है जब किसी घटना के बाद पुलिस उसे ढूंढ़ने आती है। शहरों की बढ़ती भीड़ में अपराधी व्यवहार पर नियंत्रण कम रहता है। कोई भी व्यक्ति अपराध करके जन सैलाब में गायब

हो जाता है। यही नहीं पहले किराए का मकान नहीं मिलता। अगर मिल जाए तो किराएदार उसे खाली नहीं करना चाहता जिससे शुरू होता है रोज का झगड़ा जो कोर्ट-कचहरी के चक्कर शुरू करवा अपराध की राह पर ले जाता है। मकान खाली करवाने के लिए गुंडों का सहारा लेना भी अब आम हो चुका है।

परिवार : अपराध के कारणों में परिवार की अहम भूमिका होती है। परिवार की असामान्य परिस्थितियां अपराध के लिए पृष्ठभूमि तैयार करती हैं। टूटते-बिगड़ते परिवार, माता-पिता का रुख, अपराधी भाई-बहन, माता-पिता का चरित्र व व्यवहार—ये सभी अपराध के कारक बनते हैं।

सबसे प्रथम टूटते-बिगड़ते परिवारों पर विचार करें तो यह देखा जा सकता है कि एक छत के नीचे एक साथ रहना ही परिवार नहीं होता पर एक दूसरे के प्रति भावनात्मक लगाव, उनमें अच्छे संस्कार, उन्हें अच्छे-बुरे का ज्ञान करवाना परिवार में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। किशोर अपराधियों पर किए गए अध्ययन यह दर्शाते हैं कि अधिकांश अपराधी भग्न परिवारों से आते हैं। इन बच्चों के माता-पिता किसी न किसी अपराध के कारण जेल में होते हैं। परिवार में अभिभावक की अनुपस्थिति कभी पेट की भूख मिटाने तो कभी लालच, तो कभी कुसंग के कारण अपराध की ओर अग्रसर होने में देर नही लगती है। पारिवारिक कलह, गरीबी या एक-दूसरे से अलगाव में जीते बच्चे विशेषकर लड़कियां भावनात्मक सुरक्षा के लिए अंजान व गलत व्यक्तियों की संगत में पड़ जाती हैं। यह स्वाभाविक है कि बड़ी बहन अनैतिक व्यवहार में लगी है तो छोटी बहन भी उसका अनुसरण करने लगे या मां-बाप ही गरीबी व बेबसी के कारण अपने ही बच्चों को गलत रास्तों पर चलने से रोक नहीं पाते हैं या फिर मजबूर हो वही उनसे अपराध करवाने लगते हैं।

माता-पिता के चरित्र व आचरण का असर उनके बच्चों पर पड़ता है। उनका अनैतिक व्यवहार ही उनको अनुसरण योग्य लगता है।

परिवार यदि अपने बच्चों की संगति पर ध्यान नहीं देता है तो उनकी बुरी संगति उन्हें अपराध की दुनिया की ओर ले जाती है। स्कूल से भाग कर फिल्म देखने जाना या सड़कों पर आवारागर्दी करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा बना जाता है। हर रोध फिल्म देखने या मनोरंजन के लिए रुपयों

की जरूरत होती है। परिवार को पता न लगे इसलिए पहले घर के भीतर चोरी और फिर बाहर चोरी करनी शुरू करना यह साधारण सी बात है फिर दोस्तों में अपना रोब रखने के लिए नए-नए मोबाइल व ब्रांडेड कपड़ों की चाहत को पूरा करने के लिए चोरी व जेबकतरी जैसे छोटे अपराधों से शुरू कर बड़े अपराधों की ओर बढ़ते हैं।

अपराध के कारणों का विवेचन यह स्पष्ट करता है कि अपराध का कोई एक कारण नहीं होता। अपराध मनोवैज्ञानिक, सामाजिक या आर्थिक कारणों के मेल से होते हैं।

मनोवैज्ञानिक कारण : अपराध के मनोवैज्ञानिक कारणों में मानसिक रोग, बौद्धिक दुर्बलता, व्यक्तित्व के लक्षण व संवेगात्मक अस्थिरता प्रमुख है। जिन परिवारों में प्रेम, नियंत्रण व स्नेह का अभाव होता है उन परिवारों के बच्चे असामाजिक प्रवृत्ति, निर्दयी, शक्की, उद्दंड, झगड़ालू, अतियौनिक तथा बदले की भावना से भरे होते हैं। ऐसे बच्चे परिवार में रहते हुए भी उपेक्षित रहते हैं जिसकी स्वाभाविक परिणति उदृंडता व हिंसात्मक व्यवहार में होती है। आदतन अपराधियों के जीवनवृत्तों के विश्लेषण बहुधा इस तथ्य को ही स्थापित करते हैं कि बचपन से ही उनका व्यवहार असंयत होता है।

कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बौद्धिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपराध करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बौद्धिक दुर्बल व्यक्ति को आसानी से बहका कर अपराध में प्रवृत किया जा सकता है।

भावनात्मक अस्थिरता के कारण भी व्यक्ति अपराध करते हैं। भावनात्मक रूप से संयमित व्यक्ति शांत स्वभाव, नियम-कानून का पालन करने वाला व सामाजिक प्राणी होता है वहीं भावनात्मक अस्थिरता वाला व्यक्ति उद्दंड, नियम भंग करने वाला व व्यक्तिगत सुख की चाहना में किसी भी कीमत पर कुछ भी पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आपराधिक प्रवृत्ति वाले बालक अक्सर साहसिक कार्यों में रुचि लेते हैं। उनके मनोरंजन के साधनों में सिगरेट पीना, जुआ खेलना, घर से बाहर रहना व स्थानीय गुंडा गिरोह के सदस्य बनना शामिल है।

अशिक्षा : गरीबी के कारण मां-बाप बच्चों को स्कूल भेजने में असमर्थ होते हैं। लड़कियों को स्कूल जाने से सिर्फ इसलिए रोका जाता है ताकि परिवार के लड़के स्कूल जा सके और वे घर-गृहस्थी के काम संभालें।

अशिक्षा की वजह से ही उन्हें बहला-फुसला कर कुछ भी करवाना संभव होता है। अच्छे-बुरे संग की पहचान उन्हें नहीं हो पाती। अनपढ़ होने की वजह से अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाती। जीवन के संघर्षों में पढ़ा-लिखा व्यक्ति जहां सोच-समझकर कदम उठाता है, वहीं अशिक्षित व्यक्ति को अपराधी बनाना बड़ा सहज होता है।

शिक्षा के अभाव में ज्ञान और विज्ञान दोनों का ही विकास नहीं हो सका है। शिक्षा की कमी के कारण ही साहूकार महाजन आज भी किसानों का शोषण कर रहे हैं। अशिक्षा की मार महिलाओं पर ज्यादा पड़ी है। अशिक्षा के कारण उन्हें अच्छी नौकरियां नहीं मिल पातीं व रुपए पैसे की कमी की भरपाई अपराध की राह पर जाकर पूरी होती है।

इतना तो तय है कि समय बदलने के साथ-साथ अपराधों के रूपों में परिवर्तन हुए हैं। गत पचास वर्षों में कंप्यूटर अपराध, क्रेडिट कार्ड की धोखा धड़ियां और इंटरनेट अपराधों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। इंटरनेट बैंकिंग से व्यक्ति को घर बैठे अपने बैंक खातों से रुपया निकालने व खरीददारी करने में सुविधा हुई पर उतनी ही तेजी से पढ़े-लिखे कंप्यूटर जानकार चोरों ने पासवर्ड वगैरह की चोरी कर बैंकों को लाखों-करोड़ों का चूना लगा कर आपराधिक गतिविधियों में इस तकनीकी व आर्थिक विकास का फायदा उठाया।

किस प्रकार ए.टी.एम. कक्ष में सी.सी.टी.वी. को बंद कर या हेल्मेट आदि पहन अपनी तस्वीर को नहीं आने देते। चोरी के क्रेडिट कार्डों से लाखों की ज्वैलरी की शापिंग करने वाली महिलाएं बहुत कम ही पकड़ में आ पाती हैं, क्योंकि उनके रहन-सहन, पहनावे व स्टाइल को देख कर उन पर कोई शक कर ही नहीं पाता है। कहीं क्रेडिट कार्डों से चोरी तो कभी बडी कंपनियों की सी.ई.ओ. बन कर ठगी के नए-नए तरीकों का प्रयोग जारी है। एक ओर भूखे बच्चों का पेट भरने के लिए खाने-पीने के सामान की चोरी करने वाली गरीब, अनपढ़ लाचार मां है तो, वहीं दहेज में बड़ी कार व जेवरात न लाने वाली बहू को जला कर मारने वाली मां है, तो कारों की चोरी करने वाली, शिशुओं को बेचने वाली, मानव तस्करी, इंटरनेशनल काल गर्ल्स रैकेट चलाने वाली महिलाएं हैं, जो अपराध की दुनिया में शिक्षा-अशिक्षा, गरीबी-अमीरी व जात-पांत और उम्र के भेदभाव को खत्म कर रही हैं।

महिला कैदियों की समस्याएं

इस अध्याय में महिला कैदियों की समस्याओं पर प्रकाश डाला जाएगा। समस्याओं का उल्लेख करने से पूर्व जेलों के भीतर की स्थितियों का आकलन करना आवश्यक है। जेल के भीतर की स्थितियां ही उनकी समस्याओं को दर्शाती हैं।

सिद्ध दोष और विचाराधीन कैदी— कुछ भेद

1. जेल मैनुअल के अनुसार विचाराधीन और सिद्ध दोष कैदियों में भेद किया जाता है। विचाराधीन कैदियों को कोई काम नहीं दिया जाता जबकि सिद्ध दोष कैदियों को काम पर लगाया जाता है।
2. विचाराधीन कैदियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल होना अनिवार्य नहीं है।
3. सिद्ध शेष कैदियों को दो जोड़ी कपड़े वर्ष में एक बार दिए जाते हैं परंतु विचाराधीन कैदियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। वे अपने पास अपने घर से लाए 2-4 जोड़ी कपड़े रख सकती हैं।

जेलों में उनकी क्षमता से अधिक संख्या में कैदी

भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में यह समस्या है कि जेलों में कैदियों की संख्या उनकी क्षमता से काफी अधिक है। अत्यंत भीड़ की वजह से सभी चीजों पर असर पड़ता है। अत्यंत भीड़ की वजह से संसाधनों के आवंटन, प्रबंधन, सुरक्षा, रहने की स्थितियों आदि सभी पर असर पड़ता है।

जेलों में अत्यंत भीड़ के मुख्यतः कई कारण है—

- गत दो दशकों से महिला अपराधियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है।
- अपराधियों की संख्या में तो वृद्धि हुई है पर उनको रखने के स्थान में वृद्धि नहीं हुई
- न्याय प्रक्रिया में विलंब के कारण विचाराधीन कैदियों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती रहती है। कई मामलों में दोष सिद्ध होने की स्थिति में मिलने वाली सजा से अधिक समय वे पहले ही वहां बिता चुकी होती हैं। उन्हें निर्णय की प्रति मिलने, जमानत की व्यवस्था न हो पाने के कारण भी जेलों में लंबे समय तक रहना पड़ता है।
- महिला कैदियों को हर शहर की जेल में रखना संभव नहीं होता इस कारण उन्हें विशेष जेलों या सेंट्रल व जिला जेलों में स्थानांतरित करने से वहां स्थान की कमी हो जाती है। यह भी जेलों में भीड़ का एक प्रमुख कारण है।
- वे आपराधिक न्याय प्रकिया में विलंब के कारण वर्षों तक विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में रहने से मानसिक अवसाद और लांछना का शिकार होती हैं।

जेल में रहने की स्थितियां

- अधिकांश जेलों में महिला कैदियों को पुरुष कैदियों से अलग रखने की व्यवस्था होती है। उनके लिए निर्धारित क्षेत्र से वे अकेले बाहर नहीं आ सकतीं। उन्हें महिला मैट्रन के साथ ही अपने रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए अथवा कोर्ट में हाजिरी के लिए महिला कांस्टेबल के साथ जाना होता है।
- जेल पर्यवेक्षक की अनुमति के बिना महिला कैदियों के क्षेत्र में किसी को जाने की अनुमति नहीं होती है।
- जेल पर्यवेक्षक और डाक्टर भी मैट्रन की उपस्थिति में प्रवेश करते हैं।
- प्रत्येक कोठरी में महिलाओं की संख्या इतनी अधिक होती है कि कइयों को जमीन पर बिस्तर लगाना पड़ता है।
- स्थान के अभाव में शारीरिक गतिविधियों की कमी के चलते

मांसपेशियों में जटिलता आ जाने से बदन दर्द की शिकायत सभी की आपबीती है।

भवनों की स्थिति

अधिकांश राज्यों में जेल की इमारतें काफी पुरानी हैं जिनकी मरम्मत के लिए हर साल वार्षिक बजट की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है।

कुछ राज्यों को छोड़कर अधिकांश राज्यों में बैरकों की भीतरी दीवारों के प्लास्टर गिरते रहते हैं बरसों से रंगाई-पुताई का अभाव रहता है जिस कारण भीतरी स्थान गंदा व सीलन भरा व नीरस दिखता है। यही हालात फर्श की भी होती है वहां का सीमेंट भी उखड़ा हुआ और जगह-जगह टूटा होता है।

बिजली की फिटिंग्स की कहानी भी सुरक्षा के खतरे की कहानी होती है। पंखों की संख्या कम होना, पंखों का खराब होना, स्विच बोर्ड टूटे होने यह भी सामान्य स्थितियां हैं।

किचन

कमोबेश किचन की स्थितियां भी सभी जेलों में दयनीय हालात में होती हैं। किचन फर्श का टूटा होना, वहां चारों ओर गंदगी फैले रहना आम नजारा होता है। खाना बनाने वाले कैदियों के कपड़े गंदे, मैले-कुचैले, लंबे-लंबे नाखूनों वाले गंदे हाथों से खाना बनाना जो खाने को विषैला बना सकता है।

किचन की साफ-सफाई के इंतजाम में कमी, कच्ची-पकी, जली रोटियां, बेस्वाद खाना, बर्तनों की सफाई भी ढंग से न होना यह सब स्थितियां कहीं कम कहीं ज्यादा दिख जाती हैं।

खाने-पीने के सामान की चोरी की समस्या भी जेलों में दिखती है। प्रति दिन जारी होने वाले राशन में हेरा फेरी करना, मेस कमेटी द्वारा निरीक्षण न करना, न ही डाक्टर द्वारा मुआयना करना, दूध में दूध और पानी की मात्रा का बराबर होना, दूध की भी चोरी करना, बीमार व्यक्तियों के हिस्से का दूध, बच्चों के हिस्से का दूध व छोटे शिशुओं की माताओं के लिए निर्धारित दूध को उनकी मांओं के द्वारा ही बेच कर दूसरे सामान

खरीदना, खाना बनाने वाले रसोइए को पसीने से तर-बतर हालात में दालों की पतीलों में अपने पसीने को डालते देखा जा सकता है।

किचन में पानी की भी कमी होने के कारण बड़े-बड़े बर्तनों की ढंग से सफाई, सब्जियों और दालों को अच्छी तरह धोना संभव नहीं होता। ऐसे में दालों में कंकड़ और मिट्टी का रहना तो कभी कच्ची दाल तो कभी अधपकी रोटियों को देखकर भूख मर ही जाती है। कुकिंग के चूल्हों के ताप को कम या अधिक करने की व्यवस्था न होने के कारण दाल-सब्जियों का जल जाना तो तय ही होता है। इतना ही नहीं खाना बनाने वाले कैदियों को एप्रेन व तौलिए भी नहीं दिए जाते। कहीं-कहीं पीने के पानी के सुनिश्चित रख-रखाव की व्यवस्था नहीं होती है।

किचन में बीड़ी व सिगरेट के टुकड़े बिखरे दिख जाते हैं जो यह इंगित करते हैं कि खाना बनाते हुए वे सिगरेट पीते हैं।

साफ-सफाई की व्यवस्था

अपनी निर्धारित क्षमता से अधिक कैदियों की संख्या के कारण साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित होनी संभव नहीं है। पानी की कमी के चलते भी सुनिश्चित सफाई संभव नहीं होती है।

आहार व्यवस्था

- जेल मैनुअल के अनुसार कैदियों के लिए आहार की व्यवस्था की जाती है।
- डाक्टर की सिफारिश के आधार पर बीमार, रोगी व छोटे शिशुओं की माताओं, गर्भवती स्त्रियों के लिए विशेष आहार की व्यवस्था की जाती है।
- कैदियों को जेल की कैंटीन से सामान खरीदने अथवा घर से आए सामान को खाने की अनुमति भी होती है।
- महिलाओं को अपना खाना बनाने की अनुमति भी दी जाती है।

पोशाक व अन्य जरूरत का सामान

- सिद्ध शेष कैदियों को वर्ष में एक बार दो जोड़ी सफेद सूती पोशाक

दी जाती है। वे घर से लाए कपड़े भी पहनती हैं।

- विचाराधीन कैदियों को कोई पोशाक नहीं मिलती, वे अपने घर से लाए कपड़े पहनती हैं। 2-4 जोड़े कपड़े रखने की अनुमति होती है।
- करवा चौथ, दीपावली जैसे त्योहारों पर उन्हें अच्छे वस्त्र पहनने और मेंहंदी आदि लगाने की छूट मिलती है।
- कैदियों को अच्छे कपड़े नहीं पहनने दिए जाते यह जानकारी वे दबी आवाज में देती हैं। उन्हें लिपस्टिक हर रोज नहीं लगाने देते।
- उन्हें सुहाग के चिह्न जैसे—मंगलसूत्र, बिंदी आदि लगाने की अनुमति दी जाती है। विभिन्न अध्ययन रिपोर्टों में समय समय पर यह सिफारिश की जाती रही है कि उन्हें सजने-संवरने व अपनी पसंद के कपड़े यदा-कदा पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- प्रत्येक कैदी को महीने में नहाने व कपड़े धोने के साबुन, टूथपेस्ट, तेल व कंघी आदि भी दी जाती है। महिला मैट्रन की मदद से वे शीशा खरीद तो लेती हैं पर कुछ दिनों बाद मैट्रन ही उन्हें शीशा रखने के आरोप में डांट-फटकार लगा शीशा तोड़ डालती है। फिर दुबारा उनसे रुपए लेकर नया खरीद कर ला कर देती है। इस बहाने बीस रुपए का शीशा पचास रुपए में बेच कर वह रुपए कमाने का एक साधन बना लेती है।
- यही नहीं, कैदियों को दिए जाने वाले इस सामान की गुणवत्ता की जांच करने के लिए कोई निगरानी प्रक्रिया नहीं है।
- सेनिटरी नेपकिनों के स्थान पर मोटा कपड़ा इस्तेमाल करने की घटनाएं भी सुनने को मिलती हैं। उन्हें नियमित तौर पर सेनिटरी नेपकिन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। यह उनकी स्वास्थ्य समस्या का एक प्रमुख कारण होता है। स्वच्छता के अभाव में वे संक्रमण का शिकार होती हैं
- सभी कैदियों को एक समान बिस्तर उपलब्ध करवाए जाते हैं। परंतु जेल का बिस्तर भला आराम का सबब कैसे हो सकता है।

शिक्षा व साक्षरता

सभी जेलों में एन.जी.ओ. के सहयोग से औपचारिक व अनौपचारिक

शिक्षा की व्यवस्था की जाती है।

तिहाड़ जेल में रहते हुए दस्यु सुंदरी फूलन देवी ने पढ़ना सीखा था। यह समाचार-पत्रों की सुर्खियों में था, उसने और जेल में रहते हुए। संसद सदस्य के चुनाव का फार्म भरा था। इससे पूर्व वह बिल्कुल निरक्षर थीं।

एन.जी.ओ. के सतत् प्रयासों से कैदियों को साक्षर करने के प्रयास किए जाते हैं और जो कैदी आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं उन्हें यह सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। अक्सर समाचार पत्र, पत्रिकाओं में विभिन्न जेलों में इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी व अन्य यूनिवर्सिटियों के परीक्षा केंद्रों के समाचार प्रकाशित होते हैं। तिहाड़ जेल के तीन कैदियों के सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने का समाचार भी पिछले दिनों (जून, 2011) सुर्खियों में था। जेल के भीतर चलाई जाने वाली कक्षाओं में अधिक पढ़ी-लिखी कैदी, कम पढ़ी-लिखी कैदियों को पढ़ाती हैं, परंतु इन सुविधाओं का लाभ सभी नहीं उठा पाती हैं।

लाइब्रेरी सुविधाएं

सभी जेलों के कैदियों के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाती है तथापि यह पाया जाता है कि अधिकांशतः विचाराधीन कैदी अनपढ़ व अशिक्षित होती हैं, इस कारण वे लाइब्रेरी से पुस्तकें नहीं ले पाती हैं। पुस्तकें भी पुरानी होती हैं व नई पुस्तकें कम ही खरीदी जाती हैं। स्कूल-कालेज के विद्यार्थियों को व आम जनता को लाइब्रेरी में पुस्तकें दान देने की अपील की जाए, इस प्रकार के सुझाव एक अध्ययन दल ने दिए भी परंतु ऐसे सुझावों पर न तो अमल किया जाता हैं और न ही उनकी पढ़ने में रुचि होती है तथा न ही वैसा माहौल होता जहां वे पढ़ सकें।

मनोरंजन सुविधाएं

महिला बैरकों में एक टी.वी. की व्यवस्था की जाती है। महिलाएं समूह बना कर भजन-कीर्तन भी करती हैं। एन.जी.ओ. के सहयोग से विभिन्न जेलों में योग, विपयना, आर्ट आफ लिविंग जैसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

महिला कैदियों के बच्चे—सामान्य व्यवस्था

- महिला कैदियों को पांच वर्ष की उम्र तक के बच्चे को अपने साथ रखने की अनुमति होती है।
- बड़ा होने पर उसे परिवार के पास भेज दिया जाता है। उसके बाद जेल नियमों के अनुसार वह जेल आकर मुलाकात के दिन मां से मिल सकता है।
- यदि उसके परिवार में उसे रखने की सुविधा न हो तो किसी एन.जी.ओ. के सहयोग से किसी बाल गृह आश्रम में उसके रहने की व्यवस्था की जाती है। छोटे शिशुओं के लिए विशेष आहार की व्यवस्था की जाती है।
- बच्चों के लिए भी विशेष आहार की व्यवस्था की जाती है।
- बीमार होने पर उन्हें बाल रोग विशेषज्ञों को दिखाया जाता है।
- बच्चों के खेलकूद, शिक्षा व क्रेच की भी व्यवस्था की जाती है।

परिवार सदस्यों से मुलाकात

- सप्ताह में एक अथवा दो बार तीस मिनट तक परिवार के सदस्यों से मिलने की सुविधा सभी कैदियों को दी जाती है।
- यदि परिवार के एक से अधिक सदस्य जेल में हैं या फिर पति-पत्नी दोनों जेल में हों तो सप्ताह में उन्हें एक बार मैट्रन की उपस्थिति में मुलाकात करने का अवसर दिया जाता है।
- इन मुलाकातों के दौरान कैदी अपने परिवार के सदस्यों से कपड़े, कच्ची सब्जी, फल प्राप्त कर सकती हैं और उन्हें जेल कैंटीन से लकड़ी आदि खरीद कर पका सकती हैं।
- यदि वे अपने वकील से मुलाकात करना चाहती हैं तो उसकी अनुमति दी जाती है।
- उन्हें अपने परिवार के सदस्यों को पत्र लिखने व प्राप्त करने की भी अनुमति होती है (उन्हें सेंसर किया जाता है)

स्वास्थ्य व चिकित्सा सुविधाएं

- जेल मैनुअल के अनुसार प्रत्येक जेल में महिला डाक्टर और

आवश्यकतानुसार अन्य रोग विशेषज्ञों को बुलाया जाता है या उनके पास कैदियों को इलाज के लिए भेजा जाता है।

- यूं तो किसी भी उम्र की महिलाएं किसी न किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से जूझती रहती हैं पर जेलों में महिलाओं को अपेक्षाकृत अधिक स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। उम्र के अनुसार उनकी कुछ समस्याएं निम्नानुसार हैं:

उम्र-समूह	*शारीरिक बीमारी*	*मनोवैज्ञानिक समस्याएं*	*मनोरोग लक्षण*
18-35	दंत रोग, चर्म रोग, यौन व मूत्र संक्रमण	अलसर, माइग्रेन, भूख न लगना, शारीरिक स्वास्थ्य की चिंता	बेचैनी, डिप्रेशन, सिजोफ्रिनिया
35-50	स्त्री रोग समस्याएं, मूत्र संक्रमण व चर्म रोग	हाइपरटेंशन, माइग्रेन, मेनोपाज पूर्व लक्षण	अपराध बोध
50-70	जोड़ों का दर्द, आंखों से कम दिखाई देना, अपच, एसिडिटी शारीरिक कमजोरी	सांस फूलना, भूख न लगना, अपच, एसिडिटी	हर समय उदासी, बेचैनी, अपराध बोध व निसहाय महसूस करना।

- जेल में प्रवेश के समय सभी कैदियों की चिकित्सा जांच की जाती है। वर्ष में एक बार सलाना चेकअप भी किए जाते हैं।
- जेल में प्रवेश के समय उनके गर्भवती होने की जांच भी की जाती है। गर्भवती होने की स्थिति में विशेष देखभाल की व्यवस्था की जाती है। प्रसव नजदीक के किसी सरकारी अस्पताल में कराया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रसव का स्थान जेल न लिखा जाए।
- ऐसी कैदियों के लिए डाक्टर विशेष आहार भी निर्धारित करती है।
- व्यवहार में यह देखने में आता है कि जेल में प्रवेश के बाद के कई दिनों तक उनकी मानसिक स्थिति तनावग्रस्त होती है। अवसाद और बेचैनी होना स्वाभाविक है। उन्हें नींद न आने की समस्या होती है। दिन तो किसी तरह कट जाता है पर रात काटनी मुश्किल होती है।

- व्यवहार में कई बार डाक्टर उन्हें विशेषज्ञ को रेफर नहीं करती हैं। कोर्ट से आदेश होने के बाद भी कई बार डाक्टर उन्हें विशेषज्ञ के पास नहीं भेजती हैं। महिला कैदियों में कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो बाहर घूमने के लिए बीमारी का बहाना बना कर बाहर निकलती हैं। ऐसे में जरूरतमंद अपनी बीमारी का पूरा इलाज ही नहीं करा पातीं।

कैदियों का वर्गीकरण और विभाजन

जेल मैनुअल के अनुसार कैदियों को अपराध के आधार पर विभाजित करने की व्यवस्था है। आदतन अथवा हत्या के अपराधियों को अन्य अपराधियों से अलग रखा जाना चाहिए। सिद्ध शेष कैदियों और विचाराधीन कैदियों को अलग रखा जाता है। व्यवस्था यह भी है कि उम्रदराज व छोटी उम्र की कैदियों को अलग अलग रखा जाए। आदतन अपराधी, वेश्या, वेश्यागृह मालकिन को अन्य कैदियों से अलग रखा जाए।

इस तरह के विभाजन का उद्देश्य आपराधिक मनोवृत्ति वाले कैदियों को दूसरी महिलाओं से अलग रखना है परंतु जैसा कि देखा जाता है कि सभी जेलों में निर्धारित क्षमता से अधिक कैदियों के होने की वजह से ऐसा विभाजन हो नहीं पाता। इस कारण बुरे प्रभाव वाली महिलाओं का दबदबा होता है।

नशीले पदार्थों की तस्करी में पकड़ी गई महिलाएं यहां भी नशीले पदार्थ बेचने से बाज नहीं आतीं। पैरोल पर छूटने के बाद लौटने पर या कोर्ट से वापस आते हुए अपने साथ नशीले पदार्थ लेकर आती हैं और उन्हें जेल के भीतर उनके खरीददार मिल जाते हैं। महिलाओं के लिए बहुत ही कम ओपन जेल हैं।

विधिक सहायता

- कमजोर तबके की महिलाओं को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
- जेल में लोक अदालत लगाने के प्रावधान भी किए गए हैं।
- महिला कैदियों के अच्छे व्यवहार को ध्यान में रख कर जेल सुपरिंटेंडेंट उन्हें पैरोल पर छोड़ सकता है।

- कैदी जिनके साथ बच्चे हैं उनके हितों का ध्यान रखा जाता है।
- यह व्यवस्था भी की गई कि जहां तक संभव हो बच्चों को वयस्कों के साथ न रखा जाए पर उन्हें मां से मुलाकात करने का मौका दिया जाए। यदि बच्चे मां के साथ रह रहे हों तो उन्हें भोजन, अलग से वस्त्र, मनोरंजन, शिक्षा व मुलाकात आदि का अधिकार दिया जाए।
- जब बच्चे जेल में रहने की उम्र से बड़े हो जाएं तो उसके बाद उनके लिए मां से मुलाकात का मौका सुनिश्चित किया जाए।
- जिन महिलाओं से किसी प्रकार का जोखिम न हों और वे अन्य मानदंड पूरे करती हों तो उन्हें ओपन जेलों में रखा जाए जहां वे खेती व अन्य काम कर सकती हैं।
- महिलाएं जिस शहर की रहने वाली होती हैं उसी शहर की जेल में रहना चाहती हैं ताकि परिवार के सदस्यों से मिल सकें। इसके अलावा दहेज-मृत्यु के मामले में कई बार पूरा परिवार ही उसी जेल में होता है। महिला को दूर दराज की जेल में भेज देने से उससे मिलने के लिए कोई भी नहीं आ पाएगा।
- अधिकांश महिलाएं गरीब परिवारों की होती हैं। अपने शहर से दूर जाने के बाद परिवार के लोगों के लिए उनसे मिलने आने के लिए अधिक धन व समय बर्बाद होगा जिसे संभवतः वह लगाना न चाहें और मुलाकातों की अवधि में अंतराल बढ़ने लगे। किसी गरीब व्यक्ति के लिए एक दिन का समय यात्रा में बिता कर आधे घंटे की मुलाकात के लिए आना महंगा पड़ा सकता है और गरीब व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वह एक दिन की मजदूरी छोड़ कर आए।
- घर की स्त्री यदि जेल में है तो पुरुष की बच्चों को स्कूल भेजने की जिम्मेवारी होती है। बच्चों को स्कूल से छुट्टी करा कर साथ ले जाने या फिर रिश्तेदारों के भरोसे उन्हें छोड़ कर लंबी यात्रा पर पत्नी से मिलने जाना उसके लिए दोनों ही स्थितियां दुखदाई हैं।
- परिवार के लोगों से मुलाकात का अर्थ यह भी तो होता है कि घर का बना खाना और खाने पीने की दूसरी चीजें आएगी जो जेल के बेमजा खाने से तो अच्छी होती ही है और परिवार के सदस्यों से

मिलने की आस भी बंधाती हैं कि फिर पंद्रह दिन बाद ये लोग मिलने आएंगे। यदि दूसरे शहर चली जाएंगी तो यह आस भी टूट जाएगी।

- ऐसे में यदि कोर्ट में केस चल रहा हो तो वकील से मुलाकात के खर्चे भी बढ़ जाएंगे।
- यह सारी समस्याएं महिला कैदियों के सामने आती हैं। जिनका समाधान उनके पास नहीं होता है।

स्वच्छता का अभाव

सभी जेलों में निर्धारित क्षमता से अधिक कैदी बंद होने की वजह से कहीं चालीस शौचालय व तीस स्नानगृहों का प्रयोग करने वाली महिलाओं की संख्या 200 तक हों तो उन शौचालयों की सफाई भला कब तक की जा सकती है। साफ-सफाई न होने की एक वजह पानी की आपूर्ति का कम होना भी है। फिर शाम होने के बाद बैरकों में एक शौचालय होने के कारण रात भर बदबू व गंदगी व दुर्गंध में उन्हें रात काटने को मजबूर होना पड़ता है। ऐसे में संक्रमण से बीमारियां होनी स्वाभाविक हैं।

महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा अधिक स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत है। स्वच्छता के अभाव में उन्हें मूत्र संकमण की संभावनाएं होती हैं। उम्र के एक मोड़ पर जहां मासिक धर्म की समस्याएं होती हैं तो दूसरे मोड़ पर मेनोपाज की समस्या उन्हें घेरती है। प्रजनन उम्र में शिशुजन्म व उसके बाद की स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। इसके अलावा डायबिटीज, हृदय रोग, थाइराइड, जोड़ों के दर्द वगैरह से भी उनका चोली दामन का साथ है।

इन रोगों के अलावा महिलाएं मानसिक रोगों से भी अपेक्षाकृत अधिक ग्रस्त रहती हैं। कभी परिवार की वजह से तो कभी परिवार से दूर रहने के कारण वे तनावग्रस्त होती हैं। उन्हें मानसिक रोगों के अस्पतालों में रखने की बजाय कई जघन्य अपराध करने वाली महिलाओं के बीच रखा जाता है। जहां उनके दुःख-तकलीफ को कोई समझता ही नहीं है।

नान आफिशियल विजिटरों के दौरे

जेलों में विचाराधीन कैदियों की संख्या अधिक होने के कारण जेल प्रशासन के लिए सबका सुनिश्चित प्रबंधन संभव नहीं होता। कैदियों को

क्या समस्याएं हैं इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए जहां एक ओर याचिका पेटिकाओं की व्यवस्था होती है वहीं नान आफिशियल विजिटर और बोर्ड की भी व्यवस्था जेल मैनुअलों में की गई है। जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर ने भी अपनी रिपोर्ट में यह इंगित किया था और जेलों की यह वास्तविकता भी है जिसे रिपोर्ट में इस प्रकार स्पष्ट किया गए है कि जेलों में नान आफिशियल विजिटर की व्यवस्था विद्यमान तो है परंतु वह मात्र कागजातों में है। कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि यदि जिलों के समाज सेवकों को इस कार्य से जोड़ा जाता है और उन्हें कुछ अधिकार दिए जाते हैं तो काफी मददगार हो सकते हैं।

नान आफिशियल विजिटर का पैनल जेल और कैदियों की स्थितियों का आकलन कर सकता है। यदि जेल विजिटर महिला कैदियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछ लेते हैं कि—

- क्या उन्हें पुरुष कैदियों से पूरी तरह अलग रखा जाता है और महिला स्टाफ चौबीसों घंटे उनकी सुरक्षा करता है ?
- क्या महिला डाक्टर व सहायक हैं?
- क्या उन्हें परिवार के सदस्यों से संपर्क में रहने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं? क्या उनके परिवार के सदस्य उनसे नियमित रूप से मिलने आते हैं? क्या उन्हें आवश्यक भावनात्मक, सामाजिक व विधिक सहायता मिल रही है? यदि नहीं तो क्यों?

इन सवालों के जवाब में ही महिला कैदियों की कई समस्याओं का खुलासा हो जाता है। विजिटर उनके परिवार के सदस्यों से मिल कर उन्हें महिला कैदी से नियमित मुलाकात करवाने में मदद कर सकते हैं।

जहां परिवार से दूरी उन्हें एकदम अलग-थलग कर देती है और भीड़ में भी अकेले महसूस कर वे तनाव में रहती हैं जिसका असर साथ रह रही महिलाओं पर भी पड़ता है। महिला कैदी गली मोहल्लों की औरतों की तरह छोटी-छोटी बातों के कारण परस्पर झगड़ती हैं व वहां भी दादागिरी करने वाली महिलाएं अपना रौब रखती हैं।

विजिटर उनकी समस्याओं को महसूस कर उन्हें सुलझा सकते हैं पर उनका नियमित न आना और आकर भी उनसे बातचीत न करना या उन तक उनकी अपनी शिकायत न पहुंचा पाना, उनके बीच अपरिचय का

माहौल बना रहे, यह उनकी एक जटिल समस्या है।

यदि विजिटर नियमित आते हैं तो छोटे बच्चों की माताओं, उनके साथ रह रहे बच्चों की क्रेच, पढ़ाई और उन्हें किसी एन.जी.ओ. के माध्यम से कहीं आवासीय स्कूलों में भर्ती के प्रयास करवा सकते हैं। विचाराधीन कैदियों के मामलों की शीघ्र सुनवाई, उनके लिए निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाने में मदद कर सकते हैं पर यह मदद के हाथ अक्सर गायब रहते हैं।

कृष्णा अय्यर समिति के अनुसार कैदी और जेल कर्मचारी दोनों अधिकारों और सीमाओं के प्रति अज्ञानता और मिथ्या जानकारी के रोग से पीड़ित हैं। भारतीय जेलों में विचाराधीन कैदी ऐसे अपराधों के लिए 4-5 वर्षों की सजा काट लेते हैं जिनके लिए यदि समय पर फैसला आता तो 2 वर्ष पहले ही रिहा हो जाते। महिला कैदियों को जमानत पर छूटने की इजाजत मिल जाने के बाद भी वे सजा काटती रहती हैं, क्योंकि उनकी जमानत देनेवाला कोई नहीं होता। दूसरे उन्हें रिहा करने से पहले कोई योजना नहीं बनाई जाती है और न ही उनके पुनर्वास के उपाय किए जाते हैं।

जेल में रह चुकने के कारण उन पर हमेशा शक किया जाता है और लांछन लगाए जाते हैं। पति व परिवार स्वीकार नहीं करते। बहुत निष्ठुर और दयनीय परिस्थितियों का सामना करते हुए मानसिक अवसाद और अन्य मनोरोग हो जाते हैं पर जेलों में मनोवैज्ञानिक उपचार व परामर्श की व्यवस्था न के बराबर होती है। कृष्णा अय्यर समिति ने भी यह रेखांकित किया कि जेलों में मानसिक देखभाल की कमी एक गंभीर समस्या है जो महिला कैदियों की सेहत पर बुरा असर डालती है। भारतीय जेलों में मरने वाले कैदी कुपोषण और स्वास्थ्य की देखभाल की कमी का शिकार होते हैं।

व्यावसायिक प्रशिक्षण

महिला कैदियों के लिए गृह विज्ञान, डाई वर्क, सिलाई, नीडल वर्क, एंब्रायडरी, बुनाई, गृहसज्जा, टाय मेंकिंग, कृत्रिम फूल बनाना, हथकरघा बुनाई, साबुन, हौजरी, छतरी बनाना, केन व बेंत वर्क, पेपर क्राफट, सिरेमिक, स्टेशनरी वस्तुएं, मोमबत्ती, स्लेट-पेंसिल, चाक बनाने, फाइबर

वर्क, लैंपशेड मेंकिंग, पेटिंग, ड्राइंग, हैंडीक्राफ्ट, मधुमक्खी पालन, किचन गार्डनिंग, पोल्ट्री व फल व सब्जियों का संरक्षण हैं। जैसे—व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

महिला कैदियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं तो हैं, परंतु इन अवसरों का वे सुनिश्चित लाभ नहीं उठा पाती हैं क्योंकि अशिक्षित व निरक्षर महिलाओं को सीखने में अधिक समय लगता है और उन्हें सीखने में कोई रुचि नहीं होती। अक्सर जो प्रशिक्षण उन्हें पसंद होता है, उसकी उस जेल में व्यवस्था ही नहीं होती है।

जेलों में बंद महिलाएं जेल से पूर्व अपनी जिंदगी की समस्याओं से अधिकांशतः त्रस्त होकर ही जेल की सलाखों के पीछे पहुंचती हैं। जेल में आने से पूर्व अपने परिवार की समस्याओं, स्कूल व कामकाज के स्थान पर असफलता, ड्रग्स सेवन, मानसिक समस्याओं से जूझते-जूझते इन हालात में पहुंची। अध्ययन रिपोर्ट यह दर्शाती है कि गरीबी, भुखमरी, एकल मातृत्व और बेघर होने की स्थितियां उन्हें अपराध की दुनिया में धकेलती हैं।

अपराध शास्त्री यह मानते हैं कि जेलों में बंद महिलाओं की समस्याएं पुरुषों से भिन्न होती हैं। कैद में महिलाओं को कई प्रकार की समस्याएं पेश आती हैं। कुछ तो जेल में आने से पहले की समस्याएं होती हैं और कुछ जेल में आने के बाद शुरू होती है। जेल में पहुंचने वाली महिलाएं पहले से प्रताड़ना का शिकार होती हैं, परिवार में अस्थिरता, स्कूल व नौकरी में असफलता और मानसिक समस्याएं होना कुछ आम समस्याएं हैं। कुछ सामाजिक कारक भी है जिनके कारण वे समाज की मुख्यधारा के हाशिए पर होती हैं और उस कारण महिला कैदियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। गरीबी, समाज के कमजोर तबके, एकल मातृत्व और बेघर-बार कुछ ऐसे कारक हैं जो न केवल एक देश बल्कि पूरे विश्व की महिला कैदियों की आपबीती है। अपराध शास्त्रियों का मानना है कि जेल तंत्र महिला कैदियों की समस्याओं को नहीं समझ पाता है, इस कारण उनकी समस्याओं को दूर करने के संस्थागत उपाय अपर्याप्त ही बने रहते हैं।

बच्चों से अलगाव

अधिकांश महिलाएं विवाहित होती हैं और अधिकांश के बच्चे छोटे ही होते हैं। उन्हें अपने परिवार से संबंध बनाए रखने में कई समस्याएं आती हैं। जेलखाने और बच्चों के बीच दूरी, परिवहन सुविधाओं का अभाव, आर्थिक तंगी के कारण वे इन हालातों में तो पहुंचती ही हैं। बच्चे अपने मां की गिरफ्तारी से सदमें में होते हैं। उनमें गुस्सा, बेचैनी, तनाव और विद्रोह की भावनाएं अधिक होती हैं। मां की अनुपस्थिति में अपने रिश्तेदारों के पास रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बुजुर्ग दादा-दादी या नाना-नानी के पास होने के कारण वे मां से मिलने के लिए कम ही पहुंच पाते हैं। इस कारण मां से दूरियां बढ़ती चली जाती हैं। गर्भवती महिलाओं को भी अपने नवजात शिशु से भी कभी-कभी अलग होना पड़ता है।

यौन हिंसा : महिला कैदी यौन हिंसा का शिकार होती हैं। प्राकृतिक यौन संसर्ग से दूर महिलाएं अपने से कमजोर महिलाओं से यौनसुख पाने की चाहत में उनका यौन शोषण करती हैं। ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों की भी हवस का शिकार उन्हें होना पड़ता है। नि:संदेह जेल की स्थितियां समस्याओं का पर्याय तो है ही। विचाराधीन कैदियों को अपनी जमानत, विधिक सहायता और अपना वकील तय करने में समस्याएं आती हैं। उन्हें अपने परिवार से मिलने में समस्याएं आती हैं। विचाराधीन कैदियों की तादाद को कम करने के लिए उपनीत लाली की अध्ययन रिपोर्ट' जेलों में विचाराधीन कैदियों को कम करने के लिए कार्यनीति' (2006) में यह सिफारिश की गई कि विचाराधीन कैदियों को निजी मुचलके पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

जेलों में लोक अदालतें चलाई जाए। शहर में जमानत होस्टलों का प्रावधान हो। प्रत्येक जेल में विचाराधीन कैदियों के आंकड़ों के रखरखाव की व्यवस्था हों, जेल स्टाफ के अति सक्रिय होने, उनके प्रशिक्षण, प्रोबेशन सिस्टम के अधिक प्रयोग, समुदाय न्याय प्रक्रिया, जेलों, पुलिस व एन.जी.ओ. के बीच उचित तालमेल से ही सुधार संभव है। न्याय तंत्र को विचाराधीन कैदियों की समस्याओं के प्रति संवेदी बनाया जाए।

समस्याओं के निदान का एक विकल्प - ओपन जेल

एम.जेड. खान ने भारत में ओपन जेल पर वर्ष 2007 में अध्ययन किया और यह पाया कि देश के 16 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में ओपन जेल नहीं हैं। जहां हैं भी वे ग्रामीण क्षेत्रों में बनाई गई है। उन्हें काम पर लगाने के कारण उनकी शिक्षा व वोकेशनल प्रशिक्षण को कम तरजीह दी गई भले ही उन्हें कृषि के काम पर लगाया गया पर वहां भी आधुनिकता का अभाव है। उन्हें आधुनिक बनाने के प्रयास किए जाना चाहिए। उन्हें मजदूरी के सिवाय अन्य कोई आर्थिक इमदाद अथवा अन्य कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है। यही नहीं हेग कांफ्रेंस (1952) में दी गई सिफारिशों के अनुसार ओपन जेल शहरी इलाकों में भी बनाए जाएं जहां सेवा व उत्पादन गतिविधियां शुरू की जाए। इससे ओपन जेलों में नौकरी करने के अनिच्छुक जेल स्टाफ को भी लाभ मिल पाएगा।

ओपन जेल के कैदियों के लिए साक्षरता कार्यक्रम भी संचालित किए जाए। सर्वशिक्षा अभियान और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उन्हें प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। उन्हें प्रशिक्षित करने से वे आत्मनिर्भर और स्वरोजगार की ओर प्रोत्साहित हो पाएंगे।

ओपन जेल के कैदियों को नियमित आधार पर काउंसलिंग व मार्ग निर्देशन देने से उनके व्यक्तित्व का विकास संभव हो पाएगा। उन्हें अपने परिवार व समुदाय से संपर्क करने के मौकों को बढ़ाया जाना चाहिए। ओपन जेल के कैदियों की छूट अवधि को सभी राज्यों में एक समान किया जाना चाहिए।

यही नहीं ओपन जेल के स्टाफ को विशेष प्रशिक्षण व आवासीय सुविधाएं दी जाए ताकि वे सुधारात्मक फिलोसफी में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें उन्हें छुट्टी आदि की भी सुविधाएं दी जाएं।

ओपन जेल में सहयोग कर रहे गैर सरकारी संगठन, यूनिवर्सिटी और विधि व समाज कल्याण विभागों को एक साथ मिल कर जेल सुधार की दिशा में मात्रात्मक व गुणात्मक प्रयास करने चाहिए।

महिलाओं के लिए बहुत ही कम ओपन जेल हैं। उनके लिए हर राज्य में ओपन जेल की व्यवस्था होनी चाहिए।

ओपन जेल के मामले में महिला कैदी जेल प्रशासन के भेदभाव का परिचय देती हैं। खुले आसमान के नीचे खुली हवा में संभवतः उनकी कुछ

शारीरिक व मानसिक समस्याएं स्वतः ही कम हो जाएं।

महिला कैदियों के बच्चे

महिला कैदियों के बच्चों की समस्या पर जस्टिस कृष्णा अय्यर कमेटी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि भारतीय जेलों में कुछ ही जेलों को छोड़कर शेष सभी में महिला कैदियों के बच्चों को रखने की स्थितियां संतोषजनक नहीं थीं। जेलों में उनकी शिक्षा व पुनर्शिक्षा की उपेक्षा की जाती है। उनकी भावनात्मक जरूरतों को नजरअंदाज किया जाता है। सुनिश्चित बाल गृहों के अभाव में 8-9 वर्ष के बच्चे मां के ही साथ जेल में बंद होते हैं।

महिला कैदियों के बच्चों के दो वर्ग होते हैं। एक वर्ग उन बच्चों का होता है जो पीछे परिवार में रह जाते हैं और दूसरे उस उम्र के बच्चे जिन्हें वे परिवार के पास छोड़ कर नहीं बल्कि अपने साथ जेल में ले आती है या गर्भवती स्थिति में वे जेल में आती हैं, जहां वे पैदा होते हैं।

मुंबई में कार्यरत एन.जी.ओ. 'प्रयास' ने ऐसे बच्चों को निम्न समूहों में बांटा है—

- कस्टडी के दौरान जेल में पैदा हुए बच्चे।
- मां के साथ जेल में आए कम उम्र के बच्चे।
- जब दोनों अभिभावक जेल में हों और बच्चे घर में पीछे छूट जाएं।
- मां के जेल में होने के कारण अल्प वयस्क को पीनल कस्टडी में लिया जाए।
- मां के कारावास के दौरान अल्प वयस्क से वयस्क होते बच्चे।

विभिन्न जेलों के अध्ययन यह दर्शाते हैं कि ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए जेलों में कोई प्रशिक्षित स्टाफ नहीं होता जो उनकी शारीरिक व भावनात्मक अपेक्षाओं को पूरा कर पाए।

अधिकांश जेलों में उनके भोजन के लिए अलग से व्यवस्था नहीं होती। वे मां को मिले खाने में से खा ही पाते हैं। बढ़ती उम्र के बच्चों को शारीरिक विकास के लिए जिस पौष्टिक भोजन की जरूरत होती है वह उन्हें नहीं मिल पाता है। यह उन बच्चों के जीवन की त्रासदी ही होती है कि बिना अपराध किए वे जेल में सजा काटते हैं और समाज के अपराधी वर्ग के बीच

उन्हें अपना बचपन बिताने को मजबूर होना पड़ता है।

उन्हें अलग भोजन के अलावा जरूरत पड़ने पर चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं होती हैं। बच्चों की स्कूली शिक्षा व मनोरंजन के साधनों का भी अभाव होता है।

जब कोई महिला पहली बार गिरफ्तार होती है और सजा मिलने पर जेल में जीने को मजबूर होती है तो मां व बच्चे यदि पीछे घर पर छूट जाएं तो दोनों के लिए उस स्थिति का सामना करना कठिन होता है। जिन्हें यह मालूम होता है कि पांच वर्ष से छोटे बच्चे को वे अपने साथ रख सकती हैं, वे तो छोटे बच्चों को साथ ला पाती हैं अन्यथा दुधमुंहे शिशुओं को छोड़ कर आना पड़ता है। अपने बच्चों को यूं छोड़ कर आने की तड़प व कसक को वही महसूस कर पाती है। हर दम उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमारी आदि का ख्याल उन्हें हर वक्त आंसू बहाने को मजबूर करता है। पहली बार किसी अपराध के कारण सजा काटने आई महिलाएं पहली बार ही बच्चों से जुदा हुई होती हैं। जो मां हर वक्त अपने बच्चों के साथ रहती हों उसे उन्हें बच्चों को छोड़ कर लंबे समय के लिए जेल में रहना पड़े, उनके दुख का अंदाज नहीं लगाया जा सकता। कुछ वर्षों के बाद जब वे जेल से छूटेंगी तो बच्चे उसे पहचानेंगे या नहीं या फिर माफ भी करेंगे कि नहीं यह सोच उनमें हर दम बनी रहती है। बच्चे से बनी यह दूरी जिंदगी में कभी भी कम न हो पाएगी यह खौफ भी उनके मानसिक संत्रास का कारण होता है।

मां के अभाव में बच्चों का जीवन कितना दूभर हो सकता है जब परिवार में उनकी देखभाल करने के लिए कोई दूसरा न हो। ऐसे बच्चे भी समाज में व्यंग्य ताने सुनने के बाद अपराध की दुनिया की ओर न मुड़ जाएं यह भय भी उन्हें सताता है। दूसरी ओर, शिशुओं को अपने साथ जेल में रखना भी कोई बेहतर विकल्प नहीं होता। बच्चे के खानपान, बीमारी, कपड़ा, खेल-खिलौने और मनोरंजन के नाम पर जेल जीवन कोई सुखद स्थिति नहीं होती। सिर्फ मां के साथ की चाह बिना अपराध किए सजा भुगतना यह कैसी व्यवस्था है?

मां के साथ के नाम पर चारों ओर विभिन्न अपराधों के कारण सजा भुगत रही या सजा का इंतजार कर रही दूसरी औरतें जिन की हिंसक गतिविधियां या गाली-गलौज की भाषा के बीच बचपन बिताना। क्या मां

की गलती की सजा बच्चे को भी भुगतना सही है?

वर्ष 2002 में इंडिया काउंसिल आफ लीगल एड एंड एडवाइस ने सुप्रीम कोर्ट में बाल कैदियों की सुरक्षा व कल्याण के लिए मार्गनिर्देश सरकार को बनाने के लिए एक जन हित याचिका दायर की थी।

महिला कैदियों को हमेशा अपने व बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता रहती है। उन्हें हमेशा इस बात की चिंता सताती है कि जेल से रिहा होने के बाद उनका परिवार उन्हें स्वीकार करेगा अथवा नहीं। हमारे समाज की यह विडंबना है कि जेल से रिहा होकर लौटे पुरुष का तो परिवार में गर्मजोशी से स्वागत होता है परंतु महिला के लिए परिवार के दरवाजे दुबारा नहीं खुलते। पटना की जेल में बंद एक गरीब महिला को जब बरसों बाद किसी एन.जी.ओ. के प्रयासों से परिवार में भेजा गया तो उस सदमें को वह न सह पाई और मर गई यह समाचार अखबारों की सुर्खियां बना, पर महिला कैदियों को परिवार में लौटा ले जाने के प्रति संवेदनशील नहीं हो पाता। उनके बच्चे भी जेलों से रिहा होकर समाज में अपने को असहज ही महसूस करते हैं।

इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि जेल वे स्थान नहीं है जहां किसी बच्चे की परवरिश हो। जेल का माहौल महिला कैदी के लिए कोई सुखद अनुभव नहीं होता है और उसमें यदि उसके साथ बच्चे हों तो उसकी तकलीफें और भी बढ़ जाती हैं।

जेलों में बंद अधिकांश महिलाएं मां होती हैं। एक महिला जो एक मां भी है, उसकी कैद का अर्थ है कि न केवल उसके अधिकारों का हनन बल्कि उसके बच्चों के अधिकारों का भी हनन। जब मां जेल में तो हो सकता है कि उसके छोटे बच्चे उसके साथ जाए या पीछे घर में रहें, दोनों ही स्थितियों में बच्चों का जोखिम बढ़ता है। अफ्रीका की 'स्पेशल रेपोर्टर आन प्रिजन एंड कंडीशंस आफ डिटेंशन' में कहा गया है कि जेल गर्भवती महिलाओं, शिशुओं और किशोरों के लिए सुरक्षित स्थान नहीं है पर शिशुओं और किशोरों को मां से अलग नहीं किया जाना चाहिए।

एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार ब्राजील की जेलों में बंद 87% महिला कैदी माताएं हैं, यू.एस. की 80% महिला कैदी माताएं हैं और उनके बच्चों की उम्र 18 वर्ष से कम है। यू.के. की 66% महिला कैदियों में से 55% के

बच्चों की उम्र 16 वर्ष से कम है।

जेल का नाम भले ही किसी दूसरे देश का हो पर महिला कैदियों के बच्चों की समस्या का कोई सरल समाधान नहीं है।

किसी महिला के जेल में बंद होने से परिवार पर इसका असर अधिक पड़ता है। बच्चों को किसी सरकारी संस्था में छोड़ने से भी स्थितियों में कुछ बदलाव नहीं होता है। किसी बच्चे के अधिकारों पर मां के जेल में रहने से फर्क पड़ता है, इस ओर अधिक ध्यान दिया ही नहीं गए है। बच्चों के अधिकारों को ध्यान में रखना भी जरूरी है।

बच्चे का बचपन भी कहीं पीछे छूटता है। परिवार में जहां उन्हें तिरस्कार व उपेक्षा मिलती है, वहीं कई बार उन्हें घरेलू कामकाज, भावनात्मक अथवा आर्थिक अवलंब बनाना पड़ता है। बचपन में ही वयस्क की भूमिका निभानी पड़ती है। हो सकता है कि उन्हें अपना घर छोड़कर किसी दूसरे रिश्तेदार के घर जाकर रहना पड़े या फिर किसी सरकारी अथवा स्वयंसेवी संगठन द्वारा चलाए जा रहे सुधार गृह की शरण लेनी पड़े। नया घर, नया स्कूल व नया परिवेश यानी पौधा एक नर्सरी से उखाड़ कर जब कहीं और रोपा जाए तो बहुत संभव है कि खिलने से पहले ही मुरझाने लगे। ऐसे में मां-बाप के प्रति रशेष व क्रोध आना स्वाभाविक है।

न्यायिक प्रकिया में बच्चों के प्रति अनजाने में अपराध होता है। इस ओर किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया। देर सबेर मां को जब गिरफ्तार करने पुलिस किसी के घर पहुंचती है तो बच्चे यह समझ ही नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। न्यायाधीश भी अपना निर्णय सुनाते समय केवल अपराधी का दोष देखते हैं, उस अपराधी की शेष सामाजिक जिम्मेदारियां क्या हैं, उस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। जेल की उंची-उंची इमारतें जब बनाई गई होगी या जब नई बनाई भी जाती होंगी तो वहां मुलाकात करने वाले आने वाले छोटे बच्चों के जीवन पर, उनके दिलों दिमाग पर उसका क्या असर पड़ेगा यह कभी विचार नहीं किया गए होगा।

विभिन्न अध्ययन रिपोर्ट यह दर्शाती हैं कि जिन परिवारों में मां या पिता दोनों में से एक जेल में हों, उनके बच्चे शारीरिक अथवा मानसिक हिंसा का शिकार होते हैं। विशेष रूप से मां के जेल में होने के कारण। ऐसे बच्चे बड़े होकर आपराधिक गतिविधियों से भी जुड़ जाते हैं।

बच्चों की प्रतिक्रिया

मां के जेल में जाने या गिरफ्तारी से बच्चे में उदासी, गुस्सा, चिंता और कुछ खो जाने की भावनाएं उग्र रूप ले लेती हैं। बच्चे पिता की अपेक्षा मां के अधिक करीब होते हैं और अपनी हर छोटी-बड़ी जरूरतों के लिए मां पर ही निर्भर करते हैं। उसी मां के दिन भर की गतिविधियों से यूं ओझल हो जाने की स्थितियां उन्हें असहज बनाती है। सदमा, भय, लज्जा, अपराध बोध और हीन भावना आनी स्वाभाविक है। बच्चों का परिवार के दूसरे सदस्यों से संबंधों पर भी असर पड़ता है। वे शेष दुनिया से अपने को काट लेते हैं। उनकी शारीरिक समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। बिस्तर में पेशाब करना या रात को डर से सो न पाना या नींद से अचानक उठ जाना जैसी समस्याएं भी आती हैं। स्कूल में पढ़ाई में ध्यान न देना या स्कूल से अनुपस्थित रहना और स्कूल से भाग कर बुरी संगत में भी वे शामिल हो सकते हैं।

अभिभावक के जेल में होने से कई बार उन्हें शारीरिक व मानसिक आघात इतना गहरा लगता है कि उससे उबरना संभव नहीं होता। यही कच्ची उम्र उन्हें मादक पदार्थों के सेवन, मदिरापान, तंबाकू, चरस लेने, तनाव, डिप्रक्रेशन आदि का शिकार बना डालती है। बच्चों के दिलो-दिमाग पर मां की अनुपस्थिति का बुरा असर न पड़े, इसके लिए उसे कई बार झूठे आश्वासन दिए जाते हैं, मसलन वे बीमार हैं और अस्पताल में हैं, काम या नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर चली गई हैं। कई बार भले ही मुलाकात के लिए जेल ले भी जाए तो आधी अधूरी तस्वीरों के आधार पर जेल की जो तस्वीर उनके जेहन में उभरती है वह उन्हें कचोटती है। एक ही परिवार में एक बच्चे को सच बतला दिया जाता है और दूसरे से सच छुपाया जाता है। इस तरह सच जानने वाले बच्चे को दूसरे भाई-बहन से मां की बातें करते समय झूठा अभिनय करना पड़ता है। मां की अनुपस्थिति की भरपाई परिवार का कोई दूसरा सदस्य नहीं कर पाता है यह क्षति जब बच्चों को होती है तो मां की तकलीफें और बढ़ती हैं।

ऐसा नहीं है कि बच्चे सिर्फ मां की कमी को ही महसूस करें। बहुत संभव है कि मां के व्यवहार से उनमें आक्रोश की भावना अधिक हो और मां को उसके व्यवहार के लिए वे माफ न करें। मृत्यु व बीमारी की स्थितियों

में सहानुभूति हो सकती है पर यह संभव है कि उन्हें मां के प्रति सहानुभूति न हो। समाज में एक कैदी की संतान कहलाने का दुःख उन्हें अधिक हो सकता है। उसकी मां बुरी है यह विचार उन्हें मां के करीब लाने की बजाय दूर ले जाता है। एक मां के लिए यह सबसे बड़ा मानसिक क्लेश होता है कि उसकी खुद की संतान उसे गलत समझती है।

मां से जेल में मिलने जाने की बात किसी को बताने में उन्हें शर्म महसूस होती है। दूसरे बच्चे व अध्यापक उसके व उनके परिवार के बारे में कैसी धारणा बनाएंगे का विचार करके ही उनमें हीन भावना आती है। मां के जेल से रिहा हो जाने के बाद भी वे उससे जुड़ी लज्जा से उबर नहीं पाते हैं।

सिर्फ मां के जेल में होने की घटना ही नहीं बल्कि वह किस अपराध की वजह से जेल में है, वह कारण भी उसके गुस्से आक्रोश, लज्जा व तनाव को बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका रखता है। मां का अपराध कई बार उन्हें एक स्कूल, एक मोहल्ले को छोड़ कर दूसरे में जाने को मजबूर कर सकता है। अपने मां-बाप का जिसे कभी उन्हें झूठ बोलने या दूसरों से लड़ने-झगड़ने के लिए मजबूर कर सकता है।

जेल से रिहा होने के बाद परिवार में लौटने व पहली जैसी जिंदगी शुरू करना भी कठिन होता है। कभी बच्चे तो कभी मां स्वयं को बदले हालात में असहज पाती है।

जेलों में बंद महिलाओं को मादक पदार्थों और शराब सेवन की भी आदत होती है। उनके जेल में पुनर्वास की बहुत कम ही व्यवस्था होती है। गर्भवती महिलाओं, मानसिक बीमारी के सीमित उपचार, हिंसक व्यवहार और व्यावसायिक प्रशिक्षण की बहुत ही कम व्यवस्था होती है।

महिलाओं का विशिष्ट स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती है, जो बहुधा जेल में आने से पहले से भी हो सकती है। जेलों में भारी भीड़ के कारण शौचालयों आदि की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण कई संक्रमक बीमारियां, एच.आई.वी.टी.बी. यौनजनित रोग, हेपाटाइटिस बी.और सी. के संक्रमण, गर्भावस्था व प्रजनन संबंधी आवश्यकताओं के लिए सुनिश्चित इलाज का अभाव होता है। गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान व शिशु जन्म के बाद कोई देखभाल नहीं मिल पाती है। नवजात शिशुओं के

लिए पर्याप्त पौष्टिक आहार का अभाव भी बना ही रहता है।

महिला जेल कैदियों में 60 प्रतिशत को मानसिक उपचार की आवश्यकता होती है। उन्हें मादक पदार्थों व मदिरा सेवन की लत होती है। वे अवसाद ग्रस्त भी होती हैं। इन सब के लिए उनके सुनिश्चित उपचार की जरूरत होती है।

महिला कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण व शैक्षणिक योग्यता देने की व्यवस्था कम ही हो पाती है।

यौन शोषण और महिला कैदियों का जैसे चोली-दामन का साथ रहा है। महिलाएं यौन हिंसा का शिकार जेल में सिर्फ इसलिए होती चली जाती हैं, क्योंकि वहां वे अपने शोषण से बच नहीं पाती हैं। दूसरे वहां उनकी शिकायत, दुःख-तकलीफ को दूर करने की कोई प्रक्रिया नहीं होती और न ही वहां तैनात कर्मचारियों को किसी भी स्थिति के लिए जवाबदेह ठहराया जाता। जेल की ऊंची-ऊंची दीवारों के पीछे की घटनाएं जब बाहर नहीं पहुंच पाती हैं, तो इसकी चिंता ही नहीं की जाती कि महिलाएं किसी तकलीफ में जी रही होंगी।

महिला कैदियों की स्थिति पुरुष कैदियों से भिन्न होती है। बचपन से ही वे घर-परिवार व समाज में किसी न किसी प्रकार की शारीरिक, यौन व मानसिक हिंसा का शिकार होती रहती हैं। उन्हें जीवन के हर क्षेत्र व हर समय किसी न किसी प्रकार की सुरक्षा की जरूरत रहती ही है।

शारीरिक सुरक्षा के साथ-साथ भावनात्मक सुरक्षा की भी उन्हें जरूरत होती है। महिला कैदियों की संख्या कम होने के कारण उन्हें उसी शहर की जेल में रखना कई बार संभव नहीं होता, उन्हें दूर-दराज की किसी जेल में स्थानांतरित किया जाता है, जिस कारण परिवार से मिलने के उनके अधिकार पर अंतर आता है। अक्सर परिवार के सदस्य उनसे मिलने आते ही नहीं। अपराध के कारणों की वजह में हम, गरीबी उसके प्रमुख कारण के रूप में जिक्र कर आए हैं। गरीबी की वजह से परिवार के सदस्य दूर के किसी जेल में उनसे मिलने पहुंच नहीं पाते हैं।

जेल में प्रवेश के समय

जेल में प्रवेश के समय महिला कैदियों का फोटो, माप, उंगलियों व

पैरों के निशान, महिला पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में होने चाहिए। महिला वार्डों के रात्रि के दौरे महिला सुपरिंटेंडेंट, महिला उप सुपरिंटेंडेंट व महिला गार्डों द्वारा किए जाएंगे।

महिला वार्डों की चाबियां महिला सुपरिंटेंडेंट के पास होंगी। नान आफिशियल विजिटरों में एक महिला विजिटर होगी, जो महिला वार्डों का निरीक्षण करेगी।

महिला कैदियों को कांच की चूड़ियां पहनने की अनुमति होगी।

उन्हें सोने व चांदी की चूड़ियां पहनने की अनुमति नहीं होगी। यदि उनके पास चूड़ियां नहीं हैं या टूट गई हैं तो उन्हें जेल की ओर से प्लास्टिक की चूड़ियां दी जाएंगी, जब उन्हें धार्मिक कारणों से चूड़ियां पहननी होती है।

उन्हें कुमकुम व सिंदूर की आपूर्ति की जाएगी।

उन्हें मंगलसूत्र, नथ व अन्य सुहाग के चिह्न लगाने की अनुमति होगी।

जेल में यह व्यवस्था होती है कि कैदियों की शिकायतों की तुरंत जांच और कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए शिकायत पेटी लगाई जाए। उसकी शिकायत का समाधान करने के बाद उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। पर वास्तविकता यह है कि महिला कैदी अपनी किसी प्रकार की कोई शिकायत कर ही नहीं पाती।

विभिन्न अध्ययन रिपोर्टों के अनुसार कैद में महिलाओं को दिल दहला देने वाले दुर्व्यवहारों का सामना करना पड़ता है। इनमें से कुछ निग्रह के तरीकों का दुरुपयोग करने के कारण उत्पन्न होते हैं। भले ही महिला कैदी गार्डो के लिए खतरा नहीं होती। महिला कैदियों के साथ यौन दुर्व्यवहार भी मानवाधिकारों के दुरुपयोग की स्थिति है। लंबे समय से पुरुष संसर्ग से वंचित महिलाएं होमो सेक्सुअल हो जाती हैं और अपनी यौन इच्छाओं को पूरा करने के लिए दूसरी महिलाओं को अपना शिकार बनाती हैं।

जेल मैनुअल में यह व्यवस्था है कि किसी भी महिला को सूरज डूबने और सूरज उगने की बीच की अवधि में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। रात को गिरफ्तारी करने से पूर्व अनुमति लेनी होगी और कारण दर्ज करने होंगे। जमानत योग्य मामलों में बिना देरी किए जमानत पर छोड़ा जाएगा

और गैर जमानती मामलों में गिरफ्तार महिला को तत्काल न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। गिरफ्तार महिला को अलग लॉक अप में रखा जाएगा और उसकी किसी रिश्तेदार को या किसी महिला को परिसर में ऐसी जगह ठहरने की अनुमति दी जाएगी जहां से गिरफ्तार महिला उन्हें देख पाए, पर इस व्यवस्था का अनुपालन नहीं होता।

जब कोई महिला लॉक अप या जेल में प्रवेश करती है तो तलाशी इस तरह से ली जाती है कि उसकी आत्मा ही एक तरह से मर जाती है। महिला की तलाशी कम पर छेड़छाड़ अधिक होती है। शिष्टाचार के नियम ताक में रखे जाते हैं। यह तथ्य कई अध्ययन रिपोर्टों में सामने आ चुके हैं।

लॉक अप में शौचालयों का न होना यह एक आम समस्या है। कई लॉक अप में आराम करने या सोने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता।

जेल सुधार के क्षेत्र की समस्याएं

1. जेल विजिटिंग प्रणाली को सुदृढ़ करना।
2. सजा प्राप्त और विचाराधीन कैदियों को कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए एस्कार्ट के अभाव के मुद्दे को सुलझाना।
3. जेलों में पुनर्वास कार्यक्रमों को बढ़ाना।
4. कैदियों के लिए आय अर्जक गतिविधियों और उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री की संभावनाओं को तलाशना।
5. सजा प्राप्त कैदियों के लिए व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षणों का आयोजन।
6. जेल से रिहा महिला कैदियों के लिए अल्पाश्रय गृहों का निर्माण, जिनका संचालन सरकार के साथ-साथ समुदाय सदस्यों के द्वारा किया जाए।
7. विचाराधीन कैदियों के लंबित मामलों की समीक्षा करने के लिए समिति गठन।
8. पुलिस और जेल प्रशासन के अधिकारों एवं कर्तव्यों के लिए प्रशिक्षण।
9. एन.जी.ओ. के अधिकारियों को जमानत, बांड, सजा को कम करने, पेरोल व अवधि पूर्व रिहाई जैसे मुद्दो के संबंध में विधिक प्रावधानों

के प्रति जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण।

10. न्याय प्रणाली को चुस्त-दुरुस्त करना।
11. कैदियों को नियमित व समय पर विधिक सहायता देना।
12. जेल प्राधिकारियों को चाहिए कि अधिक एन.जी.ओ. को प्रोत्साहित करें जो कैदियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दे सकें।
13. पैरा-मेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जाए।
14. प्रोबेशन सुविधाओं का उपयोग बहुत ही कम हो पाता है, इसका उपयोग हो।
15. नान आफिशियल विजिटर की समय पर नियुक्ति संबंधी प्रणाली का प्रभावी कार्यान्वयन।
16. पुलिस को केसों को दर्ज करने में सावधानी बरतनी चाहिए ताकि निर्दोष को दंड न मिले।
17. विचाराधीन कैदियों के बिना वजह लंबी अवधि तक जेल में रहने के कारण उन्हें क्षतिपूर्ति करने की प्रणाली होनी चाहिए।
18. जेल कार्यकर्त्ताओं को कैदियों के साथ सहानुभूतिपूर्वक दृष्टिकोण रखना चाहिए।
19. जेल स्टाफ को व्यावसायिक सुधार व सुधारात्मक प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है।
20. लंबे समय तक जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की स्थिति की समीक्षा की जाए और जेलों में उसकी अवधि के आधार पर प्राथमिकता से उनके केसों को निपटाया जाए।
21. कैदियों को रिहाई के बाद सूक्ष्म ऋण उपलब्ध कराया जाए ताकि समाज में वे अपने को पुनः स्थापित कर सकें।
22. कारपोरेट सामाजिक जिम्मेवारी के रूप में अन्य संगठन रिहा कैदियों के पुनर्वास कार्यों से जुड़ें।
23. विचाराधीन कैदियों की शीघ्र रिहाई के लिए विकल्पों की तलाश हो, आर्थिक रूप से कमजोर कैदियों के लिए जमानत राशि जुटाने के लिए नवोन्मेषी तरीकों की संभावनाओं को तलाशना चाहिए।
24. जेलो को वृद्धों के अनुकूल बनाया जाए, क्योंकि जेल वातावरण में बुढ़ापा जल्दी आता है।

25. एच.आई.वी. व मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए प्रशिक्षण दिया जाए।
25. स्वयं सहायता समूहों का निर्माण किया जाए।

जेल स्टाफ की समस्याओं को समझना

कैदियों की समस्याओं का समाधान बहुत हद तक जेल स्टाफ पर निर्भर करता है। कैदियों की सारी शिकायतें जेल स्टाफ के इर्द-गिर्द घूमती हैं। उनके लिए यदि रहने को सुनिश्चित स्थान नहीं है, परिसर में स्वच्छता का अभाव है, उनकी शिकायतें अनसुनी हो रही हैं, सुरक्षा का अभाव है, खाने-पीने की दिक्कते हैं, सभी के समाधान के लिए उन्हें जेल स्टाफ पर निर्भर होना पड़ता है।

जेल स्टाफ को कोर्ट के आदेश से सिर्फ कैदियों को ही उस चार दीवारी में नहीं रखना होता बल्कि उन्हें सुधारात्मक उपायों से समाज में लौट कर एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए भी प्रयास करना होता है। जेल स्टाफ अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कितना कामयाब है अथवा नहीं जैसे निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व उनकी समस्याओं को भी समझना होगा।

मुल्ला कमेटी में भी जेल स्टाफ की समस्याओं को रेखांकित किया गया जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नानुसार हैं।

जोखिमपूर्ण स्थितियां व अत्यधिक काम

- इसमें कोई दो राय नहीं कि जेल वह स्थान है जिसमें अपराधियों को आजीवन कारावास में रखा जाता है।
- आपराधिक न्याय प्रकिया में सबसे अधिक अवधि के लिए अपराधियों के साथ रहने वाला स्टाफ, जेलों में काम करने वाला होता है।
- सभी प्रकार के अपराधियों के बीच रहने वाले जेल स्टाफ को लंबे समय तक शारीरिक जोखिम की स्थितियों में रहना पड़ता है। उन्हें व उनके परिवार के सदस्यों को खतरों के बीच रहना पड़ता है।
- उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि हत्यारों, बलात्कारियों, डकैतों और

आतंकवादियों से मौखिक गाली ग्लौज, व्यंग्यबाणों को सुनते हुए भी अपने को शांत बनाए रखें।

- औसत स्टाफ को प्रतिदिन 12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है जो कभी-कभी 14 से 16 घटें तक पहुंच जाती है।
- स्टाफ की कमी की वजह से वर्तमान स्टाफ की प्रतिनियुक्ति बढ़ जाती है।
- नाइट-ड्यूटी रूटीन के बतौर ही निभाई जाती है।
- जेल स्टाफ को बहुत कम अवकाश पर जाने का मौका मिलता है।
- उन्हें साप्ताहिक अवकाश भी सामान्यतः नहीं मिल पाता।
- जेल स्टाफ द्वारा निष्पादित कार्य पुलिस स्टाफ की तरह ही जोखिम भरा है और पुलिस कार्मिक भी यह मानते हैं कि जेल स्टाफ का काम कठिन है, उन्हें हर समय खतरनाक अपराधियों के बीच रहना पड़ता है जिनसे प्रताड़ना मिलने का खतरा रहता है।
- उनके वेतनमान पुलिस कार्मिकों से कहीं-कहीं कम होते हैं। जहां उन्हें कैदियों को निर्धारित मानकों के अनुसार अच्छा खाना व कपड़ा उपलब्ध करवाना होता है वहीं उन्हें अत्यंत कम वेतन में अपने परिवार को पालना होता है। इससें कई बार गतिरोध व संर्घष उत्पन्न होता है।
- उनके रहने के स्थान अधिकांशतः अच्छी स्थितियों में नहीं होते।
- सुनिश्चित आवास के अभाव में जेल के गार्डों को ऐसे क्षेत्रों में रहना पड़ता है जहां गैर सामाजिक तत्वों का बाहुल्य होता है।
- कई राज्यों में जेल स्टाफ की पदोन्नति के अवसर न के बराबर होते हैं।
- जेल में हुई कोई कुप्रबंध की घटना तो मीडिया में जोर-शोर से प्रचारित व प्रसारित की जाती है पर अच्छे कार्यों की बहुत कम खबर बाहर पहुंचती है। इससे वे हतोत्साहित होते हैं।
- जेल कार्मिकों की समस्यायों की किसी भी मंच पर चर्चा तक नहीं होती।
- कई राज्यों में, स्टाफ की ड्यूटी करते हुए दुर्घटना के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान, स्टाफ कल्याण निधि, सहकारिता, चिकित्सा व

शैक्षणिक सुविधाएं सब्सिडी युक्त कैंटीन जैसी सुविधाओं का अभाव होता है।

- इन समस्याओं के कारण जेल स्टाफ का मनोबल कमजोर होता है। उनकी असंतुष्टि मानसिक और स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव, कैदियों, अधीनस्थ स्टाफ और परिवार-सदस्यों से हिंसक व्यवहार और हड़ताल व विरोध जैसे रूपों में प्रकट होती है।
- छोटे-छोटे लाभों के लिए कैदियों से धन उगाहने, उनके हिस्से का राशन लेने जैसी आदतें उनमें पनपने लगती हैं। किसी समस्या की जिम्मेवारी लेने के स्थान पर स्टाफ की कमी का बहाना बनाया जाता है। उन्हें यह भी महसूस होता है कि अपराधियों के साथ दयालु व्यवहार से स्थितियां असुरक्षित हो जाएगी अप्रशिक्षित व अयोग्य स्टाफ को सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए प्रेरित करना कठिन होता है।

मुल्ला कमेटी की सिफारिशें

किसी संगठन की क्षमता का आकलन उसके स्टाफ की योग्यता, प्रशिक्षण और प्रोत्साहन से किया जाता है। यह उस संगठन के लिए और अधिक अपेक्षित होता है जिसे मशीनों के बजाय व्यक्तियों के साथ काम करना होता है। इसलिए जेल व सुधारात्मक संस्थाओं के प्रशासन के लिए स्टाफ के चयन और प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान देना अपेक्षित होता है। इस स्टाफ के प्रशिक्षण के लिए अन्य वर्दीधारी सेवाओं की तरह निम्न पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है।

- शारीरिक स्वस्थता और साहस
- नेतृत्व व मानव प्रबंधन योग्यता
- निर्भरता
- संतुलित व्यक्तित्व
- सहनशीलता
- समाज कल्याण में रुचि
- मानव संबंधों में रुचि
- किसी भी संगठन की स्थितियों को अधिक प्रभावशाली बनाने के

लिए अपने कर्मचारियों की सेवा स्थितियों की उपेक्षा करना संभव नहीं है। जेल विभाग में काम करने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए इसकी सेवा शर्तों को आकर्षक बनाना जरूरी है ताकि विभाग में उपयुक्त योग्यताओं, सही दृष्टिकोण व अपेक्षित योग्यता वाले इस ओर आना चाहें।

- जेल कैदियों और जेल स्टाफ में सौहार्दपूर्ण व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए जेल स्टाफ की सेवा शर्तों को आकर्षक बनाना होगा ताकि वे संतुष्टि से काम कर सकें, अन्य देशों में जेल स्टाफ की सेवाओं को समाज में अच्छी मान्यता है।
- जापान में सुधारात्मक सेवाओं में काम करने वाले व्यक्तियों को देश की अन्य सिविल सेवाओं में काम करने वाले स्टाफ से अधिक वेतन का भुगतान किया जाता है। यह उनकी ड्यूटी और समाज के जिस वर्ग के साथ उनको काम करना पड़ता है इसके मद्दे नजर किया जाता है।
- उनके लिए कल्याणकारी कार्यकम शुरू किए जाएं।
- उनके आवासीय मकान अच्छे हों और जेल कैम्पस में ही उन्हें रहने के लिए घर मिलना चाहिए ताकि किसी आपात स्थिति में वे तुरंत पहुंच सके।
- जेल स्टाफ द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को मीडिया में प्रचाारित किया जाए इससे उनका मनोबल बढ़ेगा।

एक सर्वेक्षण के दौरान महिला कैदियों से पूछे गए सवालों के जवाब में उनके उत्तरों से उनकी व्यथा, समस्याएं व चिंताएं स्पष्ट होती हैं और भीतर की तस्वीर बिना कुछ विस्तार से बताए स्पष्ट हो जाती है।

- यहां हर दिन मरने जैसा है।
- मुझे इस चार दीवारी में घुटन होती है। लगता है मुझे बांधकर रखा गया है।
- मेंरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है और मैं अपने नियंत्रण में नहीं हूं।
- मैं अपने परिवार व बच्चों के बारे में सोच कर पागल हो जाती हूं।
- हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकतीं।

- हमसे ऐसा कुछ न पूछो जिसका जवाब न दे पाएं।
- परिवार के बारे में सोच कर बेचैनी होती है।
- मेंरे साथ जो कुछ हुआ सोच कर आत्महत्या करने का दिल करता है।
- मैं सुबह उठकर प्रार्थना करती हूं कि मुझे रिहाई मिलनी चाहिए।
- मुझे और देर तक सोते रहना चाहिए।
- मेंरा शरीर हर वक्त टूटता रहता है।
- मैं हर दम अपने बच्चों के बारे में दुआ करती रहती हूं।

जेल में स्वच्छता के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में कहती है :

- अब स्वच्छता के बारे में सोचना छोड़ दिया है। दिन-रात बदबूदार माहौल में रहने की आदत हो गई है।
- इतनी सारी महिलाओं के बीच सफाई भला कैसे रह सकती है।
- अब मेरा कंघी तक करने का दिल नहीं करता।
- महिलाओं को थोड़ा तो एकांत चाहिए होता है पर वे यह भूल जाते हैं और इतनी सारी महिलाओं को एक साथ ठूंस देते हैं।
- मै कई बार अकेले रहना चाहती हूं।
- आस-पास महिलाएं छोटी-छोटी बातों पर कहा-सुनी व लड़ाई करती रहती है।
- मुझे अकेले होने में डर लगता है। यहां नहाते, शौचालय व सोते किसी भी समय परेशानी ही दिखती है। ऐसा लगता है कि हर काम सबके सामने किया जा रहा है।
- नहाने के लिए साबुन तेल, टूथपेस्ट आदि की आपूर्ति, मासिक धर्म में सेनेटरी नेपकिन व दर्द निवारक गोलियां, सामान्य दर्द में दवाएं क्या उन्हें मिलती हैं, जैसे सवालों के जवाब में उनका कहना था कि आपूर्ति कम होती है और गुणवत्ता ठीक नहीं होती।
- मासिक धर्म के दर्द की यहां कौन परवाह करता है ?
- त्वचा के रोग व रेशस सामान्य हैं, सिर में जुएं भी सभी के पड़ जाती हैं, न पानी है, न ढंग के साबुन तो सिर कैसे साफ रहेंगे।

- जेल में आरामदायक बिस्तर तो होते नहीं, फिर शरीर दुखता क्यों है? ये सवाल बेमानी होते हैं।

तन की समस्याएं भले ही शब्दों में व्यक्त हो जाएं, पंडित नेहरू ने जैसा कि कहा था कि हर माह शरीर के वजन का माप लेकर उसके कम घट-बढ़ जाने का अंदाज तो लगाया जा सकता है पर मन में जो बीत रहा है जो कम से कमतर होता जा रहा है, उसको किस पैमाने से नाप सकते हैं? संभवतः अपराध की भूल कसक बना कर, नासूर बनाकर, कांटे सी चुभती रहेगी जब तक जेल की चार दीवारी में कैद रहना पड़ेगा। आत्मा के कमजोर होते चले जाने को मापने का तो कोई पैमाना बनाया ही नहीं गया तो भला इस समस्या का क्या निदान होगा।

कैदी और उनके मानवाधिकार

मानवाधिकार भले ही आधुनिक युग में प्रयोग होने वाले शब्द हैं परंतु यह मानवता के इतिहास जितने ही पुराने हैं। ये न तो विशेषाधिकार हैं, न ही किसी शासक या सरकार की अनुकंपा है। इन्हें कोई भी मनमाने ढंग से छीन नहीं सकता। किसी अपराध या कानून भंग करने के बावजूद ये छीने नहीं जा सकते।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1945 में मानवाधिकार आयोग की स्थापना की जिसने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का एक मसौदा तैयार किया जिसे सदस्य देशों ने बिना किसी भेदभाव के स्वीकार कर अपने अपने देशों में लागू किया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार किए हैं। नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों का प्रतिज्ञा पत्र (1966), आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों का प्रतिज्ञा पत्र (1966), कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की आचार संहिता (1979), शक्ति के दुरूपयोग और अपराध के शिकार व्यक्तियों के लिए मूलभूत न्यायिक सिद्धांतों की घोषणा के साथ-साथ कैदियों के साथ व्यवहार के लिए मानक नियम (1971) और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार अथवा दंड की यातना के खिलाफ कन्वेंशन (1985) भी इसमें शामिल है।

मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वाधीनता और वैयक्तिक सुरक्षा का अधिकार (अनुच्छेद-3), किसी को भी शारीरिक यातना नहीं दी जाएगी और न किसी के प्रति निर्दय, अमानुषिक या अपमानजनक व्यवहार किया जाएगा (अनुछेद 5), किसी को भी मनमाने ढंग से गिरफ्तार, नजरबंद या देश से निष्कासित नहीं किया

जाएगा (अनुच्छेद-9), प्रत्येक व्यक्ति, जिस पर दंडनीय अपराध का आरोप लगाया गया हो, तब तक निरपराध माना जाएगा, जब तक उसे ऐसी खुली अदालत में, जहां उसे अपनी सफाई की सभी आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हों, कानून के अनुसार अपराधी न सिद्ध कर दिया जाए (अनुच्छेद 11-1), कोई भी व्यक्ति को किसी भी ऐसे कृत या अकृत (अपराध) के कारण दंडनीय अपराध का अपराधी न माना जाएगा, जिसे तत्कालीन प्रचलित राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार दंडनीय अपराध न माना गए हो और न उससे अधिक भारी दंड दिया जा सकेगा, जो उस समय दिया जाता जिस समय वह दंडनीय अपराध किया गया था (अनुच्छेद 11-2)।

इन्हीं सार्वभौम घोषणा के अनुरूप सभी राष्ट्रों में मानवाधिकारों की रक्षा के प्रयास किए जा रहे हैं। भारत में अंशादिकाल से ही सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया **सर्वे भद्राणि पयन्तु मां कश्चित्** दुःख **भाग्भवेत्** की भावना के अनुरूप ही प्रयास किए जाते रहे हैं। भारत के संविधान में ही मानवाधिकारों को सुरक्षित कर दिया गया है।

मानवाधिकारों के उल्लंघन में कैदियों के अधिकारों का उल्लंघन भी शामिल है। मानवाधिकारों की रक्षा के प्रयास आधुनिक काल में समाज सुधारों के द्वारा किए जाते रहे हैं। 1829 में राजा राममोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का अंत करने के लिए ब्रिटिश राज में कानून बना तो उसी वर्ष बाल विवाह निषेध कानून भी बना।

मानवाधिकार आयोग के पास पहुंचने वाली शिकायतों में कैदियों के शोषण व जेलों की स्थितियों पर भी शिकायतें होती हैं। मानवाधिकार आयोग के प्रयासों से जेलों और अन्य गिरफ्तारी के स्थानों व जेलों के विजिट पर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। आयोग के द्वारा जेलों की स्थितियों पर निगरानी रखी जाती है।

आयोग के अनुसार जहां कहीं भी किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी जाती है और संबंधित प्राधिकारियों के द्वारा कानून के अनुसार उन्हें अभिरक्षा में रखा जाता है तो यह उनके लिए लाजिमी हो जाता है कि उस व्यक्ति को पूरी सुरक्षा मिले और उसे उसके मूल अधिकार जिनमें जीने का अधिकार, खाने का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार शामिल है, अभिरक्षा में हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। भले की कोई अपराधी समाज

के लिए खतरा हो पर उसे प्रताक्ति करने या उसके मानवाधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता।

अभिरक्षा में हिंसा को रोकने के लिए आयोग ने 1993 में सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को मार्ग निर्देश जारी किए कि पुलिस और न्यायिक अभिरक्षा में सभी प्रकार की मृत्यु प्राकृतिक अथवा अप्राकृतिक सभी की जानकारी 24 घंटों के भीतर रिपोर्ट की जाएं। इन अनुदेशों के सख्ती से अनुपालन के आदेश दिए गए और किसी प्रकार के उल्लंघन के लिए प्राधिकारियों को जिम्मेवार ठहराया जाए। आयोग ने यह भी निर्देश दिया कि पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के मामलों में पोस्ट मार्टम की वीडियां-ग्राफी करके वीडियां टेप उन्हें भेजी जाए। इससे आयोग पुलिस कस्टडी में किसी प्रकार की प्रताड़ना व हिंसा की जांच कर सके। अभिरक्षा में अपराधों को कम करना सुनिश्चित करने के लिए सख्त कार्रवाई करनी जरूरी है। कई मामलों में आयोग ने ऐसे अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई और पीड़ित को आर्थिक सहायता दिलाई है।

वर्ष 2000-08 के दौरान आयोग को 1789 मामले न्यायिक हिरासत में मृत्यु के मामले प्राप्त हुए जिनमें से 744 मामलों का निपटान किया गया। न्यायिक हिरासत में 1994-95 से 2007-08 तक सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश (2401), उसके बाद बिहार (1974), महाराष्ट्र (1596), आंध्र प्रदेश (1220) और तमिलनाडु (797) का स्थान था।

मानवाधिकारों की सुरक्षा अधिनियम के अनुसार आयोग के कार्यों में जेलों का निरीक्षण शामिल है। आयोग ने निरंतर इस तथ्य पर बल दिया कि कैदियों के मानवाधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए और किसी व्यक्ति के जेल में बंद होने से उसके मानवाधिकारों को नहीं छीना जा सकता। वे विधि की प्रक्रिया से अस्थाई रूप से स्वतंत्रता से वंचित है। उसे किसी अपराध की सजा के रूप में ही नहीं बल्कि सुधार के लिए भी जेल में रखा जाता है।

आयोग किसी भी प्रकार की प्रताड़ना या क्रूरता, अमानवीय और निम्न कोटि के व्यवहार का प्रतिशोध करता है। आयोग ने कैदियों को परिवार से संपर्क रखने और महिला कैदियों का विशेष ध्यान रखने पर बल दिया है। आयोग ने विभिन्न जेलों की स्थितियों में सुधार करने के लिए कई

मार्ग निर्देश जारी किए हैं ताकि कैदी सम्मानपूर्वक जीवन बिता सकें और निर्णय आने अथवा सजा पूरी होने तक अपने अधिकारों से वंचित न हों। आयोग द्वारा जेल आबादी के द्विवार्षिक आंकड़े एकत्र कर उनका विश्लेषण किया जाता है। आयोग द्वारा एकत्र आंकड़ों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि कुछ राज्यों में जेलों में प्राधिकृत क्षमता से वास्तविक कैदियों की संख्या काफी अधिक है। यही नहीं विचाराधीन कैदियों की संख्या भी अधिक बनी हुई है। महिला कैदियों की संख्या कुल जेल आबादी के 4 प्रतिशत के आस-पास है।

मानवाधिकार आयोग ने समय-समय पर भारतीय जेलों में बंद कैदियों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाई 1994 में असम राइफल्स की चौथी बटालियन की भी कड़ी निंदा की। आयोग ने टुकड़ी पर आरोप लगाया कि एक अपराधी का समय पर उपचार न कराने से उसकी मृत्यु हो गई हमारे संविधान के अनुसार सरकार का यह कर्तव्य है कि जीवन की रक्षा करें। न्यायालय के एक निर्णय में यह कहा गया था कि जीवन की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति के मर जाने पर उसे दुबारा जिंदा नहीं किया जा सकता। बीमार लोगों का उपचार कराना कर्तव्य है चाहें वे निर्दोष हों या दोषी ताकि निर्दोष सजा से बच सके और दोषी को सजा मिल सके।

आयोग के कार्यों में राज्य सरकार को सूचना देकर राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी जेल या किसी अन्य संस्था का, जहां व्यक्ति उपचार, सुधार या संरक्षण प्रयोजनों के लिए निरुद्ध या दाखिल किए जाते हैं वहां रखे गए व्यक्तियों के जीवन की परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए निरीक्षण करना और उन पर अपनी सिफारिश करने के साथ-साथ जब कोई ऐसा अपराध जो भारतीय दंड संहिता की धारा 175, धारा 178, 179, 180 या 228 में वर्णित है, के मामलों में सिविल न्यायालय समझा जाता है।

जेलों में मानवाधिकार क्यों?

- कारागार में व्यक्ति मनुष्य ही रहता है, अमानव नहीं हो जाता।
- जब यह स्थापित है कि कैदी मनुष्य है तो कैद की सीमाओं के

भीतर वह सभी मानवाधिकारों का पात्र है।

- कोई भी व्यक्ति अपराधी पैदा नहीं होता। अपराध समाज की निष्फलता है। कैदियों को मानवाधिकार देकर उनके समाज में लौटने के रास्ते सुनिश्चित होते हैं।
- कैदी को मानवाधिकार मिलने चाहिए ताकि वह दूसरों के मानवाधिकारों का सम्मान कर सकें। हम जो व्यवहार उनसे चाहते हैं, वहीं उन्हें देने होंगे।
- देश की सभ्यता की यह परीक्षा होती है कि वह अपराधियों से कैसे व्यवहार करती है। अतः उन्हें (अपराधियों को) मानवाधिकार देकर सभ्यता के सकारात्मक विकास की ओर हम प्रयत्नशील होते हैं।
- कोई व्यक्ति सजा के बतौर जेल जाता है, उसकी आजादी को अवरुद्ध करना ही उसकी सजा है। इसलिए उसके मानवाधिकारों से उसे वंचित कर और अधिक सजा नहीं दी सकती।
- जस्टिस कृष्णा अय्यर ने सुनील बत्रा मामले में यह प्रश्न किया था कि क्या कैदी व्यक्ति है? उसे मनुष्य न मानकर हम संविधान के विरुद्ध जाएंगे। अतः जिसे जीवन मिला है उसे कहीं भी खुश रहने दें, सब स्वस्थ हों, सभी अच्छाई बांटने का प्रयास करें व किसी को भी उसके अधिकारों से वंचित कर उसे दुःख न पहुंचाए।

कैदियों के अधिकार

आम मनुष्य की तरह कैदियों के भी मानवाधिकार होते हैं। एक बेहतर व्यक्ति के रूप में उनके विकास के लिए जेल में भी उसे सुरक्षा मिलनी चाहिए। चूंकि कैदी अपने दिन प्रतिदिन की सभी जरूरतों के लिए जेल प्राधिकारियों पर निर्भर करते हैं, जिनका इनकी जिंदगी पर नियंत्रण होता है।

संयुक्त राष्ट्र ने कैदियों के साथ व्यवहार करने के कुछ नियम निर्धारित किए हैं। इस दिशा में निम्नलिखित विलेख तैयार किए गए हैं।

- कैदियों के उपचार के लिए मानक न्यूनतम नियम (1955)।
- कैदियों की सुरक्षा में और अन्य क्रूर और प्रताड़ना, अमानवीय

अथवा सजा के निम्न कोटि उपचार अथवा सजा में विशेषकर फौजियों, स्वास्थ्य कार्मिकों की भूमिका से संबंधित चिकित्सा एथेक्सि सिद्धांत।

- प्रताड़ना के विरुद्ध अभियान (1984)।
- किसी प्रकार की अभिरक्षा अथवा जेल में सभी व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए सिद्धांत (1988)।
- कैदियों के उपचार के लिए भौतिक सिद्धांत (1990)।
- संयुक्त राष्ट्र संघ का गैर अभिरक्षीय उपायों के लिए मानक न्यूनतम नियमावली (टोकियो नियमावली) 1990.

भारत का संविधान देश के सभी नागरिकों को समान दर्जा और अवसर प्रदान करता है। संविधान के निम्नलिखित प्रावधान महिला-पुरुष समानता व्यक्त करते हैं।

अनुच्छेद 14 : कानून के सम्मुख समानता और कानून का सबको समान संरक्षण।

अनुच्छेद 15 : मूल, वंश, लिंग आधार पर विभेद का प्रतिशोध।

अनुच्छेद 16 : सरकारी रोजगार के मामलों में अवसरों की समानता।

अनुच्छेद 39(क) : पुरुष और महिला, सभी नागरिकों को जीवन-यापन के पर्याप्त साधन पाने का समान अधिकार।

अनुच्छेद 39(घ) : पुरुष और महिला दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए।

लिंग समानता न केवल संवैधानिक प्रावधानों के कारण अपितु महिलाओं की ऊर्जा तथा उत्पादक क्षमताओं को अभिव्यक्ति देने के लिए भी आवश्यक है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में कहा गया है कि जो देश लिंग संबंधित विकास सूचकांक में नीचे है, वे सकल मानव विकास सूचकांक में भी नीचे हैं।

1970 से ही सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 19, 21, 22, 32, 37 व 39- के तहत कैदियों के मानवाधिकारों की पैरवी की है। कैदियों को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि यह अंतर्राष्ट्रीय

स्तर पर कैदियों के मानवाधिकार भी हैं—

- कैदियों के साथ जेल में प्रवेश के समय से लेकर रिहाई तक सम्मानपूर्वक ढंग से व्यवहार किया जाएगा।
- सुनिश्चित वर्गीकरण के आधार पर उन्हें जेल में सुनिश्चित स्थान का अधिकार।
- युवा कैदियों को वयस्क कैदियों से अलग रखने का अधिकार।
- महिला कैदियों के अधिकार
- शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना का कभी औचित्य नहीं ठहराया जा सकता।
- बल प्रयोग नहीं किया जाएगा।
- स्वस्थ वातावरण व समय पर चिकित्सा सुविधा का अधिकार।
- जेल की स्थितियां मानक स्वास्थ्य मानकों को पूरा करना चाहिए।
- जमानत का अधिकार।
- निःशुल्क चिकित्सा सेवाओं का अधिकार।
- चिकित्सा स्टाफ पूरी तरह प्रशिक्षित होना चाहिए।
- चिकित्सा स्टाफ कैदी के स्वास्थ्य के लिए जिम्मेवार होता है।
- अपने वकील से मुलाकात करने का अधिकार।
- कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा की अवधि से अधिक अवधि तक बंदी बनाए जाने के विरुद्ध अपील का अधिकार।
- यौन गतिविधियों के लिए विवश किए जाने के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार।
- हथकड़ियों और बेड़ियों के प्रयोग के विरुद्ध अधिकार।
- प्रताड़ना, क्रूर व निम्न कोटि सजा के विरुद्ध अधिकार।
- जेल अपराधों के लिए काल कोठरी सजा के द्वारा दंडित न किए जाने का अधिकार।
- मनमानी जेल सजा के विरुद्ध अपील करने का अधिकार।
- अनुशासन प्राकृतिक न्याय के आधार पर होना चाहिए।
- शिकायत करने का अधिकार।
- जेल प्राधिकारियों के विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण याचना करने का अधिकार।

- मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए क्षतिपूर्ति का अधिकार।
- कैदियों के परिवार के सदस्यों द्वारा मुलाकात व मिलने का अधिकार।
- परिवार व मित्रों को पत्र लिखने व प्राप्त करने का अधिकार।
- सुधारात्मक कार्यक्रमों का अधिकार।
- कैदियों को घरों के नजदीक जेलों में रखा जाना चाहिए।
- उन्हें घर जाने की छुट्टी व अस्थाई छुट्टी योजना का लाभ मिलना चाहिए।
- कैदियों के रोजगार और कैद मजदूरी को पाने का अधिकार।
- जेल नियमों को जानने का सूचना का अधिकार।
- महिला कैदियों के लिए सुनिश्चित वर्गीकरण का अधिकार।
- सभी महिला कैदियों को इस प्रकार कोठरियों में रखा जाए कि वे पुरुष कैदियों के प्रत्यक्ष संपर्क और दृष्टि में न आए। उन्हें अलग जेलों या उसी जेल के अलग भवन में रखा जाए।
- विचाराधीन कैदियों को सिद्ध दोष कैदियों से अलग रखा जाए।
- किशोर और गैर आदतन महिला कैदियों को बड़ी उम्र और आदतन कैदियों से अलग रखा जाए।
- सिविल कैदियों को आपराधिक कैदियों से अलग रखा जाए।
- सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के आधार पर असमानता अथवा भेदभाव का निषेध किया गया है।
- महिला कैदियों को जेल में प्रवेश के समय चिकित्सा अधिकारी के आदेश के अधीन जेल मैट्रन के द्वारा उसकी जांच की जाएगी और जांच में शालीनता रखी जाएगी तथा पुरुष अधिकारियों व कैदियों की दृष्टि से दूर रखा जाएगा।
- महिला कैदी की जांच व इलाज जहां तक संभव होगा महिला चिकित्सक द्वारा किया जाएगा।
- प्रत्येक कैदी को यह अधिकार है कि जेल में उसे साफ व स्वच्छ वातावरण मिले और वहां किसी प्रकार की बीमारी की आशंका न हो। जेल का वातावरण स्वच्छ हो, इसकी जिम्मेवारी जेल के चिकित्सा अधिकारी की है।

- जेल के चिकित्सा अधिकारी और पर्यवेक्षक की यह जिम्मेवारी है कि यदि कोई कैदी टी.बी. जैसी संक्रामक बीमारी से ग्रस्त है तो उसे स्वस्थ कैदियों से अलग रखा जाए ताकि वे भी बीमार न हों।
- प्रत्येक कैदी को जेल में प्रवेश के समय किसी प्रकार की बीमारी, किसी घाव या दुर्घटना के निशान तो नहीं हैं जो पुलिस अभिरक्षा या जेल लाए जाते समय दिए गए है, यह चिकित्सा जांच जेल में उसको सजा प्राप्त होने के बाद किसी प्रकार के श्रम में नियोजित किया जाएगा, के लिए जरूरी है।
- जेल में आने से पूर्व यदि किसी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त है तो उसका इलाज कराने का अधिकार है।
- यदि वह किसी गंभीर बीमारी या भयानक बीमारी से ग्रस्त है तो उसे जबरदस्ती उसकी इच्छा के विरुद्ध जेल से न निकाले जाने का अधिकार है, जब तक चिकित्सा अधिकारी यह प्रमाणित नहीं करता कि उसे छोड़ा जा सकता है।
- किसी दूसरी जेल में स्थानांतरित करते समय प्रत्येक कैदी की चिकित्सा जांच जिसका उसे अधिकार है, वह केवल तभी स्थानांतरित किया जा सकता है, यदि चिकित्सा अधिकारी यह प्रमाणित करता है कि उसे कोई गंभीर बीमारी नहीं है जिससे स्थानांतरित के दौरान उसकी जान को खतरा हो सकता है।
- सजा के रूप में या अन्य कारण से सबसे अलग रखे गए कैदी की दिन में एक बार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच हो, का अधिकार है।
- ऐसे कैदी जिन्हें सजा के रूप में कठोर श्रम करना अपेक्षित है, उसे यह अधिकार है कि चिकित्सा अधिकारी समय-समय पर उसकी चिकित्सा जांच करेगा और उसका वजन, उसकी हिस्टरी टिकट में प्रत्येक पखवाड़े में रिकार्ड किया जाएगा।
- यदि ऐसी किसी जांच के बाद चिकित्सा अधिकारी को यह लगता है कि उसे ऐसा कठोर श्रम नहीं दिया जा सकता तो उसे उस कार्य में नियोजित नहीं किया जाएगा।

- सुपरिंटेंडेंट को यह अधिकार है कि वह किसी कैदी को जेल से बाहर चिकित्सा उपचार के लिए भेजे।

जमानत के अधिकार

- जिन अपराधों के लिए जमानत दी जा सकती है उनके लिए उसे जमानत का अधिकार है।
- पुलिस या मजिस्ट्रेट जमानत राशि को बहुत अधिक निश्चित नहीं कर सकता।
- ऐसे मामलों में जहां जमानत नहीं मिल सकती, कोर्ट 16 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति या किसी महिला या किसी बीमार को जमानत दे सकती है।

शीघ्र केस के निपटारे का अधिकार

- सभी विचाराधीन कैदियों और अपनी सजा के विरुद्ध उच्च कोर्ट में अपील के मामलों में शीघ्र सुनवाई का अधिकार है।
- जेल मैनुअल के अनुसार सुपरिंटेंडेंट की यह ड्यूटी है कि वे एक माह से अधिक लंबित विचाराधीन कैदियों के सभी मामलों की जानकारी संबंधित कोर्ट व आफिशियल विजिटर को दें।
- यदि जेल अधिकारी कैदी को कोर्ट में सुनवाई की तारीख पर जानबूझ कर नहीं भेजते तो वे कैदियों के इस अधिकार के उल्लंघन के दोषी माने जाते हैं।
- कोर्ट के आदेश की प्रति व्यक्तिगत रूप से उसकी प्राप्ति का हस्ताक्षर लेकर दी जाए।

निशुल्क विधिक सहायता

- गरीब कैदियों को निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार है।
- अपने वकील से मुलाकात का अधिकार कैदियों को है। सुपरिंटेंडेंट के आदेश से वह मिलने का समय ले सकता है और किसी अधिकारी की उपस्थिति में उसे यह सुविधा दी जा सकती है।
- सभी कैदियों को यह अधिकार होता है कि कोर्ट द्वारा दी गई सजा

की अवधि से एक दिन अधिक जेल में न रखा जाए।

- जेल प्राधिकारी प्रत्येक कैदी की रिहाई की तारीख की जानकारी उन्हें अग्रिम तौर पर देंगे।

जबरन यौन गतिविधियों के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार

- सभी कैदियों को जेल स्टाफ अथवा अन्य कैदियों से किसी भी प्रकार की जबरन यौन गतिविधियों से सुरक्षा का अधिकार होता है।
- उसे जेलर, चिकित्सा अधिकारी व सुपरिंटेंडेंट को ऐसी किसी गतिविधि की जानकारी देने का अधिकार है ताकि ये अधिकारी यह सुनिश्चित कर सकें कि इन गतिविधियों की पुनरावृत्ति न हो।
- यदि ये गतिविधियां फिर भी नहीं रुकती हैं तो कैदी को जिला मजिस्ट्रेट या सेशन जज को शिकायत करने का अधिकार है।

हथकड़ियां व बेड़ियां न पहनाने का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि किसी भी कैदी को हथकड़ियां या बेड़ियां न पहनाई जाए, यदि किसी कारणवश हथकड़ियां पहनानी पड़ें तो उसके कारण रिकार्ड करने होंगे व कोर्ट की अनुमति लेनी होगी।

प्रताड़ना क्रूर व निम्न कोटि का दंड न देने का अधिकार

- सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीने व स्वतंत्रता का कैदियों को भी अधिकार दिया है।
- किसी भी कैदी को जेल स्टाफ या अन्य कैदियों के द्वारा किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मनोवैज्ञानिक प्रताड़ना से बचाव का अधिकार दिया है।
- यदि उसके साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है तो वह इसकी शिकायत जेल स्टाफ को कर सकता है।

किसी जेल अपराध के लिए किसी कैदी को अकेले बंद न करने का अधिकार

जेल में किसी अपराध के लिए लंबे समय तक किसी कैदी को अकेले

बंद नहीं रखा जा सकता। समाज तभी सुरक्षित रह सकता है यदि कैदी जेल से बेहतर मनुष्य बनकर निकलें।

जेल में कठोर दंड के विरुद्ध अधिकार

- जेल में कैदी को कोई भी ऐसा दंड नहीं दिया जाएगा जो उसकी सेहत कि लिए नुकसानदायक हो।
- उसके आहार में कमी या श्रम में परिवर्तन जैसा कोई दंड नहीं दिया जाएगा।
- प्रत्येक कैदी को जेल में उसके साथ किए गए दुर्व्यवहार की शिकायत करने का अधिकार है।
- शिकायत कैदी स्वयं कर सकता है या उसकी ओर से उसके परिवार के सदस्य, मित्र या वकील के द्वारा की जा सकती है।
- सुप्रीम कोर्ट ने सभी जेलों में शिकायत पेटिका लगाने के निर्देश दिए हैं। इन शिकायत पेटिकाओं को सेशन जज के आदेश से नियमित खोल कर कैदियों की याचिकाओं पर कार्रवाई की जाएगी।
- जिला मजिस्ट्रेटों और सेशन जजों को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली जेलों के दौरे कर कैदियों की शिकायतों को सुनना उनके कर्तव्यों में शामिल है। वे कैदियों की समस्याओं पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करवाएंगे।
- कैदी को अपनी शिकायत को राज्य और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों तक पहुंचाने का अधिकार है।
- सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिए हैं कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन व स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह राज्य से मौद्रिक क्षतिपूर्ति दावा करने का पात्र है।
- सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों को अपने परिवार व मित्रों से मिलने का अधिकार दिया है।
- कैदियों को अपने परिवार के सदस्यों को पत्र लिखने का अधिकार है और उन्हें समाचार-पत्र व पत्रिकाएं खरीदने की अनुमति भी है।
- किसी व्यक्ति को सजा देने का उद्देश्य रिहाई के बाद उसे स्वनिर्भर

बनाना होता है। इसके लिए जेल में उसे सुधारात्मक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है।

- कैदी को शिक्षा, परामर्श, कौशल प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, ध्यान, योग का अधिकार है।
- सिविल कैदियों को सुपरिंटेंडेंट की अनुमति से जेल के भीतर से अपने व्यापार व व्यवसाय को करते रहने का अधिकार है।
- कैदियों को लगातार 9 घंटे से अधिक अवधि के लिए किसी काम में नियोजित नहीं किया जा सकता।
- कैदियों से बेगार नहीं करवाई जा सकती।
- किसी कैदी को कोई अधिकारी अपने घरेलू काम नहीं सौंप सकता।
- सिद्ध दोष कैदियों को उनके काम का मेहनताना प्राप्त करने का अधिकार है।
- जेल में अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में जेल के नियमों की जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। जेल में प्रवेश के समय मौखिक तौर पर उन्हें जेल नियमों की जानकारी दी जाएगी।
- *सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिए हैं कि कैदियों के अधिकारों की हैंडबुक हिंदी व स्थानीय भाषाओं में तैयार कर कैदियों को वितरित की जानी चाहिए ताकि उनको विधिक तौर पर जागरूक किया जा सके।*
- अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य, महिलाओं या बच्चों या मानव दुर्व्यवहार का शिकार व्यक्ति, मानसिक रोगी व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सेवाओं को प्राप्त करने का अधिकार है।

विधिक सहायता निम्नलिखित रूपों में उपलब्ध कराई जा सकती है :

- कोर्ट फीस, प्रक्रिया फीस, साक्षियों का खर्च, कागजात तैयार करने, वकीलों की फीस और विधिक कार्रवाइयों के संबंध में होने वाले खर्चों आदि का भुगतान।
- विधिक कार्रवाइयों में विधिक प्रतिनिधित्व करने के द्वारा
- अपील पेपर तैयार करने, उनकी प्रिंटिंग, टाइपिंग और अनुवाद आदि तैयार कर।

- विधिक विलेख तैयार कर।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 खंड (1) एवं (2) में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करते हैं -

i अनुच्छेद 22 (1) गिरफ्तार करने वाले प्राधिकारियों को गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी के कारणों को विलंब से दिया जाता है तो उसका पर्याप्त कारण होना चाहिए।

ii अपनी रुचि के वकील से प्रतिरक्षा करवाने का अधिकार

iii 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार - कोई भी व्यक्ति 24 घंटे से अधिक समय के लिए पुलिस हिरासत में नहीं रखा जाएगा। गिरफ्तारी के बाद यात्रा का समय निकालकर 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा गिरफ्तारी अवैध हो जाएगी।

iv 24 घंटे से अधिक निरुद्ध मजिस्ट्रेट के समक्ष ही हो सकता है, यदि किसी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक निरुद्ध करने की आवश्यकता है तो उसके लिए मजिस्ट्रेट का आदेश आवश्यक है।

न्यायालय निर्णयों के अनुसार गिरफ्तारी और निरोध के सभी मामलों में निवारक उपायों के रूप में निम्नलिखित अपेक्षाओं का पालन किया जाना चाहिए।

1. गिरफ्तार करनेवाले, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से पूछताछ करने वाले पुलिसजन को अपनी पहचान का उल्लेख दृश्य रूप में धारण करना चाहिए, जिसमें नाम और पदनाम दोनों हों। जो पुलिसजन गिरफ्तार व्यक्तियों से पूछताछ करते हैं उन सबका विवरण एक रजिस्टर में रखा जाना चाहिए।
2. गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी का एक मेमो गिरफ्तार करने के समय तैयार करें और उस पर कम से कम एक साक्षी अनुप्रमाणन होना चाहिए, जो या तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के कुटुंब का सदस्य हो या जिस परिक्षेत्र में गिरफ्तारी की गई हो वहां का सम्मानित व्यक्ति हो। उस पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए तथा उस पर गिरफ्तारी की तारीख

और समय दिया जाना चाहिए।

3. जिस व्यक्ति को गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाए और थाने या पूछताछ केंद्र या अन्य हवालात में अभिरक्षा में रखा जाए, वह हकदार होगा कि वह एक मित्र या संबंधी या अन्य परिचित या उसके कल्याण में रुचि रखने वाले व्यक्ति को यथासंभव सूचित किया जाए कि वह गिरफ्तार किया गया है और अमुक स्थान पर निरुद्ध है, सिवाय उस दशा के जब गिरफ्तारी मेमो पर अनुप्रमाणन करने वाला व्यक्ति स्वयं गिरफ्तार व्यक्ति का ऐसा मित्र या संबंधी हो।
4. गिरफ्तारी का समय और स्थान तथा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का अभिरक्षा का स्थान पुलिस द्वारा उस दशा में जब गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का निकट मित्र या संबंधी जिले या नगर के बाहर रहता हो, जिले के विधिक सहायता संगठन के माध्यम से और उस क्षेत्र के थाने के माध्यम से तार द्वारा गिरफ्तारी के बाद 8 से 12 घंटे तक के भीतर अधिसूचित किया जाए।
5. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तार करते ही उसके इस अधिकार की जानकारी दी जानी चाहिए कि वह अपनी गिरफ्तारी या निरोध की सूचना किसी व्यक्ति को भिजवा सकता है।
6. निरोध के स्थान पर डायरी में व्यक्ति की गिरफ्तारी विषयक प्रविष्टि की जानी चाहिए जिसमें उस व्यक्ति के निकट मित्र का नाम भी दिया जाएगा जिसे गिरफ्तारी की सूचना दी गई हो और पुलिस कर्मचारियों के नाम और विवरण दिए जाएंगे जिनकी अभिरक्षा में गिरफ्तार व्यक्ति रखा गया है।
7. जहां गिरफ्तार व्यक्ति अनुरोध करे वहां उसकी गिरफ्तारी के समय उसके शरीरपर बड़ी और छोटी चोटों की (यदि कोई हो) परीक्षा की जानी चाहिए और वे तभी लेखबद्ध की जानी चाहिए। उस निरीक्षण मेमो पर गिरफ्तार व्यक्ति तथा गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी दोनों के हस्ताक्षर होने चाहिए और उसकी प्रति गिरफ्तार व्यक्ति को दे दी जानी चाहिए।
8. गिरफ्तार व्यक्ति का प्रशिक्षित चिकित्सक ऐसा होना चाहिए जो

संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा अनमोदित पैनल में हो। स्वास्थ्य सेवा निदेशक को सभी तहसीलों और जिलों के लिए ऐसा पैनल तैयार करना चाहिए।

9. गिरफ्तारी मेमो सहित सभी कागजों की प्रतियां स्थानीय मजिस्ट्रेट को उसके अभिलेख के लिए भेजी जानी चाहिए।
10. गिरफ्तार व्यक्ति को अनुज्ञा होनी चाहिए कि पूछताछ के दौरान अपने अधिवक्ता से मिले।
11. सभी जिला और राज्य मुख्यालयों पर पुलिस नियन्त्रण कक्ष उपलब्ध होना चाहिए जहां गिरफ्तार व्यक्ति की गिरफ्तारी और अभिरक्षा के स्थान की सूचना गिरफ्तार करने वाले अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी के 12 घंटे के भीतर दी जाए और पुलिस नियंत्रण कक्ष में यह सहज दृश्य स्थान पर लगे बोर्ड पर प्रदर्शित की जानी चाहिए।

संविधान के अनुच्छेद 20 : अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण से संबंधित है। यह अनुच्छेद उन व्यक्तियों को जिन पर अपराध करने का अभियोग लगाया गया है, को निम्नलिखित संविधानिक संरक्षण प्रदान करता है—

1. कार्योत्तर विधियों का संरक्षण
2. दोहरे दंड संरक्षण

अनुच्छेद 20 के खंड 1 में यह व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति केवल किसी प्रचलित विधि के अंतर्गत विहित अपराध के लिए दोषी ठहराया जाएगा, अन्य अपराध के लिए नहीं, और न ही वह अधिक दंड का पात्र होगा, जो अपराध करने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन दिया जा सकता था। कार्योत्तर विधि वह विधि है जो अपराध करने के बाद पारित की जाती है और ऐसे कार्य को अपराध घोषित करती है कि जब किया गए था, अपराध नहीं था।

अनुच्छेद 20 के खंड 2 के अनुसार कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। यह उपबंध वहां लागू नहीं होते जहां दूसरा अभिबोधन किसी दूसरे अपराध के लिए चलाया जाए।

अनुच्छेद 20 के खंड 3 के अनुसार किसी अपराध में अभियुक्त कोई

व्यक्ति स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

यह अनुच्छेद इस बात का परिचायक है कि हमारे संविधान में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और शासन में कानून का सर्वोपरि स्थान है।

आयोग द्वारा समय-समय पर जारी कुछ महत्वपूर्ण पत्रों की संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार है—

मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने दिनांक 30 अक्टूबर, 1998 के अपने प्रशा। पत्र। सं. 6 (7)/98-एन.ए.एल एस.र जो देश के सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को संबोधित किया गया था, उसमें इस तथ्य को रेखांकित किया गए कि जेलों में बंद कैदियों को अपने वकीलों से मिलने का अधिकार है। किसी भी बंदी को अपने वकील से बातचीत करने का अधिकार है और इसकी सुनिश्चित व्यवस्था जेल अधिकारियों को करनी चाहिए। उन्होंने अपने पत्र में उनसे अनुरोध किया कि बंदी और उनके वकीलों के बीच मुलाकात की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

अभिरक्षा में मृत्यु की वारदात की 24 घंटे के भीतर जानकारी उपलब्ध कराना

दिनांक 14 दिसंबर, 1994 के अपने पत्र के द्वारा आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र के माध्यम से सूचित किया कि आयोग को अभिरक्षा में मृत्यु की वारदात की जानकारी 24 घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऐसी रिपोर्ट के तुरंत प्रस्तुत न किए जाने से यह समझा जा सकता है कि दुर्घटना को दबाने की कोशिश की गई थी।

जिला मजिस्ट्रेटों/पुलिस सुपरिंटेंडेंटों को यह अनुदेश दिया जाए कि अभिरक्षा में मृत्यु/बलात्कार के मामलों की तुरंत जानकारी दी जाए। (14 दिसंबर, 1993 का पत्र सं. 66/एस.जी./एन. एच.आर.सी./93 मानवाधिकार आयोग ने दिनांक 21 जून, 1995 के पत्र सं. एफ. 40/3/95-एल. डी. के द्वारा इस तथ्य को पुनः रेखांकित किया कि पुलिस अभिरक्षा के साथ-साथ न्यायिक अभिरक्षा में हुई मृत्यु की जानकारी आयोग को 24

घंटे के भीतर सूचित करनी होगी।

आयोग ने एक जनवरी 2000 को सभी हाईकोर्टों के मुख्य न्यायाधीशों को लिखे अपने पत्र में सूचित किया कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार को सौंपे गए प्रमुख कार्यों में जेलों का दौरा, जेल कैदियों की स्थिति पर अध्ययन और सुधारात्मक उपायों का सुझाव देना है। गत पांच वर्षों के दौरान आयोग के सदस्यों ने विभिन्न जेलों के दौरों के दौरान वहां अत्यंत भीड़, अस्वच्छ स्थितियों और जेल प्रशासन के कु-प्रबंध को देखा है। यह समस्या कैदियों में मूल मानवाधिकारों के प्रति जेल स्टाफ की असंवेदनशीलता से और बढ़ जाती है।

राज्य जेल मैनुअलों के अनुसार जिला और सेशन जज अपने अधिकार क्षेत्र की जेलों के पदेन विजिटर होंगे जो यह सुनिश्चित करें कि कैदियों को कुछ मूल न्यूनतम स्वास्थ्य हाईजिन और उपचार से वंचित नहीं किया जा रहा है। कैदी न्यायिक अभिरक्षा में है अतः सेशन जजों की यह जिम्मेवारी है कि उनकी स्थितियों का अनुप्रवर्तन करें और सुनिश्चित करें कि जेल की चार दीवारी के भीतर मानवीय स्थितियां बसी रहें। जस्टिस कृष्णा अय्यर की यह टिप्पणी कि जेल के गेट कैदियों और मानवाधिकारों के बीच लोहे की दीवार नहीं है। इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से जिला और सेशन जजों को अपनी ड्यूटी के रूप में जेलों का दौरा अवश्य करने के लिए सूचित किया है। उन्हें कैदियों की शिकायतों पर तुंरत जांच कर उपयुक्त सुधारात्मक उपाय करने चाहिए।

विभिन्न जिला जेलों में दौरों के दौरान आयोग को सूचित किया गया कि सेशन जज नियमित जेल दौरे नहीं करते हैं और सेशन जज/जिला मजिस्ट्रेटों की अध्यक्षता में गठित जिला समिति जिसमें वरिष्ठ पुलिस सुपरिंटेंडेंट होते हैं, वे कैदियों की स्थितियों की समीक्षा करने के लिए नियमित बैठकें नहीं करते। अधिकांश जेलों में विचाराधीन कैदियों की संख्या अधिक होती है। उनमें से अधिकांश ने छोटे जुर्म ही किए होते हैं पर उनके मामलों में शीघ्र सुनवाई नहीं होती। जिला जज अपने दौरों के दौरान ऐसे मामलों की जांच कर उनकी तुरंत सुनवाई सुनिश्चित करवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न निर्णयों में इस तथ्य और इस कारण जेल प्रशासन की समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया है।

सुप्रीम कोर्ट ने शीघ्र सुनवाई के द्वारा उनकी संख्या को कम करने पर जोर दिया है ताकि संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार शीघ्र न्याय वास्तविकता बना सके।

महिलाओं के सशक्तिकरण पर संसदीय समिति ने अपनी तीसरी रिपोर्ट में महिला कैदियों की स्थितियां सुधारने के लिए सिफारिश की थी।

मानवाधिकार आयोग ने नासिक रोड जेल में किसी विचाराधीन कैदी के आश्रितों को महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक लाख रुपए की क्षतिपूर्ति करने के आदेश दिए थे। वह कैदी वास और उदर टी.बी. से ग्रस्त था और उसे एनीमियत भी था। वह कार्डियो रेसपिरेटरी की वजह से मर गए था। आयोग की यह राय थी कि कैदी पिछले डेढ़ वर्ष से जेल की अभिरक्षा में था पर उसकी बीमारी की पहचान नहीं की गई थी। उसे डिसेंटरी और अंशीमिया का उपचार दिया जा रहा था जबकि उसे टी.बी. थी। आयोग ने महाराष्ट्र सरकार को टी.बी. तथा अन्य संक्रामक रोगों से उपचार के लिए आवश्यक कार्रवाई करने व दैनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सूचित किया।

मानवाधिकार आयोग ने 11 सितंबर, 1996 को सभी मुख्य मंत्रियों/ राज्य के प्रशासकों को लिखे अपने पत्र के द्वारा यह सूचित किया कि 31 अक्टूबर, 1996 के बाद किसी भी जेल में मानसिक रोगियों को बंदी नहीं रखा जाएगा। आयोग 1 नवंबर, 1996 से सभी जेलों का कई बार निरीक्षण करेगा ताकि किसी जेल में कोई मानसिक रोगी बंदी न रखे जाए। यदि किसी जेल में कोई मानसिक रोगी पाया जाता है तो आयोग मानसिक रोगी या उसके परिवार को क्षतिपूर्ति दिलवाएगा जिसकी वसूली संबंधित जन अधिकारी से दंड स्वरूप ली जाएगी।

आयोग ने दिनांक 11 फरवरी, 1999 के अपने अ. शा. पत्र सं. 4/3/ 99-पी.आर.पी.एंड पी. के द्वारा सभी राज्यों के महानिरीक्षकों (जेल) को कैदियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह सूचित किया कि उनके द्वारा कराए गए एक अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि न्यायिक अभिरक्षा में होने वाली 79 प्रतिशत मौतें टी.बी. के संक्रमण के कारण हुई जेलों में अत्यधिक भीड़ की वजह से संक्रमण के मामलों में वृद्धि हो रही है।

एक सुधारात्मक उपाय के रूप में सभी कैदियों की आवधिक चिकित्सा

जांच की जाए और प्रथम उपाय के रूप में जेल में प्रवेश के समय सभी कैदियों की चिकित्सा जांच की जाए। जेल प्रशासन इसके लिए किसी स्वैच्छिक संगठन की सेवाएं भी ले सकता है। यदि कोई चिकित्सा समस्या पाई जाती है तो समय पर व प्रभावी उपचार उपलब्ध कराया जाए।

जेल में प्रवेश के समय सभी कैदियों की चिकित्सा जांच का प्रोफार्मा भी आयोग ने उपलब्ध करवाया और मासिक आधार पर चिकित्सा जांचों की रिपोर्ट आयोग को भेजने के लिए सूचित किया गया।

9 अप्रैल, 1980 को मुरबक्श सिंह सिब्बिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जेल नहीं जमानत दे, क्योंकि कोर्ट का यह मानना है कि जब तक अपराध सिद्ध न हो जाए व्यक्ति निर्दोष होता है। अपनी इसी धारणा को सुप्रीम कोर्ट ने 21 नवंबर, 1983 को भगरीथ सिंह के मामले में यह दोहराया कि यह देखना जरूरी है कि क्या व्यक्ति अपने केस में हाजिर होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने एस.एस. महात्रे बनाम महाराष्ट्र सरकार के मामले में 2 दिसंबर, 2010 को पुनः जेल नहीं जमानत देने के सिद्धांत को दोहराया।

डा. ए.एस. आनंद तत्वर्ती भारत के मुख्य न्यायाधीश ने 29 नवंबर 1999 के अपने पत्र में सभी हाई कोर्ट के न्यायधीशों को विचाराधीन कैदियों के उन छोटे अपराधों, जिन्हें वे स्वीकार करते हैं, के निपटान के लिए जेल परिसरों में चलाई जा रही अदालतों में न्याय दिए जाने के निदेश दिए थे।

जेल अदालत के उद्देश्य से छोटे अपराधों से अभिप्रायः

(क) भारतीय दंड संहिता की धारा 160, 279, 294, 298, 323, 334, 336, 337, 338, 341, 342, 343, 346, 352, 354, 355, 358, 403, 417, 421, 422, 423, 424, 427, 428, 447, 448, 482, 483, 486, 494, 497, 498, 500, 501, 502, 504, 506 (पार्ट-1), 508 और

(ख) आई.पी.सी. के अतिरिक्त अन्य किसी अधिनियम के तहत सभी अपराध जिनके लिए दो वर्ष तक की सजा हो सकती है।

कैदी के अपने अपराध को स्वीकार कर लेने के बाद और जेल में उसकी अवधि और अभियोग की गंभीरता के आधार पर मजिस्ट्रेट उसे तुरंत रिहा कर सकता है अथवा बाद में रिहाई के आदेश दे सकता है।

वर्ष 2000 से जेल अदालतें देश भर में शुरू की गई हैं। इन जेल अदालतों के शुरू होने के बाद से कई मामलों में तीव्र फैसले हुए और जजों का कार्यभार भी कम हुआ। शीघ्र न्याय मिलने से पहली बार के अपराधी आदतन व कठोर अपराधी होने से बच गए। कुछ हद तक जेलों से भीड़ कम हुई

इन जेल अदालतों की सफलता के बाद केंद्रीय कानून मंत्री ने सभी राज्य सरकारों को जेल परिसरों में अदालतें स्थापित करने के लिए कहा। राज्यों को विधिक सहायता कक्ष स्थापित करने के लिए भी सूचित किया गया।

केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को फास्ट ट्रेक कोर्ट गठित करने के निदेश दिए। इन फास्ट ट्रेक कोर्टों में दो वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों को निपटाया जाता है। 1 अप्रैल, 2001 से जिला और अधीनस्थ कार्टों से सभी विचाराधीन मामलों को फास्ट ट्रेक अदालतों में अंतरित किया गए।

आंध्र प्रदेश सरकार ने आई.पी.सी. में संशोधन कर जेल सजा के स्थान पर समुदाय सेवा को वैकल्पिक सजा की व्यवस्था की है। जिंबाबेव में भी यह काफी सफल रही है।

कारागार अधिनियम, 1894

(1894 का अधिनियम संख्यांक 9) दिनांक 22 मार्च, 1894

कारागारों से संबंधित विधि का संशोधन करने के लिए अधिनियम

यह समीचीन है कि उन राज्य क्षेत्रों को छोड़कर जो पहली नवंबर, 1956 से ठीक पूर्व भाग 'ख' राज्यों में समाविष्ट थे, भारत में कारागारों से संबंधित विधि का संशोधन किया जाए और ऐसे कारागारों के विनियमन के लिए नियमों का उपबंध किया जाए; अतः इसके द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित किया जाता है :

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. **नाम, विस्तार और प्रारंभ** - (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कारागार अधिनियम, 1894 है। (2) इसका विस्तार उन राज्यक्षेत्रों के सिवाय, जो पहली नवंबर, 1956 से ठीक पूर्व भाग ख राज्यों में समाविष्ट थे, संपूर्ण भारत पर है। (3) यह जुलाई, 1894 के प्रथम दिन को प्रवृत होगा। (4) इस अधिनियम की कोई बात मुंबई राज्य में, जैसा कि वह पहली नवंबर, 1956 से ठीक पूर्व विद्यमान थी, मुंबई नगर के बाहर सिविल जेलों पर लागू नहीं होगी और वे जेलें 1874 के मुंबई अधिनियम सं. 2 की, जैसा कि वह पचात्वर्ती अधिनियमितियों द्वारा सम्बोधित किया गए है, धारा 9 से लेकर 16 तक (जिसमें ये दोनों धाराएं सम्मिलित हैं) के उपबंधों के अधीन प्रशासित होती रहेंगी।
2. (निरसित) **निरसन अधिनियम, 1938** (1938 का 1) की धारा 2

और अनुसूची द्वारा निरसित।

3. परिभाषाएं — इस अधिनियम में,

(1) 'कारागार' से कोई ऐसी जेल या स्थान अभिप्रेत है जो बंदियों को निरुद्ध करने के लिए राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेश के अधीन स्थाई रूप से या अस्थाई रूप से प्रयोग में लाया जाता है और उससे अनुलग्न सभी भूमि और भवन इसके अंतर्गत हैं किंतु निम्नलिखित नहीं हैं :— (क) ऐसे बंदियों के, जो केवल पुलिस की अभिरक्षा में हैं, परिशोध के लिए कोई स्थान; (ख) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 को 2) की धारा 541 के अधीन राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से नियत किया गए कोई स्थान; अथवा (ग) ऐसा कोई स्थान, जिसे राज्य सरकार ने साधारण, या विशेष आदेश द्वारा, उप-कारागार घोषित किया है।

(2) 'आपराधिक बंदी' से कोई ऐसा बंदी अभिप्रेत है, जिसे दांडिक अधिकारिता का उपयोग करने वाले किसी न्यायालय या प्राधिकारी के रिट, वारंट या आदेश से, या सेना न्यायालय के आदेश से, संयम रूप से अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया है।

(3) 'सिद्ध दोष आपराधिक बंदी' से कोई ऐसा आपराधिक बंदी अभिप्रेत है जिसे किसी न्यायालय या सेना न्यायालय में दंडादेश दिया है और इसके अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 8 के उपबंधों के अधीन या बंदी अधिनियम, 1900 (1900 का 3) के अधीन किसी कारागार में निरुद्ध किया गया व्यक्ति भी है।

(4) 'सिविल बंदी' से कोई ऐसा बंदी अभिप्रेत है जो आपराधिक बंदी नहीं है।

(5) 'परिहार पद्धति' से जेलों में बंदियों को दिए जाने वाले आचरण-अंकों को और परिमाणतः उनके दंडादेशों की अवधि कम करने को, विनियमित करने वाले तत्समय प्रवृत्त नियम अभिप्रेत है।

(6) 'वृत्त पत्र' से वह पत्र अभिप्रेत है जिससे ऐसी जानकारी मिलती है जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा प्रत्येक बंदी के संबंध में अपेक्षित है।

(7) 'महानिरीक्षण' से कारागारों का महानिरीक्षक अभिप्रेत है।

(8) 'चिकित्सीय अधीनस्थ' से सहायक चिकित्सक, एलोपैथिक अथवा अर्हित अस्पताल सहायक अभिप्रेत है; और

(9) 'प्रतिषिद्ध वस्तु' से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जिसका किसी कारागार में लाया जाना या वहां से हटाया जाना

इस अधिनियम के अधीन किसी नियम द्वारा प्रतिसिद्ध किया गया है।

अध्याय 2

कारागारों को बनाए रखना और उनके अधिकारी

4. **बंदियों के लिए आवास** — राज्य सरकार, अपने अधीन राज्यक्षेत्रों में बंदियों के लिए ऐसे कारागारों में आवास की व्यवस्था करेगी जो ऐसी रीति से बनाए और सुव्यवस्थित किए जाएं जिससे कि बंदियों के पृथक्करण की बाबत इस अधिनियम की अपेक्षाओं का अनुपालन हो सके।
5. **महानिरीक्षक** — प्रत्येक राज्य सरकार के अधीनस्थ राज्य क्षेत्रों के लिए एक महानिरीक्षक नियुक्त किया जाएगा और वह, उस राज्य सरकार के आदेशों के अधीन रहते हुए उस सरकार के अधीन राज्य क्षेत्रों के सभी कारागारों पर साधारण नियंत्रण और अधीक्षण रखेगा।
6. **कारागार के अधिकारी** — प्रत्येक कारागार के लिए एक अधीक्षक, एक चिकित्सा अधिकारी (जो अधीक्षक भी हो सकेगा), एक चिकित्सीय अधीनस्थ, एक जेलर और ऐसे अन्य अधिकारी होंगे, जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक समझे : परंतु मुंबई की राज्य सरकार (* * *) लिखित आदेश द्वारा, यह घोषित कर सकेगी कि आदेश में विनिर्दिष्ट किसी कारागार में जेलर का पद अधीक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति द्वारा धारण किया जाएगा।
7. **बंदियों के लिए अस्थाई आवास** — जब कभी महानिरीक्षक को यह प्रतीत होता है कि किसी कारागार में बंदियों की संख्या उससे अधिक है जितने सुविधापूर्वक या सुरक्षा के साथ वहां रखे जा सकते हैं : और जितने बंदी अधिक हैं उन्हें किसी अन्य कारागार में अंतरित करना सुविधाजनक नहीं है,

या जब कभी किसी कारागार के भीतर किसी महामारी के फैलने से,

या किसी अन्य कारणवश, किन्हीं बंदियों को अस्थाई आश्रय और निरापद सुरक्षा प्रदान करना वांछनीय हो,

तब, ऐसा अधिकारी ऐसी रीति से, जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, उतने बंदियों के लिए अस्थाई कारागारों में आश्रय और निरापद सुरक्षा की व्यवस्था करेगा जितने उक्त कारागार में सुविधापूर्वक और सुरक्षा के साथ नहीं रखे जा सकते हैं।

अध्याय 3

अधिकारियों के कर्तव्य

सामान्य

8. **कारागार के अधिकारियों का नियंत्रण और उनके कर्तव्य** – किसी कारागार के सभी अधिकारी अधीक्षक के निर्देशों का पालन करेंगेः जेलर के अधीनस्थ सभी अधिकारी ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो अधीक्षक की मंजूरी से जेलर द्वारा उन्हें सौंपे जाएं या धारा 59 के अधीन नियमों द्वारा विहित किए जाएं।
9. **अधिकारियों का बंदियों के साथ व्यापार संबंध न रखना** — किसी कारागार का कोई अधिकारी किसी बंदी को कोई वस्तु न तो बेचेगा, न किराए पर देगा और न कोई व्यक्ति उस अधिकारी की ओर से न्यासत : या उसके द्वारा नियोजित होते हुए किसी वस्तु को किसी बंदी को बेचेगा या किराए पर देगा और न उसे ऐसे बेचने या किराए पर देने से कोई लाभ प्राप्त करेगा तथा न प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः धन के लेन-देन का या कोई व्यापार संबंध किसी बंदी के साथ रखेगा।
10. **अधिकारियों का कारागार संविदाओं में हितबद्ध न होना** — कारागार का न तो कोई अधिकारी और न कोई व्यक्ति उस अधिकारी की ओर से न्यासतः या उसके द्वारा नियोजित होते हुए कारागार के लिए प्रदाय की किसी संविदा में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई हित रखेगा और न कारागार की ओर से किसी वस्तु के अथवा किसी बंदी की किसी वस्तु के या उसकी खरीद से प्रत्यक्षतः या

अप्रत्यक्षतः कोई लाभ प्राप्त करेगा।

अधीक्षक

11. **अधीक्षक** — (1) महानिरीक्षक के आदेशों के अधीन रहते हुए, अधीक्षक अनुशासन, श्रम, व्यय, दंड और नियंत्रण संबंधी सभी मामलों में कारागार का प्रबंध करेगा। (2) ऐसे साधारण या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार द्वारा दिए जाएं, किसी केंद्रीय कारागार या प्रेसिडेंसी नगर में स्थित किसी कारागार से भिन्न किसी कारागार का अधीक्षक उन सभी आदेशों का पालन करेगा, जो इस अधिनियम या उसके अधीन किसी नियम से असंगत न हो तथा जो उस कारागार के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिए जाएं और ऐसे सभी आदेशों की तथा उन पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट महानिरीक्षक को देगा।

12. **अधीक्षक द्वारा रखे जाने वाले अभिलेख** — अधीक्षक निम्नलिखित अभिलेख रखेगा या रखवाएगा :—

(1) प्रविष्ट किए गया बंदियों का रजिस्टर;

(2) ऐसी पुस्तक, जिसमें यह दिखाया गया हो कि प्रत्येक बंदी को कब छोड़ा जाना है;

(3) दंड-पुस्तिका, जिसमें कारागार संबंधी अपराधों के लिए बंदियों को दिए गए दंड दर्ज किए जाते है;

(4) मुलाकात पुस्तिका, जिसमें कारागार के प्रशासन से संबंध किन्हीं मामलों के बारे में मुलाकातियों द्वारा व्यक्त विचार दर्ज किए जाते हैं;

(5) बन्दियों से लिए गए धन या अन्य वस्तुओं का अभिलेख; तथा वे सभी अन्य अभिलेख जो धारा 59 (* * *) के अधीन बने नियमों द्वारा विहित किए जाएं।

चिकित्सा अधिकारी

13. **चिकित्सा अधिकारी के कर्तव्य** — अधीक्षक के नियंत्रण के अधीन रहते हुए चिकित्सा अधिकारी कारागार के स्वच्छता संबंधी प्रशासन का भार साधक होगा और उन कर्तव्यों का पालन करेगा जो धारा (59) के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित

किए जाएं।

14. **कुछ मामलों में चिकित्सा अधिकारी द्वारा रिपोर्ट किया जाना** — जब कभी चिकित्सा अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी ऐसे अनुशासन या व्यवहार से, जिसके अंतर्गत कोई बंदी रखा गए है, उस बंदी के मस्तिष्क पर हानिकर प्रभाव पड़ा है या पड़ सकता है, तब चिकित्सा अधिकारी उस मामले की रिपोर्ट लिखित रूप में अधीक्षक को करेगा और उसमें अपने ऐसे विचार लिखेगा जिन्हें वह ठीक समझे।

यह रिपोर्ट उस पर अधीक्षक के आदेश के साथ जानकारी के लिए तत्काल महानिरीक्षक को भेज दी जाएगी।

15. **बंदी की मृत्यु पर रिपोर्ट** — किसी बंदी की मृत्यु हो जाने पर चिकित्सा अधिकारी निम्नलिखित विशिष्टियां, जहां तक वे अभिनिश्चित की जा सकती हैं, एक रजिस्टर में तत्काल लिखेगा, अर्थात :-

1) वह दिन, जब मृतक ने पहली बार रूग्णता की शिकायत की थी या वह रूग्ण देखा गया था;
2) वह श्रम, यदि कोई हो जिस पर उसे उस दिन लगाया गया था;
3) उस दिन उसका भोजन मान;
4) वह दिन जब उसे अस्पताल में भर्ती किया गया था;
5) वह दिन, जब चिकित्सा अधिकारी को प्रथम बार रूग्णता की सूचना दी गई थी;
6) रोग की प्रकृति;
7) मृत्यु से पूर्व चिकित्सीय अधिकारी या चिकित्सीय अधीनस्थ द्वारा उसे अंतिम बार कब देखा गया था;
8) बंदी कब मरा; और
9) (उन दशाओं में जब शव परीक्षा की जाए) मरणोत्तर आकृतियों का विवरण और साथ ही ऐसी विशेष टिप्पणियां भी दी जाएंगी जो चिकित्सा अधिकारी को आवश्यक प्रतीत हों।

जेलर

16. जेलर — (1) जब तक कि अधीक्षक जेलर को अन्यत्र निवास करने

की लिखित अनुज्ञा नहीं देता वह कारागार में ही निवास करेगा। (2) महानिरीक्षक की लिखित मंजूरी के बिना जेलर किसी अन्य नियोजन से अपना कोई संबंध नहीं रखेगा।

17. **बंदी की मृत्यु की सूचना का जेलर द्वारा दिया जाना** — किसी बंदी की मृत्यु पर, जेलर तुरंत उसकी सूचना अधीक्षक और चिकित्सीय अधीनस्थ को देगा।

18. **जेलर का उत्तरदायित्व** — जेलर धारा 12 के अधीन रखे जाने वाले अभिलेखों की निरापद अभिरक्षा, सुपुर्दगी-वारंटों तथा अन्य सभी दस्तावेजों के लिए, जो उसकी देख-रेख में विश्वस्ततः रखे गए धन और अन्य वस्तुओं के लिए उत्तरदाई होगा।

19. **रात्रि में जेलर का उपस्थित रहना** — जेलर अधीक्षक की लिखित अनुज्ञा के बिना किसी भी रात को जेल से अनुपस्थित नहीं रहेगा, किंतु यदि वह अनिवार्य आवश्यकता किसी रात बिना छुट्टी के अनुपस्थित रहें तो वह उस तथ्य की तथा उसके कारण की रिपोर्ट तुरंत अधीक्षक को देगा।

20. **उप-जेलरों और सहायक जेलरों की शक्तियां** — जहां किसी जेल के लिए कोई उप-जेलर या सहायक जेलर नियुक्त किया जाता है वहां वह अधीक्षक के आदेशों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनो किसी नियम के अधीन जेलर के किसी भी कर्तव्य का पालन करने के लिए सक्षम होगा और जेलर के सभी उत्तरदायित्व उस पर होंगे।

अधीनस्थ अधिकारी

21. **गेट-कीपर के कर्तव्य** — गेट-कीपर के रूप में कार्य करने वाला अधिकारी, या कारागार का कोई अन्य अधिकारी, कारागार में या उसके बाहर ले जाई जाने वाली किसी भी वस्तु की परीक्षा कर सकता है और किसी ऐसे व्यक्ति को रोक सकता है तथा उसकी तलाशी ले सकता है या लिवा सकता है जिसके बारे में यह संदेह है कि वह कोई प्रतिषिद्ध वस्तु कारागार में ला रहा है या कारागार से बाहर ले जा रहा है या कारागार की कोई संपति बाहर ले जा रहा है, और यदि ऐसी कोई वस्तु या संपति पाई जाए तो वह तुरंत उसकी

सूचना जेलर को देगा।

22. **अधीनस्थ अधिकारियों का बिना छुट्टी के अनुपस्थित न होना** — जेलर के अधीनस्थ अधिकारी, अधीक्षक या जेलर से छुट्टी लिए बिना कारागार से अनुपस्थित नहीं रहेंगे।
23. **बंदी अधिकारीगण**—वे बंदी, जो कारागारों के अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे।

अध्याय 4

बंदियों का प्रवेश, हटाया जाना और उन्मांचन

24. **प्रवेश पर बंदियों की परीक्षा** — (1) जब कभी किसी बंदी को कारागार में प्रविष्ट किया जाए तब उसकी तलाशी ली जाएगी और उससे सभी आयुध तथा प्रतिषिद्ध वस्तुएं ले ली जाएंगी। (2) प्रत्येक आपराटि/धक बंदी की प्रवेश के बाद यथासंभव शीघ्र चिकित्सा अधिकारी के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन परीक्षा की जाएगी जो जेलर द्वारा रखी जाने वाली पुस्तिका में बंदी के स्वास्थ्य की दशा तथा उसके शरीर पर लगे किन्हीं घावों या चिह्नों का, और यदि उसे कठिन कारावास का दंड दिया गए है तो उस प्रकार के श्रम का, जिसके लिए वह उपयुक्त हों, अभिलेख तथा ऐसे अन्य विचारों को, जिन्हें चिकित्सा अधिकारी लिखना ठीक समझे, दर्ज करेगा या दर्ज कराएगा। (3) स्त्री बंदी की दशा में तलाशी तथा परीक्षा चिकित्सा अधिकारी के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन मैट्रन द्वारा की जाएगी।
25. **बंदियों की चीजवस्तु** — सभी धन तथा अन्य वस्तुएं, जिनकी बाबत किसी सक्षम न्यायालय का कोई आदेश नहीं हुआ है और जो सुनिश्चित प्राधिकार से किसी आपराधिक बंदी द्वारा कारागार में पाई जा सकती है या उसके उपयोग के लिए कारागार में भेजी जा सकती है, जेलर की अभिरक्षा में रखी जाएंगी।
26. **बंदियों का हटाया जाना और उन्मोचन** — (1) किसी अन्य कारागार में हटाए जाने से पूर्व सभी बंदियों की चिकित्सा अधिकारी द्वारा

परीक्षा की जाएगी। (2) कोई भी बंदी एक कारागार से दूसरे कारागार को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक चिकित्सा अधिकारी यह प्रमाणित नहीं करता कि उस बंदी को कोई एंसा रोग नहीं है जिसके कारण वह वहां से हटाया नहीं जा सकता। (3) यदि कोई बंदी या खतरनाक मन:स्थिति में हैं तो उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध और तब तक उन्मोचित नहीं किया जाएगा जब तक चिकित्सा अधिकारी की राय में ऐसा उन्मोचन निरापद न हो।

अध्याय 5

बंदियों का अनुशासन

27. **बंदियों का पृथक्करण** — बंदियों के पृथक्करण के बारे में इस अधिनियम की अपेक्षाएं निम्नलिखित हैं -

(1) ऐसे कारागार में जिसमें स्त्री तथा पुरुष दोनों प्रकार के बंदी हैं, स्त्री बंदियों को अलग भवनों में या एक ही भवन के अलग-अलग भागों में इस प्रकार बंदी रखा जाएगा कि उन्हें पुरुष बंदियों को देखने या उनसे बातचीत करने या उनके समागम से रोका जा सके। (2) ऐसे कारागार में, जहां इक्कीस वर्ष से कम आयु के पुरुष बंदी परिरूद्ध है, उन्हें दूसरे बंदियों से बिल्कुल पृथक रखने तथा उनमें से ऐसे बंदियों को, जो यौवनारंभ की अवस्था को पहुंच चुके हैं, ऐसे बंदियों से, जो उस अवस्था को नहीं पहुंचे हैं, पृथक रखने के उपाय किए जाएंगे।

(3) दोष सिद्धि-पूर्व के आपराधिक बंदियों को सिद्धदोष आपराधिक बंदियों से अलग रखा जाएगा और

(4) सिविल बंदियों को आपराधिक बंदियों से अलग रखा जाएगा।

28. बंदियों को दूसरों के साथ तथा अलग-अलग रखना — अंतिम पूर्वगामी धारा की अपेक्षाओं के अधीन रहते हुए सिद्ध दोष आपराधिक बंदियों को या तो साथ-साथ या एक-एक को अलग-अलग करके कोठरियों में अथवा कुछ को एक प्रकार से और कुछ को दूसरे प्रकार से रखा जा सकता है।

29. एकांत परिरोध — कोई भी कोठरी एकांत परिरोध के लिए तब तक

प्रयोग में नहीं लाई जाएगी जब तक कि उसमें ऐसे साधनों की व्यवस्था न हों जिनसे बंदी किसी भी समय कारागार के किसी अधिकारी से संपर्क स्थापित करने में समर्थ हो सके और किसी कोठरी में चौबीस घंटों से अधिक के लिए इस प्रकार प्रत्येक बंदी को, चाहें परिरोध दंड-स्वरूप हो या अन्यथा चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सीय अधीनस्थ एक दिन में कम से कम एक बार अवश्य देखने जाएगा।

30. **मृत्यु दंडादिष्ट बंदी** — (1) ऐसे प्रत्येक बंदी की, जिसे मृत्यु दंड दिया गए है दंडादेश के पश्चात् कारागार में आते ही तुरंत जेलर द्वारा या उसके आदेश से तलाशी ली जाएगी और उससे वे सभी वस्तुएं ले ली जाएंगी जिन्हें जेलर उसके पास छोड़ना खतरनाक या असमीचीन समझता है।

(2) ऐसा प्रत्येक बंदी अन्य सभी बंदियों से अलग एक कोठरी में परिरूद्ध किया जाएगा, और उसे रात-दिन पहरेदार की निगरानी में रखा जाएगा।

अध्याय 6

सिविल बंदियों तथा दोष सिद्धि-पूर्व आपराधिक बंदियों का भोजन, वस्त्र और बिस्तर

31. **कुछ बंदियों का निजी स्रोतों से भरण-पोषण** — सिविल बंदी या दोष सिद्धि-पूर्व आपराधिक बंदी को स्वयं अपना भरण-पोषण करने तथा भोजन, वस्त्र, बिस्तर या अन्य आवश्यक वस्तुओं को उचित समय पर निजी स्रोतों से खरीदने या प्राप्त करने की अनुज्ञा दी जाएगी किंतु वह परीक्षा और ऐसे नियमों के अधीन होगी जो महानिरीक्षक द्वारा अनुमोदित किए जाएं।

32. **कुछ बंदियों के बीच भोजन और वस्त्रों के अंतरण पर निर्बंधन** — किसी सिविल बंदी या दोष सिद्धि-पूर्व आपराधिक बंदी के भोजन, वस्त्र, बिस्तर या अन्य आवश्यक वस्तुओं का कोई भाग किसी अन्य बंदी को न तो दिया जाएगा, न किराए पर उठाया जाएगा और न बेचा जाएगा और इस धारा के उपबंधों का अतिक्रमण करने वाला

बंदी निजी स्रोत से भोजन खरीदने या उसे प्राप्त करने के अपने विशेषाधिकार से उतने समय तक के लिए वंचित हो जाएगा जितना अधीक्षक ठीक समझे।

33. **सिविल बंदियों और दोष सिद्धि-पूर्व आपराधिक बंदियों को वस्त्र और बिस्तर का दिया जाना** — (1) प्रत्येक सिविल बंदी और दोष सिद्धि-पूर्व आपराधिक बंदी को, जो अपने लिए पर्याप्त वस्त्र और बिस्तर की व्यवस्था करने में असमर्थ है, अधीक्षक द्वारा ऐसे वस्त्र और बिस्तर दिए जाएंगे जो आवश्यक हों। (2) जब किसी प्राइवेट व्यक्ति के पक्ष में किसी के निष्पादन में किसी सिविल बंदी को कारागार के सुपुर्द किया गए हो तब वह व्यक्ति, अथवा उसका प्रतिनिधि लिखित मांग प्राप्त करने के 48 घंटों के भीतर अधीक्षक को उन वस्त्रों और बिस्तर का खर्च संदत करेगा जो उस बंदी को दिए गए हैं और एंसा संदाय न होने पर बंदी को छोड़ा जा सकता है।

अध्याय 7

बंदियों का नियोजन

34. **सिविल बंदियों का नियोजन** — (1) अधीक्षक की अनुज्ञा से सिविल बंदी कोई भी कार्य कर सकेंगे और कोई व्यापार या वृत्ति चला सकेंगे। (2) जिन सिविल बंदियों के पास अपने निजी उपकरण हो और जिनका भरण-पोषण कारागार के व्यय पर न होता हों उन्हें अपना संपूर्ण उपार्जित धन प्राप्त कर लेने की अनुज्ञा होगी, किंतु ऐसे सिविल बंदियों द्वारा, जिन्हें उपकरण दिए जाते हैं, या जिनका भरण-पोषण कारागार के व्यय पर किया जाता है, उपार्जित धन में से उन उपकरणों के उपयोग और भरण-पोषण के व्यय मदे उतनी कटौती की जा सकेगी जितनी अधीक्षक द्वारा अवधारित की जाए।

35. **आपराधिक बंदियों का नियोजन** — (1) कोई भी आपराधिक बंदी, जिसे सश्रम दंडादेश दिया गया है या जो अपनी इच्छा से श्रम पर नियोजित किया गया है, किसी एक दिन में नौ घंटों से अधिक के लिए श्रम पर उस दशा के सिवाय नहीं लगाया जाएगा जबकि आपात की स्थिति में अधीक्षक से लिखित मंजूरी ले ली गई हो। (2)

चिकित्सा अधिकारी श्रम करने वाले श्रमिकों की, जब से काम पर लगे हों, समय-समय पर परीक्षा करेगा और श्रम पर नियोजित प्रत्येक बंदी के वृत-पत्र पर प्रत्येक पखवाड़े में कम से कम एक बार उस बंदी का उस समय का वजन लिखवाएगा। (3) जब चिकित्सा अधिकारी की यह राय हो कि किसी किस्म या वर्ग के श्रम में नियोजित होने के कारण किसी बंदी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है तब वह बंदी उस श्रम पर नहीं लगाया जाएगा किंतु उसे ऐसे अन्य किस्म या वर्ग के श्रम पर लगाया जाएगा जिसे चिकित्सा अधिकारी उसके लिए उपयुक्त समझे।

36. **सादे कारावास से दंडादेश आपराधिक बंदियों का नियोजन** — उन सभी आपराधिक बंदियों के, जिन्हें सादे कारावास का दंडादेश दिया गया है (जब तक के लिए वे चाहें तब तक के लिए), नियोजन की अधीक्षक द्वारा व्यवस्था की जाएगी, किंतु ऐसे बंदी को, जिसे कठिन कारावास का दंड नहीं दिया गया है, कार्य की उपेक्षा के लिए, भोजन-मान में ऐसा परिवर्तन करने के सिवाय दंड नहीं दिया जाएगा जो ऐसे किसी बंदी द्वारा काम की उपेक्षा की दशा में कारागार के नियमों द्वारा नियत किया जाए।

अध्याय 8

बंदियों का स्वास्थ्य

37. **बीमार बंदी** — (1) ऐसे बंदियों के नामों की रिपोर्ट, जो चिकित्सीय अधीनस्थ से मिलना चाहते हैं या मस्तिष्क या शरीर से अस्वस्थ लगते हैं, ऐसे बंदियों के उस समय के भारसाधक अधिकारी द्वारा अविलंब जेलर को, की जाएगी।

    (2) जेलर चिकित्सीय अधीनस्थ अधिकारी का ध्यान अविलंब उस बंदी की ओर दिलाएगा जो उससे मिलना चाहता है, या जो बीमार है, या जिसके मस्तिष्क या शरीर की दशा ऐसी प्रतीत होती है कि उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और वह उन सभी लिखित निर्देशों को कार्यांवित करेगा जो ऐसे किसी बंदी के अनुशासन या व्यवहार के संबंध में किए जाने वाले परिवर्तनों के बारे में चिकित्सा अधिकारी

या चिकित्सीय अधीनस्थ द्वारा दिए गए है।

38. चिकित्सा अधिकारियों के निदेशों का अभिलेख — किसी बंदी के संबंध में चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सीय अधीनस्थ द्वारा दिए गए सभी निदेश, औषधियों के प्रदाय संबंधी आदेशों अथवा उन मामलों से संबंधित निदेशों के सिवाय जिन्हें चिकित्सा अधिकारी द्वारा या उसके अधीक्षण के अधीन प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जाता है, बंदी के वृत्त-पत्र में या ऐसे किसी अन्य अभिलेख में, जिसका राज्य सरकार नियम द्वारा निदेश दे, दिन प्रतिदिन दर्ज किए जाएंगे और जेलर सुनिश्चित स्थान पर ऐसी प्रविष्टि करेगा जिसमें प्रत्येक निदेश की बाबत इस बात का उल्लेख किया जाएगा कि निदेश का अनुपालन किया गया है या नहीं, और उसमें ऐसे विचार भी, यदि कोई हों, लिखे जाएंगे जिन्हें लिखना जेलर ठीक समझे और प्रविष्टि की तारीख भी लिखी जाएगी।

39. अस्पताल प्रत्येक कारागार में, बीमार बंदियों को लेने के लिए एक अस्पताल या सुनिश्चित स्थान की व्यवस्था की जाएगी।

अध्याय 9

बंदियों से मुलाकात

40. सिविल तथा दोष सिद्धि-पूर्व आपराधिक बंदियों से मुलाकात — उन व्यक्तियों के, जिनके साथ सिविल या दोष सिद्धि-पूर्व आपराधिक बंदी संपर्क करना चाहें, प्रत्येक कारागार में, सुनिश्चित समय पर और सुनिश्चित निर्बंधनों सहित, प्रवेश के लिए सम्यक् व्यवस्था की जाएगी, इस बात का ध्यान रखा जाएगा, कि जहां तक न्याय के हित से सुसंगत हो, विचारणाधीन बंदी अपने संयकृतः अर्हित विधि सलाहकारों से किसी अन्य व्यक्ति की मौजूदगी के बिना, मिल सकें।

41. मुलाकातियों की तलाशी — (1) जेलर बंदी से मुलाकात चाहने वाले किसी व्यक्ति का नाम और पता मांग सकता है और यदि जेलर के पास संदेह का कोई आधार है तो वह किसी मुलाकाती की तलाशी ले सकता है या लिवा सकता है, किंतु ऐसी तलाशी किसी बंदी या

अन्य मुलाकाती की मौजूदगी में नहीं ली जाएगी। (2) यदि कोई मुलाकाती अपनी तलाशी लिए जाने से इनकार करे तो, जेलर उसे प्रवेश देने से इनकार कर सकता है और ऐसी कार्रवाई के आधार, उनके विवरणों सहित, ऐसे अभिलेख में दर्ज किए जाएंगे जैसा राज्य सरकार निर्दिष्ट करें।

अध्याय 10

कारागार संबंधी अपराध

42. **प्रतिषिद्ध वस्तुओं के कारागार में लाने या वहां से हटाने के लिए तथा बंदियों के साथ संपर्क के लिए शास्ति** — जो कोई धारा 59 के अधीन किसी नियम के प्रतिकूल कोई प्रतिषिद्ध वस्तु किसी कारगार में लगाएगा या वहां से हटाएगा या किसी भी साधन से लाने या हटाने का प्रयत्न करेगा या कारागार की सीमाओं के बाहर किसी बंदी को प्रदाय करेगा या प्रदाय करने का प्रयत्न करेगा और कारागार का प्रत्येक अधिकारी, जो उस नियम के प्रतिकूल कोई वस्तु जानबूझकर किसी कारागार में लाए जाने या वहां से हटाए जाने देगा, किसी बंदी को पास रखने देगा या कारागार की सीमाओं के बाहर किसी बंदी को प्रदाय होने देगा, और जो कोई ऐसे किसी नियम के प्रतिकूल किसी बंदी के साथ संपर्क करेगा या संपर्क करने का प्रयत्न करेगा और जो कोई इस धारा द्वारा दंडनीय किसी अपराध को दुष्प्रेरित करेगा, वह किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्ध होने पर कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से अधिक नहीं होगी, या जुर्माने से, जो दो सौ रुपए से अधिक का नहीं होगा, अथवा दोनों से दंडनीय होगा।
43. **धारा 42 के अधीन अपराध के लिए गिरफ्तार करने की शक्ति** — -जब कोई व्यक्ति, कोई ऐसा अपराध, जो पूर्वगामी अंतिम धारा में विनिर्दिष्ट है, कारागार के किसी अधिकारी की उपस्थिति में करेगा और उस अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर अपना नाम या निवास स्थान बताने से इनकार करेगा या ऐसा नाम या निवास-स्थान बताएगा जिसके बारे में वह अधिकारी जानकार है या उसे विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है तब, वह अधिकारी उसे

गिरफ्तार कर सकेगा, और अनावश्यक विलंब के बिना उसे किसी पुलिस अधिकारी के सुपुर्द कर सकेगा और तब वह पुलिस अधिकारी इस प्रकार की कार्रवाई करेगा मानो वह अपराध उसकी उपस्थिति में किया गया था।

44. शास्तियों का प्रकाशन—अधीक्षक, कारागार के बाहर किसी सहज दृष्य स्थान में अंग्रेजी तथा देशी भाषा में एक सूचना लगवाएगा जिसमें धारा 42 के अधीन प्रतिषिद्ध कार्य और उनके किए जाने पर दी जाने वाली शास्तियां उल्लिखित होंगी।

अध्याय 11

कारागार-अपराध

45. कारागार-अपराध — निम्नलिखित कार्य, जब वे किसी बंदी द्वारा किए जाएं तब कारागार-अपराध घोषित किए जाते हैं —

1) कारागार के किसी विनियम की जानबूझकर ऐसी अवज्ञा, जिसे धारा 59 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा कारागार-अपराध घोषित किया गया है;
2) कोई हमला या आपराधिक बल का प्रयोग;
3) अपमानजनक या धमकी भरी भाषा का प्रयोग;
4) अनैतिक या अशिष्ट या विच्छृंखल आचरण;
5) श्रम करने से अपने को जानबूझकर असमर्थ बना देना;
6) काम करने से धृष्टतापूर्वक इनकार करना;
7) हथकड़ियों, बेड़ियों या सलाखों को सम्यक् प्राधिकार के बिना रेतना, काटना, उनमें हेरफेर करना या उन्हें हटाना;
8) किसी ऐसे बंदी द्वारा, जिसे कठिन कारावास का दंड दिया गया है, काम पर जानबूझकर आलस्य या उपेक्षा करना;
9) किसी ऐसे बंदी द्वारा, जिसे कठिन कारावास का दंड दिया गया है, जानबूझकर काम का कुप्रबंध करना;
10) कारागार संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना;
11) वृत-पत्रों, अभिलेखों या दस्तावेजों को बिगाड़ना या विरूपित करना;
12) कोई प्रतिषिद्ध वस्तु प्राप्त करना, अपने पास रखना या अंतरित

करना;

13) रुग्णता का ढोंग करना;

14) किसी अधिकारी या बंदी के विरुद्ध जानबूझकर कोई झूठा आरोप लगाना;

15) आग लगने, क्रूच या षड्यंत्र रचने, भाग निकलने अथवा भाग निकलने के प्रयत्न या तैयारी की तथा किसी बंदी या कारागार पदाधिकारी पर किसी आक्रमण की या आक्रमण की तैयारी की जैसे ही जानकारी हो जाए, रिपोर्ट न करना या रिपोर्ट करने से इनकार करना;

16) निकल भागने का षड्यंत्र रचना अथवा निकल भागने में सहायता करना, अथवा पूर्वोक्त अपराधों में से कोई अन्य अपराध करना;

45. **ऐसे अपराधों के लिए दंड** — अधीक्षक ऐसे किसी अपराध से संपृक्त किसी व्यक्ति की परीक्षा कर सकेगा और तब उसका अवधारण कर सकेगा तथा ऐसे अपराध के लिए निम्नलिखित दंड दे सकेगा :

(1) औपचारिक चेतावनी : स्पष्टीकरण-औपचारिक चेतावनी से ऐसी चेतावनी अभिप्रेत है जो अधीक्षक द्वारा बंदी को व्यक्तिगत रूप से संबोधित की जाए तथा दंड-पुस्तिका में और बंदी के वृत्त-पत्र में दर्ज की जाए।

(2) श्रम को किसी अधिक कष्टप्रद या कठोर रूप के श्रम में उतनी अवधि के लिए परिवर्तित करना, जितनी राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाएं।

(3) ऐसे सिद्ध दोष आपराधिक बंदियों की दशा में, जिन्हें कठिन कारावास का दंड नहीं दिया गया है, सात दिन से अधिक की अवधि के लिए कठोर श्रम।

(4) तत्समय प्रवृत्त परिहार पद्धति के अधीन अनुज्ञेय विशेषाधिकारों की ऐसी हानि, जो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए।

(5) पहनने के लिए टाट या अन्य मोटे कपड़े का, जो ऊनी न हो, किसी अन्य कपड़े के स्थान पर ऐसी अवधि के लिए दिया जाना जो तीन

मास से अधिक की न हो।

(6) ऐसे नमूने और भार की हथकड़ियों का, ऐसी रीति से और इतनी अवधि के लिए लगाया जाना, जो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए।

(7) ऐसे नमूने और भार बेड़ियों का, ऐसी रीति से और इतनी अवधि के लिए लगाया जाना, जो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए।

(8) तीन मास से अंशधिक की किसी अवधि के लिए पृथक् परिरोध।

स्पष्टीकरण — पृथक परिरोध से, श्रम सहित या श्रम रहित, ऐसा परिरोध अभिप्रेत है जो किसी बंदी की अन्य बंदियों से संपर्क से, न कि उनकी दृष्टि से, अलग रखता है और जिसमें उसे प्रतिदिन कम से कम एक घंटे के व्यायाम और एक या अधिक अन्य बंदियों के साथ मिलकर भोजन करने की अनुज्ञा रही है।

(9) शास्तिक भोजन, अर्थात ऐसी रीति से और श्रम संबंधी उन शर्तों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं, भोजन के संबंध में निर्बंधन

(10) चौदह दिन से अनधिक की किसी अवधि के लिए कोठरी-बंद परिरोध।

परंतु कोठरी-बंद परिरोध की ऐसी प्रत्येक अवधि के पश्चात् उस अवधि से अन्यून अवधि का अंतराल, उस बंदी को कोठरी-बंद या एकांत-परिरोध के लिए फिर से दंडादिष्ट करने से पूर्व, अवश्य बीत जाना चाहिए।

स्पष्टीकरण — कोठरी-बंद परिरोध से, श्रम सहित या श्रम रहित, ऐसा परिरोध अभिप्रेत है जो किसी बंदी को अन्य बंदियों के संपर्क से, न कि उनकी दृष्टि से, पूर्णतः अलग रहता है।

(11) कोठरी-बंद परिरोध सहित खण्ड (9) में यथापरिभाषित शास्तिक भोजन।

(12) कोड़े मारना, परंतु तीस से अधिक कोड़े नहीं मारे जाएंगे।

परंतु इस धारा की कोई भी बात किसी स्त्री बंदी या सिविल बंदी को किसी भी प्रकार की हथकड़ियां या बेड़ियां लगाए जाने या कोड़े मारे जाने का भागी नहीं बनाएगी।

47. धारा 46 के अधीन दंडों में से एक से अधिक का दिया जाना—(1) अंतिम पूर्वगामी धारा में प्रमाणित दंडों में से कोई भी दंड ऐसे किसी अपराध के लिए, निम्नलिखित अपवादों के अधीन मिलाकर दिए जा सकते हैं, अर्थात :

1) औपचारिक चेतावनी को उस धारा के खण्ड (4) के अधीन विशेषाधिकारों की हानि के सिवाय किसी अन्य दंड के साथ नहीं मिलाया जाएगा।
2) शास्तिक भोजन उस धारा के खंड (2) के अधीन श्रम-परिवर्तन के साथ नहीं मिलाया जाएगा और न अकेली दी गई शास्तिक भोजन की किसी अतिरिक्त अवधि को उस दांडिक भोजन की अवधि के साथ मिलाया जाएगा जो (कोठरी-बंद) परिरोध के साथ मिलाकर दी गई है।
3) कोठरी-बंद परिरोध को पृथक परिरोध के साथ इस प्रकार नहीं मिलाया जाएगा जिससे कि पृथक वास की, जिसके लिए बंदी भागी होगा, कुल अवधि बढ़ जाए।
4) कोड़े की मार को, कोठरी-बंद परिरोध या पृथक् परिरोध के तथा परिहार पद्धति के अधीन अनुज्ञेय विशेषाधिकार की हानि के साथ मिलाने के सिवाय, किसी अन्य प्रकार के दंड के साथ नहीं मिलाया जाएगा।
5) कोई भी दंड राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के उल्लंघन में दिए गए किसी अन्य दंड के साथ नहीं मिलाया जाएगा।

(2) किसी ऐसे अपराध के लिए कोई ऐसा दंड नहीं दिया जाएगा जिससे कि किसी ऐसे अन्य अपराध के लिए दिए गए दंड के साथ उन दंडों में से मिलाए जा सकें जो ऐसे किसी अपराध के लिए मिलाकर नहीं दिए जा सकते हैं।

48. धारा 46 और धारा 47 के अधीन दंडों का दिया जाना (1) अधीक्षक को अंतिम पूर्वगामी दो धाराओं में प्रगणित दंडों में से कोई भी दंड देने की शक्ति इस बात के अधीन रहते हुए होगी कि वह एक से अधिक अवधि के लिए पृथक् परिरोध की दशा में, महानिरीक्षक के पूर्व पुष्टिकरण से की गई हो। (2) अधीक्षक के अधीनस्थ किसी भी

अधिकारी को कोई भी दंड देने की शक्ति नहीं होगी।

49. **दंडों का पूर्वगामी धाराओं के अनुसार होना** — न्यायालय के आदेश के बिना कोई दंड जो पूर्वगामी धाराओं में विनिर्दिष्ट दंडों से भिन्न हो किसी भी बंदी को नहीं दिया जाएगा और कोई भी दंड किसी बंदी को उन धाराओं के उपबंधों के अनुसार दिए जाने से अन्यथा नहीं दिया जाएगा।

50. चिकित्सा अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया जाना कि बंदी दंड भोगने के लिए समर्थ है—(1) शास्तिक-भोजन का दंड, चाहें अकेले या दूसरे के साथ मिलाकर या कोड़े मारने, या धारा 46 के खण्ड (2) के अधीन श्रम-परिवर्तन का दंड तब तक कार्यान्वित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस बंदी की, जिसे वह दंड दिया गया है, चिकित्सा अधिकारी ने परीक्षा न कर ली हो और यदि चिकित्सा अधिकारी यह समझता है कि बंदी दंड भोगने के लिए समर्थ है, तो वह धारा 12 में विहित दंड-पुस्तिका के सुनिश्चित स्तम्भ में तदनुसार वैसा लिखकर प्रमाणित करेगा।

(2) यदि वह समझता है कि बंदी दंड भोगने के लिए असमर्थ है तो वह अपनी राय उसी रीति से लेखबंद करेगा और यह बताएगा कि क्या वह बंदी उस प्रकार के दंड को, जो दिया गया है, भोगने के लिए पूर्णतया असमर्थ है, या कि वह कोई परिवर्तन आवश्यक समझता है।

(3) पश्चात् कथित मामले में वह इस बात का उल्लेख करेगा कि बंदी, अपने स्वास्थ्य को बिना क्षति पहुंचाए कहां तक दंड भोग सकता है।

51. **दंड-पुस्तिका में प्रविष्टियां** — (1) धारा 12 में विहित दंड-पुस्तिका में दिए गए प्रत्येक दंड की बाबत बंदी का नाम, रजिस्टर संख्यांक और वह वर्ग (कि वह अभ्यासिक है या नहीं) जिसका कि वह है, कारागार-अपराध जिसका वह दोषी था, वह तारीख, जिसको ऐसा कारागार-अपराध किया गए था, पहले किए गए कारागार-अपराधों की वह संख्या जो उस बंदी के नाम के सामने अभिलिखित है, तथा उसके अंतिम कारागार-अपराध की तारीख, दिए गए दंड और दिए जाने की तारीख लिखी जाएगी।

(2) प्रत्येक गंभीर कारागार-अपराध की दशा में उन साक्षियों के नाम लिखे जाएंगे, जिंहोंने अपराध को साबित किया है और ऐसे अपराधों की दशा में, जिनके लिए कोड़े मारने का दंड दिया गए है, अधीक्षक साक्षियों के साक्ष्य का सार, बंदी का प्रतिवाद और निष्कर्ष तथा उनके कारण लिखेगा।

(3) प्रत्येक दंड से संबंधित प्रविष्टियों के सामने जेलर और अधीक्षक इस बात के साक्ष्य स्वरूप आद्याक्षर करेंगे कि प्रविष्टियां ठीक है।

52. **जघन्य अपराध करने पर प्रक्रिया** — यदि कोई बंदी कारागार-अनुशासन के विरुद्ध ऐसे किसी अपराध का दोषी है, जो इस कारण कि उसने ऐसे अपराध कई बार किए है, या अन्यथा, अधीक्षक की राय में ऐसा कोई दंड देने पर भी जिसे देने की उसे इस अधिनियम के अधीन शक्ति है, पर्याप्त रूप से दण्डित नहीं किया जा सकता तो अधीक्षक उस बंदी को, जिला मजिस्ट्रेट, या किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, या प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के, जिसे अधिकारिता हों, न्यायालय को, परिस्थितियों के विवरण सहित, भेज सकेगा और तब वह मजिस्ट्रेट बंदी के विरुद्ध इस प्रकार लगाए गए आरोपों को जांच और उसका विचारण करेगा और दोष सिद्धि पर उसे इतने कारावास का दंड दे सकेगा जो एक वर्ष तक का हो सकेगा, जो अवधि उस अवधि के अतिरिक्त होगी जिसके लिए वह बंदी, जब उसने वैसा अपराध किया था, तब कारावास भोग रहा था या उसे धारा 46 में प्रगणित दंडों में से कोई दंड दे सकेगा।

परंतु ऐसे किसी मामले को जांच और विचारण के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को और मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट द्वारा किसी अन्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट को अंतरित किया जा सकेगा। परंतु यह और कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार दण्डित नहीं किया जाएगा।

53. कोड़े मारना — (1) दंडस्वरूप कोड़े किस्तों में नहीं मारे जाएंगे और न ही अधीक्षक तथा चिकित्सक अधिकारी या अधीनस्थ चिकित्सक की अनुपस्थिति में मारे जाएंगे।

(2) कोड़े एक हल्के बेंत से, जिसका व्यास आधे इंच से कम न हो, नितंबों

पर मारकर लगाए जाएंगे और सोलह वर्ष से कम के बंदियों की दशा में, विद्यालय अनुशासन की भांति, अधिक हल्के बेंत से मारकर लगाए जाएंगे।

54. **कारागार-अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा अपराध** — (1) प्रत्येक जेलर या उसका अधीनस्थ कोई कारागार अधिकारी, जो कर्तव्य के अतिक्रमण या सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए किसी नियम या विनियम या विधिपूर्ण आदेश को जानबूझकर भंग करने या उसकी उपेक्षा करने का दोषी होगा, या जो अपने पद के कर्तव्यों से, अनुज्ञा लिए बिना, या ऐसे आय की लिखित पूर्व सूचना दिए बिना दो मास की अवधि तक अलग रहेगा, या जो उसे दी गई किसी छुट्टी की अवधि से अधिक समय तक जानबूझकर छुट्टी पर रहेगा या जो कारागार कर्तव्य से भिन्न किसी नियोजन में, प्राधिकारी के बिना, लगेगा या जो कायरता का दोषी होगा, मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्धि पर, जुर्माने से दो सौ रुपए से अधिक नहीं होगा या कारावास से जिसकी अवधि तीन मास से अधिक की नहीं होगी, या दोनों से दंडनीय होगा।

(2) किसी व्यक्ति को इस धारा के अधीन एक ही अपराध के लिए दो बार दण्डित नहीं किया जाएगा।

अध्याय 12

प्रकीर्ण

55. **बंदियां की कारागार-बाध्य अभिरक्षा, नियंत्रण और नियोजन** —कोई बंदी, जब वह किसी ऐसे कारागार को या किसी ऐसे कारागार से, जिसमें वह वैध रूप से परिरूद्ध किया जाए, ले जाया जा रहा है या जब कभी वह ऐसे कारागार-अधिकारी की पूर्ण अभिरक्षा में या उसके नियंत्रणाधीन ऐसे कारागार की सीमाओं के बाहर कार्य कर रहा है या अन्यथा उन सीमाओं के परे है तब, वह कारागार में समझा जाएगा और उसकी आनुषंगिक सभी बातों के अधीन वैसे ही होगा मानो वह वस्तुतः कारागार में है।

55. **बेड़ियां लगाकर परिरोध** — जब कभी अधीक्षक, किंही बंदियों की

निरापद सुरक्षा के लिए (कारागार की दशा या बंदियों के आचरण के प्रसंग में) यह आवश्यक समझे कि उन्हें बेड़ियां लगाकर परिरूद्ध रखना चाहिए तब वह ऐसे नियमों और अनुदेशों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार की मंजूरी से महानिरीक्षक द्वारा निर्धारित किए जाएं, उन्हें इस प्रकार परिरोध में रख सकेगा।

57. निर्वासन के दंडाधीन बंदियों का बेड़ियां लगाकर परिरोध — (1) निर्वासन के दंडाधीन बंदियां को धारा (59) के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, कारागार में प्रवेश के पश्चात् प्रथम तीन मास तक, बेड़ियां लगाकर परिरूद्ध रखा जाएगा।

(2) यदि अधीक्षक, स्वयं बंदी की निरापद अभिरक्षा के लिए या किसी अन्य कारण से, यह आवश्यक समझे कि किसी बंदी को तीन मास से अधिक के लिए बेड़ियां लगाकर रखना चाहिए तो वह उस अवधि के लिए, जिसके लिए वह बेड़ियां लगाए रखना आवश्यक समझे बेड़ियां लगाए रखने की मंजूरी के लिए महानिरीक्षक को आवेदन कर सकेगा, और महानिरीक्षक तदनुसार उसकी मंजूरी दे सकेगा।

58. **जब तक कि अत्यंत आवश्यक न हो जेलर द्वारा बंदियां को बेड़ियों में न रखा जाना** — कोई बंदी जेलर द्वारा उसके अपने प्राधिकार से ही, बेड़ियों में अथवा अवरोध में नहीं रखा जाएगा जब तक कि ऐसा करना उसको अत्यंत आवश्यक न हो और ऐसी दशा में उसकी सूचना तत्काल अधीक्षक को दी जाएगी।

59. नियम बनाने की शक्ति — (1) राज्य सरकार (राजपत्र द्वारा अधिसूचना द्वारा) निम्नलिखित के लिए, इस अधिनियम से संगत नियम बना सकेगीः

1) उन कार्यों को परिनिश्चित करना, जो कारागार-अपराध होंगे;
2) कारागार-अपराधों का गंभीर और छोटे अपराधों में वर्गीकरण का अवधारण;
3) इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय ऐसे दंड नियम करना, जो कारागार संबंधी अपराधों या उनके वर्ग के अपराधों के किए जाने पर दिए जा सकते हैं;
4) उन परिस्थितियों को घोषित करना, जिनमें वे कार्य, जिनसे दोनों

प्रकार के अपराध, अर्थात् कारागार-अपराध और भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन अपराध गठित होते हैं, कारागार-अपराध के रूप में बरते जा सकते हैं या नहीं;

5) आचरण-अंक देना या दंडों को कम करना;
6) उपद्रव या निकल भागने के प्रयत्न की दशा में किसी बंदी या बंदियों के समूह के विरुद्ध आयुधों के उपयोग का विनियमन;
7) उन परिस्थितियों को परिनिश्चित करना तथा उन शर्तों को विनियमित करना जिन पर उन बंदियों को छोड़ा जा सकता है जो मृत्यु के खतरे में पड़ जाते हों;
8) कारागारों का वर्गीकरण तथा वार्डों, कोठरियों और निरोध के अन्य स्थानों का वर्णन और रचना;
9) प्रत्येक वर्ग के कारागारों में निरुद्ध किए जाने वाले बंदियों का, उनकी संख्या, दंडादेश की अवधि या उनके स्वरूप के अनुसार, या अन्यथा, विनियमन;
10) कारागारों का प्रशासन तथा इस अधिनियम के अधीन नियुक्त सभी अधिकारियों की नियुक्ति;
11) आपराधिक बंदियों को तथा ऐसे सिविल बंदियों को, जिनका भरण-पोषण उनके अपने खर्च से भिन्न रीति से होता है, भोजन, बिस्तर और वस्त्र;
12) सिद्धदोष व्यक्तियों का कारागार के भीतर अथवा बाहर नियोजन, उन्हें अनुदेश देना और उनका नियंत्रण;
13) उन वस्तुओं को निर्धारित करना जिनका सम्यक् प्राधिकार के बिना कारागारों में लाना या वहां से हटाना प्रतिसिद्ध है;
14) विभिन्न प्रकार के श्रमों का वर्गीकरण और उन्हें विहित करना, तथा श्रम के बाद विश्राम की अवधियों को विनियमित करना;
15) बंदियों के नियोजन के आगमों के व्ययन का विनियमन करना;
16) निर्वासन के लिए दंडविष्ट बंदियों के बेड़ियों में परिरोध को विनियमित करना;
17) बंदियों का वर्गीकरण और पृथक्करण;
18) सिद्धदोष आपराधिक बंदियों के धारा 28 के अधीन परिरोध का

विनियम;

19) वृत-पत्रों को तैयार करना और उनका रखा जाना;

20) कारागार के अधिकारियों के रूप में बंदियों का चयन और उनकी नियुक्ति;

21) सदाचरण के लिए इनाम;

22) ऐसे बंदियों के, जिनके निर्वासन या कारावास की अवधि समाप्त होने को हो, अंतरण का विनियमन, किंतु यह किसी ऐसे अन्य राज्य की, जहां बंदी को अंतरित किया गए है, राज्य सरकार की सहमति के अधीन होगा;

23) कारागारों में परिरूद्ध आपराधिक पागलों या ऐसे आपराधिक पागलों का, जो ठीक हो गए हैं, उपचार, अंतरम और व्यवस्था;

24) बंदियों की अशीलों और उनकी अर्जियों के पारेषण तथा उनके मित्रों के साथ उनके पत्र-व्यवहार का विनियमन;

25) कारागार के परिदर्शकों की नियुक्ति और उनका मार्गदर्शन;

26) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं या सभी उपबंधों का अतिरिक्त जेलों या परिरोध के विशेष स्थानों पर, जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 541 के अधीन नियत किए गए है और वहां नियोजित अधिकारियों और परिरूद्ध वांदियों पर विस्तार;

27) बंदियों का प्रवेश, अभिरक्षा, नियोजन, भोजन, उपचार और छोड़ा जाना और;

28) साधारणतया इस अधिनियम के प्रयोजनों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करना;

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा।

60. **स्थानीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति** — भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा लोप किया गया।

61. **नियमों की प्रतियों का प्रदर्शन**—धारा 59 के अधीन नियमों की, जहां तक वे नियम कारागार के प्रशासन को प्रभावित करते हैं, प्रतियां ऐसे किसी स्थान में, जहां किसी कारागार में नियोजित

सभी व्यक्ति पंहुच सकते हों, अंग्रेजी और देशी भाषा, दोनों में प्रदर्शित की जाएगी।

62. **अधीक्षक और चिकित्सा अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग** — इस अधिनियम द्वारा किसी अधीक्षक या चिकित्सा अधिकारी को प्रदत्त और उस पर अधिरोपित समस्या या किन्हीं भी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन उसकी अनुपस्थिति में ऐसे अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा जिसे राज्य सरकार निमित्त नाम से अथवा उसके शासकीय पदनाम से नियुक्त करें।

अनुसूची — (अधिनियमिनि निरसित की गई) निरसन अधिनियम, 1983 (1938 का 1) की धारा 2 और अनुसूची द्वारा निरसित

अपराध परिवीक्षा अधिनियम, 1958

अपराधियों की परिवीक्षा पर या सम्यक् भर्त्सना के पश्चात् छोड़ दिए जाने के लिए इससे संबद्ध बातों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियमित।

भारत गणराज्य के नौवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियम हों।

धारा 1 : संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

1. यह अधिनियम अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 कहलाएगा।
2. इसका विस्तार जम्मू-कमीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है।
3. किसी राज्य में यह उस तारीख को लागू होगा, जिसे वह राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करें और राज्यों के विभिन्न भागों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेगी।

धारा 2 : परिभाषाएं — इस एक्ट में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों —

- 'संहिता' से दंड प्रक्रिया संहिता, 1989 अभिप्रेत है;
- 'परिवीक्षा अधिकारी ' से वह अधिकारी अभिप्रेत है, जो धारा 13 के अधीन परिवीक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है या उस रूप में मान्यता प्राप्त है;
- 'विहित' से इस एक्ट के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित

अभिप्रेत है ;

- ऐसे शब्दों और पदों के, जो इस एक्ट में प्रयुक्त हैं, किंतु परिभाषित नहीं है और दंड प्रक्रिया संहिता, 1989 में परिभाषित हैं, वे ही अर्थ होंगे जो उस संहिता, में क्रमशः उनके हैं ;

नोट : अब 'संहिता' से तात्पर्य दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) से है।

धारा 3 : कतिपय अपराधियों को भर्त्सना के पश्चात् छोड़ देने की न्यायालय की शक्ति — जब कोई व्यक्ति भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 379 या धारा 380 या धारा 381 या धारा 404 या धारा 420 के अधीन दंडनीय कोई अपराध तथा भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य विधि के अधीन दो वर्ष से अधिक न होने वाली अवधि के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय कोई अपराध करने का दोषी पाया जाता है और उसके विरुद्ध कोई पूर्व दोष सिद्धि साबित नहीं होती है और जिस न्यायालय ने उस व्यक्ति को दोषी पाया है, उसकी यह राय है कि मामले की परिस्थितियों को, जिनके अंतर्गत अपराध की प्रकृति और अपराधी का चरित्र भी है, ध्यान में रखते हुए ऐसा करना समीचीन है, तब उस समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी वह न्यायालय उसे दण्डित करने या उसे धारा 4 के अधीन अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने के बजाय उसे सम्यक् भर्त्सना के बाद छोड़ सकेगा।

स्पष्टीकरण — इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध पूर्व दोष सिद्धि के अंतर्गत इस धारा या धारा 4 के अधीन उसके विरुद्ध किया गए कोई पूर्व आदेश भी है।

धारा 4 : कुछ अपराधियों को अच्छे आचरण पर परिवीक्षा पर छोड़ने की न्यायालय की शक्ति —

1. जब कोई व्यक्ति कोई ऐसा अपराध करने का दोषी पाया जाता है जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है और जिस न्यायालय ने उस व्यक्ति को दोषी पाया है उसकी यह राय है कि मामले की परिस्थितियों को, जिनके अंतर्गत अपराध की प्रकृति और अपराधी का चरित्र भी है, ध्यान में रखते हुए उसे अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर छोड़ देना समीचीन (उचित) है, तक उस

समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी वह न्यायालय उसे तुरंत दण्डित करने के बजाय, निर्देश दे सकेगा कि उसे प्रतिभूओं सहित या रहित बंध-पत्र निष्पादित करने पर छोड़ दिया जाएगा और वह ऐसी अवधि तक जो तीन वर्ष से अधिक न होगी, के दौरान परिशांति कायम रखेगा और सद्आचरण करेगा, जैसा कि न्यायालय निर्दिष्ट करें, वह बुलाए जाने पर उपस्थित होगा और दंडादेश प्राप्त करेगा। परंतु न्यायालय किसी अपराधी को छोड़ने का निर्देश तब तक नहीं देगा, जब तक उसका समाधान नहीं हो जाता है कि अपराधी या उसके जमानती (यदि कोई हो) का कोई नियत निवास-स्थान या उस स्थान में नियमित आजीविका है, जिस पर वह न्यायालय अधिकारिता रखता है या जिसमें अपराधी के उस समय अवधि के दौरान रहने की संभाव्यता है जिसके लिए वह बंध-पत्र देता है।

2. उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश करने से पूर्व न्यायालय मामले के बारे में संबंधित परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर, यदि कोई हो, विचार करेगा।
3. जब उपधारा (1) के अधीन आदेश किया जाता है तब यदि न्यायालय की यह राय है कि अपराधी और जनता के हितों में एंसा करना समीचीन है, तो वह उसके अलावा एक पर्यवेक्षण आदेश पारित कर सकेगा, जिसमें यह निर्देश होगा कि अपराधी आदेश में नामित परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन एक वर्ष से कम न होने वाली ऐसी कालावधि के दौरान रहेगा जो उसमें विनिर्दिष्ट हो और ऐसे पर्यवेक्षण आदेश में ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा जैसा कि यह अपराधी के सम्यक् (due) पर्यवेक्षण के लिए आवश्यक समझता है।
4. उपधारा (3) के अधीन पर्यवेक्षण आदेश जारी करने वाला न्यायालय अपराधी से अपेक्षा कर सकेगा कि उसे छोड़ने से पूर्व, वह ऐसे आदेश में निर्दिष्ट शर्तों का पालन करने हेतु प्रतिभूतियों सहित या रहित बंध-पत्र निष्पादित करें (भरे) और निवास-स्थान, मादक पदार्थों से दूर रहना या किसी अन्य बात के बारे

में अतिरिक्त शर्तों को लागू कर सकेगा, जैसा कि न्यायालय विशेष परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए उसी अपराध की पुनरावृत्ति को या अपराधी द्वारा अन्य अपराधों को किए जाने को रोकने के लिए उचित समझे।

5. उपधारा (3) के अधीन पर्यवेक्षण आदेश करने वाला न्यायालय आदेश के प्रतिबंधों और शर्तों के बारे में अपराधी को समझाएगा और प्रत्येक अपराधी और संबंधित पर्यवेक्षण अधिकारी को प्रतिभूओं (यदि कोई हो) और पर्यवेक्षण आदेश की एक प्रति देगा।

धारा 5 : छोड़े गए अपराधियों से मुआवजा और खर्च देने की अपेक्षा करने की न्यायालय की शक्ति —

1) धारा 3 या 4 के अधीन अपराधियों को छोड़ने का निर्देश देने वाला न्यायालय, यदि उचित समझे तो उसी समय एक अतिरिक्त आदेश पारित कर सकेगा, जिसमें उसे निम्नलिखित संदत्त करने (देने) के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा -

क) अपराध के किए जाने से किसी व्यक्ति को हुई हानि या क्षति के लिए इतना मुआवजा, जितना न्यायालय युक्तियुक्त (उचित) समझता है और

ख) कार्रवाइयों के इतने खर्चे जितने न्यायालय युक्तियुक्त समझता है।

2) उपधारा (1) के अधीन दिए जाने के लिए आदिष्ट राशि संहिता (दंड प्रक्रिया संहिता, 1973) की धारा 386 और 387 के उपबंधों के अनुसार जुर्माने के रूप में वसूल की जा सकेगी,

3) उसी मामले से जिसके लिए अपराधी अभियोजित किया जाता है। पैदा होने वाले किसी वाद का विचारण करने वाला सिविल न्यायालय नुकसानी खर्च दिलाने में उस रकम को गणना में लेगा जो उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर (मुआवजे) के रूप में दी गई है या वसूल की गई है।

धारा 6 : इक्कीस वर्ष से कम आयु वाले अपराधियों के कारावास पर प्रतिबंध

1) जब इक्कीस वर्ष से कम आयु वाला कोई व्यक्ति कारावास से (किंतु आजीवन कारावास से नहीं) दंडनीय कोई अपराध करने का दोषी

पाया जाता है, तब वह न्यायालय, जिसने उस व्यक्ति को दोषी पाया है, उसे कारावास के दंड से तब तक दण्डित नहीं करेगा, जब तक उसका समाधान नहीं हो जाता है कि मामले की परिस्थितियों को, जिनमें अपराध की प्रकृति और अपराधी का चरित्र भी है, ध्यान में रखते हुए यह वांछनीय नहीं होगा कि उससे धारा 3 या 4 के अधीन व्यवहार किया जाए और यदि न्यायालय अपराधी को कारावास का कोई दंड देता है तो वह वैसा करने में अपने कारणों को अभिलिखित करेगा।

2) अपना यह समाधान करने के प्रयोजन के लिए कि क्या उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अपराधी से धारा 3 या धारा 4 में अधीन व्यवहार करना उचित नहीं होगा, न्यायालय परिवीक्षा अधिकारी से रिपोर्ट मांगेगा और रिपोर्ट पर, यदि कोई हो और अपराधी के चरित्र और शारीरिक तथा मानसिक दशा से संबद्ध उसे प्राप्त किसी अन्य जानकारी पर, विचार करेगा।

धारा 7 : परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट का गोपनीय होना

धारा 4 की उपधारा (2) या धारा 6 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट गोपनीय मानी जाएगी परंतु न्यायालय यदि ठीक समझता है, तो उसका सार अपराधी को संसूचित कर सकेगा और उसे ऐसा साक्ष्य पेश करने का अवसर दे सकेगा जैसा कि रिपोर्ट में कथित विषय से सुसंगत हों।

धारा 8 : परिवीक्षा की शर्तों में परिवर्तन

1. यदि किसी परिवीक्षा अधिकारी के आवेदन पर किसी न्यायालय की, जिसने किसी अपराधी के संबंध में धारा 4 के अधीन कोई आदेश पारित किया है, यह राय है कि अपराधी द्वारा दिए गए बंध-पत्र की शर्तों में परिवर्तन करना उस अपराधी और जनता के हित में समीचीन या आवश्यक है तो उस कालावधि के दौरान, जो बंध-पत्र पर लागू है, किसी समय उसकी अस्तित्व अवधि को बढ़ाकर या घटाकर, किंतु इस प्रकार कि वह मूल आदेश की तारीख से तीन वर्ष से अधिक की न हो, या उसकी शर्तों को परिवर्तित करके या उसमें अतिरिक्त शर्तें अंतः स्थापित करके उस बंध-पत्र में परिवर्तन कर

सकेगा।

परंतु कोई ऐसा परिवर्तन अपराधी को या बंध-पत्र में वर्णित प्रतिभू या प्रतिभूओं को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा।

2. यदि कोई प्रतिभू उपधारा (1) के अधीन किए जाने के लिए प्रस्तावित किसी परिवर्तन के लिए सहमत होने से इन्कार करता है तो न्यायालय अपराधी से नया बंध-पत्र देने की अपेक्षा कर सकेगा और यदि अपराधी वैसा करने से इन्कार करेगा या उसमें असफल होगा तो न्यायालय उसे उस अपराध के लिए दण्डित कर सकेगा, जिसका वह दोषी पाया गया था।
3. इसमें इसके पूर्व अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि किसी न्यायालय का जो किसी अपराधी के संबंध में धारा 4 के अधीन कोई आदेश पारित करता है, परिवीक्षा अधिकारी द्वारा किए गए आवेदन पर समाधान हो जाता है कि अपराधी का आचरण ऐसा रहा है कि उसे और आगे पर्यवेक्षणाधीन रखना आवश्यक हो गया है तो वह उसके द्वारा किए गए बंध-पत्र को उन्मोचित कर सकेगा।

धारा 9 : बंध-पत्र की शर्तों के अनुपालन में अपराधी के असफल होने के दशा में प्रक्रिया

1. यदि उस न्यायालय के पास, जिसने किसी अपराधी के संबंध में धारा 4 के अधीन कोई आदेश पारित किया हो या किसी न्यायालय के पास, जो अपराधी के विरुद्ध उसके मूल अपराध के संबंध में कार्रवाई कर सकता था, परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर या अन्यथा यह विश्वास करने का कारण है कि अपराधी अपने द्वारा किए गए बंध-पत्र या बंध-पत्रों की शर्तों में से किसी का पालन करने में असफल हुआ है तो वह उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकेगा या यदि वह उचित समझता है तो उसके या प्रतिभूओं (यदि कोई हों), के नाम समन जारी कर सकेगा, जिसमें उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि उस समय पर जो सम्मानों में निर्दिष्ट हो, उसके समक्ष उपस्थित हों।
2. न्यायालय, जिसके समक्ष अपराधी इस प्रकार लाया जाता है या उपस्थित होता है, तब वह या तो उस से मामले की समाप्ति तक उसे

अभिरक्षा में भेज देगा या उस तारीख को, जो वह सुनवाई के लिए नियत करें, उपस्थित होने के लिए उसे प्रतिभू सहित या रहित, जमानत मंजूर कर सकेगा।

3. यदि मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय की संतुष्टि हो जाती है कि अपराधी स्वयं द्वारा निष्पादित किए गए बंध-पत्र की शर्तों में से किसी का पालन करने में असफल हुआ है तो वह तुरंत (क) उसे मूल अपराध के लिए दण्डित कर सकेगा, या (ख) जहां असफलता प्रथम बार होती है, वहां बंध-पत्र के जारी रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उस पर पचास रुपए से अधिक न होने वाला दंड आरोपित कर सकेगा।
4. यदि उपधारा (3) के खंड (4) के अधीन अधिरोपित दंड ऐसी समय अवधि के अंदर संदत्त (दी) नहीं की जाती है, जैसा न्यायालय नियत करे, तो न्यायालय अपराधी को मूल अपराध के लिए दण्डित कर सकेगा।

धारा 10 : प्रतिभूओं के बारे में उपबंध

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 122,126,126-क, 406-क, 514, 514-ख और 515 के उपबंध इस एक्ट के अधीन दिए गए बंध-पत्रों और प्रतिभूओं की दशा में यथाशक्ति लागू होंगे।

धारा 11 : इस एक्ट के अधीन आदेश देने के लिए सक्षम न्यायालय, अपील और पुनरीक्षण व अपीलें और पुनरीक्षणों में न्यायालय की शक्तियां

1. संहिता में या किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस एक्ट के अधीन आदेश, अपराधी का विचारण और उसे कारावास से दण्डित करने के लिए सशक्त किसी न्यायालय द्वारा और उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा भी, जबकि मामलों उसके समक्ष अपील में या पुनरीक्षण में आएं, दिया जा सकेगा।
2. संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां धारा 3 या उपधारा 4 के अधीन कोई आदेश अपराधी का विचारण करने वाले किसी न्यायालय द्वारा (जो उच्च न्यायालय से भिन्न हो) दिया जाता है, वहां अपील उस न्यायालय को की जा सकेगी जिसको पूर्ववर्ती

न्यायालय के दंडादेशों में अपीलें साधारणतया की जाती हैं।

3. किसी ऐसे मामले में जिसमें इक्कीस वर्ष से कम आयु वाला कोई व्यक्ति कोई अपराध करने का दोषी पाया जाता है और वह न्यायालय जिसने उसे दोषी पाया है, उसके संबंध में धारा 3 या धारा 4 के अधीन कार्रवाई करने से इन्कार करता है और उसके विरुद्ध जुर्माने सहित या रहित कारावास का दंडादेश पारित करता है, जिसकी कोई अपील नहीं हो सकती या नहीं की जाती तो इस संहिता या किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी वह न्यायालय जिसको पूर्ववर्ती न्यायालय के दंडादेशों से अपीलें मामूली तौर पर की जाती हैं तो वह स्वप्रेरणा से या सिद्ध दोष व्यक्ति या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा उसको आवेदन किए जाने पर मामले का अभिलेख मंगा सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा तथा उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जैसा वह ठीक समझता है।
4. जब किसी अपराधी के संबंध में धारा 3 या धारा 4 के अधीन कोई आदेश किया गए है तब अपील न्यायालय या उच्च न्यायालय अपनी पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऐसे आदेश को (रद्द) कर सकेगा और उसके बदले में ऐसे अपराधी की बाबत विधि के अनुसार दंडादेश पारित कर सकेगा।

परंतु अपील न्यायालय या उच्च न्यायालय पुनरीक्षण करते हुए उससे अधिक दंड नहीं देगा जो उस न्यायालय द्वारा किया जा सकता था, जिसके द्वारा अपराधी दोषी पाया जाता है।

धारा 12 : दोष सिद्धि से संलग्न निरर्हता (Disqualification) का हटाया जाना

किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति, जो अपराध का दोषी पाया जाता है और जिसके संबंध में धारा 3 या धारा 4 के उपबंधों के अधीन कार्रवाई की जाती है, ऐसी विधि के अधीन किसी अपराध की दोष सिद्धि से संलग्न, यदि कोई हो, निरर्हता (अयोग्यता) से ग्रस्त नहीं होगा।

परंतु इस धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो धारा

4 के अधीन उसे छोड़ दिए जाने के बाद मूल अपराध के लिए दंडित किया जाता है।

धारा 13 : परिवीक्षा अधिकारी

1. इस एक्ट के अधीन परिवीक्षा अधिकारी (क) वह व्यक्ति होगा जो राज्य सरकार द्वारा परिवीक्षा अधिकारी नियुक्त किया गए है या राज्य सरकार द्वारा उस रूप में मान्यता प्राप्त है, या (ख) वह व्यक्ति होगा, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त मान्यता प्राप्त सोयायटी द्वारा इस आयोजन के लिए उपलभ्य किया गया है, या (ग) किसी असाधारण मामले में कोई अन्य व्यक्ति होगा, जो न्यायालय की राय में उस मामले की विशेष परिस्थितियों से परिवीक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करने के योग्य है।
2. कोई न्यायालय जो धारा 4 के अधीन कोई आदेश पारित करता है या उस जिले का जिसमें अपराधी तत्समय निवास करता है, जिला मजिस्ट्रेट किसी भी समय, पर्यवेक्षण आदेश में नामित किसी व्यक्ति के स्थान पर कोई परिवीक्षा अधिकारी नियुक्त कर सकेगा।

स्पष्टीकरण — इस धारा के प्रयोजनों के लिए प्रेजिडेंसी नगर को जिला समझा जाएगा और मुख्य प्रेजिडेंसी मजिस्ट्रेट को उस जिले का जिला मजिस्ट्रेट समझा जाएगा।

3. परिवीक्षा अधिकारी इस एक्ट के अधीन अपने कर्तव्यों का उपयोग करने में उस जिले के जिसमें अपराधी तत्समय निवास करता है, जिला मजिस्ट्रेट के नियंत्रण के अधीन होगा।

धारा 14 : परिवीक्षा अधिकारी के कर्तव्य

परिवीक्षा अधिकारी ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के, जो विहित किए जाए, अधीन रहते हुए—

क) किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति की परिस्थितियों या घर के माहौल की जांच, उसके संबंध में कार्रवाई करने की सबसे उपयुक्त पद्धति अवधारित करने में न्यायालय की सहायता करने की दृष्टि से न्यायालय के निर्देशों के अनुसार करेगा और न्यायालय को रिपोर्ट देगा।

ख) परिवीक्षाधीनों और अपने पर्यवेक्षण के अधीन रखे गए अन्य

व्यक्तियों का पर्यवेक्षण करेगा, जहां आवश्यक हों, पर्यवेक्षण करने के लिए उपयुक्त नियोजन ढूंढ़ने का प्रयत्न करेगा।

ग) न्यायालय द्वारा आदिष्ट मुआवजा और खर्चों के संदाय (देने) में अपराधियों को सलाह और सहायता देगा।

घ) उन व्यक्तियों को जो धारा 4 के अधीन छोड़ दिए गए हैं, ऐसे मामलों में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाएं, सलाह और सहायता देगा और

ङ) ऐसे अन्य कर्तव्य करेगा जो विहित किए जाए।

धारा 15 : परिवीक्षा अधिकारियों का लोक सेवक होना

इस एक्ट की पालना में नियुक्त प्रत्येक परिवीक्षा अधिकारी और प्रत्येक अन्य अधिकारी, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे।

धारा 16 : सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण

कोई भी बात या अन्य विधिक कार्रवाई, किसी भी ऐसी बात के बारे में जो इस एक्ट के या इसके अधीन बनाए गए किंही नियमों या निर्देशों के अनुसरण में सदभावनापूर्वक की गई हो या सद्भावनापूर्वक किए जाने के लिए अतयित हो, राज्य सरकार या किसी परीवीक्षा अधिकारी या इस एक्ट के अधीन नियुक्त किसी अन्य अधिकारी के विरुद्ध न होगी।

धारा 17 : नियम बनाने की शक्ति

1. राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।
2. विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित विषयों में से सब या किसी के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात - (क) परिवीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति, उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें तथा वह क्षेत्र जिसके भीतर उनको अधिकारिता का प्रयोग करना है; (ख) इस अधिनियम के अधीन परिवीक्षा अधिकारियों के कर्तव्य और उनके द्वारा रिपोर्टों का दिया जाना; (ग) वे शर्तें जिन पर सोसाइटियों को धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए मान्यता दी जा

सकेगी; (घ) परिवीक्षा अधिकारियों को पारिश्रमिक और व्ययों का अथवा किसी सोसाइटी को जो परिवीक्षा अधिकारी उपलभ्य करती है का संदाय; और (ङ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जाए।

3. इस धारा के अधीन बनाए गए सब नियम पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अध्यधीन होंगे और बनाए जाने के पश्चात् यथावय शीघ्र राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखे जाएंगे।

धारा 18 : कतिपय अधिनियमितियों के प्रवर्तन की व्यावृत्ति

इस अधिनियम की कोई बाल सुधार विद्यालय अधिनियम, 1897 (1897 का 8) की धारा 31 या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 (1947 का 2) की धारा 5 की उपधारा (2) या स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956 (1956 का 104) के अथवा किशोर अपराधियों या बोर्स्टल स्कूलों से संबद्ध किसी राज्य में प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों को प्रभावित नहीं करेगी।

धारा 19 : संहिता की धारा 562 का कतिपय क्षेत्रों में लागू होना

धारा 18 के उपबंधों के अधीन संहिता की धारा 562, उप राज्यों या उनके भागों में जिनमें यह अधिनियम प्रवृत्त किया जाता है, लागू नहीं होगी।

बंदियों की शिनाख्त अधिनियम, 1920

दोषी तथा अन्य व्यक्तियों के चित्र और माप लेने के लिए अधिकृत करने का अधिनियम - चूंकि दोषी और अन्य व्यक्तियों के माप और चित्र लेने के लिए अधिकृत करना वांछनीय है, अतः इसके द्वारा निम्न प्रकार से अधिनियम बनाया जाता है -

धारा 1 - संक्षिप्त नाम और विस्तार - (1) यह अधिनियम बंदियों की शिनाख्त अधिनियम 1920 कहलाएगा, और (2) इसका विस्तार उन क्षेत्रों को, जो 1 नवंबर, सन् 1956 के ठीक पूर्व भाग 'ख' राज्यों में समाविष्ट थे, छोड़ कर संपूर्ण भारत में होगा।

धारा 2 - परिभाषाएं- इस अधिनियम में जब तक कोई बात विषय या प्रसंग से विरोधी न हो -

(क) 'माप' में उंगलियों के प्रति मुद्रा (छाप) तथा पद-चिह्न की प्रति मुद्रा (छाप) सम्मिलित होगी;

(ख) 'पुलिस अधिकरी' से तात्पर्य किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 13 तथा 18 के अधीन अन्वेषण कर रहे पुलिस अधिकारी, किसी भी उपनिरीक्षक से निम्न पद धारण न करने वाले अन्य पुलिस अधिकारी से है; और

(ग) 'विहित' से तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित किए जाने से है।

धारा 3 - कुछ दोषी व्यक्तियों के माप आदि लेना - प्रत्येक व्यक्ति -

(क) जो कि ऐसे अपराध का, जो एक वर्ष या उससे अधिक समय के कठोर कारावास से दंडनीय हो या किसी ऐसे अपराध से जो कि उसे पश्चात्‌वर्ती दोष सिद्धि पर अतिरिक्त बढ़े हुए दंड का उत्तरदाई ठहराए दोषसिद्ध हुआ हो; या

(ख) जिसे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 118 के अधीन सद्‌व्यवहार बनाए रखने के लिए प्रतिभूति प्रस्तुत करने की आज्ञा दी गई हो, यदि ऐसी अपेक्षा की जाए तो वह विहित रीति से पुलिस अधिकारी द्वारा अपने माप या चित्र लेने देगा।

धारा 4 - दोषी के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के माप आदि लेना- कोई व्यक्ति जो कि एक वर्ष या उससे अधिक समय के कठोर कारावास से दंडनीय अपराध के संबंध में बंदी बनाया गया हो, यदि उससे किसी पुलिस अधिकारी द्वारा उसके माप लेने की अपेक्षा की जाए तो वह निर्धारित रीति के अनुसार अपने माप देगा।

धारा 5 - मजिस्ट्रेट द्वारा किसी व्यक्ति के माप या चित्र लिए जाने की आज्ञा देने की शक्ति — यदि कोई मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन किसी अन्वेषण या कार्रवाई के प्रयोजनों के लिए यह वांछनीय है कि किसी व्यक्ति को अपने माप या चित्र लेने की अनुमति किए जाने के लिए निर्देशित किया जाए तो वह इस संबंध में आज्ञा दे सकता है और उक्त दशा में वह व्यक्ति जिससे वह आज्ञा संबंधित हो, ऐसे आदेश में उल्लेखित समय और स्थान पर उपस्थित होगा या प्रस्तुत किया

जाएगा और अपने माप या चित्र जैसी भी स्थिति हो, पुलिस अधिकारी द्वारा लिए जाने की अनुमति देगा।

उपबंध यह है कि चित्र लिए जाने के निर्देश देने का कोई आदेश प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त नहीं किया जाएगा;

यह भी उपबंध है कि इसी धारा के अधीन कोई आज्ञा नहीं दी जाएगी जब तक कि वह व्यक्ति उक्त अन्वेषण या कार्रवाई के मध्य किसी समय बंदी न बनाया गया हो।

धारा 6 - माप आदि लिए जाने में प्रतिरोध — (1) यदि कोई व्यक्ति जिससे इस अधिनियम के अधीन उसके माप या चित्र लिए जाने की अनुमति देने की अपेक्षा की जाती है, यदि वह उसको देने में प्रतिरोध करता है, या निषेध करता है तो उसको प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक साधन प्राप्ति हेतु उपयोग करना वैध होगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन माप या चित्र दिए जाने की अनुमति देने से इनकार करना या उसमें प्रतिरोध करना भारतीय दंड संहिता की धारा 186 के अधीन अपराध माना जाएगा।

धारा 7 - दोष-मुक्त होने पर चित्रों और मापों के अभिलेखों का नष्ट किया जाना — जहां कोई व्यक्ति जो पूर्व में किसी अपराध से दंडित न हुआ, जो एक वर्ष या उससे अधिक के कठोर कारावास से दंडनीय हो, यदि इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसके कोई चित्र लिए गए हो या माप अंकित की गई हों, यदि किसी न्यायालय द्वारा बिना विचार के विमोचित कर दिया जाए या आरोपमुक्त या दोषमुक्त कर दिया जाए, समस्त माप या चित्र जो लिए गए हों, बिना विचार के विमोचित किए जाने की दशा में, जब तक कि न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट या उपमंडल अधिकारी के कारण लेखबद्ध करते हुए अन्यथा निर्देश न दें, नष्ट कर दिए जाएंगे या उसे सौंप दिए जाएंगे।

धारा 8 - नियम बनाने की शक्ति — (1) इस अधिनियम के प्रावधानों का प्रभावी ढंग से पालन किए जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करके नियम बना सकती है। (2) विशेषकर तथा सामान्यतया पूर्वगामी प्रावधानों पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले;

क) धारा 5 के अंतर्गत व्यक्तियों के चित्र लिए जाने पर प्रतिबंध।

ख) जिन पर माप या चित्र लिए जा सकते हैं।
ग) विधियां जिनसे किन्हीं श्रेणियों की माप ली जा सकती है।
घ) वेशभूषा (ड्रेस) जो की धारा 3 के अंतर्गत चित्र लिए जाने के समय उन व्यक्तियों द्वारा पहना जाना हो, और
ङ) मापों के अभिलेखों और चित्रों का संरक्षण, सुरक्षित अभिरक्षण नष्ट करना तथा उनका निपटारा करना।
(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम उसके अधीन बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य सरकार के समक्ष।

बंदियों (कैदियों) का अधिनियम, 1900

किसी न्यायालय के आदेश से परिरूद्ध बंदियों के संबंध में विधि का समेकन-1 करने के लिए अधिनियम। यह समीचीन है कि किसी न्यायालय के आदेश से परिरूद्ध बंदियों के संबंध में विधि का समेकन किया जाए: अतः इसके द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है -

धारा - 1. संक्षिप्त नाम और विस्तार — (1) यह अधिनियम बंदियों (कैदियों) का अधिनियम 1900 कहलाएगा। (2) यह पूरे भारतवर्ष पर लागू होगा, सिवाय उन सीमाओं के, जो 1 नवंबर, 1956 से पूर्व तुरंत भाग 'ब' राज्यों में शामिल की गई थीं। (3) रद्द कर दिया।

धारा - 2. परिभाषाएं — इस अधिनियम में जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो-

क) 'न्यायालय' के अंतर्गत कोई कारोनर तथा ऐसा अधिकारी भी है जो सिविल, दांडिक या राजस्व अधिकारिता का विधिपूर्वक प्रयोग करता है; और
ख) 'कारागार' के अंतर्गत ऐसा स्थान भी है, जिसे राज्य सरकार ने साधारण या विशेष आदेश द्वारा उप कारागार घोषित किया है;
ग) 'राज्यों' से वे सभी राज्यक्षेत्र अभिप्रेत हैं जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है।

धारा - 3. जेलों के प्रभारी अधिकारी द्वारा उनकी विधिवत् हिरासत में सौंपे गए व्यक्तियों को निरुद्ध किया जाना — जेल का प्रभारी अधिकारी उन सभी व्यक्तियों को प्राप्त करेगा और निरुद्ध (detain) करेगा, जो इस

एक्ट के अधीन या अन्यथा या न्यायालय द्वारा किसी रिट याचिका, वारंट या आदेश की आवश्यकता के अनुसार सुपुर्द किए गए ऐसे व्यक्ति को कानून की उचित प्रक्रिया में मुक्त करने या हटा देने तक, उसकी विधिवत् हिरासत में सौंपे गए हों।

धारा - 4. कारागारों के भारसाधक अधिकारियों द्वारा रिटों आदि का निष्पादन या उन्मोचन के पश्चात् वापस किया जाना — किसी कारागार का भारसाधक अधिकारी यथा पूर्वोक्त प्रत्येक रिट, आदेश या वारंट का, जो विचारण के लिए सुपुर्दगी के वारंट से भिन्न है, निष्पादन करने के पश्चात् अथवा ऐसे रिट, आदेश या वारंट द्वारा सुपुर्द किए गए व्यक्ति के उन्मोचन के पश्चात्, वह रिट, आदेश या वारंट उस न्यायालय को वापस कर देगा जिसने वह जारी किया था या दिया था और उसके साथ एक प्रमाणपत्र देगा जिस पर वह पृष्ठांकन और हस्ताक्षर करेगा और जिसमें यह दिखाया जाएगा कि उसका निष्पादन किस प्रकार किया गया है या उसके द्वारा सुपुर्द किए गए व्यक्ति को उनके निष्पादन से पूर्व अभिरक्षा से क्यों उन्मोचित कर दिया गए है।

धारा - 5. वारंट आदि का पुलिस अधिकारियों को निर्दिष्ट किया जाना — किसी उच्च न्यायालय द्वारा उसकी मामूली, गैर मामूली या अन्य दांडिक अधिकारिता के प्रयोग में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए जारी की गई प्रत्येक रिट या वारंट, ऐसी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर, किसी पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट किया जाएगा और वह अधिकारी उसका निष्पादन करेगा।

धारा - 5. प्रेसिडेंसी.कारगारों के अधीक्षकों को नियुक्त करने की राज्य सरकारों की शक्ति — राज्य सरकार ऐसे अधिकारियों को नियुक्त कर सकेगी, जिन्हें इस भाग के अधीन उनकी अभिरक्षा के लिए सुपुर्द किए गए बंदियों को लेने और निरुद्ध करने का प्राधिकार होगा।

स्पष्टीकरण - इस प्रकार नियुक्त किया गए कोई अधिकारी, उसका पदनाम चाहें जो हो, इसमें इसके पश्चात् 'अधीक्षक' कहा गया है।

धारा - 14. इस भाग में कारागारों आदि के प्रति निर्देशों का इस प्रकार अर्थ लगाया जाना मानो वे सुधार विद्यालयों के प्रति भी निर्देश हैं —इस भाग में कारागारों या कारावास या परिरोध के प्रति सभी निर्देशों का अर्थ

इस प्रकार लगाया जाएगा मानो वे निर्देश सुधार विद्यालयों के अथवा उसमें निरोध के प्रति भी हैं।

धारा - 15. कुछ न्यायालयों के दंडादेशों को प्रभावी करने के लिए कारावासों के भारसाधक अधिकारियों की शक्ति — (1) प्रेसीडेंसी नगरों के बाहर के कारागारों के भारसाधक अधिकारी किसी व्यक्ति के निरोध के लिए किसी ऐसे दंडादेश या आदेश या वारंट को कार्यान्वित कर सकेंगे, जो -

क) केंद्रीय सरकार, या किसी राज्य सरकार, या बर्मा सरकार के साधारण या विशेष प्राधिकार के अधीन, चाहें राज्यों के भीतर या उनके बाहर कार्य करने वाले किसी न्यायालय या प्राधिकरण द्वारा, या किसी ऐसे न्यायालय या अधिकरण द्वारा पारित या जारी किया गया था जो संविधान के प्रारंभ से पूर्व हिज मजेस्टी या क्राउन रिप्रजेंटेटिव के साधारण या विशेष प्राधिकार के अधीन कार्य कर रहा थाः अथवा

ख) किसी भारतीय राज्य के किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा 26 जनवरी, 1950 से पूर्व पारित या जारी किया गया था—

(i) यदि पीठासीन न्यायाधीश, अथवा यदि न्यायालय या अधिकरण दो या अधिक न्यायाधीशों से मिल कर बना है तो उन न्यायाधीशों में से कम से कम एक न्यायाधीश क्राउन का ऐसी अधिकारी रहा हो, जो उस राज्य या उसके शासक द्वारा या केंद्रीय सरकार द्वारा या क्राउन रिप्रजेंटेटिव द्वारा ऐसे न्यायाधीश के रूप में बैठने के लिए प्राधिकृत किया गया हैः और

(ii) यदि किसी ऐसे न्यायालय या अधिकरण द्वारा दंडादिष्ट व्यक्तियों का भारत में किसी प्रांत में लिया जाना अथवा उसका निरोध या कारावास राज्य सरकार द्वारा, साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किया गया है :

ग) (* * * * * * * * * *)

परंतु निरोध के किसी ऐसे दंडादेश या आदेश या वारंट को कार्यान्वित नहीं किया जाएगा, जो संबंधित राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, बर्मा के किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा पारित या जारी किया

गया है।

(2) जहां यथा पूर्वोक्त किसी भारतीय राज्य के किसी न्यायालय या अधिकरण ने कोई ऐसा दंडादेश पारित किया था जो क्राउन के किसी अधिकारी की सहमति के बिना कार्यान्वित नहीं हो सकता था और उस दंडादेश पर उस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत किसी ऐसे अधिकारी द्वारा गुणावगुणों के आधार पर विचार हो चुका था और उसे पुष्ट किया जा चुका था वहां ऐसा दंडादेश और उसके अनुसरण में जारी किया गया कोई आदेश या वारंट, केंद्रीय सरकार या क्राउन रिप्रजेंटेटिव के प्राधिकार के अधीन काम करने वाले किसी न्यायालय या अधिकरण का दंडादेश, आदेश या वारंट समझा जाएगा।

धारा - 23. क्रिमिनल ला (रिमुअल आफ रेशियल (रंग भेद) डिस्क्रीमिनेशन) एक्ट नं 17, 1949 की धारा 4 के अनुसार रद्द कर दी गई।

धारा - 29. बंदियों को हटाया जाना — (1) राज्य सरकार किसी बंदी को जो -

क) मृत्यु दंडादेश के अधीन; अथवा

ख) कारावास या निर्वासन के दंडादेश के अधीन, या उसके बदले में; अथवा

ग) जुर्माने के संदाय के व्यतिम में; अथवा

घ) परिशांति कायम रखने या सदाचार बनाए रखने के लिए प्रतिभूति देने के व्यतिम में, किसी कारागार में परिरूद्ध है, हटाकर उस राज्य के किसी अन्य कारागार में भेजने की व्यवस्था, साधारण या विशेष आदेश द्वारा कर सकेगी।

(2) उसी प्रकार कारागार महानिरीक्षक, राज्य सरकार के आदेशों के अधीन रहते हुए और उसके नियंत्रण के अधीन राज्य के किसी कारागार में यथा पूर्वोक्त परिरूद्ध किसी बंदी को हटाकर उस राज्य के किसी अन्य कारागार में भेजने की व्यवस्था कर सकेगा।

धारा - 30. पागल बंदियों के संबंध में किस प्रकार की कार्रवाई की जाए — (1) जहां राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी न्यायालय के किसी आदेश या दंडादेश के अधीन निरुद्ध या कारावासित कोई व्यक्ति विकृतचित्त है, वहां राज्य सरकार वारंट द्वारा जिसमें उसके उस विश्वास

के आधार, दिए जाएंगे कि वह व्यक्ति विकृतचित्त है, यह आदेश दे सकेगी कि उसे हटाकर उस राज्य के भीतर किसी पागलखाने या निरापद अभिरक्षा के किसी अन्य स्थान को भेज दिया जाए तथा वहां उसे उस अवधि के, जिसके लिए उसे निरुद्ध या कारावासित रखने का आदेश या दंडादेश किया गया था, शेष भाग के दौरान अथवा यदि उस अवधि की समाप्ति पर चिकित्सा अधिकारी यह प्रमाणपत्र दे दें कि उस बंदी अथवा दूसरों की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि उसे चिकित्सीय देख-रेख में या उपचार के लिए और निरुद्ध रखना चाहिए जब तक कि वह विधि के अनुसार उन्मोचित नहीं कर दिया जाता, राज्य सरकार जैसे निर्देश दे वैसे रखा जाए तथा उसका उपचार किया जाए।

(2) जहां राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि बंदी स्वस्थचित्त हो गया है, वहां राज्य सरकार बंदी का, यदि वह तब भी अभिरक्षा में रखे जाने का दाई हो, भारसाधक रखने वाले व्यक्ति को निर्देशित वारंट द्वारा, बंदी को उस कारागार को जहां से उसे हटाया गए था, या राज्य के भीतर के किसी अन्य कारागार को प्रतिप्रेषण करेगा, अथवा यदि बंदी अभिरक्षा में और अधिक रखे जाने का दाई नहीं है तो उसे उन्मोचित कर देने का आदेश देगी।

(3) लूनेटिक साइलंस एक्ट, 1858 (1858 का 36) की धारा 9 के उपबंध, उपधारा (1) के अधीन किसी पागलखाने में परिरूद्ध प्रत्येक व्यक्ति को उस अवधि की समाप्ति के पचात लागू होंगेः जिसके लिए उसे निरुद्ध या कारावासित रखने के आदेश या दंडादेश किए गए थे और वह समय जिसके दौरान उस उपधारा के अधीन किसी पागलखाने में कोई बंदी निरुद्ध रहा है उसके निरोध या कारावास की अवधि के भाग के रूप में गिना जाएगा जिसे भुगतने के लिए उसे न्यायालय द्वारा आदेश या दंडादेश दिया गए था।

(4) किसी ऐसी दशा में, जिसमें राज्य सरकार किसी बंदी को हटाकर राज्य के भीतर के किसी पागलखाने में या निरापद अभिरक्षा के किसी अन्य स्थान को भेजे जाने का आदेश उपधारा (1) के अधीन देने के लिए सक्षम है, राज्य सरकार को यह आदेश दे सकेगी कि उसे हटाकर किसी अन्य राज्य के भीतर या भारत के किसी ऐसे भाग के भीतर, जिस

पर इस अधिनियम का विस्तार नहीं है, उस अन्य राज्य की राज्य सरकार के साथ करार द्वारा किसी पागलखाने या स्थान को भेज दिया जाए : और उपधारा (1) के अधीन हटाए गए किसी बंदी की अभिरक्षा, निरोध, प्रतिप्रेषण और उन्मोचन के संबंध में इस धारा के उपबंध, जहां तक वे लागू किए जा सकते हैं, इस उपधारा के अधीन हटाए गए किसी बंदी पर लागू होंगे।

धारा - 33. ऐसे बंदी का, जिसे क्षमा करने की सिफारिश की गई है, उच्च न्यायालय के आदेश से मुचलके पर छोड़ा जाना — कोई उच्च न्यायालय किसी ऐसी दशा में, जिसमें उसने किसी बंदी को मुफ्त क्षमा-दान करने की सिफारिश सरकार से की है, उसे उसके ही मुचलके पर छोड़ देने की अनुज्ञा दे सकेगा।

धारा 42 व धारा 43 कैदियों (न्यायालय में उपस्थिति) का अधिनियम नं। 32, 1955 की धारा 10 के अनुसार रद्द कर दी गई।

अध्ययन रिपोर्टें

जेल की स्थितियों में सुधार लाने के लिए भारत सरकार की ओर से समय-समय पर विभिन्न संस्थानों के द्वारा अध्ययन करवाए जाते रहे हैं। इन अध्ययन रिपोर्टों की सिफारिशों के आधार पर जेल व्यवस्था में सुधार किए जाते रहे हैं। सभी रिपोर्टों की सिफारिशें तो इस पुस्तक की परिधि में समेटनी संभव नहीं है।

जेल स्थितियों पर कुछ प्रमुख रिपोर्टों में, 1. रिपोर्ट आफ नेशनल एक्सपर्ट कमेटी आन वूमेन प्रिजनर्स 1986-87, 2. रिपोर्ट आफ द आल इंडिया जेल रिफार्म कमेटी 1980-83, 3. रिपोर्ट आफ द इंडिया जेलस कमेटी 1919, 4. रिपोर्ट आफ द डिपार्टमेंटल जेल कमेटी 1939, 5. रिपोर्ट आफ द यू.पी. जेल रिफार्म कमेटी 1946, 6. रिपोर्ट आफ द वूमेन जेल कमेटी 1946, 7. रिपोर्ट आफ द आल इंडिया जेल मेनुअल कमेटी 1955, 8. रिपोर्ट आफ द जेल रिफार्म कमेटी, महाराष्ट्र 1948, 9. रिपोर्ट आफ द जेल रिफार्म कमीशन, राजस्थान 1964, 10. रिपोर्ट आफ द कमेटी आन द स्टेट्स आफ वुमेन इन इंडिया, भारत सरकार, समाज कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली, 1984, 11. रिपोर्ट आन द वुमेन इन इंडिया, भारत सरकार, 1984, 12. रिपोर्ट आफ द नेशनल एक्सपर्ट कमेटी आन वुमेन प्रिजनर्स, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वाल्यूम 1 व 2, 1985 आदि प्रमुख हैं। इनमें से कुछ रिपोर्टों की सिफारिशें संक्षेप में प्रस्तुत हैं।

जस्टिस मुल्ला कमेटी की सिफारिशें

जेल सुधारों पर अखिल भारतीय कमेटी — 1980-83 : जेल व्यवस्था को सुधारने के लिए निम्नलिखित सिफारिशें की गईं :

विधाई :

- जेलों पर राष्ट्रीय नीति पर निदेशात्मक सिद्धांत बनाए जाने चाहिए और संविधान के भाग IV में शामिल किया जाए।
- भारतीय संविधान की सातवीं सूची की समवर्ती सूची में जेल व सहायक संस्थाओं को शामिल किया जाए।
- पूरे देश में संसद के अधिनियम से जेल से संबंधित सभी अधिनियमों को समेकित कर एक समान व विस्तृत विधान बनाया जाए।
- यदि समवर्ती सूची के तहत जेल और सहायक संस्थाओं को नहीं लाया जाता तो भारत सरकार को सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों द्वारा अपनाए जाने के लिए माडल बिल तैयार करना चाहिए।
- राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों/प्रशासकों को जेल अधिनियम के तहत नियम बनाने के लिए शीघ्र कदम उठाने चाहिए।
- राज्यों व संघ शासित प्रदेशों के जेल मैनुअलों को सम्बोधित करने के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए।
- जेल कार्मिकों के लिए प्रशासन के प्रभावशाली ढंग से चलाने के लिए कुछ स्थितियों से निपटने के लिए स्थाई निष्पादन अनुदेश अलग से संदर्भ सामग्री के रूप में जारी किए जाएं।
- जेल प्रबंधन के विभिन्न विषयों पर परिचालन मैनुअल तैयार कर स्टाफ के मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध करवाए जाएं।
- वर्तमान बोरस्टल स्कूल अधिनियमों को बदलने के लिए किशोर अपराधियों के लिए अलग विधान पारित किया जाए।
- सिद्धदोष और अपराधी कैदियों के लिए बनाई गई जेलों में सिविल कैदियों को न रखा जाए।
- केंद्रीय व राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न विधानों का मात्रात्मक व गुणात्मक विश्लेषण किया जाए व मानक और सामाजिक व्यवहार के कुछ क्षेत्रों के अस्थानीकरण की संभावनाओं की जांच करें।
- विधाई स्तर पर निरपराधीकरण, विकेंद्रीकरण व गैर संस्थागत करने की नीतियों पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

महिला कैदियों के गर्भावस्था के दौरान उनसे व्यवहार :

- किसी महिला को जेल भेजने से पूर्व संबंधित अधिकारियों के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वहां मां व शिशु के लिए प्रसवपूर्व व प्रसवोत्तर सुविधाएं उपलब्ध हों।
- यदि कोई महिला कैदी जेल में प्रवेश के समय अथवा बाद में किसी समय उसके गर्भवती होने का पता चलता है तो महिला चिकित्सा अधिकारी इसकी जानकारी पर्यवेक्षक को देगी। उसके बाद उसकी डिलीवरी की व्यवस्था की जाएगी।
- स्त्री रोग विशेषज्ञा उसकी स्थिति की जांच कर उसकी प्रसव पूर्व व प्रसवोत्तर उपचार की व्यवस्था के निर्देश देगी।

जेल में बच्चे का जन्म

- बच्चे के जन्म के लिए उसे अस्थाई छुट्टी/पेरोल की सुविधा दी जाएगी। केवल सुरक्षा जोखिम के खतरों की स्थिति में ही बच्चे की डिलीवरी जेल में होगी अन्यथा डिलीवरी किसी अस्पताल में ही कराई जाएगी।
- बच्चे के जन्म का स्थान जेल नहीं लिखा जाएगा। केवल उस क्षेत्र का पता उसके प्रमाण पत्र पर लिखा जाएगा

महिला कैदी और उनके बच्चे

- छः वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मां जेल में अपने साथ रख सकती है।
- छः वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को उसके परिवार के सदस्यों या समाज कल्याण विभाग की किसी उपयुक्त संस्था में भेज दिया जाएगा, पर जेल के जिले से बाहर नहीं भेजा जाएगा ताकि मां और बच्चे में दूरियां न बढ़ने पाएं।
- जब कोई महिला कैदी मर जाती है तो उसके बच्चे की सुनिश्चित व्यवस्था के लिए पर्यवेक्षक संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करेगा। यदि उसके परिवार के सदस्य बच्चे को अपनाने के इच्छुक न हों तो उसे किसी राज्य समाज कल्याण विभाग द्वारा

संचालित संस्थान में भेजने की व्यवस्था की जाएगी।

भोजन, कपड़े, चिकित्सा सुविधा और आश्रय

- जेल में बच्चों को सुनिश्चित कपड़ों की आपूर्ति की जाएगी।
- राज्य सरकार बच्चे के लिए अपेक्षित कैलोरी को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा मानदंडों के अनुसार उसके आहार को निर्धारित करेगी।
- सभी जेलों में बच्चों की पौष्टिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग से आहार की व्यवस्था की जाए।
- छोटे बच्चों की जरूरतों के आधार पर प्रत्येक मां को अलग से उपयुक्त बर्तनों की आपूर्ति की जाएगी।
- बच्चों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाए और उस जल की आवधिक जांच हो।
- बच्चों की महिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा नियमित स्वास्थ्य जांच की जाएगी और यथा समय टीकाकरण किए जाएंगे। प्रत्येक बच्चे का टीकाकरण रिकार्ड रखा जाएगा। चिकित्सा अधिकारी की सिफारिश पर अतिरिक्त कपड़े व आहार भी दिया जाएगा।
- महिला कैदी के बीमार होने पर बच्चे की देखभाल की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी।
- मां व शिशु को पर्याप्त नींद लेने के लिए स्वच्छ व साफ-सुथरा स्थान उपलब्ध कराया जाएगा।
- कैदियों के बच्चों को विजिट का अधिकार होगा।
- विशेष मामलों में कोर्ट के आदेशों के बिना भी 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को साथ रखने की अनुमति पर्यवेक्षक दे सकता है।

शिक्षा व मनोरंजन

- जेलों में रहने वाले बच्चों को सुनिश्चित शिक्षा व मनोरंजन के अवसर दिए जाएंगे और जिस समय उनकी मां काम पर जाएंगी तो उन्हें मैटर्न/महिला वार्डर के संरक्षण में क्रेश में रखा जाएगा। यह सुविधा वार्डनों और अन्य महिला जेल स्टाफ के बच्चों के लिए भी उपलब्ध होगी।

- महिला कैदियों के बच्चों के लिए क्रेश और नर्सरी की सुविधा होगी। तीन साल से कम उम्र के बच्चे क्रेश और तीन से छः वर्ष के बच्चे नर्सरी में रखे जायेंगे।
- सिद्धदोष, विचाराधीन, अपराधी महिलाओं की भीड़ में बच्चों के साथ रहने से बच्चों में अपराध वृत्ति बढ़ सकती है। इसलिए बच्चों को ऐसे वातावरण से दूर रखा जाना चाहिए।

आहार

- बच्चों व शिशुओं को संतुलित आहार देने की सिफारिश की गई।
- राज्य सरकारें ऐसे बच्चों के कल्याण व विकास के संबंध में आवश्यक योजनाएं व नियम बनाने के लिए आवश्यक प्रयास करें।
- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जेलों के आवधिक निरीक्षणों के द्वारा इन निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे।
- कोर्ट परिसरों में महिला कैदियों के लिए सुनिश्चित स्थान व सुनिश्चित टायलट सुविधाएं होनी चाहिए।
- विचाराधीन महिला कैदियों को उदारता से जमानत दी जाए। जो प्रतिभूति न दे पाए, उन्हें वैयक्तिक मुचलके पर रिहा किया जाए।
- महिला अपराधियों के लिए प्रोबेशन आफ आफेंडर एक्ट का प्रयोग किया जाए ।
- महिला कैदियों के लिए अलग जेल व्यवस्था हो।
- सामान्य कारागर में महिला कैदियों को अलग रखने की व्यवस्था इस प्रकार हो कि पुरुष कैदी उन्हें देख न पाए। उस हिस्से पर दोहरे तालों की व्यवस्था हो।
- महिला कैदियों के लिए केवल महिला स्टाफ ही ड्यूटी पर रखा जाए।
- गर्भवती व छोटे शिशुओं की माताओं को विशेष आहार दिया जाए व भारी काम न करवाया जाए।
- जेल अस्पताल में महिलाओं के लिए अलग वार्ड होना चाहिए।
- महिला कैदियों को मंगलसूत्र, कांच या प्लास्टिक चूड़ियां पहनने की अनुमति दी जाए।
- उन्हें पर्याप्त वस्त्र व निजी स्वच्छता और अपने रीति-रिवाजों के

अनुसार अपना पहनावा पहनने की अनुमति दी जाए।

- छः वर्ष की उम्र तक के बच्चों को मुख्य जेल परिसर के बाहर विशेष रूप से बनाई गई क्रेशों में रखने की अनुमति दी जाए।
- राज्य सरकारों को चाहिए कि महिला अपराधियों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक महिला संगठनों को प्रोत्साहन व सहायता दें।
- स्वैच्छिक संगठनों को ऐसे बच्चों के विकास के लिए प्रोत्साहित व वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए क्योंकि इन्हें प्रोबेशन या लाइसेंस पर रिहा नहीं किया जा सकता।
- जेल अधीक्षक को हर माह इन बच्चों की स्थिति की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों को रिपोर्ट भेजनी चाहिए।
- बच्चों के लिए किशोर प्रोबेशन और गैर संस्थागत सेवाओं को प्रभावी ढंग से संगठित किया जाए।
- प्रत्येक राज्य और संघ शासित प्रदेशों को बच्चों के लिए गैर संस्थागत और संस्थागत सेवाओं के नेटवर्क गठित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना चाहिए।

क्रिमिनेल्टी एमंग्स्ट वूमेन इन इंडिया 1978

श्री एम.एल. भनोट और सूरत मिश्रा

इस रिपोर्ट में भारत में महिला अपराधियों के द्वारा किए गए अपराधों की प्रकृति व पैटर्न का अध्ययन कर नीति और कार्यक्रमों के पुनर्विन्यास के द्वारा इस समस्या के निदान का अध्ययन किया है।

अपराध जगत में महिलाओं की उपस्थिति पुरुषों की तुलना में काफी कम है। अपराध जगत में उनकी उपस्थिति को पीड़िता के रूप में ही दर्शाने की अभी भी है, भले ही वे अपराधी हों पर समाज भी उन्हें सजा देने को अनुमोदन नहीं करता है।

इस रिपोर्ट में दिल्ली की तिहाड़ जेल, नारी बंदी निकेतन लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहगढ़, मथुरा व कानपुर की जेलों की महिला कैदियों की स्थितियों का अध्ययन किया गया था।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों में निम्नलिखित शामिल है।

- महाराष्ट्र में सबसे अधिक महिलाएं गिरफ्तार की गईं।
- महिलाओं द्वारा किए गए अपराधों में चोरी के लिए सबसे अधिक गिरफ्तारियां हुईं।
- अन्य देशों की तुलना में हत्या के मामलों में भारत में अधिक महिलाओं की गिरफ्तारियां हुई
- सफेदपोश अपराधों डकैती व लूटपाट में अधिक महिलाओं की गिरफ्तारी हुई
- कम उम्र की लड़कियों में अपराध-वृत्ति की दर अपेक्षाकृत 21 वर्ष से अधिक उम्र की अपराधियों से धीमी थी।
- भारत, यू.एस.एस., पश्चिम जर्मनी, जापान, आयरलैंड और स्काटलैंड में महिला अपराधियों की संख्या बढ़ रही है।
- अपराध अधिकाशतः शहरी क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं।
- विवाहित महिलाएं अविवाहित महिलाओं की तुलना में अधिक अपराधों में शामिल थीं। घरेलू, किसान मजदूर महिलाओं की संख्या अपराध में अधिक थी।

रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें

- महिला अपराधियों की संख्या बढ़ने की दृष्टि से पुलिस मैनुअलों में संशोधन किए जाने अपेक्षित हैं, जिनमें पुलिस लाक-अप में रखने, उन्हें हथकड़ियां लगाने व पूछताछ करने संबंधी अनुदेशों में संशोधन करने होंगे (जहां पुलिस मैनुअल में व्यवस्था न हो) इससे जन साधारण में उनकी गिरफ्तारियों पर पुलिस के उनके साथ व्यवहार पर आपत्ति या आक्रोश न हो पाएगा।
- पुलिस को महिला अपराधियों के रिकार्ड रखने की प्रक्रिया और निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी क्योंकि पुरुषों के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया उनके लिए अपनानी कठिन है।
- विचाराधीन कैदियों के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा विशेष कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए जिससे उनकी सुरक्षा व पुनर्वास से संबंधित समस्याओं का निदान हो सके, साथ ही गैर सरकारी

संगठनों व स्वैच्छिक संस्थाओं को इसके साथ समन्वय किया जाए।

- जेल प्रशासन को भी महिला सजा प्राप्त कैदियों के साथ व्यवहार करने के स्पष्ट निर्देश दिए जाने चाहिए कि उनके आवास, खाने, मित्रता, सजा में छूट, मुलाकात आदि से संबंधित प्रक्रियाओं को पुनः परिभाषित किया जाए। कैदियों के पुनर्वास के उपायों पर भी जेल प्रशासन को ध्यान देना चाहिए।

दि रिपोर्ट आफ नेशनल एक्सपर्ट कमेटी आन वूमेन प्रिजनर्स - जस्टिस कृष्णा अय्यर कमेटी, 1987 रिपोर्ट

इस रिपोर्ट में महिला कैदियों की समस्याओं पर विचार किया गया। कमेटी ने यह महसूस किया कि कारागार अधिनियम के तहत महिला कैदी को बच्चे के 5-6 वर्ष की उम्र का होने तक ही अपने साथ रखने का अधिकार है। नियमों में उनके लिए भोजन और कपड़ों की भी व्यवस्था है पर कमेटी सदस्यों की यह राय थी कि बच्चों को भोजन, कपड़ा, देखभाल, पढ़ाई और मुलाकात करने के अधिकार अलग से दिए जाने चाहिए।

जस्टिस वी. आर. कृष्णा अय्यर ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की कि स्त्रीत्व और मातृत्व दोनों को, भले ही कोई अपराधी हो, उससे वंचित नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी पाया कि अभिरक्षा में विद्यमान दुर्व्यवहार और अपराध पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को अधिक प्रभावित करता है। वे अपराध की दुनिया में अभी भी हाशिए पर हैं और अपने विरुद्ध हो रहे अत्याचार व अन्याय का मुकाबला नहीं कर पाती हैं। उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रयास किए जाने की जरूरत है।

अपराध सुधारात्मक प्रक्रिया में महिलाओं की विशेष आवश्यकताओं और आक्तताओं को पूरा करने के लिए सुनिश्चित मार्गनिर्देशों की आवश्यकता है जिससे इस तंत्र (पुलिस, अभियोग, कोर्ट, जेल और सुधार कार्मिकों) के कार्यकर्ताओं को अपने व्यवहार और प्रक्रियाओं को पुनर्गठित कर सकने में मदद मिल सके ताकि वे जेंडर न्याय को अर्थपूर्ण ढंग से कर पाएं।

अन्य बातों के साथ साथ नीति मार्गनिर्देशों में, गिरफ्तारी, पूछताछ, सर्च व महिलाओं को बंदीं बनाने, जमानत व सजा, सजा पूर्व पूछताछों, सामाजिक विधिक परामर्श, मनोवैज्ञानिक सेवाएं व विचाराधीन और सजा प्रक्रिया का वैज्ञानिक वर्गीकरण, पुलिस जिला में महिलाओं के लिए विधि सहायता कक्ष, न्याय प्रक्रिया में महिला अपराधियों का ध्यान दूसरी दिशा में लगाना, गैर संस्थागत सुधार विकल्प, वालंटियरों व वालंटियर एजेंसियों की जांच व न्याय प्रक्रिया व अभिरक्षा स्थितियों पर निगरानी में सहयोग आदि पर विस्तार से रोशनी डाली गई।

महिलाओं को अभिरक्षा न्याय पर राष्ट्रीय नीति

कमेटी ने महिलाओं के अभिरक्षा न्याय पर राष्ट्रीय नीति बनाने की सिफारिश की और यह चाहा कि आपराधिक न्याय प्रणालियों, महिला समूहों, विधिक सहायता, समाज कल्याण, मानसिक स्वास्थ्य और अन्य समूहों के द्वारा इसके विभिन्न घटकों पर विस्तार से विचार-विमर्श हों और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर उसे लागू किया जाए।

महिलाओं को अभिरक्षा न्याय पर राष्ट्रीय अथारिटी

कोई भी नीति प्रभावी नहीं हो सकती जब तक उसको लागू करने की प्रक्रिया न हो। कमेटी ने महिलाओं को अभिरक्षा न्याय पर राष्ट्रीय अथारिटी के रूप में सांविधिक स्वायत्त निकाय की सिफारिश की। इस अथारिटी में न्याय प्रक्रिया कानून, विधिक सहायता, पुलिस, जेल, प्रोबेशन और आफ्टर केयर, सोशल वेलफेयर और मानसिक हेल्थ संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल होने चाहिए। इसमें मेडिसन, मनोचिकित्सा, विधि स्कूलों, सोशल वर्क, महिला समूहों मानवाधिकारों व सिविल अधिकार समूहों, मीडिया, प्रोफेशनल अनुसंधान और अपराध शास्त्र में प्रशिक्षण निकायों और समाज डिफेंस के प्रतिनिधि भी होने चाहिए।

इस शीर्ष निकाय (नेशनल अथारिटी आन कस्टोडियन जस्टिस टू वमेन) का एक प्रमुख कार्य अपनी रिपोर्ट प्रति वर्ष संसद को प्रस्तुत करनी होगी।

लागू करवाना

परिचालनात्मक स्तर पर निम्नलिखित प्रक्रियाओं का व्यवहार अपेक्षित है।

न्यायिक : परिवार न्यायालय बनाम महिलाओं के लिए अलग न्यायालयः कमेटी की यह राय थी कि महिलाओं से संबंधित मसलों को शीघ्र निपटाने के लिए अलग से न्याय प्रक्रिया होनी चाहिए।

फैमिली कोर्ट एक्ट 1894 के तहत महिलाओं को न्याय देने के उद्देश्य से अधिनियम की धारा 7 (2) (बी) के तहत प्रावधान करके अपराधी व गैर अपराधी महिलाओं से संबंधित मामलों को इसके तहत निपटाया जा सकता है। कमेटी ने महिला न्यायालयों को बनाने की भी सिफारिश की है। जहां शीघ्रता से और संवेदनशील ढंग से न्याय हो सकता है।

नारी बंदीगृह अदालत : महिलाओं के लिए विशेष कोर्टों या परिवार अदालतों के अलावा कमेटी ने नारी बंदीगृह अदालतों की सिफारिश की जिन्हें मोबाइल न्यायिक कैंपों के रूप में अभिरक्षा में महिलाओं को शीघ्र न्याय दिलाने का प्रयास किया जा सकता है। ऐसे कैंप और कोर्ट समाज कल्याण व मानसिक हेल्थ अभिरक्षा संस्थाओं में तत्काल व रूटीन तौर पर होने चाहिए ताकि शीघ्र न्याय हो सके। मोबाइल अदालतें जिला -वार या क्लस्टर-वार होनी चाहिए जिससे सभी जेलों में बंद महिलाओं को न्याय मिल सके।

सहायक उपाय : निम्नलिखित वैधानिक व प्रशासनिक उपायों को अपनाया जाए :

वैधानिक : वैधानिक दृष्टि से निम्नलिखित उपायों की सिफारिश की गई

- जेलों को भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए ताकि अभिरक्षा स्थितियों में सुधार के लिए मानकीकृत और समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के लिए प्रक्रियाओं को सुदृढ़ किया जा सके।
- एक विस्तृत जेल व बंदी अधिनियम की आवश्यकता है, जो इस समय कई अधिनियमों में फैला हुआ है।
- सभी अभिरक्षा संस्थाओं के प्रशासन को अपने में शामिल करने के

लिए एक विस्तृत कोड होना चाहिए ताकि महिला कैदियों के विशेष उपचार पर ध्यान दिया जा सके।

- अभिरक्षा में महिलाओं की स्थिति से संबंधित विभिन्न वैधानिक उपायों का आकलन किया जाए और विधि आयोग द्वारा इस पर विचार किया जाए।
- अभिरक्षा में महिलाओं की विशेष आवश्यकताओं को लक्षित करने के लिए आई.पी.सी.और क्रिमिनल पी.सी. कारागर अधिनियम व पुलिस अधिनियम 1861 में आवश्यक संशोधनों व अतिरिक्त प्रावधान किए जाए।
- पुलिस अधिनियम 1861 को बदलने की भी सिफारिश की।
- वर्तमान विधानों में अभिरक्षा में महिलाओं के आश्रित बच्चों के अधिकारों का भी स्पष्ट उल्लेख करने की भी आवश्यकता है।
- कमेटी ने यह सिफारिश भी की कि नए मेंटल हेल्थ बिल में अभिरक्षा में मानसिक विक्षप्त महिलाओं, गैर आपराधिक व आपराधिक विक्षिप्त महिलाओं के उपचार को भी शामिल किया जाए।

प्रशासनिक

जेल : जेल सेवा कैडर की स्थापना की जाए जिसमें भर्ती और कैडर के भीतर से ही पदोन्नति हों। जेल कैडर में महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी हों जिसमें उनकी भर्ती, प्रशिक्षण, विनियोजन और पदोन्नति के प्रावधान हों।

- महिला जेल स्टाफ के अलावा डी.आई.जी. महिला भी हों विशेषकर जेल सेवा में हों, जो महिला कैदियों, महिला जेल स्टाफ व महिला जेलों से संबंधित कार्यों को देखने के लिए हों।
- संस्थाओं में स्थाई वार्डन व मैंटर्न हों, उनकी भर्ती अनिवार्य हो न कि किसी वैकल्पिक व्यवस्था से रखा जाए।
- प्रत्येक जेल में काउंसिल या बंदी सभाएं होनी चाहिए ताकि कैदी अन्य कैदियों और जेल स्टाफ से अर्थपूर्ण संवाद कर सके।
- रिहा कैदी सहायता समितियां प्रत्येक जिले में स्थापित हों ताकि रिहा कैदियों के पुनर्वास व मुख्य धारा में शामिल होने के लिए एक ही

स्थान से सहायता संभव हो।

- सभी राज्य एक समान जेल मैनुअल को लागू करने के लिए सहमत हों। जेल मैनुअल के अलग अध्याय में महिलाओं और उनके बच्चों को सुख-सुविधाएं, उनके अधिकार स्पष्ट हों।

पुलिस

- राष्ट्रीय स्तर पर महिला पुलिस का एक अलग कैडर हो। उनकी भर्ती, प्रशिक्षण, विनियोजन व पदोन्नति की व्यवस्था हो।
- राज्य, आई.जी. पुलिस के साथ विचार-विमर्श कर अलग लाकअप की व्यवस्था हो। प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिलाओं की गिरफ्तारी से संबंधित अलग व्यवस्था हो। जहां महिला पुलिस स्टेशन हों, वहां पर्याप्त प्रशिक्षण व सहयोग उपलब्ध करवाया जाए।
- माडल जेल मैनुअल की तरह माडल पुलिस मैनुअल तैयार कर सभी राज्यों में समान व सख्ती से लागू हों। महिलाओं के संबंध में उपयुक्त न्यूनतम मानक स्थान निर्धारण व अन्य सुविधाओं की व्यवस्था हो। पुलिस से विस्तृत विचार-विमर्श के बाद मैनुअल तैयार किया जाए।
- महिला सहायता पुलिस यूनिट (डब्ल्यू. ए.पी.यू.) विशेष यूनिट बनाया जाए जिसमें महिला, पुरुष पुलिस का संयुक्त कैडर हो, जो गिरफ्तारी व अभिरक्षा में महिलाओं को सहायता व अपराध रोकथाम में विशेष रूप से कार्यरत हों।

सहभागी दृष्टिकोण

- अभिरक्षा व सुधारात्मक प्रक्रिया में लक्ष्यों को पाने लिए लोगों की सहभागिता जरूरी है। स्वैच्छिक संगठनों को अभिरक्षा संस्थाओं के कार्यों से जुड़ने व पहुंचने का पूरा अधिकार होना चाहिए जो उनके रिकार्ड व कैदियों का इंटरव्यू ले सकें।
- विजिटर प्राधिकारियों को रचनात्मक सहयोग दें।
- प्राधिकारियों व स्वैच्छिक संगठनों के बीच सुनिश्चित तालमेल से महिलाओं के अधिकारों व सम्मान की रक्षा जेल के भीतर व बाहर

दोनों जगह संभव हो पाती है।

- प्रत्येक केंद्र में परामर्श केंद्र होने चाहिए।
- लोगों की सहभागिता से अधिकारियों को काम करने में प्रोत्साहन मिलता है। किसी विशेष प्रयासों के कार्योवयन को सुनिश्चित पहचान व प्रचार मिलना चाहिए।

रिपोर्ट की कुछ अन्य प्रमुख सिफारिशें निम्नानुसार हैं :

- भले ही महिला कैदियों की संख्या पुरुष कैदियों की तुलना में कम है, परंतु इस कारण उनके लिए अलग से अभिरक्षा सुविधाओं का निर्माण न करना कोई वैध कारण नहीं है। उनके लिए अलग कारागार की व्यवस्था होनी चाहिए।
- इस समय जिन जेलों में महिला कैदियों की पर्याप्त संख्या है, वहां उनका सुनिश्चित वर्गीकरण किया जाना चाहिए जिसके अनुसार उन्हें अपराध व सामाजिक आकलन के आधार पर अलग-अलग रखना अपेक्षित होता है और उनके रोजगार, प्रशिक्षण, शिक्षा और पुनर्वास की व्यवस्था की जा सके।
- रूटीन के तौर पर महिला कैदियों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। जहां पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक महिला डाक्टर उपलब्ध न हों उस स्थिति में सरकारी चिकित्सा अस्पतालों से स्थानीय महिला डाक्टरों को बुलाया जाए।
- अधिकांश राज्यों में जेल भवनों की स्थिति काफी शोचनीय है। इनके सुधार की जरूरत है। नए भवन बनाते समय महिला कैदियों की शारीरिक अपेक्षाओं के अनुरूप, कम सुरक्षा जोखिम वाली संरचनाएं बनाई जानी चाहिए।
- महिला कैदियों के लिए बनो सभी हिरासती परिसरों में एकांतिक, सुरक्षित और आरोग्यकर माहौल होना चाहिए।
- प्रत्येक राज्य में यथासंभव कम से कम एक या एक से अधिक जेल अलग से महिलाओं के लिए होनी चाहिए।
- दोषी तथा विचाराधीन महिलाओं के लिए पृथक हिरासती सुविधाएं होनी चाहिए। पृथक संस्थाएं अथवा स्वागत केंद्र, जहां आवश्यकता

पड़ने पर विचाराधीन और हवालात में वापस भेजी गई महिलाओं को रखा जा सके, बड़े शहरों, जिला मुख्यालयों और महिला अपराध प्रवण क्षेत्रों में स्थापित किए जाने चाहिए। जहां सिद्धदोषी और विचाराधीन अपराधी इस समय एक संस्था में रहते हैं, उन्हें स्वतंत्र सुविधाओं की स्थापना होने तक पृथक प्रकोष्ठों में अलग रखा जाए।

- कैद किए जाने पर और उसके बाद समय-समय पर बंदीगृहों, जेलों, उप-जेलों आदि समेत सभी हिरासती केंद्रों में महिला कैदियों को उचित चिकित्सा सुविधाएं तथा डाक्टरी जांच की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
- प्रत्येक महिला बंदीगृह तथा हिरासती केंद्र के साथ, जिसमें महिला कैदी हो, निरीक्षण के आधार पर योग्यता प्राप्त महिला डाक्टर और नर्सों की व्यवस्था होनी चाहिए।
- हिरासत में गर्भवती माताओं को चिकित्सीय और पोषण संबंधी देखभाल, बच्चे के पालन-पोषण की शिक्षा और मातृत्व के मामले में विशेष ध्यान रखा जाएगा और उन्हें उनके गर्भवती होने की स्थिति के अनुसार काम सौंपा जाएगा।
- संक्रामक रोगों से पीड़ित महिलाओं को जब तक वे ठीक नहीं हो जातीं यदि आवश्यक हो तो अलग देखभाल अथवा स्वास्थ्य केंद्र में रखा जाएगा।
- महिला कैदियों के लिए आहार का स्तर पूरी तरह चिकित्सीय मानदंडों के अनुसार होगा और डाक्टर सलाह देता है तो विशेष अतिरिक्त खुराक दी जाएगी।
- प्रत्येक महिला कैदी को मानक पहनावा दिया जाना चाहिए और डाक्टर की सलाह के अनुसार रूग्ण और वृद्ध महिला को अतिरिक्त पहनावा दिया जाना चाहिए।
- व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए महिला कैदियों को कंघा, दर्पण, धुलाई साबुन, नहाने का साबुन, तेल, सेनेटरी नैपकिंस आदि दिए जाएं।
- महिला कैदियों के लिए निर्धारित मानकों और मानदंडों के अनुरूप आवास, स्वच्छता और सफाई की व्यवस्था की जाएगी।
- बंदीगृहों में काम को सजा नहीं बल्कि सुधारकार्य समझा जाएगा।

- महिला बंदियों को बंदीगृह में अपने काम के लिए न्यायसंगत पारिश्रमिक दिया जाएगा। दी गई मजदूरी सुधारात्मक मूल्य की होगी। उनको हिरासत में रहते हुए अपनी कमाई में से अपने इस्तेमाल के लिए आवश्यक वस्तुएं खरीदने और बचत करने तथा/ या अपने परिवारों को भेजने की अनुमति दी जाएगी।
- महिला बंदीगृहों या वार्डों में नौकर का काम महिला बंदियों को नहीं सौंपा जाएगा और ऐसे काम के लिए कोई वित्तीय अथवा गैर-वित्तीय प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा। एक सामान्य स्टाफ व्यय के रूप में इस काम के लिए बंदीगृह के बजट में प्रावधान किया जाना चाहिए।
- जहां तक व्यवहार्य हो, महिला बंदियों को ऐसा प्रशिक्षण दिया जाएगा जो उन्हें आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर और समाज में स्वतंत्र रूप से काम करने के योग्य बनाए। सिखाए जाने वाले कौशल का चयन बाजार में इसकी मांग और स्वतंत्र रूप से इससे आय की क्षमता पर निर्भर करेगा। कुछ प्रतिनिधिक शिल्प है : गृह विज्ञान, मातृशिल्प, उपचर्या, हथकरघा बुनाई, होजरी, खिलौने बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, लेख-सामग्री, बागबानी, फल परिरक्षक, इलेक्ट्रोनिक्स आदि। इसके अतिरिक्त कैदियों को बैंक, डाकखाने, स्वास्थ्य केंद्र, रोजगार केंद्र, बचत योजनाओं, आदि के प्रयोग का सामाजिक दृष्टि से उपयोगी ज्ञान दिया जाएगा। महिलाओं को अपने अधिकारों, स्थिति, भूमिका और क्षमताओं के बारे में शिक्षा देना अनिवार्य होगा।
- महिला बंदियों को रिश्तेदारों के साथ उचित संख्या में मुलाकातों की और उनको असीमित संख्या में पत्र लिखने तथा उनसे पत्र पाने की छूट होनी चाहिए।
- अनपढ़ कैदियों को शिक्षा देना अनिवार्य होगा। पढ़े-लिखे कैदियों को आगे पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया जाए।
- महिला कैदियों को मनोरंजन की सुविधाएं, पुस्तकें और पठन सामग्री आदि उपलब्ध कराई जानी चाहिए और उन्हें इनका प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसमें कैदी की पसंद की धार्मिक पुस्तकों का प्रयोग भी शामिल है। उद्धार कार्य के एक

अंग के रूप में चित्रकारी, संगीत, नाटक पेशों को प्रोत्साहित किया जाए।

- आयु वर्ग, अपराध के स्वरूप, सजा की किस्म और अवधि के आधार पर महिला बंदियों का वर्गीकरण किया जाएगा और कैदी के उद्धार को उसकी विशिष्ट समस्या और स्थिति से जोड़ा जाएगा। इस प्रयोजनार्थ उद्धार संबंधी कार्यों में प्रशिक्षित कार्मिकों की नियुक्ति की जाएगी।
- लड़कियों को किसी हालत में बंदी नहीं बनाया जाएगा अथवा युवा महिलाओं के साथ मिली-जुली हिरासत में नहीं रखा जाएगा।
- बंदीगृहों में अभ्यस्त अपराधियों, वेश्याओं और वेश्यालयों के मालिकों को अन्य बंदियों से अलग रखा जाना चाहिए।
- मानसिक रूप से रूग्ण किसी महिला को बंदीगृह में नहीं रखा जाना चाहिए और उन्हें तुरंत पागलखानों में भेजने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

पीड़ितों के रूप में अथवा सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से हिरासत में रखे गए अथवा साक्ष्य देने के प्रयोजनार्थ अपेक्षित महिलाओं और बच्चों को जेलों में नहीं रखा जाना चाहिए और उन्हें नामित कल्याण तथा संरक्षण गृहों में भेज दिया जाना चाहिए।

- बच्चों के साथ बंदी महिलाओं की ओर बंदीगृह प्राधिकारियों को विशेष ध्यान देना चाहिए और दोनों मां और बच्चे के हितार्थ न्यायालय से उपयुक्त आदेश ले लेने चाहिए।
- जहां तक हो सके, महिला कैदियों के बच्चों को वयस्कों के लिए अभिप्रेत जेलों में नहीं रखा जाना चाहिए और बच्चों को महिला कैदियों से मिलने की पूरी छूट दी जानी चाहिए। ऐसे मामलों में जिनमें बंदी बनाना आवश्यक हो, कैदियों के बच्चों को खाद्य, आवास, पहनावे, शिक्षा, मनोरंजन, मुलाकात आदि का स्वतः अधिकार होना चाहिए।
- अधिकतम अनुश्रेय आयु हो जाने के कारण बच्चे की रिहाई के समय न्यायालय/बंदीगृह/हिरासती प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि मां-बच्चे का संपर्क न टूटे।

- परिवीक्षा, पेरोल तथा उद्धारात्मक व्यवहार की अन्य गैर-संस्थागत कार्यविधियों का महिला अपराधियों के मामले में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाएगा किंतु ऐसे मामले इसका अपवाद होंगे जिनमें कैदी की विशेष परिस्थितियों तथा राज्य सुरक्षा की सीमाओं का ध्यान रखते हुए ऐसा करना संभव नहीं है।
- महिलाएं, जो सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है और अन्य उपयुक्तता मानदंडों को पूरा करती हैं, उन्हें खुली जेलों में रखा जाए जहां उनके कृषि अथवा अन्य व्यावसायिक पृष्ठभूमि से संबंधित काम की सुविधाएं उपलब्ध हों।
- गरीबी, भीख मांगने या आवारागर्दी के आधार पर जेलों में अवैध रूप से बंद महिलाओं का उपयुक्त संस्थागत एवं समुदाय-आधारित सेवाओं और कार्यविधियों में पुनर्वास किया जाना चाहिए।
- किसी महिला को अनुशासित करने के नाम पर किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा अथवा उसे हथकड़ी व बेड़ी नहीं पहनाई जाएगी अथवा अलग नहीं रखा जाएगा।
- किसी महिला को उसके अपराध के बारे में बताए बिना सजा नहीं दी जाएगी और उसे अपना आचरण स्पष्ट करने के बारे में एक अवसर दिया जाएगा। अधिक सजा देना अवैध है। हिरासत में किसी ज्यादती या उपेक्षा के लिए जिम्मेदार स्टाफ पर कठोर और शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।
- महिला कैदियों की तलाशी अन्य वरिष्ठ महिला कार्मिकों की उपस्थिति में महिला वार्डनों द्वारा की जाएगी और गोपनीयता तथा शिष्टाचार का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
- महिला कैदियों की शिकायतें दर्ज की जाएंगी, उनकी छानबीन की जाएगी और उन्हें शीघ्र ही दूर किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए एक शिकायत पेटी का इंतजाम किया जाएगा। अपनी शिकायतें पेश करने अथवा स्टाफ के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए किसी शिकायतकर्ता को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।
- बंदीगृह की नियमावली प्रत्येक जेल में भौतिक रूप से उपलब्ध होनी चाहिए ताकि कैदी और स्टाफ या प्रत्यायित आगंतुक उसे आसानी

से देख सके।

- बंदीगृह नियमावली का एक पृथक संस्करण हिरासत और महिला कैदियों के साथ व्यवहार के बारे में होना चाहिए और इसकी प्रतियां स्टाफ और कैदियों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए अथवा संदर्भ के लिए प्रत्यायित आगंतुकों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- बंदीगृह के भीतर महिला बंदियों के अधिकारों, विशेष अधिकारों और कर्तव्यों का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए और प्रत्येक कैदी को इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने का पूरा अधिकार होना चाहिए।
- एक महिला कैदी को रिहा करने से पूर्व उसके रिश्तेदारों को सूचित किया जाना चाहिए और जिन मामलों में कोई रिश्तेदार नहीं है या सामने नहीं आता, उनमें रिहा किए गए कैदी को एक महिला आरक्षी के साथ भेजा जाएगा।
- सजा के दौरान अथवा सजा के पूरी होने के बाद रिहा होने पर प्रत्येक महिला कैदी को उपयुक्त सहायता दी जाएगी। इस प्रयोजनार्थ क्षेत्र-वार आधार पर बंदीगृहों तथा हिरासती संस्थाओं के एक समूह के लिए रिहा किए गए कैदी की सहायतार्थ एक केंद्र की स्थापना की जाएगी। इस केंद्र की स्थापना किए बिना भी बंदीगृह के प्राधिकारी परिवार के जरिए अथवा एक स्वयंसेवी संगठन के राहत केंद्र के जरिए रिहा किए गए कैदी के पुनर्वास की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे।
- महिला कैदियों की सहायता के लिए, जो निराश्रित है अथवा जिनको उनके परिवारों ने ठुकरा दिया है, प्रत्येक राज्य में उत्तर रक्षा और अल्प शरणालय स्थापित किए जाएं।
- बंदीगृह सेवाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए और रोजगार के कम अवसरों के कारण पदोन्नति के अवसरों के अभाव के एवज में और उनके काम के स्वरूप को कठिन और तनावपूर्ण मानते हुए उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। महिला हिरासती और बंदीगृह स्टाफ के लिए प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि वे अपने कौशल को नवीनतम

बनाए रख सकें।

- महिला जेलों में महिला स्टाफ के अलावा विशेष रूप से महिला कैदियों से संबंधित काम की देखभाल करने के लिए अधिमानतः बंदीगृह सेवा से राज्य मुख्यालय में एक महिला उप-महानिरीक्षक होगी।
- बंदीगृह प्रशासन का लोकतंत्रीकरण व्यवस्थित ढंग से किया जाना चाहिए और मानवीय तथा संवैधानिक मूल्यों के आधार पर एक नई बंदीगृह संस्कृति विकसित की जानी चाहिए। इस प्रयोजनार्थ बंदीगृहों के प्रशासन से जुडे पुरुष और महिला कैडरों को सेवा-पूर्व और सेवा के दौरान प्रशिक्षण देना और उन्हें संवेदनशील बनाना आवश्यक है।
- परा-कानूनी और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से व्यावसायिक संस्थाओं के जरिए कानूनी सहायता और परामर्श की व्यवस्था प्रत्येक बंदीगृह और हिरासती संस्था में ही दी जानी चाहिए। विधि विद्यालयों और सामाजिक कार्य विद्यालयों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और उन्हें बंदियों को सामाजिक-कानूनी परामर्श सेवा प्रदान करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- निकटवर्ती क्षेत्रों के व्यावसायिक निकायों और विश्वविद्यालय विधि, अपराध विज्ञान, सामाजिक कार्य तथा सामाजिक विज्ञान विभागों के परामर्श से जेल निरीक्षण समिति का गठन किया जाना चाहिए। योग्यता, सार्वजनिक कार्यों के लिए उत्साह, सरगना होने और निरीक्षण कार्य के लिए वास्तव में उपलब्ध कराए जा सकने वाले समय के आधार पर निरीक्षक नामजद किया जाना चाहिए।

बंदीगृह

- एक बंदीगृह सेवा संवर्ग बनाया जाए जिसमें भर्ती और पदोन्नति संवर्ग में से की जाए।
- बंदीगृह में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाना चाहिए और सुरक्षित रखा जाना चाहिए और साथ ही उपयुक्त भर्ती, प्रशिक्षण, नियोजन और पदोन्नति के प्रावधान किए जाने चाहिए।

- महिला जेलों में महिला स्टाफ के अलावा विशेष रूप से महिला बंदीगृहों, महिला बंदी स्टाफ और महिला बंदियों से संबंधित काम की देखभाल करने के लिए अधिमानतः बंदीगृह सेवाओं से राज्य मुख्यालय में एक महिला उप-महानिरीक्षक होना चाहिए।
- पृथक महिला बंदीगृहों के महिला अधीक्षकों (जिनकी संख्या इस समय छः है) को पूर्णतया स्वायत्तशासी बनाया जाना चाहिए और यही सिद्धांत सभी भावी स्वतंत्र संस्थाओं पर लागू होना चाहिए।
- संस्थाओं में स्थाई वार्डर और मैटर्न होने चाहिए और अस्थाई एवजी प्रबंधकों पर निर्भर करने के बजाय उनकी नियुक्ति करना अनिवार्य होना चाहिए।
- 2, 4, 5 के न होने से जो भेदमूलक प्रथाएं इस समय मौजूद हैं उनमें तुरंत सुधार किया जाना चाहिए और आगे भेदभाव से दूर रहना चाहिए।
- प्रत्येक बंदीगृह में बंदी-सभा स्थापित की जानी चाहिए ताकि बंदी अन्य बन्दियों तथा बंदीगृह के स्टाफ से अर्थपूर्ण ढंग से विचारों का आदान-प्रदान कर सकें। इन सभाओं को बंदियों की शिकायतें और कठिनाइयों को उठाने में भी सहायता करनी चाहिए और बंदियों तथा बंदीगृह के स्टाफ के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में अभिविन्यास सत्र आयोजित करने में मदद करनी चाहिए।
- सामाजिक कानूनी परामर्श सैल प्रत्येक बंदीगृह में स्थापित किए जाने चाहिए जो हिरासत में न्याय लागू करने और महिला कैदियों के सुधार और उन्हें योग्य बनाने की प्रक्रिया में सहायता कर सकते हैं।
- रिहा किए गए कैदियों की सहायता करने वाली सोसाइटियों को प्रत्येक जिले में काम करना चाहिए जो रिहा किए गए कैदी को (सजा पूरी होने पर या पेरोल, प्रोबेशन आदि पर रिहा किए जाने पर) योग्य बनाने तथा उसे मुख्य धारा में लाने के लिए एकल खिड़की सहायता प्रदान कर सकती हैं। इन सोसाइटियों की संबंधित सरकारी विभागों तथा क्षेत्र के गैर-सरकारी संसाधनों के साथ निकट संबंध बनाए रखने चाहिए।
- राज्यों को एक सी बंदीगृह नियमावली लागू करने की बात मान लेनी

चाहिए। महिलाओं और उनके बच्चों के लिए बंदीगृह सुविधाओं और महिला कैदियों के अधिकारों और कर्तव्यों की अधिमानतः बंदीगृह नियमावली के पृथक संस्करण में स्पष्ट रूप से संकलन किया जाना चाहिए। वर्तमान समिति भाग दो के जरिए महिला कैदियों के बारे में प्रारूप नियमावली की सिफारिश करती है।

सुधार गृहों में महिलाओं पर रिपोर्ट

महिलाएं तथा गैर दांडिक हिरासती संस्थाएं

- गैर-दांडिक संस्थाओं में हिरासती परिस्थितियां दांडिक संस्थाओं की हिरासती परिस्थितियों से बेहतर होंगी और किसी हालत में महिला कारागारों के लिए निर्धारित स्तर से खराब नहीं होगी।
- गैर-दांडिक हिरासती संस्थाओं के लिए एक नियमावली बनाई जाएगी और सभी संस्थाओं तथा उनके निवासियों और अधिकृत आगंतुकों को इसकी एक प्रति दी जाएगी।
- विशिष्ट मुवक्किल समूहों की विशेषीकृत ढंग से सेवा के लिए संस्थाओं की स्थापना की जाएगी। विभिन्न वर्गों के मुवक्किलों के अंधाधुंध मिश्रण की अनुमति नहीं दी जाएगी। विचाराधीन या सिद्धदोष महिलाओं को किसी भी हालत में ऐसी संस्थाओं में नहीं रखा जाएगा।
- प्रत्येक महानगर क्षेत्र में तथा ऐसे शहरी या जिला क्षेत्रों में महिलाओं के लिए आदर्श उद्धार गृहों तथा भिखारी गृहों की स्थापना की जाएगी, जहां इन वर्गों की महिलाओं की सेवा करने की अधिक आवश्यकता है।
- महिलाओं के लिए बने भिखारी गृह तथा ऐसी अन्य संस्थाएं सुधार तथा पुनर्वास के केंद्र हों न कि केवल नजरबंदी के अड्डे।
- महिलाओं को सामाजिक-आर्थिक सहायता देने के सभी विद्यमान कार्यक्रमों में गैर-दांडिक हिरासती संस्थाओं की महिलाओं को भी उनके हिरासत में रहने के समय तथा रिहा होने के पश्चात् शामिल किया जाएगा।
- संस्था सभाएं प्रत्येक हिरासती संस्था में बनाई जानी चाहिए ताकि

कैदी आपस में तथा हिरासती स्टाफ के साथ अर्थपूर्ण ढंग से विचारों का आदान-प्रदान कर सकें।

- महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक और भावनात्मक पुनर्वास में सहायता करने के लिए प्रत्येक गैर-दांडिक हिरासती संस्था में सामाजिक-कानूनी परामर्श सैल बनाए जाने चाहिए।
- कानूनी सहायता शिविर और जहां कहीं संभव हो लोक अदालतें हिरासती केंद्रों में समय समय पर आयोजित की जानी चाहिए। स्वयंसेवी संस्थाओं को कानूनी साक्षरता प्रदान करने तथा दोनों मामलों में कैदियों की शिकायतों को दूर करने में सहायता करनी चाहिए।
- प्रत्यायित स्वयंसेवी संगठनों को संस्थाओं में संहिता तथा नियमावली को ठीक ढंग से लागू करने के लिए वहां जाने तथा उनका निरीक्षण करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- प्रतिष्ठित लोगों को निरीक्षक नियुक्त किया जाना चाहिए और उनका चयन व्यावासायिक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों के विधि विभागों तथा सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के परामर्श से किया जाना चाहिए और ऐसा करते समय उनकी सरगना के रूप में रिकार्ड और उनके पास वास्तव में समय की उपलब्धता का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए।
- विधि और सामाजिक कार्य की छात्राओं और महिला समूहों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और उन्हें गैर-दांडिक हिरासती संस्थाओं में नजरबंद लोगों की सेवा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- नजरबंदों की रिहाई के समय उनके परिवारों तथा/या मान्यता प्राप्त स्वयंसेवी संगठनों के साथ निकट संबंध स्थापित करके उनके पुनर्वास में सहायता करने के लिए हिरासती संस्थाओं को विशेष कदम उठाने चाहिए।
- अपचारी संस्थाओं को निरूत्साहित करने के उद्देश्य से एक बहुत कठोर प्रत्यायन प्रक्रिया और तंत्र लागू किया जाना चाहिए और योग्यता का सम्मान किया जाना चाहिए।

- महिला कैदियों के बच्चों की ओर काफी ध्यान देने की जरूरत होती है और हिरासत में कैदियों के बच्चों के साथ संपर्क बढ़ाने की दिशा में सभी प्रयास किए जाने चाहिए।
- जहां कहीं बच्चों को नजरबंद मां के साथ हिरासत में रखना जरूरी हो, संस्था में या अन्य कहीं संस्था पर्याप्त प्रबंध करेगी। ऐसे सभी मामलों में हिरासत में रखे गए बच्चों को स्वतः आहार, आवास, पहनावे, देखरेख, शिक्षा आदि के अधिकार प्राप्त होंगे।
- कैदियों को हिरासत में लेने के आधार अथवा स्वरूप का ध्यान रखे बिना सभी कैदियों के लिए साक्षरता और कौशल प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए।
- हिरासती स्टाफ को कैदियों को संभालने के मामले में मानवीय दृष्टिकोण अपनाने और कानून में उनकी निर्दोषता का पूरा ध्यान रखने की दिशा में संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।
- हिरासतों में उपेक्षा, दुर्व्यवहार अथवा ज्यादती के मामले से पूरी कठोरता से निपटा जाएगा और प्रशासन अथवा सरकार पीड़ित को मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार होगी।
- राज्यों के समाज कल्याण विभागों को विशेष रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों का, जो विभिन्न संस्थाओं की रक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, एक रक्षा दल बनाना चाहिए।

समाज कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य हिरासती संस्थाएं

- इन संस्थाओं के प्रबंधकों का मार्गदर्शन करने के लिए एक नियमावली बनाई जानी चाहिए और इसे समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। इसमें न्यूनतम निर्देशात्मक मानक विनिर्दिष्ट किए जाने चाहिए।
- अधिक लचीले अनुदान और अधिक कठोर निगरानी और निरीक्षण तंत्र की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे इन संस्थाओं की क्षमता सुधारने में सहायता मिलेगी। अनुदान की अवधि लंबी करने अर्थात एक वर्ष के बजाय तीन वर्ष करने से और इसे खर्च की गई राशि से जोड़ने के बजाय पुनर्वासित व्यक्तियों की संख्या से जोड़ना अधिक

लाभप्रद होगा।

- समाज कल्याण हिरासती संस्थाओं तथा उनके मुवक्किलों, उद्देश्यों, विस्तार, कार्यकर्लापों आदि को सुचारू बनाने के लिए एक राष्ट्रीय मूल्यात्मक रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए। ऐसी रूपरेखाएं राज्य स्तर पर भी तैयार की जानी चाहिए। ऐसा मूल्यात्मक मूल्यांकन बराबर हर वर्ष किया जाना चाहिए। विवरण देने की ऐसी कवायद में सभी मानसिक स्वास्थ्य हिरासती संस्थाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए।
- सार्वजनिक सुनवाई के सिद्धांत के अनुसार नजरबंदियों को सार्थक और शीघ्र न्याय देने के लिए इन संस्थाओं में न्यायिक शिविर आयोजित किए जाने चाहिए।
- नजरबंदियों की सहायता करने के लिए इन संस्थाओं में सामाजिक-कानूनी परामर्श सैल चलाए जाने चाहिए।
- इन हिरासती संस्थाओं में संस्था सभा बनाई जानी चाहिए जो हिरासतों में परस्पर आदान-प्रदान का बेहतर वातावरण पैदा कर सकती हैं।
- सिफारिश की जाती है कि आवश्यक पुलिस शक्तियों से संपन्न एक रक्षा दल बनाया जाए जो राज्य स्तर पर समाज कल्याण या महिला कल्याण विभाग के तहत काम करे। इस दल को समाज कल्याण की हिरासती संस्थाओं में दाखिल कैदियों की रक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। इस दल के सदस्यों का चयन किया जाना चाहिए और एक संवेदनशील, कुशल और जिम्मेदाराना ढंग से इस विशेषीकृत कार्य को संपन्न करने के लिए उन्हें उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

सोशियो इकोनामिक प्रोफाइल आफ वूमेन प्रिजनर्स

महिला कैदियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति- एन. नागेश कुमारी, पी.एच.डी. :

हाल ही के वर्षों में महिलाओं द्वारा किए गए अपराधों में पुरुषों की तुलना में 362.57 प्रतिशत की वृद्धि,1971 से 1990 की अवधि के दौरान

हुई है। सामाजिक दृष्टि से महिलाओं द्वारा किए गए अपराधों को पुरुषों की अपेक्षा अधिक गंभीर माना जाता है क्योंकि वह एक मां है, पत्नी है और परिवार के केंद्र में है।

अनुसंधान और अनुभव यह दर्शाते हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के व्यक्तित्व, उपलब्धियों, निर्भरता और प्रोत्साहन तथा ऐसे ही अन्य व्यवहारों में कोई अंतर नहीं है परंतु आर्थिक विकास में उनकी भागीदारी नगण्य है। महिलाओं ने जिस क्षेत्र में कदम रखा वहीं कामयाबी प्राप्त की है पर आज भी विश्व आय में उनकी भागीदारी दस प्रतिशत ही है और परिसंपतियों में हिस्सेदारी एक प्रतिशत से कम है। इन वस्तु स्थितियों में महिला कैदियों के सामाजिक व आर्थिक स्थितियों का अध्ययन कर उनके पुनर्वास के विभिन्न उपाय इस अध्ययन में सुझाए गए। इस अध्ययन में उनके आर्थिक, सामाजिक स्थितियों का विश्लेषण, उनके अपराध की प्रकृति और पुनर्वास की कार्य नीतियों की जानकारी दी गई महिला कैदियों के उद्धार के लिए नीति नियामकों को नीतियां बनाने में मदद मिलेगी।

यह अध्ययन तमिनलाडु में किया गया जिसके प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित हैं।

- 22 प्रतिशत महिला कैदी 31-35 वर्ष की आयु वर्ग की थी।
- 53 प्रतिशत महिला कैदी अशिक्षित थीं।
- 92 प्रतिशत महिला कैदी हिंदू धर्म की थीं।
- 64 प्रतिशत महिला कैदी पिछड़े वर्ग की थीं।
- 79 प्रतिशत महिला कैदी ग्रामीण क्षेत्रों की थीं।
- 61 प्रतिशत महिला कैदियों के परिवार में 5-8 सदस्य थे।
- 55 प्रतिशत महिला कैदी विवाहित थीं।
- 50 प्रतिशत महिला कैदी मजदूर वर्ग की थीं।

अपराध प्रकार

- 35 प्रतिशत महिला कैदी अफीम की तस्करी, राशन चावल की चोरी के अपराध में पकड़ी गई थीं।
- अपराध का कारण गरीबी और पैसे की चाहत थी।

- अधिकांश पहले अपराध के कारण ही जेलों में थीं।
- सभी को रिहा होने के बाद घर-परिवार और आर्थिक समस्याओं की चिंता थी।

महिला कैदियों के पुनर्वास के उपाय के रूप में यह सुझाव दिए गए कि नकारात्मक सोच को दूर करने के लिए उनकी काउंसलिंग की आवश्यकता है। भविष्य में भी अपराध न करें, इसलिए उन्हें सामाजिक, नैतिक, आर्थिक व भावनात्मक दृष्टि से मजबूत बनाना होगा।

महिलाएं कठोर श्रम व मेहनत करने की क्षमता रखती हैं, इसलिए उन्हें किसी उद्योग धंधे में लगाया जा सकता है जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षण दिए जाने चाहिए।

1. पापड़, मसाला, ताजा सब्जियों व फलों आदि की बिक्री जैसे छोटे उद्योगों से वे आत्मनिर्भर बना सकती हैं।
2. शैक्षणिक संस्थाएं महिला कैदियों को प्रशिक्षित करने, उनके कौशल उन्नयन के कार्यों की जिम्मेवारी ले सकती हैं।
3. महिला कैदियों को अपनी शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
4. अनपढ़ कैदियों को कोई न कोई हुनर सिखाया जाए।
5. महिला कैदियों को उनके धर्म विश्वास के अनुसार नैतिक व पौराणिक आख्यानों के उद्धरणों से नैतिक शिक्षा दी जा सकती है।
6. सरकारी योजनाओं उन्हें की जानकारी दी जाए ताकि पिछड़े व कमजोर वर्ग के समुदायों के लिए उपलब्ध योजनाओं के संबंध में जान कर वे उनका लाभ उठा सकें।
7. विवाहित महिला कैदियों के पति और परिवार के सदस्यों की भी काउंसलिंग की जाए ताकि वे रिहाई के बाद उन्हें अपराधों की दुनिया में दुबारा जाने से रोकने में मदद करें।
8. ग्रामीणों को अपराधों के दुष्परिणामों की जानकारी दी जाए।
9. कैदियों को टेलरिंग, ग्लास पेंटिंग, पाट पेंटिंग, जूट बेग मेकिंग, फिनाइल, अगरबत्ती, अचार, पापड़, चटनी आदि बनाने के प्रशिक्षण दिए जाने चाहिए।
10. रिहा कैदियों को सहकारी समितियां बना कर उत्पाद बेचने के लिए

प्रोत्साहित किया जाए।

11. सिद्धदोष कैदियों को स्वयं सहायता समूह बना कर एन.जी.ओ. की मदद से बैकों से वित्तीय सहायता लेकर अपना लघु उद्योग शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
12. जेल में लाइब्रेरी सुविधाएं हों।
13. स्थानीय संगठन महिला कैदियों के पुनर्वास के लिए प्रयास करें।
14. सरकार व विधिक प्राधिकारी यह सुनिश्चित करें कि महिला कैदियों के मुकदमों को शीघ्र निपटाने के प्रयास किए जाएं ताकि विचाराधीन कैदी लंबे समय तक जेलों में न रहें।
15. जेल से रिहा होने पर समाज उन्हें अपराधी ही न समझे ताकि वे दुबारा अपराध न करें।
16. गैर सरकारी संगठन उन्हें छोटे उद्योग लगाने में मदद करें।
17. समाज सेवक उन्हें आत्म विश्वास हासिल करने में मदद करें।
18. जगह-जगह सरकार प्रायोजित परामर्श केंद्र स्थापित हों, जहां महिलाएं अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के लिए परामर्श ले सकें।
19. पुनर्वास कार्यक्रमों के प्रभावों का आकलन भी किया जाए और उन्हें सुधारने का प्रयास किया जाये।
20. शैक्षणिक संस्थाओ में भी महिला कैदियों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण रखने के लिए जागरूक किया जाना चाहिए।
21. समाज एक बार के अपराधी को हमेशा अपराधी समझने के अपने नजरिए में बदलाव लाए और रिहा व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील हो।
22. स्वैच्छिक संगठनों व शैक्षणिक संस्थाओं को आगे बढ़कर कैदियों की मदद करनी चाहिए।
23. पुनर्वास के उपायों में आर्थिक व सामाजिक जरूरतों, दोनों को शामिल किया जाना चाहिए।
24. कैदियों की शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को उच्च्य प्राथमिकता देनी चाहिए। योग, ध्यान व आर्ट आफ लिविंग की कक्षाएं अनिवार्य की जानी चाहिए।
25. पुनर्वास उपायों का अंतिम उद्देश्य महिला कैदी को पति, परिवार

व समाज में स्वीकार करना है, वे जिस घर-परिवार व समाज से उठकर जेल पहुंची थीं वहीं दुबारा लौट कर मुख्य धारा में शामिल होना है।

जेलों में महिला कैदियों के बच्चे, उत्तर प्रदेश में किया गया अध्ययन योजना आयोग द्वारा प्रायोजित - 2004

महिलाओं द्वारा किए जा रहे तुलनात्मक दृष्टि से कम अपराधों के मद्दे नजर महिलाओं द्वारा किए जा रहे अपराधों पर कम ही अध्ययन किया गया। मां के साथ जेलों में रह रहे बच्चों की परवरिश की चिंता राज्य सरकारों की बन जाती है। बच्चों को जेलों में नहीं रहना चाहिए क्योंकि परवरिश की यह जगह नहीं है। ऐसे बच्चे अपने मूलाधिकारों से वंचित हो जाते हैं।

इस अध्ययन में बदलते सामाजिक व आर्थिक परिवेश में महिलाओं द्वारा किए जा रहे अपराधों में वृद्धि के कारणों को रेखांकित किया गया। भारत में अपराध-रिपोर्ट (1996) में महिलाओं का अखिल भारतीय गिरफ्तारी का प्रतिशत 4.7 था, जिसमें वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्ज हो रही है। अध्ययन रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि महिला कैदियों की स्थिति काफी दयनीय है और उनके साथ जेलों में रह रहे बच्चे शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, मनोरंजन व आवास जैसी न्यूनतम सुविधाओं से वंचित रहते हैं। जेलों में बंद इन महिलाओं की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी।

इस अध्ययन की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं :

ऐसी गर्भवती महिला जिसे निकट भविष्य में शिशु को जन्म देना है अथवा जिसका दुधमुंहा शिशु है अथवा कुछ बड़ा बच्चा है, उसे जेल भेजने से पहले प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जेल में स्वास्थ्य, मनोरंजन, आवास और पोषण की पर्याप्त व्यवस्था है। यदि ऐसी व्यवस्था न हों तो ऐसी व्यवस्था को जुटाया जाए।

- बच्चों को ऐसे स्थान से दूर रखा जाए जो उनके विकास में बाधक हो।
- महिला कैदियों को अलग बैरक में रखा जाए। यदि अलग बैरक की

व्यवस्था न हो तो यह सुनिश्चित किया जाए कि उस बैरक में अधिक भीड़ न हो।

- बच्चों के लिए अलग से भोजन की व्यवस्था हो। उन्हें उचित मात्रा में दूध, फल, मिठाई व बेबी फूड दिए जाए बीमार पड़ने पर डाक्टर द्वारा दी गई खुराक उन्हें दी जाए।
- महिला कैदियों के बच्चों को वस्त्र, बेड शीट व अन्य आवश्यक सामान उपलब्ध करवाया जाए। महिला कैदियों को भी पर्याप्त वस्त्र, बेडशीट, बेडिंग, सेनेटरी नैपकिन, साबुन, तेल आदि दिया जाए।
- यदि शिशु की मां को गंभीर बीमारी हों तो शिशु की उचित देखभाल की तुरंत व्यवस्था की जाए।
- प्रत्येक जेल में क्रेच, आंगनवाड़ी केंद्र, प्राथमिक शिक्षा केंद्र, मनोरंजन आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। यह व्यवस्था किसी स्थानीय एन.जी.ओ. की सहायता से उपलब्ध करवाई जा सकती है।
- महिला कैदियों को शैक्षणिक दृष्टि से सशक्त करने के लिए उन्हें पुस्तकें, लिखने के लिए कापी, पेंसिल, स्लेट आदि उपलब्ध करवाई जाए। उनके पुनर्वास के लिए उन्हें व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और व्यावसायिक हुनर प्रदान किया जाए। स्थानीय एन.जी.ओ. के सहयोग से यह व्यवस्था की जाए।
- महिलाओं को कैद से छूट दी जा सकती है। 65 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को रिहा कर दिया जाना चाहिए।
- महिला कैदियों को उनका सुनिश्चित मेहनताना दिया जाना चाहिए ताकि पुनर्वास में मदद मिल सके।
- बच्चों के मनोरंजन की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। उनके लिए खेल का मैदान, इनडोर खेलों की व्यवस्था, जेल प्राधिकारियों को सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्हें दिन त्योहारों पर बाहर भ्रमण और उनके लिए मनोरंजक कार्यक्रमों की व्यवस्था की जाए। यही नहीं उनमें आध्यात्मिक अभिरुचि विकसित करने का प्रयास भी किया जाए।
- महिला कैदी जेल में काम करें, इसके लिए यह आवश्यक है कि जेल में उनके शिशुओं के लिए क्रेच हो।

- महिला कैदियों के शिशुओं की सुरक्षा, पोषण, कल्याण व विकास का विशेष ध्यान जेल प्राधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा।
- महिला कैदियों व उनके बच्चों के प्रति जेल स्टाफ को संवेदनशील बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- महिला कैदियों के बच्चों के कल्याण के लिए वार्षिक बजट में उनके लिए राशि आवंटित की जाए। जिस वर्ष जेल में बच्चे न भी हों तो उस राशि को व्यय न किया जाए और ऐसे बच्चों के कल्याण के लिए ही सुरक्षित रखी जाए।
- किशोर न्याय अधिनियम को भी संशोधित किया जाए और उसमें महिला कैदियों के बच्चों को भी शामिल किया जाए।

बंदी महिलाओं पर रिपोर्ट - वर्ष 2001-17 अगस्त 2001 को प्रस्तुत

महिला सशक्तिकरण पर कमेटी ने लोक सभा में 24 अगस्त, 2001 को श्रीमती मार्गेट अल्वा की अध्यक्षता में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

रिपोर्ट में औसत भारतीय जेलों की वर्तमान स्थिति पर चिंता व्यक्त की गई बेइंतहा भीड़, अस्वच्छ और निराशाजनक स्थितियां सुधार गृहों की अवधारणा से कोसों दूर हैं। बरसों जेल में रहने के बाद वे कठोर अपराधी बन कर ही निकलते हैं। एक शताब्दी पुराने जेल मैनुअल के पालन से कोई नवोन्मेषी दृष्टिकोण नहीं उभर पाता है। जेल की दर्दनाक दास्तानों को सुनकर जेल सुधारों का प्रश्न बार बार उठाया जाता रहा है। हालांकि नियमों में संशोधनों व समय-समय पर कई कमेटियों को नियुक्त कर स्थितियों को सुधारने के प्रयास किए जाते रहे हैं पर सामान्य स्थितियों में कोई विशेष सुधार अथवा जेल प्राधिकारियों के दृष्टिकोण में अंतर नहीं आया है।

यद्यपि महिला कैदियों की संख्या कुल जेल जनसंख्या का 3 प्रतिशत है, परंतु उनकी स्थितियां काफी दयनीय हैं। बच्चों से अलगाव, निकट संबंधियों का असहयोगी व्यवहार, भविष्य की अनिश्चितता—इन सब कारणों से जेल में उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहता है। पुराना जेल मैनुअल और जेल प्राधिकारियों का असंवेदनशील व्यवहार उनकी मुसीबतों

को और बढ़ाता ही है। जेलों में बंद 80 प्रतिशत महिला कैदी विचाराधीन कैदी हैं और वहां वे बरसों से रह रही हैं और कब उनके मुकदमें की सुनवाई होगी कोई नहीं जानता। वे कब इन जेल की दीवारों से बाहर आ पाएंगी।

कमेटी का यह मानना है कि धीमी न्याय प्रक्रिया राज्य सरकार की उदासीनता और जेल प्राधिकारियों का असंवेदनशील व्यवहार उनकी तकलीफों को बढ़ाता ही है और इन सबसे जेल सुधार असंभव हो चुके हैं। भले ही तिहाड़ जेल में कुछ सुधार हुए हैं पर जस्टिस कृष्णा अय्यर कमीशन की 1987 की रिपोर्ट पर गंभीरता से कार्यान्वयन होना अभी शेष है।

इंडियन जेल कमेटी ने 1919 - 20 में अन्य बातों के साथ साथ प्रत्येक राज्य में महिला कैदियों के लिए अलग संस्थाओं की सिफारिश की थी। 1957-59 में आल इंडिया जेल मैनुअल कमेटी ने महिला अपराधियों की देखभाल, उपचार व पुनर्वास के लिए विशिष्ट व्यवहार का सुझाव दिया था। कमेटी ने महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण पर बल दिया। 1980-83 में आल इंडिया कमेटी आन जेल रिफार्म ने भी अपनी रिपोर्ट में यह रेखांकित किया कि विभिन्न जेलों में बंद महिलाएं काफी अस्वच्छ स्थितियों, शोषण और परिवारों से अनावश्यक रूप से बहुत दूर और उनके लिए कोई लाभप्रद व उद्देश्यपूर्ण रोजगार नहीं था। कमेटी ने जेल स्टाफ को भी महिला कैदियों से व्यवहार करने के लिए प्रशिक्षण पर बल दिया।

1986-87 में भारत सरकार ने जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर की अध्यक्षता में महिला कैदियों पर एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया। कमेटी ने महिला कैदियों के लिए बहुत सारी उपयोगी सिफारिशें कीं और महिलाओं के लिए अभिरक्षा न्याय पर राष्ट्रीय नीति बनाने की सिफारिश की।

पूरे देश में महिलाओं की अभिरक्षा में उपचार की कोई एक नीति नहीं है। जेलों का नियंत्रण राज्य सरकारों के पास होने के कारण सभी राज्यों में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं।

कमेटी द्वारा की गई सिफारिशें निम्नानुसार है

- स्त्री व पुरुषों के बीच सामाजिक, आर्थिक स्थितियों में असमानता के कारण स्त्रियां सामाजिक शोषण व हिंसा का शिकार होती हैं।

जेलों में महिलाओं के प्रतिशत में निरंतर वृद्धि के मद्दे नजर उनके लिए न्याय सुनिश्चित करना अपेक्षित है।

- महिला कैदियों पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर अमल करना चाहिए।
- विभिन्न समितियों द्वारा की गई सिफारिशों के बावजूद जेल में महिलाओं को अपेक्षित सेवाएं नहीं मिल पा रही है।
- नेशनल एक्सपर्ट कमेटी आन वूमेन प्रिजनर्स पर जस्टिस अय्यर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मई 1987 में दे दी थी। परंतु रिपोर्ट के कार्यान्वयन पर सरकार 13 वर्ष तक खामोश रही जब तक कमेटी आन एम्पावरमेंट आफ वमेन ने इस विषय को नहीं उठाया। इस रिपोर्ट पर कार्यान्वयन के लिए यह महिला व बाल विकास विभाग और सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण मंत्रालय के बीच झूलती रही।
- सभी जेलों की सामान्य स्थितियां ठीक नहीं थीं। आहार, कपड़े, मनोरंजन, हाईजिन सभी अपर्याप्त थे। महिलाओं को अभिरक्षा में ध्यान व सुरक्षा की जरूरत होती है। विचाराधीन कैदी के रूप में ही वे अधिक सजा काट चुकी होती हैं। यदि उन्हें सजा हो जाती तो बहुत पहले रिहा हो जातीं।
- गृह मंत्रालय ने 1987 से मार्च 2001 तक जेलों के आधुनिकीकरण के लिए रुपये 124 करोड़ जारी किए पर अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए।
- कमेटी का यह मानना था कि सुधारात्मक व पुनर्वासात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जहां उन्हें मूल कौशल, गतिविधियां, मजदूरी, नैतिक व बौद्धिक विकास व मनोरंजन की सुविधाएं देने की संभावनाएं हैं। जेल अधिकारी उन्हें मान सम्मान से जीवन जीने की दिशा में प्रयास कर सकते हैं। जेल अधिकारियों को अपनी ड्यूटी विकासात्मक कार्य के रूप में करनी चाहिए।
- देश में कुल 113 जेलों की तुलना में केवल 16 महिला जेल हैं। महिलाओं के लिए हर राज्य में अलग महिला जेल होने चाहिए। महिलाओं को अपने घरों से दूर जेलों में शिफ्ट किया जाता है जिस कारण परिवार वाले उनसे मिल नहीं पाते हैं। अधिक महिला जेल

होने से उन्हें अपने जिलों के नजदीक के जेलों में रखना संभव हो सकेगा।

- 1998 के अंत तक आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में ओपन जेल हैं और यह सिद्ध हो चुका है कि ओपन जेल कम खर्च में चलते हैं और वहां पुनर्वास की संभावनाएं अधिक हैं तथा वहां उनमें आत्मनिर्भरता व आत्मविश्वास बढ़ता है और सामाजिक जिम्मेवारी की भावना पनपती है।
- कमेटी विचाराधीन कैदियों के मामलों के निपटान के लिए जेल अदालतों की सिफारिश करती है।
- ग्यारहवें वित्त आयोग ने 1734 अतिरिक्त कोर्टों की स्थापना के लिए रुपये 2502. 90 करोड़ आवंटित किए। वर्ष 2001 महिला सशक्तिकरण वर्ष होने के नाते बंदी महिलाओं के लिए विशेष प्रयास करने के मद्दे नजर प्रस्तावित 1734 कार्टों में से दस प्रतिशित कोर्टों को विचाराधीन महिलाओं की सुनवाई के लिए चिंह्ति किया गया।
- विचाराधीन कैदियों को जमानत मिल जाने पर भी कोई उन्हें जमानत दिलाने के लिए नहीं आता। कमेटी की यह सिफारिश थी कि जो गारंटी न दे पाए उन्हें व्यक्तिगत बांड पर छोड़ दिया जाए, जहां यह संभव न हो, वहां एन.जी.ओ. की मदद से विकल्प तलाशे जाएं।
- कमेटी ने कारागार अधिनियम 1894 और पुलिस अधिनियम 1861 को सम्बोधित करने की सिफारिश की।
- सभी राज्यों में एक समान जेल मैनुअल की आवश्यकता पर बल दिया जाए।

कमेटी ने यह सिफारिश की कि यह सुनिश्चित किया जाए कि :

- खूंखार कैदियों को विशेष रूप से युवा अन्य कैदियों से अलग रखा जाए।
- आवारा, भिखारी, गरीब आदि के लिए गिरफ्तार महिलाओं को जेल

के स्थान पर सुधार गृहों में रखना चाहिए।

- गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी गिरफ्तार महिला व उसके परिवार को दी जाए। महिला कैदियों की साक्षरता, व्यावसायिक प्रशिक्षण व उपचार अक्सर उपेक्षित रहते हैं। उपर्युक्त व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राथमिक शिक्षा, चिकित्सा उपचार, निःशुल्क विधिक सहायता देने के उपाय किए जाए।
- विधि कालेजों के छात्रों को उनकी मदद के लिए जेल प्रशासन द्वारा संबद्ध किया जाना चाहिए।
- मनोवैज्ञानिक व मनोचिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। परिवार से दूर रहकर महिलाएं मानसिक अवसाद का शिकार होती हैं।
- उनके आहार की मात्रा व गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए। भोजन बनाने व खाने के लिए अल्युमीनियम के बर्तनों का प्रयोग न किया जाए इससे कई बीमारियां होती हैं। महिला कैदियों के लिए अलग किचन होना चाहिए। यदि वे स्वयं भोजन बनाना चाहें तो बनाने दिया जाए।
- आवश्यक निजी आवश्यकताओं के रूप में सेनेटरी नैपकिन दिए जाने चाहिए।
- विपासना जैसे ध्यान कार्यक्रमों का संचालन उनके शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। यह कार्यक्रम सभी कैदियों के लिए हों। सभी कैदियों को काम करने व कौशल सीखने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।
- सभी जेलों में सजा प्राप्त कैदियों के लिए एक ही मजदूरी दर होनी चाहिए। उन्हें यह जानकारी होनी चाहिए कि उन्हें आय के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई है। उनके बैंक खाते होने चाहिए जिसमें उनकी कमाई जमा हो और उन्हें उस खाते की पास बुक दी जानी चाहिए।
- जेल में पैदा हुए बच्चों के लिए क्रेच आदि की सुविधा हों।
- मनोरंजन के लिए कैरम, लूडो, पुस्तकें व पत्र-पत्रिकाएं उपलब्ध कराई जाएं।

- सरकार कैदियों के पहनावे में उन्हें स्वतंत्रता दे। सफेद साड़ी के स्थान पर कोई अन्य रंग या सलवार कमीज आदि पहनने दे।
- जेल विजिटर कमेटी में महिलाओं की संख्या एक तिहाई होनी चाहिए।
- जेल स्टाफ को अपने कार्य को सहानुभूतिपूर्ण ढंग से करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उनके लिए पदोन्नति के अवसर उपलब्ध हों। जेल कैडर की शुरुआत से एक महिला स्टाफ की नियुक्ति हो।
- ऐसी महिलाएं जिनके जेल में रहने से उनके परिवार पूरी तरह टूट जाएं, ऐसे मामलों में सजा से पूर्व रिहाई पर विचार किया जाए क्योंकि वे समाज के लिए खतरा नहीं होंगी।
- समाज कल्याण विभागों के सहयोग से पुनर्वास नीति तैयार की जाए। बहुत समय तक जेल में रहने के बाद मानसिक रूप से टूट चुकी महिलाओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाए।
- महिला आयोग के सदस्यों को उन स्थानों का निरीक्षण करने का अधिकार हो, जहां महिलाएं बंदी रखी जाएं।
- जेल अधिकारियों को महिला कैदियों को पेरोल पर छोड़ने के नियमों का उदारता से प्रयोग करना चाहिए।
- जेलों में भीड़ कम करने के उद्देश्य से छोटे अपराधों के लिए अनावश्यक गिरफ्तारी न की जाए। गिरफ्तारी करने वाले कांस्टेबलों को जागरूक किया जाए।
- उपर्युक्त उपायों के कार्यान्वयन के लिए यदि जेल मैनुअल अधिनियमों में संशोधन करने की जरूरत हो तो किया जाए।

वर्ष 2001 महिला सशक्तिकरण वर्ष होने के नाते कमेटी ने यह सिफारिश की कि निम्नलिखित महिला अपराधियों की अपराध के गुरूता को मद्दे नजर रखते हुए उन्हें सजा से छूट /समय पूर्व रिहाई पर विचार किया जाए।

- कैंसर, एड्स, टी.बी., मानसिक रोग व डिप्रेशन जैसे गंभीर रोग से पीड़ित।
- 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं जिंहोंने अपनी सजा का अधिकांश हिस्सा काट लिया है।

कमेटी ने विचाराधीन कैदियों के मामलों का शीघ्र निपटान करने की सिफारिश भी की। ।

दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन 'अधिनियम 2008 *में विहित महत्वपूर्ण प्रस्ताव*

उक्त संशोधन में निम्न प्रस्ताव शामिल हैं :

(I) शब्द 'पीड़ित' की परिभाषा (II) पीड़ित द्वारा अपना वकील नियुक्त किए जा सकने का प्रावधान (III) पीड़ित को प्रतिकूल निर्णय के विरुद्ध अपील के लिए अनुमति देना (IV) पीड़ितों को मुआवजा प्रदान किए जाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा बनाई जाने वाली व्यापक योजना (V) यदि तत्काल गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है तो ऐसे कतिपय मामलों में गिरफ्तारी से पूर्व उपस्थिति नोटिस जारी किए जाने का प्रावधान (VI) अभियुक्त को गिरफ्तारी के तुरंत बाद चिकित्सा जांच का किया जाना (VII) गिरफ्तार करने वाला कार्मिक अभियुक्त के स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखेगा (VIII) यदि पूरे समय के लिए नहीं तो कम से कम अन्वेषण के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति को वकील करने का अधिकार (IX) महिला के संबंध में विशेष संरक्षण (X) महिला अभियुक्त को पुरुष पुलिस अधिकारी द्वारा स्पर्श न किया जाना (XI) यौन अपराधों के संबंध में वरीयतः महिला न्यायाधीश द्वारा बंद कमरे में विचारण किया जाना (XII) दांडिक न्यायालयों द्वारा अभियुक्त को अगली अपीली अदालत में प्रस्तुत किए जाने से पूर्व जमानत बंध-पत्र दिया जाना (XIII) और अधिक आई.पी.सी. अपराधों को समाजेय बनाना अधिनियम की धारा 1 (2) में प्रावधान किया गए हैं, विशेषकर धारा 91, जिसमें अधिकतम 7 वर्ष या कम अवधि के दंड के मामलों में गिरफ्तारी किए जाने के लिए कारणों को पुलिस द्वारा दर्ज किया जाना अपेक्षित है।

कुछ परिभाषाएं

अपराध : *किसी व्यक्ति का कोई कार्य या व्यवहार जो समाज के मानदंडों का उल्लंघन करे अपराध है। यह चोरी, डकैती, हत्या, यौन शोषण या अपहरण हो*

सकता है।

महिला अपराधी : ऐसी महिला भारतीय दंड संहिता के तहत किसी अपराधी व्यवहार के कारण सजा प्राप्त महिला और जिसे जेल में बंद किया गया हो।

सिद्ध दोष : जिसका अपराध सिद्ध हो गया हो।

विचाराधीन : न्यायालय में जिसके अपराध का अभिबोधन चल रहा हो

जेल : कोई जेल या स्थान जो स्थाई अथवा अस्थाई तौर से राज्य सरकार के सामान्य अथवा विशेष आदेशों से कैदियों को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाएं। ऐसे स्थानों में निम्न शामिल हैं।

- पुलिस की अभिरक्षा में कैदियों को रखने का कोई स्थान।
- अपराध प्रक्रिया संहिता 1882 की धारा 541 के तहत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई विशेष स्थान।
- कोई स्थान जो राज्य सरकार द्वारा सामान्य अथवा विशेष आदेश से अधीनस्थ जेल घोषित किया गया हो।

छूट प्रणाली : जेलों में कैदियों की सजा को कम करने के उद्देश्य से सजा में छूट की घोषणा को विनियमित करने वाले लागू नियम।

निषिद्ध वस्तु : जेल नियमों के द्वारा जेल में जिन वस्तु को लाने की अनुमति न हो।

कैदी : कोई व्यक्ति जिसे किसी याचिका, वारंट या किसी कोर्ट या सक्षम प्राधिकारी के आदेश से आपराधिक अथवा सिविल या राजस्व अधिकार क्षेत्र के तहत अभियोजन में रखा जाए।

किशोर कैदी : (क) कोई व्यक्ति जिसे दंडनीय अपराध के लिए सजा अथवा जिसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 117 के तहत सुरक्षा दिए जाने के आदेश हों परंतु ऐसी सजा के समय लड़का होने की स्थिति में 16 वर्ष से कम और लड़की होने की

		स्थिति में 18 वर्ष से कम परंतु 21 वर्ष से अधिक न हो। (ख) अभिबोधन के लंबित होने की स्थिति में, अपराध के समय 16 वर्ष से कम नहीं और 21 वर्ष से अधिक न हो।
वयस्क कैदी	:	21 वर्ष से अधिक उम्र का कैदी।
सिविल कैदी	:	कोई कैदी जो आपराधिक कैदी न हो।
कैजुअल कैदी	:	आदतन कैदी के अतिरक्ति अन्य सजा प्राप्त कैदी
सिद्ध दोष आपराधिक कैदी	:	कोई आपराधिक कैदी जिसे कोर्ट द्वारा सजा दी गई हो।
बंधक	:	विभिन्न निरोधक अधिनियमों के तहत बंदी कोई व्यक्ति जैसे कंजर्वेशन आफ फारेन एक्सचेंज, प्रिवेंशन आफ स्मगलिंग एक्टिविटी एक्ट 1974, प्रिवेंशन आफ इलीसिट ट्रेफिक इन नेरोकेटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टांस एक्ट 1988, नेशनल सेक्युरिटी एक्ट 1980, इम्मारल ट्रेफिक आफेंडर एक्ट।
रिमांड कैदी	:	ऐसा व्यक्ति जिसे जेल अभिरक्षा में रखा गया हो, जिसकी चार्ज शीट दायर न की गई हो।
विचाराधीन कैदी	:	जिसकी चार्ज शीट दायर हो चुकी हो और मुकदमा चल रहा हो।
छुट्टी	:	कैदियों को अपने परिवार से मिलने के लिए दी गई कम या लंबी छुट्टी।

जेल सुधार पर सलाहकार समिति

पुलिस व अनुसंधान विकास ब्यूरो में गठित जेल सुधार पर सलाहकार समिति के कार्यों पर 16 नवंबर 1995 के गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. एन.जी.ओ. VII-110018/14/92/जी.पी.ए.- IV के द्वारा निम्नलिखित को शामिल किया गया है :

1. पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो जेल प्राधिकारियों के जेलों के प्रबंधन, अनुसंधान प्राथमिकताओं की पहचान करें। जेल सुधार पर

व्यवहार्य अध्ययनों जो ब्यूरो और अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों और राष्ट्रीय स्तर पर सुधारात्मक प्रशासन के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों के सहयोग से अनुसंधानों में सहायता करने और यदि आवश्यक हो तो इस क्षेत्र में परामर्शदाता नियुक्त करने में सहायता करेगी।

2. ब्यूरो जेल सुधार के क्षेत्र में जुड़ी हुई अन्य संस्थाओं व आई.आई.सी.ए.के साथ संपर्क स्थापित करने व अनुसंधान अध्ययन/सर्वेक्षण के लिए मार्ग निर्देश तैयार करने में राज्य सरकारों से विचार-विमर्श कर सहयोग करेगा और संबंध सूचनाओं का प्रसार करेगा।
3. ब्यूरो जेल स्टाफ को प्रशिक्षण देने के लिए एक समान प्रशिक्षण माड्यूला तैयार करने में मार्ग निर्देश देगा। इसके लिए वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रमों में वर्तमान सामाजिक परिदृश्यों में हो रहे बदलावों व तकनीकी उन्नयन और जेल प्रशासन को प्रभावित करने वाले पहलुओं की समीक्षा करेगा।
4. जेल सुधार पर ब्यूरो के द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेगा और इस क्षेत्र में अनुसंधान के लिए प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान करेगी।
5. सलाहकार समिति आवश्यकतानुसार प्रभावी कार्यकलापों के लिए बैठकें करेगी।

विभिन्न कमेंटियों द्वारा जेलों के दौरों पर पाई गई प्रमुख टिप्पणियां निम्नानुसार हैं :

- ❖ अधिकांश जेलों में महिलाओं के लिए अलग स्थान की व्यवस्था तो है पर केवल महिला जेल कम हैं।
- ❖ अधिकांश महिला कैदी विचाराधीन होती हैं। उनकी जेल में अवधि उन्हें सजा मिलने की अवधि से ज्यादा पहले ही हो चुकी होती है।
- ❖ छोटे अपराधों के लिए विचाराधीन कैदियों के मामलों के लिए शीघ्र सुनवाई के लिए विशेष कोर्ट/लोक अदालतें नहीं लगाई जा रही थीं।

- ❖ आहार, आवास, कपड़े व मनोरजंन की सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता थी।
- ❖ अधिकांश जेलों में एक ही किचन थी और महिलाओं के लिए अलग किचन नहीं थी। महिलाओं के लिए अलग किचन की व्यवस्था होनी चाहिए।
- ❖ कई जेलों में पूर्णकालिक चिकित्सा अधिकारी नहीं थीं।
- ❖ अधिकांश जेलों में महिलाओं के लिए परामर्श कक्ष नहीं थे।
- ❖ महिला कैदियों के लिए जमानत प्रक्रिया को सरलीकृत करने की अत्यंत आवश्यकता है।
- ❖ महिला कैदियों की निःशुल्क चिकित्सा सहायता के लिए विधि सहायता कक्षों को सुदृढ करने की आवश्यकता है।
- ❖ अधिकांश जेलों में व्यावसायिक प्रशिक्षण, प्राथमिक शिक्षा, विधि साक्षरता, निशुल्क विधि सहायता की सुविधाओं का अभाव था।
- ❖ महिलाएं अपने परिवारों से संपर्क नहीं कर पा रही थीं।
- ❖ कुछ जेलों में एन.जी.ओ. शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण व परामर्श सेवाएं देने में जेल प्राधिकारियों की मदद कर रही थी।
- ❖ अधिकांश महिलाएं जेल से रिहा होने के बाद सामाजिक लांछना के कारण परिवार में स्वीकार नहीं की जातीं।
- ❖ जेलों से रिहा होने के बाद उन्हें परामर्श, सहायता व पुनर्वास सुविधाएं न के बराबर मिल पाती हैं।
- ❖ कुछ जेलों में सजा प्राप्त व विचाराधीन कैदी एक साथ रहती हैं।
- ❖ गंभीर रूप से बीमार या संक्रामक रोग ग्रस्तों को अलग-अलग नहीं रखा जाता।
- ❖ उन्हें जमानत मिल जाने पर भी जेल से रिहाई नहीं मिल पाती।
- ❖ महिला कैदियों को जेल से सजा पूर्व रिहाई कराने के कोई प्रयास नहीं किए जाते।
- ❖ महिला जेलों में पुरुष स्टाफ की तैनाती थी।
- ❖ कुछ जेलों में विदेशी कैदियों को विशेष सुविधाएं दी जा रही थीं।

दिनांक 17 और 18 मई, 2001 को राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित सेमीनार में जस्टिस कृष्णा अय्यर रिपोर्ट की सिफारिशों पर

विचार-विमर्श हुआ जिसमें कुछ नई सिफारिशें भी उभर कर आईं।

- ❖ महिलाओं की शारीरिक जरूरतें भिन्न होती हैं। जब महिला कैद में होती है तो अपने परिवार से दूर होती है, उससे मिलने वाले लोग कम आते हैं और उसे परिवार की कोई खबर नहीं होती जिससे उसे काफी दुःख पहुंचता है।
- ❖ जेल व पुलिस स्टेशनों में महिला कैदियों के अधिकार व सम्मान के लिए जेल अधिकारियों को जेल के नियमों का पालन करना जरूरी है। वर्तमान नियमों का सिद्धांततः पालन जरूरी है न कि नए-नए नियम बनाना।
- ❖ जेलों में सुधार व प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंधों में निधियों के सुनिश्चित उपयोग का अनुप्रवर्तन, केंद्र व राज्य सरकारों को करना चाहिए।
- ❖ जेलों में अत्यधिक भीड़, कुपोषण और अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं के कारण अभिरक्षा में मौतों के मामलों में वृद्धि हुई है।
- ❖ जेल में पैदा हुए या मां के साथ जेलों में रह रहे बच्चे बिना अपराध के सलाखों के पीछे हैं। देश में ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो उनकी देखभाल करे। सभी जेलों में क्रेच सुविधाएं नहीं हैं और उनकी सुनिश्चित देखभाल व शिक्षा के लिए मार्गनिर्देशों की कमी है।
- ❖ स्थानीय स्तर पर मामलों के निपटाने के लिए वैकल्पिक तंत्र होना चाहिए और सजा के विकल्प के रूप में समुदाय आधारित सेवा की संभावनाओं का पता लगाना चाहिए।
- ❖ महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं के मद्दे नजर उनके लिए विशिष्ट बजट आवंटित किया जाए।
- ❖ महिला कैदियों के लिए काम कर रही विभिन्न एजेंसियों में उचित तालमेल होना चाहिए।
- ❖ जेल न केवल सजा प्राप्त, बल्कि सभी कैदियों के सुधार के लिए है, इसलिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और विपश्यना जैसे ध्यान कार्यक्रमों में सभी को भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए और सभी को काम व कौशल सीखने के लिए प्रेरित करें।
- ❖ महिलाओं के लिए अलग जेलों की व्यवस्था हो।

- ❖ जेल स्टाफ के लिए प्रोत्साहन व पदोन्नति के पर्याप्त अवसर हों, क्योंकि ये ही सुधार लाने में प्रमुख कारक है। आई.जी. की अध्यक्षता में अलग से जेल कैडर हो।
- ❖ जेल के भीतर विधिक पंचायतें हों।
- ❖ अधिक पुनर्वास केंद्रों/हाफ-वे होम की आवश्यकता है।
- ❖ भारतीय कारागार अधिनियम 1894 व पुलिस अधिनियम की समीक्षा कर संशोधन किए जाएं।
- ❖ राज्य व केंद्र सरकार के बीच सुनिश्चित समन्वय का अभाव है।
- ❖ आंकड़ों के रखरखाव के लिए कंप्यूटरों का प्रयोग होना चाहिए।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के '2002 में भारत में अपराध' अध्ययन में कहा गए कि लगभग 2,20,000 केसों को कोर्ट पहुंचने में तीन वर्ष लग जाते हैं और 25,600 केस दस वर्ष पूरे होने तक खत्म हो जाते हैं। जिस अपराध के लिए उन्हें जितने वर्षों की सजा होनी होती है, उससे अधिक समय तक वे विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में बिता चुके होते हैं।

इसी वर्ष के आंकड़े ये दर्शाते हैं कि 26 राज्यों और 6 संघ शासित प्रदेशों की जेलों में 3,22,357 कैदी हैं, जबकि इसकी प्राधिकृत क्षमता 2,19,880 है। इसका अर्थ है कि निर्धारित मानदंडों से 466 प्रतिशत अधिक है। मिजोरम (442%), हरियाणा (165%), अंडमान और निकोबार (139%) और छत्तीसगढ़ (115%) में कैदी बंद हैं। तिहाड़ जेल में 4,000 की आधिकारिक क्षमता से 80% अधिक 12,000 कैदी बंद है उसमें 80% विचाराधीन कैदी हैं। कैद के दौरान मरने वालो के आंकड़ों से यह स्पष्ट था कि मरने वाले कैदी जेलों की बुरी परिस्थितियों में टी.बी., एच.आई.वी., एड्स जैसी बीमारियों के शिकार हुए।

कैदियों को बुरा, पागल और दुखी (बैड, मैड व सैड) तीन वर्गों में बाँटा जा सकता है। ब्रिटेन में किए गए एक अध्ययन में 70% कैदी, पर्सनेल्टी डिस आर्डर, साइकोसिस, न्यक्रूरोसिस, मदिरा सेवन और मादक पदार्थों पर निर्भर होते हैं। यू.के. में एक विख्यात गैर संगठन', हावर्ड लीग फार पीनल रिफार्म' ने अभियुक्तों की सजा के लिए उनको कम से कम अवधि के लिए रखने की पैरवी की और चाहा कि केवल ऐसे व्यक्तियों को

जेल में बंदी रखा जाए हों घोर अपराधों व समाज के लिए खतरनाक हों। गैर हिंसक अपराधों के लिए जेल की सजा से जेलों में भीड़ ही बढ़ेगी और पूरे विश्व में ऐसा ही हो रहा है। जिस सिस्टम में बिना साक्ष्यों के कोई भी सजा नहीं दी जा सकती हो वहां जेलों में भीड़ ही तो बढ़ेगी।

इन रिपोर्टों के आधार पर कहा जा सकता है कि कोई समाज कितना सभ्य है, इसकी झलक उसके जेलों से मिलती है। मानवाधिकारों की दुहाई देने वाला सभ्य समाज यदि अपने कैदियों से सहानुभूति और सदभाव नहीं रखता है तो उसे सभ्य कहलाने का अधिकार नहीं है। ऐसा तभी संभव है जब उसके मानवाधिकारों को स्वीकार किया जाएगा। कैदी भले ही विचाराधीन हो या सजा प्राप्त, उसके मनुष्य होने का हक तो फिर भी बना ही रहता है। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा, 1948 में यह उल्लेख किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को प्रताड़ना अथवा क्रूरता, अमानवीय अथवा अमानवोचित उपचार या दंड नहीं दिया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को मानवोचित सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है।

जेल सुधारों का मुद्दा एक लंबे समय से उठ रहा है। एक सदी से भी अधिक पुराने जेल के नियम कानूनों को बदलने की बात उठती आ रही है। समय-समय पर कई मील के पत्थर लगाए भी गए हैं, पर सुधारों की अभी बहुत जरूरत है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की वर्ष 1994-95 की वार्षिक रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि जेलों की स्थितियों में बहुत अंतर है। एक ओर दिल्ली के तिहाड़ जेल में बेइंतहा भीड़ है तो हैदराबाद के खुले जेल में बहुत कम कैदी थे। एक ही राज्य में कुछ जेलों में अधिक भीड़ तो कहीं सुविधाओं का अभाव है। आयोग ने यह पाया कि वेल्लोर में केंद्रीय कारागार में अपेक्षाकृत अधिक सफाई और खाने की व्यवस्था ठीक थी दूसरी ओर कुछ जेलों के हालात सही नहीं थे। खाने-पीने की व्यवस्था ठीक नहीं थी। जेल प्रशासन को कैदी क्रूर व भ्रष्ट मानते थे। कहीं किशोर कैदियों को दूसरों से अलग रखा गया था तो कहीं हिंसा और अपराध का बोलबाला था। कुछ जेलों में सुधार के उपाय किए गए वहां रोजगार, सृजन और शिक्षा देने के प्रयास किए जा रहे थे पर एक सामान्य तस्वीर जो जेलों की उभरती है, वहां उनके साथ सुनिश्चित

व्यवहार नहीं हो रहा था। मेहनताना कम होने के कारण बचत की कोई गुजांइश नहीं थी कि बाद में पुनर्वास संभव हो सके।

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा भारतीय जेलों में महिला कैदियों की स्थिति जानने के लिए किए गए जेल दौरों की संक्षिप्त रिपोर्ट

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के प्रावधानों के तहत आयोग को जेलों अथवा अभिरक्षा स्थानों का निरीक्षण करना अपेक्षित होता है जहां महिलाओं को कैदियों के रूप में अथवा अन्य कारणों से रखा जाता है। ऐसे स्थानों का दौरा कर उन्हें उनकी जीवन स्थितियों में सुधार लाने के लिए उन्हें सिफारिशें करनी अपेक्षित होती हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा समय-समय पर देश की विभिन्न जेलों का निरीक्षण किया जाता रहा है। विभिन्न कमेटियों द्वारा महिला कैदियों की स्थिति व जेल सुधारों के लिए सिफारिशें की गई हैं। इस दिशा में जस्टिस कृष्णा अय्यर (1986-87) की रिपोर्ट और वैधानिक व प्रशासनिक कोड का ड्राफ्ट व विधि आयोग की 135 वीं रिपोर्ट के आधार पर भारतीय दंड संहिता में XXXIII अध्याय का ड्राफ्ट प्रमुखतः शामिल है।

आयोग के विभिन्न जेलों के दौरों के दौरान जहां उक्त रिपोर्टों में इंगित उनकी दयनीय स्थितियों की जानकारी मिल पाई, वहीं भारत में महिला जेलों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। इन निरीक्षण से जो स्थिति मुखर हुई है वह यही है कि अभिरक्षा में महिलाओं को सुरक्षित, स्वच्छ व मुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिए उनके विशेष जेलों की व्यवस्था जरूरी है। उन्हें व उनके बच्चों को रहने के लिए बेहतर स्थान उपलब्ध हों, उपयुक्त चिकित्सा, शिक्षा, व्यावसायिक व मनोरंजक सुविधाएं मिल पाएं और उनके पुनर्वास के उपाय किए जाएं।

प्रत्येक जिले में महिलाओं के लिए अलग से जेलों की व्यवस्था संभव नहीं है अतः जेल प्रशासन का महिलाओं के प्रति संवेदनशील होना बेहद जरूरी है तभी वे उनकी समस्याओं को महसूस कर पाएंगे व उन्हें बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवा पाएंगे।

आयोग ने जिस मुद्दे को अधिक महत्व व जिस पर ध्यान देने की

अत्यधिक आवश्यकता पर बल दिया वह यह है कि जेलों में 70 प्रतिशत से अधिक विचाराधीन कैदी होते हैं। यह पाया गया कि जिन मामलों में यदि उन्हें समय पर सजा सुना दी गई तो वे पहले रिहा हो गई होतीं, पर 5-6 वर्षों तक उनके मामलों में फैसले ही नहीं हुए। इसके साथ ही उन्हें छोटे-छोटे अपराधों के लिए जेलों में बंद कर दिया जाता है। यह सरासर किसी व्यक्ति के मानवाधिकारों का हनन है यदि उसे बिना मुकदमे की कार्रवाई शुरू किए 90 दिन से अधिक जेल में रखा जाए। मुकदमे की तारीख पर उनके साथ कोर्ट तक जाने वाले स्टाफ की कमी के कारण भी उन्हें कोर्ट में नहीं ले जाया जाता। राज्य सरकारों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। विचाराधीन कैदियों की संख्या को कम करने के सम्यक् उपाय किए जाने चाहिए।

पारिवारिक महिला अदालतों की तर्ज पर महिला जेल अदालतों का गठन भी किया जाना चाहिए जिनमें महिला कैदियों के सिविल मुकदमों की सुनवाई की जाए।

आयोग यह भी चाहता है कि जिन विचाराधीन कैदियों ने एक साल से अधिक जेल में काट लिया है उन्हें रिहा कर दिया जाए ताकि जेलों की भीड़ को कुछ कम किया जा सके।

मजिस्ट्रेटों को चाहिए कि छोटे अपराधों के लिए निजी मुचलके पर उन्हें रिहा कर दें।

विचाराधीन कैदियों को सिद्धदोष कैदियों की तरह काम करने और अन्य सुविधाएं जैसे साबुन-तेल आदि नहीं मिलते हैं, इस कारण उनकी स्थिति बदतर होती है। विचाराधीन कैदियों को भी व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। महिला कैदियों को भुगतान की जाने वाली मजदूरी कई राज्यों में बहुत कम थी जिसे सभी राज्यों में एक समान किया जाना चाहिए। आयोग के सदस्यों ने यह भी पाया कि पुरुष कैदियों की तुलना में महिला कैदी अवसाद का अधिक शिकार थीं पर मनोवैज्ञानिक व काउंसलरों की बहुत कम व्यवस्था थी। गैर सरकारी संगठनों की भूमिका बहुत कम जेलों में उपलब्ध थी।

आयोग के सदस्यों ने यह पाया कि भोजन अल्युमीनियम के बर्तनों में पकाया जा रहा था जो स्वास्थ्य के लिए खतरा हो सकता है। भोजन

बनाने के लिए स्टील के बर्तनों का प्रयोग व गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जा सकता है। जहां महिला कैदियों की संख्या अधिक हों वहां पुरुष वार्ड में खाना बना कर वहां लाने की बजाय वे अपना खाना स्वयं बना सकती हैं।

पोलीटेपिनकों के सहयोग से परंपरागत व्यावसायिक प्रशिक्षणों के अलावा अन्य प्रशिक्षणों की व्यवस्था भी की जा सकती है। कई जेलों में यह पाया गया कि महिला कैदियों द्वारा किए गए श्रम के एवज में जेल उद्योगों में उत्पादों की बिक्री के बाद लाभ का हिस्सा उनके खातों में नहीं डाला जाता था। कई जेलों में पुराने उपकरण व मशीनरी का प्रयोग किया जाता था जिसे बदला जाना चाहिए।

महिला कैदियों के बच्चों को सभी जेलों में पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल रही थीं जिसकी ओर जेल प्रशासन को ध्यान देना चाहिए।

यह भी पाया गया कि पुरुषों की तुलना में आजीवन कारावास की सजा भुगत रही महिलाओं की संख्या अधिक थी। उनकी स्थितियों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि कई मामलों में आत्म रक्षा अथवा वर्षों की हिंसा को सहन करने की शक्ति खत्म हो जाने पर क्षणिक आवेगों में उन्होंने अपराध किया है। यह भी पाया गया कि मनोरंजन की सुविधाएं या तो नदारद थीं या बहुत ही कम थी, यहां तक कि नहाने का साबुन और सेनेटरी नैपकिन जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थीं। कोठरियों में जरूरत से अधिक कैदियों के बावजूद पंखों की व्यवस्था न थी।

एक संघ शासित राज्य में यह पाया गया कि कैदियों की विचाराधीन अवधि के तीन-चार वर्षों को सजा की अवधि में शामिल नहीं किया गया। एक जेल में 60 विचाराधीन कैदियों को शिक्षित करने के लिए एक अध्यापक को पदनामित तो किया गया पर कक्षाएं लेने के लिए जगह ही नहीं थी। बैरकों, शौचालयों और बाथरूमों की स्थितियां भी अस्वच्छता का नमूना थी।

आयोग ने यह भी पाया कि महिला कैदियों को सजा की अवधि की छूट की सुविधा नहीं दी जा रही थी। महिला जेल स्टाफ की कमी, महिला वार्डनों को दैनिक आधार पर नियुक्त किया गया था जो कई कारणों से अच्छी प्रक्रिया नहीं है।

कुछ मामलों को छोड़कर सभी जेल भवनों को तुरंत मरम्मत की जरूरत थी।

आयोग ने यह भी पाया कि कुछ जेलों में कई बार शिक्षित महिला कैदी होती हैं जिन्हें अन्य कैदियों को शिक्षित करने के लिए उनकी सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है।

राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिदेश के अनुसार आयोग से अपेक्षा की जाती है कि वह किसी जेल, सुधार गृह, महिलाओं की संस्थाओं या अभिरक्षा के अन्य स्थानों का, जहां महिलाओं को बंदी के रूप में या अन्यथा रखा जाता है, निरीक्षण करेगा या करवाएगा और उपचारी कार्रवाई के लिए यदि आवश्यक हो, संबंधित प्राधिकारियों से बातचीत करेगा।

आयोग अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करता रहा है और इस उद्‌देश्य से ऐसे स्थानों का दौरा करता रहा है जहां महिलाओं को हिरासत में रखा जाता है, चाहे वह बंदीगृह हों, सुधार गृह हों, पागलखाने या अन्य कोई स्थान। निरीक्षण के दौरान पाई गई त्रुटियों की ओर प्राधिकारियों का ध्यान दिलाया गया है। इन समस्याओं पर आयोग की वार्षिक रिपोर्टों में भी प्रकाश डाला गए। आयोग ने यह अनुभव किया है कि महिला कैदियों की विशिष्ट आवश्यकताएं पुरुषों से भिन्न है और संवेदनशील अधिकारियों को उन्हें अच्छी तरह समझना चाहिए। महिलाओं की विशेष भौतिक और शारीरिक आवश्यकताएं पुरुषों से भिन्न होती है। जेलों में बंद महिलाएं अपने परिवार व विशेष रूप से बच्चों के अभाव को महसूस करती हैं। उनके बारे में सोचती व चिंता कर उदास होती हैं। जेल में बंद महिला से परिवार के लोग बहुत कम मिलने आते हैं।

आयोग ने हिरासत में महिलाओं को न्याय पर एक विशेष समिति का गठन किया था। इस समिति ने अपनी विभिन्न बैठकों में महिला कैदियों से संबंधित मसलों पर विचार किया। फरवरी 1993 में विभिन्न राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के बंदीगृहों के महानिरीक्षकों का सम्मेलन/आयोजित किया जिसका उद्‌देश्य महिला बंदियों की समस्याओं पर उनके विचार जानना व समस्याओं के संभाव्य समाधानों पर विचार करना था। नवंबर 1999 में पेनल रिफार्म इंटरनेशनल (पी.आर.आई.) और पेनल रिफार्म एंड जस्टिस एसोसिएशन (प्रजा) के सहयोग से राष्ट्रीय स्तरीय कार्याशाला जिसका

उद्देश्य महिलाओं के विशेष संदर्भ में दांडिक न्याय के क्षेत्र में मानवोचित लाभकर व्यवहार को बढ़ावा देना था।

विभिन्न अध्ययन रिपोर्टों में महिला कैदियों की उम्र-वार विश्लेषण के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि अधिकांश जेलों में बंद महिला कैदियों में युवा महिलाओं का प्रतिशत अधिक है जो 30-40 वर्ष की उम्रवर्ग का है जो कि चिंतनीय है। यद्यपि अधिकांश महिला कैदी युवा वर्ग से संबद्ध है, पर इनका शैक्षणिक प्रतिशत अनपढ़ श्रेणी में ही अधिक है। यह इस बात का द्योतक है कि शिक्षा का जीवन में बहुत महत्त्व है। शिक्षा ही अच्छे-बुरे का ज्ञान कराती है और शिक्षा के बल पर ही अपने पांवों पर खड़ा होना संभव है। जहां शिक्षा नहीं है, वहां अपराध की ओर मुड़ने में देर नहीं लगती।

अध्ययनों में परिवार के आकार को भी अपराध के स्तर से जोड़ कर देखने से यह पता चलता है कि बड़े परिवारों में जहां कमाने वाला एक और खाने वाले अनेक होते हैं, वहीं अशिक्षा, बेकारी व भुखमरी की संभावनाएं अधिक होती हैं। महिलाएं अधिकांश मामलों में गरीबी के कारण ही अपराध की ओर बढ़ती है।

निष्कर्षतः यदि विभिन्न अध्ययन रिपोर्टों की सिफारिशों पर गंभीरता से अमल किया जाता है तो जेलों की स्थितियों में आमूल चूल परिवर्तन संभव हो सकते हैं।

विभिन्न राज्य सरकारों के प्रयास

इस अध्याय में कारागारों में कैदियों की स्थितियों में सुधार के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी गई है। यद्यपि जेल राज्यों का विषय है, जेलों के रखरखाव के लिए सभी राज्य सरकारें कटिबद्ध हैं तथापि केंद्र सरकार द्वारा भी राज्य सरकारों को आर्थिक सहायता व समय समय पर दिशा-निर्देश जारी किए जाते रहे हैं। केंद्र सरकार के कुछ प्रयास संक्षेप में प्रस्तुत हैं।

सर्वप्रथम राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों से देश की विभिन्न जेलों की स्थितियां दृष्टव्य हैं।

कारागारों का आधुनिकीकरण

केंद्र सरकार ने जेलों में क्षमता से अधिक भीड़-भाड़ को कम करने के लिए नई जेलें बनाने, मौजूदा जेलों में अतिरिक्त बैरकों का निर्माण, मरम्मत, नवीकरण करने, कार्मिकों को रहने के आवासों का निर्माण करने के लिए वर्ष 2002-03 में एक गैर-आयोजना स्कीम प्रारंभ की थी। कारागार अधिुनिकीकरण नामक यह स्कीम 1,800 करोड़ रुपए के परिव्यय से पांच वर्षों की अवधि (2002-07) के दौरान 27 राज्यों में कार्यान्वत की गई इस संबंध में लागत को 75:25 के अनुपात में केंद्र और राज्यों द्वारा वहन किया गया । इस योजना को बिना किसी अतिरिक्त निधि के दो वर्षों के लिए विस्तारित किया गया था ताकि राज्य सरकारें अपने कार्यकलापों को 31 मार्च, 2009 तक पूरा कर लें। यह योजना 31 मार्च, 2010 तक पूरी की गई दिसंबर 2009 के अंत तक की अवधि के लिए प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इस योजना के अंतर्गत मौजूदा कारागारों में 99 जेलों, 1,365 अतिरिक्त

बैरकों और कार्मिकों के लिए 7,852 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण कराया गया।

कारागार आधुनिकीकरण पर विभागीय संसदीय स्थाई समिति की सिफारिशों पर विचार करते हुए और जेल अवस्थापना तथा सुधारात्मक प्रशासन के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने की विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मांग को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने कारागारों का आधुनिकीकरण करने के लिए द्वितीय चरण की योजना बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसे अभी फिलहाल बंद कर दिया गया।

सुधारात्मक प्रशासन संस्थान

कारागार प्रशासन को गुणवत्ता में सुधार करने और कारागार कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1989 में चंडीगढ़ केंद्र को संपूर्ण वित्तीय सहायता से सुधारात्मक प्रशासन संस्थान की स्थापना की थी। सुधारात्मक प्रशासन संस्थान, चंडीगढ़, संपूर्ण भारत के विशेषकर पड़ोसी राज्यों यथा— हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ आदि के कारागार कार्मिकों को प्रशिक्षण देता है।

इसके अलावा वेल्लूर, तमिलनाडु में क्षेत्रीय सुधारात्मक प्रशासन संस्थान (रीका) को आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य की सरकारों द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने संस्थान की स्थापना के लिए एक बारगी अनुदान उपलब्ध कराया है। पूर्वी राज्यों के लिए ओड़िसा राज्य सरकार से एक विस्तृत प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया।

कैदी प्रत्यावर्तन अधिनियम 2003, भारत सरकार द्वारा भारतीय जेलों में कैद विदेशी नागरिकों के प्रत्यावर्तन और विदेशी जेलों में कैद भारतीय नागरिकों के प्रत्यावर्तन के लिए अधिनियमित किया गए था ताकि वे अपनी सजा अपने-अपने देशों में काट सकें।

सुधारात्मक सेवा पदक

अखिल भारतीय जेल सुधार समिति (1980-83) ने यह संस्तुति की

है कि भारत सरकार को कारागार कार्मिकों को पुरस्कृत करने के लिए पदक प्रदान किए जाने की व्यवस्था करनी चाहिए और राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को कारागार कार्मिकों द्वारा की गई विशेष सेवा को उचित प्रकार से मान्यता देनी चाहिए। इन सिफारिशों का आर.के. कपूर की अध्यक्षता वाले अधिकारी दल (1986) ने भी समर्थन किया था। अधिकारी दल का गठन कारागार प्रशासन और प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं की, कारागारों में सुरक्षा और अनुशासन के संबंध में जांच और संवीक्षा करने तथा उनमें सुधार के उपाय सुझाने के लिए किया गया था।

इन सिफारिशों के आधार पर प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कारागार कार्मिकों को पुरस्कृत किए जाने के लिए निम्नलिखित पदक प्रारंभ किए गए थे।

शौर्य पदक : शौर्य के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक और सुधारात्मक सेवा पदक।

सेवा पदक

- ✓ विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक।
- ✓ सराहनीय सेवा के लिए सुधारात्मक सेवा पदक।

एक वर्ष में प्रदान किए जा सकने वाले शौर्य के लिए राष्ट्रपति सेवा पदकों और सराहनीय सेवा के लिए सुधारात्मक सेवा पदकों की संख्या क्रमशः 25 और 75 है।

विशिष्ट सेवा/शौर्य के लिए राष्ट्रपति के सुधारात्मक सेवा पदक और सराहनीय सेवा/शौर्य के लिए सुधारात्मक सेवा पदक निम्नलिखित के संबंध में प्रदान किए जाते हैं :

- ✓ सुधारात्मक सेवा में विशेषकर विशिष्ट रिकार्ड के लिए।
- ✓ कैदियों को अत्यधिक संख्या में दाखिल करने जैसी विशेष कठिन परिस्थितियों में सुधारात्मक सेवा आयोजित करने या प्रशासन चलाने की सफलता के लिए
- ✓ सांप्रदायिक दंगों का दमन करने के लिए, कैदियों को भागने से रोकने, अधिकारियों का बचाव करने, खेल भावना, लोक कार्य और

साक्षरता सहित अनुकरणीय सेवा की छाप छोड़ने, कर्तव्य के प्रति निष्ठा, सत्यनिष्ठा, वफादारी, अनुशासन बढ़ाने और त्याग की भावना के संबंध में उत्कृष्ट योग्यता के लिए।

शौर्य के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक और शौर्य के लिए सुधारात्मक सेवा पदक किसी कैदी को गिरफ्तार करने अथवा उनको भागने से रोकने में विशिष्ट/असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है। इसके अंतर्गत जोखिम का आकलन संबंधित अधिकारी के दायित्वों एवं कर्तव्यों तथा पूर्ववर्ती वर्ष में किए गए असाधारण कार्य के लिए दिया जाता है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के द्वारा वर्ष 2008 के जेल आबादी के आंकड़े अक्टूबर 2010 में प्रकाशित किए गए हैं। उन्हीं के आधार पर देश के विभिन्न जेलों में बंद महिला कैदियों की स्थिति का एक सिंहावलोकन किया जा सकता है :

देश में जेलों की कुल संख्या - 1,356

केंद्रीय जेल	114	महिला जेल	18
जिला जेल	313	ओपन जेल	32
उप-जेल	830	अन्य जेल	49

देश में जेलों की कुल क्षमता - 2,97,777

केंद्रीय जेल	1,30,473	43.8%	महिला जेल	3,500	1,2%
जिला जेल	1,11,580	37.5%	ओपन जेल	3,401	1.1%
उप-जेल	41,590	14.0%	अन्य जेल	7,233	2.4%

31.12.2008 की स्थिति में जेल में कैदियों की कुल संख्या 3,84,753

सजायाफ्ता	1,23,307	कुल कैदियों का 32%
विचाराधीन	2,57,928	कुल का विचाराधीन 67%
पुरुष	1,18,914	कुल सजायाफ्ता का 95.4%
पुरुष	2,46,526	कुल विचाराधीन का 95.6%

महिला	4,393	कुल सजायाफ्ता का 3.6%
महिला	11,402	कुल विचाराधीन का 4.4%
बंदी	2,978	कुल कैदियों का 0.8%
अन्य	540	कुल बंदियां का 0.1%
पुरुष	2,886	कुल बंदियों का 95.9%
पुरुष	498	92.2%
महिला	92	कुल बंदियों का 3.1%
महिला	42	7.8%

विदेशी

सजायाफ्ता	1,847	विचाराधीन	3,142	बंदी	102
पुरुष	1,644	पुरुष	2,580	पुरुष	102
महिला	203	महिला	562	महिला	-

वर्ष 2008 के अंत में उत्तर प्रदेश (21%) के जेलों में सबसे अधिक 80,809 कैदी (पुरुष 78,115, महिला 2,694) और उसके बाद बिहार में 37,709 (पुरुष 36,480, महिला 1,229)।

जेलों की निर्धारित क्षमता से सबसे अधिक भीड़। छत्तीसगढ़। (215.2%) और उत्तरप्रदेश (191.6%) जेलों में थी।

406 सजायाफ्ता महिला कैदियों के साथ 484 और विचाराधीन 1363 महिला कैदियों के साथ 1,639 बच्चे जेलों में बंद थे।

उत्तर प्रदेश में ही सबसे अधिक सजायाफ्ता कैदी (पुरुष 21,002 और महिला 672) थे और यहीं सबसे अधिक पढ़े-लिखे ग्रैजुएट (1,182), पोस्ट ग्रैजुएट (287) थे। विभिन्न व्यावसायिक कार्यक्रमों में प्रशिक्षित कैदियों द्वारा सबसे अधिक कमाई करने वाला महाराष्ट्र (रुपये 1,411.00 लाख) और उसके बाद बिहार (रुपये 1087.00 लाख) राज्य का नाम है। महाराष्ट्र में ही प्रति कैदी कमाई रुपये 5,462 थी तो उसके बाद दिल्ली का स्थान था, जहां प्रति कैदी कमाई रुपये 5,428 थी जबकि अखिल भारतीय औसत रुपये 1,743 था। प्रति कैदी वार्षिक खर्च दिल्ली में सबसे अधिक रुपये 46,360 और उसके बाद आंध्र प्रदेश रुपये 38,054 था जबकि अखिल भारतीय औसत रुपये 14,272 था।

जेल व्यवस्था

राज्य व संघ शासित प्रदेशों में मुख्यतः केंद्रीय जेल, जिला जेल और उप-जेल हैं। इसके अलावा कुछ राज्यों में महिला जेल, बोरस्टल स्कूल, ओपन जेल और विशेष जेल भी है।

महाराष्ट्र में सबसे अधिक 213 जेल हैं, उसके बाद आंध्र प्रदेश (143), तमिलनाडु (133), मध्य प्रदेश (120), राजस्थान (108) और कर्नाटक (100) जेल हैं। अरुणाचल प्रदेश में कोई जेल नहीं है और इसके सजायाफ्ता और विचाराधीन कैदी असम की जेलों में रखे जाते हैं।

केंद्रीय जेल

प्रत्येक राज्य में केंद्रीय जेल के मानदंड अलग-अलग हैं। फिर भी सभी राज्यों में लंबी सजा भुगतने वाले कैदियों को केंद्रीय जेलों में रखा जाता है, क्योंकि इनकी क्षमता अधिक होती है और उनमें पुनर्वास सुविधाएं भी होती हैं।

केंद्रीय जेलों में भी महिला कैदियों को रखा जाता है। मध्य प्रदेश केंद्रीय जेल में सबसे अधिक महिला कैदी (567), पंजाब (453), महाराष्ट्र (426), कर्नाटक (416), पश्चिम बंगाल (305), छत्तीसगढ़ (282), आंध्र प्रदेश (262), बिहार (257) और झारखंड (200) में रखने की क्षमता है।

जिला जेलों में भी महिला कैदियों को रखा जाता है। उत्तर प्रदेश की जेलों में सबसे अधिक (1652), पश्चिम बंगाल (528), बिहार (507), हरियाणा (495), मध्य प्रदेश (419), महाराष्ट्र (292), झारखंड (280) और असम (254) की क्षमता है।

बोरस्टल स्कूल

बोरस्टल स्कूलों का प्राथमिक उद्देश्य युवा अपराधी बच्चों की सुरक्षा, कल्याण व पुनर्वास सुनिश्चित करना है और जेल के वातावरण से उन्हें दूर रखना है। यहां उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण व स्कूली शिक्षा भी दी जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में बोरस्टल स्कूल हैं।

ओपन जेल

ओपन जेलों में अच्छे व्यवहार और निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले कैदियों को रखा जाता है। ऐसे कैदियों के लिए कम से कम सुरक्षा की जरूरत होती है। अधिकांशतः इन्हें कृषि गतिविधियों में लगाया जाता है।

केवल 13 राज्यों में ही ओपन जेल हैं। राजस्थान में 13, महाराष्ट्र में 4 और आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल और तमिलनाडु प्रत्येक में दो-दो जेल हैं। महाराष्ट्र के ओपन जेलों में सबसे अधिक (922), उसके बाद केरल (536), राजस्थान (529), आंध्र प्रदेश (430), उत्तराखंड (300), तमिलनाडु (110), असम, गुजरात और ओड़िसा (प्रत्येक 100) और हिमाचल प्रदेश व कर्नाटक (प्रत्येक 80), पश्चिम बंगाल (76) और पंजाब (50) कैदियों को रखने की क्षमता है। वर्ष 2011 में महाराष्ट्र में महिला कैदियों के लिए भी ओपन जेल शुरू किया गया है।

विशेष जेल

विशेष जेलों में ऐसे कैदियों को रखा जाता है जिन्होंने जेल अनुशासन का घोर उल्लंघन किया हो, हिंसक प्रवृत्ति हों, आदतन अपराधियों में अनुशासन भंग की प्रवृत्ति हो।

वर्ष 2008 के अंत में विभिन्न राज्यों में आजीवन कारावास की सजा पा रही महिला कैदियों की कुल संख्या 2294 थी और सबसे अधिक कैदी उत्तर प्रदेश (304) और उसके बाद महाराष्ट्र (283) का स्थान है। 10 से 13 वर्ष की अवधि में कैद महिलाओं की संख्या 559 और 7 से 9 वर्ष की अवधि की सजा से बंद महिलाओं की संख्या 441 है। इस वर्ग में भी सबसे अधिक कैदी उत्तर प्रदेश में (क्रमशः 178 और 96) और दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश (क्रमशः 57 और 50) है। 5 से 6 वर्ष से सजा पा रही महिलाओं की संख्या 271 और 2 से 4 वर्ष से जेलों में बंद महिलाओं की संख्या 246 और 1 से 2 वर्ष से कम अवधि से बंद महिलाओं की संख्या 154 और 6 माह से 1 वर्ष की अवधि से कैद महिलाओं की संख्या 122 थी। 3 से 6 माह से कम अवधि से 167 और 3 माह से कम अवधि के लिए कैद महिलाओं की संख्या 131 थी। इस प्रकार विभिन्न अवधि के लिए कैद महिलाओं की संख्या 4393 थी।

जेलों में व्यावसायिक प्रशिक्षण

सभी राज्यों के जेलों में कैदियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने को काफी महत्व दिया जा रहा है। ये प्रशिक्षण कैदियों को जेल में व्यस्त रहने और सीखे गए कौशलों को रिहाई के बाद अपनाकर कमाई कर पाने में मदद करता है।

जेलों में प्रशिक्षण सुविधाएं स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। कच्चे माल की उपलब्धता, स्थानीय मार्केट व तैयार माल को बेचने की सुविधा के अनुसार ही व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

वर्ष 2008 के अंत में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर राजस्थान (11,789) में सबसे अधिक कैदी विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लगाए.गए थे। इसके बाद मध्य प्रदेश (9037), बिहार (6691), महाराष्ट्र (6022), गुजरात (4501), तमिलनाडु (3123), केरल (2805) और झारखंड (2339) का स्थान था।

जेल कैदियों द्वारा तैयार माल की बिक्री के बाद सबसे अधिक राशि कमाने वाले राज्यों में महाराष्ट्र का स्थान सर्वप्रथम रहा जहां रुपये 1,411. 00 लाख की कमाई की गई इसके बाद बिहार (रुपये 1087.00 लाख), उत्तर प्रदेश (रुपये 1000.3 लाख), गुजरात (रुपये 658.2 लाख), दिल्ली (रुपये 627.1 लाख), तमिलनाडु (रुपये 360.2 लाख) और पंजाब (रुपये 241.0 लाख) का स्थान था। प्रति कैदी उत्पादित वस्तुओं का मूल्य महाराष्ट्र (रुपये 5462) में सबसे अधिक था और इसके बाद दिल्ली (रुपये 5,428), गुजरात (रुपये 5360), बिहार (रुपये 2884), उत्तराखंड (रुपये 2477), तमिलनाडु (रुपये 2223), सिक्किम (रुपये 1577), पंजाब (रुपये 1496) और छत्तीसगढ़। (रुपये 1488) का स्थान रहा। जेल कैदियों के द्वारा अपनी जेल अवधि के दौरान इस प्रकार के कामों में जुटना उनके लिए काफी लाभप्रद रहता है। उनके आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता बढ़ाने में यह सहायक होता है। जेल से रिहा होने के बाद वे इन कौशलों के सहारे आजीविका कमा सकते हैं और इस प्रकार अपराध की दुनिया में दुबारा नहीं लौटते।

तालिका 1 में विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में उपलब्ध व्यावसायिक प्रशिक्षण व विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण में प्रशिक्षित

कैदियों की संख्या दर्शाई गई है। हालांकि महिला कैदियों में प्रशिक्षण के संबंध में अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं है, परंतु यह समझा जा सकता है कि टेलरिंग व बुनाई, हथकरघा व अन्य प्रशिक्षणों के तहत उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। तालिका 2 में कैदियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के मूल्य दर्शाए गए हैं। (तालिकाएं इस अध्याय के अंत में दी गई हैं)

जेल निरीक्षण और विजिट

जेल अधिनियम 1894 की धारा 59 की उप-धारा 25 में दी गई शक्तियों के अनुसार राज्य सरकारें अधिकारिक विजिटों व गैर अधिकारिक विजिटरों की नियुक्ति व निरीक्षण के लिए नियुक्तियां करती हैं। विभिन्न राज्यों के जेल मैनुअलों के अनुसार पदेन विजिटर और गैर अधिकारिक विजिटरों के द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं :

1. आवधिक तौर पर जेलों का दौरा।
2. कैदियों की देखभाल और कल्याण से संबंधित उनकी शिकायतों को सुनना।
3. सुधारात्मक मामलों में प्रशासन की मदद करना।
4. जेल में अपने विजिट के संबंध में विजिटर-बुक में अपनी टिप्पणियां दर्ज करना।

पदेन विजिटर : कलेक्टर, जिला और सेशन जज, मुख्य ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेस, डायरेक्टर उद्योग, डायरेक्टर कृषि, टेक्सटाइल एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला हेल्थ अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र की जेलों के पदेन विजिटर होंगे।

गैर अधिकारिक विजिटर : राज्य सरकारें प्रत्येक जेल में गैर अधिकारिक विजिटरों की नियुक्ति राज्य सरकार के गजट में अधिसूचित करेगी। विधान सभा के सदस्य, सोशल वर्कर और सुधारात्मक कार्यों में रुचि लेने वाले व्यक्ति, मनोविलेषक, मनोवैज्ञानिक आदि को गैर अधिकारिक विजिटर नियुक्त किया जा सकता है।

इन विजिटरों के द्वारा जेलों का निरीक्षण और विजिटर-बुक में उनकी टिप्पणियां जेल की स्थितियों में सुधार लाने के लिए उपयोगी होती हैं। निरीक्षणों में दी गई सूचनाएं, चिकित्सा, एक्जीक्यूटिव व न्यायिक प्रकृति

की होती हैं।

निरीक्षण : वर्ष 2008 के अंत में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में चिकित्सा अधिकारियों के द्वारा सबसे अधिक निरीक्षण (2887), उसके बाद राजस्थान (2661), आंध्र प्रदेश (2227), पंजाब (1269) और उत्तर प्रदेश (1058) में किए गए।

आंध्र प्रदेश में रूटीन प्रकृति के निरीक्षण (1153) सबसे अधिक किए गए। इसके बाद पश्चिम बंगाल (477), हरियाणा (459), उत्तर प्रदेश (381), राजस्थान (361) और मध्यप्रदेश (308) का स्थान रहा। मणिपुर, दादरा व नगर हवेली और लक्षद्वीप में ऐसे निरीक्षणों की जानकारी रिपोर्ट नहीं की गई।

आंध्र प्रदेश में ही ज्यूडिशियल निरीक्षण (1130) सबसे अधिक हुए। इसके बाद पश्चिम बंगाल (1011), उत्तर प्रदेश (870), महाराष्ट्र (495), हरियाणा (407) और असम (355) का स्थान रहा।

निरीक्षण की संख्या में इतना अंतर यह दर्शाता है कि भले ही निरीक्षण के कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं, परंतु जेल की स्थितियों में सुधार लाने के उद्देश्य से यह अत्यंत जरूरी है कि इन निरीक्षणों की संख्या में इजाफा किया जाए। दिल्ली के तिहाड़ जेल की स्थितियों में आए बदलाव इसका ज्वलंत उदाहरण है कि तिहाड़ जेल को तिहाड़ आश्रम में बदलने की प्रक्रिया में वरिष्ठ अधिकारियों के नियमित दौरों की अहम भूमिका थी। स्थितियों के प्रत्यक्ष निरीक्षण से ही उन्हें बदले जाने की संभावनाएं बढ़ती हैं।

जेल अधिकारियों की स्थिति व प्रशिक्षण

विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में जेल स्टाफ की पांच श्रेणी है। नामतः अधिकारी, जेल कैडर स्टाफ, सुधारात्मक स्टाफ, चिकित्सा स्टाफ और अन्य।

इसमें दो राय नहीं है कि स्वीकृत स्थिति और वास्तविक स्थिति के आधार पर और जेलों में बंद कैदियों की संख्या पर प्रति जेल कार्मिक की संख्या के आधार पर ही जेलों में कैदियों की स्थितियों का आकलन किया जा सकता है। यदि कैदियों की संख्या के अनुपात में अधिकारियों की संख्या

कम है तो उनके काम के बोझ का अंदाज लगाया जा सकता है। न केवल उनकी संख्या बल्कि उनके लिए पदोन्नति के अवसर भी उनके काम के प्रति दृष्टिकोण में अपनी अहम भूमिका रखते हैं।

तालिका 3 व 4 में विभिन्न रैंक में महिला जेल अधिकारियों की स्वीकृत व वास्तविक संख्या दी गई है।

कोई भी अधिकारी/कर्मचारी अपने काम को अधिक बेहतर ढंग से कर सकें उसके लिए समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाना अपेक्षित है। देश में राष्ट्रीय और राज्य स्तर संस्थाओं में प्रशिक्षण के साथ साथ जेल प्रबंधन और क्रिमिनल जस्टिस, डिप्लोमा कोर्स, जूनियर सर्टिफिकेट कोर्स, रिफ्रेशर कोर्स भी उन्हें दिए जाते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट आफ क्रिमिनालोजी एंड फोरेंसिक सांइस, नई दिल्ली, रिजनल इंस्टीट्यूट आफ कोरेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन, वेल्लूर में उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है।

जेल बजट और व्यय

विभिन्न राज्यों व संघ शासित प्रदेशों में जेल बजट की स्वीकृति, प्लान व्यय व नान-प्लान व्यय के ब्यांरे तालिका 5 में दिए गए हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक बजट रुपये 41,293.1 लाख आवंटित किए गए और उसके बाद बिहार (रुपये 20,951.9 लाख), दिल्ली (रुपये 14,007.5 लाख), पश्चिम बंगाल (रुपये 11,573.3 लाख), तमिलनाडु (रुपये 10,252.0 लाख), पंजाब (रुपये 10,203.9 लाख) और मध्य प्रदेश (रुपये 10,153.9 लाख) का स्थान रहा।

योजनाबद्ध व्यय पंचवर्षीय योजना के तहत निर्धारित विशिष्ट व्यय होता है। दैनांदिन खर्चों व वेतन आदि का भुगतान करने के व्यय, मजदूरी और किराया आदि गैर-प्लान व्यय होते हैं। विभिन्न राज्यों के 2008-09 के बजट व व्यय तालिका 6 में प्रस्तुत हैं। बिहार में सबसे अधिक प्लान व्यय (रुपये 6733.9 लाख) के बाद झारखंड (रुपये 1964.3 लाख), हरियाणा (रुपये 1759.1 लाख) का स्थान है।

गैर प्लान व्यय में सबसे अधिक व्यय उत्तर प्रदेश (रुपये 40,747.8 लाख), के बाद बिहार (रुपये 10,145 लाख), महाराष्ट्र (रुपये 9773.9

लाख), मध्य प्रदेश (रुपये 9599 लाख), पश्चिम बंगाल (रुपये 9598.4 लाख), तमिलनाडु (रुपये 8780.1 लाख), आंध्र प्रदेश (रुपये 8695.8 लाख), दिल्ली (रुपये 8368.9 लाख) और हरियाणा में (रुपये 6290.5 लाख) रहा। कुल स्वीकृत बजट व वास्तविक व्यय तमिलनाडु (रुपये 10252 लाख), ओड़िसा (रुपये 5891. 4 लाख), नगालैंड (रुपये 1371. 4 लाख), चंडीगढ़। (रुपये 468 लाख), दमन व दीव (रुपये 27. 0 लाख) में समान थे।

जेल कैदियों पर व्यय

जेल कैदियों के खाने, कपड़े, चिकित्सा, व्यावसायिक, शिक्षण सुविधाओं, कल्याण व अन्य मदों पर व्यय किया जाता है। इस व्यय का ब्योरा तालिका 6 में दिया गया है।

खाने की मद पर सबसे अधिक व्यय उत्तर प्रदेश (रुपये 6267.2 लाख), बिहार (रुपये 3511.3 लाख), मध्य प्रदेश (रुपये 3129.3 लाख), ओड़िसा (रुपये 2000 लाख), पश्चिम बंगाल (रुपये 1950.2 लाख), महाराष्ट्र (रुपये 1873.4 लाख) और हरियाणा (रुपये 1423.9 लाख) में किए गए। पश्चिम बंगाल में कैदियों के कपड़ों पर (रुपये 170.1 लाख) व्यय किए गए, दिल्ली (रुपये 1115.8 लाख), पंजाब (रुपये 450.2 लाख), पश्चिम बंगाल (रुपये 402.2 लाख), मध्य प्रदेश (रुपये 398.4 लाख) और उत्तर प्रदेश (रुपये 350.0 लाख) की राशि कैदियों के चिकित्सा उपचार पर व्यय की गई।

वोकेशनल व शिक्षण सुविधाओं पर आंध्र प्रदेश ने (रुपये 223.9 लाख), सबसे अधिक व्यय किया गए तो उसके बाद बिहार (रुपये 141.1 लाख) का स्थान रहा। कैदियों की कल्याणकारी गति विधियों के लिए पश्चिम बंगाल ने सबसे अधिक (रुपये 205 लाख) और उसके बाद केरल (रुपये 41.3 लाख) के व्यय का स्थान है।

वर्ष 2008 के दौरान कैदियों के पुनर्वास उपायों के आंकड़े तालिका 7 में प्रस्तुत है।

झारखंड में सबसे अधिक (371) कैदियों को रिहाई पर वित्तीय सहायता प्रदान की तो उसके बाद मध्य प्रदेश (348), पश्चिम बंगाल

(189), मेघालय (85) और तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश दोनों में प्रत्येक के 35 और दिल्ली में 64 को यह सहायता दी गई अखिल भारतीय स्तर में ऐसे कैदियों की कुल संख्या 1180 थी।

अखिल भारतीय स्तर पर 1913 सिद्धदोष कैदियों का पुनर्वास भी किया गया। सबसे अधिक ओड़िसा (650), पंजाब (375), हरियाणा (350) और आंध्र प्रदेश (264) का स्थान रहा।

पूरे देश में 45585 कैदियों को विधिक सहायता दी गई सबसे अधिक लाभान्वित होने वाले कैदी महाराष्ट्र (3981), पश्चिम बंगाल (3549), तमिलनाडु (2081), उत्तर प्रदेश (2117) में थे, तो संघ शासित प्रदेशों में दिल्ली में सबसे अधिक 27211 कैदियों को यह सहायता दी गई जो पूरे देश में सबसे अधिक है।

पूरे देश में 33,658 कैदियों को एलीमेंट्री शिक्षा, 54,843 को प्रौढ़ शिक्षा, 3,190 को उच्च शिक्षा व 3,146 को कंप्यूटर कोर्स का प्रशिक्षण दिया गया। एलीमेंट्री शिक्षा में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 9,961 और उसके बाद तमिलनाडु 5,988 का स्थान रहा। प्रौढ़ शिक्षा भी सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में 9,309 कैदियों और उसके बाद तमिलनाडु में 6,460 कैदियों को दी गई (तालिका 8)

केंद्र सरकार के प्रयासों के बाद विभिन्न राज्य सरकारों के प्रयासों और विशेषरूप से तिहाड़ जेल के तिहाड़ आश्रम में रूपांतरित होने के प्रयासों को प्रस्तुत किया जा रहा है।

तिहाड़ जेल

दिल्ली कारागार के दो जेल परिसर हैं। एक तिहाड़ में जो दुनिया के सबसे बड़े जेल परिसरों में एक रहा है। इसमें नौ केंद्रीय जेल और दूसरा जेल परिसर रोहिणी में है। दस जेलों में कुल जनसंख्या 6,250 कैदियों की स्वीकृत क्षमता के विरुद्ध 12,000 कैदियों के आस पास है। वहां कैदियों की आबादी में लगातार वृद्धि हो रही है।

तिहाड़ जेल की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार वर्ष 2010 के दौरान 45,030 कैदी जेलों में आए और 45,420 कैदी रिहा भी हुए जिनका विवरण निम्नानुसार है :

प्रवेश

विचाराधीन		सजायाफ्ता		बंदी सिविल		कैदी	
पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
35,173	1,270	8,217	223	105	0	42	0
रिहा							
36,054	1,233	7,782	202	107	0	42	0

31.12.2010 की स्थिति में जेलों की क्षमता और आबादी

जेल संख्या	क्षमता	आबादी	कुल आबादी का क्षमता से प्रतिशत
सेंट्रल जेल सं. 1	565	1334	236
सेंट्रल जेल सं. 2	455	959	211
सेंट्रल जेल सं. 3	740	1,715	232
सेंट्रल जेल सं. 4	750	1,824	246
सेंट्रल जेल सं. 5	750	820	109
सेंट्रल जेल सं. 6 (महिला जेल)	400	505	126
सेंट्रल जेल सं. 7	350	873	249
सेंट्रल जेल सं. 8. 9.	1,200	1,394	116
जिला जेल, रोहिणी	1,050	1,432	136
कुल	6,250	10,856	174

31.12.2010 की स्थिति में कुल आबादी

	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष %	महिला %
	10,351	505	10,856	95.35	4.65
विचाराधीन	7,686	401	8,087	74.25	79.41
सजायाफता	2,647	104	2,751	25.57	-
बंदी	13	-	13	13	-
अन्य	5	-	5	5	
विवाहित	-	-	-	52.53	81.11
अविवाहित	-	-	-	47.47	18.81

शिक्षा स्तर

अधिकांश कैदियों का शैक्षणिक स्तर दसवीं कक्षा से कम था जो अपराध व शिक्षा स्तर को दर्शाता है कि जितनी कम साक्षरता उतना अधिक अपराध की संभावना होती है।

जेल प्रशासन इनकी साक्षरता दर बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। जेल में नेशनल इंस्टीट्यूट आफ ओपन स्कूल और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के केंद्र हैं। किशोरों और महिला कैदियों को शिक्षित करने पर अधिक जोर दिया जा रहा है। प्रत्येक जेल में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र चलाए जा रहे हैं।

कैदियों का शिक्षा स्तर निम्न तालिका में दिया जा रहा है।

क्रमांक		पुरुष %	महिला %
1	निरक्षर	31.71	55.05
2	कक्षा दसवीं से कम	33.78	18.42
3	कक्षा दसवीं से अधिक स्नातक से कम	25.16	15.04
4	स्नातक	5.85	8.51
5	स्नातकोत्तर	1.19	1.78
6	तकनीकी डिग्री डिप्लोमा धारक	1.31	0.20

इन कैदियों के न केवल शिक्षा का स्तर कम था बल्कि आय स्तर भी कम था। लगभग 77% कैदियों की गिरफ्तारी के समय आय सलाना 50,000 से कम थी। केवल 8% की आय एक लाख से अधिक थी।

भारतीय दंड संहिता मामले स्थानीय विशेष अधिनियम मामले

भा.द.सं.	पुरुष %	महिला %	एल एंड एस. ए. मामला	पुरुष %	महिला %
हत्या	25.97	29. 93	हथियार	5.58	0
	(24.23)	(30. 63)		(5.61)	(0.76)
हत्या का प्रयास	5.02	2.74	एन.डी पी.एस	5,31	13.97
	(5.80)	(2.78)		(5.69)	(14.4)
बलात्कार	9.24	4,24	जुआ	(0.08)	0 (0)

	(9.02)	(1.7)		0.08	
अपहरण व	4.12	8.92	एक्साइज	0.95	2.24
व्यपहरण	(3.73)	(5.35)		(1.00)	(2.28)
					0 (0)
डकैती	7.14	0.25	टाडा	0.09	1.00
	(10.54)	(0.00)		(0.20)	(1.01)
डकैती के प्रयास	1.33	0 (0)	इप्टा	0.09	2.24
	(1.87)			(0.17)	(2.03)
चोरी	3.81	0.50	भारतीय रेल	0.69	0 (0)
	(2.35)	(2.54)		(0.89)	
हेराफेरी	1.74	0 (0)	विदेशी अधिनियम	0.71	5.24
	(5.32)	(1.43)	के तहत दर्ज	(0.41)	
चोरी	14.75	5.23	भारतीय पासपोर्ट	0.03	(0.76)
	(12.50)	(1.52)	अधिनियम	(0.72)	
लूटखसोट	0.08	0 (0)	आवश्यक वस्तुएं	0.00	0 (0)
	(0.59)		अधिनियम	(0.06)	
दंगे	0.04	0 (0)	दहेज प्रतिरोध	1.08	2.99
	(0.06)		अधिनियम	(1.87)	(9.8)
आगजनी	0.03	0 (0)	एंटीक एंड आर्ट	0.03	0
	(0.00)		ट्रेजर	(0)	(0)
विश्वास मंत्र	0.51	0(2.78)	फेरा	0.03	0 (0)
का अपराध	(0.78)			(0)	
धोखा	2.80	8.48	भ्रष्टाचार निरोधक	0.34	0 (0)
		(3.11)	(3.54)		(0.20)
दहेज मृत्यु	3.03	10.72	इंडियन आफिशियल	0.16	0.25 (0)
	(2.79)	(9.62)	सिट एक्ट	(0.22)	
छेडखानी	0.85	0 (0)	अन्य एल एंड	0.65	0 (0.51)
	(0.03)		एस.एल अपराध	(0.27)	

अधिकांश कैदी कृषि मजदूर ही थे, उनके व्यवसाय का ब्यौरा निम्नानुसार

है।

		पुरुष	महिला	कुल
1.	कृषि (भूमि और खेती)	436	3	439
2.	कृषि मजदूर	1,839	20	1,859
3.	व्यवसाय	1,554	0	1,554
4.	सरकारी नौकरी	225	7	232
5.	प्राइवेट नौकरी	2,216	35	2,251
6.	अन्य	4,081	440	4,521
	कुल	10,351	505	10,856

उम्रवार आबादी

जेल की अधिकांश आबादी 21-30 वर्ष की आयु में 54% थी। 30-50 वर्ष की आयु की आबादी का प्रतिशत 32% था। पुरुष आबादी का 21-30 वर्ष की उम्र का वर्ग जहां अधिक अपराधी थे तो महिलाओं में यह समूह 30-50 वर्ष की उम्र का था। यह समूह दहेज संबंधी अपराधों के कारण अधिकतम था।

कैदियों का अपराध ग्राफ यह दर्शाता है कि आने वाले 22% कैदी दुबारा/आदतन अपराधियों की श्रेणी में आते हैं।

विचाराधीन कैदियों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक वर्ग में भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी पाए गए और दूसरे स्थानीय और विशेष अधिनियम मामले (एल. एंड एस.ए. केस) के तहत दोषी पाए गए। विचाराधीन कैदियों के अपराधों का विश्लेषण निम्न तालिका में प्रस्तुत है।

पति व परिवार द्वारा क्रूरता	0.05 (0.31)	(0)
भा.द.सं. अन्य अपराध	2.65 (1.09)	(0)

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वर्ष 2009 से संबंधित हैं।

इतिहास इस बात का साक्षी है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और पंडित नेहरू ने जेल में रहते हुए महत्वपूर्ण रचनाएं की थीं। जेलों में सुधारात्मक उपायों की शृंखला को तिहाड़ जेल के एक लंबे अर्से से आगे बढ़ाया जा रहा है। तिहाड़ जेल को कैदियों का आदर्श आश्रम बनाए

जाने की दिशा में प्रयास जारी हैं। तिहाड़ को देश का आदर्श जेल बनाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

दिल्ली की विभिन्न कोर्टों में तिहाड़ के आउटलेट खोले गए है, जिन्हें चलाने की जिम्मेवारी तिहाड़ जेल से रिहा हो चुके कैदियों या पीड़ितों को देकर, उन्हें पुनर्वासित किया जा रहा है। तिहाड़ जेल में विक्टिम वेलफेयर फंड की स्थापना की गई है। इस समय तिहाड़ जेल में बनाए जा रहे उत्पाद 13 आउटलेटों के माध्यम से बेचे जा रहे हैं।

प्रत्येक जेल में म्युजिक रूम बनाए गए हैं जिनमें कैदी तबला, बेंगो ड्रम, हारमोनियम, गिटार, सितार व सारंगी बजाना सीखते हैं। उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने के लिए प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं।

जेल की फैक्टरी में कैदियों के सुधार और पुनर्वास के उपायों के रूप में उन्हें कारपेंटरी, बुनकर, हथकरघा व पावरलूम, टेलरिंग, केमिकल, पेपर, फूड प्रोसेसिंग, शू मेकिंग और बेकरी जैसे यूनिटों में प्रशिक्षित व काम पर लगाया गया है। जेल फैक्टरी में एक समय में 400 कैदियों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। फर्नीचर फैक्टरी में, डयूल डेस्क, आफिस व घरेलू फर्नीचर तैयार किया जाता है जिन्हें दिल्ली प्रशासन के स्कूलों, आई.टी.आई., पोलीटेक्नीक कालेज व अन्य प्राइवेट संगठनों में बेचा जा रहा है। वर्ष 2009-10 में इस यूनिट का टर्न ओवर रुपये 5.50 करोड़ रहा। इसके वीविंग यूनिट का टर्न ओवर रुपये 50 लाख था तो टेलरिंग यूनिट का रुपये 20 लाख था। केमिकल यूनिट का टर्न ओवर रुपये 1.25 करोड़ व पेपर यूनिट का टर्न ओवर रुपये 25 लाख था। तिहाड़ बेकिंग स्कूल 1995 से चल रहा है। 12,000 कैदियों के दैनिक प्रयोग में उन्हें देने के लिए बिस्किट, बन, केक, केक रस्क, नमकीन, नमकपारे, वेफर, पेट्टीज, ब्रेड व बिस्किट बनाए जाते हैं। इन्हें अन्य सरकारी विभागों में भी बेचा जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2010 के लिए रुपये 20 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था। वित्तीय वर्ष 2009-10 में 700 कैदियों को इस फैक्टरी में रोजगार दिया गया। जनवरी 2009 में जेल फैक्टरी को तीन आई.एस.ओ. प्रमाण दिए गए जो एक विशेष उपलब्धि है।

जेल कैदियों में से कुशल श्रमिकों को प्रतिदिन रुपये 52, अर्धकुशल

को रुपये 49 व अकुशल श्रमिकों को रुपये 40 की दर से मजदूरी दी जाती है।

निजी सार्वजनिक सहभागिता में शू मेकिंग व स्पोर्टस वियर मेंयुफेकचरिगं यूनिट भी जेल फैक्टरी में शुरू किए गए। मैसर्स डियम (इंडिया) प्रा.लि. के साथ जेल विभाग ने सहमति ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है कि शू मेकिंग का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कैदियों को रिहा होने के बाद वे अपने दिल्ली यूनिट में काम पर लगाएंगे।

मैसर्स सेंचुरी प्रा.लि. के साथ स्पोर्टस वियर यूनिट के लिए सहमति ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। वे भी रिहाई के बाद उन्हें रोजगार देंगे।

गत पांच वर्षों में कैदी अंतर-जेल व वार्ड खेल प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। हर वर्ष संगीत, नृत्य, शेरो-शायरी, कव्वाली, पेंटिंग व क्विज। जैसी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं।

सभी धर्मो के प्रमुख त्योहारों को भी सभी मिलकर मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस व गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण कार्यक्रम सभी जेलों में किया जाता है। रक्षाबंधन के दिन भाई-बहनों को जेल में आकर त्योहार मनाने दिया जाता है। कैदियों द्वारा तैयार की गई मिठाइयों की बिक्री भी की जाती है।

इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय और नेशनल इंस्टीट्यूट आफ ओपन स्कूलिंग के केंद्रों में क्रमशः 2,640 और 1,900 कैदी छात्र जुड़े हैं। कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्रों में भी कैदी प्रशिक्षण लेते हैं, तिहाड़ जेल के शिक्षित कैदी दूसरे कैदियों को शिक्षित करने में मदद करते हैं। प्रत्येक जेल में एन.जी.ओ. के सहयोग से लाइब्रेरी की व्यवस्था है।

कला/वाणिज्य, हिन्दी/अंग्रेजी में रचनात्मक लेखन में डिप्लोमा, मानवाधिकार में सर्टिफिकेट कोर्स, टूरिज्म/मैनजमेंट/कंप्यूटर में मास्टर डिग्री के पाठ्यक्रम दूरशिक्षण प्रणाली से चलाए जा रहे हैं। हिंदी/अंग्रेजी टाइपिंग कामर्शियल आर्ट का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। गांधी स्मृति और गांधी दर्शन समिति की ओर से गांधी केंद्र भी चलाए जा रहे हैं। लाइब्रेरी में गांधी दर्शन पर 500 पुस्तकें शामिल हैं।

इग्नू व एन.आई.ओ.एस. की फीस का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। नोटबुक व पाठ सामग्री भी निःशुल्क दी जाती है। प्रत्येक कैदी

को अपनी शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। परीक्षा केंद्र जेल है, इस बात की जानकारी उनके प्रमाण-पत्र में नहीं दी जाती। उन्हें औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा दिए जाने के हर संभव प्रयास किए जाते हैं। अनपढ़ कैदियों को लिखना-पढ़ना सिखाया जाता है।

पंचायत प्रणाली व सहभागी प्रबंधन

कैदियों को अपनी कल्याण गतिविधियों में सहभागिता करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। शिक्षा, वोकेशनल ट्रेनिंग, विधिक परामर्श, किचन, पब्लिक वर्कर्स में सहयोग देने के लिए पंचायतों का गठन किया जाता है। इन पंचायतों की एक महापंचायत भी आयोजित की जाती है। सभी कैदियों की शिकायतों व सुझावों को सुनकर उन्हें दूर करने के प्रयास किए जाते हैं। अपनी समस्याएं सुलझाने में अपनी सहभागिता से उनमें आत्मविश्वास विकसित होता है। जेल कैंटीनों का भी प्रबंधन वे ही करते हैं।

जेल फैक्टरी में विभिन्न कौशलों को सिखाने के बाद रिहाई के वक्त उन्हें रोजगार यूनिट लगाने के लिए दिल्ली प्रशासन से ऋण भी दिलाने के प्रयास किए जाते हैं।

1994 में एक हजार कैदियों के लिए विपासना ध्यान कैम्प शुरू किए जाने की महत्वपूर्ण शुरुआत आज भी जारी है और वहां एक स्थाई विपासना केंद्र की स्थापना की जा चुकी है। नियमित रूप से दस-दस दिन के कोर्स संचालित किए जाते हैं। जेल में ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, सहज योग केंद्र की शाखाएं भी हैं जो कैदियों को नैतिक शिक्षा, परामर्श व ध्यान योग सिखाती हैं।

विधिक सहायता

जेल में कैदियों की जमानत अर्जियों, अपील व अन्य आवेदन तैयार करने में मदद करने के लिए विधि सहायता कक्ष भी हैं। गरीब वर्ग के कैदियों को इनसे सहयोग मिल पाता है।

विशेष कोर्ट/लोक अदालत

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सभी हाई कोर्टों को एक पत्र के माध्यम से ये निर्देश दिए थे कि प्रत्येक मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्र के जेलों में माह में एक या दो बार जाकर छोटे अपराधों के कारण विचाराधीन कैदियों के मामलों व जो अपना अपराध कबूल करना चाहते हैं के लिए विशेष लोक अदालत लगा कर फैसले करें, इसके अनुसरण में नियमित लोक अदालतें लगाकर मामले निपटाए जाते हैं।

नए कारागार अधिनियम व जेल मैनुअल

दिल्ली कारागार अधिनियम 14 फरवरी, 2002 को अधिसूचित किया जा चुका है। नए अधिनियम के अनुसार जेल प्रबंधन में एन.जी.ओ. की सहभागिता बढ़ेगी।

तिहाड़ जेल के कैदियों की रचनात्मक योग्यता को बढ़ाने की दिशा में कई प्रयास किए जा रहे हैं। क्रिएटिव आर्ट थैरेपी के माध्यम से उन्हें अपनी भावनात्मक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है।

पेरोल

सजायाफ्ता कैदियों को बीमारी, मृत्यु, विवाह, संपति विवाद, शिक्षा या अन्य कारणों से पेरोल पर छोड़ने की भी व्यवस्था है।

कैदियों को 30 मिनट की अवधि के लिए प्रति सप्ताह दो मुलाकात करने की अनुमति है। तिहाड़ जेल की टेलीफोन 28520202 पर जनता अपनी इंटरव्यू फोन पर भी रिकार्ड करवा सकती है।

कैदियों को अपनी शिकायतें, शिकायत पेटी या मोबाइल शिकायत पेटी में डालने की सुविधा है।

विभिन्न गैर सरकारी संगठन, अध्यापक, प्रोफेसर, मनोवैज्ञानिक, मनोविलेषक जेल परिसर में कैदियों के कल्याण के लिए निरंतर कार्यक्रम आयोजित करते आ रहे हैं। उन्हें विभिन्न भाषाएं सिखाने के लिए भी कक्षाएं चलाते आ रहे हैं।

महिला कैदियों के बच्चों के लिए क्रेच सुविधा भी है।

ज्यूडिशियल रिमांड के बढ़ाए जाने के लिए कोर्ट व जेल में विडियों कांफ्रेंसिंग की सुविधा है।

जेल में 150 बिस्तर वाला अस्पताल है और एक ऑपरेशन थिएटर भी है। सभी जेलों में 24 घंटे मेडिकल रूम खुला रहता है। सभी विशेषज्ञ डाक्टर, पेथलोजी, फिजियो थेरेपी यूनिट, नशा मुक्ति केंद्र (ड्रग एडीक्शन सेंटर) वार्ड भी है। बूढ़े व बीमार कैदियों के लिए विशेष उपचार व आहार की व्यवस्था की जाती है। एलोपैथी के अलावा आयुर्वेदिक व यूनानी चिकित्सा पद्धति से इलाज के लिए आयुष्य केंद्र भी हैं। जेल के डाक्टरों व एन.जी.ओ. द्वारा नियमित हेल्थ चेकअप केम्प आयोजित किए जाते हैं।

विचाराधीन बीमार कैदियों को जमानत दिलाने, उनके केसों को जल्दी निपटाने का अनुरोध भी कोर्ट से किया जाता है। कैदियों को स्पेशलिटी व सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में इलाज के लिए भेजा जाता है। महिला कैदियों के बच्चों के लिए पल्स पोलियो टीकाकरण की व्यवस्था की जाती है।

आसरा, इंडिया विजिन फाउंडेशन, एड्स अवेयरनेस ग्रुप और दिव्य ज्योति एन.जी.ओ. नशा मुक्ति केंद्र इनके पुनर्वास के कार्यों से जुड़ी हैं।

यू.एन.ओ.डी.सी.और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से तिहाड़ में दक्षिण पूर्व एशिया में किसी जेल में पहला ओपियाड सब्स्टीच्युशन ट्रीटमेंट, नाश लेने वालों के लिए शुरू किया गया है। यह सीरिंज के माध्यम से ड्रग्स लेने वालों में एच.आई.वी. से बचाव के लिए विशेष रूप से उनके उपचार के लिए है। यह प्रोजेक्ट 2008 से शुरू किया गया है।

तिहाड़ जेल में बंदी बना कर आए कैदियों में जो व्यक्ति नशाखोर होते हैं, उन्हें सीधा ही नशामुक्ति केंद्र में इलाज के लिए भर्ती किया जाता है।

वर्ष 2008 से ही तिहाड़ जेल में एच.आई.वी. पोजिटिव की जांच करने के लिए इंटीग्रेटिड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर (आइ.सी.टी.सी.) काम कर रहा है। इस केंद्र को एम्स के एंटी रेट्रोविरल थेरेपी से जोड़ा गया है, जहां एच.आई.वी. कैदियों का इलाज होता है।

31-12-2009 की स्थिति में तिहाड़ की महिला जेल में कुल 447 महिला कैदी थीं जिनमें से 364 विचाराधीन व 83 सजायाफ्ता कैदी थी। इसमें 41

विदेशी महिला कैदी भी थीं। महिला कैदी अपने छः वर्ष से कम उम्र के बच्चों को भी अपने साथ रख सकती है। इस जेल को आई.एस.ओ.- 900-2000 प्रमाणन, संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त हुआ। यह प्रमाणन महिला कैदियों के उपचार के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का पालन करने के लिए दिया जाता है।

महिला कैदियों के बच्चों को कपड़े, आहार, बेड, चिकित्सा सुविधा व शिक्षा प्रदान की जाती है। एन.जी.ओ. के सहयोग से क्रेच व नर्सरी की व्यवस्था है। 6 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को मां की सहमति से बोर्डिंग स्कूल में भर्ती करवाया जाता है।

'तिहाड़ कैदी फोन काल सिस्टम' शुरू किया गया है। सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों में यह रेखांकित करता आया है कि कैदी का उसके परिवार व समाज से संपर्क नहीं छूटना चाहिए। यह सुविधा उसी दिशा में एक पहल है। सप्ताह में एक बार पांच मिनट के लिए यह सुविधा इस्तेमाल की जा सकती है। कोई काल करने से पहले कैदी को फिंगर प्रिंट स्केनर पर अपने दाएं हाथ के अंगूठे को अपनी पहचान के लिए रखना होगा जिसे उसके रिकार्ड में रखे फिंगर प्रिंट से मिलाया जाएगा। सिस्टम में पहले से दर्ज दो टेलीफोन नंबरों में से किसी एक नंबर पर वह बात कर सकता है। इस बातचीत को पूरा रिकार्ड किया जाएगा ताकि सुविधा का दुरूपयोग न हो सके। आवश्यकता पड़ने पर रिकार्ड को देखा जा सकता है। यह सुविधा सदाचार वाले कैदियों को ही उपलब्ध होगी और यदि दुरूपयोग होगा तो सुविधा वापस ले ली जाएगी।

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश ने विजिटर बुक में दर्ज किया—तिहाड़ में बड़े विचार प्रयोग में लाए जाते हैं। पहले वीडियो कांफरेसिंग और अब टेलीफोन सुविधा यह स्थान जेल की बजाय घर की तरह है। अच्छे कार्यों के लिए बधाई!

तिहाड़ के कैदियों को नौकरी दे रहीं कंपनियां

तिहाड़ के कैदियों का जेल परिसर में ही साक्षात्कार और उन्हें नौकरी के लिए चुने जाने से उत्साहित जेल प्रशासन ने अगस्त 2011 में दूसरे दौर के साक्षात्कार और कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया। आमतौर पर यह

माना जाता है कि कैदियों को रिहा होने के बाद नौकरी नहीं मिलती है। साक्षात्कार में सफल अभ्यर्थियों को रिहा होने के बाद कंपनी में नौकरी मिल जाती है। इस अभियान के तहत फरवरी 2011 में भी जेल परिसर में विभिन्न कंपनियों ने कैदियों का साक्षात्कार लिया था। इनमें से 43 कैदियों को इसके तहत नौकरी मिली थी। नौ कंपनियों ने कैदियों को रिहा होने के बाद नौकरी देने पर सहमति जताई है। इनमें हल्दीराम, वेदांता समूह, जी.आई. पाइप्स, राडो सिक्युरिटी और सिबरा शामिल है। पेशेवर रूप से पात्रता पूरी करने वाले 80 कैदी साक्षात्कार में शामिल हुए। दस कंपनियों ने हाल में कुछ रिहा होने वाले कैदियों को वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति दी है। इनमें से कुछ को तो सालाना 5-6 लाख रुपए का पैकेज मिल रहा है। पहले चरण के तहत कई बड़ी कंपनियों मसलन अग्रवाल पैकर्स, जिंदल स्टील और लेक्स शूज ने कैदियों को नौकरी दी थी।

बिहार जेल विभाग

पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो नई दिल्ली की वर्ष 2008-09 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार जेल की इंडस्ट्री यूनिट की आय देश भर में दूसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र के जेल यूनिट का राजस्व रुपये 14.11 करोड था, जबकि बिहार का रुपये 10.87 करोड़ था। गत कुछ वर्षों से बिहार के जेल से आय सृजन से वृद्धि हुई है, क्योंकि उपलब्ध संसाधनों का सुनिश्चित उपयोग किया जा रहा है।

स्पेशल सेंट्रल जेल, भागलपुर में प्रिटिंग प्रेस और बेऊर सेंट्रल जेल पटना में बेकरी यूनिट शुरू किया। विभिन्न जेलों के इंडस्ट्री यूनिटों के आधुनिकीकरण का प्रयास किया जा रहा है। बक्सर, गए, भागलपुर, पटना और मुजफ्फरपुर जेलों के उत्पादों में विविधता और आय में वृद्धि हो रही है। मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल अपने चर्म उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। जेलों में कपड़े, कंबल, साबुन, फिनाइल व कारपेट जैसे उत्पाद बनाए जा रहे हैं।

महाराष्ट्र जेल विभाग

महाराष्ट्र में 08 सेंट्रल जेल, श्रेणी I - जिला जेल - 09, श्रेणी II जिला जेल - 15, श्रेणी III जिला जेल - 1, ओपन जेल, ओपन कालोनी (जेल)

बोर्स्टल स्कूल को मिला कर कुल 35 जेल हैं।

1959 में पुणे में जेल अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की गई थी जिसमें जेल अधिकारियों को सुधारात्मक प्रशासन और जेल प्रबंध से संबंधित विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाता है।

जेल मैनुअल के आधार पर ही कैदियों का वर्गीकरण किया जाता है। कैदियों के स्वास्थ्य के आधार पर ही उन्हें काम पर लगाया जाता है।

यरवदा सेंट्रल जेल में महिलाओं का पहला ओपन जेल शुरू किया। इसमें 38 सजायाफ्ता महिलाओं को रखा गए है। सामान्य जेलों में रहने वाली महिलाओं को केवल 7 दिन की पेरोल मिलती है, पर ओपन जेल में आजीवन कारावास काट रहे कैदियों को एक माह, 5 से 19 वर्षों की सजा काट रहे कैदियों को 20 दिन और 5 से 15 वर्ष की सजा काट रहे कैदियों को 15 दिन का पेरोल मिलता है।

महाराष्ट्र के राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने राज्य की विभिन्न जेलों का दौरा करने पर नासिक सेंट्रल जेल के दौरे के दौरान पाया कि वहां सिद्धदोष अपराधी बेकार बैठे थे। जेलर से पूछने पर यह पता चला कि वहां की वर्कशाप को इसलिए बंद कर दिया गए कि वह आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं थी।

उन्होंने गुजरात के साबरमती सेंट्रल जेल का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि वहां के कैदियों द्वारा बनाई जा रही भज्जियों की बिक्री से वे प्रतिदिन रुपये 50,000 कमा सकते हैं तो नासिक जेल वड़ा पाव बेच कर उनका अनुकरण कर सकता है।

आर्थर रोड जेल

वर्ष 2011 में यशवंत राव चह्वाण ओपन यूनिवर्सिटी की बी.ए. परीक्षा का एक परीक्षा केंद्र आर्थर रोड जेल भी था, जिसमें 25 विचाराधीन कैदी बी.ए. प्रथम वर्ष की परीक्षा में बैठे।

महानिरीक्षक जेल ने इस वर्ष के शुरू में जेल में स्कूल शुरू किया। 1993 मुंबई ब्लास्ट, 2006 और 2008 मालेगांव ब्लास्ट के विचाराधीन कैदी और निलंबित आई.पी.एस. अधिकारी वहां अन्य कैदियों को शिक्षित करने का काम कर रहे थे। मालेगांव ब्लास्ट मामले का आरोपी नक्रूर उल दुआ

वहां दस कैदियों को अरबी और उर्दू सिखा रहे थे। 175 कैदी यहां के विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों में भाग ले रहे थे। जेल प्राधिकारियों ने कैदियों की शिक्षा व्यवस्था का अनुप्रवर्तन करने के लिए चार सदस्यीय कमेटी बनाई है।

पंजाब सरकार

पंजाब के अमृतसर शहर के जेल के होस्टल नं. 1 को महिला वार्ड चिह्नित किया गया है। विभिन्न सरकारी संगठनों के सहयोग से महिला कैदियों के सशक्तिकरण के लिए कई परियोजनाएं शुरू की गई है। उन्हें बुनाई, साफ्ट टायज, सिलाई-कढ़ाई और एंब्राइडरी सिखाई जाती है। उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य की जानकारी भी दी जा रही है।

पंजाब सोशल वेलफेयर बोर्ड, गुरु नानक देव युनिवर्सिटी, अमृतसर, कृषि विज्ञान केंद्र, इंडिया विजन फाउंडेशन, रेड क्रास सोसाइटी व यू.एन.ओ.डी.सी. के सहयोग से महिला कैदियों के कल्याण की योजनाएं चलाई जा रही हैं।

गुरु नानक देव युनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट आफ एडल्ट कांटींयूइंग एंजूकेशन ने ड्रेस डिजाइनिंग में सर्टीफिकेट कोर्स शुरू किया है और वहां पूर्णकालिक अनुदेशक नियुक्त किया है।

स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र के होम साइंस विंग और इंडिया विजन सेंटर के सहयोग से मोमबत्ती बनाने, फूड प्रिजरवेशन, टाय मेकिंग, टाई एंड डाई, फेब्रिक पेटिंग, पाट पेंटिंग, होम क्राफ्ट की वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है।

जेलों में मां के साथ रह रहे तीन से 6 वर्ष की उम्र के बच्चों को सरकारी प्राथमिक स्कूलों में भर्ती करवाया जा रहा है। 6 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को सुनिश्चित शिक्षा देने की नैतिक जिम्मेवारी जेल प्राधिकारियों की है ताकि वह समाज के दूसरे बच्चों की बराबरी कर सकें। पंजाब में यह पहली बार हुआ है कि जेल में रह रहे बच्चे जेल से बाहर पढ़ने के लिए भेजे जाने शुरू किए गए। इंडिया विजन फाउंडेशन इन बच्चों को पाठ सामग्री व अन्य सहायता देती है। पंजाब सोशल वेलफेयर बोर्ड ने बच्चों के लिए क्रेश भी बनाई है।

यूनाइटेड नेशंस आफिस ड्रग्स एंड क्राइम (यू.एन. ओ.डी.सी.) एच.आई.वी./एड्स से बचाव के लिए नशा मुक्ति कार्यक्रम भी चला रही है। पंजाब रेड क्रास सोसाइटी भी ड्रग्स व एच.आई.वी. से बचाव के उपायों के प्रति जागरूकता फैला रही है। अमृतसर जेल अब सुधार गृह प्रशिक्षण व अनुसंधान केंद्र के रूप में उभरा है। सुधार प्रक्रिया के मूल में मानवाधिकारों का आदर सम्मान है।

यहां कैदियों को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है कि समाज में लौट कर वे जिम्मेवार नागरिक बना सकें।

जेल के शिक्षा केंद्र में समग्र साक्षरता अभियान शुरू कर अनपढ़ कैदियों को शिक्षित कैदियों की मदद से पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। जिन कैदियों को कानूनी जानकारी होती है, वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से गरीब कैदियों को रिहा कराने में अपना योगदान देते हैं। जेल का शिक्षा विभाग कैदियों के लिए कैदियों के द्वारा और कैदियों के सिद्धांत पर काम कर रहा है। इस सेंटर का प्रिंसिपल जो स्वयं भी कैदी है, एम.एस.सी. और पी.एच.डी. है। सेंटर के अन्य संकाय सदस्य भी शिक्षित कैदी हैं। सेंटर के पांच विभाग हैं। उच्च्य शिक्षा संकाय में बी.ए., एम.ए., एम.बी.ए. और अन्य पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की पढ़ाई करने वालों को सहयोग दिया जाता है तो कांटींयू एजुकेशन संकाय में दसवीं व बारहवीं की पढ़ाई करने वालों को आवश्यक मार्ग दर्शन और रिफ्रेशर कक्षाएं चलाई जाती हैं। भाषा केंद्र में पंजाबी, हिंदी व अंग्रेजी का ज्ञान दिया जाता है। कंप्यूटर प्रशिक्षण व समग्र साक्षरता अभियान सभी कैदियों को आत्मविश्वास की डगर की ओर ले जाने में कामयाब हो रहे हैं।

गुरू नानक देव युनिवर्सिटी ने कंप्यूटर बेसिक, इलेक्ट्रानिक व टी.वी. मेंटीनेंस व ड्रेस डिजाइनिंग, कटिंग व टेलरिंग (महिलाओं के लिए) पर निःशुल्क प्रशिक्षण जेल परिसर में ही देने के लिए अपना केंद्र स्थापित किया है। यह केंद्र देश में अपनी तरह का पहला केंद्र है। पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट, हरिद्वार के स्थानीय केंद्र की ओर से योग कक्षाएं चलाई जाती है।

पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के द्वारा वर्ष 2006 में अमृतसर जेल के डी.आई.जी. (जेल), कु. विजय प्रताप सिंह को जेल सुधार के प्रयासों के लिए आई.वी.एफ.ए. वार्ड 2006 दिया गए।

इग्नू की ओर से मानवाधिकार पर सर्टिफकेट कोर्स, गाइडेंस पर सर्टिफिकेट, पर्यावरण अध्ययन, फूड एंड न्यूट्रिशन, बेचलर प्रिप्रेटरी प्रोग्राम व एम.बी.ए. के लिए अपना विशेष स्टडी केंद्र जेल परिसर में शुरू किया है। इस केंद्र में कैदी व जेल कार्मिक दोनों लाभ उठा रहे हैं।

जेल परिसर में प्रति दिन योग कक्षाओं का संचालन और सांस्कृतिक व धार्मिक गतिविधियां भी दिन चर्या में शामिल हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, आर्ट आफ लिविंग, प्रजापिता ब्रम्हकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय और अन्य धार्मिक संस्थाएं नियमित कार्यक्रम करती हैं। संध्याकालीन खेलों में सभी कैदी बढ़चढ़ कर हिस्सा लेते हैं।

परिवार के सदस्यों से मुलाकात करने के लिए टेलीफोन, ई मेल व मुख्य द्वार पर अपना समय बुक कर सकते हैं।

अमृतसर जेल भारत का संभवतः पहला जेल है जहां साधारण कैदियों को भी लकड़ी के बेड दिए गए हैं। बैरकों और वार्डो को होस्टल में बदला गया है। जेल के मंदिर व गुरुद्वारे के पास सुझाव व शिकायत पेटी लगाई गई है। जेल में लाइब्रेरी भी है। खाने की गुणवत्ता व मात्रा में सुधार लाया गया है।

पंजाब में 7 सेंट्रल जेल—अमृतसर, पटियाला, भटिंडा, फिरोजपुर, गुरदासपुर, जालंधर और लुधियाना में हैं। नामा, संगरूर, फरीदकोट, कपूरथला, रूपनगर और होशियारपुर में 6 जिला जेल हैं।

नामा और कपूरथला में दो ओपन जेल हैं। लुधियाना में एक महिला जेल और बोर्स्टल जेल है। फाजिल्का, मोगा, मुक्तसर, पती, बरनाला, मलेरकोटला, फगवाड़ा, डसुआ और पठान कोट में उप-जेल हैं।

ओपन जेल, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

बिलासपुर के ओपन जेल में रहने वाले कैदी समाज से मेल-जोल रखते हैं। वे बाहर काम करने भी जाते हैं परंतु शाम को जेल में लौट आते हैं। एक भी कैदी कभी भी भागा नहीं और न ही दुबारा किसी अपराध में शामिल हुआ। ये कैदी शहर में प्राइवेट फर्मों में या फिर अपनी दुकानें चलाते हैं।

1960 में बिलासपुर के इस ओपन जेल की स्थापना की गई थी, इसका

उद्देश्य कैदियों में विश्वास भरना और उन्हें पर्याप्त स्वतंत्रता देना है। जेल सुधार का यह सशक्त उदाहरण है। कैदी सुबह 7. 15 बजे जेल से बाहर जाते हैं और शाम 6 बजे लौट आते हैं। कभी जरूरत पड़ने पर रात 8 बजे तक लौट ही आते हैं।

रविवार के अलावा साल में 42 दिन की वार्षिक छुट्टी भी परिवार के साथ बिताने के लिए मिलती है।

ऐसे कैदी जिनके भागने की संभावना कम हो, अहिंसक पूर्ववृत हो और यह सिद्ध हो चुका हो कि दुर्घटना हुई थी, को ओपन जेल में रखा जा सकता है। बलात्कारी, पाकेट मार, चोर व ठगों को ओपन जेल में नहीं रखा जा सकता। ऐसे हत्यारों को भी ओपन जेल में रखा जा सकता है जहां यह सिद्ध हो कि हत्या उस स्थिति विशेष में आवेश के कारण हुई थी।

बिलासपुर ओपन जेल के कुछ कैदी अपनी-अपनी दुकानें चला रहे हैं। कुछ टाइपिस्ट व क्लर्क के रूप में नौकरियां कर रहे हैं। कुछ पी.एच.डी. कर रहे हैं। बाकी जेलों से यह ओपन जेल इसलिए अलग है, क्योंकि यहां के कैदी बाहरी दुनिया में जाकर काम धंधा कर वापस लौट आते हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयास

नारी बंदी निकेतन जेल, लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास जेलों को सुधार गृहों में बदलना है। जेल में प्रयोग में लाई जा रही कुछ अच्छे व्यवहारों की कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। 'नया सवेरा एक पढ़ाए एक' के नारे के साथ साक्षरता कार्यक्रम, विभिन्न संस्थाओं के द्वारा नैतिक प्रवचन, खेलकूद, योग कक्षाएं, लाइब्रेरी, कंप्यूटर प्रशिक्षण, प्रत्येक जेल में कैंटीन सुविधाएं, बैरकों में टेलीविजन, जेल कार्य के लिए समान मजदूरी, महिला कैदियों के बच्चों के लिए क्रेश सुविधाएं, नियमित चिकित्सा जांच, माडल जेल के कैदियों को जेल परिसर के बाहर दुकानें चलाने व सरकारी कृषि फार्मो पर काम कर मजदूरी अर्जित करने की अनुमति है। यही नहीं शिकायत निवारण के लिए शिकायत पेटियां जगह-जगह रखी गई हैं।

जेल स्टाफ के लिए परिवाद निवारण प्रक्रिया, समय पर पदोन्नति, वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क सुविधा, मानवाधिकार व मानव व्यवहार पर जेल स्टाफ व कैदियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

इन उपायों से कैदियों की शिकायतों में कमी, कैदियों की आय में सुधार, जेल प्रशासन को व्यवस्थित रखने, कैदियों के व्यवहार में सुधार व जेल अनुशासन में अधिकतम सहयोग व मानवाधिकार आयोग को भेजी जाने वाली शिकायतों में व कैदियों के परस्पर लड़ाई-झगड़ों में कमी आई।

उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल सुधार की दिशा में काफी प्रयास किए हैं। जेल अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण स्कूल, कैदियों के लिए ओपन जेल, कैदियों की सेवाओं का उपयोग सिंचाई प्रोजेक्ट जैसे—बांध, नहर, पुल बनाने में किया जाता है। 1954 में नारी बंदी निकेतन की स्थापना की गई जहां विचाराधीन महिला कैदियों को जिला जेलों में रखा जाता है। तीन माह से अधिक समय से अधिक सजा प्राप्त महिला कैदियों को यहां अंतरित किया जाता है। इसके अलावा जिला जेलों में महिला कैदियों के लिए 54 अलग वार्ड हैं। फैजाबाद, लखनऊ और अलीगढ़ में महिला कैदियों का अलग जेल है। बैरकों के भीतर भी रात्रि में शौचालय सुविधाएं हैं।

महिला कैदियों को निर्धारित आहार दिया जाता है। गर्भवती महिलाओं व छोटे शिशुओं की मांओं को विशेष आहार दिया जाता है। चिकित्सा अधिकारी बीमारी आधार पर जरूरतमंद कैदियों को विशेष आहार की सिफारशि भी करता है। अस्पताल में 2 महिला डाक्टर व नर्स तो हैं ही, जिला अस्पताल से विशेषज्ञ डाक्टर को भी समय समय पर बुलाया जाता है। महिलाओं सहित सभी कैदियों के लिए लोक अदालतें जिला जेलों में लगाई जाती हैं।

गुजरात सेंट्रल जेल

गुजरात विद्यापीठ के द्वारा कैदियों को कंपेयरिंग व न्यूज रीडिंग कोर्स में प्रवेश देने के लिए सौ से अधिक विचाराधीन कैदियों व सजायाफ्ता कैदियों की स्वर परीक्षा जेल में जाकर ली गई स्वर परीक्षा में चुन लिए जाने के बाद उन्हें पंद्रह दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी जिसके बाद वे एनाउंसर, रेडियो जाकी या न्यूज रीडर बनाने के योग्य हो जाएंगे।

महिला कैदियों के लिए कंप्यूटर व ब्युटी कोर्स, साबरमती केंद्रीय जेल में शुरू किया गया है ताकि रिहा होने के बाद वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। जेल के व इंडस्ट्री विभाग के द्वारा यह कोर्स संचालित किया जा रहा

है। कंप्यूटर कोर्स के लिए कंप्यूटरों की खरीद की गई, वहीं ब्यूटी कोर्स के लिए शहर से विशेषज्ञ ब्युटीशियन को बुलाया जाता है। ये कोर्स निःशुल्क चलाए जाते हैं। कोई भी महिला कैदी इनमें प्रवेश पा सकती है।

इन व्यावहारिक कोर्सो का प्रशिक्षण देने का उद्देश्य यह है कि वे आत्मनिर्भर बनें व परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करें। हाथ में एक बार हुनर आने के बाद वे आपराधिक गतिविधियों में नहीं जुड़ेंगी, ऐसा विश्वास है।

इसके अलावा जेल में उन्हें सिलाई-कढ़ाई पहले से सिखाई जा रही है और उनके द्वारा बनाई जा रही अगरबत्तियां व्यावाहारिक आधार पर बेची जा रही हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार के उपाय

छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्रीय जेल के बाहर कैदियों के बच्चों के लिए आवासीय स्कूल के निर्माण के लिए रुपये 9 लाख की मंजूरी दी है। महिला कैदियों के बच्चे छः वर्ष की उम्र तक ही उनके साथ रह सकते हैं और इसके बाद उन्हें बाल आश्रमों में भेज दिया जाता है। इस स्कूल के बनाने के बाद वे यहीं होस्टलों में मां के नजदीक रह पाएंगे। इस स्कूल में पुरुष कैदियों के बच्चों को भी प्रवेश दिया जाएगा।

कैदियों को 94.3 माय एफ.एम. रेडियो की टीम के साथ एक क्रिकेट मैच खेलने का मौका दिया गया। इस मैच का उद्देश्य उन्हें तनाव प्रबंधन की शिक्षा देना था। मैच जीतने के बाद जेल प्रशासन ने उनकी जीत की खुशी में उनकी सजा एक सप्ताह कम करने की घोषणा की ।

रायपुर केंद्रीय जेल के कैदी पंडित रवि शंकर शुक्ला, युनिवर्सिटी के स्नातक डिग्री की परीक्षा जेल परिसर में ही देने लगे हैं। जेल के 28 कैदी अप्रैल 2011 में आयोजित परीक्षा में शामिल हुए।

इस वर्ष (2011) छत्तीसगढ़ सरकार ने 644 कैदियों को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जेलों से रिहा करने का निर्णय लिया है जिसमें 19 महिला कैदी भी हैं। आजीवन कारावास की सजा प्राप्त कर रहे 36 और 608 कैदियों को उनकी सजा से रियायत दी गई

तमिलनाडु सरकार प्रयास

महात्मा गांधी ने कहा था कि कैदी राज्य के आश्रित हैं न कि गुलाम। 1830 में तमिलनाडु में महिलाओं के लिए पहली प्रेसिडेंसी जेल वल्लोर में और दूसरी 1872 में मद्रास में बनाई गई तमिलनाडु के सभी जेल 150 वर्षों से अधिक पुरानी इमारतों में हैं। पुझल में 77 करोड़ की लागत से नई जेल बनाई गई। पुझल में ही महिला कैदियों के लिए विशेष जेल बनाई गई। जेलों में ध्यान केंद्र, पुनर्वास केंद्र, ओपन एयर थिएटर, जिम्नेजियम, कंप्यूटर ट्रेनिंग केंद्रों की व्यवस्था है।

1 अक्टूबर, 1982 से तमिलनाडु में सभी जेलों में कैदियों के भोजन में सुधार किया जा चुका है। स्वतंत्रता दिवस व पोंगल के अवसर पर भोजन में मिष्ठान की भी व्यवस्था होती है। सप्ताह में एक बार चिकन व मिष्ठान दिया जाता है। स्वैच्छिक संगठन भी विशेष अवसरों व दिन त्योहारों पर विशेष भोजन दे सकते हैं। महिला कैदियों के बच्चों को एक दिन छोड़ कर चिकन भी दिया जाता है।

सिद्धदोष कैदियों को मैनुअल में निर्धारित ढंग से वर्दी दी जाती है। रिमांड व विचाराधीन कैदियों को अपने वस्त्र पहनने की अनुमति होती है। यदि वे स्वयं अपने वस्त्रों की व्यवस्था नहीं कर पाते तो नियमानुसार सरकारी दरों पर उन्हें वस्त्र उपलब्ध करवाए जाते हैं।

औद्योगिक यूनिट जेल का सबसे बड़ा विभाग है, जिसमें सजा प्राप्त कैदियों को काम दिया जाता है और उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि रिहा होने के बाद वे उस हुनर से अपना जीविकोपार्जन कर सकें। हैंडलूम, बुनकर, टेलरिंग, बुक-बाइडिंग, पेंटिंग व स्पिनिंग यूनिट चलाए जा रहे हैं। वीविंग यूनिट में 101 पावरलूम हैं। तमिलनाडु पुलिस, कारागर और अग्नि शमन विभाग का यूनीफार्म आदि का कपड़ा यहीं तैयार किया जाता है।

जेल के भीतर ही 90 बेड वाला अस्पताल है। अस्पताल में सप्ताह में एक दिन मनोविलेषक, दो दिन दंत विशेषज्ञ आते हैं। रक्त आदि की जांच के लिए लेबोरेटरी भी है। दूसरे रोगों के विशेषज्ञ भी सप्ताह में एक एक दिन आते हैं।

कैदियों को अपने पास 3 से 4 पुस्तकें रखने की अनुमति है।

जेल के भीतर प्रौढ़ शिक्षा केंद्र व लाइब्रेरी भी है। कैदियों को इंदिरा गांधी नेशनल ओपन युनिवर्सिटी, मनोनियम सुंदरनार युनिवर्सिटी और भतृहरि युनिवर्सिटी के पत्राचार कोर्सो में प्रवेश लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जेल स्कूल में प्राथमिक शिक्षा भी दी जाती है। कंप्यूटर प्रशिक्षण कोर्स भी कराया जाता है।

कैरम और शतरंज के साथ-साथ जगह-जगह पर 29 इंच के कलर टी.वी. व रेडियो की भी व्यवस्था है। प्रोजेक्टर पर फिल्में भी दिखाई जाती हैं। टेनिस, बेडमिंटन और वालीबाल खेलने का स्थान है। परिसर में ही कैंटीन में खाने-पीने व प्रसाधन के सामान की बिक्री भी होती है।

वेल्लोर के महिला जेल में पहले आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु की महिला कैदियों को भी रखा जाता था परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद केवल तमिलनाडु की महिला कैदी ही यहां रखी जाती है।

डा. राधाबाई सुब्रारा, डा. (श्रीमती) रुक्मिणी लक्ष्मीपति, श्रीमती अमना राज जैसी राजनीतिक हस्तियां इस जेल में बंद रहीं।

देश की अपनी तरह की पहली कैदियों की अदालत की शुरुआत तमिलनाडु में की गई थी।

विभिन्न एन.जी.ओ. जैसे ईशा फाउंडेशन, सहज स्थिति योग कार्यक्रम, कोयब्टूर, विपश्यना मेडिटेशन मावुथन सेवा समिति, विप्री चेन्नै, डि एडीकेान सैंटर, प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, आर्ट आफ लिविंग के द्वारा योग व ध्यान शिविर नियमित चलाए जाते हैं।

* कैदियों में पढ़ने की आदत को लोकप्रिय बनाने के लिए तमिल व अंग्रेजी के समाचार-पत्र उपलब्ध कराए जाते हैं। सभी समाचार-पत्रों व पत्रिकाओं को सेंसर कर दिया जाता है। वे अपने खर्च से भी इनकी खरीद कर सकते हैं।
* कैदियों के मानवाधिकारों का भी ध्यान रखा जाता है, उन्हें रहने के लिए सुनिश्चित स्थान, हवादार स्थान, भोजन, पेयजल, बेहतर भोजन, मेडिकल और साफ-सफाई की सुविधाएं, मुलाकात व कायुनीकेशन सुविधाएं, मनोरंजन व निःशुल्क विधि सहायता दी जाती है।
* जेल स्टाफ को भी मानवाधिकारों के प्रति जागरूक करने का प्रशिक्षण

दिया जाता है। साधारण जेल के कैदियों के लिए श्रम अनिवार्य नहीं है जबकि सख्त सजा के कैदियों को श्रम करना अनिवार्य है। जेल में नियमों का उल्लंघन करने वाले कैदियों को सजा देने का प्रावधान भी है।

* कैदियों को बुनाई, टेक्सटाइल, लुहारगीरी, बूट बनाने, साबुन, स्पायरल बाइंडिंग, लेमिनेशन, बुक बाइंडिंग, रस्सी बुनने, फिनाइल, सीलिंग वेक्स, टैग, टैप बनाने, धागा बुनाई का प्रशिक्षण दिया जाता है। कुशल कैदियों को रुपये 60 की दर, अकुशल रुपये 45 और अर्धकुशल को रुपये 50 की दर से मजदूरी दी जाती है।
* प्लंबिंग, इलेक्ट्रानिक वायरिंग, साइनबोर्ड पेंटिंग, ईंट बनाने जैसे वोकेशनल प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं और प्रशिक्षण के बाद प्रमाण-पत्र भी दिए जाते हैं ताकि रिहाई के बाद इनके आधार पर काम मिल सके।
* स्क्रीन प्रिंटिंग, सरल केमिकल, फूड प्रोसेसिंग, प्लास्टिक फ्लावर मेकिंग, अगरबत्ती का प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

भारत का पहला प्रोबेशन आफ ओफेंडर एक्ट 1936 में मद्रास प्रोबेशन आफ आफेंडर एक्ट तमिलनाडु में बनाया गया था।

प्रोबेशन का अर्थ : कोर्ट द्वारा कुछ विशिष्ट शर्तों के तहत प्रोबेशन अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन चुने हुए अपराधियों को समुदाय में भेजा जाता है। यह सजा का स्थगन है परंतु माफी नहीं हैं। यह कैद का विकल्प है। इसे गैर संस्थागत उपचार भी कहते हैं। इससे जेलों में कैदियों की तादाद में कमी आती है।

* पुझल जेल कांपलेक्स में महात्मा गांधी कम्युनिटी कालेज भी शुरू किया जा चुका है
* मुलाकातियों से मिलने के लिए नए विजिटर रिसेपन केंद्र का भी निर्माण कराया गया।

जेल प्रकार : केंद्रीय जेल -9, महिलाओं के लिए विशेष जेल - 3, बोर्स्टल स्कूल -12, विशेष उप-जेल - 5 (पुरुष 2 महिला 3), ओपन जेल - 2।

1 जून, 2011 की स्थिति

वर्ग	पुरुष	महिला	कुल
प्राधिकृत स्थान	19,588	2,323	21,911
वास्तविक आबादी	12,755	761	1,349
वर्गवार आबादी			
सिद्ध दोष	4,835	159	4,994
विचाराधीन	1,989	40	2,029
रिमांड कैदी	5,517	557	6,074
टी.पी.डी.ए.	342	5	347
एन. एस.एस.	13	-	13
सी.ओ.एफ.ई.पी.ओ.एस.एस.	14	-	14
अन्य	23	-	23

वर्ष 2010-11 के लिए बजट : बजट अनुमान 128,562.16 लाख

वर्ष 2009-10 में कैदियों पर व्यय

भोजन	2,025.19 लाख
मेडिसन	43.75 लाख
वाहन प्रभार	0.44 लाख
अन्य शीर्ष व प्रभार	9,007.04 लाख

उद्योग २००९-१०

नियुक्त कैदियों की संख्या	1700
वर्ष के दौरान निर्मित उत्पादों का मूल्य	490.90 लाख
वर्ष के दौरान कैदियों को भुगतान की गई मजदूरी	221.62 लाख

विजिटर बोर्ड

प्रत्येक जेल में आधिकारिक व गैर आधिकारिक सदस्यों वाले विजिटर बोर्ड हैं, जिनकी नियुक्ति नियमानुसार की जाती है। विजिटर आवधिक दौरों के दौरान यह जानकारी लेते हैं कि कैदियों के साथ सुनिश्चित व्यवहार किया जा रहा है। प्रत्येक माह मुख्य और जिला सेशन जज के द्वारा

शिकायत पेटियों को खोला जाता है और शिकायतों पर कार्रवाई करवाई जाती है।

* मुख्य चिकित्सा अधिकारी, विधि सहायता काउंसिल और अन्य जेल अधिकारियों की उपस्थिति में पर्यवेक्षक सभी कैदियों की साप्ताहिक निरीक्षण परेड लेते हैं।
* उप महा निरीक्षक (जेल) कैदियों की शिकायतें सुनने के लिए अकस्मात् निरीक्षण करते हैं। वर्ष में एक बार अतिरिक्त महा निदेशक (जेल) सभी कैदियों, जेल स्टाफ से मुलाकात कर उनकी शिकायतें सुनते हैं। उप महा निदेशक, उप जेलों का तिमाही और वार्षिक निरीक्षण करते हैं।

राज्य सरकार का जेल विभाग जन साधारण को भी जेल व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए आमंत्रित भी करता है।

* जेल अदालत के अलावा विधि सहायता कक्ष भी जेल में उपलब्ध है, जो गरीब कैदियों को जमानत दिलाने व उनके मुकदमों में सलाह मशविरा देते हैं।

- तमिलनाडु में महिला कैदियों के लिए दो विशेष जेल विद्यमान हैं। अय्यर समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर विचाराधीन कैदियों को अलग रखा जाता है।
- महिला सिविल सहायक सर्जन की अध्यक्षता में औषधालय है।
- जिन उप-जेलों में महिला बंदियों को रखा जाता है उनको सरकारी अस्पतालों के डाक्टर देखने जाते हैं।
- आवश्यकता होने पर स्त्री रोगों की जांच की जाती है। उनकी प्रसव पूर्व व पश्चात् देखरेख की जाती है।
- संक्रामक रोगों से पीड़ित कैदियों को अलग वार्डो में रखा जाता है।
- चिकित्सा अधिकारियों की सिफारिश पर अतिरिक्त भोजन दिया जाता है।
- उन्हें मानक कपड़े दिए जाते हैं। चिकित्सा अधिकारियों की सिफारिश पर अतिरिक्त कपड़े, रूग्ण, वृद्ध या दुर्बल लोगों को दिए जाते हैं।
- प्रत्येक को नारियल तेल, नहाने का साबुन और कंघा दिए जाते हैं। प्रत्येक कोठरी में दर्पण लगाए जाते हैं। उन्हें सेनेटरी नैपकिन भी दिए

जाते हैं।

- उन्हें अपनी इच्छानुसार काम पर लगाया जाता है। उन्हें गैर सरकारी संगठनों के द्वारा अगरबत्ती, पेंटिंग, प्लास्टिक के फूल बनाने सिखाए जाते हैं।
- केवल हिंसक महिला बंदियों को हथकड़ी लगाई जाती है।
- जेल से रिहा कैदियों की सहायता की भी व्यवस्था की जा रही है।
- प्रति सप्ताह एक पत्र लिखने की अनुमति है।
- साक्षरता परियोजना, स्वास्थ्य शिक्षा, प्रसूति पूर्व व पश्चात् देखभाल और सामाजिक शिक्षा का प्रबंध किया जाता है।
- नैतिक शिक्षाप्रद पुस्तकें, शतरंज, कैरम व टी.वी. सेट की व्यवस्था है।
- विचाराधीन, सिद्धदोष युवतियां, वृद्ध, अभ्यस्त और गैर अभ्यस्त वेश्या तथा अन्यों को अलग रखा जाता है।

झारखंड राज्य सरकार के प्रयास

जून 2010 के अंत में राज्य सरकार ने राज्य का पहला ओपन जेल शुरू करने का निर्णय लिया है। इस ओपन जेल में उन उम्र कैदियों को रखा जाएगा जिनका आचरण अच्छा है। इस ओपन जेल में उन्हें अपने परिवारों के साथ रहने का अवसर देना है परंतु फिलहाल प्रत्येक को एक कमरा दिया जाएगा और उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा।

हजारी बाग केंद्रीय जेल के पीछे तीन करोड़ की लागत से 100 कमरों वाला यह जेल बनाया गया है। कैदियों को एक रूम, जिसके साथ किचन, बाथरूम और पानी-बिजली की व्यवस्था होगी। कैदी अपना खाना बना सकेंगे।

यहां शिफ्ट होने वाले कैदी प्रातः 8 बजे से सायं 6 बजे तक जेल से बाहर शहर में जा सकेंगे और जेल मैनुअल के अनुसार शाम 6 बजे जेल का गेट बंद होने के साथ उन्हें कैदी गणना के समय उपस्थित होना होगा।

इस ओपन जेल में अन्य केंद्रीय जेलों, रांची, डुमका, जमोदपुर, डाल्टनगंज और हजारी बाग के कैदियों की सूची महा निरीक्षक (जेल) से अनुमोदन के बाद कैदियों को शिफ्ट कर दिया जाएगा।

आंध्र प्रदेश सरकार

- आंध्र प्रदेश में दो महिला विशेष जेल विद्यमान हैं।
- महिला जेलों में पूर्णकालिक महिला चिकित्सा अधिकारी व नर्सिंग स्टाफ है।
- बीमार महिलाओं की पर्याप्त चिकित्सा देखभाल की जाती है।
- उन्हें पर्याप्त कपड़े व बिस्तर उपलब्ध कराए जाते हैं।
- आवश्यक सौंदर्य प्रसाधन (नारियल तेल, साबुन, कंघा) उपलब्ध कराए जाते हैं।
- उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है।
- उन्हें पत्र लिखने व संबंधियों से मुलाकात की अनुमति दी जाती है।
- पांच वर्ष तक के बच्चों को मां के साथ रहने दिया जाता है।
- समय से पूर्व रिहा किए गए कैदी जिला परिवीक्षा अधिकारी की देख-रेख में रखे जाते हैं।

वडोदरा जेल

- वडोदरा जेल की महिला कैदियों को फिक्की के सहयोग से इटालियन लेस बनाने की सुविधा की शुरुआत जुलाई 2011 में की गई लेस बनाने के लिए पचास महिला कैदियों को एंब्राइडरी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण स्फूर्ति संगठन के सहयोग से दिया जाएगा। तीन महीने के प्रशिक्षिण के बाद इस योजना को साबरमती जेल की महिला कैदियों के लिए भी शुरू किया जाएगा। वडोदरा में महिला कैदियों की संख्या काफी अधिक है। इस प्रशिक्षण के बाद वे इस आय अर्जक गतिविधि से लाभांवित होंगी।
- प्रशिक्षण के दौरान वे रुपये 4000/- तक प्रति माह कमा सकती हैं।
- वडोदरा जेल में लाइब्रेरी भी शुरू की गई है जहां कैदी पढ़ सकते हैं।

मध्य प्रदेश सरकार प्रयास

- महिला व पुरुषों के लिए अलग-अलग वार्डो की व्यवस्था है।
- स्वास्थ्य जांच नियमित आधार पर की जाती है।
- महिलाओं को जिला अस्पतालों में भेजा जाता है।

- गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को विशेष आहार दिया जाता है।
- सामान्य आहार के अलावा चिकित्सा विशेषज्ञ बीमार कैदियों के लिए आहार की सिफारिश करते हैं।
- मानक कपड़ों की व्यवस्था की जाती है। वृद्ध व बीमार महिलाओं को अतिरिक्त कपड़े दिए जाते हैं।
- बंदियों को हर सप्ताह साबुन, तेल, कंघा भी दिए जाते हैं।
- कैदियों द्वारा कमाई गई राशि का 50 प्रतिशत सामान्य निधि में व 50 प्रतिशत उनके प्रयोग के लिए आवश्यक वस्तुएं खरीदने पर खर्च किया जाता है।
- कैदियों को लकड़ी के खिलौने और गुड़िया बनाने जैसे कुटीर उद्योग का प्रशिक्षण दिया जाता है।
- अशिक्षितों को पढ़ने-लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- प्रत्येक जेल में शिकायत पेटी रखने के अनुदेश दिए गए हैं।

मध्य प्रदेश में 122 जेल हैं। इन जेलों की प्राधिकृत क्षमता 24103 है और कैदियों की वास्तविक संख्या 32668 है।

मध्य प्रदेश के 6 जेल 150 वर्ष पुराने, 23 जेल 100 वर्ष पुराने, 15 जेल 50 वर्ष पुराने और 79 जेल 50 से कम वर्ष पुराने हैं। कैदियों के लिए स्थान, स्वच्छता व पानी एक प्रमुख समस्या है।

वर्ष 2009-10 में रुपये 2051.37 लाख के अनुमोदित बजट में से रुपये 1794.31 लाख व्यय किए गए।

- जेलों के आधुनिकीकरण, कैदियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, जेल भवनों की मरम्मत आदि कार्य किए गए।
- वर्ष 2010-11 के लिए रुपये 1053.70 लाख के अनुमोदित बजट के समक्ष रुपये 2003.70 लाख खर्च किए जाने का अनुमान है।
- वर्ष 2011-12 के लिए रुपये 576 लाख का बजट प्रस्तावित है जिसमें रुपये 100 लाख कैदियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण, रुपये 450 लाख जेलों के रेनोवेशन और आधुनिकीकरण और रुपये 26 लाख परस्पेक्टिव प्लान के लिए निधारित किए गए हैं।

केरल सरकार के प्रयास

जेल अथवा सुधार गृहों में कैदियों को प्रशिक्षण आदि देकर पुनर्वास की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। यह भी महसूस किया जा रहा है कि अपराधियों को प्रोबेशन, पेरोल, प्रि-मेच्योर रिहाई जैसे गैर संस्थागत उपचार उपायों पर भी विचार किया जा रहा है।

प्रोबेशन एक गैर संस्थागत उपचार प्रक्रिया है जो अपराधी को सामाजिक पुनः समायोधन की सुविधा देती है। यह कैद का एक विकल्प है। यह विशेष रूप से चुने हुए अपराधियों को सजा की स्थगन देकर उसे प्रोबेशन अधिकारी के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में रखा जाता है।

प्रोबेशन की अवधि कोर्ट के द्वारा तय की जाती है। यह अपराधी को सजा देने का आधुनिक वैज्ञानिक उपाय है। इसके लिए व्यक्ति विशेष के व्यवहार का विशेष अध्ययन कर उसे सक्षम व प्रशिक्षित प्रोबेशन अधिकारी के पर्यवेक्षण में रखा जाता है।

प्रोबेशन का अंतिम उद्देश्य उसकी समाज में पुनःस्थापना है। कानून उसे उसकी सजा के साथ लगे लांछन को उसे स्वयं दूर करने में मदद करता है।

प्रोबेशन अधिकारी के पर्यवेक्षकीय कार्य में समाज को सुरक्षित करना और व्यक्ति को मदद देना है। प्रोबेशन अधिकारी प्रोबेशन को कानून का पालन करने वाले व्यक्ति बनाने में मदद करता है।

आफ्टर केयर सर्विस

सजा प्राप्त और अपराधियों के सामाजिक पुनर्वास की समस्या काफी गंभीर है। आफ्टर केयर योजना के द्वारा रिहाई के बाद उन्हें कुछ उद्योग, क्राफ्ट या छोटे उद्योग शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि वह आजीविका अर्जन कर सकें।

प्रति व्यक्ति दस हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है यदि यह राशि कम हो तो उसे किसी बैंक ऋण से जोड़ा जाता है।

केरल सरकार द्वारा गंभीर अपराधों के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए पुनर्वास निधि से उन्हें उपचार, आवास, फसलों के नष्ट हो जाने, शिक्षा, आय अर्जक गतिविधियों और बलात्कार पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति प्रदान करती है।

वर्ष 2009-10 के दौरान दस लाभार्थियों को रुपये 81,000 की राशि प्रदान की गई वर्ष 2002-03 से गरीब सिद्ध दोष कैदियों के परिवारों को आय अर्जक गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता देने की योजना शुरू की गई है। यह बैंक ऋण सहबद्ध योजना है। सरकार कुल प्रस्तावित परियोजना की 30 % सब्सिडी प्रदान करती है। 2002-03 से 2009-10 तक इस योजना के तहत 879 लाभार्थियों को लगभग रुपये 60 लाख की राशि की वित्तीय सहायता दी गई है।

जिन परिवारों की मुखिया महिला हों उनके बच्चों को शिक्षा सहायता और कैदियों के बच्चों को शिक्षा सहायता प्रदान करने की योजना है।

दसवीं तक पढ़ने वाले बच्चों के लिए प्रतिमाह रुपये 500 और 12वीं व उच्च्य शिक्षा ले रहे छात्रों को रुपये 1000 प्रतिमाह की राशि उन बच्चों को दी जाती है जिनकी मां या पिता दो वर्ष या अधिक समय से जेल में, गरीबी रेखा के नीचे के परिवार हैं और यह सहायता एक बारगी दी जाती है। जेल पर्यवेक्षक के माध्यम से जिला समाज कल्याण कार्यालयों में आवेदन किए जाते हैं।

आफ्टर केयर होम

14 से 21 वर्ष की उम्र की महिलाएं जिन्हें सुधार से रिहाई के बाद कोई रहने का स्थान नहीं होता उन्हें यहां आश्रय दिया जाता है और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि अपने पैरों पर खड़ी हो सकें।

पश्चिम बंगाल सरकार के प्रयास

वर्तमान समय में स्वयं सहायता समूहों की अवधारणा सभी क्षेत्रों की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन चुका है और इसने एक आंदोलन का रूप धारण कर लिया है। फिर जेल सुधार गृह इससे अछूते कैसे रह सकते हैं? सुधार गृहों में कैंटीन की सुविधाओं की कमी को दूर करने के लिए जेल अधिकारियों ने कैदियों के स्वयं सहायता समूह बना कर दूर करने का प्रयास किया। कैंटीन के लाभ से कैदी अपने परिवार के सदस्यों के लिए आय अर्जित कर सकते हैं।

अलीपुर केंद्रीय सुधार गृह में 13 जुलाई 2009 को पहली कैदियों द्वारा

चलाए जाने वाली कैंटीन शुरू की गई भारत में जेल इतिहास में 'नूतन जीवन' पहला स्वयं सहायता समूह एक नई शुरुआत है। राज्य के स्व रोजगार और स्वयं सहायता समूह विभाग ने इसके गठन में सभी प्रकार की सहायता की। कैदियों ने अपनी बचत के हिस्से एकत्र किए। यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया ने रुपये 30,000 ऋण प्रदान कर किसी सिद्ध दोष व्यक्तियों को ऋण की मंजूरी का पहला रिकार्ड बनाया। राज्य सरकार ने कैंटीन का निर्माण किया। सुबह से शाम तक कैदियों को जलपान की व्यवस्था कैदियों द्वारा शुरू हो गई

'दम दम सेंट्रल सुधार गृह में 24 जुलाई 2009 को 'दिशा' दूसरा स्वयं सहायता समूह बनाया गए।

'प्रेसिडेंसी सुधार गृह' में चार और एक 'मिदनापुर सेंट्रल सुधार गृह' में बनाए जा चुके हैं और वहां वर्मी कंपोस्ट उत्पादन और छतरी बनाने का काम शुरू किया जा रहा है

'प्रेसिडेंसी सुधार गृह' और 'अलीपुर महिला सुधार गृह' में महिला व बाल विकास विभाग और समाज कल्याण विभाग के दो केंद्र चलाए जा रहे हैं।

दम दम, मिदनापुर, जलपईगुडी, बेरहमपुर में चार प्रोजेक्ट, तीन जिलों (कृष्णानगर, बालेर घाट, कूच बिहार) एक महिला (पुरूलिया) और एक विशेष (सिलीगुड़ी) सुधार गृह में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए उनकी शिक्षा, टीकाकरण और विशेष पोषण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

कृत्रिम अंग

राज्य के सुधार गृहों में वर्ष 2008 में किसी दुर्घटना या बीमारी की वजह से जिनके हाथ-पैर या अन्य अंग खराब हो गए उनमें से 14 कैदियों को कृत्रिम अंग लगाए गए। सत्यम् सेवा केंद्र, कोलकत्ता के सहयोग से कृत्रिम अंग लगाने का कैंप चलाया गया।

सुधार गृह के विकलांग कैदियों को विकलांगता प्रमाण-पत्र दिलाने की व्यवस्था भी की गई कैदियों को सरकार के विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी भी दी गई

टेलीफोन बूथ सुविधा

कैदियों का जेल में बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं होता है। इस कारण उनका व्यवहार काफी असामान्य रहता है। जेलों में गलत तरीकों से मोबाइल फोन लाए जाते हैं। पूरे विश्व भर में कैदियों को इंटरव्यू की सुविधा पाने के लिए भ्रष्टाचार का सहारा लिया जा रहा है।

देश के नागरिक होने के नाते यह उनके अधिकार का हनन है। पश्चिम बंगाल सुधार गृह अधिनियम 1992 में यह प्रावधान किया गया कि प्रत्येक कैदी को नियमानुसार अपने परिवार व मित्रों से संप्रेषण करने का अधिकार दिया जाए तथापि परिवार से मिलने या पत्र लिखने के अलावा अन्य कोई सुविधा नहीं थी। कैदियों को अब टेलीफोन सुविधा दी जा रही है। वोडाफोन एस्सार ईस्ट लि. ने उनके लिए सिमलेस टेलीफोन सुविधा डिजाइन कर उपलब्ध करवाई गई।

इस टेलीफोन सुविधा की विशेषताएं -

- सुधार गृह ने वोडाफोन को इस प्रोजेक्ट के तहत कैदियों की सूची उपलब्ध करवाई
- वोडाफोन ने प्रत्येक कैदी के लिए यूनिक खाता बनाया और उसे वह आई.डी. व मोबाइल नंबर दिया।
- फोन के डाटाबेस में सुधार गृह में प्रवेश के समय कैदी के द्वारा दिए गए तीन विशेष नंबर उसमें दर्ज किए जाते हैं।
- टेलीफोन बूथ सुविधा से केवल आउटगोइंग काल हो सकती है।
- सभी काल को रिकार्ड कर प्राधिकारियों को समीक्षा के लिए उपलब्ध करवाए जाते हैं
- कैदी को प्रति सप्ताह पांच मिनट की दो काल (माह में कुल 8) करने की अनुमति होती है।
- राज्य के सुधारात्मक गृहों में महिला कैदियों की संख्या औसतन 8 से 10% रहती है। 6 वर्ष की कम उम्र के बच्चों को मां के साथ रहने की अनुमति होती है। जेल में बंद महिलाओं की सुरक्षा का पर्याप्त ध्यान रखा जाता है। राज्य में महिलाओं के लिए अलग से सुधारात्मक गृह के अलावा सभी जेलों में उनके लिए अलग स्थान

सुरक्षित रखा जाता है।

जेल की स्थितियों में सुधार के लिए सुझाव

जेलों में अत्यंत भीड़-भाड़

अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न अच्छी प्रक्रियाओं को सभी जेलों में कार्यान्वित कर स्थितियों को सुधारा जा सकता है।

हर जिले, हर शहर की जेल में निर्धारित क्षमता से अधिक कैदियों की संख्या से निजात पाने के लिए कुछ प्रयास न्याय व्यवस्था की ओर से किए जाने अपेक्षित हैं। जेलों में भीड़ के कारणों में प्रमुख कारण विचाराधीन कैदियों की समस्या है जिनकी वजह से स्थान की कमी, संसाधनों के आबंटन में कटौती और जेल स्टाफ पर अत्यधिक बोझ। इतना तो तय है कि यह न्याय प्रक्रिया के विलंब के कारण हैं। इसके लिए कुछ तात्कालिक व कुछ दीर्घकालिक उपाय किए जाने अपेक्षित हैं।

- प्रत्येक जेल में महिला कैदियों के लिए स्थान को बढ़ाया जाए।
- जेलों के आधुनिकीकरण के प्रयासों को गति प्रदान की जाए।
- जो जेल सुविधाएं पुरुष कैदियों को उपलब्ध हों वे महिला जेलों में भी उपलब्ध कराई जाएं।
- प्रत्येक जेल में अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था के लिए भवनों की मरम्मत, नए कंप्लेक्स बनाने व उनके आधुनिकीकरण को योजनाबद्ध ढंग से शुरू किया जाए।
- जेलों में बड़े हाल या बैरकों के स्थान पर कोठरियों की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- डोरमेट्री की व्यवस्था भी एक विकल्प हो सकता है, जहां कम स्थान पर अधिक बिस्तर लगाए जा सकते हैं।
- जेलों में दीवारों पर इस प्रकार के प्लास्टर लगाए जा सकते हैं जिन्हें आवधिक रूप से धोकर साफ किया जा सके। इस प्रकार कैदियों की स्वच्छता व साफ सफाई की स्थितियां सुनिश्चित की जा सकती हैं। दीवारों की स्वच्छता से कीट-पतंगों की कमी होने से बीमारियों का फैलाव कम होगा।
- इसी प्रकार, फर्श की मरम्मत इस प्रकार की टाइलों से की जाए

जिनकी स्वच्छता व सफाई आसानी से हो सके और जल्दी से खराब न हों।

- दीवारों व फर्श पर एक बार टाइलों के खर्च से आने वाले समय में पुताई के खर्चों से बचाव होगा।
- यह न भूला जाए कि जेल में कैदियों को मानवाधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। गर्मियों में पंखे व कूलर व सर्दियों में कोठरियों को सर्द हवाओं से बचाया जाए।
- कोठरियों के भीतर जगह-जगह प्लास्टिक बेग या कपड़े के बेगों को दीवारों पर कीलों के सहारे कैदी टांक कर रखते हैं। जिस जगह पर बरसों रहना है वहां कमरों में लाकरनुमा छोटी अलमारियों में उन्हें अपना सामान रखने की सुविधा दी जा सकती है। दीवार पर ही टांकने वाले ये लाकर अधिक स्थान नहीं घेरते। इनके प्रयोग से कोठरियां दिखने में थोड़ा बेहतर दिखेंगी।
- किचन में इलेक्ट्रिक चिमनियों और आटा गूंधने की मशीनें लगाई जा सकती हैं।
- किचन के प्रयोग के अन्य सामान को भी आधुनिक उपकरणों से बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए रोटियां रखने के लकड़ी के बाक्सों के स्थान दूसरे बाक्स हों जिन्हें धोया भी जा सके।
- एप्रेन व तौलियों की व्यवस्था हों।
- खाना बनाने के काम पर लगे सिद्ध दोषियों के ग्रुप को कुछ समय बाद दूसरे ग्रुप से बदला जाए ताकि दूसरे ग्रुप की सेवाएं भी ली जा सकें।
- प्रत्येक बैरक में एक ही शौचालय होता है जिसे रात को सभी कैदी प्रयोग करते हैं और पानी की व्यवस्था भी नहीं होती है। प्रत्येक बैरक में कम से कम तीन शौचालय हों और वहां पानी का छोटा टैंक भी हो। स्वच्छता तभी बनी रह सकती है यदि उसके लिए सुनिश्चित आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हों।
- बैरकों में ही नहीं बल्कि बाहर भी शौचालयों व बाथरूमों की संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए। जेलों की भीड़ की वजह से ये सुविधाएं कम पड़ती हैं।
- शौचालय व बाथरूमों को मरम्मत व नए बनाने की जरूरत लगभग

सभी जेलों में है।

- आधुनिक फ्लश सिस्टम, प्रत्येक इस्तेमाल के बाद फ्लश का प्रयोग, ड्रेनेज में कचरा न फेंकना जैसी अच्छी आदतें भी कैदियों में विकसित की जानी अपेक्षित हैं।

पोशाक

सिद्ध दोष कैदियों को सफेद पोशाक दी जाती है पर उन्हें भी सादा कपड़ों में घूमते देखा जा सकता है। जब विचाराधीन और सिद्ध दोष कैदी एक साथ रहते हों तो उनका अपनी पोशाक पहनना लाजिमी हो जाता है।

- दिन त्योहार के मौकों पर वे दूसरे कपड़े पहन सकती हैं।
- कैदियों के द्वारा दबी जुबान में यह बताया जाता है कि उन्हें अच्छे व साफ-सुथरे कपड़े पहनने के लिए हतोत्साहित किया जाता है।
- स्वच्छता बनाए रखने के लिए उन्हें अच्छी क्वालिटी के साबुन उपलब्ध कराने के अलावा सेनेटरी नैपकिन भी दिए जाने जरूरी है। सेनेटरी नेपकीन उपलब्ध न करा कर उनका मोटा कपड़ा देकर धोकर इस्तेमाल करने की घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। इस तरह के व्यवहार बंद किए जाने चाहिए।

बिस्तर

- बिस्तर पर बिछाने के लिए दो अतिरिक्त चादर व पिलो कवर दिए जाने चाहिए ताकि बिस्तरों की स्वच्छता बनाई रखी जा सके।
- छोटे बच्चों के लिए छोटे बेड उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

आहार व्यवस्था

- अधिकांश जेलों में चपाती बनाने का काम पुरुष कैदियों के द्वारा किया जाता है। यह काम महिला कैदियों द्वारा बेहतर ढंग से किया जा सकता है।
- *तिहाड़ जेल में कैदियों को खाना बनाने का प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षित को बुलाकर प्रशिक्षित किया गया था। ऐसी व्यवस्था सभी*

जेलों में की जा सकती है।

- महाराष्ट्र के औरंगाबाद जेल के कैदियों ने सप्ताह में दो बार मांसाहारी भोजन खाने के लिए कोर्ट की शरण ली थी जिसकी उन्हें अनुमति मिली। जबकि यह सुविधा उन्हें तीन वर्ष पहले भी थी। कैदियों को खाने-पीने की सुविधा के लिए कोर्ट कचहरी का दरवाजा क्यों खटकाना पड़े, यदि किसी राज्य की किसी जेल में यह सुविधा पहले से उपलब्ध हो तो उसका अनुकरण दूसरे राज्यों में भी स्वतः किया जा सकता है।
- बची हुई रोटियां दस पैसे के हिसाब से कैदियों को बेची जाती हैं जो ईंधन के रूप में काम आती हैं। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बचा हुआ खाना उसी रोज झुग्गी झोंपड़ियों में जरूरत मंद लोगों में बांटा जाए। रोटियों को ईधन के रूप में जला कर उनका अनादर नहीं किया जाना चाहिए।
- यही नहीं बची हुई रोटियों को नाश्ते में किसी डिश के रूप में उपयोग में लाया जाए न कि उन्हें जलाया जाए।
- प्रत्येक महिला कैदी भले ही वह शिशु को दूध पिलाती हो या मेनोपाज की उम्र में हो या बुजुर्ग, सभी को दिन में एक बार एक गिलास दूध उपलब्ध करवाया जाए। इससे दो फायदे होंगे, एक तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यह उनके लिए जरूरी है, दूसरे दूध में पानी मिला कर बेचने या अपने बच्चों के हिस्से के दूध को बेच कर अन्य सामान खरीदने जैसे प्रयासों पर रोक लग पाएगी।
- खाने में एक ही प्रकार की दालें व सब्जियां बनाने एवं सप्ताह में एक या दो दिन रोटी के बदले चावल आदि दिए जा सकते हैं। खाने में उन्हें सभी प्रकार के प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हों, इस दृष्टि से खाने को संतुलित बनाया जाए। एक साथ छः रोटियां देने के स्थान पर तीन बार भोजन देने के विकल्प पर गंभीरता से विचार किया जा सकता है।
- कैदियों को संतुलित आहार देने के लिए किसी आहार विशेषज्ञ की राय लेकर इसे सम्बोधित किया जा सकता है।

मनोरंजन सुविधाएं

- प्रत्येक जेल में महिला कैदियों की बढ़ती हुई संख्या के मद्दे नजर एक ही स्थान पर टी.वी. की बजाय दो तीन स्थानों पर टी.वी. की व्यवस्था की जा सकती है।
- रेडियो पर सुबह शाम भक्ति संगीत जैसे टेप या कर्णप्रिय संगीत की व्यवस्था की जा सकती है।
- कैदियों को थिएटर, पेंटिंग, मूर्तिकला जैसी कलाओं में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। वर्ष में एक बार उनके बनाए चित्रों की प्रदर्शनी लगाई जा सकती है। ऐसे चित्रों की बिक्री से हुई आय का एक अंश उस कैदी व शेष सभी के कल्याण के लिए उपयोग किया जा सकता है।

कौशल प्रशिक्षण

- जेल की सभी कैदियों को किसी न किसी प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाना अत्यावश्यक है। दिन भर बेकार बैठने से व्यक्ति के रूप में उनका नुकसान तो होता ही है बल्कि राष्ट्र के एक नागरिक होने के नाते उन्हें किसी न किसी उत्पादक कार्य के लिए तैयार करने अथवा उत्पादकता बढ़ाने में योगदान देने के लिए तैयार करने का दायित्व भी जेल प्राधिकारियों पर है।
- यदि विचाराधीन कैदियों को दूसरे कैदियों को शिक्षित करने, उन्हें दूसरों को कौशल सिखाने, छोटे बच्चों की देखभाल करने जैसे कार्यों से जोड़ा जाए तो जेलों के भीतर एक परिवार की भावना विकसित हो सकती है। भले ही जेल मैनुअल में विचाराधीन कैदियों से काम न लेने की व्यवस्था है पर यदि वे अपनी खुशी से करना चाहें तो उन्हें इस काम से जोड़ा जाना चाहिए।
- महाराष्ट्र की किसी जेल में सिद्ध दोष कैदियों के बेकार बैठे रहने पर टिप्पणी करते हुए अपने जेल दौरे के दौरान हाईकोर्ट के जज ने यह टिप्पणी की थी कि यदि अहमदाबाद जेल की महिला कैदी भुझिया बना कर बेच कर लाभ कमा सकती है तो वड़ा पाव बेचने का काम

यहां की जेल की महिलाएं क्यों नहीं कर सकतीं। खाने-पीने की वस्तुओं की बिक्री का बाजार हर शहर में उपलब्ध हो जाता है। किसी वस्तु का उत्पादन शुरू किया जाए यह जेल प्राधिकारियों व एन.जी.ओ. के सहयोग से तय किया जा सकता है।

- काम में व्यस्त कैदी परस्पर छोटे-बड़े झगड़ों में नहीं पड़ते हैं उनकी ऊर्जा और समय के रचनात्मक उपयोग करने से वे अपने व परिवार के सदस्यों के लिए कमा सकती हैं और कौशल सीखने से जेल से बाहर निकल कर उस कौशल से जीविकोपार्जन कर सकती हैं। इससे उनके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है।
- जेल प्राधिकारियों के लिए इस तथ्य पर विचार करना लाजिमी है कि भले ही विचाराधीन कैदियों को सजा नहीं हुई पर यदि मामले की सुनवाई समय पर हो जाती तो वे सिद्ध दोष कैदियों की भांति काम करने के लिए बाध्य होती। इस समय उन पर जेल के संसाधन तो व्यय हो रहे हैं पर मानव संसाधन व्यर्थ जा रहे हैं। मानव संसाधनों के रचनात्मक प्रयोग की दृष्टि से एक निश्चित अवधि जो छः महीने या एक साल हो सकती है, के बाद विचाराधीन कैदियों को भी किसी न किसी कार्य में नियोजित किया जाना चाहिए।
- जेल कैदियों को जीविकोपार्जन कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिसमें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अथवा स्थानीय कारीगरी जैसे पंजाब में स्वेटर बुनाई, क्रोशिया कढ़ाई तो लखनऊ में चिकन वर्क, महाराष्ट्र में लिज्जत पापड़, वड़ा पाव, गुजरात में भुझिया आदि बनाने, अचार, जेम, जैली, चटनी, एंब्राइडरी फ्लावर मेकिंग, दरी मेकिंग जैसे कौशलों का विकास व इन्हें बड़े पैमाने पर शुरू करने के लिए उनके स्वयं सहायता समूह बना कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास किए जा सकते हैं।
- कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के समय इस प्रकार निर्धारित हों कि अधिक से अधिक सहभागी उनमें शामिल हों।

शिक्षा व साक्षरता

अपराध की दुनिया में आने वाली अधिकांश महिलाओं की

पारिवारिक पृष्ठभूमि यह दर्शाती है कि वे अनपढ़ हैं या कम पढ़ी-लिखी होती हैं। शिक्षा वह आधार है जो व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़े होने के लायक बनाती है तो दूसरी और गलत तरीकों से रुपया पैसा न कमाने की समझ भी देती है। इसलिए जेलों में उन्हें शिक्षित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। ओपन स्कूलों व युनिवर्सिटी में पाठ्याक्रमों में प्रवेश दिलाया जाना चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था एन.जी.ओ. के माध्यम से की जानी चाहिए। उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए लाइब्रेरी में नई व प्रेरक पुस्तकों की व्यवस्था, समाचार-पत्र व पत्रिकाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

चिकित्सा सुविधाएं

महिला कैदियों के लिए उनकी विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनकी नियमित चिकित्सा जांच की जानी जरूरी है। इतना तो तय है कि महिलाएं आदतन अपराधी नहीं होती हैं। अधिकांशतः हादसों व परिस्थितियों का शिकार होकर वे अपराध करती हैं। जेल में आने के बाद परिवार से दूर होने का गम व बच्चों की चिंता उन्हें सताती है। ये सारे हालात उन्हें मानसिक तनाव देते हैं और वे डिप्रेशन शिकार होती है। डाक्टर व जेल प्राधिकारियों के अनुसार जेल में प्रवेश के कुछ दिनों बाद तक वे काफी तनावग्रस्त रहती हैं व बड़ी उम्र की महिलाएं मेनोपाज के कारण भी डिप्रेशन का शिकार होती है। डिप्रेशन से निपटने के लिए सिर्फ दवाएं ही नहीं काउंसलर की जरूरत होती है। महिला काउंसलरों को नियुक्त करने की अत्यंत आवश्यकता है। काउंसलर प्रत्येक कैदी की केस हिस्ट्री का अध्ययन कर, उनके व्यवहार का अध्ययन कर उनमें सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रयास कर सकती है।

पुनर्वास

- कैदियों के पुनर्वास के उपायों को योजनाबद्ध ढंग से कार्यान्वित करना अपेक्षित है तभी उनके दुबारा जेल में आने के कारणों का रोका जा सकता है।
- अधिकांश अनपढ़ व गरीब महिलाएं छोटे अपराधों की वजह से सालों

जेल में सिर्फ इसलिए बंद रह जाती हैं कि कभी वे अपनी जमानत नहीं जुटा पातीं तो कभी उसके परिवार वाले उन्हें लेने नहीं पहुंचते। ऐसी स्थिति में पुनर्वास के लिए एन.जी.ओ. को ऐसी महिलाओं के लिए अल्पाश्रय गृहों की व्यवस्था कर उन्हें जीविकोपार्जन गतिविधियों में लगाना चाहिए।

- जहां एक ओर परिवार के लोग उन्हें लेने नहीं आते वहीं कइयों को परिवार, जेल के लांछन की वजह से परिवार में स्वीकार नहीं करते और उनका कोई नजदीकी रिश्तेदार नहीं होता, जहां वे जा सकें। ऐसी निःसहाय महिलाओं को सरकारी अथवा गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित गृहों में भेजने की व्यवस्था जेल प्राधिकारियों को करनी चाहिए अन्यथा मजबूरी में वे फिर से कोई अपराध कर सकती हैं। कम से कम जेल में दो वक्त का खाना और सिर पर छत तो होती है।
- सिविल सोसाइटी की भूमिका को और अधिक कारगार व सशक्त करने की आवश्यकता है। विभिन्न अध्ययन रिपोर्टों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये सिफारिशें की गई है कि जेलों की भीड़ को कम करने की दृष्टि से विचाराधीन कैदियों को जेलों में रखने के स्थान पर समुदाय आधारित पुनर्वास पर विचार किया जाना चाहिए। पहली बार अपराध करने वाली अपराधियों को पुनर्वास केंद्रों पर रख कर सजा के इन विकल्पों के माध्यम से सजा देने पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है। अपराध करने वाली महिला यदि परिवार की कमाई करने वाली अकेली है और उस पर बच्चों की जिम्मेंवारी है तो उसको किस प्रकार सजा दी जाए जिससे कानून का पालन भी हो और उसकी अनुपस्थिति में पीछे छूट गए परिवार के सदस्य या बच्चों को भी मां का सहारा मिल सकें।
- गरीबी, भुखमरी के कारण अपराध की ओर मुड़ जाए ऐसा न होने पाए, इसलिए सजा के विकल्पों पर विचार किया जाए।
- अच्छे आचरण रखने वाले कैदियों को खुले जेलों में रखा जाता है। जहां वे दिन भर बाहर नौकरी व दुकान आदि संभालने के बाद शाम को लौट आते हैं और विभिन्न जेलों के अनुभव ये बताते हैं कि कोई

भी कैदी कभी भागा नहीं है। कैदियों को ऐसे खुले जेलों के विकल्प की ओर मोड़ना जरूरी है। कैदी जेल व्यवस्था पर केवल बोझ न बनें, ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए।

जेल स्टाफ का प्रबंधन

- जेल में कैदियों की बेइंतहां भीड़ के प्रबंधन का इंतजाम जेल स्टाफ को करना होता है। जेल स्टाफ की कमी एक सामान्य समस्या है। जेल स्टाफ को अपराधियों के बीच रहकर, उन्हें कोर्ट कचहरी भेजना, कैदियों को उनके परिवार सदस्यों से मुलाकात कराने जैसी कई ड्यूटी निभानी होती है। उनके काम के घंटे लंबे होते हैं।
- विभिन्न जेलों में स्वीकृत पदों की तुलना में स्टाफ की कमी, उनके लिए पदोन्नति के कम अवसर व स्थानांतरण के नाम एक जेल से दूसरी जेल में बिना किसी अपराध के उम्र भर खूंखार अपराधियों के बीच रहने की नियति होती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इनकी ड्यूटी अन्य नौकरियों की तुलना में काफी सख्त होती है। जेल स्टाफ की थोड़ी सी लापरवाही से पूरी जेल व्यवस्था पर प्रश्न चिह्न लग जाते है। जेल में कैदियों की परस्पर लड़ाई, कैदियों का जेल स्टाफ पर आक्रमण या दीवार तोड़ कर भाग जाने जैसे सभी कारणों की जिम्मेवारी उन पर होती है।
- एक लंबे अर्से से यह आवाज उठाई जा रही है कि जहां अपनी ड्यूटी पर लापरवाही करने वालों को दंडित किया जाना चाहिए वहीं जेल प्रशासन में सुधार लाने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के लिए व उनसे प्रेरणा प्राप्त करने के लिए उन्हें पुरस्कृत करने वे मीडिया के सामने लाना चाहिए। *उदाहरण के तौर पर तिहाड़ जेल में सामूहिक बीमा योजना जेल के उप महा निरीक्षक जयदेव सारंगी के नाम से 'सारंगी योजना' शुरू की गई थी। उन्होंने स्टाफ सदस्यों के लिए रिस्क इंश्यारेंस बीमा योजना शुरू करवाई थी।* जिसमें प्रत्येक स्टाफ को 7 रुपए मासिक का भुगतान करके बीमा के रूप में एक लाख रुपए मिल सकते हैं। किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक लाभ मिलेगा।

श्री सारंगी ने एक दूसरी योजना तिहाड़ एंप्लायज वेलफेयर एसोसिएशन का गठन किया जो स्टाफ के कल्याण के लिए काम करती थी। ऐसे ही स्टाफ व जेल प्रशासन में सुधार लाने वाले अधिकारियों के अनुभवों से विशेषकर *डा. किरण बेदी के द्वारा जेल को सुधार आश्रम में बदलने के लिए किए गए उपायों को सभी जेल अपनी स्थानीय जरूरतों के अनुसार कुछ परिवर्तन कर अनुकरण कर सकते हैं।*

- वैसे देखा जाए तो आज देश की अधिकांश जेलों में योग, विपयना, आर्ट आफ लिविंग, कैदियों के लिए कल्याण शेष, याचिका पेटियां, उन्हें विधिक सहायता देने के लिए एन.जी.ओ. के सहयोग जैसे कई कल्याण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आवश्यकता है कि इन प्रयासों को और अधिक कारगर बनाया जाए।
- जेल स्टाफ को प्रोत्साहित करने के उपाय बेहद जरूरी है।
- जेल स्टाफ के लिए नियमित प्रशिक्षण भी जरूरी है। उनको महिला संबंधी मामलों पर जागरूक करना, अपराधियों से निपटने के लिए उनके मनोविज्ञान को समझने, उनकी काउंसलिंग, न्याय प्रक्रिया में आने वाले बदलावों, अन्य देशों में प्रयोग में लाई जा रही सर्वोत्तम प्रक्रियाओं की समय-समय पर उन्हें जानकारी दी जाती रहनी चाहिए ताकि वे स्थानीय जरूरतों के अनुसार उनका उपयोग कर सकें व अपने काम को ड्यूटी का बोझ नहीं बल्कि समाज सुधारक की भूमिका के रूप में उसे निभाएं।
- विभिन्न अध्ययन रिपोर्टों में जेल स्टाफ को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न सुझाव दिए जाते रहे हैं जिसमें प्रमुखतः उनके लिए होस्टल की व्यवस्था, आवास व्यवस्था, प्रशिक्षण, मनोरंजन सुविधाएं, वेतनमानों में संशोधन, तनाव मुक्ति के उपायों, उन्हें कैदियों के उपचार के लिए उनके नवोन्मेषी सुझावों को प्रोत्साहित करने के उपाय शामिल हैं।
- जेल स्टाफ को अपनी ड्यूटी निभाने में कई प्रकार के सहायक स्टाफ की भी जरूरत होती है जिसमें काउंसलर, कल्याण अधिकारी, विधिक अधिकारी व चिकित्सा अधिकारियों का सहयोग भी अपेक्षित

होता है।

विचाराधीन मामलों का तुरंत निपटान

- आमतौर पर किसी भी केस की सुनवाई और फैसला आने में बरसों लग जाते हैं। जिस मामले की सजा दो या तीन बरस हो उसका निर्णय आने में पांच छः वर्ष बीत चुके होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी निर्दोष को बिना अपराध किए ही विचाराधीन कैदी के रूप में सालों जेल में रहना पड़ जाता है। निरपराधी के जेल में बीते उन बरसों को कोई कानून नहीं लौटा पाता और न ही उसके मानसिक अवसाद व लांछना पर कोई मरहम काम आता है। अतः यह अत्यंत जरूरी है कि किसी भी मामले की सुनवाई प्रक्रिया तेजी से हो ताकि किसी निरपराधी को बिना वजह अपने जीवन के अनमोल वर्ष जेलों में न बिताने पड़े और वहां से छूट जाने के बाद बाहरी जिंदगी से तालमेल न बैठा पाए।
- हमारी न्याय प्रक्रिया के कर्णधारों को यह अनुभव करना होगा कि महिला, परिवार की धुरी होती है। उसके जेल जीवन की छाया उसके बच्चों व पूरे परिवार पर पड़ती है। कभी बच्चों को मां के साथ बिना किसी कसूर के, अपराधियों के बीच में अपना बचपन खोना पड़ता है तो कभी मां के बिना अकेले दुनिया का सामना करने का सामर्थ न होने की वजह से स्वयं अपराधी बन जाते हैं। अपराधवृत्ति का यह चाव न बनने पाए इसलिए महिलाओं को सजा देने के तौर तरीकों में बदलाव करना होगा। महिलाओं की प्रकृति और उनकी बच्चों के प्रति जिम्मेवारी को केंद्र में रख कर ही उन्हें सजा देने का प्रकार व अवधि को तय करना चाहिए।
- छोटे अपराधों का निपटान शीघ्र किया जाना चाहिए।
- जेल परिसर में अदालतें नियमित रूप से आयोजित करके ही छोटे अपराधों का निपटान संभव है। इससे विचाराधीन कैदियों की संख्या में कमी आएगी। आज के समय की मांग है कि किसी अपराध की सजा के लिए उसे जेल की चारदीवारी में बंद रखने के बजाय उसके विकल्पों पर विचार किया जाए। किसी अपराधी की सजा सिर्फ उसे

जेल में बंद करने से नहीं हो जाती। उसे अपने कृत्य का प्रायश्चित करने के लिए समुदाय सेवा के विकल्पों पर गहन चिंतन, मंथन की आवश्यकता है।

- खुली जेल प्रणाली को और अधिक विस्तारित करने की आवश्यकता है। इसमें सार्वजनिक निजी सहभागिता व एन.जी.ओ. के सहयोग से खुली जेलों के प्रबंधन में समाज का सहयोग बहुत जरूरी है।

अपराधी प्रवृत्ति के कारणों की पहचान व रोकथाम

मानव व अपराध का चोली दामन का साथ सदियों से रहा है। मानव कभी दमित इच्छाएं तो कभी असफलताओं से घबरा कर या क्रोध वा अपराध कर बैठता है। कोई महिला अपराध क्यों करती है और उसे अपराध की दुनिया से कैसे बचाया जाए, यह निरंतर अनुसंधान का विषय है।

बचपन से ही नीति कथाओं के माध्यम से बुरे कार्यों के लिए प्रभु सजा देते हैं, की दंत कथाएं हम सुनते आए हैं। पाप के यानी बुरे कार्यों को करने से रोकने के लिए साम, दाम, भय, दंड की व्यवस्था रही है।

हमारे देश का जेल मैनुअल 1896 में तैयार किया गया था और उसमें समय-समय पर संशोधन भी किए गए परंतु बरसों पुरानी इस पत्थर की स्लेट के स्थान लेपटाप की नोटबुक का स्थान लेने का वक्त आ चुका हैं। वैश्वीकरण के कारण अपराधों के स्वरूप बदल चुके हैं। मानवाधिकारों की आवाज पहले से अधिक मुखर हो चुकी है। ऐसे में एक सदी पुराने जेल कानूनों को दुबारा लिखने की जरूरत है।

एक प्रसिद्ध अपराध शास्त्री कानल ने वर्ष 1990 में कहा था कि प्रयोग के तौर पर पांच वर्षों की अवधि के लिए महिलाओं के लिए कैद की सजा को हटा दिया जाए और केवल गंभीर अपराधों के लिए जेल की सजा दी जाए। उनके लिए पुनर्वास उपाय किए जाए ताकि वे दुबारा अपराध की दुनिया में न लौट पाएं। उन्हें जेलों में नहीं, समुदाय व्यवस्था के भीतर सजा दे। पुरुषों की तुलना में वे इस प्रकार की सजा को स्वीकार करने में सक्षम होती है।

समुदाय आधारित सजा में कैदियों को उनकी सजा की अवधि के

आधार पर कम से कम 40 घंटों से लेकर 300 घंटों तक के बिना मजदूरी के श्रम दान करने, किसी निर्धारित समय अथवा स्थान पर कोर्ट द्वारा निर्धारित व्यक्ति के समक्ष स्वयं प्रस्तुत होना व किसी निर्धारित अवधि तक कोई विशिष्ट गतिविधि करने के लिए नियोजित करना, उसके किसी विशिष्ट स्थान पर जाने पर प्रतिबंध लगाना उसे प्रोबेशन अधिकारी के निकट संपर्क में रहना, किसी स्कूल, किसी कालेज या किसी एन.जी.ओ. के साथ निर्धारित घंटों तक अपनी सेवाएं देने जैसी सजा के विकल्पों पर विचार किया जा सकता है।

सजा का उद्देश्य व्यक्ति को स्व. अनुशासन में रहकर अपने सामाजिक दायित्वों को निभाने के लिए कृत संकल्प करवाना है।

सामुदायिक सजा के कई लाभ होंगे। सामुदायिक सजा में कई अन्य विकल्प जोड़े जा सकते हैं और उन्हें महिलाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला भी जा सकता है। इस प्रकार की सजा से राज्य पर खर्च का बोझ भी कम पड़ता है और अपराधी को अपना व्यवहार सुधारने में मदद भी मिलती है। विदेशों में सामुदायिक सजा को प्रयोग में लाया जा रहा है और इसे मितव्यई पर प्रभावी पाया गया है। सामुदायिक सजा का उद्देश्य गरीबी और उन कारणों को दूर करना है जिनकी वजह से कोई स्त्री अपराधी बनती है।

विदेश में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो नशा व मादक पदार्थों का सेवन करने की वजह से सजा भुगत रही महिलाओं व उनके बच्चों को, कोर्ट के आदेश से या जेल से रिहाई के बाद, उन्हें आवासीय सुरक्षा देती हैं। इन केंद्रों में उन्हें फिर से समाज की मुख्यधारा में लौटने के लिए अपने पैरों पर खड़ा करने की मदद व हौसला दिया जाता है।

समाज गैर हिंसक अपराधों के लिए महिलाओं को जेलों में भेजने के पक्ष में नहीं होता है और न ही गैर हिंसक अपराध करने वाली छोटे बच्चों की मांओं को जेल में बंद करना चाहिए व जेल के विकल्पों पर विचार करना चाहिए।

गैर अभिरक्षीय दंड के रूप में जुर्माना लगा कर छोड़ दिया जा सकता है यह विवाद का विषय है। जेलों में बंद महिलाओं की आर्थिक स्थिति का यदि आकलन किया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश महिलाएं

लालच की वजह से नहीं जरूरत की वजह से अपराध करती हैं। इस कारण वे जुर्माने की राशि भर नहीं सकती हैं। जेल में बंद महिलाओं की कहानियां यह दर्शाती हैं कि जमानत की राशि जुटा न पाने के कारण बरसों जेल में ही रहने को विवश होती हैं।

लोक अदालत

विवादों के निपटान के लिए लोक अदालतों की क्रूर व्यवस्था है। सभी प्रकार के विवाद लोक अदालतों के माध्यम से सुलझाए जा सकते हैं लोक अदालतों के निर्णय कोर्ट की के समान संवैधानिक आधार रखती है। सभी जिलों में लोक अदालतों की व्यवस्था की गई है।

- देश की सभी अदालतों में उपलब्ध विधिक सहायता काउंसिल योजना जो अभिरक्षा में लोगों को समय पर और निःशुल्क सहायता के लिए उपलब्ध है, के प्रति रेडियो, टी.वी. जैसे माध्यमों से प्रचारित व प्रसारित किया जाना चाहिए।
- जेल में भी उन्हें इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- दूर-दराज के इलाकों में भी लोगों को कानूनी अधिकारों की जानकारी देने के लिए विधिक सहायता कैंपों का आयोजन किया जाना चाहिए।
- अपराधियों के उपचार व अपराधों की रोकथाम में जन सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए समाज को जागरूक करना चाहिए। इसके साथ ही जेलों पर प्रस्तावित राष्ट्रीय आयोग में समाज के सभी वर्गों के इच्छुक लोगों को शामिल कर उन्हें सुधारात्मक क्षेत्र में काम करने के लिए जोड़ना होगा। जेल व सुधारात्मक सेवा विभाग के द्वारा राज्य, जिला और उप मंडल स्तरों पर स्वैच्छिक कार्यकर्त्ताओं और एजेंसियों के रूप में जोड़ने व उनके काम की पहचान करनी होगी।
- स्वैच्छिक कार्यकर्त्ताओं की पहचान में सतर्कता बरतनी होगी।
- प्रत्येक जेल में नान आफिशियल विजिटर बोर्ड की सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि जेल प्रशासन के सुधारात्मक कार्यों में उनका सहयोग मिल सके।

- आफिशियल विजिटर में उस जिले के कमिश्नर, पुलिस, महानिरीक्षक, निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, जिला और सेशन जज शामिल होते हैं। आफिशियल और नान आफिशियल विजिटरों के द्वारा जेल के निरीक्षण के दौरान मुख्यतः निम्नलिखित तथ्यों की जानकारी प्राप्त करनी अपेक्षित होती है ताकि स्थितियों में सुधार हो सके।

भवन की जानकारी

क्या भवन सुरक्षित है? क्या उसकी मरम्मत, पुताई आदि की जरूरत है? अपनी टिप्पणियों में विजिटर संबंधित विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जानी चाहिए का स्पष्ट सुझाव दे सकते हैं।

जेलों में निर्धारित क्षमता से अधिक कैदी

- यदि जेलों में अत्यधिक भीड़ है तो कैदियों की सुरक्षा के क्या उपाय किए जा रहे हैं। जेलों में अत्यधिक लोगों को भेजे जाने के कारणों में सी. पी.सी. की धारा 151, 107 और 116 के तहत बंदी बनाया जाना है। बंदियों को प्रोबेशन, पेरोल और अस्थाई रिहाई के मामलों में विलंब होने के कारण भीड़ बढ़ती रहती है।
- जेल की ड्रेनेज व्यवस्था, पानी की आपूर्ति, कुंओं की साफ-सफाई, भोजन, सब्जियों का वजन व गुणवत्ता, खाने को ढंग से पकाए जाने, सभी कैदियों के लिए सही राशन उपलब्ध होने, तेल व मसाले आदि की उपलब्धता के बारे में विजिटर अपनी रिपोर्ट देते हैं और उनमें सुधार की गुंजाइशों पर सुझाव देते हैं।
- कैदियों को दी जाने वाले पोशाक, उनको बिस्तर, कंबल आदि की आपूर्ति, क्या बिस्तरों को धूप में सुखाया जाता है, क्या कैदियों को नियमित नहाने की सुविधा मिलती है पर भी सुझाव दिए जाते हैं।
- विजिटर जेल में कैदियों से करवाए जाने वाले कार्य, उनके द्वारा किए गए कार्य की जांच और प्रत्येक कैदी के द्वारा किए गए कार्य का रिकार्ड रखा जाता है। उन्हें छूट अवधि दी जाती है, क्या जेल के भीतर कैदियों को दंड दिया जाता है? जेल में अनुशासन व्यवस्था

सही है? क्या आदतन अपराधियों को रात्रि में अलग रखा जाता है, क्या दिन में भी उन्हें अलग रखा जाता है, क्या जेल में कुछ ऐसे भी विचाराधीन कैदी हैं जो काफी लंबे समय से बंद हैं? क्या मानसिक रोगियों को जरूरत से अधिक समय के लिए तो जेल में बंद नहीं रखा गया? मानसिक विक्षिप्त अपराधियों की क्या स्थिति है? क्या महिला कैदियों को पुरुष कैदियों से अलग रखा गए है? किशोर कैदियों को क्या वयस्क कैदियों से अलग रखा गए है? क्या जेल में आपूर्ति की जा रही सब्जियां जेल गार्डन में उगाई जा रही है? यदि नहीं तो क्या ऐसा संभव है।

- यदि जेल में डाक्टर ड्यूटी पर नियमित रूप से उपस्थित न हो रहे हों तो इसकी जानकारी भी प्रशासन के ध्यान में लाए।
- विजिटर को अपने जेल दौरों के सभी नोट उसी समय रिकार्ड करने चाहिए व समस्याओं की पहचान कर उनके समाधानों के सुझाव दे।
- जेल मैनुअल में 29 मदों की सूची दी गई जिन पर विजिटर को अपनी टिप्पणी देनी अपेक्षित होती है। एक विजिटर के लिए सभी मदों पर टिप्पणी करनी संभव नहीं होती। विजिटर ग्रुप परस्पर उनकी मदें विभक्त कर 5-7 मदों पर विस्तृत टिप्पणी दे सकते हैं। उन्हें प्रत्येक विजिट के संबंध में तारीख-वार अपनी टिप्पणियां इंगित करनी चाहिए।
- विजिटर को अपने विजिट के दौरान यदि ज्ञात होता है कि कुछ कैदियों ने जमानती अपराध किए हैं तो उन्हें बिना प्रतिभूति के निजी मुचलके पर रिहा करने के लिए सेशन जज को सिफारिश कर सकता है।
- ऐसे कैदी जिन्होंने छोटे अपराध किए हैं और वे उन्हें मानने को तैयार है तो जेल अदालतों में उनके केसों की सुनवाई करवाई जाए, इसमें वह मदद कर सकता है।
- वीडियो कान्फरेंसिंग के माध्यम से जेल परिसर से ही मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी शिकायत रखने में कैदी समर्थ हो पा रहे हैं। पहले अक्सर एस्कार्ट के अभाव में उन्हें कोर्ट ले जाना संभव नहीं होता था, लेकिन अब इससे यह समस्या सुलझ गई।

- समाज के जागरूक नागरिकों को चाहिए कि जेलों में बंद कैदियों को सिर्फ अपराधी न मानें, उन्हें समाज में लौटा लाने के लिए अपने प्रयासों की एक पहल के रूप में कालेजों के छात्र जहां एन.एस.एस. के तहत उन्हें शिक्षित करने के प्रयास करें तो जो व्यक्ति धन से उनकी सहायता कर सकते हैं व आयकर अधिनियम की धारा 80-जी के तहत दान कर सकते हैं। धन के रूप में नहीं तो वस्तुओं का दान दिया जा सकता है। किसी एक व्यक्ति को दान देने के स्थान पर जेल प्रबंधन को स्थितियों में सुधार के लिए दीर्घावधि सहायता करें। उदाहरण के तौर पर बैरकों व किचन में पंखे व एग्जास्ट फेन लगवाने, शौचालय ब्लाकों को सुधारने, गरीब कैदियों को जमानत दिलाने, महिला कैदियों को रिहाई के बाद पुनर्वास करने, कैदियों के बच्चों को शिक्षित करने के लिए किसी आवासी स्कूल में उसके प्रवेश, उसकी पढ़ाई को स्पांसर करने, उनके लिए छात्रवृत्तियां, किसी बच्चे की पढ़ाई व अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए उसे गोद लेने जैसे उपायों से जेल प्रशासन का सहयोग किया जा सकता है।
- समाचार-पत्रों में अक्सर ये खबरें छपती रहती हैं कि छोटे-छोटे अपराधों के लिए बरसों जेल में बंद रखा गया। आज के सूचना प्राप्ति के अधिकार के युग में सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को समय समय पर ऐसे अभागे व्यक्तियों की सुध लेने के लिए सूचना प्राप्ति के इस अधिकार का प्रयोग कर सूचनाएं प्राप्त करनी चाहिए और मानवाधिकार आयोग व अन्य संगठनों को ऐसे व्यक्तियों के लिए कुछ विशेष प्रयास करने के लिए सूचित करना चाहिए। जेल प्रशासन भी जब ऐसे व्यक्तियों की सूचियां तैयार करेंगे तो उन्हें जेल से रिहा कराने के अपने प्रयासों को गति प्रदान कर सकेंगे।
- *समय-समय पर समाचार-पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, टी.वी. के माध्यम से लोगों से यह अपील की जा सकती है कि वे अपनी पुरानी पुस्तकें व पत्र-पत्रिकाएं दान करें ताकि जेलों की लाइब्रेरियों से पुस्तकें उपलब्ध हो पाए।*
- कुछ राष्ट्र स्तरीय प्रशिक्षण संस्थाओं को जेल में आकर कैदियों के लिए जीविकोपार्जन के लिए उपयोगी प्रशिक्षण देने चाहिए।

- कारपोरेट वर्ग अपनी सामाजिक जिम्मेवारी के तहत अपने उद्योगों की एक यूनिट जेलों में वहां के कैदियों की मदद से शुरू कर सकती है।
- *गत दो वर्षों से तिहाड़ जेल में कुछ बड़ी कंपनियां कैंपस सिलेकशन कर कैदियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा रही हैं। ऐसी पहल अन्य राज्यों में अन्य कंपनियां भी कर सकती है।*
- किसी राज्य की जेल में शुरू किए गए नए प्रयासों को मीडिया के माध्यम से प्रचारित व प्रसारित किया जाना चाहिए ताकि दूसरे उससे प्रेरणा ग्रहण कर सकें।

अय्यर समिति ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी कि भारतीय दंड न्याय प्रणाली महिला अपराधियों के प्रति एक तरह से भारतीय समाज में आमतौर पर दिखाई जाने वाली उदासीनता का परिचायक है यदि भारतीय दंड संहिता और सजा देने की प्रक्रियाओं में कतिपय परिवर्तन करने से उन्हें अनावश्यक रूप से और बेवजह हिरासत में रखने से बचाया जा सकता है। हिरासत में कम संख्या की वजह से वे उनके साथ होने वाले अन्यायों के प्रति कम आवाज उठा पाती हैं। *न्यायमूर्ति अय्यर ने यह भी सिफारिश की थी कि राष्ट्रीय महिला हिरासत न्याय नीति तथा राष्ट्रीय महिला हिरासत न्याय प्राधिकरण नामक एक संवैधानिक स्वायत्त निकाय की स्थापना की जाए जो संसद में प्रस्तुत की जाने वाली एक वार्षिक स्थिति रिपोर्ट तैयार करने के लिए जिम्मेवार होगा। समिति ने यह भी सिफारिश की कि विशेष अदालतों की स्थापना की जाए जो महिलाओं को अलग और शीघ्र न्याय दिला सकें। उन्होंने चलते-फिरते न्याय कैंपों के रूप में नारी बंदीगृह अदालतें लगाने की सिफारिश भी की थी।*

- जेलों में शिक्षा जागरूकता की कमी व व्यावसायिक कुशलता की कमी है। सरकार व राज्य सरकारें उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दे रही हैं।
- जहां तक शिक्षा के अवसरों का संबंध है, ओपन विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रमों में उन्हें प्रवेश दिलाया जा सकता है। महिला तथा बाल विकास विभाग की कार्यकुशलता विकास प्रशिक्षण परियोजनाएं हैं जिनके लिए गैर सरकारी संगठनों को मंजूरी दी जाती है। यह

एन.जी.ओ. के लिए अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए कि इस सहायता को लेने वाले प्रत्येक संगठन इनमें किसी एक बचाव गृह, आश्रम गृह में एक कार्यक्रम चलाएं।

- अलग-अलग अपराधों के तहत पकड़ी गई महिलाओं को अलग-अलग रखने के मामलों बार-बार उठाया जाता रहा है। महिला कैदियों के लिए विभिन्न श्रेणियों के गृहों की व्यवस्था जरूरी है।
- गिरफ्तार व्यक्तियों व कैदियों के अधिकारों को प्रत्येक थाने पर सहज दृश्य स्थान पर अधिसूचित किया जाए। जन साधारण की सूचना के लिए उसे रेडियो व टी.वी. के माध्यम से व स्थानीय भाषाओं में पर्चे वितरित किए जाने चाहिए। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकारों के विषय में जागरूकता उत्पन्न करने से अभिरक्षा के दौरान किए जाने वाले अपराधों का सामना करने की दिशा में सार्थक कदम होगा बल्कि पुलिस की कार्रवाई में पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी।
- संविधान के अनुच्छेद 22 (1) और 22 (2) द्वारा किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारण से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना बंदी बना कर नहीं रखा जा सकता, उसे अपनी रुचि के वकील से परामर्श करने तथा उससे अपने पक्ष की सफाई दिलवाने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा, उसे गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर नजदीक के मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। उसे न्यायालय की आज्ञा के बिना 24 घंटे से अधिक हिरासत में नहीं रखा जाएगा।
- यह अधिकार वस्तुतः आम नागरिक के अधिकार हैं जिसकी जानकारी सभी को होनी जरूरी है, क्योंकि कभी भी कोई गिरफ्तार हो सकता है या किसी का नजदीकी व्यक्ति गिरफ्तार हो सकता है इसलिए सभी को इसकी जानकारी हो, इस अनुच्छेद को मीडिया में प्रचारित-प्रसारित किया जाना चाहिए।
- दंड का मूल उद्देश्य अपराधियों का सुधार करना है और ऐसे व्यक्ति को रास्ते पर लाना है जो रास्ता भटक गए हैं। अपराधी को मात्र जेल की सलाखों के पीछे रख कर उसे सजा तो दी जा सकती

है पर उसे सुधारा नहीं जा सकता इसलिए जो अपराधी भावनाओं के आवेश में या परिस्थितियों के दबाव में आकर कोई अपराध करते हैं, उन्हें प्रायश्चित करने का अवसर देना चाहिए।

- इसके लिए दंड का एक उद्देश्य यह भी है कि इससे क्षतिग्रस्त व्यक्ति को संतोष मिलने में मदद मिलती है। अक्सर किसी ऐतिहासिक निर्णय के बाद कई बार यह महसूस होता है कि मृतक आत्मा के साथ इंसाफ नहीं हुआ था उसे इंसाफ मिल गए। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो एक और व्यक्ति बदला लेने का प्रयास करेगा और कानून व्यवस्था पर से उसका विश्वास उठ सकता है।
- वर्षों तक आजीवन कारावास की सजा लोग भुगत रहे हैं। किसी हत्या के जुर्म की सजा माना कि आजीवन कारावास मिलनी चाहिए पर उससे उस परिवार को कहां इंसाफ मिला जिसका इकलौता बेटा या कमाई का स्त्रोत उस कारण दुनिया से कूच कर गए। क्या 'दुश्मन' फिल्म के नायक की तरह ऐसे अपराधियों को उस परिवार की परवरिश करने के लिए जेल प्रशासन द्वारा चलाए जाने वाले किसी उद्योग या फैक्टरी में काम पर लगा कर उसकी आय के एक बड़े हिस्से को उस परिवार व एक हिस्सा उसके परिवार को नहीं भेजा जाना चाहिए ताकि दोनों परिवारों को जिंदगी जीने के लिए आर्थिक साधन उपलब्ध हों अन्यथा नए अपराधी इन्हीं परिवारों से बना जाएंगे। आजीवन कारावास काट रहा व्यक्ति भी निरंतर काम में व्यस्त हो पाएगा।
- दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले में शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति को 17 दिन की जेल के स्थान पर दो महीने छतरपुर मंदिर में जाकर भक्तों की सेवा करने की सजा सुनाई गई अदालत का मानना था कि जेल जीवन पहली बार के अपराधियों को निष्ठुर बना देता है। हमारा मकसद उन्हें कानून पालन करने वाला नागरिक बनाना है। सजा से उसके व्यवहार में सुधार हो, यही असली सजा है। जेलों में रखकर उन्हें बेकार बैठाए रखने के स्थान पर इस प्रकार के विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। पुलिस विभाग मीडिया के माध्यम से ऐसे विकल्पों की तलाश के लिए जन जागृति ला सकता

है। ऐसे कई उद्योग धंधे, शिक्षण, प्रशिक्षण संस्थान चलाए जा सकते हैं जहां कैदियों द्वारा काम किया जाए। जेल में बेकार बैठाए रख कर सुबह शाम खाना खिलाने व मात्र उनकी उपस्थिति दर्ज करने के स्थान पर उन्हें सकारात्मक कार्यों में जोड़ा जा सकता है।

- विस्थापन, भीख मांगने या अवारागर्दी के कारण से जेलों में बंद व्यक्तियों को उपयुक्त संस्थाओं और समुदाय सेवाओं में भेजकर सजा दी जा सकती है।

तालिका- 1

वर्ष 2008 के दौरान राज्य/संघ शासित प्रदेशवार उपलब्ध व्यावसायिक प्रशिक्षण

क्र.सं.	व्यावसायिक प्रशिक्षण के टाइप	राज्य/संघ शासित प्रदेश जहां ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं
1	कृषि	गोवा, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, सिक्किम एवं त्रिपुरा।
2	केनिंग	असम, हरियाणा, मध्य प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।
3	बढ़ईगीरी	आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, ओड़िया, पंजाब, सिक्किम, पश्चिम बंगाल तथा दिल्ली।
4	हथकरघा	असम, हरियाणा, झारखंड तथा मिजोरम।
5	साबुन व फिनाइल बनाना	आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओड़िसा, पंजाब तथा पश्चिम बंगाल।
6	टेलरिंग	आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसढ़ , गोवा,

		गुजरात, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओड़िया, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, अंडमन और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पांडिचेरी।
7	बुनाई	आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओड़िसा, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा दिल्ली।
8	अन्य	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़ , गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओड़िया, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमन और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पांडिचेरी।

तालिका -२

वर्ष 2008 के दौरान कैदियों द्वारा तैयार उत्पाद के राज्यवार मूल्य

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	कैदियों की आबादी	वस्तुओं की बिक्री/कमाई का कुल मूल्य (रु.लाख में)	प्रति कैदी उत्पादित वस्तुओं का मूल्य (रु. में)
1	आंध्र प्रदेश	14080	293.8	2085.6
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-
3	असम	8742	8.1	92.7
4	बिहार	37709	1087.4	2883.7
5	छत्तीसगढ़	11230	167.1	1488.0
6	गोवा	403	1.3	322.6
7	गुजरात	12279	658.2	5360.4
8	हरियाणा	14049	44.0	313.2
9	हिमाचल प्रदेश	1468	17.5	1192.1
10	जम्मू व कश्मीर	2310	12.7	549.8
11	झारखंड	18403	188.5	1024.3
12	कर्नाटक	13538	13- ।4	963.2
13	केरल	6732	65.3	970.0
14	मध्य प्रदेश	34755	11- ।5	317.9
15	महाराष्ट्र	25831	1411.0	5462.4
16	मणिपुर	465	-	-
17	मेघालय	619	0.1	15.2
18	मिजोरम	790	0.5	63.3
19	नगालैंड	619	-	-
20	ओड़िसा	14373	43.4	302.0
21	पंजाब	16115	241.0	1495.5
22	राजस्थान	15520	79.7	513.5
23	सिक्किम	260	4.1	1575.9

24	तमिलनाडु	16204	360.2	222.9
25	त्रिपुरा	1278	5.6	438.2
26	उत्तर प्रदेश	80809	1000.3	1237.9
27	उत्तराखंड	3234	80.1	2475.8
28	पश्चिम बंगाल	20230	57.9	285.2
	कुल (राज्य)	372045	6068.7	1631.2
29	ए. व एन. महाद्वीप	221	2.0	905.0
30	चंडीगढ़	526	7.11	349.8
31	डी. व एन. हवेली	46	-	-
32	दमन एवं दियु	43	-	-
33	दिल्ली	11553	627.1	5428.0
34	लक्ष्यद्वीप	19	-	-
35	पांडिचेरी	300	-	-
	कुल (संघ शासित प्रदेश)	12708	635.2	5005.3
	कुल (पूरे भारत में)	384753	6704.9	1742.7

* जेल नहीं है।

तालिका -३३१ दिसंबर २००८ की स्थिति में महिला जेल अधिकारिया स्टाफ की स्थिति

कम सं।	राज्य/संघ शासित प्रदेश	अधिकारी			जेल कैडर स्टाफ			कोरेक्शनल स्टाफ			
	डीआईजी/	डीजी/ स।डीजी /आई.जी सं अधीक्षक अधीक्षक	उप एपी/ उप जेलर/ स।जेलर/	अन्य अधिकारी	हेड वार्डर्स/हेड मेंटरन	वार्डर व मेंटरन कारी	अन्य जेल कैडर स्टाफ कियाट्-अधिकारी	प्रोबेशन अधिकारी /कल्याण एआईजी/ रिस्ट	साइको-लाजिस्ट /साई-	साशियल वर्कर व अन्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
	आंध्र प्रदेश	0	7	0	12	52	0	0	0	0	
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	असम	0	8	0	9	94	0	0	0	0	
4	बिहार	1	2	0	1	105	0	8	0	0	
5	छत्तीसगढ़।	0	4	0	2	80	4	1	0	10	
6	गोवा	0	0	0	0	3	0	0	0	0	
7	गुजरात	0	1	0	0	13	0	0	0	0	
8	हरियाणा	1	2	0	0	83	0	0	0	0	
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	2	17	0	0	0	0	

10	जम्मू व कमीर	1	1	0	3	47	0	1	0	0
11	झारखंड	3	1	2	0	63	2	0	0	0
12	कर्नाटक	0	6	0	13	147	0	0	1	0
13	केरल	1	1	0	14	14	0	1	0	10
14	मध्य प्रदेश	3	10	1	3	126	0	0	0	0
15	महाराष्ट्र	1	6	1	7	52	0	1	1	0
16	मणिपुर	0	1	0	1	16	0	0	0	0
17	मेघालय	0	1	0	0	14	0	0	0	0
18	मिजोरम	0	0	0	2	17	0	0	0	0
19	नागालैंड	0	3	0	2	65	0	0	0	1
20	ओड़िया	0	6	3	1	83	3	5	0	2
21	पंजाब	0	3	0	10	49	0	0	0	0
22	राजस्थान	2	9	0	1	75	0	0	0	1
23	सिक्किम	0	1	0	0	4	2	0	0	0
24	तमिलनाडु	2	5	0	41	176	0	7	0	0
25	त्रिपुरा	0	1	0	5	17	0	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	2	2	0	50	185	0	1	0	0
27	उत्तराखंड	0	0	0	2	10	1	0	0	0

28	पश्चिम बंगाल	2	6	0	1	60	0	8	0	0
	कुल (राज्य)	19	87	7	182	867	12	33	2	24
29	ए.व एन.महाद्वीप		0	0	0	1	0	0	0	0
30	चंडीगढ	0	0	0	0	4	0	0	0	0
31	डी व एन.हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	दमन एवं दियु	0	0	0	0	1	0	0	0	0
33	दिल्ली	1	15	0	17	67	0	1	0	0
34	लक्ष्यद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	पांडिचेरी	0	0	0	0	6	0	0	0	0
	कुल (संघ शासित प्रदेश)	1	15	0	18	87	0	1	0	0
	कुल (पूरे भारत में)	20	102	7	200	1954	12	34	2	24

जेल नहीं है

तालिका -४

कम सं।	राज्य/संघ शासित प्रदेश	मेडिकल स्टाफ				मंत्रालय के स्टाफ		अन्य	कुल
		रेसिडेंट मेंडिकल मेंडिकल अधिकारी	फार्मासिस्ट अधिकारी/	लेब टेक्नीशियन/ अटेंडंट	अन्य लेब	अधिकारी गैर स्टाफ	गजेटेड		
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20
1	आंध्र प्रदेश	2	0	0	4	2	46	0	125
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	0	-	-	-	-
3	असम	3	-	0	6	0	10	5	135
4	बिहार	1	-	0	0	0	10	42	170
5	छत्तीसगढ़	1	4	0	0	0	3	0	109
6	गोवा	0	0	0	0	0	0	2	5
7	गुजरात	0	0	0	0	1	9	2	26
8	हरियाणा	4	0	0	0	0	11	0	101
9	हिमाचल प्रदेश	0	1	0	0	0	5	1	26

10	जम्मू एंड कश्मीर	0	1	1	1	0	10	14	80
11	झारखंड	2	0	0	0	0	0	2	75
12	कर्नाटक	3	0	0	0	0	38	31	239
13	केरल	0	1	0	1	3	2	30	68
14	मध्य प्रदेश	0	3	1	4	1	20	10	192
15	महाराष्ट्र	2	0	1	0	1	43	7	123
16	मणिपुर	3	2	0	12	1	12	17	65
17	मेघालय	0	0	0	2	0	8	3	28
18	मिजोरम	1	0	0	2	1	6	10	39
19	नागालैंड	2	1	0	0	2	22	28	126
20	ओड़िसा	0	3	0	0	1	7	5	119
21	पंजाब	0	0	0	0	2	0	20	84
22	राजस्थान	1	0	0	2	0	2	12	105
23	सिक्किम	0	0	0	0	0	2	0	9
24	तमिलनाडु	4	2	0	0	3	14	0	254
25	त्रिपुरा	0	1	4	0	0	13	0	41
26	उत्तर प्रदेश	1	6	0	3	1	55	110	416
27	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	13

28	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	1	5	6	289
	कुल (राज्य)	30	25	7	37	20	353	357	3062
29	ए.व एन.महाद्वीप	0	0	0	2	0	0	0	12
30	चंडीगढ।	0	0	0	0	0	1	0	5
31	डी व एन.हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0
32	दमन एवं दियु	0	0	0		0	0	0	1
33	दिल्ली	10	1	1	28	1	9	38	189
34	लक्ष्यद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
35	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	6
	कुल (संघ शासित प्रदेश)	10	1	1	30	1	10	38	213
	कुल (पूरे भारत में)	40	26	8	67	21	363	395	3275

तालिका - ५

वर्ष २००८-०९ के दौरान राज्य/संघ शासित प्रदेश वार कुल बजट व वास्तविक व्यय

क्रम सं।	राज्य/संघ	प्लान	कुल वार्षिक बजट		वास्तविक व्यय		अन्य एंजेसियों द्वारा उपलब्ध कराई गई	कुल (कालम 6/7/8)
		गैर-प्लान	कुल	प्लान	गैर-प्लान	निधियों से किए गए व्यय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आंध्र प्रदेश	0.0	9549.4	9549.4	0.0	8695.8	1594.5	10291.3
2	अरूणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-
3	असम	270.0	4655.0	4925.0	194.6	4188.4	0.0	4383.1
4	बिहार	8871.5	12080.4	20951.9	6733.9	1014.0	0.0	16878.9
5	छत्तीसगढ़	0.0	4170.8	4170.8	0.0	3021.5	0.0	3021.5
6	गोवा	0.0	272.9	272.9	0.0	261.4	0.0	261.4
7	गुजरात	1410.6	4020.8	5431.4	1410.3	4190.0	0.0	5600.3
8	हरियाणा	2568.0	6369.5	8937.5	1759.1	6290.5	0.0	8049.6

9	हिमाचल प्रदेश	200.0	1008. 2	1208. 2	200.0	1045. 9	0.0	1245. 9
10	जम्मू व कश्मीर	0.0	2932. 5	2932. 5	0.0	2178. 5	0.0	2178. 5
11	झारखंड	3382. 5	3495. 0	6878. 5	1964. 3	2135. 9	250.0	4350.2
12	कर्नाटक	200.0	5375. 0	5575. 0	193. 5	5095. 8	0.0	5290.3
13	केरल	540.0	3635. 7	4175. 7	444. 0	3687. 7	0.0	4131. 7
14	मध्य प्रदेश	284. 3	9869. 6	10153. 9	265. 4	9599. 0	0.0	9865. 4
15	महाराष्ट्र	50.0	9889. 3	9939. 3	0.0	9773. 9	0.0	9773. 9
16	मणिपुर	191. 0	614. 1	805. 1	174. 5	601. 0	0.0	775. 5
17	मेघालय	183. 0	469. 0	652. 0	110.0	425. 4	0.0	535. 4
18	मिजोरम	274. 0	838. 4	1112. 4	269. 2	552. 3	265. 2	1087. 7
19	नगालैंड	271. 0	1100.4	1371. 4	271. 0	1100.4	0.0	1371. 4
20	ओड़िसा	0.0	5891. 4	5891. 4	0.0	5891. 4	0.0	5891. 4
21	पंजाब	0.0	10203. 9	10203. 9.	0.0	9585. 0	0.0	9585. 0
22	राजस्थान	100.9	5530.9	5631. 8	100.0	5511. 6	0.0	5611. 6
23	सिक्किम	480.0	263. 6	743. 6	348. 8	264. 4	0.0	613. 1
24	तमिलनाडु	841. 1	9410.9	10252. 0	841. 1	8780.1	630.8	1-252. 0
25	त्रिपुरा	805. 0	1515. 4	2320.4	753. 4	1185. 8	0.0	1940.2
26	उत्तर प्रदेश	0.0	41293. 1	41293. 1	0.0	40747. 8	0.0	40747. 8

27	उत्तराखंड	0.0	1575. 7	1575. 7	0.0	1303. 8	0.0	1303. 8
28	पश्चिम बंगाल	1200.0	10373. 3	11573. 3	913. 8	9598. 4	817. 5	11329. 6
	कुल (राज्य)	22122. 9	166405. 9	188529. 8	16947. 7	155861. 7	3559. 0	176368. 4
29	ए.व एन.महाद्वीप	318. 5	174. 8	493. 4	175. 0	165. 6	0.0	341. 3
30	चंडीगढ।	50.0	418. 0	468. 0	50.0	418. 0	0.0	468. 0
31	डी व एन.हवेली	0.0	9. 5	9. 5	0.0	3. 6	0.0	3. 6
32	दमन एवं दियु	0.0	27. 0	27. 0	0.0	27. 0	0.0	27. 0
33	दिल्ली	5500.0	8507. 5	14007. 5	481. 1	8368. 9	0.0	8849. 9
34	लक्ष्यद्वीप	0.0	3. 0	3. 0	0.0	0.5	0.0	0.5
35	पांडिचेरी	63. 0	191. 1	254. 1	57. 1	178. 1	0.0	235. 1
	कुल (संघ शासित प्रदेश)	5931. 5	9330.9	15262. 5	763. 2	9162. 2	0.0	9925. 4
	कुल (पूरे भारत में)	28054. 4	175737. 9	2-3792. 3	17710.8	165023. 9	3559. 0	186293. 8

। जेल नहीं है।

तालिका - ६वर्ष २००८ - ०९ के दौरान राज्स-वार/संघशासित-वार कैदियों पर किए गए व्ययक्रम

सं।	राज्य/संघ शासित प्रदेश	कैदियों की आबादी	व्यय (रू.लाख में) पर व्यय भोजन	कपड़े शैक्षणिक	मेंडिकल कार्यकम	व्यावसायिक/ शैक्षणिक	कल्याण	अन्य	कुल	प्रति पर कैदी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	आंध्र प्रदेश	14080	1352.9	91.0	65.9	223.9	4.6	3618.5	5357.8	38054.0
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	असम	8742	965.1	18.6	8.5	9.1	22.0	112.0	1135.2	12994.7
4	बिहार	37709	3511.3	64.2	220.5	141.1	0.0	460.8	4397.8	11663.0
5	छत्तीसगढ़।	11230	1190.0	69.0	97.4	0.0	0.0	189.2	1545.5	13765.7
6	गोवा	403	48.5	2.5	2.4	2.5	2.1	15.6	74.5	18610.4
7	गुजरात	12279	960.2	35.1	37.3	0.0	0.0	445.4	1478.9	12045.0
8	हरियाणा	14049	1423.9	24.3	160.0	0.2	5.9	445.2	2060.4	14663.0
9	हिमाचल प्रदेश	1468	135.1	4.7	37.4	5.7	1.5	32.7	217.1	14782.0
10	जम्मू व कश्मीर	2310	362.4	8.3	24.5	9.3	5.8	145.5	557.9	24155.8
11	झारखंड	18403	1638.9	92.0	65.4	12.3	7.8	224.0	2040.5	11085.1
12	कर्नाटक	13538	1364.0	51.5	45.6	0.8	0.0	80.2	1543.1	11397.5

13	केरल	6732	798.5	54.3	35.6	58.2	41.3	0.0	989.0	14691.0
14	मध्य प्रदेश	34755	3129.3	165.4	398.4	18.5	20.6	1528.8	5261.0	15137.4
15	महाराष्ट्र	25831	1873.4	3.7	41.0	0.0	0.0	1384.4	3302.5	12783.6
16	मणिपुर	465	87.2	4.5	5.0	0.0	2.1	5.4	105.2	22580.6
17	मेघालय	619	84.5	0.0	9.0	1.5	0.0	0.0	95.0	15347.3
18	मिजोरम	790	113.1	9.5	12.9	2.9	8.5	105.4	253.2	32025.3
19	नागालैंड	619	178.0	37.0	3.0	0.0	3.0	0.8	221.8	35864.3
20	ओड़िया	14373	2000.0	25.3	128.0	40.2	19.8	173.7	2388.0	16614.5
21	पंजाब	16115	1304.9	77.5	450.2	0.0	0.0	0.0	1832.5	11374.5
22	राजस्थान	15520	1971.6	61.6	102.7	0.0	0.0	65.0	1200.9	7738.4
23	सिक्किम	260	30.9	0.2	2.5	3.4	0.0	0.0	37.0	14230.8
24	तमिलनाडु	16204	1395.3	19.5	41.3	5.2	0.0	43.6	1507.0	9300.2
25	त्रिपुरा	1278	147.4	0.0	28.5	1.1	10.5	0.0	177.4	13849.8
26	उत्तर प्रदेश	80809	6267.2	71.3	350.0	25.0	25.6	902.1	7641.6	9455.9
27	उत्तराखंड	3234	204.9	3.0	23.0	0.8	0.0	234.3	465.0	14409.4
28	पश्चिम बंगाल	20230	1950.2	170.1	402.2	5.0	205.0	801.2	3533.7	17469.1
	कुल (राज्य)	372045	33409.6	1165.1	2801.2	567.6	377.3	11018.7	49421.	13283.9
29	ए.व एन.महाद्वीप	221	25.0	0.3	0.1	0.1	0.2	0.3	27.0	12217.2

30	चंडीगढ।	526	40.0	0.2	18.7	2.0	2.0	0.0	62.9	11977.2
31	डी व एन.हवेली	46	3.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	3.6	8695.7
32	दमन एवं दियु	43	5.9	0.8	0.2	0.0	0.0	0.2	8.1	186-4.7
33	दिल्ली	11553	759.2	30.5	1115.8	0.0	0.0	3450.7	5355.2	46360.3
34	लक्ष्यद्वीप	19	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.0
35	पांडिचेरी	300	31.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	32.1	10665.7
	कुल (संघ शासित प्रदेश)	12708	867.5	32.2	1134.8	2.1	2.2	3451.6	5490.4	3201.1
	कुल (पूरे	384753	34358.0	1198.3	3935.0	569.7	379.5	14470.4	54911.9	4272.0

जेल नहीं है।

तालिका -७

वर्ष २००८ के दौरान कैदियों के पुनर्वास उपाय

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	कैदियों की सं. जिन्हें रिहा के बाद वित्तीय सहायता दी गई	पुनर्वासित की गई	कैदियों की सं. जिन्हें विधि	कैदियों को प्रति दिन दी गई मजदूरी दर सहायता दी गई		
					कुशल	अर्धकुशल	अकुशल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंध्र प्रदेश	3	264	1700	15	10	-
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
3	असम	0	0	32	18	-	18
4	बिहार	0	0	0	12	10	8
5	छत्तीसगढ़	0	94	902	15	-	12
6	गोवा	0	0	51	120	90	80
7	गुजरात	0	0	485	20	18	16
8	हरियाणा	0	350	688	16	12	10
9	हिमाचल प्रदेश	7	0	91	-	-	100
10	जम्मू व कश्मीर	2	0	11	24	-	-

11	झारखंड	371	73	845	16	13	10
12	कर्नाटक	0	0	74	45	40	35
13	केरल	0	0	245	53	30	21
14	मध्य प्रदेश	348	0	348	10	15	20
15	महाराष्ट्र	7	1	3981	26	17	13
16	मणिपुर	0	0	0	12	10	8
17	मेघालय	85	0	89	-	-	18
18	मिजोरम	0	0	0	12	10	8
19	नागालैंड	0	0	0	-	-	0
20	ओड़िसा	13	650	0	12	-	10
21	पंजाब	0	375	0	12	10	8
22	राजस्थान	0	13	0176	11	0	9
23	सिक्किम	0	0	181	15	0	12
24	तमिलनाडु	35	49	2081	60	50	45
25	त्रिपुरा	0	0	0	18	15	13
26	उत्तर प्रदेश	35	6	2117	18	13	10
27	उत्तराखंड	10	1	243	18	13	10
28	पश्चिम बंगाल	189	1	3549	25	21	18

	कुल (राज्य)	1105	1877	17889	-	-	-
29	ए.व एन.महाद्वीप	0	21	27	24	-	18
30	चंडीगढ।	0	0	412	30	25	20
31	डी व एन.हवेली	0	0	18	-	-	-
32	दमन एवं दियु	0	0	0	-	-	-
33	दिल्ली	64	8	27211	52	44	40
34	लक्ष्यद्वीप	0	0	0	0	-	-
35	पांडिचेरी	11	7	28	70	60	50
	कुल (संघ शासित प्रदेश)	75	36	27696	-	-	-
	कुल (पूरे भारत में)	1180	1913	45585	-	-	-

जेल नहीं है।

तालिका -८

वर्ष २००८ के दौरान कैदियों को शैक्षणिक सुविधाओं का ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	लाभान्वित हुए कैदियों की संख्या			
		प्राथमिक शिक्षा	प्रौढ़ शिक्षा	उच्च शिक्षा	कंप्यूटर कोर्स
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	2453	18493	875	156
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-
3	असम	472	1983	141	17
4	बिहार	110	173	212	370
5	छत्तीसगढ़	1252	686	78	20
6	गोवा	0	0	12	0
7	गुजरात	0	0	7	0
8	हरियाणा	509	396	5	0
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0
10	जम्मू व कश्मीर	232	117	54	18
11	झारखंड	2896	3394	197	96
12	कर्नाटक	719	855	47	10
13	केरल	60	100	10	700
14	मध्य प्रदेश	2712	5556	91	50
15	महाराष्ट्र	353	1970	577	867
16	मणिपुर	5	6	6	0
17	मेघालय	0	20	0	0
18	मिजोरम	5	6	6	0
19	नगालैंड	0	0	0	0
20	ओड़िसा	125	1256	70	36
21	पंजाब	381	524	36	145
22	राजस्थान	439	521	57	37

23	सिक्किम	53	12	2	7
24	तमिलनाडु	5988	6460	282	337
25	त्रिपुरा	114	115	1	12
26	उत्तर प्रदेश	9961	9309	5	69
27	उत्तराखंड	139	178	103	17
28	पश्चिम बंगाल	2828	1994	26	31
कुल (राज्य)		31806	54124	2900	2995
29	ए.व एन.महाद्वीप	48	13	1	0
30	चंडीगढ।	0	28	42	25
31	डी व एन.हवेली	0	0	0	0
32	दमन एवं दियु	0	0	0	0
33	दिल्ली	1804	678	245	126
34	लक्ष्यद्वीप	0	0	0	0
35	पांडिचेरी	0	0	2	0
	कुल (संघ शासित प्रदेश)	1852	719	290	151
	कुल (पूरे भारत में)	33658	54843	3190	3146

जेल नहीं है।

विभिन्न एन.जी.ओ. के प्रयास

मुल्ला कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये सिफारिशें की थीं :

- जेलों की राष्ट्रीय नीति में अपराधों की रोकथाम और अपराधियों के उपचार में सार्वजनिक सहभागिता होनी चाहिए।
- सार्वजनिक शिक्षक के माध्यम से समाज को इस ओर जागरूक किया जाना चाहिए जिससे अपराध की रोकथाम और अपराधियों के उपचार में वे क्या भूमिका अदा कर सकते हैं। सुधारात्मक कार्यों में समुदाय की सहभागिता होनी चाहिए।
- प्रस्तावित जेलों पर राष्ट्रीय आयोग में व्यक्तियों और समुदाय समूहों के रूप में सभी वर्गों के इच्छुक लोगों का नामांकन कर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सुधारात्मक कार्य क्षेत्रों में काम करने के लिए एकत्र करना चाहिए।
- जेलों और सुधारात्मक सेवा विभाग के द्वारा राज्य, जिला और उप-मंडल स्तर पर स्वैच्छिक कार्यकर्त्ताओं और एजेंसियों का नामांकन और पहचान का कार्य करना होगा।
- इन कार्यक्रमों में कार्यकर्त्ताओं को शामिल करने के लिए काफी सावधानी बरती जाए। जेल के महानिरीक्षक को ऐसे एन.जी.ओ. जिनका कार्य ठीक न हों, उनकी मान्यता रद्द करने का अधिकार भी हो।
- सरकार को ऐसे स्वैच्छिक संगठनों और कार्यकर्त्ताओं को काम करने के लिए समुचित राशि आवंटित करनी चाहिए और इस क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले एन.जी.ओ. को समुचित सामाजिक व

राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान देना चाहिए।

- चयनित व्यक्तियों, संगठनों व समुदाय समूहों को आवश्यक प्रशिक्षक व उन्मुखीकरण किया जाना चाहिए। उन्हें सुधारात्मक कार्य के क्षेत्र में काम करने के लिए सांविधिक प्राधिकार दिया जाना चाहिए। सुधारात्मक सेवाओं के सवैतनिक स्टाफ व इनकी भूमिका व कार्यों को निर्धारित किया जाना चाहिए।
- स्वैच्छिक संगठनों के कार्यकर्त्ताओं को सभी स्तरों पर आवश्यक मदद व सलाह दी जाए।
- उन्हें गैर आधिकारिक सदस्यों के रूप में नामित किया जा सकता है।
- सुधारात्मक कार्य में इच्छुक प्रख्यात नागरिकों को जेलों के विजिटर (संदर्शक) के रूप में अथवा सुधारात्मक संस्थाओं की स्थितियों पर राज्य और केंद्रीय सरकार को नियमित और निरपेक्ष फीड बैक देने के लिए प्रिज्न

कारस्पोडेंट के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

भारतीय जेलों में बंद कैदी आदतन अपराधी नहीं हैं। 90 प्रतिशत कैदी पहले अपराध के कारण जेलों में बंद होते हैं जिन्हें थोड़ी सी सामाजिक सहायता व समय पर उपयुक्त मदद और मार्गदर्शन से पुनः समाज में एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में लौटा पाना संभव होता है। जेलों में बंद अधिकांश कैदी गरीब और कमजोर पृष्ठभूमि से होते हैं जिनके लिए रिहाई के बाद समाज में लौटना कई बार असंभव होता है। रिहाई के बाद गरीबी, वित्तीय कमी, अशिक्षा के कारण जेल के लांछन से अपने को अलग नहीं कर पाते। उन्हें परिवारों द्वारा भी अपनाया नहीं जाता। ऐसे सामाजिक माहौल में उनके पुनर्वास व समाज में उनकी स्वीकार्यता के लिए सिविल सोसाइटी की जिम्मेवारी बनती है कि उन्हें अपराध की दुनिया में पुनः लौट न जाए से बचाने के लिए अपनी भूमिका निभाए विशेष रूप से गैर सरकारी संगठनों की भूमिका जेल के भीतर और जेल से बाहर आने पर उनकी सहायता करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

भारतीय जेलों में हाई प्रोफाइल आतंकवादियों या राजनीतिक कैदियों की विशिष्ट श्रेणी के अतिरिक्त शेष कैदियों को कोई विशेष सुविधाएं नहीं

मिलती हैं। विचाराधीन कैदियों की संख्या सिद्ध दोष कैदियों से अधिक है। ऐसे लोग जाने अनजाने में समाज से दूर हो जाते हैं केरल हाई कोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा कि जेल में कोई व्यक्ति अपनी पहचान खो देता है। वह किसी एक संख्या से पहचाना जाता है। वह न केवल अपनी निजी वस्तुएं खोता है बल्कि अपने संबंधों को भी खोता है। अपनी स्वतंत्रता, अपना स्टेटस, सम्मान और व्यक्तिगत जीवन सभी खो बैठता है जिससे उसकी कई मनोवैज्ञानिक समस्याएं बढ़ती हैं।

यही नहीं रिहाई के बाद भी उसके साथ अपराधी होने का लांछन लगा रहता है जिसे हटाना बड़ा कठिन होता है। उसके परिचित किसी अपराधी का साथी होना पसन्द नहीं करते और उससे वे दूर रहने की कोशिश करते हैं। पुराना नियोक्ता काम पर रखना नहीं चाहते। यही कारण है कि एक बार का अपराधी हमेशा के लिए अपराधी बन बैठे। राज्य सरकारों के पुनर्वास उपायों में केवल जेल में व्यावसायिक प्रशिक्षक देना भर रहता है और यह किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है कि वे रिहा हुए कैदियों के पुनर्वास उपायों की समीक्षा करती रहे।

पूरे भारत में कई एन.जी.ओ. कैदियों के लिए काम कर रहे हैं। अधिकांश एन.जी.ओ. कैदियों के लिए प्रमुखतः निम्नलिखित प्रयास कर रही है।

- नैतिक अथवा आध्यात्मिक मार्गदर्शन जैसा धर्म प्रवचन, प्रार्थना और परामर्श।
- कैदियों के बच्चों का कल्याण जिसमें उनका आश्रय, स्वास्थ्य व शिक्षा शामिल है।
- महिलाओं और युवाओं के लिए पुनर्वास गतिविधियां।
- हेल्थ कैंप व हेल्थ चेकअप।
- शिक्षा व साक्षरता कार्यक्रम।
- विधिक परामर्श व सहायता।
- दिन त्योहारों पर उनके लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन।

पूरे देश के सभी एन.जी.ओ. के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देना संभव नहीं है तथापि कुछ एन.जी.ओ. की गतिविधियों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

एन.जी.ओ., फैमिली इंडिया, नई दिल्ली

1993 से फैमिली इंडिया जेल सुधार के क्षेत्र में काम कर रही है। ये महिला कैदियों के बच्चों को शिक्षित करने, किशोरों को नैतिक शिक्षा तथा सामाजिक वानिकी कार्यक्रम चला रही है।

कैदियों के लिए नशा मुक्ति कार्यक्रमों के साथ साथ जेल वार्डनों के लिए तनाव प्रबंधन कार्यक्रम व प्रशिक्षकों का संचालन करती है।

महिला कैदियों को जीवन में सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए उन्हें परामर्श सेवाएं दी जाती है।

महिला कैदियों के बच्चों को बाहरी दुनिया के लिए तैयार करने के लिए उनके व्यक्तित्व विकास के लिए, उन्हें खेल खेल में शिक्षित करने के प्रयास किए जाते हैं। पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जिस प्रकार की शिक्षा नर्सरी व प्ले स्कूलों में दी जाती है यहां देने का प्रयास किया जाता है। वस्तुओं की पहचान, सरल अंग्रेजी कहानियां, वीडियो दिखा कर, संगीत, खेल आदि माध्यमों से उन्हें शिक्षित किया जाता है। उन्हें स्कूल यूनीफार्म व अन्य कपड़े दिए जाते हैं।

जीवन में सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वे दूसरे लोगों से किस प्रकार व्यवहार करते हैं, जीवन की चुनौतियों के प्रति उसका दृष्टिकोण कैसा है और उनको किस प्रकार सकारात्मक ढंग से सामना करते हैं और उनकी काम की आदतें कैसी हैं। इन तीनों कारकों को कैदियों के जीवन से उतारने के लिए फैमिली इंडिया तिहाड़ जेल के कैदियों को जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रयासरत है। उन्हें बुरी आदतों को छोड़ कर अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है।

विश्व में सबसे अधिक तनावपूर्ण कार्य स्थितियां जेल के स्टाफ की होती हैं। उन्हें तनाव पूर्ण स्थितियों में मनोवैज्ञानिक व भावनात्मक सहयोग देने के लिए प्रशिक्षक देने का काम भी यह कर रही है ताकि जेल के वातावरण में सुधार हो सके। जेल स्टाफ के लिए तनाव प्रबंधन के लिए विशेष सेमीनार व संप्रेषण कौशल, समय प्रबंधन और नकारात्मक परिस्थितियों में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए प्रशिक्षक कार्यक्रम आयोजित करते हैं।

जन शिक्षक संस्थान, विजयवाड़ा

जन शिक्षक संस्थान, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कार्यरत एन.जी.ओ. जेलों में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र चलाती है। आंध्र प्रदेश के जेल विभाग के सहयोग व सहायता से जेल में प्रौढ़ शिक्षा प्रोजेक्ट में 4000 बच्चों को राज्य भर में प्रशिक्षण दिया जा चुका है ताकि ये बच्चे राज्य में प्रौढ़ शिक्षा की दिशा में प्रयास कर पाएं। इनके कुछ वालंटियर जेलों में जाकर केंद्र चलाते हैं।

जेलों में कुछ पढ़े लिखे कैदियों की मदद से शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इन पढ़े-लिखे कैदियों को दूसरे कैदियों को शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षक दिया जाता है। अनपढ़ कैदियों को लिखना-पढ़ना व गिनती सिखाई जाती है। राज्य का शिक्षा विभाग पुस्तकें व स्टेशनरी आदि उपलब्ध करवाता है। महिला जेल कैदियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षक केंद्र भी चलाती है। जन शिक्षक संस्थान को सर्वोत्तम म्युनिसिपल साक्षरता संगठन का एवार्ड मिल चुका है।

नाको - डी.एफ.आई.डी. - सहायता अनुदान - पी.एस.एच. प्रोजक्ट, हैदराबाद

राज्य के महिला जेल में यह प्रोजक्ट चलाया जा रहा है। जेल कैदियों और जेल कार्मिकों को एड्स की रोकथाम, नियंत्रण व उपचार के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

अपने परिवारों से दूर रहने व समलिंगी व्यक्तियों की बीच रहते हुए कैदियों में यौन संसर्गों से यौनजनित रोग बढ़ते हैं। जेलों में नशाखोरों की उपस्थिति से समस्याएं बढ़ती ही हैं। इसलिए वहां उनके उपचार व परामर्श की आवश्यकता होती है। कैदियों के नियमित हेल्थ चेकअप व चिकित्सा सहायता, उनकी रहन-सहन की स्थितियों को बेहतर बनाने, उन्हें यौनजनित रोगों व एड्स के प्रति जागरूक करने व यौन रोगों से संक्रमित/एच.आई.वी.पोजेटिव रोगियों के प्रति सकारात्मक व्यवहार रखने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाता है।

नाको - डी.एफ.आई.डी. (डिपार्टमेंट फार इंटरनल फडिंग) के सहयोग से स्वास्थ्य व चिकित्सा सेवा निदेशालय के द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार के

प्रयासों से पार्टनरशिप फार सेक्सुअल हेल्थ (पी.एम.एच.) जेल प्रोजेक्ट वर्ष 2000 से चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम राज्य के 42 जेलों में चल रहा है।

प्रिजन फेलोशिप इंडिया, हैदराबाद

कैदियों को शिक्षा, परिवार परामर्श व व्यावसायिक प्रशिक्षक व उन्हें धार्मिक व आध्यात्मिक शिक्षा देने का कार्य इस एन.जी.ओ. के द्वारा किया जा रहा है। यह प्रिजन फेलोशिप इंटरनेशनल, वाशिंगटन डी सी.से जुड़ी संस्था है। पी.एफ.आई.अपनी सहयोगी संस्थाओं को सहायता देती है। इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सिंगापुर, अफ्रीका, यूरोप में भी कार्यालय हैं। यह अपने सहयोगी संगठनों को परामर्श, कम्युनिकेशन, लीडरशिप प्रशिक्षक कार्यक्रमों में सहयोग करती है। कैदियों की आवश्यकताओं और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर उनके लिए नैतिक शिक्षा, मनोरंजन कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षक, साक्षरता, रिहाई पूर्व उनके लिए विशेष कार्यक्रमों के साथ-साथ कैदियों के परिवार, उनके बच्चों के लिए शिक्षा कार्यक्रम जिनमें आवासीय व गैर आवासीय शिक्षक सुविधाएं व पुनर्वास कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

इनके परिवार परामर्श केंद्रों में अपराधियों के परिवार सदस्यों को परामर्श दिया जाता है। टेलरिंग ट्रेनिंग व प्रोडक्शन सेंटर के द्वारा पुनर्वास के प्रयास किए जाते हैं।

पी.एफ. इंडिया देश के विभिन्न राज्यों में कैदियों व उनके पुनर्वास के लिए भी काम कर रहा है।

प्रिजन मिनिस्ट्री इंडिया, हैदराबाद

यह एन.जी.ओ. कैदियों को विशेष अवसरों पर भोजन, फल व अन्य अनुमेय वस्तुएं उपलब्ध करवाती है। कैदियों के लिए धार्मिक व आध्यात्मिक प्रवचन करवाती है। कैदियों के बच्चों को आश्रय व शिक्षा देती है। उनके लिए हेल्थ चेकअप, विधिक सहायता उपलब्ध करा रही है। यह कैदियों की रिहाई व पुनर्वास की दिशा में भी काम कर रही है।

प्रिजन मिनिस्ट्री इंडिया, कैथोलिक बिशप कांन्फ्रेंस आफ इंडिया का

एक यूनिट है। 1986 में यह केरल से शुरू हुई और इस समय देश के विभिन्न राज्यों में काम कर रही है। पी.एम.आई. समाज के सभी वर्गों के साथ काम करती है। जेलों में जाकर इनके वालंटियर कैदियों से सौहार्द पूर्ण संबंध बना कर उनके दिलों में जिंदगी के प्रति आशा की किरण जगाते हैं। जेल से रिहा हुए कैदियों को विभिन्न पुनर्वास केंद्रों में वालंटियर बनने के लिए प्रेरित किया जाता है। रिहा कैदियों को उनके परिवारों से मिलाने व उनके लिए नौकरी की व्यवस्था करते हैं। उनके परिवार के सदस्यों को भी यथासंभव सहायता दी जाती है

पी.एम.आई. का हैदराबाद यूनिट कैदियों को विधिक सहायता, बच्चों के लिए शिक्षा, सामाजिक परामर्श दे रहा है। महिला कैदियों के लिए पुनर्वास केंद्र की स्थापना भी की गई है जहां उन्हें अस्थाई आवास और कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। एच.आई.वी. पोजेटिव महिलाओं को भी यहां आश्रय दिया जाता है। जेल से रिहा कैदियों को आटोरिक्शा, सिलाई मशीन या कोई अन्य आय का संसाधन उपलब्ध करवाया जाता है। धार्मिक अवसरों पर उनके लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

संगठन के प्रभारी का यह कहना है कि समाज ने इन्हें अपराधी बनाया है अतः यह उनकी जिम्मेवारी है कि वे इन्हें दुबारा समाज में अच्छा नागरिक बनने के लिए सहायता करें।

कैदियों को परामर्श, उनके लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था, मनोरंजन सुविधाएं व समय-समय पर प्रतियोगिताओं का आयोजन, व्यावसायिक प्रशिक्षक व जिंदगी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने के लिए प्रेरित किया जाता है। रिहा कैदियों के आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, बौद्धिक, आर्थिक व नैतिक अपेक्षाओं को पूरा करने के प्रयास किए जाते हैं। कैदियों व उनके बच्चों को शिक्षा भी दी जा रही है। उन्हें उनके परिवारों से मिलाने व नौकरियों की तलाश में मदद कर रहे हैं।

यही नहीं जिन कैदियों के पास जमानत की राशि नहीं होती उनके लिए जमानत की राशि भी दी जाती है। कैदियों के बच्चों को सरकारी स्कूलों व बोर्डिंग स्कूलों में प्रवेश दिलाया जाता है।

एन.जी.ओ. का मानना है कि जिन कैदियों ने छोटे अपराध किए हों उन्हें जेलों में रखने के स्थान पर समुदाय सेवा में लगा कर उनका सुधार

किया जा सकता है।

अभियान, छत्तीसगढ़

अभियान, कैदियों के बच्चों की शिक्षा, सजा प्राप्त महिला कैदियों की सामाजिक काउंसलिंग, विधिक सहायता, कैदियों के लिए बीमार कक्ष, महिला डाक्टर की सेवाएं और उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षक देने जैसे काम कर रहा है। गत दस वर्षों से कैदियों के सुधार की दिशा में यह प्रयास कर रही है। महिला कैदियों के बच्चों की शिक्षा सुविधाएं भी मुहय्या करवा रही है। महिला कैदियों को साफ सफाई, स्वच्छ पर्यावरण व साक्षरता के महत्व के प्रति जागरूक कर रही है। महिला कैदियों को जेल में भोजन व जरूरत की अन्य चीजें उपलब्ध करवाने में मदद करती है।

अभियान उन महिलाओं जिन्हें रिहाई के बाद परिवार स्वीकार नहीं करता है, उन्हें आजीविका जुटाने में मदद करता है। अभियान द्वारा चलाई जा रही सिल्क रीलिंग और स्पिनिंग केंद्र में काम पर रख लिया जाता है। उन्हें कौशल प्रशिक्षक देकर उपयुक्त रोजगार दिलाने के प्रयास भी किए जाते हैं।

कैदियों को निजी मुचलके पर रिहा कराने के भी प्रयास किए जाते हैं। अभियान के प्रयासों को महिला व बाल विभाग द्वारा सराहा भी गया है। अभियान के अनुसार जेलों की दशा में सुधार के उपायों के रूप में जेलों से भीड़ को कम करना, महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षक देना, महिलाओं के लिए अलग से जेल भवन, सुझाव पेटियां, रिहा कैदियों के लिए अल्पाश्रय गृहों, व्यावसायिक प्रशिक्षकों को रोजगारोन्मुख बना कर उनका पुनर्वास किया जा सकता है।

भारतीय जन संगठन, रायपुर, छत्तीसगढ़

भारतीय जन संगठन महिला कैदियों के लिए व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षक, सामाजिक व धार्मिक अवसरों पर उनके लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इस संगठन का मुख्यालय पुणे में है। महिला कैदियों के लिए कल्याण कार्यक्रमों के उद्देश्य से रायपुर की जेल में गोशाला और बायो गैस संयंत्र लगाया है ताकि रसोई में भोजन पकाने में

सुविधा हो सके।

केयर इंडिया, छत्तीसगढ़

यह एन.जी.ओ. महिला व पुरुष कैदियों में एच.आई.वी./एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम कर रहा है। इसके लिए प्रशिक्षक कार्यक्रम, विशेष अवसरों पर प्रतियोगिताएं ,परामर्श व उनकी स्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रयास कर रही है।

केयर, दुर्ग जेल के कैदियों के लिए काम कर रही है। यह दूसरे एन.जी.ओ. के साथ मिल कर काम कर रही है। यह पुलिस व जेल अधिकारियों को विशेष रूप से महिला कैदियों से संबंधित मुद्दों पर जागरूक करने की दिशा में भी प्रयास कर रही है।

लक्ष्य, छत्तीसगढ़

लक्ष्य एन.जी.ओ. छत्तीसगढ़ की विभिन्न जेलों में कैद महिलाओं के कल्याण के लिए काम कर रही है। जेलों में कैद 60 से 75 वर्ष की उम्र की महिला कैदियों की जेलों से रिहाई के लिए राज्य सरकार व राष्ट्रपति से अपील याचिकाएं भेज कर उन्हें रिहा करवाया है।

तीज व रक्षा बंधन जैसे त्योहारों का आयोजन भी ये करती है। ऐसे अवसरों पर उन्हें उपहार आदि देकर समाज से जुड़े रहने का अहसास कराती है। कैदियों के परिवारों व उनके बच्चों के लिए शिक्षा, मनोरंजन व स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। अपने नाम के अनुरूप महिलाओं के कल्याण, उत्थान व स्वतंत्रता दिलाना इसका लक्ष्य है।

वसुधा महिला मंच, बिलासपुर छत्तीसगढ़

यह एन.जी.ओ. महिला कैदियों को व्यावसायिक प्रशिक्षक, उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक और उसके परिवार के सदस्यों को उनसे संपर्क बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए यह प्रयास करती है। जो महिलाएं अपने लिए जमानत की व्यवस्था नहीं कर पातीं उनके लिए जमानत की व्यवस्था करने, महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक करती

है। महिला कैदियों के बच्चे को मुख्य धारा के स्कूलों में भेजकर उन्हें शिक्षित भी कर रही है।

हाई कोर्ट, बार काउंसिल, जिला और राज्य विधि सेवा प्राधिकारियों को कैदियों के अधिकारों पर आयोजित कार्याशालाओं में आमंत्रित करती है। जिले की अन्य स्वयं सेवी संगठनों के साथ मिलकर कैदियों के प्रति समुदाय के दृष्टिकोण को बदलने के लिए प्रयास कर रही है। महिला व बाल विकास विभाग के साथ मिलकर कैदियों के बच्चों के विकास व कल्याण के लिए भी प्रयास कर रही है। कोर्ट परिसरों में लाक अप में महिला कैदियों के लिए शौचालय के निर्माण व विधिक सहायता कैंपों का आयोजन करवा रही है।

युवा चेतना महिला मंडल, रायपुर, छत्तीसगढ़

यह एन.जी.ओ. विचाराधीन कैदियों को विधिक सहायता देने के लिए विधिक सहायता कैंपों व लंबी सजा प्राप्त कैदियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दे रही है।

आसरा, दिल्ली

एन.एसोसिएशन फार साइंटिफिक रिसर्च आन एडीक्शन, (आसरा) एच.आई.वी./एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने की दिशा में काम कर रही है। कैदियों के पुनर्वास व उनके परिवारों के लिए परामर्श, परिवार के सदस्यों के साथ मिलवाने, उनके मानवाधिकारों व मीडिया में उनकी समस्याओं को सामने लाने के लिए प्रयासरत है। तिहाड़ जेल में कैदियों को जागरूक करने के लिए उनको निरंतर परामर्श दे रही है। प्रति सौ कैदी पर एक काउंसलर की तैनाती इन्होंने की है। 1993 से ही तिहाड़ जेल में थेरेपेटिक कम्युनिटी कार्यक्रम चला रही है। कैदियों के बीच से ही कुछ कैदियों को चुनकर प्रशिक्षित कर उन्हें पीयर एजूकेटर बना कर एच.आई.वी. रोकथाम के प्रयास कर रही है।

आसरा, कैदियों के कल्याण के लिए नकदी व वस्तुओं के रूप में निधियां एकत्र करती है। वह कपड़े, शौचालय मदें, स्टेशनरी, पुस्तके, मनोरंजन के साधन व व्यावसायिक उपकरण एकत्र करती है। यह दान भी

लेती है। वालंटियर प्रतिदिन जेल में जाकर कैदियों को परामर्श देते हैं।

अरमान, नई दिल्ली

यह एन.जी.ओ. वर्ष 2001 से तिहाड़ जेल के कैदियो के साथ काम कर रही है। जेल में यह कई आय अर्जक कार्यक्रम संचालित कर रही है। अचार व मोमबत्ती प्रोजेक्ट के उत्पाद प्रदर्शनियों के माध्यम से बेचे जाते हैं और लाभ का 25 प्रतिशत हिस्सा कैदियों को दिया जाता है।

महिला कैदियों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाती है। स्वास्थ्य व पोषण, विधिक सहायता व दहेज, बाल शोषण व घरेलू हिंसा के प्रति समाज को जागरूक करने का प्रयास कर रही है।

आशा की किरण, दिल्ली

1993 से तिहाड़ जेल में आशा की किरण एन.जी.ओ. विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियां चला रही है। सजायाफ्ता कैदियों व विचाराधीन कैदियों को व्यावसायिक प्रशिक्षक देते हैं। कैदियों द्वारा तैयार माल की बिक्री के बाद उसके लाभ को संबंधित कैदियों के व्यक्तिगत खातों में जमा कर दिया जाता है।

कामनवेल्थ ह्यूमन राइटस इनिशिएटिव्स (चारी), नई दिल्ली

'चारी', कैदियों,जेल अधिकारियों, न्याय प्रणाली के अधिकारियों व समाज के अन्य समुदायों के सदस्यों के लिए

समुचित व्यवहारों के अनुप्रयोग के लिए जागरूकता लाने के लिए कार्याशालाओं का आयोजन करती है। 'चोरी' के जेल सुधार कार्यक्रमों का उद्देश्य जेल सुधारों की वर्तमान स्थिति व उसमें सुधार के व्यवहारी उपायों की सिफारिश करना है। जेल विजिटर व्यवस्था को सुधारने, उनकी भूमिका व जिम्मेवारियों को रेखांकित करना, जेलों को अभिशासित करने वाले नियमों व कानूनों की शिक्षा देना, उन्हें ड्यूटी करने में मदद करना सरकार को बोर्ड आफ प्रिजनर्स विजिटर (बी.ओ.एफ.) बनाने के लिए दबाव डालना ताकि कैदियों की समस्याओं को निपटाया जा सकें।

आपराधिक न्यायप्रणाली से जुड़ी सभी एजेंसियों को साथ लाकर और

जेलों व कैदियों की समस्याओं के प्रति कार्यकर्ताओं को जागरूक करना इसके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। विभिन्न देशों में प्रयोग में लाए जा रहे सर्वोत्तम व्यवहारों की पहचान कर उसे कार्यान्वित कराने की दिशा में भी यह प्रयास रत है। 'चारी' कामनवेल्थ देशों में काम कर रही एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय एन.जी.ओ. है जिसके कई देशों में कार्यालय है, भारत में भी मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में कार्यालय है।

मैत्री महिला करुणा संघ, राजस्थान

मैत्री महिला करुणा संघ उदयपुर में सेन्ट्रल जेल में महिला कैदियों से निरंतर संपर्क रखती है। यह सर्वधर्म मैत्री का एक हिस्सा है। त्योहारों के अवसर पर जेल जाकर उनके साथ मिल कर त्योहार की खुशियां बांटते हैं। महिला कैदियों के लिए अलग ग्रुप की 8 -10 महिलाएं माह के दूसरे रविवार को जाकर महिला कैदियों से मिलती है और उनकी शिकायतों को सुनती है। उनके लिए गीत-संगीत का कार्यक्रम, उनके बच्चों को पुस्तकें व कपड़े आदि देती हैं। महिला कैदियों की तकलीफें सुन कर उन्हें उनसे उबरने व जिंदगी के प्रति सकारात्मक रूख रख कर आगे बढ़ने को प्रेरित करती है।

एन.जी.ओ. के कार्यकर्ताओं का मानना है कि इन महिलाओं को मानसिक रूप से मजबूत करने की जरूरत है। महिला कैदी इनसे मिलने की इच्छुक रहती है और चाहती है कि वे उनके लिए प्रार्थना करें।

कोरेक्शन इंडिया, पंपडी, कोट्टयम, केरल

कोरेक्शन इंडिया 1987 से कैदियों व उनके परिवार के कल्याण के कार्यों में लगी हुई है। इस संगठन का उद्देश्य कैदियों और उनके परिवारों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। कैदियों के बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए प्रयास कर रही है।

प्रति सप्ताह इनकी टीम जेलों में जाकर मादक पदार्थों और नो की आदत सुधारने के लिए परामर्श देती है। कैदियों को परामर्श देने के लिए 'कोरेक्शन इंडिया' एकमात्र गैर सरकारी संगठन है जिसे इस काम के लिए अनुमति प्राप्त है। इस संगठन के कार्यकर्त्ता राज्य के सभी जेलों में जाकर कैदियों को नैतिक शिक्षा देते हैं। महीने में एक बार संगीत

कार्यक्रम, फिल्म शो व मनोरंजक कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें नैतिक संदेश पहुंचाते हैं।

जेल अधिकारियों व स्टाफ के लिए भी विशेष प्रशिक्षक कार्यक्रम, सेमिनार आयोजित करते हैं।

संगठन का मानना है कि कैदियों के परिवार को भी विशेष देखभाल की जरूरत होती है। उन्हें आश्रय व मार्गदर्शन व सहायता प्रदान करते हैं। महिला कैदियों के पुनर्वास के उपाय करते हैं। यदि परिवार का मुखिया जेल में हो तो उसके परिवार के लिए आजीविका की व्यवस्था करते हैं।

'कोरेक्शन इंडिया' के 'असवास भवन' में कैदियों के बच्चों को आश्रय दिया जाता है।

जोसेफ मैथ्यू, प्रोफेशनल चार्टिड एकाउंटेट व उनकी पत्नी अनीना मैथ्यू सरकारी विभाग में सोशल वर्कर थीं, ने 1989 में इसे शुरू किया। दो बच्चों से इसे शुरू किया था। इस समय पचास से अधिक बच्चे यहां रह रहे हैं। उन्हें शिक्षा, कैरियर व सामाजिक जीवन में सफल होने के लिए उनका एक परिवार के बच्चों की तरह पालन पोषण किया जाता है।

'असवास भवन' में कोई धर्म-जाति व नस्ल नहीं है। इस भवन में प्रवेश की केवल एक ही शर्त है कि उनके मां-बाप में से यदि कोई जेल में है और दूसरे के लिए बच्चों को पालने में कठिनाई हो रही हो। इस भवन में रीडिंग क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, डिबेटिंग क्लब भी है जहां उनकी रचनात्मक प्रतिभा को फलने फूलने का अवसर मिलता है।

बच्चों को संगीत, नृत्य, चित्रकला आदि का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। बच्चों में सकारात्मक सोच व व्यक्तित्व को निखारने के लिए आवश्यक प्रयास किए जाते हैं। बच्चों को अपने मां-बाप को जेल में पत्र लिखने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। छुट्टियों में उन्हें पिकनिक व भ्रमण के लिए भी लेकर जाते हैं। 'कोरेक्शन इंडिया' की स्टाफ की टीम में सलाहकार, वोकेशनल ट्रेनर, केटरिंग स्टाफ व वालंटियर शामिल हैं।

अरूथल इल्लम, भिनी (असवास भवन) तमिल भाषी कैदियों के लिए तमिलनाडु में शुरू किया गया है। यहां भी बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजा जाता है।

'कोरेक्शन इंडिया' के कई प्रोजेक्ट हैं। असवास विधास्थान, अरूथल

इल्लम, अडेन थोपधू, थिंकसी तमिलनाडु, असवास समराक्षन। यह प्रोजक्ट, कैंसर, एड्स जैसी बीमारियों से ग्रस्त कैदियों के लिए है। यह सरकार की ओर से विशेष अनुमति से उनके उपचार व पुनर्वास का काम कर रही है।

असवास भोजन प्रोजेक्ट के द्वारा सरकारी अस्पतालों के रोगियों के लिए प्रतिदिन रात्रि भोजन की व्यवस्था की जा रही है। गरीब रोगियों को इस प्रकार समय पर भोजन की व्यवस्था दी जा रही है।

असवास करम प्रोजेक्ट के द्वारा गरीब व जरूरतमंद लोगों को मुफ्त दवाएं देती है।

असवास अम्मथोटटलि एक नया प्रोजेक्ट है जहां अनाथ बच्चों को आश्रय दिया जाता है। समाज के अवांछित शिशुओं के लिए यह पालना है।

'कोरेक्शन इंडिया' और असवासा भवन को राज्य सरकार ही नहीं विदेशों के द्वारा भी समय-समय पर इनके सत्प्रयासों के लिए सराहा जाता रहा है। वल्डे मलयाली कांफ्रेंस, न्यू जर्सी, यू एस.ए. राजीव गांधी शिरोमणि एवार्ड 2002, राजीव मानव सेवा एवार्ड, सर्वोत्तम बाल कल्याण कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय एवार्ड, बच्चों की सेवा के लिए राजीव गांधी मानव सेवा पुरस्कार 2003 भी प्राप्त हुआ है। श्रीमती अनीना जोसेफ मैथ्यू कैदियों के परिवारों और उनके बच्चों के कल्याण कार्यों में कैदियों के घरों में जाकर तथा उन्हें देखभाल और सुविधा प्रदान करके उनके परिवारों के लिए कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत की थी। एक छोटी-सी शुरुआत, आज एक मिशन बन चुका है।

नवज्योति इंडिया फांउडेशन, नई दिल्ली

डा. किरण बेदी द्वारा वर्ष 1987 में नव ज्योति इंडिया फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। मादक पदार्थों के प्रयोग को रोकने के लिए शुरू किए गए इस एन.जी.ओ. ने शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, परिवार परामर्श, स्वास्थ्य, एच.आई.वी/एड्स व पर्यावरण के लिए ग्रामीण व शहरी दोनों जगह बेहतर जिंदगी के लिए अपने नाम के अनुरूप नई ज्योति से समाज को रोशन कर रही है।

1997 से इसे यू.एन. के इकानामिक व सोशल काउंसिल के साथ

विशेष परामर्शी स्टेटस प्राप्त है। इस एन.जी.ओ. का गठन अपराध की दर को कम करने के लिए की लत को कम करने के उद्देश्य से किया गया था।

एन.जी.ओ. के प्रमुख कार्यों का संक्षिप्त विवरण यहां बिंदु-वार प्रस्तुत है जो कैदियों/बंदियों के लिए किए गए।

- 1987 में अंधा मुगल पुलिस स्टेशन नई दिल्ली में नशामुक्ति केंद्र शुरू किया और उसके बाद सात अन्य पुलिस स्टेशनों में शुरू किए गए। उसी वर्ष यमुना पुष्ट झुग्गी झोंपड़ी में अपराध सुधार सिलाई केंद्र उन महिलाओं के पुनर्वास के लिए शुरू किया गया जो किसी न किसी अपराध के सिलसिले में गिरफ्तार की गई थी।
- 1989 में तिहाड़ जेल में आय अर्जक गतिविधियों के लिए कुटीर उद्योग शुरू किया गया।
- 1990 में सराय रोहिल्ला पुलिस स्टेशन में नवज्योति नशा मुक्ति केंद्रों को केंद्रीकृत कर दिया गया।
- 1991 में चिकित्सीय मनोवैज्ञानिक, सामाजिक व आध्यात्मिक प्रबंधन को होम्योपैथी और योग के सामंजस्य से उपचार विधि के रूप में तैयार कर अपनाया गया।
- 1993 में समाज न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने नशा मुक्ति केंद्र को वित्तीय सहायता प्रदान कर इसके प्रयासों को मान्यता दी।
- महिला कैदियों के आर्थिक उत्थान के लिए तिहाड़ जेल में पुनर्वास प्रोजेक्ट 1994 में शुरू किया गया।
- 1996 में तिहाड़ जेल की महिला कैदियों द्वारा बनाई गई टेपेस्ट्रीज की प्रदर्शनी एम्बेस्डर के निवास पर लगाई गई।
- 2003 में विभिन्न आश्रय गृहों में रहने वाली महिलाओं के लिए निर्मल छाया में महिलाओं के स्वयं सहायता के संवर्धन के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया गया।

'प्रयास' एन.जी.ओ.

'प्रयास' एन.जी.ओ. के प्रयासों से बंबई हाई कोर्ट ने वर्ष 2005 में अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में जेलों की स्थितियों में सुधार के लिए उनके

द्वारा दिए गए कई सुझावों पर पूर्णतः और कइयों को कार्यान्वयन के लिए अनुदेश दिए।

- कैदियों के आहार व प्रसाधन सुविधाओं में सुधार।
- वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्टों में उनकी उपस्थिति के समय ड्यूटी आफिसर उनके साथ प्रस्तुत हो।
- कैदियों और उनके परिवार के सदस्यों से मिलने की सुविधाओं में सुधार, उन्हें अधिक समय, स्थान और एकांत उपलब्ध करवाना।
- कैदियों को प्रतिमाह परिवार की ओर से भेजे जाने वाली राशि को रुपये 800 से बढ़ाकर रुपये1500 करवाया।
- कैंटीन व चिकित्सा सुविधाओं में सुधार।
- सेनीटेान सुविधाओं में सुधार जिसके परिणाम स्वरूप पूरे महाराष्ट्र की विभिन्न जेलों में लगभग 2500 शौचालय बनवाए गए।
- जेल में जन्मे शिशु के जन्म प्रमाण पत्र पर मां के गांव का नाम लिखवाने की प्रक्रिया शुरू की ताकि शिशु के जन्म स्थान का लांछन उम्र भर साथ न चले।
- जेलों के बाहर बालवाड़ियों की शुरुआत।
- हाईकोर्ट ने सभी जेलों को अनुदेश जारी किए और महिला व बच्चों से संबंधित मसलों पर विचार करने के लिए महिला कल्याण अधिकारी नियुक्त करने के लिए सूचित किया।
- प्रयास की ओर से निम्नलिखित सुधारों को कार्यान्वित करने के लिए भी सुझाव दिए हैं।

✓ कैदियों को अपराध के आधार पर विभक्त किया जाए। आदतन अपराधियों से प्रथम बार के अपराधियों को अलग रखा जाए।

✓ मानसिक रोगी कैदी या जो वित्तीय कारणों से जमानत नहीं ले सकते उन्हें निजी बांड पर रिहा किया जाए।

✓ महिलाओं, बुर्जुगों और युवा पुरुष जिन्हें कम गंभीर मसलों पर कैद किया गया हो, के मामलों को निपटाने की प्रक्रिया तेज की जाए।

✓ अपराधी और उसके परिवार के सदस्यों की मुलाकात को वैधानिक किया जाए जब अपराधी के परिवार वाले विभिन्न सामाजिक और आर्थिक कारणों से एक या अधिक वर्षों से मिलने के लिए न आए हों।

- ✓ बाल कल्याण समितियों के द्वारा कैदियों और उनके बच्चों की नियमित मुलाकात करवाई जाए।
- ✓ जेल प्राधिकारियों की ओर से सभी अपराधियों के परिवारों को मुलाकात सुविधाओं की जानकारी भेजे और उन्हें अनुरोध करें कि वे आकर मिले।
- ✓ विधिक सेवा प्राधिकारी यह सुनिचित करें कि वकील और ड्यूटी काउंसिल सप्ताह में दो बार जाकर कैदियों से मुलाकात करें। उन्हें समुचित मानदेय दिया जाए। इससे विचाराधीन कैदियों को शीघ्र न्याय मिल पाएगा।
- ✓ आई.टी.आई. और वोकेशनल ट्रेनिंग संस्थान जेलों के भीतर कोर्स शुरू करें।
- ✓ जिला लाइब्रेरी अपनी सुविधाएं जेलों में विस्तारित करें।
- ✓ जेलों में भीड़ को कम करने के लिए अभिरक्षा के अन्य विकल्पों पर विचार किया जाए।
- ✓ गरीब कैदियों को रिहाई से पूर्व सरकारी कल्याण योजनाओं से जोड़ा जाए।
- 'प्रयास' विचाराधीन कैदियों को सामाजिक-विधिक सहायता प्रदान करती है।
- रिहा कैदियों के लिए नौकरियों का प्रबंध करने, उनके परिवार वालों को परामर्श, उनके लिए प्रशिक्षक कार्यक्रम, राशन कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र आदि प्राप्त करने में मदद करती है।

'प्रयास' का यह सुझाव भी है कि इस क्षेत्र में काम कर रही सभी एन.जी.ओ. को एक प्लेटफार्म पर एकत्र किया जाए।

इतिहास के आइने में

सुप्रीम कोर्ट व विभिन राज्यों की हाईकोर्टों ने समय-समय पर कैदियों की स्थितियों को सुधारने के लिए ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं। विभिन्न हाईकोर्टों ने दूसरे राज्यों में लागू अच्छी प्रक्रियाओं को अपनाने के अनुदेश भी दिए हैं। कैदियों की जीवन स्थितियों में तभी सुधार संभव होगा यदि एक दूसरे राज्यों में लागू अच्छी प्रक्रियाओं को अपना कर उनके विकास की दिशा में प्रयास हों।

प्रेमशंकर शुक्ला के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों के हाथों में हथकड़ियां डालने के संबंध में निर्णय दिया। पंजाब पुलिस मैनुअल में प्रत्येक विचाराधीन कैदी जिसने गैर जमानती अपराध किया है और तीन वर्ष की सजा हो सकती है, के हाथों में हथकड़ियां डाल कर रखा जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में इसे संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन माना। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि केवल उन्हीं कैदियों को हथकड़ियां लगाई जाएं जिनके भागने की स्पष्ट संभावनाएं हों तथा यह भी लिखित रिकार्ड के आधार पर उसके असंदिग्ध आचरण से ज्ञात हो।

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार संबंधित कैदी के अभिरक्षा की प्राधिकृत जिम्मेवार अधिकारी को इसका निर्णय लेना होगा कि कैदी को हथकड़ियों में रखा जाए या नहीं।

सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 और 19 के साथ-साथ मानवाधिकारों की सार्वभौम उद्घोषणा के अनुच्छेद 5 के अनुसार किसी भी कैदी को पीड़ित या अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 5 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को पीड़ित या क्रूर, अमानवीय या दंड का निम्नकोटि उपचार नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 10 के अनुसार अपनी स्वतंत्रता से वंचित सभी व्यक्तियों के साथ मानवीय और मनुष्य के सम्मान के लिए आदर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हथकड़ियां लगाने को अमानवीय माना और इसे अनुचित अथवा कठोर और निरंकुश माना।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि कोई कैदी भाग न जाए, इसके लिए राज्य उसके हाथ और पैरों में बेड़ियां, उसे गलियों में घसीटने और कोटों में घंटों खड़े रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। यह क्रूरता है और कैदी के सम्मान को ठेस पहुंचाना और संविधान की आत्मा को चोट पहुंचाना है। कोर्ट ने केवल कुछ परिस्थितियों में ही जंजीरे बांध कर रखने की अनुमति दी और जेल प्राधिकारियों को उसके समुचित कारणों को रिकार्ड करने के लिए कहा और ऐसे आदेशों की समीक्षा कोर्ट द्वारा करने के लिए सूचित किया अन्यथा इसे अनुच्छेद 21 के अनुसार अनुचित ठहराया।

इस मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 का संरक्षण सिद्ध दोष व्यक्ति को भी प्राप्त होगा।

कारावास के दौरान उस पर पुलिस गार्ड रखा गया था जो जेल के चारों ओर तैनात किए गए थे। जेल की दीवारों पर चारों ओर बिजली का तार बिछा दिए गए थे जिससे वे जेल परिसर से बाहर न जा सकें। जेल अधिकारियों की उक्त कार्रवाई को असंवैधानिक बताते हुए इसे अनुच्छेद 21 में वर्णित दैहिक स्वाधीनता का हनन माना। न्यायालय ने अपना निर्णय देते हुए यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि सिद्ध दोष व्यक्ति को समस्त मूल अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। हालांकि सिद्ध दोष होने पर कतिपय मूल अधिकारों से वंचित होना पड़ता है जैसे भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध भ्रमण का अधिकार इसके विपरीत संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन संबंधी मूलाधिकार पर बंदीकरण का आदेश कोई रुकावट पैदा नहीं करता। इस प्रकार न्यायालय ने इस पर बल दिया कि सिद्ध दोष व्यक्ति को भी अनुच्छेद 21 का अमूल्य मूल अधिकार प्राप्त होगा।

चार्ल्स शोभराज के मामले में विचाराधीन विदेशी कैदी शोभराज ने अपने पैरों में बेड़ियां डालने के आदेशों को चुनौती देते हुए यह अपील की कि बेड़ियों को हटाए जाने की सिफारिश के बावजूद उसे बेड़ियों से जकड़ा गया है जो कि अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।

कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि लंबे समय तक कैदी को बेड़ियों में बांधकर रखने से व्यक्ति को मात्र पशु बना देता है। यह क्रूरता व असामान्य दंड है जो कि मानवाधिकारों की उद्घोषणा के द्वारा प्रतिबंधित है और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।

बाबू सिंह के मामले में इस याचिका के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यदि आरोपी के भाग जाने या वह कोर्ट में उपस्थित होने की उपेक्षा कर सकता है, जैसे कोई कारण न दिखे तो जमानत दी जा सकती है। जेल में रखने का उद्देश्य समाज की आरोपी के प्रहारों से बचाना और उसे अच्छा नागरिक बनाना और कानून का पालन करने वाले समाज में रहने के योग्य बनाना है। जमानत कैदी के लिए उपयोगी हो सकती है। वह जेल से बाहर रहकर अपनी प्रतिरक्षा के लिए अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रयास कर सकता है। जमानत दे देने से विचाराधीन कैदी को जेल में रखने से होने वाले खर्चों से बचा जा सकता है।

कोर्ट ने जमानत देने या इंकार करने के लिए मार्ग निर्देश भी जारी किए। कोर्ट द्वारा किसी अपराध के लिए दी जा सकने वाली सजा और साक्ष्यों की प्रकृति और मात्रा के आधार पर जमानत पर विचार किया जा सकता है। जब अपराध गंभीर प्रकृति का वे और जिसकी सजा अधिक हो तो कोर्ट यह मान सकती है कि जमानत पर छूट जाने के बाद आरोपी कोर्ट में उपस्थित न होगा।

- यदि जमानत दे देने से न्याय का उद्देश्य सफल न होता हो।
- व्यक्ति का पूर्व आचरण और उसके आदतन अपराधी होने के कारण।
- यदि कोर्ट को यह लगता है कि आरोपी निर्दोष है और दूसरे पक्ष ने अपील की है।
- आरोपी की सुरक्षा और जेल में बिताया गया समय और यदि सजा हो जाए तो सजा की अधिकतम अवधि को ध्यान में रख कर जमानत पर विचार किया जाए।

डोस्कोट

इस मामले में कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि सजायाफ्ता कैदी को निर्णय

की प्रति समुचित अवधि के भीतर दी जाए ताकि वह अपील करने के अधिकार का प्रयोग कर सके।

दूसरे, यदि वह गरीबी अथवा अपनी असमर्थता के कारण विधिक सेवाओं की व्यवस्था न कर सके तो उसे निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जाए।

एस. भौमिक

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुनः निःशुल्क विधिक सहायता और समुचित प्रक्रिया की अवधारणा को रेखांकित करते हुए कहा कि समुचित व औचित्य पूर्ण प्रक्रिया के लिए निःशुल्क विधि सेवा का अधिकार है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निजी स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। राज्य, वित्तीय और प्राशसनिक कारणों का हवाला देकर इसे उपलब्ध न कराए जाने की दलील देकर अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकता। यह भी कोर्ट की ड्यूटी है कि भले ही आरोपी विधि सेवाओं के बारे में न पूछे, पर उसे विधि सेवा का अधिकार है, यह जानकारी उसे दी जानी चाहिए।

जस्टिस भगवती ने अपने निर्णय में कहा कि ऐसी प्रक्रिया जो तीव्र निर्णय नहीं कर पाती है उसे समुचित व उचित प्रक्रिया नहीं समझा जा सकता। ऐसे विचाराधीन कैदी जो लंबे समय तक जेलों में रहते हैं और सजा होने पर उनकी सजा अवधि कम होती उन्हें बंदी बनाए रखना अवैध और उनके मूल अधिकार का हनन है।

सुनील बत्रा के मामले में कोर्ट ने हाथ से लिखी गई शिकायत को रिट याचिका मानते हुए प्रक्रियागत औपचारिकताओं की उपेक्षा कर अपना ऐतिहासिक निर्णय दिया कि केवल इसलिए न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता कि प्रक्रियागत रुकावटें हैं। यह कोर्टों की जिम्मेवारी है कि व्यक्तियों पर होने वाले किसी भी प्रकार की प्रताड़ना और अत्याचारों की जानकारी किसी भी स्रोत से प्राप्त होने पर ध्यान देते हुए उसे जितनी जल्दी हो सके राहत देने का प्रयास करें। कानून का अंतिम उद्देश्य न्याय करना है और प्रक्रियाओं को न्याय देने के लिए निर्धारित किया गया है। जब यह लग रहा हो कि प्रताड़ना और हिंसा के कई उदाहरण हैं और प्रक्रियाओं की

तकनीकीगत औपचारिकताओं के कारण कैदियों को राहत से वंचित नहीं किया जा सकता अन्यथा कानून का उद्देश्य विफल हो जाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रेमांकर शुक्ला के मामले में तिहाड़ जेल के कैदी द्वारा एक जज को भेजे गए टेलीग्राम को रिट याचिका मानते हुए उसे राहत पहुंचाई।

किशोर सिंह के मामले में भी कोर्ट ने टेलीग्राम को रिट याचिका माना। जगन्नाथ नायडू केस के मामले में मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस एस. रतनवेल पांडियन ने राज्य के सभी मजिस्ट्रेटों को यह निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में जहां आपराधिक मामलों में पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की और गिरफ्तारी से छः माह के भीतर चार्ज शीट दायर नहीं की, उनकी जांच करें। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि ऐसे मामलों में सभी आरोपियों को रिहा कर उनके विरुद्ध सभी कार्रवाइयों को बंद कर दिया जाए।

मद्रास हाई कोर्ट के इस ऐतिहासिक निर्णय से राज्य में जस्टिस पांडियान ने यह पाया कि कुछ मामलों में कैदी 17 वर्षों से जेलों में थे।अपनी जमानत न करा पाने के कारण व छोटे अपराधों के कारण जेलों में बंद रहे।अपनी सजा से अधिक अवधि तक वे जेलों में बंद रहे।

- ❖ महाराष्ट्र सरकार बनाम वी प्रभाकर, ए.आई.आर. 1966 एस.सी. 424 कैदियों को जेलों में पुस्तकें पढ़ने व लिखने का अधिकार दिया गया।
- ❖ सुनीला बत्रा ने कैदियों के मूलाधिकारों को दिए जाने का प्रश्न उठाया।
- ❖ फांसिस कोरली बनाम संघ शासित प्रदेश दिल्ली, ए.आई.आर. 1981 एस.सी. 746 में उन जेल नियमों को चुनौती दी गई जिसमें परिवार के सदस्यों या विधिक सलाहकार से महीने में एक बार मुलाकात की जा सकती थी।
- ❖ शीला बारसे बनाम संघ शासन, 1993 (4) एस.सी.सी. 204 में गैर आपराधिक मानसिक रोगियों को जेल में रखने को असंवैधानिक ठहराते हुए ऐसे व्यक्तियों को रखने की मनाही की गई।
- ❖ रमा मूर्ति बनाम कर्नाटक सरकार अभियोग में सुप्रीम कोर्ट ने भारत

में जेल सुधार के लिए विभिन्न अथारिटियों को निम्नलिखित मार्ग निर्देश जारी किए।

I. 'जेलों में विचाराधीन कैदियों की भीड़' विषय पर भारत के विधि आयोग की 78 वीं रिपोर्ट के अध्याय 9 में की गई सिफारिशों पर समुचित निर्णय लें।

II. मुल्ला कमेटी की रिपोर्ट के खंड I के अध्याय 20 में छूट प्रणाली और समय पूर्व रिहाई (पेरोल) को व्यवस्थित करने की सिफारिश के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करें।

III. जेल स्टाफ को रिमांड तारीखों पर विचाराधीन कैदियों को कोर्ट में उपस्थित करने की ड्यूटी देने पर विचार करें।

IV. एक सदी पुराने भारतीय कारागर अधिनियम 1894 के स्थान पर नए कारागर अधिनियम को बनाने पर कार्रवाई करें।

V. नए अखिल भारतीय मॉडल जेल मैनुअल तैयार करने की जांच करे।

VI. मुल्ला कमेटी के अध्याय 29 में समुचित चिकित्सा सुविधाएं व स्वच्छता बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने की सिफारिश पर कार्रवाई करें।

VII सभी जेलों में शिकायत बाक्स लगाने की आवश्यकता है।

VIII संप्रेषण सुविधाएं शुरू करने व उदार करने के विषय में विचार करे।

IX जेल दौरों को सुव्यवस्थित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

X देश के जिला मुख्यालयों में खुली जेल खोलने के प्रश्न पर विचार करें।

धर्मवीर बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में खुले जेलों की प्रणाली को अपराधियों के सुधार व पुनर्वास के लिए यथेष्ट माना। कोर्ट का मानना है कि सजा का मुख्य उद्‌देश्य स्वतंत्रता से वंचित करना है। सांविधानिक तौर पर अपराध का निरपराधीकरण करता है और उसकी आत्म सम्मान की रक्षा करना पर साथ ही उसे दंड देना है। आजीवन कारावास से आशय वर्ष दर वर्ष जेल में रहना है। ऐसी अवधि से वहां रहने वाले व्यक्ति कठोर हो जाते हैं। इसलिए कोर्ट ने यह अनुदेश

दिए ताकि उनकी मानसिक स्थिति में बदलाव लाया जा सके।

1. अपेक्षित शर्तों को पूरा करने वाले कैदियों में से एक को उत्तर प्रदेश की खुली जेल में भेज दें।
2. किसान होने के नाते उन्हें कृषि कार्यों में लगाया जाए और मेहनताना दिया जाए।
3. कैदियों को उनके परिवार के संपर्क में रखा जाए।
4. परिवार के सदस्यों को उनसे मिलने दिया जाए।
5. कैदियों को वर्ष में कम से कम एक बार, सुरक्षा के भीतर अपने परिवार को मिलने भेजा जाए।
6. पेरोल पर दो सप्ताह, वर्ष में एक बार भेजा जाए यदि उसका आचरण संतोषजनक हो, ऐसा सजा की पूरी अवधि के दौरान किया जाए।

राममूर्ति बनाम कर्नाटक सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित मार्ग निर्देश विभिन्न प्राधिकारियों को दिए ताकि भारत में जेल सुधार को व्यवस्थित किया जा सके।

भारत के प्रधान न्यायाधीश ने सभी हाई कोर्टों को एक पत्र के माध्यम से ये निर्देश दिए थे कि प्रत्येक मुख्य मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्र की जेलों में माह में एक या दो बार जाकर छोटे अपराधों के कारण विचाराधीन कैदियों के मामलों व जो अपना अपराध कबूल करना चाहते हैं, के लिए, विशेष लोक अदालत लगा कर फैसले करें।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई निर्णयों में जेल प्रशासन को कैदियों के साथ व्यवहार करते समय तीन प्रमुख सिद्धांतों को ध्यान में रखने के लिए सूचित किया है।

- ❖ *जेल में कैद व्यक्ति जेल पहुंचने के बाद अ-व्यक्ति नहीं हो जाता।*
- ❖ *जेल में कैद व्यक्ति कैद की सीमाओं के भीतर सभी मानवाधिकारों का पात्र है।*
- ❖ *उसकी यातनाओं को बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है वह तो कैद में होने की प्रक्रिया में पहले ही पा रहा है।*
- ❖ *आर.डी. उपाध्याय बनाम राज्य रिट सं. (सिविल) 559/1994 के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने महिला कैदियों और उनके बच्चों के लिए*

उपचार के लिए दिशा निर्देश जारी किए।

दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने एक निर्णय में दिल्ली प्रशासन से ओपन जेल की अवधारणा को उन कैदियों के लिए अपनाने के लिए कहा है जिनसे जोखिम कम है, वे दिन भर समाज में रहकर रात को जेल में लौट आए। सुश्री कामिनी लऊ, अतिरिक्त सेशन जज ने दिल्ली प्रशासन को जेलों की भीड़ को कम करने के लिए माडल कैदी सुधार प्रणाली को अपनाने पर विचार करने के लिए कहा है। जो कैदी हिंसक व्यवहार नहीं रखते हैं उन्हें देश के दूसरे भागों में अपनाई जा रही प्रक्रिया को अपना कर जेलों में सुधारात्मक उपचार और व्यक्तिनिष्ठ सजा जिसमें पुनर्वास का रूझान हो, अपनाने का समय आ गया है।

ओपन जेल माडल में अच्छे व्यवहार वाले, कम जोखिम वाले कैदियों को रखा जाता है जिन्हें घर जाने की छुट्टी अथवा रोजगार करने का अवसर दिया जा सकता है। कम जोखिम कैदी वह होता है जिससे राष्ट्र अथवा समाज सुरक्षा को खतरा न हो और उस पर यह विश्वास हो कि वह भाग नहीं जाएगा यदि उसे खुली जेल में रखा गया।

कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर ओपन जेल का अनुकरण करने के लिए कहा है जहां दिन भर बाहर काम करने के बाद कैदी शाम को लौट आते हैं। 1960 में बनी इस जेल का एक भी कैदी आज तक न तो कभी भागा है और न अपराध की दुनिया में लौटा है। जज ने कहा कि दिल्ली सरकार भी उपयुक्त मामलों में इस वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार कर सकती है।

भले ही महिला कैदियों का अनुरक्षण राज्य का विषय है (भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची की प्रविष्टि 4) पर संसद व राज्य विधान सभाओं और विभिन्न राज्यों की कोर्टों ने सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्टों ने कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐतिहासिक निर्णय निम्नानुसार है।

- *हुसैन आरा खातून ए.आई.आर. 1979 सु. को 1360*
- *प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन ए.आई.आर 1980, सु. को 1535*
- *उपेंद्र बक्शी बनाम उ. प्र. सरकार (रिट याचिका सं. (क्रिम) 1990*

आफ 1981 आदेश सं. 23-7-1986

- *नंदिनी सत्पथी, ए.आर.आर. 1978, सु. कोर्ट 1205*
- *चिन्मया शिवदास बनाम दिल्ली प्रशासन (रिट याचिका 1981 की 25, 26 14-9-1981)*

सबसे अधिक महत्वपूर्ण मामला शीला बारसे बनाम महाराष्ट्र सरकार (ए.आई.आर. 1983 सु. को 387) का है।

शीला बारसे बनाम महाराष्ट्र सरकार मामले में कोर्ट ने यह आदेश दिया कि महिला अपराधियों को अलग लॉकअप में रखा जाए और महिला कांस्टेबल उनकी सुरक्षा करें तथा यह भी सुनिचित करें कि पूछताछ महिला पुलिस अधिकारियों के द्वारा ही की जाए। जिस मजिस्ट्रेट के सामने महिला कैदियों को ले जाया जाए वे उनसे पूछें कि पुलिस कस्टडी में उनके साथ कोई दुर्व्यवहार तो नहीं हुआ। कैदियों को विधिक सहायता दी जाए और महिला जज शहर के लाकअप में बंद महिलाओं की शिकायतों को सुनने के लिए आवधिक दौरा करें। कैदी भले विचाराधीन हो या सजा प्राप्त उसे विधिक सहायता दी जानी चाहिए। गिरफ्तारी के कारण तुरंत बताए जाए। निकट संबंधी, मित्रों और रिश्तेदारों को गिरफ्तारी की जानकारी दी जाए। उसकी चिकित्सा जांच हो। यह सभी बातें कानून का हिस्सा बन चुकी हैं।

भूटान मोहन पटनायक बनाम आंध्र प्रदेश राज्य ए.आई.आर. 1974 एस.सी. 2092 में कैदियों के पृथककरण को चुनौती दी गई। तीन जजों की पीठ ने यह निर्णय दिया कि राजनीतिक मत को दबाने के लिए कठोर उपाय नहीं अपनाए जा सकते (कैदी एक नक्सली था इसलिए उसे 'संगरोधन' में रखा गया और अमानवीय व्यवहार किया गया) तथापि कोर्ट ने यह भी राय दी कि कैदी को जेल से बाहर जाने से रोकने के लिए जेल की दीवारों से हाई वाल्ट लाइव वायर मेकेनिज्म की शिकायत नहीं कर सकता।

चार्ल्स शोभराज के मामले में कोर्ट ने यह मत दिया कि कोर्ट जेल के प्रशासन में दखलअंदाजी कर सकती है यदि कैदी के सांविधानिक अधिकारों या सांविधिक आदेश उसे चोट पहुंचाए। इस मामले में प्रताड़ना के विरुद्ध शिकायत की गई थी।

महाराष्ट्र राज्य बनाम मधुकर नारायण, ए.आई.आर. 1991, एस.सी. 207 में यह अभिनिर्धारित किया गया कि एक बुरे चरित्र वाली महिला को

भी एकान्तता (राइट टु प्राइवेसी) का अधिकार है। पुलिस को उसके घर में इस आधार पर प्रवेश करने एवं छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है कि वह एक बुरे चरित्र की महिला है।

जोली जार्ज बनाम कोचीन बैंक, ए.आई.आर. 1980, एस.सी. 470 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि एक निर्धन किंतु ईमानदार व्यक्ति जो एक कर्जदार है उसकी इस आधार पर गिरफ्तारी करना एवं जेल भेजना कि उसे अपनी निर्धनता के कारण डिक्री प्रदान की गई कि वह ऋण अदायगी करने में असमर्थ था इसलिए उसे बंदी नहीं बनाया जा सकता।

सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, ए.आई.आर. 1981, एस.सी. 1759 के मामले में यह निर्णय दिया गया कि परीक्षणाधीन कैदी तब तक निर्दोष होते हैं जब तक कि उनका अपराध सिद्ध नहीं कर दिया जाता। उनके साथ अमानवीय व्यवहार करना जैसे एकान्तवास में रखना, आवश्यक सुविधाओं से वंचित रखना, सुदूर जेल में रखना ताकि अपने परिजनों से न मिलें तथा प्रताड़ित करना अनुच्छेद 21 में प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करना है।

इस मामले में अपीलकर्ता तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा था। उसके जेल में उसके साथ किए गए बर्बर व क्रूर व्यवहार से बचाव के लिए सुरक्षा के लिए न्यायालय में अपील की। एक वार्डेन ने उसे इसलिए मारा पीटा, क्योंकि उसने उसे पैसा नहीं दिए। सुनील बत्रा जो एक सिद्ध दोष कैदी था उसे इस घटना का पता चला तो उसने न्यायालय को पत्र लिख कर इसकी सूचना दी। न्यायालय ने इस पत्र को बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख के रूप में स्वीकार कर जेल प्राधिकारियों को निम्नलिखित अनुदेश दिए।

- पीटीशनर के साथ किया गया क्रूरता का व्यवहार अवैध था और उसके साथ बिना उचित प्रक्रिया के ऐसा व्यवहार नहीं किया जाएगा।
- पीटीशनर के शरीर के साथ कोई अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाएगा।
- जिलाधीश, सेशन न्यायाधीश, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम

न्यायालय द्वारा नियुक्त अधिवक्तागण समय-समय पर जेल में जाएंगे। कैदियों से उनकी शिकायतें सुनेंगे और संबंधित न्यायालय को अपनी रिपोर्ट देंगे।

- प्रत्येक जेल में शिकायत पेटी रखा जाएगी जिसे जिलाधीश एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर खोला जाएगा।
- जिलाधीश एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा सप्ताह में एक बार जेल का दौरा किया जाएगा और कैदियों की शिकायतें सुनी जाएगी और उचित कार्रवाई की जाए।

रूदल शाह बनाम बिहार राज्य, ए.आई.आर. 1983 एस.सी. 339 के अपने ऐतिहासिक महत्व के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि नागरिकों के संवैधानिक एवं मानवीय अधिकारों का उल्लंघन होने पर न्यायालय को प्रतिकर दिलाने की शक्ति है। इस मामले में न्यायालय ने बिहार सरकार को एक कैदी रूदल शाह को 25,000 रुपए प्रतिकर देने का निर्देश दिया जो राज्य कर्मचारियो के उपेक्षापूर्ण आचरण के कारण सेशन न्यायालय द्वारा रिहाई के आदेश दिए जाने के बावजूद 14 वर्षों तक जेल में पड़ा था। अभियुक्त को सेशन न्यायालय ने 1968 में दोषमुक्त कर दिया था किंतु उसे जेल से 1982 में रिहा किया गया जब उसने उच्चतम न्यायालय में अपील की। बिहार राज्य में व्याप्त इस स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए न्यायालय ने रूदल शाह को प्रतिकर देने का आदेश दिया। इस ऐतिहासिक निर्णय से स्पष्ट है कि न्यायालय राज्य के अनुत्तरदायित्व पूर्ण कार्यों द्वारा किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने पर प्रतिकर प्रदान कर सकता है।

भीम सिंह बनाम जम्मू व कश्मीर 1985, 4, एस.सी. 677 के मामले में न्यायालय ने पीटीशनर को उसके अनुच्छेद 21 में प्रदत्त दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित किए जाने पर 50,000 रूपए प्रतिकर दिलवाया। पीटीशनर भीम सिंह विधान सभा का सदस्य था पुलिस ने उसे जान बूझकर विद्वेष के कारण अवैध रूप से गिरफ्तार किया था।

प्रभुदत्त बनाम भारत संघ के मामले में ए.आई.आर. 1982 सुप्रीम कोर्ट 597 के मामलें में यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रेस की स्वतंत्रता में सूचनाओं तथा समाचारों को जानने का अधिकार शामिल है। प्रेस को व्यक्तियों से साक्षात्कार के माध्यम से सूचनाएं जानने की स्वतंत्रता है। यह

निर्णय दिया गया कि यदि मृत्यु दंड के अभियुक्त अपनी इच्छा से कोई बात बताना चाहते हैं तो प्रेस को उनसे पूछने की अनुमति दी जानी चाहिए। यदि किसी मामले में उन्हें साक्षात्कार करने की अनुमति नहीं दी जाती है तो उसके कारणों का लिखित उल्लेख किया जाना चाहिए। इस मामले में हिंदुस्तान टाइम्स के चीफ रिपोर्टर द्वारा रंगा-बिल्ला को जेल अधिकारियों द्वारा इंटरव्यू करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया गया था जबकि दोनों सिद्ध दोष अभियुक्त स्वेच्छा से साक्षात्कार देना चाहते थे।

मुबंई हाई कोर्ट का फैसला - कैदियों को सप्ताह में दो बार मांसाहार खाने को दिया जाए : जुलाई 2011में औरंगाबाद जेल के छः सिद्धदोष कैदियों ने मुंबई हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि उन्हें भोजन में सप्ताह में कम से कम दो बार मांसाहार खाने की अनुमति दी जाए।

तीन वर्ष पहले तक कैदियों को यह सुविधा उपलब्ध थी परंतु तब जेल कर्मचारियों को मांसाहार उपलब्ध करवाने के लिए घूस दिए जाने के संदेहों के चलते इसे बंद कर दिया गया था।

कैदी अपने परिवार वालों से मिले रुपए अथवा अपनी जेल में की गई कमाई से मांसाहार खरीद कर इसे बनवा सकते थे। महाराष्ट्र जेल मैनुअल अथवा कारागार अधिनियम में मांसाहार पर किसी प्रकार की मनाही नहीं है, पर उन्हें यह सुविधा बंद कर दी गई थी।

इससे पूर्व भी दो बार उन्होंने याचिका दायर की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था, क्योंकि जेल प्राधिकारियों ने यह दलील दी थी कि दिया जा रहा भोजन पौष्टिक है।

परंतु इस बार कोर्ट ने उनकी मांग पर विचार करने के लिए जेल प्राधिकारियों का निर्देश दे दिए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले एक 25 वर्षीय नौजवान को यह सजा दी कि वे दो माह तक समाज सेवा करेगा। उस नौजवान ने अगले एक वर्ष तक अपना अच्छा आचरण दिखाने का आश्वासन दिया। कोर्ट ने पहले उसे 17 दिन की जेल का फैसला दिया था। उसकी अपील पर विचार करते हुए। अतिरिक्त सेशन जज विरेंद्र भट्ट ने उसे आद्य कात्यायनी शक्ति पीठ मंदिर, छतरपुर, महरौली में प्रत्येक शुक्रवार को शाम 5-8 बजे और रविवार को सुबह 10 बजे से 6 बजे तक भक्तों की सेवा करने का आदेश दिया। अपने निर्णय

में उन्होंने कहा कि सजा का उद्देश्य अपराधी को सुधारना है ताकि वे कानून का पालन करने वाला नागरिक बन सकें। यह देख गया है कि सामान्यतया पहली बार के अपराधियों को जेल का जीवन निष्ठुर बना कर घोर अपराधी बना देता है। हमारा मकसद उन्हें सुधारना है।

रिट याचिका ए- 559-1994 वादि आर डी उपाध्याय बनाम आंध्रप्रदेश सरकार

जस्टिस वाई के सब्बरवाल, मुख्य न्यायाधीध के द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों, संघ शासति प्रदेशों व केंद्र सरकार को निम्नलिखित मार्ग निर्देश जारी किए।

अपनी मां के साथ जेल में रहने वाले बच्चे को विचाराधीन/सिद्ध दोष नहांद्न समझा जाएगा। ऐसे बच्चों को भोजन, आवास, चिकित्सा सुविधा, कपड़े, शिक्षा व मनोरंजन की सुविधाएं अधिकार स्वरूप उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।

9 अप्रैल, 1980 को मुरबक्श सिंह सिब्बिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जेल नहीं जमानत दे क्योंकि कोर्ट का यह मानना है कि जब तक अपराध सिद्ध न हो जाए व्यक्ति निर्दोष होता है। अपनी इसी धारणा को सुप्रीम कोर्ट ने 21 नवंबर 1983 को भगरीथ सिंह के मामले में यह दोहराया कि यह देखना जरूरी है कि क्या व्यक्ति अपने केस में हाजिर होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने एस.एस. महात्रे बनाम महाराष्ट्र सरकार के मामले में 2 दिसंबर, 1982 को पुनः जेल नहीं जमानत देने के सिद्धांत को दोहराया।

आपबीती

पिछले कुछ अध्यायों में महिलाओं के अपराध की दुनिया में प्रवेश के कारणों व समस्याओं पर विचार किया जा चुका है। विभिन्न अध्ययन रिपोर्टों में भी उनकी समस्याओं व स्थितियों का आकलन किया गया है। पुष्पा, रेखा, सुनीता ये कोई नाम विशेष नहीं है, बल्कि विभिन्न जेलों में बंद महिलाओं की सच्ची दास्तानें हैं। कभी स्वयं की भूल तो कभी अपराध के चक्रव्यूह में फंस कर ही अपनी जिंदगी के दिन काट रहीं हैं।

पुष्पा ताई

इस समय पुष्पा ताई 70 वर्ष की है। अपनी बहू को जलाने के अपराध में अपने पति के साथ उम्र कैद काट रही है। 5 साल पहले पति की भी मृत्यु हो चुकी है।

अपने पति की पहली पत्नी के दोनों बच्चों को पाल-पोस कर उसने बड़ा किया। लड़की की शादी कर दी थी और बहू भी घर लेकर आई पर बहू के साथ हर दिन झगड़े होते रहते थे। बहू अपने बच्चों के साथ अलग होना चाहती थी, क्योंकि कमाने वाला एक और खाने वाले पांच थे। रुपए पैसे की तंगी के कारण हर रोज के झगड़ों से तंग आकर बहू ने अपने को आग लगा ली पर मरने से पहले वह पुलिस को बयान दे गई कि मैं अपने सास-ससुर के व्यवहार की वजह से आग लगा कर मर रही हूं। पुलिस ने उनके बेटे को भी हिरासत में लिया। पति-पत्नी दोनों को आजीवन कैद हो गई। अलग अलग जेलों में बंद हो गए।

उसका पति सदमे से जेल में मर गया। पुष्पा ताई की दोनों आंखों में मांतिया उतर आया है। जो कसूर उसने किया ही नहीं उसकी सजा बरसों

से भुगत रही है। वह अपने पति की तरह जेल में ही नहीं मरना चाहती। सरकार उसे रिहा करना चाहती थी पर उसका बेटा उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ क्योंकि उसके आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे।

जेल में एन.जी.ओ. की कार्यकर्ताओं और दूसरी कैदियों से बहुत अधिक घुलने मिलने की अब उसकी उम्र नहीं रही। हर दिन त्योहार पर पूजा पाठ व्रत रखने वाली पुष्पा ताई का मन अब किसी प्रकार की पूजा में नहीं लगता। जिन बच्चों की खैरियत के लिए उम्र भर पूजा पाठ करती रही जिस घर की शांति के लिए व्रत रखती रही वहीं से मिले क्लेश ने इस कद्र तोड़ दिया कि अब अपने आखिरी वक्त का इंतजार कर रही है। बाहर जाना तो चाहती है पर सिर छिपाने की कोई जगह नहीं। इस उम्र में कही कोई काम भी कहां कर पाएगी। इससे तो बेहतर जेल की चार दीवारी ही है जहां कम से कम वक्त पर खाना और सिर पर छत तो है। सुबह शाम सभी कैदियों की गिनती में अपना नाम तो है। वरना बाहरी दुनिया में वह जी भी रही है कि नहीं कौन पूछेगा।

सुनीता

गरीब परिवार की खूबसूरत लड़की होना भी एक समस्या है। गरीबी के कारण पढ़ाई-लिखाई संभव नहीं थी। किसी फैक्टरी में मजदूरी करने लगी। छोटी उम्र में बहकना भी एक आम बात है। अपनी से दुगुनी उम्र के व्यक्ति के प्रेमजाल में फंस गई। शादी के झांसे के नाम पर शरीर शोषण होता रहा। ड्रग बेचती पकड़ी गई पर छुड़ाने के लिए जमानत देने के लिए कोई नहीं आया। *सुनीता अकेली नहीं है जिसकी जमानत कराने कोई नहीं आया, देश के हर जिले की जेलों में ऐसी कई सुनीता हैं जो जमानतों के अभाव में सालों साल जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं।*

पद्‌मा

पद्‌मा की तीन जवान लड़कियां थीं और एक दो-साल की थी। उसकी दूसरी लड़की को कालेज आते-जाते समय एक लड़का रोज तंग करने लगा। उस लड़के के घर जाकर उसको डांट-फटकार आई। उस लड़के ने पदमा के खिलाफ चोरी का इल्जाम लगा कर उसे गिरफ्तार करा दिया। कोर्ट में केस

चल रहा है पर तारीख पर तारीख पड़ती जा रही है पर फैसला अभी नहीं हुआ। जिन लड़कियों को गुंडों से हिफाजत के लिए वह लड़ने पहुंच गई थी अब उन्हीं को बाहर छोड़कर वह जेल में बंद हैं। उनके साथ क्या बीत रही होगी इसकी चिंता उसे हर दम सताती है।

चंद्रा

चंद्रा के पति की पहली पत्नी एक वर्ष की बच्ची छोड़कर चली गई थी। उस एक वर्ष की बच्ची को उसने अपना बच्चा मान कर पाला। चार-पांच वर्ष तक सब ठीक चलता रहा। फिर एक दिन वह खुद मां बनी। मां बनने के बाद सौतेली बेटी के साथ उसका व्यवहार बदलने लगा। उसे लगने लगा कि जब दोनों बेटियां पास होती हैं तो उसका पति अपनी बड़ी बेटी को ज्यादा प्यार करता है और उसकी बेटी को वह उतना प्यार नहीं करता। अपनी ईर्ष्या को वह नियंत्रित नहीं कर पाई और एक दिन गुस्से में उसे इतने जोर से धक्का मारा कि दीवार का कोना उसके सिर पर इस कद्र लगा कि वह मौके पर ही मर गई।

जिस समय वह जेल में आई उस समय चार माह की गर्भवती भी थी पर वह शिशु पैदा होते ही मर गया। आज वह अकेली है उसका पति भी उसे मिलने नहीं आता।

सुनंदा

सुनंदा का पति नपुंसक था और उम्र में भी उससे बीस बरस बड़ा। ऐसे में देवर से उसके नाजायज रिश्ते बन गए। फिर कुछ रोज बाद देवर का विवाह हो गया पर देवर भाभी के संबंध न छूटे। इस बीच सुनंदा के पति की मृत्यु भी हो गई। अब हर रोज देवरानी के साथ झगड़े होने लगे। इन झगड़ों से तंग आकर देवरानी ने अपने को फंदा लगा लिया। पर सभी ने उसी को कसूरवार ठहराया। पुलिस उसे पकड़ कर ले गई। उसके अपने कोई भाई-बहन थे ही नहीं जो उसकी मदद करने के लिए आते। कितने ही बरस बीत गए देवर भी कभी मिलने नहीं आया। आज उसे अपने अतीत पर घिन्न होती है। पर अब पछताने से भी कुछ हासिल नहीं हो सकता।

जेल में शुरू के कुछ दिन काफी तकलीफ में गुजारे। बदबू से भरे

शौचालय, बाथरूम के दरवाजे तक न थे। अंधेरी कोठरी में बस एक बिस्तर भर की जगह, ऐसा लगता था कि बीमार पड़ जाएगी। पर तकलीफ में भी जीने की आदत पड़ जाती है।

एन.जी.ओ. की दीदी ने बहुत मदद की। जो गलती की नहीं थी उसकी सजा भुगत रही थी। एन.जी.ओ. की वकील ने मुफ्त में कानूनी सलाह दी और उसका केस भी लड़ रही है। यहां रहते हुए थोड़ा बहुत पढ़ना भी सीख लिया और सिलाई कढ़ाई भी। यदि केस का फैसला उसके हक में हो गया तो अपने पैरों पर खड़ी हो कर अपना जीवन बिता लेगी पर देवर से फिर कोई नाता नहीं रखेगी, यह उसने ठान रखी है।

दुर्गा

42 वर्ष की दुर्गा अपना गांव छोड़कर अपने दो छोटे बच्चों के साथ शहर आ गई थी। एक फैक्टरी में उसे काम भी मिल गया और फैक्टरी में ही काम करने वाली लीला ने अपनी चाल में ही एक कमरा उसे भी दिलवा दिया था। लीला का घर वाला उस पर बुरी नजर रखता था। कई बार उसे अकेला पाकर उससे बदतमीजी करने की कोशिश की पर एक दिन चाकू की नोंक पर उससे शारीरिक संबंध बना ही लिए। नशे की हालत में चूर होकर जब वह निढाल पड़ गया तो गुस्से में तमतमाई दुर्गा ने अपने नाम के अनुरूप चंडी रूप धारण कर उसे उसी चाकू से गोद डाला।

दुर्गा को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं पर सदमा जरूर था कि यह उससे कैसे हो गया। कोर्ट उसे आजीवन कारावास की सजा देगी, वह जानती है। वह यह भी जानती है कि उसके बच्चे उम्र भर उसके साथ जेल में नहीं रह सकते। अब उन्हें किसी अनाथालय में ही पलना होगा। *क्या अपनी इज्जत बचाने की सजा उम्र कैद होती है? यह कैसा न्याय है? उसके बच्चे तो इस न्याय का हर्जाना भुगतेगें? क्या वे अपनी मां को कभी इंसाफ दिला पाएंगे?*

पूर्णिमा

गरीब परिवार की पूर्णिमा का विवाह छोटी सी उम्र में हो गया था। वह बहुत कम उम्र में ही वह तीन बच्चों की मां बन गई और दारू पीकर पति

उसे हर वक्त पीटता भी था। फिर एक रोज वह उसे छोड़ कर दूसरे शहर चला गया। तीन बच्चों की जिम्मेवारी उसके सिर आन पड़ी। अनपढ़, गंवार औरत को अपने बच्चों का पेट पालने के लिए अपना जिस्म बेचना पड़ा। पैसों की बढ़ती चाहत ने नकली शराब व ड्रग्स बेचने का धंधा भी शुरू करा दिया। ऐसे में एक न एक दिन पुलिस की गिरफ्त में आना ही था।

जेल में अब वह सिलाई सीख रही है। उसे अब अपनी लड़कियों की चिंता है। वह जल्द से जल्द छूटना चाहती थी। उसे डर था कि कहीं कोई उसकी मासूम लड़कियों को बहका कर इस धंधे में बैठने को मजबूर न कर दे।

शारदा

शारदा के पति ने उसे छोड़ दिया था। भाइयों ने भी नाता तोड़ लिया था। तीन छोटे-छोटे बच्चों की परवरिश करने की जिम्मेवारी उसे गांव से शहर ले आई वह एक फैक्टरी में काम करने लगी पर कभी कोई मजदूर तो कभी दूसरा मजदूर अपनी हवस का शिकार बनाने लगा फिर एक दिन उसे लगा कि धंधे पर बैठ जाने से ही यदि चार पैसे ज्यादा मिलते हैं तो क्यों दिन भर मजदूरी करे। धंधे पर पहले खुद बैठी फिर दलाली भी करने लगी। एक रोज किसी छोटी बच्ची को कोई उसके यहां आकर बेच गया पर पुलिस का छापा पड़ गया और वह पकड़ी गई। कोर्ट में केस चल रहा है।

उसे चिंता है तो अपनी बारह साल की लड़की की। दोनों छोटे बच्चों को तो वह जेल में साथ ले आई थी। एन.जी.ओ. की टीचर जी आकर उन्हें पढ़ाती है। उनके लिए कपड़े व खिलौने भी ले आती है। यहां समय पर खाना-कपड़ा मिल जाता है। कभी-कभी उसे लगता है कि जेल की दीवारों के भीतर वह बाहर की दुनिया की अपेक्षा ज्यादा सुरक्षित है। यदि बड़ी बेटी को भी वहां रहने को मिल जाए तो वह कभी बाहर जाए ही नहीं।

राधा

राधा के दो बच्चे थे जिनमें से एक की उम्र 12 वर्ष और दूसरा 8 वर्ष का था। किसी व्यापारी के घर में वह नौकरानी थी। परिवार की जूठन पर गुजर बसर कर रही थी पर जब परिवार के छोटे-छोटे बच्चों को चार-पांच सौ रुपए का पिज्जा खाते, नित नए कपड़े, हर दूसरे दिन होटलों में जाकर

खाते देखती तो उसे अपने बच्चों की किस्मत पर तरस आता। होली-दिवाली पर मेमसाब के दिए पुराने कपड़े उसे खुशी नहीं बल्कि घुटन देते थे। अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी देने के लिए उसने छोटी-छोटी चोरियां करनी शुरू की। जब उसे लगा कि किसी को पता नहीं चलता कि उसने क्या उठाया है तो उसका हौंसला बढ़ गया। एक रोज एक हीरे का सेट और हजार रुपए की नोटों की गड्डी पर उसका मन आ गया। इतनी बड़ी रकम और हार की चोरी तो पकड़ी ही जानी थी। मालिकों ने पकड़वा दिया। अब जेल में है। उसकी जमानत हो सकती है पर बाहर आने पर रहने का ठिकाना फिर से ढूंढना पड़ेगा।

आशा

नाम तो उसका आशा था पर जीवन में निराशा ही निराशा थी। पिता ने गरीबी के कारण पांच हजार रुपए लेकर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से उसका विवाह कर दिया। जिस आदमी से उसका विवाह किया गया उसकी पत्नी उसे छोड़ कर चली गई थी। धीरे-धीरे उसे पता चला कि उसकी बुरी आदतों की वजह से ही पत्नी छोड़ गई थी। वह अपनी पत्नी को नित नई लड़कियां लाने के लिए मजबूर करता था यदि वह नहीं लाती थी तो उसे पीटता था।

आशा को भी वह उसी तरह मजबूर करने लगा। गरीबी की वजह से वह उसे ग्राहकों को सौंपने लगा। एक रोज किसी ग्राहक से वह पांच हजार रुपए लेकर अपनी बहू का सौदा करना चाहता था। ग्राहक और उसमें झगड़ा इस कद्र बढ़ा कि ग्राहक ने उसके सिर पर बड़ा पत्थर मार दिया जिससे वह मौके पर ही दम तोड़ गया। ग्राहक तो भाग गया पर सौतेले बेटे ने पुलिस को उसके पिता की हत्या के लिए गिरफ्तार करा दिया। उसे आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। सुबह शाम योग कक्षाओं में जाती है। थोड़ा बहुत पढ़ना सीख रही है।

लीला

26 वर्ष की लीला दसवीं तक पढ़ी थी। एक पढ़े-लिखे नौजवान से शादी भी हो गई। दो प्यारे-प्यारे छोटे से बच्चे भी थे। एक खुशहाल परिवार

की तस्वीर थी। पर उस शांत से परिवार में तूफान बन कर दूर का रिश्तेदार उनके घर रहने के लिए आ गया। गांव से आए इस रिश्तेदार को नौकरी की तलाश थी। नौकरी तो उसे मिली नहीं। लेकिन वह लीला के साथ घर-परिवार के कामों में हाथ बंटाने लगा। बच्चों के स्कूल चले जाने के बाद दोनों घर पर अकेले रह जाते। उस अकेलेपन का फायदा उठाने में उन्हें ज्यादा देर नहीं लगी। अब पति को अपने रास्ते से हटाने का कार्यक्रम बनाने लगे और फिर एक दिन उसे मार भी डाला। जब पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया तो वह सारा आरोप लीला पर लगा कर केस से अलग हो गया।

अब वह उसे पहचानता तक नहीं। अब सिर्फ रोने के अलावा कोई चारा नहीं। उसने कैसे अपने सुखी परिवार में आग लगा डाली उसे इसका बेहद दुख था। अब वह अनपढ़ लड़कियों को पढ़ाती है। एन.जी.ओ. की दीदी ने उसे आगे पढ़ने की सलाह दी है। वह जेल की फैक्टरी में काम करती है और अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपनी कमाई उन्हें भेजना चाहती है।

जया

गरीबी और अशिक्षा दो ऐसी बुराइयां हैं जो जिंदगी को सिर्फ हालात के सहारे पग-पग संघर्ष करने के लिए बेबस कर देती है। जया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। किसी फैक्टरी में काम भी मिला और वहां के सेक्युरिटी गार्ड से विवाह भी कर लिया तो बाद में पता चला कि वह व्यक्ति पहले से ही विवाहित था। उसने जया की कमाई पर भी कब्जा कर लिया। उसे हर रोज दारू पीकर पीटना उसकी रोज की दिनचर्या थी। उस पर हर वक्त शक करना उसे पीटना उसकी आदत थी। एक रोज झगड़ा करते हुए मिट्टी का तेल उस पर छिड़क दिया और छीना झपटी में उसने मिट्टी का तेल उसी पर उंड़ेल दिया। वह उसे मारना चाहता था पर खुद मारा गया।

जया ने उसे मार डाला उसे अभी भी विश्वास नहीं होता भले ही आज वह जेल में बंद है। उसे मार कर उसे कोई अपराध बोध नहीं है, बल्कि खुशी ही है कि अब दिन रात कोई उसे प्रताड़ित नहीं करेगा।

एन.जी.ओ. कार्यकर्ता उसको आगे पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। जीवन में दुःख ही दुःख झेलने के बाद जीने की आशा धूमिल पड़

जाती है पर दुःख के आगे भी जीवन है और उसी में नई राहें तलाश करनी है।

बाला

48 साल की बाला ने बड़ी धूम-धाम से अपने बेटे की शादी की। उसे उम्मीद थी कि शादी में बहू काफी दहेज लाएगी पर एक छोटे से सूटकेस में कुछ जोड़े ही उसका दहेज था। घर में दिन-रात दहेज न लाने के झगड़े होने लगे। बहू अक्सर सबको यह धमकी देती कि मैं अपने को आग लगा कर मर जाऊंगी और एक दिन हर रोज के झगड़ों से तंग आकर बहू ने आत्महत्या कर ली और मरने से पहले अपनी सास को अपनी मौत का जिम्मेवार ठहरा गई। बेटे ने तो दूसरी शादी कर ली हैं लेकिन उसके लिए घर हमेशा के लिए छूट गया है।

निशा

मध्य वर्ग परिवार की लड़की निशा का ब्याह एक संयुक्त परिवार में हुआ। अपने परिवार में उसे केवल चार लोगों का खाना बनाना पड़ता था, पर यहां सुबह पांच बजे उठकर चौका संभालना पड़ता और दिन भर काम के साथ-साथ सास-जेठानियों के ताने सुनने को मिलते। शाम को पति जब काम से लौटता तो सास उसे दिन भर की शिकायतें करती और पति से जब तक पिटाई न होती उसका दिन पूरा नहीं होता था।

निशा तीन महीने की गर्भवती थी पर उसकी चिंता करने वाला वहां कोई नहीं था। मार-पिटाई व काम में कोई आराम न था। उसके पेट में पल रहा बच्चा लड़का नहीं लड़की है यह परीक्षण भी कराया गया और उसे गर्भपात कराने के लिए दबाव बनाया गया। सास उसे पिलाने के लिए जहर भी लाई। हर दिन की प्रताड़ना से तंग आकर उसने सास को चाकू से गोद कर मार डाला। वह उस पर तब तक वार करती रही जब तक थक कर चूर न हो गई।

पुलिस के आने पर अपने को गिरफ्तार करा दिया। उसके परिवार ने जमानत दिलानी चाही पर उसने बाहर आने से इंकार कर दिया। वह अपनी बच्ची को वहीं जन्म देना चाहती थी। उसकी बच्ची अब तीन बरस की हो चुकी है।

देवी

20 वर्ष की देवी एक गरीब परिवार की लड़की थी। घर के पास ही एक मोटर मेकेनिक से उसे प्यार हो गया। हर लड़की की तरह उसका भी सपना घर बसाने का था पर शादी के नाम पर वह उसे टाल जाता। फिर एक दिन पता चला कि उसने किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली। अपने पिता और अंकल की मदद से उसने उस लड़के को मार डाला।

दुःख तो होता है जब सपने टूटते हैं पर क्या क्रोध में किसी को जान से मार कर सुख पाया जा सकता है।

रीता-सीता-गीता

ये तीन नाम हैं जिन्हें पुलिस ने ठाणे बस स्टैंड के पास पकड़ा था। ये रेलवे स्टेशन के आस पास, मार्केट और भीड़-भाड़ वाले अन्य स्थानों पर महिलाओं व युवतियों का ध्यान बंटा कर उनके गहने, मोबाइल फोन और पर्स उड़ाने का काम करती थी। पुलिस ने जब इन्हें गिरफ्तार किया तो उनके घर से छः लाख मूल्य के गहने, मोबाइल फोन, घड़ियां, नकदी व पर्स बरामद किए। गहनों के अलावा 40 मोबाइल फोन, 110 छोटे बडे पर्स, दस घड़ियां और पचास हजार नकदी बरामद की। तीन सहेलियां तो पकड़ी गई पर अन्य तीन की पुलिस को तलाश थी। ये महिलाएं चोरी का सामान बेच कर मिली नगदी से ब्याज पर पैसा देने का व्यवसाय करती थी। शक्ल-सूरत से किसी दफ्तर में काम करने वाली मासूम सी दिखती इन लड़कियों को जब ढंग की नौकरी न मिली तो रुपए कमाने का यह रास्ता आसान लगा।

उमा माहेवरी

चेन्नै के वाडापालानी में रहने वाली उमा माहेवरी ने तीन लोगों की मदद से अपने पति को बिजली के करंट से मार डाला और फिर खुद पुलिस स्टेशन पहुंच गई और अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उसकी मदद करने वाले तीनों आरोपी फरार हैं।

पुलिस के अनुसार उमा माहेवरी का पति एक जिम चलाता था उसकी पांच दुकानें भी थीं। उमा का कहना था कि वह अक्सर घर में लड़कियां लेकर आता था। उमा के बहुत सारे जेवर उसने बेच डाले थे। वह अब घर

को भी दो करोड़ में बेच डालना चाहता था। घर उमा के नाम पर था वह हर दूसरे दिन उस मकान को बेचने का दबाव बना रहा था। उसे पीटता भी था। रोज के झगड़ों से तंग आकर उसने उसे मार डालने का निर्णय लिया।

प्रिया

ऐसा नहीं होता कि कोई स्त्री अपराध की दुनिया में अकेले कदम रखे। जल्द से जल्द अमीर बनने के लिए सपना देखने वाले पति-पत्नी मिल कर ठगी करते थे। प्रिया और उसके पति ने सैकड़ों बेरोजगारों को डाटा एंट्री का काम देने के बहाने लाखों की ठगी की। वे बेरोजगार युवकों से दस से पचास हजार रुपए डिपाजिट के रूप में लेते थे। उन्हें प्रति एंट्री पांच रुपए की राशि काम करने के लिए दी जाती थी। कई महीने काम करने के बाद एक दिन अचानक उनका कार्यालय जब बंद हो गया तो लोगों की शिकायत पर पुलिस ने फरार दंपति को गिरफ्तार कर लिया।

निर्मला

रेलवे पुलिस की अपराध शाखा ने निर्मला को जिस समय गिरफ्तार किया उस समय उसके पास 360 ग्राम सोने के जेवर और सात लाख रुपए थे। पुलिस ने उसे सी.सी.टी.वी. फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया। कर्नाटक की रहने वाली निर्मला मुंबई की लोकल ट्रेन की भीड़ भाड़ का फायदा उठा कर उसमें सवार महिलाओं के पर्सों पर हाथ साफ करती थी।

डा. नीता

गरीब मरीजों को मुफ्त में इलाज के नाम पर उनकी लाचारी का फायदा उठाने वाली डाक्टर को सलाखों के पीछे पहुंचाना भी जरूरी है। चार माह के बच्चे को मुफ्त इलाज के नाम पर अपने नर्सिंग होम में भर्ती करने के बाद उसके परिवार के लोगों को मिलने से मना कर दिया गया तो परिवार के सदस्य पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस यदि फुर्ती नहीं दिखाती तो बच्चा बिक गया होता। किसी निःसंतान दंपत्ति से पेशगी रकम डाक्टर ले चुकी थी। पूछताछ के दौरान पता चला कि इससे पहले भी वह कई बच्चे

बेच चुकी है। उसका पति भी डाक्टर है, पर दोनों इस पेशे के नाम पर धब्बा हैं। वह ऐसा सर्जन है जो गरीबों की किडनियां निकाल कर बेचता है। 'निःशुल्क चिकित्सा' के नाम पर ऐसा धंधा करने वाले डाक्टर आज सलाखों के पीछे हैं।

मयूरी

16 वर्ष की मयूरी की पड़ोस में रहने वाले रमा से दोस्ती थी। मां बाप को यह दोस्ती पसन्द न थी। उसे कई बार डांट-फटकार भी दी गई पर उस पर कोई असर न हुआ। एक दिन सुबह उठकर उसने सारे घर की साफ-सफाई की। खाना बनाने में मां की मदद की। दोपहर को उनके साथ खाना खाने बैठी और बीच में यह कह कर उठी कि किचन से पानी लेकर आती है। मां आवाजें ही देती रही कि अंदर क्या कर रही हो, बाहर आओ पर कोई जवाब नहीं मिला। खाना खाते-खाते पिता की तबीयत अजीब सी होने लगी। मां और पिता दोनों बेहोश हो गए।

कुछ देर बाद मां को तो होश आ गया। उसने उठकर देखा कि मयूरी गायब थी और घर के दरवाजे खुले थे। पिता को अस्पताल लेकर गए पर खाने में मिलाई गई बेहोशी की दवा अपना गहरा असर कर गई, उन्हें बचाया न जा सका। मयूरी घर से डेढ़ लाख रुपए के जेवर और दस हजार नकदी और मां की कुछ भारी साड़ियां लेकर गायब हो चुकी थी। पड़ोस का वह लड़का भी घर से फरार था।

डेढ़ लाख के जेवर और दस हजार की राशि ज्यादा दिन नहीं चलती। कहीं चोरी करते दोनों पकड़े गए। पिता की हत्या के जुर्म में उसका केस चल रहा है। ऐसी हत्यारिन बेटी को मां भला जमानत भी क्यों दिलाएगी। कोई उससे मिलने भी नहीं आता। अपनी इस गलती के लिए उसे दुःख है पर कोई भी प्रायश्चित अब उसके पिता को वापिस नहीं ला सकता। काउंसलर उसे आगे पढ़ने के लिए मदद कर रही है।

हेमलता

लोकल ट्रेनों की भीड़ का फायदा उठाने वालों की कोई कमी नहीं है। हेमलता का शौक लोकन ट्रेन में महिलाओं के मोबाइल फोन उड़ा लेने का

था। सिम को बाहर फेंको और अपनी सिम उसमें डाल लो। अपने साथियों के बीच बैठकर अपने नए मोबाइलों की शान बघारे उसे यही अच्छा लगता था। पर एक रोज दूसरी महिला के पर्स से फोन निकालते उसे किसी दूसरी महिला ने देख लिया और सबने मिलकर पुलिस के हवाले कर दिया। उस रोज भी उसके पर्स में चोरी के चार मोबाइल थे। जब पूछताछ की तो पता चला कि नए मोबाइलों के शौक में वह चोरी करती थी। उसके घर में भी आठ महंगे मोबाइल मिले। ऐसा शौक भी किस काम का जिसके चलते सलाखों के पीछे पहुंचना पड़े और जहां फोन की सुविधा के नाम पर केवल पांच मिनट से ज्यादा बात ही न कर पाए।

संगीता

बड़े शहरों की चकाचौंध छोटे शहरों से आए गरीब व्यक्तियों को अपराध के गर्त की ओर मांड़ देती है। संगीता के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। पुलिस भले ही घर में नौकरानी रखने से पहले उसके चरित्र की जांच करने की सूचनाएं हमेशा देती रहती है। पर संगीता की भोली सूरत देखकर उसकी नीयत पर शक किसी को नही हुआ। अमेरिका में रह रहे एक दफ्तर का डेढ़ साल का बच्चा अपने दादा दादी के पास रहने के लिए भारत आया। जिसकी देखरेख के लिए संगीता को उन्होंने काम पर रखा।

घर में खाने-पीने की तमाम सुविधाएं थी पर लालच कहां थोड़े में सब्र करने देता है। संगीता का पति पास की बिल्डिंग में नौकर था। दोनों ने मिल कर बच्चे के अपहरण की साजिश रची। बच्चे को बाहर घुमाने के बहाने वह घर से बाहर निकली। पर वापिस नहीं लौटी। पड़ोस की बिल्डिंग में काम करने वाला पति भी जब अचानक गायब हो गया तो पुलिस का ाक गहरा हो गया। पुलिस को उसका मोबाइल बंद मिला पर मोबाइल के ब्योरों से वे उसे पकड़ पाए। दोनों बच्चे को लेकर दिल्ली जाने की योजना बना रहे थे जहां जाकर उनका इरादा बच्चे के दादा से पांच लाख की फिरौती मांगने का था। उन्होंने अपना खाता हैदराबाद में खोला था जिसमें उसके दादा को रुपए डालने के लिए कहते। रुपए निकलवाने के बाद बच्चे को किसी प्लेटफार्म पर छोड़कर नेपाल जाना चाहते थे।

यदि फिरौती की रकम न मिलती तो वह उसे भिखारियों के किसी गैंग

को बेच डालते। उनके अपने तीन बच्चे नेपाल में हैं। अब दोनों पति-पत्नी अलग अलग जेलों में बंद हैं। बच्चों के पास लौटने की सूरत उन्हें दिख नहीं रही है।

ज्योत्स्ना

एक बहन का पढ़ाई में तेज होना और दूसरी का नालायक होना यह मामूली सी बात है। पर जब नालायक बहन अपनी होशियार बहन के दस्तावेज दिखाकर अपना नाम भी ज्योत्स्ना बता कर नौकरी पा ले और बहन को यह तब पता चले जब वह नकली नाम के साथ उसी के पति की पत्नी भी बन जाए। ऐसी धोखेबाज बहन को सबक सिखाने के लिए गुंडों की मदद लेकर उसका अपहरण करवा दिया।

आज दोनों ही एक ही जेल में बंद हैं। एक धोखाधड़ी के आरोप में तो दूसरी अपहरण के आरोप में।

रेखा

जब पिता ही अपनी लक्ष्मण रेखा पार कर जाएं तो बेटी के लिए अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे मार डालना गलत कैसे हो सकता है। बी.ए. अंतिम वर्ष में पढ़ने वाली रेखा से जब उसके शराबी पिता ने चाकू की नोक पर बलात्कार करने की कोशिश की तो उसने उसके हाथ से चाकू छीन कर उसके पेट पर बार बार वार करके मार डाला।

उस खौफनाक रात को याद करते हुए वह बताती है कि वह सोई हुई थी जब उसका पिता काम से घर लौटें वह शराब के नशे में धुत्त था। उसने उसे पानी लाने के लिए कहा। जब उसने पानी ला कर दिया तो उसने उसे वहीं सोने के लिए कहा। उसके मना करने पर चाकू की नोक पर बलात्कार करने की कोशिश की। उसके हाथ से चाकू छीन कर उसने बेतहाशा उसे घोंप दिया।

उसे मारने के बाद उसने अपने भाई को फोन किया। अल सुबह भाई आया। उसने जाकर पुलिस को बुलाया।अपने को गिरफ्तार कराने का उसे रंच मात्र भी दुःख नहीं हुआ। ऐसा शराबी पिता जो नशे में अपनी बेटी को भी हवस का शिकार बनाए, भला जीने का क्या अधिकार है।

मीना

बच्चे उठाने के लिए हर बार नया रूप धारण करने की आदत थी। पर इस बार एक गरीब औरत का भेष महंगा पड़ गया। एक घर का दरवाजा खुला था। सामने देखा एक छोटा बच्चा सो रहा था। मां वहीं आस पास दिखी नहीं। बच्चे को उठाया और जल्दी से भीड़ में खो जाना चाहती थी। पर एक आदमी से टकरा गई।

कोई समाज सेवी रहा होगा। इस बार गरीब हुलिया और बच्चे की वेशभूषा दोनों मेल नहीं खा रही थी। उसने सवाल-जवाब करने शुरू किए। इस बीच बच्चा भी जाग गया जो उसे देख डर करके रोने लगा और कहने लगा कि मां के पास जाना है। भीड़ जमा हो गई थी। बच्चे की मां भी रोते-रोते घर से बाहर सड़क पर आ चुकी थी। लोगों ने पुलिस बुला कर उसे पकड़वा दिया।

पुलिस ने उससे जानना चाहा कि वह किस गैंग के लिए काम करती है। पर उसने चुप रहने में ही भलाई समझी, नहीं तो पुलिस उसके पति को भी जेल में बंद कर देती तो उसके दो बच्चों का क्या होता।

गोरंगी मुरमू

ओड़िसा में बरीपाडा से 70 कि.मी. दूर पुलिस आउंटपोस्ट में एक आदिवासी लड़की अपने हाथों में एक कटा हुआ सिर लेकर पहुंची। 18 साल की इस लड़की ने 60 वर्ष की एक बुढ़िया का सिर काट दिया था, क्योंकि वह उसे डायन समझती थी।

उसे शक था कि इस बुढ़िया की वजह से एक भाई मर गया और दूसरा बीमार रहने लगा था। यह बुढ़िया उसकी बहन की सास थी।

जेल में बंद होने के बाद अब वह आगे पढ़ना चाहती है। उसे लगता है कि अब वह पढ़ाई कर सकती है, क्योंकि डायन बुढ़िया मर चुकी है। अब उसके परिवार में कोई रहस्यमई वारदातें नहीं होंगी।

रूपा

रूपा ने अपने पति की गला घोंट कर हत्या कर दी। इसके लिए उसने पति के दोस्त की मदद ली। अगले दिन सुबह उसने पड़ोसियों को बुला कर

कहा कि उसका पति उठ नहीं रहा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह पता चला कि उसका हार्टफेल नहीं बल्कि अंदरूनी चोट से उसकी मृत्यु हुई है।

पुलिस ने जब उससे गहन पूछताछ की तो उसने सच उगल दिया कि मैंने अपने पति से मुक्ति पा ली है। उसे लगता था कि उसके पति के किसी दूसरी औरत से संबंध हैं। इसी बीच रूपा ने अपने पति के दोस्त से अवैध संबंध बना लिए थे। उसे लगता था कि उसे इस प्रकार मार डालने से किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और वह उसके दोस्त से शादी कर लेगी।

घर में रात में पति को मार कर सुबह सामान्य व्यवहार करने वाली रूपा, इस सामान्य बने रहने का ढोंग अधिक देर तक न कर पाई।

अरूणा

एक मशहूर टी.वी. सीरियल में छोटी सी भूमिका करने वाली अरुणा और उसकी दो सहेलियों को पुलिस ने एक बडे माल से रंगे हाथ चोरी करते हुए गिरफ्तार किया। छुट्टी के दिन जब अक्सर बड़े माल में लोगों की बेइंतहा भीड़ होती है, उसी का फायदा उठा कर वे किसी भी दुकान मे सेल्समैन को इस कदर उलझा देती थी कि उसने कितने मोबाइल उन्हें अब तक दिखाए है तो कभी कितने ईयरिंग वे कानों में लटका कर दूसरे अपने पर्स में डालती थीं। अरुणा को पहले भी पुलिस ने जुआ खेलते गिरफ्तार किया था।

रूथ और रूडल्फ

पति-पत्नी दोनों अपराध की दुनिया के संगी साथी होते ही हैं पर भाई-बहन दोनों मिल कर अपराध करें यह भी अब एक सामान्य खबर है। ये दोनों भाई-बहन बेरोजगार थे और अपने छोटे शहर से बड़े शहर में अपनी किस्मत आजमाने आए थे। दोनों ने ही स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं की। एक टूटा परिवार, जहां स्कूल टीचर मां दूसरे शहर में और पिता किसी दूसरी स्त्री के साथ किसी दूसरे शहर में रहते हैं। मुंबई में दोनों भाई-बहन एक साथ नहीं रहते पर धंधा एक साथ करते है। बाईक पर सवार होकर सूनी सड़कों में आटों में बैठी सवारी का बैग छीनने का काम पिछली सीट पर बैठी बहन करती थी और भाई तेजी से गाड़ी दौड़ा ले जाता था।

लोगों की बताई गई पहचान के आधार पर एक रोज दोनों गिरफ्तार

हो गए। उनके पास से तीन बैग, पच्चीस मोबाइल, सनग्लासेस, कैमरा आदि मिले। एक अच्छे लाइफ स्टाइल की चाहत ने उन्हें बाइक पर बैठकर चोरी करने वाला बना दिया।

भाई-बहन दोनों की ही सगाई हो चुकी थी। जिनसे उनकी सगाई हुई थी, उन दोनों को ही नहीं मालूम था कि उनकी कोई अच्छी नौकरी नहीं है और वे इस तरह चोरियां करते हैं।

शीला देवी गौतम

ठाणे कोर्ट ने नवजात शिशु को पानी के ड्रम में डुबोकर निर्दयता पूर्वक हत्या करने वाली शीला देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

शीला देवी ने 25 सितंबर 2005 को घर में ही बच्चे को जन्म दिया। दोनों की स्थिति गंभीर होने के कारण इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया। पहले मां और बच्चा अलग-अलग वार्ड में थे। जब 8 अक्टूबर को नवजात शिशु को मां के पास रखा गया तो वह बहुत ज्यादा रोने लगा। बच्चे के लगातार रोने से परेाान और झल्लाई मां ने बच्चे को पानी के ड्रम में डुबकर उसकी हत्या कर दी। अस्पताल की नर्सों ने बच्चे की तलाश की, उसका कहीं पता न चला। जब उससे बार-बार पूछा तो सच्चाई सामने आई। उस हत्यारी मां के खिलाफ केस चला और उसे दोषी करार दिया।

डा. बीना

देश के हर कोने में अपने प्रोफेशन से बेइमानी करने वाले डाक्टरों की कमी नहीं है। डा. बीना भी एक ऐसी डाक्टर थी जो अपनी नौकरानी की मदद से निःसंतान दंपतियों को बच्चे चुरा कर बेचती थी।

इस रेकेट में उसकी अपनी बहन भी शामिल थी जो निःसंतान दुपतियों को पहले इलाज के लिए महंगे क्लिनिकों की जानकारी देती थी और फिर बच्चा गोद लेने के लिए उसे यह आसान रास्ता दिखाती थी।

रोहिणी और कृष्णा जाधव

ओरंगाबाद कोर्ट ने रोहिणी और कुणाल जाधव को आजीवन

कारावास की सजा सुनाई है। दोनों ने अपने चार साल के बेटे और एक रिश्तेदार की बेटी को बुरी आत्मा की शांति के लिए बलि चढ़ा दिया ताकि उन्हें अपने खेत में छिपे खजाना मिल सके। ऐसा कौन-सा खजाना है जो बच्चों की बलि से मिल सकता है। दोनों ही अब जेलों में बंद हैं।

रशीदा

जादू-टोना के नाम पर लोगों के दुःखों को दूर करने और उनकी मनोकामना पूरी करने का झांसा देकर ठगने वाले बंगाली तांत्रिक बाबा के दो शिष्यों के साथ उनकी सहायक रशीदा को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। तांत्रिक बाबा ने कई महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर उनसे लाखों रुपए ठगे। तांत्रिक बाबा के गिरोह में कई महिलाएं शामिल थी। स्थानीय अखबारों व लोकल कैबल चैनलों के माध्यम से विज्ञापन देकर लोगों को आकर्षित करते थे। पहली बार आने पर 151 रुपए का शुल्क लेते थे फिर उनके दुःखों को दूर करने या उनकी मनोकामना को पूरी करने के लिए लाखों की रकम मांगते थे। कभी-कभी जब कोई रुपए न देता तो उसे धमकाते भी थे। रशीदा और उसके दो साथी तो इस समय जेलों में बंद हैं, शेष सभी फरार जो चुके हैं।

शेवंती

45 साल की शेवंती और उसके दो रिश्तेदारों ने मिल कर अपने पति को दूसरी पत्नी के पास जाने से रोकने के लिए उसके बेटे को मार डाला। शेवंती अक्सर अपने पति से झगड़ा करती थी जिस कारण वह उसे छोड़ कर अपनी पहली पत्नी के पास चला गया। जब शेवंती को पता चला तो वह बहाने से उसके बेटे को अपने घर ले आई उसे लगता था कि उसके बेटे की वजह से वह भी घर लौट आएगा। जब वह घर नहीं आया तो गुस्से में उसने बच्चे के सिर पर कड़छी से हमला कर दिया। उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए बड़े बैग में बंद कर अपने दामाद की मदद से जंगल में फिकवा दिया था। पर पुलिस ने एक-एक कर सभी आरोपियों को पकड़ लिया।

मारिया सुसाईराज

फिल्म व टी.वी. प्रोडक्शन से जुड़े नीरज ग्रोवर की हत्या के सिलसिले में मारिया सुसाईराज और उसके मंगेतर एमिली जेरोम जो नेवी.अधिकारी है, को गिरफ्तार किया गया था।

नीरज ग्रोवर ने मारिया को काम दिलाने का वायदा किया और दोनों ने शारीरिक संबंध भी बनाए पर वायदे के मुताबिक उसे काम नहीं मिला। 6 मई, 2008 को मारिया सुसाईराज नीरज ग्रोवर के साथ, धीरज सालिटेयर बिल्डिंग में रहने के लिए आई। उसी रात संयोग से सुसाईराज के प्रेमी एमिली जेरोम ने उसे कोचीन से फोन किया तो उसे नीरज की आवाज सुनाई दी। वह सुबह साढ़े तीन बजे की फ्लाइट से मुंबई आ गया और नीरज ग्रोवर को घर में नंगा लेटे देखा तो अपना आपा खो कर उसका कत्ल कर दिया।

पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार जेरोम और मारिया ने उसे मारने के बाद आपस में शारीरिक संबंध बनाए। बाद में दोनों मालाड के इन-आर्बिट माल जाकर बड़ा चाकू लाए। उन्होंने नीरज की लाश के कई टुकड़े कर उसे बैग में डाल दिया। बहाने से किसी दोस्त की गाड़ी लाकर उसमें बैग रख कर पेट्रोल खरीद कर उसकी लाश को जला दिया।

घर आकर अपने घर को नया कलर करवाया ताकि खून के धब्बे न दिखें। तीन साल केस चलने के बाद जेरोम को तो आजीवन कारावास की सजा हुई पर मारिया को हत्या की साजिश रचने के लिए तीन साल की सजा हुई। इस कारण जब फैसला सुनाया गया तब उसकी तीन साल की सजा पूरी हो चुकी थी और वह अगले दिन रिहा भी हो गई।

राम गोपाल वर्मा, नीरज ग्रोवर मर्डर केस पर 'नाट ए लव स्टोरी' नामक फिल्म बना चुके हैं जिसमें माही गिल मारिया और दीपक ठोबियाल को एमिली जेरोम का रोल दिया गया। इस मर्डर पर कुछ किताबें भी लिखी जा रही हैं।

कनिमांझी

तमिलनाडु के भूतपूर्व मुख्य मंत्री एस। करुणा निधि की बेटी कनिमांझी को तिहाड़ जेल के महिला वार्ड 8 जेल संख्या 6 में अन्य

विचाराधीन कैदियों के साथ रखा गया। 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में उन्हें कोर्ट ने जमानत नहीं दी। मशहूर व्यक्ति जब जेल में बंद होते हैं तो समाचार-पत्र पत्रिकाओं में उनकी दिनचर्या प्रकाशित होती है। 10 X 15 फीट की कोठरी में सीमेंट के प्लेटफार्म पर उसे सोना पड़ेगा। उसके कमरे में एक छोटा टी.वी. और समाचार-पत्र मिलेंगे। कोठरी में एक छोटा शौचालय, पंखा व रोशनी की व्यवस्था है। उसे खाने में दक्षिण भारतीय खाना मिलेगा। उसके कपड़े और बिस्तर घर से आए। उसे वही खाना दिया गया जो शेष कैदियों को दिया जाता है।

कनिमांझी के साथ की कोठरी में जासूस माधुरी गुप्ता व कुख्यात पिंप सोनू पंजाबिन भी बंद है।

उसे अपने पास दवाएं, पुस्तकें व चश्मा रखने की अनुमति है और सप्ताह में दो बार रिश्तेदारों से मिल सकती है। जेल में उसे नाक में नथ पहनने की अनुमति नहीं है।

कैदी मशहूर हो या गुमनाम या किसी वी.आई.पी. की औलाद या ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी जमानत कराने कोई न पहुंचे, जेल में सबके साथ एक-सा व्यवहार ही किया जाता है। जेल मे प्रवेश करते ही चिकित्सा जांच के बाद ही कोठरी में भेजने की प्रक्रिया पूरी की जाती है।

अधिक देर तक सोते रहने के अनुरोध को जेल वार्डन ने माना नहीं। कोर्ट में उसने समुचित शौचालय सुविधाओं के अभाव की शिकायत भी की।

सुनयना

वह इलाहाबाद में संगम पर स्नान करने गई थी। बाहर आने पर उसे अपने कपड़े नहीं मिले। इस पर उसने वहां पड़े किसी और के कपड़े ले लिए। उसे पकड़ कर जेल में डाल दिया गया। विचाराधीन कैदी के रूप में उसने जेल में छः साल काटे जबकि इस अपराध के लिए उसे केवल तीन महीने की सजा हो सकती थी।

आयशा

मैं सबसे माफी मांग रही हूं इससे ज्यादा क्या करूं। यह कहना था आयशा का जिसने 6 माह के भ्रूण का गर्भपात करवाया, क्योंकि उसके पेट

में पल रही यह उसकी तीसरी लड़की थी। जिसे वह इस दुनिया में लाना नहीं चाहती थी। उसका पति विदेश में रहता था। वह उसके पास जाना चाहती थी पर गर्भवती होने की वजह से जा नहीं सकती थी। उस पर गर्भ में पल रही लड़की को जन्म नहीं देना चाहती थी। एक प्राइवेट नर्सिंग होम की डाक्टर ने उसका गर्भपात कराया। आयशा भ्रूण को प्लास्टिक बैग में डाल कर लोकल ट्रेन में जाकर समुद्र में फेंकना चाहती थी।

पुलिस ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया। गर्भपात कराने वाले डाक्टर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। डाक्टर का नर्सिंग होम पुलिस ने सील कर दिया। डाक्टर पुलिस से नरमी का अनुरोध कर रही थी, क्योंकि उसे परिवार को पालना है। दुबारा इस प्रकार की गलती कभी नहीं करेगी।

कितनी विडंबना है कि एक नन्ही कली को दुनिया में आने से रोकने वाली उन महिलाओं ने अलग-अलग कारणों से उसकी जिंदगी छीन ली।

सुरभि

सुरभि एक इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल आफ मैनजमेंट की डायरेक्टर है। अपने कालेज में वे छात्रों को एम.बी.ए. की डिग्री बड़े सस्ते दामों में देती थी। पुलिस ने धोखाधड़ी के जुर्म में उसे और उसके चार साथियों को गिरफ्तार किया। मेट का पेपर पास करने वालों को उनके कालेज की ओर से फोन किया जाता कि उनको एम.बी.ए. के दो वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए तीन लाख रुपए की फीस भरनी होगी। जहां एम बी.ए. की फीस 8 से 10 लाख रुपए हों वहां तीन लाख रुपए की फीस में प्रवेश कौन नहीं लेना चाहेगा। उन्हें यह आश्वासन दिया जाता कि उन्हें सिक्किम यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी। कालेज के छात्रों ने आर.टी.आई. के माध्यम से यह जानकारी हासिल की कि कालेज को यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है अथवा नहीं। कालेज को न तो यू.जी.सी. की मान्यता प्राप्त थी और न ही आल इंडिया काउंसिल फार टेक्नीकल एजुकेशन की। मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा ने सुरभि को गिरफ्तार कर लिया। कालेज में जमा होने वाली फीस को विभिन्न खातों में अंतरित कर दिया जाता था। गिरफ्तारी के समय उसके खाते से लगभग 28 लाख रुपए जब्त किए गए।

महिलाएं दुकानों से पर्स, चूड़ियां, गहने व साड़ियों जैसी छोटी चोरियों से आगे बढ़कर बड़े अपराध करने लगी हैं।

फूलन देवी, तिहाड़ जेल में बंद कैदी

1979 में बाबू गुज्जर डकैत ने फूलन का अपहरण किया। वह उससे बलात्कार करना चाहता था पर गैंग के एक सदस्य विम जो फूलन की जाति मल्लाह का था, ने उसे बचा लिया। एक रात बाबू ने फूलन से बलात्कार करना चाहा तो विक्रम ने उसे मार डाला और गैंग का मुखिया बन गया। फूलन उसकी दूसरी पत्नी बन गई। गैंग ने उस गांव पर हमला बोला जिसमें उसका पहला पति रहता था। फूलन ने अपने पूर्व पति को मार कर गांव वालों के सामने घसीटा। गैंग उसको सड़क पर अधमरा छोड़ कर एक नोट भी छोड़ गया कि अधेड़ उम्र के व्यक्ति जो छोटी उम्र की लड़कियों से विवाह करेंगे उनका हश्र यह होगा।

फूलन देवी ने विम से बंदूक चलाना सीखा और गैंग की गतिविधियों में हिस्सा लिया। गैंग गांवों के उच्च जाति के महाजनों का अपहरण कर उनसे फिरौती मांगता था। हर अपराध के बाद फूलन देवी मंदिर में जाकर मां दुर्गा का धन्यवाद देती थी। गैंग चंबल की बीहड़ों में छुपता था।

गैंग के मुखिया श्रीराम ने जेल से रिहा होने के बाद गैंग की बागडोर अपने हाथों में लेनी चाही। गैंग में कुछ डाकू ठाकुर समुदाय के तो कुछ मल्लाह समुदाय के थे। आपसी रंजिश में विम को मार डाला गया और फूलन देवी को बेहमई गांव में बंदी बना दिया गया। जहां उसके साथ कई पुरुषों ने बलात्कार किया। दो मल्लाह सदस्यों के सहयोग से वह किसी प्रकार उनके चंगुल से बच निकली।

उसने अपना गैंग बना कर उत्तर और मध्य भारत में कई हिंसक डकैतियां कीं। उसका मुख्य निशाना ऊंची जाति के लोग होते और लूट का सामान वह नीची जाति के लोगों के साथ बांटती।

14 फरवरी, 1981 को फूलन और उसके गैंग के सदस्य 17 महीनों के बाद बेहमई पहुंचे। उन्होंने पुलिस की वर्दियां पहन रखी थीं। गैंग ने फूलन के अपहरणकर्त्ताओं की मांग की और फूलन ने उन दो जनों को पहचान लिया जिन्होंने उसके साथ बलात्कार किया था और विम की हत्या की थी। फूलन

ने गांव के सभी ठाकुरों को एक पंक्ति में खड़ा कर 22 ठाकुरों को मार डाला जिनमें से अधिकांश उसके बलात्कार में शामिल नहीं थे। फूलन देवी ने बाद में कहा कि उसने नहीं उसके गैंग के सदस्यों ने उन्हें मारा था।

बेहमई में इस नरसंहार के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री, वी.पी. सिंह ने इस्तीफा दे दिया। फूलन देवी को लोग दस्यु सुंदरी कहकर बुलाने लगे। उत्तर प्रदेश के शहरों के बाजारों में दुर्गा के रूप में सजी फूलन की गुड़िया बिकने लगी। भारतीय मीडिया ने उसकी बेहद प्रशंसा की।

दो साल तक फूलन देवी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इंदिरा गांधी सरकार ने उसके आत्म समर्पण की बात उठाई। उस समय उसकी स्वास्थ्य ठीक नहीं था और उसके कई साथी मारे जा चुके थे। 1983 में उसने आत्म समर्पण कर दिया। उसने कहा कि उसे उत्तर प्रदेश सरकार पर भरोसा नहीं है और वह मध्य प्रदेश सरकार को आत्मसमर्पण करेगी। उसने यह भी कहा कि वह महात्मा गांधी और मां दुर्गा की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ेगी, पुलिस के सामने नहीं। उसने अपनी गिरफ्तारी की यह शर्तें रखीं कि उसे मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, उसके गैंग के सदस्यों को आठ साल से अधिक सजा नहीं होगी, उसके भाई को सरकारी नौकरी दी जाए, उसके पिता को जमीन दी जाए और उसके आत्मसमर्पण के समय पुलिस का संरक्षण उसके परिवार को दिया जाए।

चंबल घाटी में पुलिस प्रमुख बिना किसी हथियार के उससे मिले। वे दानों भिंड पहुंचे जहां दस हजार लोगों, 300 पुलिस के सामने मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री अर्जुन सिंह की उपस्थिति में महात्मा गांधी व देवी दुर्गा की तस्वीर के सामने उसने आत्मसमर्पण किया। उसके गैंग के अन्य सदस्यों ने भी उसके साथ आत्म समर्पण किया।

फूलन देवी पर 48 अपराधों के लिए मुकदमे चलाए गए। 11 साल तक मुकदमे चलते रहे। जेल के दौरान उसका एक ऑपरेशन हुआ। विश्वम्बर प्रसार निषाद जो मछुआर नेता थे के प्रयासों से 1994 मे उसे पेरोल पर रिहा किया गया। मुलायम सिंह यादव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश ने उसके विरुद्ध सारे मामले वापस ले लिए।

उसने एकलव्य सेना की स्थापना की जो नीची जाति के लोगों को आत्म रक्षा का प्रशिक्षक देती थी। उसने अपनी बहन के पति उमेद सिंह से

दिल्ली में विवाह कर लिया।

शेखर कपूर ने 1994 में फूलन देवी के 1983 तक की जीवनी पर आधारित फिल्म बनाई। फूलन देवी ने भारत में इस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगवा दी। उसने यहां तक धमकी दी कि यदि फिल्म का प्रदर्शन होगा तो वह आत्मदाह कर लेगी। अंत में फिल्म के निर्माताओं से उसने 60,000 डालर लिए। फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली।

फूलन देवी भले ही अनपढ़ थी पर 'बेंडिट क्वीन आफ इंडियाः एन इंडियन वूमेंस अमेजिंग जर्नी फ्राम पीजेंट टु इंटरनेशनल लेजेंड' के नाम से अपनी जीवनी मेरी थेरेस कूनी और पाल रामवाली के मदद से लिखी।

1996 में समाजवादी पार्टी की टिकट से उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से ग्यारहवीं लोक सभा में चुनी गई और उसके बाद 1999 में दुबारा 13वीं लोक सभा में चुनी गई।

1999 में उसने अपने एक साक्षात्कार में कहा कि मेरा मुख्य उद्देश्य है कि जो चीजें अब तक केवल अमीरों व विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को मिलती हैं, वे गरीबों को भी मिले। उदाहरण के तौर पर पेय जल, बिजली, स्कूल व अस्पताल। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण हो, महिलाओं को स्कूलों में शिक्षित किया जाए। उन्हें लोग छोटी उम्र में शादी करने के लिए मजबूर न करें। सबसे जरूरी है समानता। लोगों को रोजगार मिलें ताकि उन्हें समुचित खान पान मिल सके और शिक्षा की विशेष रूप से महिलाओं को समानता मिले जिन्हें पांव की जूती समझा जाता है। उनके साथ समानता हों जैसे विदेशों में मिलती है। मैं चाहती हूं कि मेरे देश के लोग भी उसी प्रकार तरक्की करें।

25 जुलाई, 2001 को फूलन देवी जब अपनी गाड़ी से उतर रही थी तो उस पर जान लेवा हमला किया गया। शेर सिंह राना, धीरज राना और राजबीर सिंह राना ने देहरादून में पुलिस के सामने समर्पण किया कि उन्होंने 22 क्षत्रियों की मौत का बदला लिया है।

सीमा परिहार

फूलन देवी की तरह सीमा परिहार को भी बचपन में डाकुओं ने अगवा कर लिया था। 15 वर्ष की उम्र में पहली बार उसने अपने हाथों में

बंदूक ली और 18 वर्षों तक डकैतियां डालती रही। 2000 में उसने समर्पण किया। उसे जेल भेज दिया गया। बाद में उसे जमानत मिल गई।

फूलन देवी की जीवनी पर बनी फिल्म 'बेंडिट क्वीन' में उसने फूलनदेवी का चरित्र निभाया। उसने 'वूंडिंड' फिल्म जो उसके डकैत की जीवनी पर बनी थी, में भी मुख्य भूमिका निभाई। फूलन देवी की तरह वह भी राजनीति में आई। बिग बास 4 में भी उसने भाग लिया। अपने अपराधों के लिए वह प्रायश्चित करना चाहती है।

साहित्य व फिल्में

इस अध्याय में कुछ चुनींदा हिंदी साहित्य व फिल्मों का वर्णन किया

गया है जिनमें जेल जीवन की विभीषिकाओं व उसके सकारात्मक पहलुओं को दर्शाया गया है।

मेरा आजीवन कारावास, विनायक दामोदर सावरकर, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली द्वारा प्रकाशित।

स्वतंत्रता सेनानी, विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी आत्मकथा में जेल जीवन की भीषण यातनाओं ब्रिटिश सरकार द्वारा दो-दो आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद अपनी मानसिक स्थिति, भारत के विभिन्न जेलों में भोगी गई यातनाओं और अपमान, फिर अंडमान भेजे जाने पर जहाज पर कैदियों की भावनाओं, नारकीय स्थितियों, छोटी-छोटी गलतियों पर दी जाने वाली अमानवीय शारीरिक यातनाएं तथा कोड़े लगाना, बेंत से पिटाई करना, दंडी को बेड़ी लगाकर उल्टा लटका देना आदि का वर्णन किया है जो मन को उद्वेलित करने वाला है।

वीर सावरकर ने विषम परिस्थितियों में भी कैदियों में देशभक्ति और एकता की भावना कैसे भरी, अनपढ़ कैदियों को पढ़ाने का अभियान कैसे चलाया, किस प्रकार दूसरे रचनात्मक कार्यो को जारी रखा और अपनी दृढ़ता व दूरदर्शिता से जेल के वातावरण को कैसे बदला, कैसे उन्होंने अपनी खुफिया गतिविधियां चलाई आदि का सच्चा इतिहास वार्णित है।

28 मई, 1883 में महाराष्ट्र के नासिक में जन्मे सावरकर, पहले भारतीय नागरिक थे जिन पर हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा चलाया गया। प्रथम शांतिकारी जिन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा दो बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

वे ऐसे प्रथम साहित्यकार थे, जिन्होंने लेखनी और कागज से वंचित होने पर भी अंडमान की जेल की दीवारों पर कीलों कांटों और यहां तक की नाखूनों से विपुल साहित्य का सृजन किया और ऐसी सहस्रों पंक्तियों को वर्षों तक कंठ कराकर अपने सहबंदियों द्वारा देशवासियों तक पहुँचाया।

वे ऐसे प्रथम भारतीय लेखक भी थे, जिनकी पुस्तकें मुद्रित व प्रकाशित होने से पूर्व ही दो-दो सरकारों ने जब्त की थी। उनकी आत्मकथा में हर पंक्ति जेल जीवन की त्रासदी की कथा है जिसे यहां समेट पाना संभव नहीं है तथापि कुछ चुनीदा पंक्तियां उस युग की तस्वीर प्रस्तुत करने में सक्षम है।

आक्रोश, दुःख का स्वभाव ही है सो इस अनंत अंतराल में जो अनंत चीखें अपने-अपने दुःख का बोझ हल्का करती हुई विचरण कर रही हैं। उनके मध्य मेरा दुःख भी अभिव्यक्ति की सांस क्यों न छोड़े।

'आप पर पचास वर्ष के कालापानी का दंड लागू हो गया।' हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा है।

मैं उठा, अपने घरेलू कपड़े उतार दिए, बंदी के कपड़े ले लिए और पहनने लगा। मन कांप गया। ये वस्त्र, बंदी के वस्त्र जो आज शरीर पर चढ़ रहे हैं अब फिर कभी उतरने वाले नहीं हैं। इन्हीं कपड़ों में मेरी अर्थी निकलेगी। धुंधले से विचार... किंतु मन उदास सा हो गया।

प्रत्येक बंदी के किले पर मांक व मुक्ति का दिनांक अंकित होता है (सावरकर दंड का वर्ष 1910 व मुक्ति का वर्ष 1960.

उन्हें पहले-पहल रस्सी बनाए जाने का काम दिया गया। सश्रम कारावास में नारियल की जटाए कूटने को उन्होंने दार्शनिक अंदाज में लिया।

'रे पागल मनुआ, भला इसमें ओछापान कैसा? इससे क्या जीवन व्यर्थ जाता है। भई जीवन स्वयं ही एक पिष्टपेषण है। पंच महाभूतों को निचोड़-बटकर जीवन की यह रस्सी बटनी है। बार-बार तंतुओं को लंबा करते रहना और अंत में मृत्यु के मांगरे से कूटकर पुनः जटाएं बनाकर पंच महाभूतों के ढेर यों उन्हें मिला देना', सोच कर मन को समझाने का प्रयास किया।

वीर सावरकर ने सोचा, इन पच्चीस वर्षों में इस असहाय, निःसाधन तथा निरुत्साही बंदीवास में भला ऐसा कौन सा कर्म किया जा सकता है जिसके अर्पण द्वारा मातृभूमि का ऋण अल्प, स्वल्प मात्रा में ही क्यों न हो, हल्का हो और मानव जाति की कुछ विशेष सेवा हो सके।

उन्होंने राले से लेकर क्युरोपाटकिन तक अनेक महान बंदियो के

चरित्रों का स्मरण करके देखा। उस लेखक को जिसने 'पिलग्रिम्स प्रोग्रेस' लिखा, लेखन सामग्री मिलती थी मुझे पेंसिल का आधा इंच टुकड़ा। रखना भी मना था।

धुर बचपन से ही एक इच्छा थी कि मराठी में एक महाकाव्य लिखा जाए। इस कोठरी में कठोर परिश्रम करते हुए भी कम से कम रात्रि में अकेले पड़े रहने पर बत्ती न हो या कागज-पेंसिल का टुकड़ा पास न रखने दिया तो भी एकाध काव्य की रचना संभव है। मन ही मन कविता रच कंठस्थ कर आने, स्मृति पत्र ही उसे लिखता गया तो इस पर तो कोई प्रतिबंध नही लगा सकता। यह कार्य तो संभव है।

पत्नी के सम्मुख बंदीगृह के वेश में, कैदी के दुखद स्वरुप में पैरों में जकड़। कर ठोकी हुई भारी बेड़ियों को यथा संभव सहज उठाए हुए मैं आज पहली बार उनके सामने खड़ा था।

दंड विज्ञान में आजीवन कारावास का अर्थ मनुष्य के जीवन के कर्तृत्व के सामान्य काल से किया जाता है। इंग्लैड आदि देशों में यह अवधि चौदह वर्ष की है। हिंदुस्तान में वे अपराध के हिसाब से 20-25 वर्ष मान सकते हैं।

यह अवधि ही दंड विज्ञान में जीवनकाल है।अधिक से अधिक दंड की यही अवधि है।

देह धर्म की नैतिक आवश्यकता भी उस बंदीगृह में सरकारी अनुशासन के विरुद्ध एक घोर अपराध समझा जाता। अच्छा भोजन, अच्छा वस्त्र परिधान तो दूर, असमय शौच लगने अथवा पेट फूलने पर अवरोध असहनीय होने से पूर्व ही लघुशंका करना भी विलासप्रियता समझकर उसे कठोर कारागृह में दंडनीय माना जाता था। सवेरे, दोपहर शाम इस समय के अतिरिक्त शौच जाना लगभग जघन्य अपराध समझा जाता।

आखिर शौच और लघुशंका लगना अथवा लगने पर उसका अवरोध असंभव होने पर उसकी अनुमति मांगना अनुशासन भंग अथवा अपराध नहीं है। यह निश्चित करने का महत्वपूर्ण राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए हिंदुस्तान सरकार के गृह मंत्री तक को आंदोलन छेड़ना पड़ा।

अंडमान में गाड़ी में सरकारी अधिकारी बैठते हैं और उसे खींचने के लिए बैल, घोड़े आदि पशुओं को जोतने से जो व्यय होता, उसे बचाने के

लिए बंदियों को जोता जाता था।

भागती बैठक के अतिरिक्त जो दूसरा महत्वपूर्ण साधन हम शिक्षा प्रसारार्थ प्रयुक्त कर रहे थे वह था चूने से पोती हुई कोठरी की दीवारें और छोटी-छोटी कीलें तथा रामबांस (केतकी की जाति का पौधा जिसके पत्तों को कूटकर रस्सियां बनाते हैं) के कांटे। बंदीगृह में राजबंदियों के पेंसिल तथा कागज रखने पर प्रतिबंध था। उनके शरीर तथा कोठरियों की कसकर तलाशी ली जाती। उन दीवारों पर लिखे को नए राजबंदी महीने भर में कंठस्थ करते। इस तरह वीर सावरकर ने जेल की दीवारों पर अनेक पुस्तकों की रचना की।

दि तिहाड़ कलेक्शन - पोएम्स बाय वीमेन फ्राम तिहाड़ जेल - दिल्ली

तिहाड़ संग्रह : तिहाड़ जेल की स्त्रियों द्वारा लिखी कविताएं

डा. किरण बेदी के द्वारा तिहाड़ के कायाकल्प के लिए किए गए प्रयासों को विश्व भर में सराहा गया। उन्हें 'रेमन मेगासेसे' पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने तिहाड़ जेल को तिहाड़ आश्रम में रूपांतरित किया।

तिहाड़ जेल में बंद महिला कैदियों की कविताओं को संग्रहित कर उन्हें पुस्तक रूप में छपवाने का अनूठा प्रयास किया। जिसमें कवियत्रियों के अतीत का दर्द बयान किया गया।

डा. किरण बेदी ने अपनी पुस्तक 'यह संभव है' में लिखा है कि उनकी दो अमेरिकी सहेलियों ने अच्छी अंग्रेजी जानने वाली महिला कैदियों के बीच में बैठकर उन्हें कविता लिखने का अभ्यास कराया। 'कंसर्ड वीमेन ग्रुप' द्वारा संग्रहित 'काव्य सरिता' में उनकी कविताएं संकलित की गईं।

'तिहाड़ के सबक', 'तिहाड़ के बच्चे', 'तिहाड़ की स्त्रियां', 'तिहाड़ आश्रम', 'महान से भी महान' जैसी कविताएं पचास पृष्ठों की किताब में संग्रहित की गईं।

एक कविता का भाव था कि जब इंदिरा जी जेल गईं व गांधी भी जेल गए। जब वे जेल जाने के कलंक से नहीं डरे तो मैं क्यों डरूं। वे असफल न हुए तो मैं भी सफल होऊंगी।

इन कविताओं में तिहाड़ की स्त्रियों के अपने प्रियजनों से मिले दर्द, तिहाड़ में उनके द्वारा सीखे गए प्रयासों, उनके द्वारा की जा रही खेत-

खलिहानी व एक दिन परिवार वालों से मिलने की आशा की किरण उनमें संजोई गई है।

इस पुस्तक के दो संस्करण छप चुके हैं और पुस्तक की बिक्री से प्राप्त आय को महिला कैदियों के कल्याण के लिए खर्च किया गया।

1982 में पद्मश्री से अलंकृत लेखिका 'शिवानी' की 'अपराधी कौन' नामक पुस्तक की कुछ कहानियों के अंश जिनमें महिला कैदियों के जीवन की पीड़ा, लाचारी व त्रासदी झलकती है।

कहानी 'जा रे एकाकी'

'इनमें से अधिकांश खून की सजा भुगत रही हैं, कुछ डकैती और फौजदारी की। वैसे सामान्य अपराध की सजा पाकर कोई भी बंदिनी यहां नहीं आती, प्रायः उन्हें ही यहां भेजा जाता है जिनकी फांसी की सजा कम्यूट कर दी गई है।' डाक्टरनी ने कहा और मैं, अविश्वास से उन निरीह चेहरों को देखती ही रह गई।

"खाना सब इन्होंने बनाया है", डाक्टर ने कहा और मेज पर सजे सुस्वादु भोज्य पदार्थो के सुवासित अंबार को ध्यान से देखा। क्या यह संभव था कि जिन्होंने गडासे से, न जाने कितने नरमुंडों की कुट्टी-सी काट दी थी, उन्हीं के पतिहंता हाथों ने ऐसे सस्वादु देव-दुर्लभ भोजन में रस घोला होगा? मजेदार पूड़ियां, खस्ता कचौड़ियां, कद्दू का वह शाक, जिसके बिना पूड़ी-कचौड़ियों का व्यक्तित्व ही अधूरा रहता है, रायता और चटनी, भला किस सुगृहिणी एवं सुपाचिका को आज उन्होंने बुरी तरह नहीं पछाड़ दिया था।

उदार अधीक्षक की कृपा से उन बंदिनियों को अनेक सुविधाएं प्राप्त थीं, फिर उनके सौभाग्य से, उनकी अधीक्षिका भी एक सहृदय, सौम्य विदुषी महिला थीं और उनकी डाक्टरनी बाई, एक लंबे अरसे से उनके साथ रह, अपराध पर ही शोध-कार्य कर रही थी। इसी से उनकी आधि-व्याधियों का लेखा-जोखा उनके जिह्वाग्र पर था, यही नहीं, प्रत्येक बंदिनी का इतिहास भी उन्हें कंठस्थ था, और उन एक सौ अस्सी हृदयों की धड़कनें स्वयं उनकी धड़कनें बन गई थीं। अपने सुदीर्घ अनुभवों के वाचनालय में सजी, उन रंग उड़ी जीर्ण पुस्तकों के पृष्ठ, वे न जाने कितनी बार उलट चुकी थीं।

बच्चों के कक्ष देखें तो मन भर आया। किंतु क्या वह सचमुच बच्चे थे! छः वर्ष के भोले निष्पाप चेहरों पर छब्बीस वर्ष के अनुभव की छाप थी। बेरौनक-उदास चेहरों में जड़ी पीली आंखों में क्षण-भर के लिए किसी दम तोडती टार्च के नन्हे-नन्हे हाथ हिला हिलाकर उन्होंने मुझे कविता सुनाई, गाने गाए, चाबी खतम हो रहे लट्टू की भांति एक-दो ने गोल-गोल घूम संक्षिप्त नृत्य प्रदर्शन भी किया, किंतु मुझे लगा, वर्षों पूर्व बचपन में देखे राजस्थानी कठपुतलियों के किसी कठपुतले का नाच फिर देख रही हूं, जो बार-बार मरने का अपूर्व अभिनय करता, भड़ाम से गिर, फिर उठ गले में बंधा सार्डिन का टीन पीट सीटियों में गाने लगता था, थोड़ी-थोड़ी और बजेगी।

छः वर्ष का होते ही जब उन्हें पिता या अभिभावकों के पास भेज दिया जाएगा, तब जननी का यह अवांछनीय *सान्निध्य क्यों उनके लिए अनिवार्य है, मेरी समझ में नहीं आया। कैसा ही आदर्श कारागार क्यों न हो, इन अबोध शिशुओं के कोमल मन पर क्या इस परिवेश की छाप सदा के लिए नहीं पड़ जाती होगी?*

'मैं जानती हूँ दीदी, उन्होंने दूसरी शादी कर ली होगी, यही सोचती हूं। दो साल तो कट गए हैं, दो साल और हैं पर छूटकर कहाँ जाऊंगी मैं? कभी मिलते तो यही पूछती। जब ले ही नहीं जाना था तो मेरी सजा कम क्यों करवा दी ?अब तो यही मेरा मायका और ससुराल है। सच पूछो तो मुझे मायका ही लगता है। यहां जब आई तो पढ़ना नहीं जानती थी। अब पढ़ना सीख गई हूं। दिन-भर तो काम में कट जाता है पर रात नहीं कटती। *चैत आता है तो सोचती हूं, काफल पका होगा, घर-घर 'भेटुली' बन रही होगी। बैसाख में सेब, खुमानी वाली हवा चलने लगेगी और माघ-पूस में बरफ ही बरफ कभी-कभी तो सारी रात बरफ ही के सपने दीखते रहते हैं।'*

कहानी 'छिः मम्मी, तुम गंदी हो '

बगल के कमरे मे पति की लाश अभी ठंडी भी नहीं हुई थी, धड़ से विलग ग्रीवा के स्पंदन ने अभी अभी दम तोड़ा था और वह स्टोव पर चाय चढ़ा रही थी। खून के टुकड़े, जिबह बकरे की कलेजी के-से थक्के बनकर

फर्श पर जम गए थे, उसने चटपट उन्हें दुपट्टा गीला कर रगड़ दिया पति का वही रक्त, जिसके बने उसके तीनों बच्चें अभी उसी कमरे में गहरी नींद में डूबे पड़े थे। वह नहा-धोकर आया तो उसने पति के कपड़े निकालकर थमा दिए। एक अंडरवियर पहनकर ही उस दूरदर्शी किशोर ने हत्या की थी, जिससे रक्त के छींटों से भरी हुई उसकी कमीज कहीं उसी के विरुद्ध गवाही न दे बैठे, किंतु फिर भी नए-नए गवाह पूरे कमरे में फैल गए थे- छत पर, दीवार पर, पंखे पर। कहां-कहां तक हत्या के चिह्न मिटा सकते थे वे। ट्रंक में बंद कर, मालगाड़ी की शवयात्रा सम्पन्न हो जाती तब भी रक्तबीज के रक्त की एक-एक बूंद की भांति, वे रक्त-बिंदु शत-शत रक्तबीजों की सृष्टि कर पाते थे। चाय उबल ही रही थी कि बड़ी लडकी जागकर आ गई। "ममी, ममी, डैडी ने क्या आज भी तुम्हारी बिंदी की शीशी फोड़ दी?" कहती क्या है लड़की! कहां बच रह गया था लहू का दाग! वह तो पूरा कमरा पोंछ आई थी। कमरे की बत्ती बुझी थी किंतु किचन के अस्पष्ट आलोक में ही उसने सबकुछ देख लिया। 'यह कौन है ममी?'

कारागार के घंटे की, धमाके की-सी हृदयहीन गूंज, बैशाखी की उस दारुण-दहन वेला में, उसकी काल-कोठरी में कितनी भयावह गूंज से गूंजती होगी! पत्थर की शरशय्य की निद्राहीन रातें क्या उसे उसके उस शयन-कक्ष की ओर नहीं खींचती होंगी, जहां पलंग पर गुदगुदा बिछौना था, फर-फर करता बिजली का पंखा और थे बुलबुल-से चहकते तीन बच्चे। पति शेधी भी था तो वह चेष्टा करने पर भी बिना गंडासे के भी उसे साध सकती थी। नरभक्षी वन-राज को क्या सर्कस के रिंगमास्टर का धैर्य पालतू नहीं बना लेता ?

कहानी 'साधो ई मुर्दन के गांव'

किंतु आज? कारागार के इस नवीन रंगमंच पर कैबरे नर्तकियों की-सी ही निर्लज्ज उदासीनता से एक के बाद एक कितनी ही बंदिनियां मेरे सम्मुख स्ट्रिपटीज करती चली आई थीं। न उनके आत्मनिवेदन में पश्चाताप था, न संकोच। मेरी लेखनी ही कई बार सहमकर थर्रा गई, किंतु उनकी चपला जिह्वा नहीं थर्राई। अदालती जिरह, हवालात का सान्निध्य और दीवान जी की निर्ममता ने उन्हें मुखरा बना दिया था। किसी नाटक का

पूर्वाभ्यास कर रही पात्राओं की ही भांति वे मुझे अपना-अपना पार्ट सुनाती चली गई थीं। एक जानकी की ही नहीं और कई जानकियों की आत्मकथा सुन, मन न जाने कैसा हो उठा था।

जीजा का प्रशिक्षण संपूर्ण रूप से सफल रहा था। किसी विवाह के लिए मचल रहे प्रौढ़ चिर कुमार विधुर या पत्नी परित्यक्त पति को जीजा ढूंढ़ लाता, साली को दिखाकर वह विवाह का प्रस्ताव ही नहीं 'रखता, चट मंगनी पट ब्याह' भी रचा देता, फिर विदा के उन क्षणों को वह लाडली, सहोदरा और स्नेही भगिनी-पति की देहरी छोड़ने में अपने विलाप से धन्य कर देती। बिस्मिल्ला की शहनाई का-सा वह करुण स्वर, नए दामाद की आंखें गीली कर देता। चेहरा स्याह था तो क्या हुआ, शरीर का तो एक-एक अंग सवा-सवा लाख का था। प्रत्येक कृष्णवर्ण नवयौवना की भांति, उसकी दान-द्युति दर्शनीय थी। *नए पति का विवास, वह अपने स्वस्थ यौवन का ब्रह्मास्त्र छोड़ते ही, प्राप्त कर लेती। कहां क्या धरा है, जानने में फिर उसे विलम्ब नहीं होता। मरी सौत के अंकना, कंकना या सास की जीर्ण पोटली में छिपी संपत्ति, कृपण वृद्ध पति की चूल्हे के नीचे गाड़ी गई धनराशि ले वह एक दिन सहसा चंपत हो जाती। लाख ढूंढ़ने पर भी फिर न जीजा मिलता, न साली। मिलती भी कैसे? इस बार वह एक दूसरे ही शहर में, अवगुंठनवती नवोढ़ा बनी रोती-कलपती विदा हो रही होतीं।* ऐसे ही वह विलाप करती, विदा होती और हंसती-खिलखिलाती, सोने-चांदी से मढ़ी लौट आती। जीवन के बीस वर्षों में ही वह पूरे चौदह गृहों की परिमा कर आई थी। पर एक रोज चार सौ बीसी के अपराध मे दोनों को लोह कपाटों में मूंद दिया गया।

कहानी 'अलख माई'

माई आंखें बंद किए, सहसा फिर झूम-झूमकर अलग स्वर में बोलने लगी, दस साल में जोगी माई की शादी हुई, चार साल बाद माई ससुराल गया। मालिक का नाम था आनसिंह! टनकपुर, हलद्वानी, अलमांड़ा सब जगह मोटर चलाता। आधा पिटरौल अपनी मोटर में डालता, आधा अपने पेट में। जब घर आता नशा में चूर, जोगी माई को कभी सास मारता, कभी मरद। कभी कहता, 'लकड़ी ला'। कभी कहता, 'घास काट ला'। कभी भूखा-

प्यासा माई को भैंस चराने भेज देता जंगल। और भैंस भी था ऐसा हरामी कि जोगी माई को भगा-भगाकर मार देता। माई पूछता, 'सासू ज्यू हो, मायके जाऊं?' तो गरम चिमटे से दाग देता, देख अभी भी 'डाम' (जले का चिह्न) पड़ा है सब। चिलम पेड़ से टिका, माई ने अपनी भगवा फतुई-कुर्ती ऊपर उठा दी और उसके नारीत्व के शुष्कतूंबी-से लटके प्रमाणपत्र देखकर मैंने सकपकाकर आंखें नीची कर ली थीं। सचमुच वह नारी थी। पेट से लेकर पसलियों तक, क्रूर सास के गर्म चीमटे के अमिट चिह्न, गोदने की अमिट स्याही से ही उभर आए थे।

कैसा जघन्य अपराध था उसका! *एक साथ तीन-तीन हत्याएं भैंस की, सास की और पति की। प्रतिशोध की कैसी विकट भावना रही होगी उसकी! संसार की किसी अदालत में, यह ट्रिपल मर्डर केस नहीं चला, किसी न्यायाधीश ने उसे बंदिनी बनाकर कारागार के कपाटो में नहीं मूंदा, किंतु बेड़ियां डाल दीं स्वयं उसकी अंतरात्मा ने।* भरी जवानी में, सिर पर भगवा कफनी बांधे, वह एक बार फिर उसी तीखी पहाड़ी पर खड़ी हो गई। चौथी निर्मम हत्या की उसने, स्वयं अपने सत्रह वर्ष के यौवन की। खूनी के सधे हाथों ने इस बार उसी हृदय ही नूरता से, अपने यौवन को नीचे धकेल दिया। तीखा पहाड़ और नीचे बहती काली गंगा की तीव्र धारा।

"कैसा पाप किया था तुमने रजुला?" मेरे प्रश्न के साथ ही, उसका पीला चेहरा और भी पीला पड़ गया।

"हत्या की थी मैंने"

"किसकी हत्या?" मैंने सांस रोककर पूछा।

"अपने बेटे की", उसकी आंखें एकदम सूखी थीं लगता था उसके आंसुओं का आदिस्रोत ही बहुत पहले सूख गया है।

"ऐसा क्यों किया?" मैंने सहमे स्वर में पूछा।

"क्योंकि उसकी शक्ल एकदम अपने बाप से मिलती थी, पैदा होते ही जिसकी शक्ल मैंने पहचान ली, बड़ा होता तो क्या लोग नहीं पहचान लेते सब जान जाते कि वह किसका बेटा है! वह एक लंबी सांस खींचकर, फिर संयत स्वर में कहने लगी, नदी में ले गई, अपनी आंखें बंद कर मैंने दुश्मन को डुबो दिया लली..."

कैसी विचित्र थी यह मां! पिता से पुत्र की शक्ल मिलती थी, इसी से

उसके प्राण ले लिए। पिता की-सी सूरत तो किसी भी पुत्र के लिए गौरव की बात है, लज्जा की नहीं।

"तुम नहीं समझोगी लली", उसने हंसकर मेरी पीठ थपथपाई थी, "पूरा गांव उसके बाप को देवता मानकर पूजता था और फिर उसका बाप क्या मेरा पति था? मैं तो थी नाचने-गानेवाली नरैण की (पुभु की) दासी, घोर पापित, कलमुंही रजुला, क्या अपनी कालिख उनके मुंह पर पोंछ सकती थी?" गांव छोड़ कर भाग गई और पाप की पूरी कमाई, चलते-चलते उसी भागीरथी में डुबो गई।

इसमें कोई संदेह नहीं कि विश्व के उच्चतम न्यायालय से बहुत-बहुत ऊंचा जो एक और न्यायालय है वहां न झूठी गवाही चलती है, न झूठी दलील! उस अनुपम न्याय तुला का न एक पलड़ा रत्ती भर इधर नत हो सकता है न उधर और उन अदृश्य हथकड़ियों बेड़ियों की जकड़ से कहीं अधिक कठोर होती है, कहीं अधिक दुर्धर्ष!

हिंदी फिल्मां में जन जीवन पर आधारित पटकथाएं

'दुश्मन'

कानून का काम सिर्फ मुजरिम को सजा देना ही नहीं हिफाजत करनी भी है। इस उद्देश्य को केंद्र में रखते हुए इस फिल्म में जिस परिवार का रोजी-रोटी कमाने वाला व्यक्ति किसी की लापरवाही से हादसे का शिकार हो जाता है तो कैदी को जेल की सलाखों के पीछे डालने से सजा का कोई लाभ नहीं होता बल्कि कैदी का प्रायश्चित व उसकी सजा ही यही है कि वह उस परिवार की जिम्मेवारी ले।

'दुश्मन' फिल्म में जज कहता है कि यदि हमारा तर्जुबा सफल हो जाता है तो इंसानियत का इतिहास बदल जाएगा।

परिवार के सदस्यों का एक-एक करके हृदय परिवर्तन होता है। कैदी के व्यवहार में भी बदलाव आता है वह क्लेक्टर साहब से कहता है कि 'मेरे गांव वाले आपसे बात करना चाहते हैं। सरजू ने गांव वालों की जमीन हथिया ली है। मैं गांव का हुलिया बदल डालूंगा अपने व्यवहार से वह सब का दिल जीत लेता है। वह कहता है मां बाप मिल गए - बहन मिल गई - दो प्यारे भतीजे मिल गए। भाभी की क्षमा नहीं मिली, यही दुःख रहेगा।

सजा खत्म हो जाएगी तो जाना ही पड़ेगा। बहन पहली बार ससुराल से घर आई है, उसे कुछ देना होगा। अपनी कमाई से कुछ देना होगा।

गरीब भाई हूं उनके लिए कपड़े लाया हूं। गांव वाले एक व्यक्ति का यह कहना कि कैदी बन कर आया था दामाद बन कर जाएगा। फिल्म का यह गीत एक दुश्मन जो दोस्तों से प्यार है मैंने देखा तूने देखा किसने देखा उसने देखा सबने देखा प्यार के धागे जंजीरों से ज्यादा पक्के हैं इक कैदी जो पहरेदार हमारा है सबने माफ किया पर मैं हूं जिस का दोषी कब टूटेगी उसके होंठों की खामोशी कब टूटेगी यह सवाल उसे कचोटता हैं। अंत में भाभी का भी हृदय परिवर्तन होता है। उसका यह कहना कि आज भी तुझे माफ नहीं करूंगी तो स्वर्ग में भी जगह नहीं मिलेगी।

अच्छा बाबा चलता हूं खेत पर बहुत काम है। यह अहसास ही किसी अपराधी की असली सजा है जिससे उस परिवार का भला होता हो।

बड़े बेमन से इस सजा को झेलते कैदी का जब हृदय परिवर्तन होता है तो फिल्म के अंत में जब वह कहता है कि मेरी सजा माफ न करें अभी तो मुझे अंधी मां की आंखों का इलाज कराना है। बच्चों को शिक्षा दिलानी है। अभी मेरी सजा कैसे खत्म हो सकती है?

उसके यह अनुत्तरित प्रश्न ही कैद के बाद कैदी को एक जिम्मेवार नागरिक बनाने के उद्देश्य को सफल करे पाते हैं।

फिल्म 'दुश्मन' के अलावा व्ही शांताराम की फिल्म 'दो आंखें बारह हाथ' में भी आजीवन कारावास की सजा भोग रहे व्यक्तियों को सुधारने की कहानी दर्शाई गई थी। 'शोले' फिल्म में जांबाज दो कैदी जय और वीरु को गांव की हिफाजत के लिए लाया गया था।

महिला कैदी के सद्व्यवहार से जेलर उसे अपनी बेटी की परवरिश के लिए 'आराधना' फिल्म में घर ले आए थे तो 'बंदिनी' की कल्याणी (नूतन) हत्या के अपराध में जेल में बंद हुई। स्वतंत्रता सेनानी विकास (अशोक कुमार) विवाह का वायदा कर कभी लौटा नहीं। बदकिस्मती से कल्याणी विकास की बीमार पत्नी की परिचारिका बन जाती है। उसके पिता शहर में उसे तलशाते पहुंचते हैं, पर सड़क दुर्घटना में मर जाते हैं। कल्याणी अपने प्रेमी की पत्नी को इस घटना का जिम्मेवार मान उसे जहर दे डालती

है और बाद में अपना जुर्म कबूल भी कर लेती है। जेल डाक्टर देवेन उसे अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता है। वह 'अब घर गृहस्थी की जेल में कैद रहोगी' के साथ जेल से रिहा होती तो है पर बीमार विकास को देख उसकी मदद को चल देती है। कल्याणी जेल की ही नहीं भाग्य की भी बंदिनी थी।

इस फिल्म के गीत 'मोरा गौरा अंग लेले', 'जोगी जब से तू आया', 'ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना', 'ओ पंछी प्यारे सांझ सकारे', 'अब के बरस भेज मेरे भैया', 'ओ मेरे मांझी मेरे साजन है उस पार' सभी सदा बहार गीत हैं। फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार व फिल्मफेयर पुरस्कार मिले थे।

वर्ष 2003 में बनी फिल्म 'तीन दीवाने', तीन कैदियों जिनमें से एक अपनी पत्नी की हत्या की सजा भोग रहा है, क्योंकि उसे यह शक था कि पत्नी किसी और से प्यार करती थी, एक दूसरा कैदी भी अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में बंद है और तीसरा चोरी करते हुए किसी की हत्या कर बैठता है। इन तीनों कैदियों को जेलर सुधारने के प्रयास करता है। इन तीनों की जिंदगी पर फिल्म बनाने आई नायिका इनकी जिंदगी में अपने विवाह की समस्या की परछाई पाती है।

इस फिल्म को लास एंजल्स फिल्म फेस्टीवल, कामनवेल्थ फेस्टीवल, मेनचेस्टर में दर्शकों की पसंद की पहली पांच फिल्मों में स्थान मिला। असली जेल में फिल्माई गई फिल्म, जेल के भीतरी दर्द को सटीक व्यक्त कर पाई थी।

बेंडिट क्वीन

1994 में फूलन देवी, दस्यु सुंदरी के जीवन पर बनी फिल्म : कलाकार सीमा विवास, निर्मल पांडे, मनोज बाजपेई और आदित्य श्रीवास्तव

निर्देशक : शेखर कपूर

पुस्तक : माला सेन

1983 में फूलन देवी को तिहाड़ जेल में भेजा गया था और 1994 में रिहा किया गया। पांच साल तक उस पर मुकदमा चलता रहा। बाद में वह राजनीति में आ गई।

'दस्यु सुंदरी' के नाम से मशहूर फूलन देवी एक डकैत थी जो बाद मे राजनेता बन गई उसके जीवन पर बेंडिट क्वीन फिल्म बनाई गई। फूलन देवी की कहानी आपबीती अध्याय में दी जा चुकी है।

उपसंहार

मोहनजोदड़ों के भग्न अवशेषों में सार्वजनिक राजमार्गों के प्रमुख कोनों या मांडों पर एक विशिष्ट भवन के भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं। संभव है, ये पुलिस स्टेशन या थाने रहे हों जो शांति व्यवस्था व निरीक्षण के लिए स्थापित किए गए हों। इतिहासकार मैके का मत है कि मोहनजोदड़ों का नगर सुरक्षा हेतु छोटी दीवारों द्वारा विविध भागों में विभाजित कर दिया गया था और इन भागों में पुलिस या रक्षकों की व्यवस्था रही होगी। वेदकालीन समय में राजा के आदर्श रूप की व्यवस्था करते हुए अपने राज्य में होने वाले प्रत्येक पाप या अपराध के लिए राजा अपने आपको उत्तरदाई मानता था। उसे देश का सर्वोच्च पदाधिकारी और न्यायाधीश माना जाता था। वह दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मामलों में न्याय करता था और अपराधियों को दंड देता था।

राजा अपने परामर्शदाताओं की सहायता व सहयोग से न्यायदान करता था। ऋग्वेद में डकैती, पशुधन की चोरी, अन्नवस्त्र और द्रव्य की चोरी, सेंध, जुआखोरी, लेनदेन के झगड़े, सामाजिक परंपराओं का उल्लंघन जैसे अपराधों का वर्णन है। इन सभी प्रकार के अपराधियों को दंड दिए जाते थे। यद्यपि मृत्युदंड प्रचलित था परंतु अधिकांश मामलों में शारीरिक दंड ही उपयुक्त माना जाता था। हत्या का दंड द्रव्य के रूप में होता था जो मार डाले गए व्यक्ति की स्थिति के अनुकूल कम व अधिक भी हो सकता था। मनुष्य जीवन का मूल्य निर्धारित कर दिया गया था। जो व्यक्ति किसी मनुष्य की हत्या या खून कर देता था उसे मृतक के परिवार या उत्तराधिकारी को निश्चित द्रव्य देना पड़ता था। उच्च श्रेणी के व्यक्ति की हत्या का दंड सौ गायों तक दिया जा सकता था जो मृत व्यक्ति के संबंधियों या उत्तराधिकारियों को दिया जाता था। चोरों और कतिपय अपराधियों को बंदीगृहों में बंद किया जाता था। दीर्घ व्यास की कथा के आधार से यह स्पष्ट है कि अपराध प्रमाणित करने या निर्दोष साबित करने के लिए अग्नि

परीक्षा, जल परीक्षा या संतप्त पशु परीक्षा की प्रथा का प्रचलन था। दिवालिया या ऋणी व्यक्ति को ऋण अदा न करने पर बेच कर दास बना लिया जाता था। 'मध्यमशी' शब्द का ऋग्वेद में उल्लेख होने से प्रतीत होता है कि पंच निर्णय की प्रथा भी प्रचलित थी। छोटे छोटे फौजदारी तथा दीवानी अभियोगों का निर्णय ग्राम पंचायत करती थी।

रामायण में राजा के अठारह पदाधिकारियों की सूची में प्रदेष्टा (न्यायाधीश) कारागार अधिकारी और दंडपाल के उल्लेख यही दर्शाते हैं कि उस युग में अपराधी होते थे और अपराधियों को दंडित करने व उन्हें कारागार में रखने की परंपरा थी। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश था। अन्य न्यायाधीश भी नियुक्त थे। न्याय करते समय कुल, जाति तथा स्थान विशेष के नियमों, रीतिरिवाजों तथा परम्पराओं का ध्यान रखा जाता था। दोनों पक्षों के गवाह बुलाए जाते थे। निर्दोष प्रमाणित करने के लिए अग्नि तथा जल परीक्षा होती थी। अपराधियों पर आर्थिक दंड भी लगाया जाता था। संपन्न अपराधी धन द्वारा जुर्माना देते थे और निर्धन कारागृह में रहकर अपनी सजा भुगतते थे। राजा का यह कर्तव्य माना जाता था कि वह अपराधियों को यथेच्छ दंड दें। चोरी के अपराध की सजा कड़ी दी जाती थी। रिश्वतखोर अधिकारियों एवं लूटने वालों से प्रजा की रक्षा की जाती थी।

विष्णु स्मृति में यह उल्लेख मिलता है कि राजा स्वयं न्याय दान करें या किसी विद्वान को नियुक्त करें जो मुकदमे को सुनकर निर्णय दें। प्रजा के लिए न्यायदान की व्यवस्था करना राजा का कर्तव्य माना जाता था। लोगों को समुचित न्याय प्राप्त हो सके, इसलिए नगर में विशिष्ट न्यायालय की व्यवस्था की जाती थी। कुल, श्रेणी (व्यावसायिक संघ) और गण भी न्यायालय का कार्य करते थे। इनको भी अपने सदस्यों के मुकदमे सुनने और उन पर निर्णय देने का अधिकार था। इनके नियम व कानून सर्वमान्य थे।

यदि इन संस्थाओं द्वारा किसी मामले में उचित न्याय नहीं दिया गया तो वह मामला पुनर्विचार और निर्णय के लिए राजा द्वारा नियुक्त न्यायाधीश के सम्मुख प्रस्तुत होता था। दोनों दलों को उसका निर्णय और न्याय मान्य होता था। याज्ञवल्क्य ने अपनी स्मृति में इस प्रकार की न्याय व्यवस्था का समर्थन किया था।

यदि किसी मामले में दोनों दलों को या एक दल को न्याय से संतोष

नहीं हुआ तो उसे अपने मामले को न्यायाधीश के सम्मुख पुनर्विचार के लिए प्रस्तुत करने का अधिकार था। पुनर्विचार की प्रार्थना पर मुकदमे पर फिर से सुनवाई होती और समुचित न्याय किया जाता था। यह आधुनिक काल की अपील प्रणाली का रूप था। याज्ञवल्क्य और नारद दोनों ने ही मुकदमे पर पुनर्विचार करने की प्रणाली को माना है।

अलग-अलग अपराधों के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार का दंड या सजा निर्धारित की गई थी। सेंध लगा कर चोरी करने वाले व्यक्ति को सूली पर चढ़ा दिया जाता था, डाका डालने वाले को पेड़ से लटकाकर फांसी दी जाती थी, गाय की चोरी करने वाले की नाक काट ली जाती थी, दस मटकों से अधिक भर जाने वाले अनाज की चोरी करने या चांदी व स्वर्ण की चोरी करने वाले को भी फांसी दी जाती थी। व्यभिचारिणी महिलाओं के लिए दंड विधान कठोर था। राजद्रोह के अपराधी को प्राण दंड था, ब्राह्मण की हत्या के लिए जाति बहिष्कार अथवा संपत्ति के उत्तराधिकार से वंचित कर दिया जाता था। हत्या के अपराध में कभी-कभी मृतक के उत्तराधिकारी को या उसके संबंधी गणों को गाएं देने का दंड दिया जाता था। ऋण के अपराधियों के विषय में स्मृतियों में मतभेद हैं। मनु स्मृति का कथन है कि ऋण के मुकदमे में मिथ्या भाषण या साक्ष्य देने वाले को ऋण के धन का दो गुना आर्थिक दंड या जुर्माना किया जाए। विष्णु स्मृति का मत है कि जब किसी ऋण के मुकदमे में ऋणी पर जुर्माना किया जाए तो उस जुर्माने का 1/10 वां भाग राजा के खजाने में जमा हो। स्मृतियों में ऋणी व्यक्ति को हेय दृष्टि से देखा गया है। द्यूती या जुआखोरी अपराध माना गया था। हमारी आज की दंड व्यवस्था इसी ऐतिहासिक परम्परा की कड़ी है।

महिलाओं द्वारा अपराध के कारण उनकी समस्याओं व समय-समय पर भारतीय जेलों में महिला कैदियों की स्थितियों पर कई अध्ययन किए जाते रहे हैं और अध्ययन रिपोर्टों में ये रेखांकित होता रहा है कि उन्हें जेलों में मारा पीटा जाता है, यौन शोषण व अन्य प्रकार से प्रताड़ित होती हैं। देश की अधिकांश जेलों में बेइंतहा भीड़ है, अस्वच्छता है और बच्चे भी बिना कोई जुर्म किए मांओं के साथ तकलीफें झेलते हैं। भारतीय समाज में महिलाओं की दुर्दशा यहां भी परिलक्षित होती है। एक अध्ययन रिपोर्ट के आंकड़े ये दर्शाते हैं कि 175 महिला कैदियों की मानसिक दशा ठीक नहीं

है और महिलाएं अपने अधिकारों से अनभिज्ञ होती है कि उन्हें जमानत मिल सकती है। किसी महिला के साथ 'जेल में रही' का ठप्पा लग जाने के बाद परिवार उसे वापस लेने में संकोच करता है। यही कारण है कि सजा पूरी होने के बाद भी वे जेल में ही रहना चाहती हैं।

जेल में रह कर सजा पाते हुए विचाराधीन कैदी भी सालों साल समाज से कट जाते हैं। जेल जीवन में सुधार के लिए व वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर समय समय पर विचार होता आया है। कैदियों को सजा देने के द्वारा न्याय व्यवस्था न केवल व्यक्ति विशेष को दंडित व उसे सुधारने का प्रयास करती है, अपितु दूसरों के लिए भी यह संदेश प्रसारित करती है कि किसी अपराध की सजा हो सकती है। कैदियों को सुधारने के लिए, उनके व्यवहार में परिवर्तन के लिए, राज्य के लिए यह जरूरी है कि वे कैदियों के सामाजिक व सांस्कृतिक मानदंडों पर विशेष ध्यान दें। कैद का अंतिम उद्देश्य उन्हें अच्छा नागरिक बनाना है। बहरहाल उन कैदियों पर विशेष ध्यान देना है जो सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। महिलाओं व बाल कैदियों के प्रति एक अलग दृष्टिकोण रखने की जरूरत है। व्यक्ति को समाज से विमुख होने में किसी व्यक्ति पर कितना दुष्प्रभाव पड़ता है, *इसे पंडित जवाहर लाल नेहरू ने अपने नैनी जेल प्रवास के दौरान महसूस करके लिखा था कि 'वर्ष दर वर्ष आजीवन कारावास की सजा भोग रहे व्यक्तियों ने किसी बच्चे, किसी स्त्री या किसी पशु का चेहरा नहीं देखा है। बशहरी दुनिया से संपर्क छूट जाने पर उनमें कोई मानवीय संपर्क सूत्र नहीं बचा था। उनके ख्यालों में शोध, डर व बदला, घृणा की भावना मुखर होती है। वे संसार की अच्छी बातें भूल चुके होते हैं, दयालुता, खुशी के बदले केवल बुराई शेष रहती है और धीरे-धीरे घृणा भी नष्टप्राय हो जाती है तथा जिंदगी आत्माहीन हो जाती है और केवल मशीनी रूटीन बन जाती है। समय समय पर उनके शरीर का वजन लिया जाता है। पर क्या मन और आत्मा का वजन लिया जाता है जो डर व अलगाव के वातावरण में निरंतर क्षीण होती रहती है। लोग मृत्युदंड को बुरा मानते हैं और उनके तर्क सही भी लगते हैं, पर जब मैं जेल में बिताए गए जीवन की ओर देखता हूं तो मुझे लगता है कि उन्हें वह सजा दी जानी बेहतर थी बजाय इसके कि किसी व्यक्ति को तिल तिल कर मारना।'*

पंडित नेहरू की वर्षों पूर्व लिखी गई यह बातें जेल जीवन की हर युग की तस्वीर को उकेरती हैं। सुधार के कई उपायों के बावजूद भी स्थितियों में कोई विशेष बदलाव नहीं है। कुछ माह पूर्व लखनऊ की जेल में सबसे बड़ी उम्र के कैदी को जेल से रिहा तो किया गया। पर समाचार पत्रों में यह लिखा था कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उससे कुछ भी पूछने पर 'जी जेलर साहब' बोलता है। सौ वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को आजीवन कारावास मिला था। बूढ़ी हड्डियां वर्षों तक जेल व अस्पताल के बीच झूलती रहीं। किसी दूसरे समाचार में एक आधा लीटर अवैध शराब के लिए बत्तीस वर्षों तक सलाखों के पीछे बंद रहने की घटना का उल्लेख था। जेलों में अनगिनत ऐसे कैदी होंगे। समाज अपनी ही आपाधापी में व्यस्त है जो लोग समाज से उन सलाखों के पीछे बेगुनाह होते हुए भी पहुंच गए है, या फिर ऐसे अपराधों के कारण पहुंच गए, जिनकी सजा आर्थिक दंड से पूरी हो सकती थी। किसी हत्या के जुर्म की सजा माना कि आजीवन कारावास मिलना चाहिए पर उससे उस परिवार को कहां इंसाफ मिला जिसका इकलौता बेटा या कमाई का स्रोत उस कारण दुनिया से कूच कर गया। क्या 'दुश्मन' फिल्म के नायक की तरह ऐसे अपराधियों को उस परिवार की परवरिश करने के लिए जेल प्रशासन द्वारा चलाए जाने वाले किसी उद्योग या फैक्टरी में काम पर लगा कर उसकी आय के एक बड़े हिस्से को उस परिवार व एक हिस्सा उसके परिवार को नहीं भेजा जाना चाहिए ताकि दोनों परिवारों को जिंदगी जीने के लिए आर्थिक साधन उपलब्ध हों अन्यथा नए अपराधी दोनों परिवारों से बन जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में लिखा कि जेल के कानून पत्थरों से बने हैं और यह आवश्यक है कि कोर्ट इस तथ्य पर बल दें कि कानून की नजर में कैदी भी इंसान है, पशु नहीं और कारागार के संरक्षक पथभ्रष्टों को दंडित करें। कारागार भारतीय भूमि का हिस्सा है और संविधान को जेल अधिकारी कैसे दरकिनार कर सकते है? जब किसी कैदी को सद्मा पहुंचाया जाता है तो संविधान को उससे ठेस पहुंचती है। जब कोर्ट ऐसी हिंसा और उल्लंघन का संज्ञान लेती है तो स्वर्ग की ललकार जैसा होता है।

जब तक विचाराधीन कैदी का आरोप सिद्ध नहीं हो जाता, वह मासूम होता है पर उसे जिस संगति में रखा जाता है। उससे वह भी अपराधी हो

जाता है। यह कितना तकलीफदेह है कि कोई व्यक्ति अस्पताल में चेकअप के लिए जाए और वहां उसे संमण रोगियों के साथ रखा जाए और वह एक नई बीमारी के साथ घर लौटे। अब जेल सुधार हमारे लिए संवैधानिक अनिवार्यता बन चुके हैं और इस उपेक्षा के गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

कोर्ट का यह मानना है कि जेल के भीतर भी उसे मूलभूत आजादी का अधिकार है और उसके उल्लंघन के लिए वह कोर्ट में याचिका कर सकता है। यदि कोई कैदी मानसिक प्रताड़ना, मनोवैज्ञानिक दबाव या शारीरिक दंड की वजह से टूटता है तो जेल प्रशासन इसके लिए जिम्मेवार होगा। यदि कोई प्रभावशाली अपराधी जेल में सुविधाएं प्राप्त करता है तो उसे इस प्रकार के लाभ पहुंचाने वालों को भी कटघरे में खड़ा करना होगा।

मानवाधिकारों के प्रवक्ताओं की निरंतर पैरवी से अब यह महसूस किया जा रहा है कि कैदियों को समाज से लंबे समय तक एकांत काल कोठरियों में बंदी बना कर रखना भी उचित नहीं है। परिवार व मित्रों के साथ कैदियों की मुलाकात होती रहनी चाहिए।

केंद्र सरकार, मानवाधिकार आयोग और सुप्रीम कोर्ट तथा राज्यों के हाई कोर्टों के द्वारा कैदियों की स्थितियों का अनुप्रवर्तन होता रहा है। उन्हीं अनुप्रवर्तनों के परिणामस्वरूप राज्यों को कैदियों की हैंड-बुक हिन्दी में बनवा कर परिचालित करवाने के लिए भी सूचित किया गया ताकि कैदियों में विधिक जागरूकता हो। जेल के आवधिक बुलेटिन जारी किए जाएं, जिनमें जेल में सुधार के कार्यक्रमों की जानकारी दी जाए। भित्ती पत्रिकाओं पर भी कैदी अपनी शिकायत दर्ज कर अपना तनाव कम कर सकते हैं।

जस्टिस कृष्णा अय्यर ने एक स्थान पर उल्लेख किया था कि यदि भारत में सभी कोर्ट पूरे एक साल के लिए बंद कर दिए जाएं तो कहीं भी अन्याय नहीं बढ़ेगा, परंतु जजों और वकीलों का काम व आय बंद हो जाएगी। जस्टिस अय्यर ने न्याय तक आसानी से पहुंच के महत्व पर बल दिया था। उनका कहना था कि वकीलों ने न्यायिक मशीनरी को अपनी निजी जागीर बना लिया हैं, उन्होंने कानून और उसकी प्रक्रियाओं को पेचीदा बना डाला है और इसे लगभग दुष्कर बना डाला है। यहां कानून की भाषा में सीधे सरल शब्दों को इन्होंने पहेलियां बना डाला है।

यानी हमारे न्याय प्रक्रिया के कर्णधार भी यही महसूस करते हैं कि

कानून को सरल व आम आदमी की इस तक पहुंच बनानी जरूरी है। हमें यह याद रखना होगा कि कोई भी व्यक्ति जिसमें हम स्वयं भी शामिल हैं, जब तक अपने किसी अवैध या अनैतिक कृत्यों की वजह से पकड़े नहीं गए हैं, उन्हें जेल में बंद व्यक्तियों से किसी प्रकार का कोई नैतिक बड़प्पन प्राप्त नहीं हो जाता।

आए दिन समाचार-पत्रों में निहत्थे युवकों को जेल में बंद करने, उन पर अत्याचार किए जाने की खबरे छपती है। कभी भी, कहीं भी, कोई भी व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे बंद हो सकता है इसलिए यह जरूरी है कि जेल के भीतर कैदियों के साथ व्यवहार के कुछ मानक तय किए जाए। हमें यह भी न भूलना होगा कि आज जेलों में बंद 80 प्रतिशत कैदी विचाराधीन कैदी हैं। हो सकता है कि उनमें 50 प्रतिशत निर्दोष हों और गलत साक्ष्यों की वजह से वहां बंद हों, या फिर उन्हें केवल तीन से चार माह से लेकर चार साल तक की ही सजा हो सकती हो। पर जेल के भीतर की अव्यवस्था का शिकार होकर जिंदगी के बाकी बचे सालों में उनके घाव इतने गहरे बन रहे हैं कि वे ठीक न होने पाए।

अपराधी को सजा के बतौर जेल में बंद किया जाता है। विभिन्न अध्ययनों का यह निष्कर्ष है कि जेल से लोगों का जीवन नष्ट हो जाता है इससे वे समाज से बहिष्कृत हो जाते हैं, फिर उन्हें समाज में लौटा पाना कठिन होता है। राज्य सरकारों के बजट का एक बड़ा हिस्सा जेल व्यवस्था पर लगता है परंतु इससे अपराधियों का न तो सुधार होता है और न उनका पुनर्वास। जेल के भय से अपराध दर में कोई कमी आए, इसकी भी गारंटी नहीं है। यह आम धारणा है कि जेल जीवन अपराध की वह पाठशाला है जिसमें पहली बार अपराध कर प्रवेश लेने वाला व्यक्ति वहां से अपराध का ग्रैजुएट होकर निकालता है।

जेल के विकल्पों पर विचार करना समय की मांग हो चुकी है। पहली बार के अपराधियों को चेतावनी देने, आर्थिक दंड व जुर्माना, पीड़ित को क्षतिपूर्ति, अस्थगित सजा, प्रोबेशन व रिहाई, समुदाय सेवा आदेश, उपस्थिति सेंटरों पर उपस्थिति रिकार्ड, हाउस अरेस्ट जैसे उपायों पर विचार किया जा सकता है।

अध्याय एक में भारत की प्राचीन न्याय व्यवस्था का जिक्र कर आए

हैं। शुक्रनीति और मनुस्मृति सभी में दंड के विभिन्न रूपों की व्यवस्था की गई थी जिनमें से कुछ व्यवस्थाएं बेहद सटीक हैं। यदि आज भी उन्हें ही संशोधित व देश काल की परिस्थितियों के अनुरूप रूपांतरित कर लिया जाए तो न्याय व्यवस्था में बदलाव आ सकता है। वैसे भी कमांबेश हमारी दंड प्रक्रिया पर मनुस्मृति की छाया है और एक सदी पुराने कारागार नियमों को बदलने की मांग एक लंबे समय से चली आ रही है।

भारत के भूतपूर्व चीफ जस्टिस डा. ए.एस. आनंद ने 29 नवंबर, 1999 को सभी हाई कोर्टों को अपने पत्र में लिखा था कि हमारे देश में गरीब, अनपढ़ और कमजोर वर्ग के लोग प्रतिदिन जीवन के लिए संघर्ष करते हैं और सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक समानता दिलाने का आश्वासन देने वालों की ओर बड़ी आस से देखते हैं। भले ही कानून निर्माता उनकी सभी समस्याओं का हल न जुटा पाएं पर सभी को समान न्याय के संवैधानिक लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास तो किया जा सकता है। देश में लंबे समय से छोटे अपराधों के लिए जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की स्थिति से वे चिंतित थे। उनके पास जमानत की राशि नहीं होती। जेल में रहते हुए वे घोर अपराधी बन जाते हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार 73 % व्यक्ति छोटे अपराधों के कारण बंद थे और वे अपना अपराध मानने के लिए तैयार थे, पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई के अभाव में ऐसा संभव नहीं था। पहली बार अपराध के कारण उन्हें प्रोबेशन या जुर्माना देकर ही रिहाई मिल सकती है। उन्होंने इस बात का दुःख व्यक्त किया कि कोई व्यक्ति छोटे से अपराध के लिए लंबे समय तक जेल में बंद रहे या फिर कोई सिर्फ इसलिए जेल मे बंद हो कि वह गरीब और वंचित है, इसलिए उन्होंने सभी राज्यों के हाईकोर्टों से यह अनुरोध किया कि चीफ मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट महीने में एक या दो बार जेल परिसर में ही अदालत लगाएं और उन विचाराधीन कैदियों के मामले की सुनवाई करें जो अपना अपराध स्वीकार कर लेते हैं।

ऐसे कैदियों की मदद के लिए जेलों में विधिक सहायता काउंसिल प्रतिनियुक्त किए जाए जो कैदियों की ओर से उनके आवेदन प्रस्तुत कर सकें। उनके इस आदेश पर देश भर में जेल अदालतें गठित की गई और विचाराधीन कैदियों के मामलों की सुनवाई ने गति पकड़ी। पर संभवतः यह

गति अभी भी धीमी है अन्यथा विचाराधीन कैदियों की संख्या में अवय गिरावट आती।

सूचना प्राप्ति के अधिकार के इस युग में देश के जागरूक नागरिकों को जेलों में बंद एक बड़े वर्ग के लिए भी अपनी चिंता दिखाने के लिए, लंबे समय से छोटे अपराधों के कारण बंद व्यक्तियों की रिहाई के प्रयासों के लिए, ऐसे अपराधियों की सूचनाएं मांगकर संबंधित संस्थाओं को उनके लिए प्रयास सुनिचित करने के लिए मदद करनी चाहिए।

6 अगस्त, 2011 के समाचार-पत्र के प्रथम पृष्ठ पर संक्षिप्त समाचारों में एक छोटी सी सुर्खी थी कि एक आधी बोतल शराब के साथ गिरफ्तार एक व्यक्ति 32 साल जेल में बंद रहा जिसे कोर्ट ने तुरंत रिहाई के आदेश दिए। जरा गौर किया जाए कारों में बैठकर विलायती शराब पीने वाले, हवाई यात्रा में दारू की छोटी बोतलें साथ लेकर सफर करने वाले उच्च वर्ग के यात्री, दारू का अवैध धंधा करने वाले व्यक्ति समाज में चारों ओर हैं, वहीं एक गरीब व्यक्ति एक नहीं, दो नहीं पूरे बत्तीस वर्षों तक जेल मे बंद रह जाता है, कहीं कोई उसे छुड़ाने नहीं आता, किसी कोर्ट में उसकी केस की तारीख नहीं पड़ती, वह गरीब व्यक्ति विद्रोह या विरोध नहीं करता। जेल सुधार की लंबी-लंबी फेहरिस्ते हैं, एन.जी.ओ. के काम करने की चारों ओर प्रशंसा होती है, पर कभी उस जेल में बंद उस गरीब व्यक्ति की ओर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। उस लाचार व्यक्ति के समाचार को पढ़कर आंखें तो भर आई पर पूरा समाज अपनी इस बेबसी व लाचारी पर यदि शर्मिंदा भी हो जाए तो भी क्या उस व्यक्ति के जीवन के 32 साल लौटा पाएगा। शायद कोई भी मरहम, हमदर्दी के कोई भी बोल झूठे पड़ जाएंगे।

ऐसे समाचार क्या हमें सोचने को विवश नहीं करते कि हम समाज के जागरूक नागरिक समाज के प्रति कितने सचेत हैं? हमें समाज से क्या नहीं मिला, उसका शेष तो करते हैं, पर हम समाज से इतना कुछ हासिल कर क्या लौटा रहे हैं पर कभी विचार ही नहीं करते। क्या हमारा दायित्व नहीं है कि हम समाज के सबसे कमजोर तबके के लिए कुछ करें? पहले तो ऐसी स्थितियों को रोकने के प्रयास करें जिनके कारण कोई व्यक्ति अपराध करता है। दूसरी ओर जेलों में बंद निस्सहाय व्यक्तियों की रिहाई का बंदोबस्त भी करें। जिस न्याय प्रक्रिया में वी। आई.पी. मामलों के फैसले

आने में दस से पंद्रह वर्ष लग जाते हैं, वहीं ऐसे गरीबों को कैसे न्याय मिल पाएगा, इस पर सोचने होगा।

कहना न होगा जहां कई हाथ मिल कर किसी काम को मिशन के रूप में करने की ठान लेते हैं और उनकी यह दृढ़शक्ति समाज की भलाई के लिए होती है, तो कुछ भी असंभव नहीं होता।

न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर की प्रमुख धारणाओं में से एक यह भी है कि जब तक महिलाओं को सामाजिक और इस आर्थिक न्याय नहीं मिलता तब तक औपचारिक न्याय निरर्थक है। किसी भी समाज में फौजदारी न्याय प्रणाली दिन प्रतिदिन के जीवन में महिलाओं के प्रति हमारे दृष्टिकोण का दर्पण है। प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक कानूनी विधान, हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में महिलाओं के प्रति हमारे दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। हमारे समाज में जब महिला अपराध करती है तो उसे केवल अपराधी नहीं पापिन भी कहा जाता है। परिवार व समाज उसके लिए अपने दरवाजे बंद कर लेता है। जबकि पुरुष के जेल में होने पर पत्नी दर-दर उसके लिए न्याय दिलाने के लिए दस्तक देती भटकती है पर पत्नी जब जेल चली जाती है तो उसकी ओर कोई मुड़ कर नहीं देखता।

समाज की स्थितियों में बदलाव लाने जरूरी हैं। व्यक्ति अपराध के रास्ते पर न बढ़े, इसके लिए अपराध के कारणों को समाज से दूर करना होगा अन्यथा गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की यह पक्तियां दोहरानी होगी।

‘बंदी क्या बताओगे कि यह न टूटने वाली जंजीर किसने बनाई थी?’

बंदी ने उत्तर दिया, ‘इसे मैंने ही बड़े मनोयोग से गढ़ा था।’